(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक-4 दसवीं विधान सभा के चतुर्थ सत्र का चवालीसवां दिवस संख्या-26

शुक्रवार,
05 मई, 1995

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन ।)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 757.

राष्ट्रीय राज मार्गों पर स्पीड ब्रेकर्स निर्माण के मानदण्ड

757. **श्री माधव सिंह दीवान (सोजत) :** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर जहां-तहां बिना किसी मानदण्ड या चेतावनी का बोर्ड लगाये बगैर विभाग द्वारा गति अवरोधक का निर्माण करवा दिया जाता है ?

(2) क्या इस प्रकार के कार्य से अधिक दुर्घटनाएं ही नहीं होती अपितु डीजल, पेट्रोल आदि की भी बर्बादी होती है ?

(3) गति अवरोधक निर्माण बाबत सरकार ने क्या कोई गाइड लाइन बनायी हुई है, यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(4) आगे से गति अवरोधक की बढ़ती संख्या पर रोक लगाने बाबत सरकार क्या विचार रखती है ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) : (1) जी नहीं । सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा स्पीड ब्रेकर्स का निर्माण करने के साथ-साथ चेतावनी पट्ट आदि सामान्यतः लगा दिये जाते हैं पर कई स्थानों पर स्थानीय नागरिकों द्वारा स्वयं ही इस प्रकार के अनाधिकृत निर्माण दुर्घटनाएं होने की स्थिति में बना लिये अथवा प्रशासन पर दबाव डलवा कर बनवा लिये जाते हैं और उन पर चेतावनी चिन्ह या सूचना पट्ट नहीं लगाये जाते ।

(2) जी नहीं ।

(२)

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

(3) जी हां, भू-तल परिवहन मंत्रालय द्वारा ऐसे निर्माण के मापदण्ड निर्धारित किये हुए हैं। सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(4) केन्द्रीय भू-तल परिवहन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्पीड ब्रेकर निर्माण पर पूर्ण प्रतिबन्ध है। राज्य सरकार भी नेशनल हाइवे एवं स्टेट हाइवे पर स्पीड ब्रेकर्स के निर्माण के पक्ष में नहीं हैं, किन्तु जहां सड़क के किनारे ही विद्यालय या चिकित्सालय जैसी सार्वजनिक संस्थाएं स्थित हैं वहां सुरक्षा हेतु कभी-कभी स्पीड ब्रेकर्स बनाना अपरिहार्य हो जाता है। कभी कभी एक्सीडेंट हो जाने पर स्थानीय लोगों द्वारा अपने स्वयं के द्वारा या उनके दबाव के कारण कई स्थानों पर स्थानीय संस्थाओं द्वारा स्पीड ब्रेकर्स का निर्माण कर दिया जाता है। मुख्य सचिव, राज्य सरकार ने अपने प्रपत्र दिनांक 3-5-1994 (प्रति सलग्न) द्वारा सभी राष्ट्रीय राज मार्गों पर से स्पीड ब्रेकर हटाने के आदेश निकाले हुए हैं। समय-समय पर विभाग पुलिस एवं प्रशासन के सहयोग से स्पीड ब्रेकर हटाने का प्रयास करती रहती है जिसमें कभी सफलता मिलती है और कभी प्रतिरोध रहता है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

श्री माधव सिंह दीवान : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का जो जवाब दिया है वह मेरी समझ में नहीं आया। मैंने सवाल पूछा था कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर जहां-तहां बिना किसी मापदण्ड या चेतावनी का बोर्ड लगाये बगैर विभाग द्वारा गति अवरोधक का निर्माण करवा दिया जाता है। आपने कहा जी नहीं। नीचे आप कह रहे हैं कि हो जाता है यह आपने जवाब दिया है और दूसरा आपने यह सामान्यत: लगा दिये जाते है। सामान्यत: का क्या मतलब होता है? 90 पर्सेण्ट या 10 पर्सेण्ट या 5 पर्सेण्ट क्या मतलब है?

श्री अध्यक्ष : जनरली।

श्री माधव सिंह दीवान : जनरली का क्या मतलब है? यह सरकार चल रही है, यह कोई अपने घर की दुकान तो है नहीं। सामान्यत: जहां नेशनल हाइवे है वहां स्पीड ब्रेकर बन जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, समस्या यह होती है जब मंत्री होते हैं तब तो इनके ड्राइवर कार चलाते हैं तब तो इनको पता ही नहीं लगता कि स्पीड ब्रेकर आ गया या नहीं और मंत्री पद से हट जाते हैं और खुद को चलाने की बारी आती हैं तब हम लोगों के हाथ में कुछ रहता नहीं। तो अभी जब हाथ में है, कल को आपको भी घर की गाड़ी खुद को चलानी पड़ सकती है तब आपको पता लगेगा कि स्पीड ब्रेकर क्या होता है। रात को एकदम 10 फीट दूर गाड़ी रहती है सामने तब दिखाई पड़ता है। उस टाइम जब ब्रेक लगाने पड़ते हैं तब क्या होता हैं। हरियाणा के अन्दर मुख्य मंत्रीजी की गाड़ी को ड्राइवर ने जब ब्रेक लगाया उस समय मुख्य मंत्रीजी के लग गयी तो उसके बाद एक दिन में सारे के सारे स्पीड ब्रेकर हट गये। क्या राजस्थान में आप

(श्री माधव सिंह दीवान)

वेट कर रहे है कि उप मुख्य मंत्रीजी के लगे तब आप स्पीड ब्रेकर हटाने के लिए कोई न कोई कार्यवाही करेंगे ? अध्यक्ष महोदय, आप यह पत्र पढ़ लीजिये, मुख्य सचिव ने लिखा है कि सैन्ट्रल गवर्नमेंट ने यह कहा है कि अगर स्पीड ब्रेकर नहीं हटाये गये तो नेशनल हाइवे की एड बन्द कर दी जायेगी। तो क्या अब एड बन्द की राह आप देख रहे हैं ? मतलब कहीं न कहीं, कोई जब तक प्रेसर नहीं लगता तब तक यह सरकार एक्शन में नहीं आती है। कृपया इस बारे में स्पष्ट करें कि कितने दिन में स्पीड ब्रेकर्स सारे राजस्थान में हटा लिये जायेंगे ?

दूसरा, जनता की भावना को लेकर जो बात कही गयी है, ऐसे-ऐसे स्पीड ब्रेकर्स होते हैं जिनको स्प्रिंग ब्रेकर कह दीजिये। लोगों की कमर टूट जाती है। यह सरकारी सड़क है जिस पर हर कोई बना देता है तो आप नैक्स्ट डे हटा दें, रात को हटा दीजिये अगर जनता का कहीं कोई विरोध भी होता है तो सरकार है, सरकारी रोड है। कृपया इस बाबत अपनी स्थिति स्पष्ट करें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात प्रकट की है उससे पूर्णतया मेरी भी सहमति है। मैं आपके माध्यम से उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह सामान्यतः शब्द लिखा था यह इस बात के लिए केवल जहां एक्सीडेन्ट हो गये और लोगों ने आकर वहां इस प्रकार के स्पीड ब्रेकर खड़े कर दिये उन स्थानों पर तो पट्ट लगाना सम्भव नहीं है क्योंकि उनको हम तोड़ना चाहते हैं। शेष जो विभाग बनाता है वहां पर सब जगह चेतावनी पट्ट लगाया जाता है। अगर माननीय सदस्य कोई मुझे डिपार्टमेंट ने जो स्पीड ब्रेकर बनाया है....

श्री माधव सिंह दीवान : इसका हमको क्या पता लगेगा कि कौन सा डिपार्टमेंट ने बनाया है और कौन सा नहीं बनाया है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : वह तो अपने आप मालूम पड़ जाता है साइज से, तरीके से। मैं आपको यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जब एक्सीडेंट हो गया और जनता के दबाव से वहां के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने बना दिया उस बारे में विभाग को यह कह रखा है कि पूरा प्रयास करते जायं, एक महीने के बाद ऐसा कोई स्पीड ब्रेकर रह गया, क्योंकि होता क्या है जिस समय किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है तो जनता में कितने समय विक्षोभ रहता है। वहां पर कोई भी व्यक्ति जाता है या पुलिस को लेकर जाता है, तो सुबह, शाम, रात को अपने घर के बाहर लोग खड़े रहते हैं। यह जरुर कहा है कि एक महीने में कम से कम अधिक से अधिक शांत हो जाय उनकी भावना, उसके बाद कोई ऐसा अनाधिकृत स्पीड ब्रेकर रहा तो जिस अधिकारी की जिम्मेदारी है, उसके विरुद्ध हम निश्चित रूप से एक्शन लेंगे। मैं फिर माननीय

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

सदस्य को इस बारे में आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस दृष्टि से राज्य सरकार पूर्ण सजग है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलोदी) : अध्यक्ष महोदय, ऐसा निवेदन है, मन्त्री महोदय कई हाइवे ऐसे हैं जहां स्टेट या डिस्ट्रिक्ट रोड क्रोस करती है। अंग्रेजी बबूल इस तरह से बढ़े हुए सामने आ जाते हैं और तभी मालूम पड़ता है जब टक्कर होती है। वहां राउण्ड अबाउट भी बने हुए नहीं है। दरख्तों को साइज से कोई काटते नहीं है। मेरे फलोदी के नजदीक बम्बई से लेकर श्री नगर वाली रोड है, यह नेशनल हाइवे है। एक जगह चार व्यक्ति मेरे देखने में मर गये उसी जगह पर, क्योंकि दोनों तरफ दरख्त आ गये और एक तरफ दुकान भी आ गयी। नेशनल हाइवे की मोटरें बहुत स्पीड से फलौदी से निकलती हैं। मैं तो गाड़ी खड़ी करके और इधर-उधर देख कर फिर आगे गाड़ी निकालता हूं। राउण्ड अबाउट भी नहीं है। इस तरह की स्थिति है और वृक्ष बढ़े हुए हैं। ऐसा का ऐसा स्थान बिलाड़ा के पास जो खेजलड़ो सड़क जाती है और पिचास से आगे, मेरे देखने से 3-4 आदमी मरे हैं। खेजलड़ी की तरफ झाड़ियां इस तरह से आ गयीं, गोगुन्दा की तरफ से जो सड़क आती है और उधर से जोधपुर-जयपुर हाइवे पर बस इस स्पीड से आती है एक दफा मेरे सामने टकरायी और तीन आदमी वहीं ढेर हो गये। तो ये बढ़े हुए वृक्ष को काटते नहीं हैं, साइड में अवरोध हैं उनको हटाते नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, नेशनल हाइवे, स्टेट हाइवे, डिस्ट्रिक्ट हाइवे हैं वहां पर बाईपास नहीं है। सड़क के दोनों तरफ, एक तरफ स्कूल है और दूसरी तरफ आबादी है। पानी के लिए जो पणिहारियां जाती हैं वह नोर्थ से साउथ और साउथ से नोर्थ को जाती हैं और बीच में स्टेट हाइवे है। आज बालोतरा के अन्दर कीलाणपुर, रोहीअरावा में 200 टेंकर डीजल के चल रहे हैं वहां पर यदि आप स्पीड ब्रेकर नहीं लगायेंगे तो आये दिन हमारे वहां पर मौतें हो रही हैं, हमेशा तीन-चार बच्चों की डैथ हो जाती है। अभी माननीय सदस्य फरमा रहे थे कि कार में बैठे-बैठे कमर टूट जाती है। मंत्री जी बैठे हों या कोई भी तो स्प्रिंग टूट जाती है। कुछ भी हो, गांवों के नजदीक जहां दोनों तरफ आबादी है और अन्दर से कोई भी गाड़ी गुजरती है तो वहां पर स्पीड ब्रेकर होना बहुत जरूरी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें। पहले जवाब जाने दीजिये।

श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, नेशनल हाइवे शहरों में और कस्बों में होकर गुजरती है, वहां पर स्कूल और कालेज हैं, वहां पर एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं। क्योंकि वहां पर छोटे-छोटे बच्चे आते हैं तो जहां स्कूल और कॉलेज जो बिलकुल हाइवे पर बने हुए हैं क्या आप वहां पर निश्चित रूप से सरकार की ओर से स्पीड ब्रेकर बनवाएंगे ?

श्री बनवारी लाल बैरवा : मेरा भी एक सवाल है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मणसिंह जी।

श्री परसादी लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, शहरों में बाईपास कहां बनाएंगे, हर जगह स्कूल और कॉलेज है, वहां पर मन्त्रीजी आप स्पीड ब्रेकर बनवाइये। आपके ट्रकों के ड्राइवर वगैरह दारू पीकर के इतनी तेज गाड़ियां चलाते हैं कि + + + बच्चों के एक्सीडेंट हो जाते हैं। गत वर्ष की बात है कालेडा में आक्रोश भड़का, स्पीड ब्रेकर बना दिया, आप उसको रोक नहीं सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री बनवारी लाल बैरवा (निवाई) : गत वर्ष तीन मौतें हो गयी, तीन दुर्घटनाएं हो गयीं, लास्ट जो दुर्घटना हुई उसमें लोग बहुत आक्रोश में आ गये और वहां कम से कम 4 घंटे के लिए रास्ता जाम हो गया।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : अध्यक्ष महोदय, थोड़ा पक्ष की तरफ भी ध्यान रखिये।

श्री अध्यक्ष : आप चिंता न करें, मेरी, समदृष्टि है। आप बिराजें।

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय अध्यक्षजी, सायला गांव है। वहां एक अंधा मोड़ है, वहां पर स्वाभाविक है कि कई दुर्घटनाएं होती है। 3 दुर्घटनाएं गत वर्ष हुई। एक बच्चा मरा हरिजन का, एक मीना समाज का व्यक्ति मरा एक जाट समाज का व्यक्ति मरा, तीन व्यक्ति वहां मर गये और आखिर में जब तीसरा मरा तब गांव के अन्दर जबर्दस्त आक्रोश हो गया। लोग आकर के जमा हो गये और कम से कम वहां 4 घण्टे के लिए रास्ता जाम हो गया।

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप। माननीय एक ही प्रश्न बहुत लम्बा हो जाएगा।

श्री बनवारी लाल बैरवा : पुलिस ने लाठी चार्ज किया। बस एक सवाल और है। वहां स्कूल और पेयजल व्यवस्था सड़क पर है। मैं माननीय मन्त्रीजी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार वहां बाईपास बनाने पर विचार रखती है?

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें। माननीय लक्ष्मणसिंह जी।

श्री राकेश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, पक्ष की तरफ से एक भी आदमी नहीं बोला है।

श्रीमती बीना काक (सुमेरपुर) : कोई कह रहा है लगाइये, कोई मना कर रहा है तो आधे घण्टे की चर्चा करा ली जाय इसके ऊपर (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी सुन लें, ऐसा प्रयत्न करें कि एक ही माननीय सदस्य बोले।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मन्त्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) : मन्त्री महोदय मजा ले रहे हैं, आनन्दित हो रहे हैं।

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री अध्यक्ष : लक्ष्मणसिंह जी कुछ कह रहे हैं। बैरवा साहब, बिराजें आप।

श्री लक्ष्मणसिंह (भीम) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि यह कटु सत्य है कि राजस्थान में हरियाणा, पंजाब, गुजरात के मुकाबले नेशनल हाइवे पर स्पीड ब्रेकर्स की संख्या ज्यादा है। इसको आप दूसरे परिप्रेक्ष्य में क्यों नहीं देखते हैं, क्यों नहीं स्कूल्स के आसपास की लोकेलिटी और स्कूल्स के बच्चों को विशेष रूप से शिक्षित करने के लिए प्रयास किये जायं और बोर्ड लगाये जायं कि आप नेशनल हाइवे पर जब एन्टर होते हैं तो पूरा ध्यान रखें और इसके लिए क्योंकि एक्सीडेंट्स स्कूल्स में ज्यादा होते हैं, आप कभी एक महीने, तीन महीने या 6 महीने, अपने इन्जीनियर्स को इन्स्ट्रक्शन्स दे दीजिये कि वे स्कूल्स के बच्चों को ऐक तरह से कॉशन करने के लिए वहां पर जाकर सलाह दें कि नेशनल हाइवे पर एन्टर होने पर सबसे पहले पूरा प्रकाशन दें।

श्री अध्यक्ष : मेघवाल जी।

श्री राकेश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि स्पीड ब्रेकर बनें या नहीं बनें लेकिन जो बने हुए हैं, कमर टूटे तो उसका दवाई लगाकर इलाज किया जा सकता है लेकिन जो गाड़ियों के चेम्बर फूट जाते है, नीचे से स्पीडब्रेकर अड़कर के, उसका इलाज नहीं हो सकता। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भी स्पीड ब्रेकर बने, ठीक ढंग से बने, लेवल में बनें ताकि आजकल की जो नयी गाड़ियाँ आ रही हैं, जैसे मारूती है, उसका फोंडेशन नीचे से उस स्पीड ब्रेकर से टूट जाता है, टच होते ही चेम्बर फूट जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर में भी ऐसे स्पीड ब्रेकर बने हुए हैं, जिन स्पीड ब्रेकर्स की लाइनिंग नहीं है, लाइनिंग है तो नीचे टच होता है। कम से कम हजारों चेम्बर रोज फूटते हैं।

श्री अध्यक्ष : कई बातें कह दी आपने। श्री धनखड़ जी।

श्री राकेश मेघवाल : इसलिए, अध्यक्ष महोदय, अगर स्पीड ब्रेकर बनें तो थोड़ा स्लोप करके बनें।

श्री अध्यक्ष : एक ही प्रश्न में बहुत ज्यादा समय ले रहे हैं। बिराजें आप।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र नेशनल हाइवे नम्बर 8 के इधर-उधर है। कम से कम एक दर्जन एप्रोच रोड ऐसी हैं जो सीधी नेशनल हाइवे नम्बर 8 से आकर मिलती है। मान्यवर, वे सीधी सड़कें हैं, किसी भी प्रकार का सिगनल न होने से अनेक एक्सीडेंट होते हैं। इसलिए मैं पहले मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि नेशनल हाइवे के आस-पास जितनी भी अप्रोच रोड्स हैं, उनके सम्बन्ध में आप कोई विशेष कार्यवाही करेंगे ? दूसरी बात, माननीय अध्यक्ष महोदय, ड्राईविंग लाइसेंस इस तरीके से सिफारिश से आप दे देते हैं, बिना ट्रेनिंग के दे देते हैं तो जो लोग गाड़ियां चलाते हैं, आपके स्पीड ब्रेकर रोड

Page No. 7

(7)

(श्री जगदीप धनखड़)

ब्रेकर हो गये हैं, व्हीकल ब्रेकर हो गये हैं, वहां लोग उस पर इधर उधर से जाने की कोशिश करते हैं। कहने का मतलब कि ड्राइवर भी प्रशिक्षित नहीं हैं, तो क्या माननीय मंत्रीजी इस ओर भी ध्यान देंगे और सरकार की तरफ से यह आश्वासन देंगे कि भविष्य में सिफारिश पर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं देंगे और प्रशिक्षण का काम पूरे तरीके से करवायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। रामस्वरूपजी।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि स्पीड ब्रेकर के साथ-साथ मेरा एक मूल प्रश्न यह है कि मंत्री महोदय मेहंदीपुर बालाजी पधारे थे और उन्होंने तीर्थस्थान पर जो मन्दिर है, उसके आगे रास्ता अवरुद्ध होता है, आप भी कई बार पधारे होंगे, माननीय मंत्री महोदय ने वहां घोषणा की थी कि मैं जल्दी बाईपास बनवा दूंगा ताकि मन्दिर का रास्ता अवरुद्ध नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : यह बाईपास कहां से आ गया। यह तो स्पीड ब्रेकर की बात हो रही थी। आप अपनी स्पीड थोड़ी ब्रेक करिये, थोड़ा धीरे बोलिये आप।

श्री रामस्वरूप : ताकि आपको स्पीड ब्रेकर बनाने ही नहीं पड़ेंगे यदि आप बाईपास बना देंगे। मेरा यह निवेदन है कि आप इसकी घोषणा करें।

श्री अध्यक्ष : हां, गरासिया जी।

श्री प्रभुराम गरासिया (पिंडवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मेरे पिंडवाड़ा में बाईपास नहीं है। वहां उदयपुर जाने वाले ट्रक और गाड़ियां, सारी अन्दर होकर निकलती है। वहां कई बार एक्सीडेंट्स हुए हैं। मैं निवेदन करूंगा कि वहां बाईपास निर्माण करें।

श्री अध्यक्ष : बात आ गयी है, बिराजें आप। पाइंटेड प्रश्न पूछें आप।

श्री भंवरसिंह डांगावास (मेड़ता) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बिलकुल पाइंटेड क्वेश्चन कर रहा हूं। मैं कोई व्याख्यान देने नहीं आता। जितने भी स्टेट हाइवे और नेशनल हाइवे पहले रूट्स थे, जब वे बने नहीं थे, वे सब शहरों के अन्दर और गांवों के अन्दर से निकलते हैं। जैसे ही आप उसे स्टेट हाइवे और नेशनल हाइवे डिक्लेयर करें, उसके साथ ही आप बाईपास की योजनाएं बनायें तो अच्छा होगा। उदाहरण दे रहा हूं, थावला के अन्दर और मेड़ता के अन्दर बीच में से निकलता है, मूंडवा में निकलता है....

श्री अध्यक्ष : सब जगह है।

श्री भंवरसिंह डांगावास : तो ये स्टेट हाइवे डिक्लेयर हो चुके और वहां मौतें होती हैं और जहां तक आदमी बना सके, गांव में शिक्षा-दीक्षा कुछ नहीं है। रोज नये बच्चे स्कूल में आते हैं, कहां शिक्षा देंगे आप। स्पीड ब्रेकर बनायें आप स्कूलों के आगे और हॉस्पिटल्स के आगे।

श्री अध्यक्ष : श्री शैलेन्द्रजी। आप बिराजें।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : माननीय मंत्री महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पी. डब्ल्यू. डी. के यार्ड स्टिक के हिसाब से स्पीड ब्रेकर कितनी ऊंचाई और कितनी चौड़ाई का होना चाहिये, इसके मापदंड क्या हैं और स्पेसीफिकेश

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

क्या है ? इसको कहीं तो डूंगर की तरह बहुत ऊंचा बना देते हैं जिससे चेम्बर भी टूट जाते हैं और व्हीकल ब्रोकन भी हो जाते हैं, कहीं बिलकुल ही ऐसा नहीं लगता कि स्पीड ब्रेकर था। तो पी. डब्ल्यू. डी. के यार्ड स्टिक क्या कहते हैं, यह बताइये।

श्री अध्यक्ष : माननीय रमाकांत जी।

श्री रमाकान्त (थानागाजी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी है कि नेशनल हाइवे स्पीड ब्रेकर बनाने की बिलकुल अनुमति नहीं है, फिर भी बहुत बन गये हैं। क्या विभाग आश्वस्त है कि स्पीड ब्रेकर बन जाने के बाद एक्सीडेंट नहीं होते ? तीसरी बात कि जो स्पीड ब्रेकर बने हुए हैं वहां पर जितने एक्सीडेंट होते हैं और जहां पर स्पीड ब्रेकर नहीं बने हुए हैं वहां स्पीड ब्रेकर बने हुए हैं, वहां पर जितने एक्सीडेंट होते हैं, दोनों का मुकाबला विभाग द्वारा कभी किया गया है ? मेरी जानकारी है कि जहां पर स्पीड ब्रेकर बने हुए हैं, वहां एक्सीडेंट ज्यादा ही होते हैं। दोनों वजह से, एक तो जो लोग-बाग है, वहां के, वे इस बात को आगाह नहीं रहते कि आने वाली गाड़ियां अपने आप रुकेंगी और वे आने वाली गाड़ियां एकदम कूदती हैं और आदमी दब जाता है। इसलिए जहां पर स्पीड ब्रेकर हैं, वहां पर ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि केरला के अन्दर एल्विन से लेकर त्रिवेन्द्रम तक सड़क के दोनों तरफ बस्ती बसी हुई है। कोचीन से लेकर के एक फीट भी खाली नहीं है, एक भी स्पीड ब्रेकर नहीं है। जितने भी विकसित देश हैं, उनमें भी स्पीड ब्रेकर नहीं है। हमारे यहां राजस्थान में जगह-जगह स्पीड ब्रेकर की बीमारी फैल गयी है, यह किसी के लिए भी लाभकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी। अब क्या पूछना रह गया। इतना पूछ लिया सबने, आपका क्या आ गया इसमें।

श्री दलीचन्द (दानपुर) : मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि प्रतापगढ़, दाहोद मार्ग पर जो स्टेट हाइवे जा रहा है, इसमें घाटोल, बांसवाड़ा और मंडोदिया के मेन बाजार से होकर रास्ता निकला है, वहां पर आधा-आधा घण्टे तक गाड़ियां, क्योंकि सामने दुकानें लगी हुई हैं, वहां मार्केट भरता है, इसलिए वहां इतनी परेशानी होती है कि आधा-आधा घण्टे तक इस शहर से गाड़ियां नहीं निकलती हैं। क्या मंत्री महोदय, घाटोल, बांसवाड़ा और मंडोदिया बाईपास बनाने का विचार रखते हैं ?

श्री अध्यक्ष : बाईपास की बात नहीं है। यह स्पीड ब्रेकर की बात है। बिराजें आप।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, फलौदी से आने वाले माननीय विधायक ने और किशनगढ से आने वाले माननीय विधायक ने एक बहुत अच्छा प्रश्न खड़ा किया है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो नेशनल

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

हाईवेज जा रहे हैं इन पर विलेज रोड्स या अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स मिलती हैं या डिस्ट्रिक्ट रोड्स मिलती हैं वहां दुर्घटना होने के बहुत अधिक चांसेज हैं और इसलिए एक प्रकाशन तो हमने लिये हैं। सरकार ने और डिपार्टमेंट ने इस बात की चिन्ता की है कि जो नेशनल हाइवे पर एण्टर होने वाली विलेज रोड्स हैं या अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं वहां निश्चित रूप से स्पीड ब्रेकर्स बनाया जायें ताकि वहां से आने वाले जो नेशनल हाइवे पर एण्टर करते हैं, क्योंकि नेशनल हाईवे पर तेज गति से चलने वाले वाहन होते हैं, सीधी सड़क होती है उसके बनाने की चिन्ता करें, ऐसे आदेश प्रसारित हैं और उस नाते से हम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई मेरे ध्यान में आएगा कि वहां स्पीड ब्रेकर नहीं बना हुआ है उस पर तो मैं उसको बनवाऊंगा।

आपके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूं कि फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि सचमुच कुछ क्षेत्रों में राड़ियां खड़ी हो गयी हैं। इसकी व्यवस्था हम करवायेंगे कि इतने पेड़ इस तरह की राड़ी काटी जायं ताकि विजिबिलिटी मुड़ने वाले को दिखने की दृष्टि से हो सके, यह बात सच है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सवाल और बांदीकुई से आने वाले माननीय सदस्य ने किया है। इस प्रश्न के साथ मैंने जो पत्र अटेच किये हैं और जो सदन की मेज पर रखे हैं उसमें स्पीड ब्रेकर्स कहां होंगे, उनकी साइज क्या होगी, जहां क्रासिंग होता है रेल्वे से उस जगह रिम्ब्लस की क्या साइज होगी यह सब बातें पूर्णतया लिखी हैं। मैं समझता हूं माननीय सदस्य उस टेबल पर रखी हुई बात को इसके बाद निश्चित रूप से देखें। उनका सारा वर्णन करूंगा तो 15 मिनट उसमें लग जायेंगे किन्तु एक बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पी.डब्ल्यू.डी. जो स्पीड ब्रेकर बनाता है वह जो मानदण्ड निर्धारित किये हैं उसके अनुसार ही बनाती है किन्तु एक्सीडेंट वाले जो रास्ते हो जाते हैं और जिसमें जनता बनाती है या जो वहां के संस्थान को उपयोग करके बनाते हैं उनकी साइज ठीक नहीं रहती। वहां पट्ट लगाना भी सम्भव नहीं है, एकदम तोड़ना भी सम्भव नहीं है। हम पुलिस की भी सहायता लेते हैं उसके तोड़ने में। इस प्रश्न के माध्यम से कुछ बाईपास की चर्चा भी यहां पर की गयी है। जो इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। मैं माननीय सदस्यों की इस उत्कंठा को समझता हूं कि जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ रही है बाईपास की आवश्यकता हो रही है। अब जब बी. ओ. टी. वाला मामला आकर खड़ा हो गया है उसके कारण बिल्ड, आपरेट एण्ड ट्रांसफर इसमें बड़े-बड़े बाईपास पहले और फिर छोटे बाईपास बनाने की प्रक्रिया भी राज्य सरकार करना चाहती है।....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री गुलाबसिंह जी शक्तावत। .. आपकी बात हो गयी।

खरसाण प्राथमिक विद्यालय (पंचायत समिति मीण्डर) भवन के लिए स्वीकृत राशि

758. श्री गुलाब सिंह शक्तावत (बल्लभनगर) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि जवाहर रोजगार योजना द्वितीय धारा के अन्तर्गत खरसाण प्राथमिक विद्यालय के भवन निर्माण हेतु पंचायत समिति मीण्डर को 1.40 लाख रुपये वर्ष 1993-94 में स्वीकृत किये गये थे ?

(2) प्राथमिक विद्यालय भवन का निर्माण कोनसी आराजी भूमि पर किया गया ? क्या भूमि प्राथमिक विद्यालय को आबंटित की गयी ? यदि हां, तो कितनी भूमि किस आदेश से ? आबंटन आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) जिस भूमि पर प्राथमिक विद्यालय भवन का निर्माण कराया जा रहा है वह गांव से कितनी दूरी पर है ? क्या सरकार इतनी दूरी पर प्राथमिक विद्यालय भवन बनाना उचित मानती है ?

राज्य मंत्री, विशिष्ट योजना संगठन (श्री अनंग कुमार जैन) : (1) जी, हां। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, उदयपुर द्वारा वर्ष 1993-94 में जवाहर रोजगार योजना (द्वितीय धारा) के अन्तर्गत खरसाण प्राथमिक विद्यालय पंचायत समिति मीण्डर के निर्माण हेतु 2 लाख रुपये की राशि स्वीकृति जारी की गयी थी।

(2) प्राथमिक विद्यालय भवन खरसाण का निर्माण आराजी (खसरा) नम्बर 1 पर किया गया है। इसके पहले कोई औपचारिक आबटन की स्वीकृति नहीं ली गयी थी। परन्तु ग्राम पंचायत से प्रस्ताव पास करवाकर जिला कलक्टर, उदयपुर ने दिनांक 4-5-95 को भूमि आबंटन की औपचारिक स्वीकृति दे दी है। आदेश की प्रतिलिपि सलग्न है।

(3) जिस भूमि पर प्राथमिक विद्यालय भवन का निर्माण कराया जा रहा है वह गांव की आबादी से लगभग एक किलोमीटर दूर है। राज्य सरकार की नीति के तहत जिन प्राथमिक शालाओं में भवन नहीं है उनके लिए भवन प्राथमिकता पर निर्मित कराये जाते हैं। इसी नीति के अनुसार भवन रहित प्राथमिक शाला खरसाण हेतु भवन निर्माण की स्वीकृति ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर की गयी थी। ग्राम पंचायत खरसाण में आबादी के बिलकुल पास स्कूल भवन हेतु भूमि उपलब्ध नहीं थी। केवल 1 किलोमीटर दूरी पर चरनोट की भूमि ही उपलब्ध थी तथा समस्त भूमि खातेदारों की है। इसी खसरा नम्बर 1 पर प्राथमिक शाला भवन का निर्माण कराया गया है। खसरा नम्बर 1 का कुल क्षेत्रफल 50 बीघा 3 बिस्वा है, इसमें से माध्यमिक विद्यालय, खरसाण हेतु 9 बीघा 5 बिस्वा भूमि आबंटित की गयी है तथा इसी खसरे की शेष भूमि में से प्राथमिक शाला भवन खरसाण हेतु ग्राम पंचायत से 2 बीघा भूमि के आबंटन के प्रस्ताव प्राप्त कर जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा दिनांक 4-5-95 को औप-

(श्री अनंग कुमार जैन)

चारिक स्वीकृति जारी की है। शिक्षा संस्थाएं एक ही परिसर में रहे इसी को ध्यान में रखकर प्राथमिक शाला भवन भी माध्यमिक शाला भवन के पास ही निर्माण कराया गया है।

(प्रतिलिपि अस्पष्ट होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अध्यक्ष, महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव कब पारित किया गया और कौन-कौन सदस्य उपस्थित थे? एक। प्रस्ताव जिलाधीश को कब प्रस्तुत किया गया और 4-5-95 तक स्वीकृति नहीं होने के क्या कारण हैं और इस ग्राम सेवक ने बिना भूमि के आबंटन के कार्य प्रारम्भ कर दिया, क्या राज्य सरकार ऐसे अनाधिकृत निर्माण को उचित मानती है?

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह 1993-94 में स्वीकृति जारी हुई थी ...

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मेरा प्रश्न सीधा है। ग्राम पंचायत की स्वीकृति से मेरा कोई लेना देना नहीं है। वह तो मैं जानता हूं कि स्वीकृति कब हुई। पंचायत का प्रस्ताव कब पारित किया जमीन आबंटन के लिए? नम्बर एक। नम्बर दो, उस वक्त प्रशासक था, पंचायतें एग्जिस्टेंस में नहीं थीं। तो उसकी एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग कब हुई थी, उसमें कौन-कौन उपस्थित थे और उसमें क्या निर्णय लिया गया था? तथा ग्राम सेवक ने बिना एडवाइजरी कमेटी की राय के यह काम शुरू कर दिया तो क्या सरकार इस अनाधिकृत निर्माण को उचित मानती है?

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि यहां पर....

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मेरे स्पेसिफिक प्रश्न का जवाब दीजिये। उस विषय से आगे नहीं जा रहा हूं जो आपने लिखा है। आपने लिखा है उसी के सन्दर्भ में पूछ रहा हूं।

श्री अनंग कुमार जैन : बिलकुल स्पेसिफिक ही जवाब दे रहा हूं

श्री अध्यक्ष : आप पूरा सुनें, माननीय सदस्य बिराजें आप।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : सीधे सवाल का जवाब दे दें....

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्राम पंचायत खरसाण के अन्दर विद्यालय भवन उपलब्ध नहीं था। राज्य सरकार की यह....

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : वह तो मान लिया। मैं तो पूछ रहा हूं कि प्रस्ताव कब आया?

श्री अनंग कुमार जैन : मेरा जवाब तो सुनेंगे आप? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने जवाब में स्पष्ट रूप से कहा है

(श्री अनंग कुमार जैन)

कि मैंने कोई तथ्य नहीं छुपाये। दिनांक 4-5-95 कल ही थी और जिलाधीश, उदयपुर द्वारा औपचारिक स्वीकृति जारी की गयी मैंने कोई तथ्य नहीं छुपाये। अगर मैं तथ्य छिपाता तो तारीख नहीं देता। अपने जवाब में यह कहा कि जिलाधीश द्वारा स्वीकृति जारी कर दी गयी है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं यही चाहता हूं कि आपने जो जवाब दिया उसके बारे में बता दीजिये कि पंचायत का प्रस्ताव किस तारीख को पास हुआ ?

श्री अनंग कुमार जैन : आपको मैंने स्पेसिफिक डेट मेंशन की है उसके अन्दर....

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : नहीं की है। आप जवाब देखिये उसमें डेट मेंशन नहीं है। मेरा प्रश्न यह है कि पंचायत ने कब प्रस्ताव पास किया है ?

श्री अध्यक्ष : आप यह पूछ रहे हैं कि पंचायत ने कब प्रस्ताव पास किया ?

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह स्वीकृति जारी की गयी थी राज्यपाल शासन के अन्दर....

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मेरी स्वीकृति से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो पचायत के प्रस्ताव के बारे में जानना चाहता हूं।

श्री अनंग कुमार जैन : राज्यपाल शासन के अन्दर यह स्वीकृति जारी की गयी। राज्यपाल शासन के अन्दर यह काम प्रारम्भ हुआ....

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : राज्यपाल का शासन हो या किसी का भी शासन हो। पंचायत की एक एडवाइजरी कमेटी थी प्रशासक के साथ उस समय राज्य सरकार के आदेश को पढ़िये उसमें पटवारी था और हैडमास्टर था। उस कमेटी की मीटिंग हुई थी क्या ? हुई थी तो कब हुई थी ? मंत्री जी आपके पास पूरे फैक्टस हो तो बता दीजिये। ऐसे नहीं चलेगा।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : नहीं, नहीं। ऐसा नहीं।

श्री अनंग कुमार जैन : राज्यपाल शासन का मामला है इसलिए मेरे कहते ही माननीय सदस्य नाराज होने लग जाते हैं। अब राज्यपाल शासन में कोई स्वीकृति जारी हो गयी और कोई कमी रह गयी तो उस कमी को जब राज्य सरकार के ध्यान में आया तो तत्काल उस कमी को पूरा किया गया। एक भवन का निर्माण हो चुका है। जो नियमों की पालना उसमें होनी चाहिये थी वह नहीं हुई थी उस वक्त। उन नियमों की पालना जिलाधीश, उदयपुर को कहकर करवायी गयी। तो राज्य सरकार तो स्वयं सजग है कि इस प्रकार की पूर्व में कोई गलती भी की है, तो उस गलती को दुरुस्त किया जाय। अब राज्यपाल शासन का नाम लेते ही माननीय सदस्य को नाराजगी क्यों होती है। राज्यपाल शासन के अन्दर....

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मेरा प्रश्न सीधा है। राज्यपाल शासन हो या यह गवर्नमेंट हो प्रश्न यह है कि पंचायत की बैठक कब हुई ? चक्कर में डालकर कहां ले जाना चाहते हैं ?

श्री अनंग कुमार जैन : मैं फैक्ट्स दे रहा हूं। मुझे तथ्यों को यहां बयान करना पड़ेगा। जो स्वीकृति राज्यपाल शासन में हुई उसमें मैं क्या कर सकता हूं। रेकर्ड के ऊपर है। मैं उसको छुपा नहीं सकता। दूसरे जो कमी रह गयी थी उस कमी की पूर्ति राज्य सरकार ने कलक्टर उदयपुर को लिखकर तत्काल पूरी करवायी। अब भवन बन चुका है और मैं पूरी जानकारी दूंगा। दूसरी बात....

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैंने स्वीकृति के बारे में पूछा ही नहीं है।

श्री अनंग कुमार जैन : ... इस सब के बावजूद भी मेरा विनम्र निवेदन है कि माननीय सदस्य स्वयं लम्बे समय तक मंत्री रहे हैं। इस प्रकार की कई फाइलें माननीय सदस्य के भी समय आती थीं और जब कमियां रहती थीं, तो जो कमिंग गवर्नमेंट है उसको उन कमियों को देखकर उनकी जांच करवाकर पूरा करना पड़ता था। इस सब के बावजूद भी माननीय सदस्य चाहते हैं कि उस ग्रामसेवक ने कोई अनियमितता की है तो मैं उसकी जांच के आदेश आज ही प्रसारित कर देता हूं और यदि उसमें कोई अनियमितता बरती गयी है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। इससे अधिक आप और क्या चाहते हैं ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : एक प्रश्न और है। जो प्राथमिक विद्यालय भवन बन रहा है उसमें कोई छोटी उम्र का, 6 वर्ष का बालक प्रवेश लेना चाहता है गांव से इतना दूर है और यह मुख्य मार्ग है। उदयपुर से नीमच, उदयपुर से प्रतापगढ़ उदयपुर से भींडर, उदयपुर से धरियावद, उदयपुर से पारसोला दुनियाभर का आवागमन इस सड़क पर होता है। गांव से डेढ़ किलोमीटर और अन्तिम छोर से 2 किलोमीटर दूर है जहां पहली क्लास में भर्ती होने वाला बच्चा अगर उस सड़क से गुजरेगा तो एक्सीडेंट का खतरा है या नहीं ? नम्बर दो, माध्यमिक विद्यालय भवन अलग बन रहा है जब माध्यमिक विद्यालय भवन अलग बन जाएगा तो जो उसकी जो पुरानी बिल्डिंग हैं उसमें प्राथमिक विद्यालय क्यों नहीं स्थानान्तरित कर देते ? इसमें क्या आपत्ति है ? ताकि छोटे बच्चों का सड़क पार करते वक्त एक्सीडेंट न हो।

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने फरमाया एक किलोमीटर दूर है निश्चित रूप से गांव से एक किलोमीटर दूर है....

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : गांव से डेढ़ किलोमीटर दूर है।

श्री अनंग कुमार जैन : मेरे रिकार्ड के हिसाब से एक किलोमीटर दूर है और मैंने खुद ने अपने जवाब में एडमिट किया है, I have not hidden any fact. और चूंकि पूरे गांव में और कोई जमीन उपलब्ध नहीं थी तो जो चरनोट की जमीन थी

(श्री अनंग कुमार जैन)

और उस गांव के नीयरेस्ट जमीन उपलब्ध थी, उस जगह इस भवन को बनवाया गया है। वहां पर माध्यमिक विद्यालय का भवन बन रहा है उसके सम्बन्ध में माननीय सदस्य का फरमाना है कि माध्यमिक विद्यालय भवन बन जाएगा तो पुरानी बिल्डिंग खाली हो जाएगी, तो उस वक्त प्राइमरी स्कूल वहां स्थानान्तरित करने पर विचार किया जा सकता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : इस तथ्य की आप जांच करवा लीजिए।

श्री अध्यक्ष : हो जायेगी। आप सब करवा सकते हैं, यों ही प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मेरे मूल प्रश्न का उत्तर नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : वह हो गया, आप बिराजें।

श्री विष्णु मोदी। स्थगित प्रश्न (प्रश्न संख्या 2-दिनांक 24 मार्च, 1995)

(अनुपस्थित)। (कृपया आगे देखें)

श्री राजेन्द्र गहलोत। प्रश्न संख्या 759।

(अनुपस्थित)। (कृपया आगे देखें)

श्री मोतीलाल।

पशुपालन चिकित्सकों का वेतनमान

760. **श्री मोतीलाल** (रूपवास) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार समान कार्य के लिए समान वेतन, के आधार पर पशुपालन विभाग में कार्यरत डाक्टर्स को स्वास्थ्य विभाग के डाक्टर्स के बराबर वेतनमान देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, पशुपालन (श्री अर्जुनसिंह देवड़ा) : वर्तमान में यह प्रकरण वित्त विभाग के विचाराधीन है। तत्पश्चात् ही इस सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही सम्भव होगी।

श्री मोतीलाल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी कह रहे हैं कि सरकार के विचाराधीन है, प्रयोजल बनाकर भेजा है। क्या स्वास्थ्य विभाग के डाक्टर्स के बराबर पशु चिकित्सालय के डाक्टर्स को वेतन दिया जायेगा?

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : अध्यक्ष महोदय, यह प्रकरण काफी समय से चल रहा है और राणावत आयोग की जब इस बारे में मीटिंग हुई तो उन्होंने इनके वेतनमानों में फर्क रखा। उसके बाद में बेरी आयोग ने भी यह माना और उसके बाद में समता समिति ने भी इसको नहीं माना। अब जो माननीय सदस्य कह रहे हैं मेरे से भी डाक्टर्स मिले थे और यह

(श्री अर्जुन सिंह देवड़ा)

प्रकरण 22-8-94 को वित्त विभाग में भेज दिया गया है। वहां से जो भी निर्णय आयेगा उस पर कार्यवाही की जाएगी।

श्री अध्यक्ष : श्री महेन्द्रकुमार जी मीणा।

दौसा जिले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पर अत्याचारों के प्रकरण

761. **श्री शैलेन्द्र जोशी** (बांदीकुई) (श्री महेन्द्र कुमार मीणा के स्थान पर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

गत वर्ष दौसा जिले में अनुसूचित जाति। जनजातियों पर अत्याचारों के कितने प्रकरण दर्ज किये गये तथा कितनों का चालान पेश किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

गृह मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल) : गत वर्ष 1994 में दौसा जिले में अनुसूचित जाति/जनजातियों पर अत्याचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत 125 अभियोग पंजीबद्ध हुए जिनमें से 47 अभियोगों में चालान न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है। वांछित सूचना हेतु परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि कितने मुकदमें अनुसंधान के अन्तर्गत अभी तक लम्बित हैं, फाइनल रिपोर्ट कितने मुकदमों में लगी है और जिन मुकदमों में फाइनल रिपोर्ट लगी है उनमें अदम सबूत कितनों में लगी है तथा अदम बकुआ कितनों में लगी है ?

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, 70 अभियोग ऐसे हैं जिनमें एफ. आर. लगायी गयी है। पांच अभियोगों में अभी अनुसंधान पूर्ण हो चुका है जिनके चालान प्रस्तुत किये जाएंगे, तीन में अनुसंधान हो रहा है। यह तो सारी स्थिति है। मैंने सारी सूची आपको दी है इसमें 70 मुकदमों का जिक्र है आप कहें तो मैं एक-एक पढ़कर बताऊं अदम बकुआ है या अदम सबूत है।

श्री परसादी लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया कि 125 मुकदमों में से 70 मुकदमों में एफ. आर. लगी है क्या यह सही है कि एट्रोसिटी के जो मुकदमें दर्ज होते हैं, वह दुर्भावना से या छोटे मोटे झगड़ों को लेकर या द्वेष भावना से दर्ज कराये जाते हैं और उनमें एफ. आर. लगायी जाती है ? इन्वेस्टीगेशन आफिसर एफ. आर. देता है, तो जो ऐसे दुर्भावना से या छोटे मोटे मुकदमें दर्ज कराये जाते हैं और उसके कारण लोगों को परेशानी होती है। क्या ऐसे मुकदमों की रोक के लिए क्या कोई नये प्रावधान करने का सरकार विचार रखती है ?

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय विधायक को मालूम है कि यह केन्द्रीय सरकार का अधिनियम है और यह केन्द्रीय सरकार का अधिनियम होने के नाते इसमें किसी भी तरह का संशोधन करना उसके अधिकार में है। आपने कुछ कारण बताये यह कारण भी हो सकते हैं और इसमें अनुसंधान चूंकि डीवाई. एस. पी. स्तर के अधिकारी द्वारा किया जाता है तो उसमें बहुत कम गलतियां रहती हैं फिर भी कई बातें इसके बीच में आती हैं। क्योंकि यह शिड्यूल्ड और शिड्यूल्ड ट्राइब के स्वाभिमान को रक्षा का एक तरह से सम्मान बना रहे। स्वाभिमान, पूर्वाग्रह, दुराग्रह को समाप्त करने की दिशा में यह एक कदम है। कई बार मुकदमा चलने के बाद भी गांव वाले आपसी समझाइश करते हैं, हालांकि इसमें समझौते का प्रावधान नहीं है। परन्तु इधर-उधर करके एफ. आर. भी लगती है, आपको सब मालूम है मेरे से ज्यादा।

श्री परसादी लाल मीणा : जिन मुकदमों में एफ. आर. लगती है जिसके कारण लोगों को परेशानी होती है आप उसमें 182 की कार्यवाही क्यों नहीं करवाते ?

श्री कैलाश मेघवाल : इसका भी प्रावधान है, माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर अनुसंधान अधिकारी इस नतीजे पर पहुंचता है कि प्राइमाफेसी बिलकुल असत्य और परेशान करने के लिए एफ. आर लगायी गयी है, तो 182 का प्रावधान है।....

श्री परसादी लाल मीणा : कितने मुकदमों में 182 की कार्यवाही हुई है आप बता दें ?

श्री कैलाश मेघवाल : इसमें किसी में भी 182 की कार्यवाही नहीं हुई है। यह मेरी जानकारी है।

श्री परसादी लाल मीणा : होनी चाहिये, क्यों नहीं हुई ? अगर कोई किसी को परेशान करने के लिए असत्य मुकदमा दर्ज कराता है वाहियात तौर पर परेशान करने के लिए विशेषकर एट्रोसिटी में तो क्या आप उनके खिलाफ 182 को कार्यवाही करने का पुलिस को निर्देश देंगे ? (व्यवधान)

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना) : 182 में नहीं हो सकती है, मौलिक अधिकारों की इसमें बात आती है।

श्री परसादी लाल मीणा : अभी आप मंत्री नहीं बने हैं, मैं मंत्रीजी से सवाल पूछ रहा हूं। आपसे नहीं पूछ रहा हूं।.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। श्री हरिसिंहजी।

श्री हरिसिंह (महुआ) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि इसमें एस. सी./एस. टी. के कितने मुकदमे हैं ? दूसरा क्या, मंत्रीजी आप यह महसूस करते हैं कि दौसा जिले में आप ट्राइब्स को आप इस श्रेणी में ले रहे हैं कि उनके साथ एट्रोसिटीज की जा सकती हैं और बनिये-ब्राह्मण करेंगे ? लोगों

(श्री हरिसिंह)

के साथ क्या इस श्रेणी में एस. टी. भी आते हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, एस सी. और एस. टी. की सूची केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत है और उस सूची में जो आते हैं वह शिड्यूल्ड कास्ट शिड्यूल्ड ट्राइब हैं जो हैं… (व्यवधान)

श्री परसादी लाल मीणा : मंत्री महोदय, क्या राजस्थान में यह टाडा जैसा कानून साबित हो रहा है और ज्यादातर इसका दुर्भावनापूर्ण, द्वेषतावस एवं आपसी रंजिस से उपयोग किया जा रहा है…

श्री कैलाश मेघवाल : दिल्ली में आपकी सरकार है।

श्री अध्यक्ष : श्री परसादीलालजी, आप सब जानते हैं कि यह सेंट्रल एक्ट है.... (व्यवधान) श्री रामनारायणजी।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : मंत्रीजी कह रहे हैं एट्रोसिटीज की इन्क्वायरी डीवाई. एस. पी. स्तर का अधिकारी करता है। डीवाई. एस. पी. करे या थानेदार करे, डीवाई. एस. पी. करता है तो रिश्वत की रेट बढ़ जाती है, इससे फायदा क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : यह रिमार्क्स आपके लिए ठीक नहीं है, बिराजिये आप। श्री रामनारायणजी।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा आपको ध्यान है, इसी सदन में माननीय मुख्य मंत्रीजी के द्वारा पिछली दफा यह कहा गया था कि ऐसे केसेज जिनमें एफ. आर. लग जाती है और यह सही है कि एट्रोसिटीज के केसेज में जानबूझकर पुलिस आफिसर प्रजुडिशलि एफ. आर. लगाते हैं उनका डी. आई. जी. के रैंक के आफिसरों द्वारा रिव्यू किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं ऐसे केसेज में उन गरीब लोगों को दबाकर उनसे लिखवा लिया जाता है, मैक्सिमम ऐसे केसेज हैं। चूंकि एक एक्ट बना हुआ है....

कांस्टीट्यूशन में तो विधान सभा का प्रोविजन है इसलिए सैण्ट्रल की तरफ मत देखो, बहाने मत बनाओ। आप उन गरीबों के पक्ष में, जिनको दबाकर एफ. आर. लगायी जाती है, ऐसे केसेज को रिव्यू, क्योंकि डीवाई. एस. पी के ऊपर अविश्वास करने की क्या बात हुई, उसमें फर्स्ट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। उनको रिव्यू किया जाय और उस बदमाशी करने वाले के खिलाफ कार्यवाही की जाय। मंत्रीजी बतायें कि इस बारे में क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री भगराज चौधरी (आहोर) : अध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण मामला है, थोड़ा मैं भी आपके माध्यम से मंत्रीजी को निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज का कानून है, इस कानून के तहत 90-95 प्रतिशत मुकदमें झूठे दर्ज किये जाते हैं और स्वर्ण जाति द्वारा

(श्री भगराज चौधरी)

शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स को मोहरा बनाकर के अपनी दुश्मनी निकालने के लिए मुकदमें दर्ज कराये जाते हैं। अधिकतर मामले झूठे होते हैं इसलिए अनुसंधान के पश्चात् झूठे पाये जाने पर एफ. आर. दी जाती है। मेरा निवेदन यह था, परसादी लाल जी ने बिलकुल ठीक कहा है कि सैन्ट्रल का कानून तो है पर फिर भी इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है तो आप सदन की भावना से केन्द्र सरकार को अवगत कराइये कि इस प्रकार के काले कानून को, टाडा जैसे कानून को रिपील करें जिससे कि कम से कम जिस प्रकार से मोहरा बनाकर दुश्मनी निकाली जाती है और धमकी देते हैं, उससे बचाव हो सके।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, माननीय आगे आने दें।

श्री भगराज चौधरी : भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अगर किसी शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के व्यक्ति के प्रति किसी प्रकार की कोई घटना घट जाती है या जो जुल्म किया जाता है, तो उसमें आलरेडी व्यापक प्रावधान हैं इसलिए मेरे ख्याल से इस प्रकार का अलग से कानून बनाने की जरुरत नहीं है।

श्री परसादी लाल मीणा : मंत्रीजी, क्या आपको इस बात की जानकारी है कि एक माननीय विधायक ने, उसका मकान खाली नहीं किया किरायेदार ने, तो उसके खिलाफ एट्रोसिटी कर दी। अब माननीय सदस्य इसका उपयोग किसी गरीब को परेशान करने के लिए कर रहे हैं, तो गांव में क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री परसादी लाल मीणा : आपकी पार्टी के एक एम. पी. के माननीय सदस्य का मकान....

श्री अध्यक्ष : परसादी लाल जी, बिराजिये आप।

श्री परसादी लाल मीणा : वह गरीब गांव-गांव फिरती रही इधर उधर। पर इस तरह टाडा से भी ज्यादा दुरुपयोग इस कानून का गांव में हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री बनवारी लाल बैरवा (निवाई) : माननीय अध्यक्षजी, मुझे आश्चर्य है, बहुत दुःख है इस बात का कि यह अधिनियम हरिजनों के, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के सम्मान के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनकी हिफाजत के लिए बनाया गया था लेकिन मैं देख रहा हूं कि यहां पर इस तरीके से एक वातावरण बनाया जा रहा है, काला कानून जिसको कहा जा रहा है। मैं इस बात का कंडेम करता हूं.......

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। माननीय मंत्रीजी। बनवारी लाल जी बिराजिये आप। दूसरा प्रश्न आने दें। माननीय मंत्रीजी जबाब दे रहे हैं।

श्री बनवारी लाल बैरवा : इससे हरिजनों को.......

श्री रामनारायण मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख होता है इस बात का कि जो प्रश्न पूछा गया है उसके बारे में कतिपय माननीय सदस्यों ने गलत भावना यहां प्रदर्शित की है। यह कानून बिलकुल सही कानून है। मैं कहता हूं....

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। अब इस पर कोई डिबेट थोड़े हो रही है। प्रश्न का जवाब आ रहा है। आप बिराजिये।

श्री रामनारायण मीणा : मैं यह निवेदन कर रहा हूं, गरीबों की आज भी सुनवाई नहीं होती है और हम लोग, कोई भी शिड्यूल्ड कास्ट का आदमी यदि सफेद कपड़े पहनकर यहां आ गया, वह इस बात को क्यों भूल जाता है कि वह गरीब आदमी वहां बैठा आज उसके हाथ का पानी नहीं पीते....

श्री अध्यक्ष : आप अच्छे एडवोकेट हैं, बिराजिये आप।

श्री रामनारायण मीणा : जाति सूचक शब्द से उसके साथ ज्यादती की जाती है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : अध्यक्ष महोदय, जिस तरह इस सदन में बहुमत सवर्ण जाति का है उसी तरह प्रत्येक गांव में भी बहुमत सवर्ण जाति के लोगों का रहता है। + + + और वहां भी अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को दबाया जाता है। अध्यक्ष महोदय, किसी के साथ अगर सही केस होता है उसको सभ्य समाज के प्रतिष्ठित लोग, व्यापारी लोग या धनाढ्य सेठ उसको दबाव में लेकर उससे वापस लिखवा लिया जाता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था जबकि उसके साथ सब कुछ हुआ था। ऐसे केस में जो हकीकत में होने चाहिये और ये सभी लोग, इसमें काफी + + + कि यह कांग्रेस का आदमी है, यह बी. जे. पी. का आदमी है इस पर ऐसा मुकदमा करा दो। यह दुरुपयोग कहां से शुरू होता है ? यह राजनीति के प्रभाव से शुरू होता है इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बिलकुल सही है।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय सदस्य ने स्पष्ट आरोप लगाये हैं, ऐसे कौन-कौन से सदस्य हैं जिनके खिलाफ आरोप लगाये हैं उन सदस्यों के नाम बताइये।....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विधायक के लिए नहीं कह रहे हैं। यह कांग्रेस पार्टी का है, यह बी. जे. पी. का है।

श्री राकेश मेघवाल : ऐसे बहुत से मामले हैं, अध्यक्ष महोदय, जिनमें चलाकर एफ. आर. लगा दी जाती है। सबसे ज्यादा ये वकील होते हैं, ये वकालत करते हैं वे यही एफ. आर. लगवाते हैं।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये ।

श्री राकेश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, यह कानून बिलकुल सही है, ठीक है और अगर जिस केस में एफ. आर. दी जाती है उसमें 182 को उसको उल्टा लगा देना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये । जवाब आने दीजिये । आप बिराजिये । इस पर कोई डिबेट नहीं कर रहे हैं ।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : माननीय सदस्य ने जो कहा है वह 50 प्रतिशत सही बात है और 50 प्रतिशत गलत है । यह कहा है कि पैसे वाले हैं, ठीक है, उसका मिसयूज करके शिड्यूल्ट कास्ट शिड्यूल्ड ट्राइब्स को दबाते हैं, यह सही है लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो झूठे मुकदमे करने के आदी हैं, उनसे पैसा लेकर के....

श्री अध्यक्ष : अमरा राम जी हर प्रश्न में सप्लीमेंट्री हो रही है । बिराजिये आप ।

श्री अमराराम चौधरी : अधिकारी भी हैं और उसको सबोर्डिनेट अधिकारी है....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप ।

श्री अमराराम चौधरी :-तो उसके ऊपर एट्रोसिटी लागू कर देते हैं लेकिन आप 50 प्रतिशत बिलकुल सही हैं ।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये । क्या कह रहे हैं आप ? श्री टीकमचन्द जी ।

श्री टीकम चन्द कान्त : अध्यक्ष महोदय, क्या यह अत्याचार निवारण कानून जो बना है वह दलितों और हरिजनों पर होने वाले अधिकतम अत्याचारों की रोकथाम के लिए बना ? और क्या यह उनके सम्मान की रक्षा के लिए बना ? अगर ऐसा है तो मेरा निवेदन यह है कि इस कानून के विरुद्ध जो यह वातावरण बनाया जा रहा है इस वातावरण को कृपया रोका जाय । अगर यही एकमात्र रक्षा कवच का कार्य कर रहा है, हां, यह जरूर है एफ. आर. ज्यादा लगती है, यह भी सुनने में आया है कि उसका दुरुपयोग भी हो रहा है लेकिन उसके सदुपयोग को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है । इसी कारण से दलित और पिछड़े वर्ग के कमजोर लोगों के लिए यह रक्षा कवच का कार्य करता है । इस कानून को और सुदृढ किया जाना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : माननीय बिराजें । माननीय मंत्री ।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार इस कानून की मंशा को, इसके प्रीएम्बल को, इसके आब्जेक्ट्स को बिलकुल ठीक मानती है और यह कानून केंद्र सरकार ने देश में अनुसूचित जाति व जनजातियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उनके प्रति पूर्वाग्रह, दुराग्रह जो थे उनका निराकरण करने के लिए और सामाजिक समरसता एवं समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए बनाया गया है । अब इसमें कुछ दुरुपयोग हो सकता है, तो मैं यह कहना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि मिस-यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ लॉ, वह केवल इसी कानून का नहीं, कई कानूनों का होता है और आप

(श्री कैलाश मेघवाल)

और हम देख रहे हैं। इसलिए इन्वेस्टीगेशन ठीक रहे और मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं माननीय सदस्य को, मेरे तक जो भी शिकायतें आती हैं मैं उनका पूरी तरह से ठीक निराकरण करता हूं और तफ्तीश भी बदलने के अधिकार हैं, तफ्तीश दूसरों को देने के भी अधिकार हैं और क्रिमिनल इन्वेस्टीगेशन की बात जो क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है, उसमें तो कदम-कदम पर इस तरह के प्रावधान हैं कि कहीं भी अगर सचेत रहा जाय तो फरियादी को न्याय मिलेगा। एफ. आर. लगाने के बाद में भी, माननीय अध्यक्ष महोदय, अदालत में भी प्रोटेस्ट पिटीशन लगायी जा सकती है, मजिस्ट्रेट भी काग्निजेंस ले सकता है। तो यह सारे इसमें प्रावधान हैं और मैं यह चाहता हूं कि अनुसूचित जाति के हमारे सारे समाज में समरसता आये इसके लिए इस कानून को तो हम ठीक ही मानें और कानून का दुरुपयोग अगर होता है, तो उस दुरुपयोग को हम रोकने की कोशिश करें। दुरुपयोग करने वाले, अभी यहां जैसा एक माननीय सदस्य तक के लिए कह दिया गया, पर यह दुरुपयोग कम से कम हो और दुरुपयोग कई कानूनों का होता है तो उनको रोका जाना चाहिये। मिस यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ असेम्बली भी हो रहा है, अपन यहां पर देख रहे हैं। मैं 1977 से यहां हूं, तो कई बार ऐसे अवसर भी आये हैं कि मिस यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ असेम्बली भी होता देखा है मैंने। अब यह सारी है तो इसमें ठीक रास्ता निकले और हम ज्यादा से ज्यादा अनुसूचित जाति और जनजातियों को इस कानून का लाभ मिले, यह राज्य सरकार सुनिश्चित करती रहेगी।

श्री अध्यक्ष : अल्प सूचना प्रश्न। श्री भीमराज जी भाटी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अल्प सूचना प्रश्न तो पढ़ा जायेगा।

श्री अध्यक्ष : आप पढ़िये न।

अल्प सूचना प्रश्न

ग्राम कोलीवाड़ा (पाली) की भूमि में खनिज दोहन

अ. का सू. प्रश्न. 15. **श्री भीमराज भाटी** (पाली) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ग्राम कोलीवाड़ा, तहसील पाली, जिला पाली के खसरा नम्बर 515, 516 एवं 518 में खनिज दोहन हेतु सरकार द्वारा लीज एग्रीमेंट किया गया है ? यदि हां, तो किन नियमों के आधार पर ?

(2) क्या यह सही है कि खसरा नम्बर 515, 516 एवं 518 क्रमशः चाही दोयम एवं बारानी दोयम है जहां पर निरन्तर खेती की जा रही है ?

(3) क्या खसरा नम्बर 517 में भी खनन किया जा रहा है ? जबकि यह खसरा नम्बर 517 गैर मुमकीन मगरा है और इस खसरा नम्बर 517 की कोई

(श्री भीमराज भाटी)

लीज सरकार ने नहीं दी है ? यदि खनन किया जा रहा है, तो इसको रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(4) क्या खसरा नम्बर 503 एवं 506 में भी खनन किया जा रहा है ? जबकि यह भी गैर मुमकिन मगरा है और इन खसरा नम्बर 503 एवं 506 का भी सरकार द्वारा कोई लीज एग्रीमेंट नहीं किया गया है ?

(5) क्या सरकार को ऐसे खसरा नम्बरों में जिनका कोई लीज एग्रीमेंट नहीं किया गया है, खनन करने से भारी वित्तीय हानि नहीं हो रही है ? यदि हां, तो सरकार इस खनन को रोकने बाबत क्या कार्यवाही कर रही है और आज तक के खनन से हुई हानि की पूर्ति करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

(6) क्या खनिज अभियन्ता (माइन्स इंजीनियर) ने खसरा नम्बर 515, 516 एवं 518 का लीज एग्रीमेंट करने से पूर्व जिलाधीश, पाली या सम्बन्धित अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया है ? यदि नहीं, तो बिना अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लीज एग्रीमेंट खसरा नम्बर 515, 516 एवं 518 कैसे किया गया और इसके लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

खनिज मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल) : (1) जी, हां । ग्राम कोलीवाड़ा, तहसील बाली, जिला पाली के खसरा नम्बर 515, 516 एवं 518 में खनिज ग्रेनाइट के दोहन हेतु खनन पट्टा निदेशालय के आदेश क्रमांक निदे./प.2/ (ए''87) ग्रेना/सोजत/94/2111 दिनांक 24-2-1995 द्वारा खनिज ग्रेनाइट की नीति के तहत स्वीकृत किया गया है ।

(2) पटवारी जमाबन्दी के अनुसार खसरा नम्बर 515 एवं 516 चाही दोयम तथा जाव दोयम दर्ज है । खसरा नम्बर 518 बारानी दोयम दर्ज है । खनन पट्टा स्वीकृति से पूर्व इन खसरों में खेती की जा रही थी ।

(3) जी, नहीं ।

(4) खसरा नम्बर 503 में कोई खनन कार्य नहीं किया जा रहा है । खसरा नम्बर 506 में वर्तमान में तीन खनन पट्टे वास्ते ग्रेनाइट के क्षेत्र 100 × 100 मीटर के प्रभाव में हैं, जहां खनन कार्य किया जा रहा है ।

(5) जी, नहीं । क्षेत्र में बिना लीज एग्रीमेंट के कोई अवैध खनन कार्य नहीं हो रहा है । और न ही इस क्षेत्र में अवैध खनन की शिकायत ही प्राप्त हुई है । अतः वित्तीय हानि होने का प्रश्न ही नहीं है ।

(6) जी, नहीं । राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 एवं खनिज ग्रेनाइट नीति में स्वयं की खातेदारी भूमि में स्वीकृत खनन पट्टे

(श्री कैलाश मेघवाल)

के एग्रीमेंट से पूर्व जिलाधीश या सम्बन्धित अधिकारों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने का कोई प्रावधाननहीं है।

श्री भीमराज भाटी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी खनिज नीति के अनुसार खनिज ग्रेनाइट की जो माइंस हैं वह सिर्फ डायमंड और गंगसा जिनके लगी हुई है, आलरेडी उद्योग चल रहा है या जो एफिडेविट देते हैं कि हम साल भर के अन्दर वह प्रोडक्शन में ले आयेंगे उनको देते हैं। जिसके पास कोई उद्योग नहीं उसके लास्ट प्रायोरिटी में और जिसके डायमण्ड लगी हुई है या एफिडेविट देता है वह भी लास्ट प्रायोरिटी में है। खसरा नम्बर 515, 516 और 518 का जो आपने लीज एग्रीमेंट किया है, इस व्यक्ति के पास न तो आज की तारीख में कोई उद्योग है फिर भी आपने लीज एग्रीमेंट किया है।

नम्बर दो, यह खसरा नम्बर 515, 516 और 518 है वह जवाई कमाण्ड एरिया में आया हुआ है और जैसा मंत्री महोदय ने बताया कि चाही दोयम और बारानी दोयम में दर्ज है तो क्या यह इस तरह की कृषि भूमि में जो कमाण्ड एरिया की भूमि में जायज है ? इस तरह के खनिज पट्टे जारी करना कमांड एरिया की नहरी सिंचित भूमि में ?

तीसरा मेरा प्रश्न है, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जवाब दिया कि 503 और 517 में कोई खनन कार्य नहीं हो रहा है। जबकि मैं हकीकत में इस राजस्थान के पवित्र सदन में दावे के साथ यह कह सकता हूं कि खसरा नम्बर 503 और 517 जो पटवार रिकार्ड में गैर मुमकीन मगरे के नाम से दर्ज है, में अवैध खनन कार्य जारी है। वहां पर आपके सरकारी कर्मचारी गये हैं, पटवारी और आर आई. गये हैं। दुःख तो मुझे इस बात का है कि राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी के साथ घूमने वाले लोगों के कारण जहां मुख्य मंत्रीजी की बदनामी हो रही है। मुख्य मंत्रीजी के साथ घूमने वाले लोग जो आज भी स्पष्ट आदेशों के बावजूद भी लाल बत्ती लगाकर और + + + के नाम से मशहूर हैं वह आज भी प्राइवेट गाड़ियों पर लाल पट्टी,....(व्यवधान).... मेहरबानी करके जरा। लाल पट्टी आज भी लगाये हुए घूम रहे हैं। मुख्य मंत्रीजी को पता नहीं किस नीयत से ऐसा कर रहे हैं, वहां पर इस कारण से भारी बदनामी हो रही है। उन पटवारियों को डराया-धमकाया जा रहा है, जिला अधिकारियों पर दबाव डाला जा रहा है और उनकी वजह से उन पटवारियों ने पटवार संघ में भी शिकायत की है, पुलिस में एफ.आई. आर लाज होने की भी तैयारी हो रही है और जिले के सारे पटवारी भी हड़ताल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं।....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। .... (व्यवधान)....

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : माननीय अध्यक्षजी, माननीय सदस्य ने जो नाम बतलाये हैं कि बन्दूक वाली गाड़ी.... (व्यवधान) ...

श्री भीमराज भाटी : नहीं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, जो समझदार हैं वह समझ गये होंगे, मैं कोई नाम नहीं लेना चाहता हूं, मुझे सदन की परम्पराओं का ज्ञान है ।... (व्यवधान)....

श्री सुरेन्द्र गोयल : गाड़ी लेकर घूम रहे हैं + + + के नाम से और किस तरह से बिलकुल सरासर गलत है और इस प्रकार की बात सदन में कहना और पुराने सदस्य का नाम लेना, यह ठीक नहीं है । आप इसे एक्सपंज करवाइये ।

श्री भीमराज भाटी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय खनिज मंत्रीजी अगर सदन की कमेटी वहां भेजने को तैयार हो तो मैं आज भी मौके पर बता सकता हूं कि 503 और 517 खसरा नम्बर में खनिज जारी है । ...(व्यवधान)

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : अध्यक्ष महोदय, + + + शब्द हटाया जाय या उसका नाम बताया जाय ।

श्री अध्यक्ष : हां, उसको एक्सपंज कर दो । बिराजिये आप ।

श्री उगमराज मेहता : माननीय अध्यक्ष महोदय, + + + वाला शब्द कार्यवाही से हटाया जाय ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप प्रश्न पूछें । आप तो पूरा भाषण दे रहे हैं ।

श्री भीमराज भाटी : मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं । मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मुख्य मंत्रीजी इसमें शामिल हैं लेकिन मुख्य मंत्रीजी के नाम से बदनामी हो रही है और मुख्य मंत्रीजी के नाम का दुरूपयोग करके कुछ व्यापारी लोग इस खनन.... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मंत्री, चिकित्सा) : अध्यक्ष महोदय, भाषण है या क्वेश्चन है ?

श्री अध्यक्ष : यह आप क्या कर रहे हैं, प्रश्न पूछिये ना ? आप क्या पूछ रहे हैं ?

श्री भीमराज भाटी : वही प्रश्न कह रहा हू इस खनन को रोकने के लिए माननीय खनिज मंत्रीजी क्या कार्यवाही करेंगे ? और यह गलत जवाब दिया है उसके बारे में क्या कार्यवाही करेंगे ? अवैध खनन जारी है तो सदन की कोई भी समिति बनाकर भेज दी जाय साबित हो जाएगा 24 घण्टे में ।

चौथा, मेरा प्रश्न यह है माननीय

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के अदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

(श्री भीमराज भाटी)

अध्यक्ष महोदय, यह लीज एग्रीमेंट किया गया है 515, 516 और 518 खसरा नम्बर के सम्बन्ध में वह लीज एग्रीमेंट अगर माननीय मंत्रीजी सदन की मेज पर रखें, तो उसमें 515, 516 और 518 व 517 भी इसमें इन्क्लूड कर दिया गया है, आपको मिस गाइड किया गया है कि 517 में कोई खनन कार्य नहीं हो रहा है ..

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जवाब आगे नहीं आ पाएगा।

श्री भीमराज भाटी : एक ही मिनट की बात है।

श्री अध्यक्ष : आपने तो 10 मिनट पूरे लगा दिये इसमें।

श्री भीमराज भाटी : नहीं, 5 सवाल है साहब, 5 साल का जवाब है ना। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के भाग संख्या 5 में यह बताया गया है कि इस क्षेत्र में कोई भी अवैध खनन कार्य नहीं हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी को यह बताना चाहता हूं कि ग्राम जवड़िया में यह प्रश्न पूछने के पहले तक अवैध खनन का कार्य हो रहा था, लाखों रुपये के ब्लाक्स वहां पर आज भी पड़े हुए है, आपके अधिकारी वहां पर पकड़ कर आये हैं तो यह कितने समय से खनन कार्य चल रहा था और राज्य सरकार को कितनी हानि हुई है ? उस सम्बन्ध में बतायें और कुछ व्यवस्था करवायें।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत लम्बा चौड़ा भाषण माननीय सदस्य ने दिया, उसमें पूरक प्रश्न जो बने हैं, मैंने क्योंकि आप जिस तरह से तैयारी करके आते हैं, यहां बोलने में भी जरा तीखापन रखते हैं, बोलते भी ठीक हैं तो 3-5-1995 को वहां के तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार, सुमेरपुर और विभागीय सर्वे ए. एम. ई., इन तीनों को इस प्रश्न के बारे में जो सवाल थे अवैध खनन के, उनको मौके पर भेजा है, यह परसों की मेरे पास सूचना है कि किसी तरह का कोई अवैध खनन नहीं हो रहा है। हो सकता है कि खसरा नम्बर के बारे में माननीय सदस्य को किसी तरह की शंका हो या कोई ओवरलेपिंग की ऐसी स्थिति बनती हो खसरा नम्बर के बारे में कह नहीं सकता बाकी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पुराना भी कोई अवैध खनन हुआ है, तो उसके बारे में भी हम पूरी जानकारी करेंगे और जहां तक खातेदारी जमीन का है—Grant of mining leases in Khatedari or other private lands,

यह बिलकुल ग्रेनाइट पालिसी है उसमें हमने जो किया है उसमें किसी तरह की कोई स्वीकृति लेने की जरूरत नहीं अब ...(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें, आप हर मामले में कोई एक्सपर्ट नहीं हैं। बिराजिये आप। मंत्रीजी को पूरा जवाब देने दें।

(श्री अध्यक्ष)

फिर आप कहेंगे कि इस तरह से बोल रहे हैं। जवाब ही नहीं सुनेंगे आप। बिराजिये आप।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं, अध्यक्ष महोदय, आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने नीति सम्बन्धी सवाल उठाये हैं कि वहां उद्योग का नहीं है, यह नहीं है, इस दृष्टि से खनिज नीति है, जो हमारी ग्रेनाइट नीति है, इस नीति के अनुरूप मैं इन सारी पत्रावलियों का परीक्षण कर लूंगा और किसी तरह की कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता होगी, तो निश्चित रूप से की जाएगी। (व्यवधान)....

श्री भीमराज भाटी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि खसरा नम्बर 503 और 517 के सम्बन्ध में मुझे तहसीलदार ने 3 तारीख को रिपोर्ट दी है। (व्यवधान) ...

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

स्थगित प्रश्न

(24 मार्च, 1995)

विभिन्न न्यायालयों में सरकार के विरुद्ध लम्बित मामले

२. **श्री विष्णु मोदी** (पुष्कर) : क्या विधि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उच्चतम न्यायालय एवं राजस्थान उच्च न्यायालय में राज्य सरकार के विरुद्ध कितने मामले कब से लम्बित हैं ?

(2) गत दो वर्षों में उच्चतम न्यायालय व राजस्थान उच्च न्यायालय में लम्बित मामलों के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा कितनी राशि व्यय की गयी ?

(3) सरकार के विरुद्ध लम्बित मामले शीघ्र निपट सके इसके लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

उत्तर

(1) उच्चतम न्यायालय में राज्य सरकार के विरुद्ध 488 मामले लम्बित हैं तथा राज्य सरकार से सम्बन्धित 1382 मामले लम्बित हैं, जिनका वर्षवार विवरण सूची "क" में अंकित है।

राजस्थान उच्च न्यायालय में राज्य सरकार के विरुद्ध कुल 65,997 मामले लम्बित हैं जिनका विवरण वर्षवार सूची "ख" में अंकित हैं।

(2) गत दो वर्षों में उच्चतम न्यायालय व राजस्थान उच्च न्यायालय में लम्बित मामलों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा राशि रुपये 1,04,68,829-00 (अक्षरे एक करोड़ चार लाख अड़सठ हजार आठ सौ उनतीस रुपये) व्यय की गयी।

(3) सरकार के विरुद्ध लम्बित मामले शीघ्र निपट सकें इसके लिए सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय में दो एडवोकेट ऑन रिकार्ड की नियुक्ति की गयी है, जो प्रकरणों की लम्बितता को देखते हुए भी की गयी है। जिससे उच्चतम न्यायालय में लम्बित मामलों को शीघ्र निपटाया जा सके। उच्च न्यायालय में राज्य सरकार की ओर से

(राज्य मंत्री विधि)

एक महाधिवक्ता, 4 अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजकीय अधिवक्ता, 14 अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता, 15 उप राजकीय अधिवक्ता एवं दो सहायक राजकीय अधिवक्ता की नियुक्ति की हुई है। उच्च न्यायालय जोधपुर में राजकीय अधिवक्ता कम अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यरत है। इसके अतिरिक्त प्रशासनिक विभागों में भी पैनल लायर्स की नियुक्तियां की गयी हैं ताकि प्रशासनिक विभाग अपने स्तर पर अपनी इच्छा का पैनल लायर सम्बन्धित मामलों में नियुक्त कर मामले को शीघ्र निपटाये जाने में प्रयत्नशील हो सके। लगभग सभी विभागों में पैनल लायर्स की नियुक्तियां की हुई हैं जिससे पैनल लायर्स पर सम्बधित विभागाध्यक्षों का पूर्ण नियन्त्रण रहे एवं वे पैनल लायर्स से दिन प्रतिदिन केस की प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें तथा लम्बित प्रकरण का निस्तारण शीघ्रातिशीघ्र करवा सकें।

राज्य सरकार द्वारा सरकार के विरुद्ध लम्बित मामले शीघ्र निपटाये जाने के लिए यह भी कदम उठाया गया है कि पूर्व में सम्बन्धित विभाग द्वारा राजकीय अधिवक्ता एवं पैनल लायर्स से तैयार करवाया गया जवाब दावा का अनुमोदन विधि विभाग द्वारा करवाया जाना आवश्यक था, मगर अब कुछ महत्वपूर्ण मामलों के जवाब दावा को छोड़कर अन्य सभी जवाब दावा का अनुमोदन विधि विभाग से करवाये जाने की आवश्यकता समाप्त कर दी गयी है तथा सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों को ही जवाब दावे का अनुमोदन किये जाने के निर्देश दिये गये हैं ताकि न्यायालयों में जवाब दावा निश्चित तिथि तक आवश्यक रूप से पेश कर दिया जावे एवं जवाब दावा पेश किये जाने में किसी प्रकार की अनावश्यक देरी न हो।

सरकार के विरुद्ध लम्बित मामलों को तीव्र गति से निपटाये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा सचिव एवं विभागाध्यक्ष स्तर पर विधि प्रकोष्ठों का भी गठन किया गया है। सचिवालय स्तर पर सभी वादों पर निगाह रखे जाने व उनकी मोनिटरिंग किये जाने हेतु समुचित स्टॉफ दिया जाना आवश्यक समझते हुए यह निर्णय लिया गया कि जहां पर 1000 से अधिक दावे एवं रिट हैं वहां उप विधि परामर्शी का पद, 500 दावे या रिट हो, वहां सहायक विधि परामर्शी तथा 200 दावे या रिट या उससे कम होने पर मुख्य विधि सहायक का पद सृजित किये जावे। ये अधिकारी सम्बंधित सचिवों के साथ रहेंगे एवं सचिवों के अधीनस्थ सभी वादों की मोनिटरिंग करेंगे। जहां पर भी विभागाध्यक्षों को राय देनी हो या उनकी सहायता करनी हो, तो ये अधिकारी करेंगे।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट--1 देखें)

राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि. में बोतलों की टूट-फूट की सीमा

759. श्री राजेन्द्र गहलोत(सरदारपुरा): क्या मुख्य (राजकीय उपक्रम) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि. में वर्ष 1991-92 से 1992-

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

93 तक देशी मदिरा की भराई हेतु कितनी खाली बोतलें उपयोग में लाई गई तथा इनमें कितनी टूट-फूट हुई हैं? संचालक मंडल द्वारा टूट-फूट की निर्धारित सीमा क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि. के देशी मदिरा भराई केन्द्रों से कितना टन टूटा कांच हाईटेक ग्लास फैक्ट्री, धौलपुर को वर्ष 1991-92 से 1992-93 तक भिजवाया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि. के देशी मदिरा भराई केन्द्रों पर दिनांक 31-3-1993 तक टूटा कांच का अन्तिम शेष क्या था? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) निर्धारित्त सीमा से अधिक टूट फूट हुई खाली बोतलों की टूट फूट हेतु संस्थान द्वारा क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) 33,000 बोतल इंचार्ज, झोटवाड़ा द्वारा जो कम की सूचना लिखित में दी है उस पर संस्थान के अधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि. में वर्ष 1991-92 से 1992-93 तक जो देशी मदिरा की भराई हेतु खाली बोतलें उपयोग में लायी गयी तथा उनकी जो टूटफूट हुई उसका विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है (परिशिष्ट "अ") संचालक मंडल के द्वारा उनकी बैठक दिनांक 27-6-94 में मदिरा भराई में बोतलों की टूटफूट की सीमा 1.5 प्रतिशत निर्धारित की गयी है। इस निर्णय से पूर्व भी प्रशासनिक आदेश के अन्तर्गत यह सीमा 1.5 प्रतिशत निर्धारित थी।

(2) राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि. के देशी मदिरा भराई केन्द्रों से जो टूटा कांच हाईटेक ग्लास फैक्ट्री, धौलपुर, वर्ष 1991-92 से 1992-93 तक भिजवाया गया उसका विवरण निम्नानुसार है :—

वर्ष	भिजवाया गया/ टूटा कांच (मैं टनों में)
1991-92	1680 280
1992-93	1560.91

(3) राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि. के देशी मदिरा भराई केन्द्रों पर दिनांक 31-3-93 को टूटे कांच का अन्तिम शीर्ष अनुमानत: 189. 208 मै. टन था।

(4) वर्ष 1991-92 में बोतलों की विशेष सफाई व्यवस्था के लिए निर्देश दिये गये थे जिसके फलस्वरूप अधिक टूटफूट हुई। अधिक टूटफूट की जानकारी होने पर तथ्यात्मक जांच कराई गयी जिस पर विचार कर संचालक मंडल ने भराई प्रक्रिया एवं टूटफूट सम्बन्धी बिन्दुओं की जांच हेतु श्री योगेश चन्द्र, सेवा निवृत आई. ए. एस. की एक सदस्यीय समिति का गठन किया जिसकी रिपोर्ट संचालक मण्डल के समक्ष दिनांक 27-6-94 को प्रस्तुत की गई। प्राप्त रिपोर्ट पर

(मुख्य (राजकीय उपक्रम) मंत्री)

विचार उपरान्त बोतलों की धुलाई भराई में क्षति की सीमा 1.5 प्रतिशत निर्धारित की गई। साथ ही निर्धारित सीमा से अधिक टूटफूट के सम्बन्ध में महाप्रबन्धक, राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि., श्री गंगानगर, को जांच का कार्य सौंपा गया। निर्धारित सीमा से अधिक टूटफूट होने पर दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध आरोप पत्र जारी कर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

(5) इन्चार्ज वेयर हाउस, झोटवाड़ा के द्वारा 33,000 बोतलें, कम की सूचना के सम्बन्ध में महाप्रबन्धक, राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि. श्री गंगानगर द्वारा जांच कराई गयी व तदुपरान्त इन्चार्ज वेयर हाउस की अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु आरोप-पत्र दिया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें।)

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें।)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

चिकित्सा अधिकारी, राजकीय स्वास्थ्य केन्द्र, गंगापुर सिटी के विरुद्ध भ्रष्टाचार प्रकरण

1126. श्री हरिसिंह (महुआ) : क्या मुख्य (राज्य अन्वेषण ब्यूरो) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो की सवाई माधोपुर शाखा द्वारा 15 अक्टूबर, 1994 को राजकीय उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गंगापुर सिटी की चिकित्सा अधिकारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इस मुकदमे का चालान सम्बन्धित न्यायालय में कर दिया गया है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार इस मुकदमे के चालान से पूर्व चिकित्सा अधिकारी को निलम्बित करने का इरादा रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि सरकार चिकित्सा अधिकारी को गैर कानूनी तरीके से बचा रही है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। दर्ज एफ. आई. आर. की प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) जी नहीं। प्रकरण का अनुसंधान करने के पश्चात् प्रथम दृष्टया आरोप अप्रमाणित पाये जाने से प्रकरण में अंतिम प्रतिवेदन अदम सबूत दिया गया है। अतः चिकित्सा अधिकारी को निलम्बित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

जिला भीलवाड़ा में अवैध शराब के दर्ज प्रकरण

1127. कालूलाल गुर्जर (माण्डल) : क्या मुख्य (आबकारी) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भीलवाड़ा जिले में अवैध शराब बनाने और बेचने के वर्ष 1994-95 में कुल कितने मामले पकड़े गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार अवैध शराब को पकड़ने के लिए क्या-क्या उपाय वर्तमान में कर रही है ?

(3) अवैध शराब बनाने और बेचने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1994-95 के दौरान भीलवाड़ा जिले में अवैध शराब के 399 अभियोग पंजीकृत किये गये, जिनका विवरण इस प्रकार है :—

1. महत्वपूर्ण अभियोग--5(आबकारी अधिनियम 1950 के अन्तर्गत अभियोग दर्ज किये गये।)
2. साधारण अभियोग- (....,, ,, .. , ,,,) 393
3. चालू भट्टी–एक (....,, ,, ...,, ,, ...)

उपरोक्त अभियोगों में 400 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये जिनके विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश किये गये। इन मामलों में 3,146 बोतल नाजायज शराब जब्त की गयी तथा तीन जीपें, एक एम्बेसेडर कार और 6 साइकिलें पकड़ी गयी।

(2) अवैध शराब को पकड़ने हेतु विभाग द्वारा समय-समय पर विशेष आबकारी धावों का आयोजन किया जाता है। इसके लिए भीलवाड़ा में आबकारी निरोधक दल की एक जीप पार्टी व एक पैदल पार्टी तथा माण्डलगढ़ में एक जीप पार्टी लगायी जाकर अवैध शराब के उत्पादन, बिक्री पर रोकथाम हेतु निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं।

(3) अवैध शराब बनाने और बेचने के प्रकरणों में लापरवाही बरतने का कोई प्रकरण वर्तमान में विभाग के ध्यान में नहीं है। यदि भविष्य में ऐसा कोई मामला सामने आया तो सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

जिला अजमेर में 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की बैठकें

1128. श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : क्या मुख्य (आयोजना) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1994-95 में अजमेर जिले में 20 सूत्री कार्यक्रम के सम्बन्ध में कितनी बैठकें आयोजित की गयी ? विवरण, प्रति बैठक मय तारीख के सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि 20 सूत्री कार्यक्रम की प्रथम स्तर की बैठक हर

(श्री जगदीप धनखड़)

जिले में प्रतिमाह आयोजित होती है ? यदि हां, तो क्या इन मानदण्डों की अनुपालना अजमेर जिले में गत वर्षों से हो रही है ? यदि नहीं; तो क्या इसके लिये प्रशासनिक जिम्मेदारी निश्चित की जा रही है ?

(3) क्या यह सही है कि गत वर्ष अजमेर जिले में प्रशासन ने विभिन्न बैठकों में जन-प्रतिनिधियों को बैठक की सूचना भेजने के बाद उन बैठकों को स्थगित कर दिया था ? यदि हां, तो विवरण मय बैठक स्थगित किये जाने के कारणों सहित सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1994-95 में अजमेर जिले में 20 सूत्री कार्यक्रम के सम्बन्ध में कुल 10 बैठकें आयोजित की गयी। विवरण प्रति बैठक मय तारीख परिशिष्ट-"अ" पर उपलब्ध है।

(2) यह सही है कि 20 सूत्री कार्यक्रम की प्रथम स्तर की बैठक हर जिले में प्रतिमाह आयोजित करने के निर्देश हैं। अजमेर जिले में जिला कलक्टर द्वारा इस समिति की बैठक आयोजित करने की कार्यवाही की जाती है। उनको इस समिति की बैठक बुलाने हेतु जिले के प्रभारी मंत्री को उनकी सुविधानुसार बैठक की दिनांक तय करने हेतु दिशा निर्देश दिये गये हैं।

(3) जी नहीं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को आरक्षण का लाभ

1129. श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) एवं **श्री कालूलाल गुर्जर** (माण्डल) : क्या मुख्य (कार्मिक) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में ओ. बी. सी. (अन्य पिछड़ा वर्ग) आरक्षण लागू होने के पश्चात् किन-किन विभागों में किस-किस स्तर पर आरक्षण का लाभ दिया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि मेडिकल कॉलेजों तकनीकी शिक्षा तथा बोर्ड व निगमों में अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशियों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) भारत सरकार द्वारा अन्य पिछडे वर्गों के अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रदान करने बाबत जारी की गयी अधिसूचना के अनुसरण में राजस्थान सरकार द्वारा भी अपने अधीन सीधी भर्ती के पदों एवं विभागों में पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये 21 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान अधिसूचना दिनांक 28-9-93 द्वारा किया गया है।

(2) चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश में अन्य

Page No. 32

(32)

(मुख्य (कार्मिक) मंत्री)

पिछड़े वर्ग के लिये वर्तमान में आरक्षण की प्रावधान नहीं है। उच्च चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण के क्रम में भारत सरकार और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (Medical council of India) से विचार-विमर्श करने के पश्चात् ही उनके निर्देशानुसार व्यवस्था करना सम्भव होगा। चिकित्सा विभाग ने अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यार्थियों का इस वर्ष नर्सिंग प्रशिक्षण (नर्सग्रेड-II) में आरक्षण किया है। राज्य में इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पोलोटेक्निक संस्थाओं में प्रवेश हेतु अन्य पिछड़े वर्ग के लिये घोषित जातियों में वर्तमान में किसी तरह का आरक्षण नहीं है।

राजकीय उपक्रमों/नियमों/बोर्डों में कार्मिक विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश दिनांक 26-2-94 के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों के लिये सीधी भर्ती में आरक्षण एवं रोस्टर लागू करने के दिशा-निर्देश दिनांक 13-9-94 को जारी किये जा चुके हैं।

हरिश्चन्द्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान जयपुर में विभिन्न विषयों के प्रोफेसरों के रिक्त पद

1130. श्री श्रवणकुमार (पिलानी) एवं **श्री रामनारायण मीणा** (नैनवा): क्या मुख्य (कार्मिक) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) हरिश्चन्द्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान में विभिन्न विषयों के प्रोफेसर के कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार इन पदों को भरने हेतु कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(2) क्या सरकार द्वारा वित्तीय अनुशासन के अनुरूप नई नियुक्तियों पर रोक लगाई गयी है ? यदि हां, तो रोक के बावजूद उपरोक्त प्रोफेसर्स के पदों को भरने की कार्यवाही शीघ्रता से क्यों की जा रही है ?

(3) क्या यह सही है कि संस्थान में प्रोफेसर (व्यवहार विज्ञान) एवं प्रोफेसर (प्रबन्ध) के पदों को भरने हेतु 17 जनवरी, 1995 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया था ?

(4) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त विज्ञापन में दिनांक 8 अप्रेल, 1995 को अध्यापन अनुभव में संशोधन किया गया है ? क्या यह संशोधन किसी व्यक्ति विशेष को नियुक्ति का लाभ दिलाने के उद्देश्य से किया गया है ?

(5) क्या यह सही है कि संस्थान में प्रोफेसर (व्यवहार विज्ञान) के पद के विरुद्ध एक लेखाधिकारी, विशेषाधिकारी (ओ. एस. डी.) के पद पर कार्यरत है ? यदि हां, तो क्या इनका कार्य संतोषप्रद है ?

(6) क्या यह सही है कि उपरोक्त विशेषाधिकारी के पद पर कार्यरत लेखाधिकारी की सेवाएं कोष एवं लेखा विभाग द्वारा वापस मांगी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार वर्तमान व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है ? यदि संतुष्ट है तो इस पद पर नई नियुक्ति करके राज्य कोष

(श्री रामनारायण मीणा)

पर अतिरिक्त भार डालने का क्या प्रयोजन है ?

(7) क्या प्रोफेसर (प्रबन्ध) के पद पर सेवा निवृत्त प्रोफेसर को पुनर्नियुक्ति दी गयी है ? क्या उनसे प्रशिक्षण कार्य में सहायता ली जा सकती हैं ? यदि हां, तो उक्त पद को भर कर राज्य कोष पर अतिरिक्त वित्तीय भार डालने का क्या औचित्य है ?

(8) क्या यह सही है कि प्रोफेसर (प्रबन्ध) पद हेतु विज्ञापन में ऐसी योग्यताएं रखी गयी हैं जिनसे वित्त प्रबन्ध के व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंच सके ?

उत्तर

(1) जी हां। हरिश्चन्द्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान में प्रोफेसर के निम्न पद रिक्त हैं-- (1) प्रबन्ध (2) व्यवहार विज्ञान (3) अर्थशास्त्र । इन पदों को भरने हेतु कार्यवाही चल रही है।

(2) सरकार ने वेतनमान 1 से 6 के पदों पर नयी नियुक्ति पर रोक लगा रखी है। प्रोफेसर के पद वेतनमान 25 में होते हैं। इस वेतनमान के पदों पर नयी नियुक्ति पर रोक नहीं लगायी गयी है। यह पद नये सृजित भी नहीं हैं।

(3) जी हां।

(4) जी हां। किन्तु यह सही नहीं है कि यह संशोधन किसी व्यक्ति विशेष को नियुक्ति का लाभ दिलाने के उद्देश्य से किया गया है।

(5) जी हां।

(6) जी नहीं। विशेषाधिकारी पद पर कार्यरत लेखाधिकारी की सेवाएं अभी तक वापस नहीं मांगी गयी है।

प्रोफेसर (व्यवहार विज्ञान) के पद पर उचित व्यक्ति के उपलब्ध होने तक लेखाधिकारी विशेषाधिकारी (ओ. एस डी.) के पद पर कार्यरत हैं, किन्तु यह व्यवस्था नितान्त अस्थायी प्रकृति की है। प्रोफेसर (व्यवहार विज्ञान) के पद पर योग्य व्यक्ति की नियमित नियुक्ति के उद्देश्य से इस पद को भरने के लिये विज्ञापन प्रकाशित करवाया गया है। इस नियुक्ति से राज्य कोष पर कोई अतिरिक्त भार नहीं पडेगा।

(7) जी नहीं।

(8) यह सही नहीं है, कि प्रोफेसर (प्रबन्ध) के पद हेतु विज्ञापन में ऐसी योग्यताएं रखी गयी हैं जिससे वित्तीय प्रबन्ध के व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंच सके।

खनिजों के विक्रय/पुन: विक्रय की प्रक्रिया में "डी-फार्म" सुविधा

1131. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या मुख्य (वित्त) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोई खनन लीज धारियों (माईनिंग लेसीज) को उनके खनन लीज होल्ड क्षेत्रों से वैध खनन

(श्री विष्णु मोदी)

पट्टों के अधीन निकाले गये (एक्ट्रेक्टेड) खनिजों के विक्रय री/सेल की प्रक्रिया में "डी-फार्म" की सुविधा से इस आधार पर वंचित कर दिया गया है कि "एक्स-केवेशन ऑफ मिनरल्स" राजस्थान सेल्स टैक्स एक्ट, 1954 की धारा (2) (के) में प्रयुक्त पद "एक्सट्रेक्शन" के अन्तर्गत नहीं आता और इस कारण उन पर अत्यधिक भार पड़ा है ?

(2) क्या सरकार माइन्स एक्ट, 1955 के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त खनन लीज धारियों को "डी" फार्म की सुविधा प्रदान करने का विचार रखती है ? क्योंकि इस एक्ट में पद "एक्सट्रेक्शन" में "एक्सकेवेशन" भी सम्मिलित है।

उत्तर

(1) "डी" फार्म पर विक्रय करने का अधिकार विनिर्माताओं को है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुसार खनन से निकाले गये पत्थरों को विनिर्माण नहीं माना गया है। इस प्रकार सुविधा दिया जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(2) "डी" फार्म पर विक्रय करने का अधिकार विनिर्माताओं का है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुसार खनन से निकाले गये पत्थरों को विनिर्माण नहीं माना गया है। माइन्स एक्ट के प्रावधान राजस्थान विक्रय कर अधिनियम पर लागू नहीं होते हैं।

अतारांकित प्रश्न संख्या 1132

(स्थगित)

जिला मकराना के मार्बल व्यवसायियों को क्रय कर से मुक्ति

1133. श्री रूपाराम (मकराना) : क्या मुख्य (वित्त) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या मकराना में मार्बल व्यवसाय में बिना पंजीयन वाले छोटे व्यापारियों से सरकार क्रय कर वसूल कर रही है ?

(2) क्या सरकार ने इन छोटे व्यापारियों को क्रय कर से मुक्त करने का आश्वासन दिया था ?

(3) यदि हां, तो अब कब तक सरकार इन्हें कर मुक्त करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राजस्थान बिक्री कर अधिनियम में अपंजीकृत व्यवसायियों से कर वसूल करने का कोई प्रावधान नहीं है। यदि कोई पंजीकृत व्यवसायी, अपंजीकृत व्यवसायी से माल खरीदता है तो धारा 5ए के अन्तर्गत क्रय कर का दायित्व क्रेता व्यवसायी का है। तथापि बिक्री कर अधिनियम की धारा 2 (सी. सी. सी.) के तहत कुछ वस्तुओं को आकस्मिक वस्तुएं (कैजुअल कॉमोडिटीज) घोषित किया गया है जिसमें मार्बल भी सम्मिलित है। इन घोषित वस्तुओं पर चैक पोस्ट से आवागमन के समय अपंजीकृत व्यवसायियों से भी कर वसूल किया जा सकता है।

(मुख्य (वित्त) मंत्री)

(2) राज्य सरकार द्वारा छोटे व्यवसायियों को राहत देने की मंशा से अधिसूचना क्रमांक प.4 (11) वित्त/ग्रुप-4/95-80, दिनांक 27-3-1995 द्वारा अपंजीकृत व्यापारियों से क्रय किये गये माल को क्रय कर से 31-3-1995 तक मुक्त कर दिया है।

(3) अलग से मुद्दा सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

गर्ल्स कालेज एवं राजश्री कालेज अलवर में पदस्थापित व्याख्याता

1134. श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या कालेज में व्याख्याताओं के स्थानान्तरण के बारे में सरकार की कोई नीति निर्धारित है ? क्या स्थानान्तरणों में निर्धारित नीति की पालना की जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? निर्धारित नीति की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) गर्ल्स कालेज और राजश्री कालेज, अलवर में कार्यरत व्याख्याता कितने वर्षों से पदस्थापित हैं ? इनका कितनी बार स्थानान्तरण किया गया और कितनी बार स्थानान्तरण रद्द किया गया ? स्थानान्तरण रद्द करने के क्या कारण रहे ?

उत्तर

(1) जी नहीं। प्रशासनिक विभाग द्वारा व्याख्याताओं के स्थानान्तरण की अलग से कोई नीति निर्धारित नहीं कर रखी है। विभाग द्वारा सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक एफ. 9 (5) सा. प्र./2/89 दिनांक 28-6-1990 द्वारा सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सामान्य नीति का पालन किया जाता है।

(2) अलवर गर्ल्स कालेज और राजश्री कालेज, अलवर में कार्यरत व्याख्याताओं की सूची परिशिष्ट-1 में दी गयी है। इन व्याख्याताओं के जितनी बार स्थानान्तरण किये गये, उनका विवरण परिशिष्ट-2 में अंकित है। स्थानान्तरण प्रशासन द्वारा विचार कर रद्द किये गये हैं।

(सूची एवं विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

निर्वाचन क्षेत्र राजाखेड़ा में महाविद्यालय की स्थापना

1135. श्रीमती मनोरमा सिंह (राजाखेड़ा) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार राजाखेड़ा (धौलपुर) में महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वर्तमान नीति के अनुसार प्रस्तावित स्थान के 20 कि. मी. की परिधि में

(उच्च शिक्षा मंत्री)

4 सीनियर सैकण्डरी विद्यालय होने चाहिए, तथा प्रस्तावित स्थान के 30 कि. मी. की परिधि में कोई अन्य महाविद्यालय स्थित न होने, स्थान अन्य सभी दृष्टि से उपयुक्त होने अथवा किसी दानदाता या स्वयंसेवी संस्था द्वारा भवन बनाकर उपलब्ध कराने तथा सहशिक्षा महाविद्यालय की दशा में तीन वर्ष का आवर्ती एवं अनावर्ती खर्च राजकोष में जमा कराने व महिला महाविद्यालय की दशा में एक वर्ष का आवर्ती एवं अनावर्ती खर्च राजकोष के जमा कराने पर राजकीय महाविद्यालय प्रारंभ करने सम्बन्धी मानदण्डों को यह पूरा नहीं करता है।

राजस्थान राज्य पुल निगम द्वारा कोटा संम्भाग में निर्माण कार्य

1136. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

कोटा सम्भाग में राजस्थान राज्य पुल निगम द्वारा क्या-क्या निर्माण कार्य करवाये जा रहे हैं ? उन पर कितनी-कितनी राशि खर्च हो चुकी है व कितना-कितना कार्य हो चुका है ? करवाये जा रहे सभी कार्य कब तक पूर्ण होने की सम्भावना है ?

उत्तर

कोटा सम्भाग में राजस्थान राज्य पुल निगम, द्वारा करवाये जा रहे निर्माण कार्य व उन पर व्यय की गयी राशि एवं प्रगति विवरण परिशिष्ट "क" मेंसंलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें।)

इटावा (कोटा) में बाईपास मार्ग निर्माण

1137. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या कस्बा इटावा जिला कोटा में यातायात की असुविधा को मध्यनजर रखते हुए बाईपास सड़क बनाने के प्रस्ताव विभाग के पास विचाराधीन हैं ?

(2) यदि हां, तो सरकार इसे कब तक स्वीकृति प्रदान करने का विचार रखती है ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) कस्बा इटावा जिला कोटा में सड़क का बाईपास बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) चूंकि कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, अतः स्वीकृति का प्रश्न ही नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र छबड़ा की प्रस्तावित सड़कें

1138. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

विश्व बैंक की सहायता से छबड़ा विधान सभा क्षेत्र में कौन-कौनसी सड़कें बनना प्रस्तावित हैं एवं उनका कार्य कब से प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

उत्तर

विश्व बैंक की सहायता से छबड़ा विधान सभा क्षेत्र के कृषि विकास परियोजना के अन्तर्गत निम्न सड़कें बनना प्रस्तावित हैं :—

(1) छबड़ा मूलोन सड़क से जयपता

(2) छबड़ा गुगोर सड़क से कडियावान

(3) छबड़ा मूलोन सड़क से चान्चोडा

(4) छीपाबड़ौद सारथल सड़क से सेतकोलू।

उपरोक्त सड़क (1) से (3) तक बिड डाकूमेंट हाल ही में विश्व बैंक से स्वीकृत होकर आया है तथा उनकी निविदा जारी की जा रही है।

सड़क संख्या (4) का बिड डाकूटमेंट विश्व बैंक को स्वीकृति हेतु भेजा गया है तथा अभी तक बिड डाकूमेंट स्वीकृत होकर नहीं आया है। स्वीकृत होकर आने के पश्चात् निविदा जारी की जावेगी।

निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।

जिला डूंगरपुर की पुलिया निर्माण हेतु आबंटित राशि

1139. श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) डूंगरपुर जिले की "गैंजी से गन्धवा" वाया बलवनियां काकराडोंगरा गुजरात बोर्डर की सड़क, व गैंजी से डाकणमारियां रोड पर कुल कितनी पुलियाएं सर्वे के अनुसार आती हैं व कितनी लागत की हैं ? पृथक-पृथक रूप से दोनों सड़कों की पुलियाओं का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इन पुलियाओं के निर्माण के लिए विभाग को धन आवंटित किया गया है ?

उत्तर

(1) डूंगरपुर जिले की गैंजी से गंधवा वाया बलवनियां काकराडोंगरा, गुजरात सीमा तक सड़क पर कुल 21 पाइप कल्वर्टस व 9 वेन्टड काजवे की आवश्यकता है जिनकी लागत लगभग रुपये 50.20 लाख है। जिनमें से 9 पाइप कल्वर्टस एवं एक वेन्टेड काजवे निर्माणाधीन है। विवरण परिशिष्ट "क" पर दर्शाया गया है।

गैंजी से डाकणमारिया सड़क पर कुल 18 पाइप कल्वर्टस एवं 2 वेन्टेड काजवे की आवश्यकता है। जिनकी अनुमानित लागत लगभग 20.95 लाख है। इनमें से पाइप कल्वर्टस एवं 2 वेन्टेड काजवे विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निर्माणाधीन है। विवरण परिशिष्ट "ख" पर दर्शाया है।

(2) गैंजी से गंधवा वाया बलवनियां काकराडोंगरा गुजरात सीमा तक सड़क पर 21 पाइप कल्वर्टस व 9 वेन्टेड काजवे में से 9 पाइप कल्वर्टस एवं ऐक वेन्टेज काजवे के निर्माण हेतु 3.95 लाख की स्वीकृति है '30 जिला 30 काम' एवं 'जवाहर

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

रोजगार योजना द्वितीय के अन्तर्गत है व कार्य प्रगति पर है। शेष 12 पाइप कल्वर्ट एवं 8 वेन्टेड काजवे, जिनकी अनुमानित लागत 46.25 लाख रुपये है, का निर्माण सरकार के वित्तीय संसाधनों एवं प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा। विवरण परिशिष्ट "क" पर दर्शाया है।

गैंजी से डाकणमारिया सड़क पर 18 पाइप कल्वर्टस एवं 2 वेन्टेड काजवे में से 5 पाइप कल्वर्टस 2 वेन्टेड काजवे के निर्माण हेतु रुपये 18.00 लाख की स्वीकृति '30 जिला 30 काम' जवाहर योजना (प्रथम) एवं न्यूनतम रोजगार जनजाति योजना के अन्तर्गत है। शेष 13 पाइप कल्वर्ट, जिनकी अनुमानित लागत रुपये 2.95 लाख है का, निर्माण सरकार के वित्तीय संसाधनों एवं प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा। विवरण परिशिष्ट "ख" पर दर्शाया गया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखा गया।)

कोटा जिले में ग्रेवल रोड निर्माण

1140. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले में ग्रेवल रोड निर्माण कार्य (1) चांणदा से पीपल्दा खुर्द (2) नोनेरा रोड से डडवाडा के निर्माण कार्य में कहीं 15 फिट, कहीं 10 फिट चौड़ाई व कहीं पर 1 फिट ऊंचाई कहीं पर 2 फिट की ऊंचाई पर मिट्टी डालने की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार इस चालू निर्माण कार्य की जांच करवाकर सभी स्थानों पर एक समान चौड़ाई व एक समान ऊंचाई हेतु मिट्टी डलवाने का कार्य करवाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) कोटा जिले में ग्रेवल रोड निर्माण कार्य चांणदा से पीपल्दा के नाम से कोई सड़क किसी भी स्कीम में स्वीकृत नहीं है परन्तु 'तीस जिला तीस काम' के अन्तर्गत सम्पर्क सड़क पीपल्दा के नाम से ग्रेवल सड़क स्वीकृत है। तकनीकी स्वीकृति के अनुसार इस सड़क पर मिट्टी का कार्य 7.50 मीटर चौड़ाई में व औसतन 60 सेंटीमीटर ऊंचाई में तीन किलोमीटर लम्बाई में करवाना प्रस्तावित है। इस सड़क पर मिट्टी का कार्य प्रगति पर है। यह ठीक है कि उक्त सड़क पर मिट्टी का कार्य तकनीकी स्वीकृति के अनुसार पूर्ण चौड़ाई तथा ऊंचाई में कृषकों के खेतों में फसल खड़ी होने एवं कृषकों के अवरोध के कारण सम्भव नहीं था। अब फसल कट चुकी है, अतः उक्त कार्य को तकनीकी स्वीकृति के अनुसार ठीक करवाया जा रहा है। 'तीस जिला तीस काम' के अन्तर्गत नोनेरा रोड से डडवाड़ा के स्थान पर सम्पर्क सड़क डडवाडा के नाम से ग्रेवल बनाना स्वीकृत है। तकनीकी स्वीकृति के अनुसार सड़क पर मिट्टी का कार्य 7.50 मीटर चौड़ाई में, औसतन 60 सेंटीमीटर ऊंचाई में व 1.20 किलोमीटर लम्बाई में करवाना प्रस्तावित है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

मिट्टी का कार्य प्रगति पर है व प्रथम 500 मी. लम्बाई में मिट्टी का कार्य तकनीकी स्वीकृति के अनुसार 7.50 मीटर चौड़ाई में व औसतन 75 सेमी. ऊंचाई में लो लाईंग ऐरिया होने के कारण करवाया गया है। शेष लम्बाई में ग्रामवासियों के बाड़ एवं चम्बल नदी के रेवाइन्स आ जाने के कारण चौड़ाई 5 मीटर तक ही सम्भव है एवं मिट्टी की औसतन ऊंचाई 60 सेंटीमीटर करवाई गयी है।

(2) उक्त दोनों सड़कों का कार्य प्रगति पर है। सम्पर्क सड़क पीपल्दा पर मिट्टी का कार्य तकनीकी स्वीकृति के अनुसार समान चौडाई में व आवश्यकतानुसार ऊंचाई में फसल कट जाने के बाद करवाया जा रहा है। सम्पर्क सड़क डडवाडा पर मिट्टी का कार्य ठीक करवा दिया गया है, अतः जांच करवाने का कोई मामला नहीं है।

चूरू जिले में सड़क निर्माण कार्य

1141. श्री किशनाराम नाई (डूंगरगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) चूरू जिले की समस्त तहसीलों में वर्ष 1989 से मार्च, 1995 तक प्रतिवर्ष क्या-क्या कार्य, कितनी-कितनी राशि के करवाये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार श्री डूंगरगढ़ कस्बे में बस स्टैण्ड से हाई स्कूल तक की टूटी-फूटी, नीचे दबी सड़क को ऊपर उठाकर निर्माण करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) चूरू जिले की 7 तहसीलों में वर्ष 1989 से मार्च, 1995 तक सड़कों के निर्माण पर 855.54 लाख रुपये एवं मरम्मत (रख-रखाव) पर रुपये 2104.88 लाख व्यय किये गये। प्रत्येक तहसील में वर्षवार व्यय का विवरण परिशिष्ट "क" में दर्शाया गया है।

(2) श्री डूंगरगढ़ कस्बे में बस स्टैंड से हाई स्कूल तक की सड़क की सुधार एवं नालियों का कार्य मद 3054 सड़क एवं पुल की मरम्मत के अन्तर्गत विचाराधीन है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें।)

जयपुर जिले में फोटो पहचान पत्र

1142. श्री गोपीचन्द गुर्जर (नगर) : क्या निर्वाचन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि जयपुर जिले में फोटो पहचान पत्र बनवाये जाने हेतु जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा समाचार पत्रों द्वारा आम नागरिकों से अनुरोध किया गया ? यदि हां, तो इस पर कितना व्यय हुआ ?

(2) क्या यह सही है कि निर्धारित दिवस एवं स्थान पर फोटो पहचान पत्र बनाने के लिये ठेकेदार कम्पनी के प्रतिनिधि नहीं पहुंचे ? यदि हां, तो क्यों ?

(श्री गोपीचन्द गुर्जर)

(3) क्या यह सही है कि जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा उस क्षेत्र के नागरिकों से इस कारण हुई असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया गया? यदि हां, तो कब?

(4) ठेकेदार कम्पनी के प्रतिनिधियों के नहीं पहुंचने से सरकार को कितने धन की हानि हुई?

(5) सरकार ने इस नुकसान को सम्बन्धित ठेकेदार कम्पनी से वसूलने के लिए क्या कार्यवाही की?

उत्तर

(1) जी हां। इसमें दिनांक 15-4-95 तक 59,490/-रु. व्यय हुए।

(2) दिनांक 1-3-95 व 2-3-95 को विधानसभा क्षेत्र बस्सी के मतदान केन्द्रों पर निर्धारित संख्या से कम विडियोग्राफर्स पहुंचे थे। कम्पनी निर्धारित संख्या में विडियोग्राफर्स का इन्तजाम नहीं कर पायी।

(3) जी हां। दिनांक 4-3-95 को समाचार पत्रों द्वारा।

(4) जिला कलक्टर अनुमान के अनुसार कर्मचारियों के यात्रा भत्ते व अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं में लगभग (एक) लाख रुपया व्यय हुआ।

(5) सम्बन्धित ठेकेदार कम्पनी को इस सम्बन्ध में नोटिस दिया गया है जिसकी कार्यवाही जारी है।

नगरीय क्षेत्र जोधपुर में खानों का आबंटन

1143. श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर नगरीय क्षेत्र में स्थित खनिज क्षेत्र के विभिन्न ब्लॉक्स में कार्यरत निम्न पत्थर की खानें उनके सामने उल्लेखित क्वारी लाइसेंसधारियों को आबंटन की गयी है :--

क्र. स.	ब्लाक नाम	खान का क्रमांक	लाइसेंसधारी का नाम
1.	बालसमन्द	19	श्री खेमाराम
2.	फिदुसर	1335	श्री घोकलराम
3.	ब्राह्मणों का टांका	234	श्री ढगलाराम
4.	सोढों की ढाणी	538	श्री मोडाराम
5.	फिदुसर	1334	श्री घोकलराम

(2) यदि हां, तो उपरोक्त लाइसेंसधारियों द्वारा खनिज विभाग को उक्त खानों के आबंटन हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्रों की प्रतिलिपि (अलग-अलग) सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान में उपरोक्त खानों का कौन खनन कर रहा है? विवरण नाम मय पिता के, जाति, पूरा पता एवं खनन की वैधानिकता के सम्बन्ध में टिप्पणी सहित सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रश्न में अंकित खानें जिन व्यक्तियों के नाम मूल रूप से आबंटित की गयी व तदुपरान्त समय-समय पर जिनके पक्ष में नामान्तरित/हस्तान्तरित की गयी, उसका ब्यौरा निम्नानुसार है :--

1. बालसमन्द-खान क्रमांक-19

यह खान श्री खेमाराम के नाम दिनांक 17-8-84 से आबंटित की गयी थी, जो मूल आबंटी के स्वर्गवास हो जाने के कारण उसकी पत्नी श्रीमती फूली जटिया के पक्ष में नामान्तरित हो चुकी है।

2. फिदूसर खान क्रमांक-1335

यह खान श्री धोकलराम पुत्र श्री लाखाराम मेघवाल के पक्ष में दिनांक 7-1-84 से आबंटित की गयी थी, जिसका नामान्तरण आबंटीत के स्वर्गवास होने के कारण उसके पुत्र श्री प्रकाशचन्द्र के पक्ष में दिनांक 4-9-93 को किया गया। वर्तमान में यह खान श्रीमती कमला पत्नी श्री अमृतलाल जटिया निवासी मदासिया, जोधपुर के पक्ष में आदेश दिनांक 19-11-94 से हस्तान्तरित होकर चालू है।

3. ब्राह्मणों का टांका-खान क्रमांक-234

यह खान श्री पूनाराम पुत्र सूजाराम मेघवाल निवासी रामोला नागौरी गेट, जोधपुर के पक्ष में दिनांक 23-10-79 से आबंटित की गयी थी, जो उनके आवेदन पर श्रीमती भूरी पत्नी श्री आसू नायक, मण्डोर के पक्ष में आदेश दि. 19-8-87 द्वारा आबंटित की गयी थी, पुन: यह खान आदेश दिनांक 21-6-89 द्वारा श्री बस्तीराम पुत्र मांगीलाल मेघवाल, अमरपुरा मण्डोर के पक्ष में हस्तान्तरित की गयी। वर्तमान में यह खान आदेश दि. 5-8-91 द्वारा श्री ढ़गलाराम पुत्र श्री दौलाराम मेघवाल, महामन्दिर, जोधपुर के नाम हस्तान्तरित होकर चालू है।

4. सोढों की ढाणी-खान क्रमांक-538

यह खान दिनांक 14-6-85 से श्री शिवरतन पुत्र श्री चूनाराम साद निवासी-बिसलपुर पंचायत समिति-मण्डोर के नाम आबंटित हुई थी, जो उनके आवेदन पर आदेश दिनांक 7-6-90. से श्री नत्थूराम पुत्र भगवानजी माली, गोलासनी के पक्ष में हस्तान्तरित होकर चालू है।

5. फिदूसर-खान-क्रमांक-1334

यह खान श्री धोकलराम पुत्र श्री लाखाराम मेघवाल के पक्ष में दिनांक 7-1-84 से आबंटित की गयी थी, जिनका नामान्तरण आबंटी के स्वर्गवास होने के कारण उसके पुत्र प्रकाशचंद्र के पक्ष में दिनांक 4-9-93 को किया गया। वर्तमान में यह खान श्रीमती कमला पत्नी अमृत लाल जटिया निवासी मदासिया, जोधपुर के पक्ष में आदेश दि. 19-11-94 से हस्तान्तरित होकर चालू है।

(2) मूल आबंटियों के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं हस्तान्तरिन आवेदन पत्रों की प्रतियां प्रदर्श अ, ब, स, द, ऐवं ग संलग्न है।

(खनिज मंत्री)

(3) वर्तमान में उक्त खानों पर वही लोक खनन कार्य करवा रहे हैं, जिनके नाम मूल रूप से खानें आबंटित की गयी व तदुपरान्त समय-समय पर जिनके पक्ष में नामान्तरित/हस्तान्तरित की गयी, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

क्र.सं.	ब्लाक का नाम	खान क्रमांक	वर्तमान में खनन कार्य करवाने वाले व्यक्ति का नाम, जाति व पता
1.	बालसमन्द	19	श्रीमती फूली जटिया पत्नी स्व. श्री खेमाराम नि. सोपला तह. भोपालगढ़ (जोधपुर)
2.	फिदूसर	1335	श्रीमती कमला पत्नी श्री अमृत लाल जटिया, नि. भदरासिया, जोधपुर
3.	ब्राह्मणों का टाका	234	श्री ढगलाराम पुत्र दौलाराम मेघवाल नि. महामन्दिर, जोधपुर
4.	सोढ़ों की ढ़ाणी	538	श्री नाथूराम पुत्र भगवानजी माली नि. गोलासनी, जोधपुर
5.	फिदूसर	1334	श्रीमती कमला पत्नी श्री अमृतलाल जटिया नि. भदरासिया, जोधपुर

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं।)

ग्राम करलाव (मांडलगढ़) की राजस्व भूमि में खनन

1144. श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मांडलगढ़ तहसील के ग्राम करलाव में राजस्व भूमि में नाजायज खनन हो रहा है ? यदि हां, तो क्या करलाव सहकारी समिति द्वारा विभाग को नामजद रिपोर्ट दी गयी है ? यदि हां, तो रिपोर्ट व उस पर की गयी कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या विभाग ने थाना बिजोलिया में इनके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी ? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि खनिज

(श्री रतनलाल ताम्बी)

विभाग ने भी मौके पर जाकर कार्यवाही की है ? यदि हां, तो किन-किन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की और कितनी-कितनी राशि वसूल की है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) राजस्व भूमि में अवैध खनन के कतिपय मामले पकड़े गये हैं जिनके प्रकरण अतिरिक्त तहसीलदार, बिजोलिया के न्यायालय में दर्ज होकर उनमें अग्रिम कार्यवाही की जा रही है । करलाव सहकारी समिति द्वारा विभाग को कोई नामजद रिपोर्ट नहीं दी गयी है ।

(2) जी नहीं ।

(3) राजस्व विभाग एवं खनिज विभाग द्वारा पूर्व में आकस्मिक चैकिंग के दौरान की गयी कार्यवाही का विवरण प्रदर्श "अ" एवं "ब" में संलग्न है ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें ।)

टोंक जिले में ग्रेनाइट खानों का आबंटन

1145. श्री बनवारी लाल बैरवा (निवाई) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गत 5 वर्षों में टोंक जिले में ग्रेनाइट सम्पदा का पता लगा है ? यदि हां, तो वे कौन-कौन से गांवों के क्षेत्र में हैं ?

(2) क्या यह सही है कि ग्रेनाइट के डिपोजिट्स का पता लगते ही उसको लीज लेने के लिये सक्षम अधिकारी के पास लीज प्राप्त करने के लिये आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये गये ?

(3) ग्रेनाइट की कितनी लीज किस-किस गांव के क्षेत्र में किस-किस पार्टी को प्रदान की गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) उपरोक्त लीजधारियों में से किस-किस पार्टी ने कार्य प्रारम्भ कर दिया तथा जिन्होंने कार्य प्रारम्भ नहीं किया उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) जी हां । गत पांच वर्षों में टोंक जिले में जिन ग्रेनाइट के क्षेत्रों का पता लगा है वह निम्न गांव के हैं :—

1. तहसील मालपुरा : गांव देवल, गनवर राजपुरा, दामोदरपुरा, हाथगी, नगर, लाम्बाहरिसिंह रूपाहेली, बागडी एवं कडीला ।

2. तहसील अलीगढ़ : गांव ककोड व लद का खेड़ा

3. तहसील देवली : गांव बीजवाड़ एवं हिसामपुर

(2) जी हां । यह सही है कि ग्रेनाइट के डिपोजिट्स का पता लगते ही उसकी लीज लेने के लिए सक्षम अधिकारी सहायक खनिज अभियन्ता, टोंक के कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये ।

(खनिज मंत्री)

(3) इस उप खण्ड टोंक जिले में खनिज ग्रेनाइट की 83 लीज विभिन्न क्षेत्रों में जिन व्यक्तियों को आवंटित की गयी हैं, उनका विवरण परिशिष्ट "क" सदन की मेज पर रख दिया है ।

(4) उपरोक्त 83 लीजधारियों में से 7 पार्टियों ने कार्य आरम्भ कर दिया तथा 7 पार्टियों ने कार्य आरम्भ नहीं किया। इनमें से 2 (दो) के सरेण्डर स्वीकृत हो चुके हैं व शेष 74 में से 72 में नियमानुसार वैधानिक नोटिस जारी किये गये व पालना नहीं करने पर 62 खनन पट्टे खण्डित किये जा चुके हैं तथा शेष में खण्डित करने की कार्यवाही की जा रही है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

सड़क दुर्घटनाएं

1146. **श्री शांतिकुमार धारीवाल** (हिण्डोली) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में गत दो वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं में कितने लोगों की मृत्यु हुई तथा कितने लोग गम्भीर रूप से घायल हुए ?

(2) गत दो वर्षों में राज्य के किन-किन शहरों में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या कितनी-कितनी रही है ?

(3) गत दो वर्षों में राज्य में किन-किन राष्ट्रीय राजमार्गों पर और किस-किस क्षेत्र में अधिक सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं ?

(4) जिन शहरों तथा राष्ट्रीय राज-मार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं की संख्या अधिक रही है, उनके संदर्भ में सरकार ने गत दो वर्षों में क्या क्या कदम उठाये हैं ताकि सड़क दुर्घटनाओं की सम्भावनाओं पर अंकुश लगाया जा सके ?

उत्तर

(1) राज्य में वर्ष 1993 व 1994 में सड़क दुर्घटनाओं में 8016 लोगों की मृत्यु हुई है एवं 18145 व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल हुए हैं ।

(2) गत दो वर्षों में राज्य के प्रमुख शहरों में घटित सड़क दुर्घटनाओं के दर्ज अभियोगों की तालिका परिशिष्ट "क" संलग्न है ।

(3) गत दो वर्षों में राज्य में राष्ट्रीय राज मार्गों पर घटित सड़क दुर्घटनाओं की तालिका परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है। राष्ट्रीय राज मार्ग नम्बर 8 पर सबसे अधिक सड़क दुर्घटना हुई है।

(4) राष्ट्रीय राज- मार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं को रोकने व यातायात को नियंत्रित करने के लिए 11 गश्ती दलों द्वारा राष्ट्रीय राज--मार्गों पर पैट्रोलिंग करवायी जा रही है। दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाने के लिये राष्ट्रीय राज मार्ग नं. 8 पर दो क्रेन उपलब्ध करवायी गयी है। साथ ही दो एम्बूलेंस भी लगवायी गयी हैं, जो समय पर घायलों को अस्पताल पहुचा सके। नेशनल हाइवे नं. 8 पर

(गृह मंत्री)

यातायात दबाव को ध्यान में रखते हुए उसे चार लेन का बनाने का कार्य भी प्रगति पर है। शहरों में यातायात निरीक्षकों द्वारा विद्यालयों में जाकर यातायात सम्बन्धी नियमों की जानकारी विद्यार्थियों को करायी जाती है व सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान आम नागरिकों को यातायात नियमों की जानकारी करायी जाती है तथा पेम्पलेट भी वितरित किये जाते हैं।

(तालिका के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें।)

भरतपुर जिले के पुलिस थाने

1147. श्री गोपीचन्द (नगर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पिछले तीन वर्षों में भरतपुर जिले के किन-किन पुलिस थानों में पुलिस बल की कब--कब व कितनी--कितनी वृद्धि की गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।'

(2) भरतपुर जिले में कितने पुलिस थाने हैं एवं उनमें किस-किस श्रेणी के कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ?

(3) भरतपुर जिले में किन-किन पुलिस थानों में पुलिस वाहन उपलब्ध हैं एवं किन-किन में नहीं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) इन वाहनों के संचालन के लिये विभाग द्वारा डीजल/पेट्रोल पेट कितना मासिक बजट आवंटन किया जाता है ?

उत्तर

(1) पिछले तीन वर्षों में भरतपुर जिले की पुलिस थानों पर पुलिस बल की वृद्धि वर्ष 1992 में निम्न प्रकार से की गयी :—

पुलिस थाना	निरीक्षक	उप. निरी.	सउनि	हैड कां.	कानि.	चालक
मथुरा गेट	1	2	4	4	25	1
अटलबन्द	1	2	4	4	25	1
उद्योग नगर	1	2	2	4	25	—
गोपालगढ़	—	1	1	1	12	1
कुम्हेर	1	—	2	2	06	—
बयाना	1	—	2	2	06	—
डीग	1	—	2	2	06	--

उपरोक्त में से पुलिस थाने मथुरागेट, अटलबन्द, उद्योग नगर एवं गोपालगढ़ नवसृजित किये गये थे एवं शेष तीन थानों में पुलिस बल का सुदृढ़ीकरण किया गया था। वर्ष 1993 से अब तक कोई वृद्धि नहीं हुई।

(गृह मंत्री)

(2) वांछित सूचना परिशिष्ट "क" में संलग्न है।

(3) भरतपुर जिले के सभी 22 थानों पर पुलिस वाहन स्वीकृत हैं, जिनमें से पुलिस थाना चिकसाना, हलैना, नुरहरा के वाहन कण्डम होने के कारण स्टेट मोटर गैराज में जमा हो चुके हैं, जिनका रिप्लेसमेंट प्राप्त नहीं हुआ है। थाना पहाड़ी की गाड़ी भी कण्डम होकर पुलिस लाइन में जमा है, जिसके भी कण्डम करार होने की कार्यवाही लम्बित है। उच्चैन थाने की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने से न्यायिक अभिरक्षा में है। थाना डीग की गाड़ी डीग प्रकरण में सी बी. आई. द्वारा जब्त की हुई है। थाना बैर की गाड़ी ए. डी. एफ. कार्य में लगी है जो ड्यूटी पश्चात् थाना बैर पर पहुंच जावेगी।

(4) इन वाहनों के संचालन के लिये विभाग द्वारा डीजल/पैट्रोल पेटे वर्ष 1994-95 में 24,90,000/- रुपये वार्षिक बजट आबटित किया गया है। औसतन मासिक खर्च 2,07,500/-- रुपये होता है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट--8 देखें।)

अपराध प्रक्रिया संहिता में कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां

1148. श्री माधव सिंह दीवान (सोजत) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अपराध प्रक्रिया संहिता में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये कार्यपालक मजिस्ट्रेट को क्या-क्या शक्तियां प्राप्त हैं ?

(2) क्या निषेधात्मक आज्ञा जारी करने के बाद आज्ञा लागू कराने के लिये कार्यपालक मजिस्ट्रेट का दायित्व निर्धारित है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो किस-किस का दायित्व है ?

(3) क्या सरकार द्वारा कार्यपालक मजिस्ट्रेटों द्वारा निषेधाज्ञा जारी करने के बाद उसे प्रभावी करने के लिये भी कर्तव्य बाबत् दिशा-निर्देश जारी किये हुए हैं ? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसे स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने का विचार रखती है ?

(4) क्या बिना कार्यपालक मजिस्ट्रेट की आज्ञा के पुलिस अधिकारी अनियंत्रित भीड़ पर गोली चला सकता है ? यदि हां, तो मौके पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट मौजूद होने की आवश्यकता क्यों होनी चाहिये ? क्या इस सम्बन्ध में कोई-निर्देश जारी किये हुए हैं ?

उत्तर

(1) कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये कार्यपालक मजिस्ट्रेट को जो शक्तियां दी गयी हैं, उनका उल्लेख अपराध प्रक्रिया संहिता के अध्याय 8 एवं 10 में दिया गया है।

(2) जी हां। इसके लिये कार्यपालक मजिस्ट्रेट पुलिस से एवं विशेष परिस्थितियों में सेना से सहायता प्राप्त कर सकता है।

(गृह मंत्री)

(3) अपराध प्रक्रिया संहिता के प्रावधान स्पष्ट हैं।

(4) जी हां। इस सम्बन्ध में अपराध प्रक्रिया की धारा 129 के अन्तर्गत प्रावधान स्पष्ट रूप से अंकित किया हुआ है। इन परिस्थितियों में कार्यपालक मजिस्ट्रेट की आवश्यकता इसलिये मानी गयी है जिससे कि पुलिस कार्यवाही पर अंकुश लगाया जा सके एवं न्यूनतम बल प्रयोग आवश्यकतानुसार सुनिश्चित किया जा सके। अपराध प्रक्रिया संहिता के प्रावधान स्पष्ट हैं।

थाना कोटकासिम (अलवर) में दर्ज हत्या का प्रकरण

1149. श्री एमादुद्दीन अहमद खां (तिजारा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि थाना कोटकासिम, जिला, अलवर में रिटायर्ड कैप्टन प्राणसुख के दो जवान बच्चों के कत्ल करने का मामला संख्या 83/91 दिनांक 2-8-1991 दर्ज हुआ था ? यदि हां, तो उसकी प्रगति रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त मामले के हत्यारे अभी तक पकड़े नहीं जा सके हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार इन हत्यारों को शीघ्र गिरफ्तार कर पीड़ित परिवार को न्याय देना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। पुलिस अनुसंधान से सतीश जाट नि. कोटकासिम को अभियुक्त नामजद किया। अभियुक्त की गिरफ्तारी के हर सम्भव प्रयास किये गये। अभियुक्त फरार होने के कारण उनकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकी की सम्पत्ति जब्त की जा चुकी है। अभियुक्त को उद्घोषित अपराधी घोषित करने की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। धारा 299 जाप्ता फौजदारी के अन्तर्गत चालान न्यायालय में दिनांक 30-12-91 को प्रस्तुत किया जा चुका है।

(2) जी हां। अभियुक्त फरार होने से गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।

(3) इस अभियोग में केवल एक अभियुक्त नामजद हुआ है जिसकी गिरफ्तारी के हर सम्भव प्रयास जारी है।

छीपा बड़ौद (बारां) की विवादित भूमि पर पुलिस व्यवस्था

1150. श्री प्रतापसिंह सिंघवी (छबड़ा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि छीपा बड़ौद (बारां) कस्बे में रामद्वारे की विवादित जमीन पर पुलिस लगी हुई है ? यदि हां, तो इस विवाद को प्रशासन द्वारा अब तक नहीं निपटाये जाने के क्या कारण रहे हैं ?

उत्तर

छीपा बड़ौद (बारां) में रामद्वारे (आर्य समाज मठ) एवं कब्रिस्तान की विवादास्पद

(गृह मंत्री)

भूमि पर परिस्थितियोंवश दिनांक 21-9-94 से 8-3-95 तक पुलिस गार्ड लगायी गयी थी, जो स्थिति में सुधार होने पर अब हटा दी गयी है। राजस्व रिकार्ड की स्थिति स्पष्ट करने एवं पंचायत चुनावों के कारण विवाद के निपटाने में विलम्ब हुआ। जिला प्रशासन द्वारा शीघ्र ही निपटारा किया जा रहा है।

पुलिस हथियारों की चोरी

1151. श्री रामकिशन वर्मा (रामगंज मण्डी) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत 5 वर्षों में पुलिस के कितने और कौन-कौनसे हथियार कहां-कहां से चोरी हुए ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) चोरी हुए हथियार किन-किन पुलिस अधिकारियों के पास थे ?

(3) इनकी बरामदगी के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गयी एवं उसके क्या परिणाम रहे ?

(4) भविष्य में पुलिस हथियार चोरी न हों, इसके लिये क्या उपाय किये गये हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वांछित सूचना परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) वांछित सूचना परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(3) वांछित सूचना परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(4) भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो इसके लिये समस्त राज्य के जिला पुलिस अधीक्षकों द्वारा समस्त पुलिस कर्मियों को सतर्कता व सावधानी से ड्यूटी के दौरान हथियारों की सुरक्षा रखने के बारे में निर्देशित किया गया है। समय-समय पर ड्यूटी पर जागरूक रहने के भी निर्देश दिये गये हैं, समय-समय पर आयोजित सम्पर्क सभाओं में भी हथियारों की सुरक्षा के लिये समझाइश की जाती है।

(सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें।)

सीकरी (भरतपुर) में पुलिस गोली काण्ड की जांच

1152 श्री गोपीचन्द (नगर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि 27 जनवरी, 1994 को सीकरी (भरतपुर) में पुलिस द्वारा गोली चलायी गयी ? यदि हां, तो इस हादसे में कितने व्यक्तियों की मौत हुई ?

(2) क्या सरकार ने इस गोलीकाण्ड की जांच करवायी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या जांच में पुलिस अधिकारियों को दोषी पाया गया ? यदि हां, तो किन-किनको ?

(4) क्या सरकार ने दोषी पुलिस

(श्री गोपीचन्द)

अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की ? यदि हां, तो क्या ?

(5) क्या यह सही है कि पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध निजी इस्तगासा दायर किया गया ? यदि हां, तो इस्तगासे की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(6) पुलिस द्वारा इस्तगासे पर आज तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां, गोलीबारी में एक व्यक्ति लल्लू धोबी की मृत्यु हुई।

(2) इस काण्ड की जांच अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर), भरतपुर द्वारा की जा रही है।

(3) जांच जारी है।

(4) जी नहीं.। जांच का निर्णय अपेक्षित है।

(5) जी, हां। इस्तगासा (प्रथम सूचना रिपोर्ट) की प्रति परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(6) अनुसंधान इस्तगासा पर दर्ज मुकदमे में एफ. आर. में नतीजा दिया जाकर न्यायालय में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत कर दी गयी है।

(प्रतिलिपि विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

देवस्थान विश्रान्ति गृह, उदयपुर में महिला कलाकारों के साथ बलात्कार

1153. श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि देवस्थान विश्रान्ति गृह, उदयपुर में महिला कलाकारों के साथ बलात्कार करने की कोशिश की शिकायत हुई थी ? यदि हां, तो बलात्कार करने की कोशिश करने वाले कौन थे ?

(2) क्या यह भी सही है कि बलात्कारी देवस्थान विभाग के निरीक्षक थे और उनकी जांच नहीं करवायी गयी और न ही कोई केस दर्ज करवाया गया ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। पुलिस को इस सम्बन्ध में कोई शिकायत/रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

उपनिवेशन सामान्य शर्तों के तहत दोषी बाकीदारों को आवंटित भूमि का पुनर्ग्रहण

1154. श्री अमरचन्द मिड्ढा (सूरतगढ़) क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उपनिवेशन सामान्य शर्तें, 1955 की शर्त संख्या 22 के तहत दोषी बाकीदारों की आवंटित भूमि के पुनर्ग्रहण करने के अधिकार क्या जिलाधीश को ही है ?

(श्री अमरचन्द मिड्ढा)

(2) क्या पुनर्ग्रहण शुदा भूमि के बहाली होने से पूर्व की गयी काश्त अतिक्रमण की श्रेणी में नहीं आती है ?

(3) क्या तहसील अनूपगढ़, जिलाधीश श्रीगंगानगर द्वारा भूमि पुनर्ग्रहण करने के आदेश को तहसील स्तर पर स्थगित किया गया है ? यदि हां, तो ऐसा किन-किन मामलों में और क्यों किया गया ?

(4) क्या तहसील स्तर पर उक्त प्रकार पारित अनियमित व अनाधिकृत आदेश से बिन्दु संख्या-2 के अनुसार सरकार को राजस्व हानि नहीं हुई है ? यदि हां, तो क्या दोषी अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारण कर कोई दण्ड देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य) कॉलोनी शर्तें, 1955 की शर्त 22 के अन्तर्गत आबंटित भूमि के पुनर्ग्रहण करने का जिला कलक्टर को अधिकार है। राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या प.4(5) रेव/कोल/91 जयपुर, दिनांक 20-8-93 द्वारा राजस्थान उपनिवेशन) इ.गा.न.प. क्षेत्र में सरकारी भूमि का आबंटन एवं विक्रय नियम 1975 के नियम 17 (8) में संशोधन कर आबंटन अधिकारी को भी प्रदत्त किये हैं।

(2) जी नहीं। रकबा पुनर्ग्रहण के पश्चात् भूमि बहाली से पूर्व की अवधि में की गयी काश्त अतिक्रमण की श्रेणी में आती है।

(3) तहसील अनूपगढ़ में जिला कलक्टर, गंगानगर द्वारा भूमि पुनर्ग्रहण करने के आदेश को तहसील स्तर पर स्थगित नहीं किया गया है।

(4) तहसील स्तर पर कोई अनियमितता नहीं हुई है। राज्य सरकार को कोई राजस्व हानि नहीं हुई है। कोई अधिकारी दोषी नहीं है।

तहसील अनूपगढ़ में आबंटित भूमि के आबंटियों से विक्रय मूल्य की प्राप्त राशि

1155. **श्री अमरचन्द मिड्ढा** (सूरतगढ) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील अनूपगढ़ में जिन व्यक्तियों को भूमि आबंटित की गयी थी उनसे भूमि विक्रय मूल्य के पेटे अब कुल कितना मूलधन व उसका ब्याज लगाया है एवं प्रभावित आबंटियों की संख्या कितनी है ? बकाया का विगत दो वर्ष का, वर्ष वार विवरण व उससे संबंधित ब्याज का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्रम संख्या एक में अंकित आबंटियों में अनुसूचित जाति/जनजाति अन्य पिछड़ावर्ग से सम्बधित कितने-कितने आबंटी हैं तथा प्रत्येक श्रेणी के आबंटी की तरफ कितना-कितना मूलधन व उसका ब्याज बकाया है ?

(3) विगत दो वर्ष में कितनी अनकमाण्ड आबंटित भूमि को कमाण्ड घोषित

(श्री अमरचन्द मिड्ढा)

किया गया व उसका कितना मूल्य कब-कब बढ़ाया गया ? इसमें से कितनी राशि वसूल की जा चुकी है तथा कितनी बकाया है व प्रभावित आवंटी कितने हैं वसूल शुदा व बकाया मूलधन के ब्याज का विगत दो वर्षों का वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त श्रेणी के किसी आवंटी को भूमि मूल्य अथवा ब्याज में रियायत देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) तहसील अनूपगढ़ में जिन व्यक्तियों को भूमि आवंटित की गयी थी उनसे भूमि विक्रय मूल्य के पेटे अब मूलधन रु. 817 लाख एवं ब्याज 368.13 लाख रुपये लगाये गये हैं। प्रभावितों की संख्या 4562 है। वर्ष 1993-94 में मूलधन 415.25 लाख एवं ब्याज 197.58 लाख तथा वर्ष 94-95 में मूलधन 401.75 लाख एवं ब्याज 170.55 लाख रुपये थे।

(2) तहसील अनूपगढ़ में अन. जाति के 1797 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के 1229 आवंटी है। अनु. जाति के आवंटियों में 115.43 लाख मूलधन 48.16 लाख रुपये ब्याज तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवंटियों की तरफ 108.25 लाख मूलधन तथा 41.76 लाख ब्याज के बकाया है। अनु. जनजाति के आवंटियों को कोई भूमि आवंटित न होने के कारण उनकी ओर कुछ भी बकाया नहीं है।

(3) विगत दो वर्षों में इस तह. में 30.09 बीघा भूमि के अनकमाण्ड से कमाण्ड होने के आदेश हुए जिनकी राशि रु. 47,165 वर्ष 1993-94 एवं 1994-95 में कायम कर आवंटियों से वसूल की गयी है। नियम 17 (8) के अनुसार किसी अनकमाण्ड भूमि के आवंटन के बाद कमाण्ड होने पर 25 बीघा तक भूमि की कीमत आरक्षित दर से और अधिक भूमि की कीमत प्रचलित बाजार दर से ली जाती है। ब्याज देने का प्रावधान नहीं है।

(4) इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

ग्राम बीछवाल (बीकानेर) के निवासियों के भू-खण्ड के पट्टे

1156. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम बीछवाल तहसील बीकानेर कब बसाया गया ?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम बीछवाल के सभी निवासी 60 वर्षों से अधिक अरसे से बिना किसी भूखण्ड पट्टे के आबाद हैं ? यदि हां, तो इस गांव के अनुसूचित जाति के नागरिकों की कालोनी को किस आधार पर अतिक्रमी मानकर नगर विकास न्यास के तहसीलदार द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर योजना हेतु बेदखल किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) ग्राम बीछवाल तहसील बीकानेर स्टेट समय में बसा हुआ गांव है।

(52)

(राजस्व मंत्री)

(2) जी हां। यह सही है कि ग्राम बीछ-वाल के निवासी बिना पट्टे के भूखण्डों पर आबाद हैं। इस गांव में अनुसूचित जाति के नागरिकों की अलग से कोई कालोनी नहीं है। नगर विकास न्यास, बीकानेर की ट्रांसपोर्ट नगर योजना गांव के आबादी क्षेत्र से अलग विधिवत स्वीकृत योजना है। जिसके क्षेत्र में हाल ही में किये गये मात्र 8 (आठ) अतिक्रमियों को नगर विकास न्यास द्वारा सबूत पेश करने हेतु नोटिस दिये गये हैं।

ग्राम लांगडीपुरा (दौसा) की चारागाह भूमि पर अतिक्रमण

1157. **श्री गोपीराम जाट (आमेर)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) ग्राम लांगडीपुरा तहसील महुआ जिला दौसा के खसरा नं. 163 की चारागाह भूमि पर किस-किसने काश्त की है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इस भूमि पर काश्त करने की शिकायत कलक्टर; दौसा के पास हुई थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? विवरण सदन की मेज रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि तहसीलदार, महुआ ने किसानों से मिलीभगत करके रबी फसल कटवा दी और किसानों को लाभ पहुंचाया ? यदि हां, तो यह प्रकरण लम्बित रखने वाले अधिकारी के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) ग्राम लांगडीपुरा, तहसील महुआ, जिला दौसा स्थित चारागाह भूमि ख. नं. 163 पर फसल काश्त का पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) यह सही है कि ग्रामवासी लांगडीपुरा के कुछ लोगों द्वारा चारागाह भूमि पर काश्त करने की शिकायत जिला कलक्टर, दौसा को दिनांक 13-3-1995 को की गयी, जो मूल हो तहसीलदार, महुआ को शीघ्र नियमानुसार कार्यवाही कर 10 दिवस में अतिक्रमण हटवाने हेतु प्रेषित कर दी गई। तहसीलदार, महुआ से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 20-3-95 के अनुसार अतिक्रमियों के विरुद्ध पूर्व में ही धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही कर दिनांक 21-12-1994 को बेदखली एवं फसल जब्ती के आदेश पारित किये जा चुके थे। निर्णय की पालना में अतिक्रमणियों को भौतिक रूप से बेदखल कर फसल जब्त कर सरकार द्वारा पूरण पुत्र श्री गूजर की सुपुर्दगी में दी गयी। फसल काटकर ले जाने की सूचना मिलने पर सुपुर्ददार की ओर से पुलिस थाना, सलेमपुर में प्रथम सूचना दर्ज करवायी गयी जोजैर तफ्तीश है।

(3) यह सही नहीं है कि तहसीलदार, महुआ द्वारा मिलीभगत कर रबी फसल करवा दी है। प्रकरण निस्तारित हो चुका है, अतः लम्बित रखने का प्रस्ताव ही नहीं है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट—10 देखें।)

जहाजपुर अस्पताल की भूमि पर अतिक्रमण

1158. श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जहाजपुर अस्पताल की भूमि कृषि भूमि थी ? यदि हां, तो कृषि भूमि खसरा नं. पुराने बन्दोबस्त, नये बन्दोबस्त सहित विवरण मय क्षेत्रफल के सदन की मेज पर रखें ।

(2) यह कृषि भूमि आबादी भूमि से कब किसके नाम विक्रय होकर अब यह अस्पताल अथवा किसके नाम किस खसरा नं. रकबा सहित दर्ज है ? क्या वर्तमान में यह राजस्व रेकार्ड में है ?

(3) क्या यह सही है कि कृषि भूमि मौके पर जितनी अस्पताल निर्माण हेतु खातेदार कृषक से खरीदी, उतनी है अथवा अतिक्रमण विक्रय आदि हो गया है ?

(4) क्या यह सही है कि कृषि भूमि आबादी में अथवा परिवर्तन हुए बिना ही मानकर विक्रय अथवा निर्माण कार्य अस्पताल परिसर में हुआ है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(5) क्या यह कृषि भूमि आबादी तथा अस्पताल हेतु परिवर्तन हुई है ? यदि हां, तो खसरा नं. नक्शा एव परिवर्तन के आदेश नामान्तरण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(6) क्या यह सही है कि सरकारी भूमि प्रशासक तहसीलदार अथवा बाद में नगरपालिका बोर्ड द्वारा विक्रय की गयी है ? यदि हां, तो यह भूमि नगरपालिका अथवा राजस्व विभाग या अस्पताल किस-किस की थी ?

उत्तर

(1) जी, हां । यह सही है कि बन्दोबस्त से पूर्व जहाजपुर अस्पताल की भूमि कृषि भूमि दर्ज थी, जिसके पुराने एवं नये नम्बर निम्न प्रकार है :--

पुराने बन्दोवस्त न0 व	रकबा
3797	1 बीघा 13 बिस्वा
3798/1	3 बीघा
3798/2	8 बीघा 14 बिस्वा

कुल किता 3 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा पुराने बन्दोबस्त में तीनों खसरा नं. की कृषि भूमि श्री कल्याण पिता भुवाना मीणा की खातेदारी में थी ।

नये बन्दोवस्त नम्बर व	रकबा
6513	2 बीघा 19 बिस्वा
6514	2 बीघा 9 बिस्वा
6515	1 बीघा
6516	1 बीघा 10 बिस्वा

कुल किता 4 रकबा 7 बीघा 18 बिस्वा क्षेत्रफल में अन्तर आने का पता लगाने हेतु कलक्टर को निर्देश दिये जा रहे हैं ।

(2) मुताबिक खसरा सम्वत 2014, 2017 खसरा नम्बर 3797, 3798/1 व 3798/2 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा भूमि खातेदार श्री कल्याण पिता भुवाना के नाम दर्ज थी । उक्त खसरे के विशेष विवरण

(राजस्व मंत्री)

कालम नं. 4 में लाल स्याही "बिला नाम आबा प्राथमिक सेन्टर दर्ज है" इन्तकाल भू-प्रबन्धक के दौरान हुआ है। इन्तकाल सम्बन्धी पत्रावली उपलब्ध न होने से अधिक विवरण नहीं मिल पाया है, अतः विक्रय तथा आबादी में परिवर्तन का विवरण अभी नहीं मिल पाया है। कलक्टर को पत्रावली तलाशी के निर्देश दिये जा रहे हैं। उक्त रकबा दौरान भू-प्रबन्ध बिलानाम आबादी दर्ज हुआ जिसका रकबा वर्तमान भू-प्रबन्ध के खसरा नम्बर 6489, 6490, 6491, 6492, 6493, 6494, 6496, 6498, 6499, 6507, 6513, 6514, 6515, 6516, व 6518 कुल मिलाकर किता 15 रकबा 294 बीघा 1 बिस्वा में सम्मिलित होकर बिलानाम आबादी दर्ज है।

(3) पत्रावली के अभाव में यह रेकार्ड नहीं मिल पा रहा है कि अस्पताल निर्माण हेतु खातेदार कृषक से भूमि खरीदी गयी या नहीं और यदि खरीदी गयी तो कितनी? भूमि आदि का नाप कराकर सही स्थिति का पता लगाने के लिये जिला कलक्टर को निर्देश दिये जा रहे हैं। अस्पताल क्षेत्र के चारों ओर पक्की दीवार निर्मित है, जिस के अंदर मुख्य अस्पताल भवन व क्वार्टर बने हैं उक्त सीमा के अन्दर ही निम्नांकित व्यक्तियों के पक्के मकान भी बने हुए हैं :--

1. श्री दयानन्द पिता मिश्रीलाल आर्य
2. श्री सुरेश पिता रामेश्वर अग्रवाल
3. श्री सुरेशचन्द्र पिता मथुराप्रसाद राव
4. श्री रमेशचन्द्र पिता मथुराप्रसाद राव
5. श्री ज्ञानमल पिता घन्नालाल ताम्बी
6. श्री मांगीलाल पिता सोहनलाल जैन
7. श्री बालकृष्ण पिता मांगीलाल शर्मा
8. श्री कृष्णमुरारी पिता बन्शीलाल
9. श्री भंवरलाल बालेश्वर पिता बंशीलाल
10. श्री दुर्गालाल भट्ट पिता मथुरालाल
11. श्री दुर्गाप्रसाद पत्रिया
12. श्री कन्हैयालाल राव

(4) अस्पताल परिसर की कृषि भूमि को आबादी में परिवर्तन के आदेश हुए या नहीं यह रेकार्ड अभी नहीं मिल पाया है लेकिन भू प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान यह भूमि बिलानाम आबादी दर्ज हो गयी।

(5) प्रश्न का प्रत्युत्तर प्रश्न के भाग-2 के जवाब में समाविष्ट है। आबादी भूमि का परिवर्तन भू-प्रबन्ध के दौरान नामान्तरणकरण संख्या 89 से होना खसरा चौसाला सम्वत 2014 से 2017 के कालम 47 पर लगे नोट से स्पष्ट है।

(6) दौराने भू-प्रबन्ध उक्त भूमि रिकार्ड में बिलानाम आबादी दर्ज है। राजस्व विभाग में आबादी भूमि का विक्रय हस्तान्तरण आदि से सम्बन्धित अभिलेख नहीं लिखा जाता है।

राजाखेड़ा क्षेत्र के विचाराधीन राजस्व मुकदमें

1159. श्रीमती मनोरमा सिंह (राजाखेड़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(श्रीमती मनोरमासिंह)

(1) धौलपुर में राजाखेड़ा क्षेत्र के कितने राजस्व मुकदमें विचाराधीन हैं ?

(2) क्या सरकार राजस्व मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए राजाखेड़ा में ए. सी. एम. कोर्ट स्थापित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) राजाखेड़ा तहसील क्षेत्र के 1305 राजस्व मुकदमें उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर के न्यायालय में विचाराधीन हैं।

(2) यह प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

ग्राम गोनपुरा (शाहपुरा-जयपुर) की सिवाय चक भूमि का गलत तरीके से आवंटन

1160. श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि जयपुर जिले की तहसील शाहपुरा के ग्राम गोनपुरा उर्फ ड्यांग्यावालो की भूमि हाल आराजी खसरा नं. 505, 505/729, 324, 326, 334, 335, 494 एवं 495 भूमि बन्दोबस्त से पूर्व सिवाय चक भूमि थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सिवाय चक भूमि को भू-प्रबन्धक अधिकारियों ने गलत तरीके से निजी खातेदारों के नाम कर दी ?

(3) क्या यह सही है कि सरकारी भूमि को निजी खातेदारी भूमि में लिखने वाले भू-प्रबन्ध विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी तथा भूमि को भी राजस्व अधिकारियों ने अपने कब्जे में नहीं लिया ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार, सरकारी भूमि को अपने कब्जे में लेने तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो यह कार्यवाही कब तक आरम्भ कर दी जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, हां।

(3) सम्बन्धित दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है। रिकार्ड की दुरुस्ती का मामला अतिरिक्त जिला कलक्टर, जयपुर के न्यायालय में विचाराधीन है, निर्णय होने पर कार्यवाही की जावेगी।

(4) सम्बन्धित दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। भूमि विवाद अतिरिक्त जिला कलक्टर, के जयपुर न्यायालय में विचाराधीन है, वहां से निर्णय होने पर कार्यवाही सम्भव होगी।

राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर का कैम्प धौलपुर में लगाने बाबत

1161. श्री बनवारी लाल शर्मा (धौलपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजस्व अपील अधिकारी, भरतपुर प्रति माह पांच दिन के लिए कैम्प धौलपुर में लगाते हैं ?

(2) क्या धौलपुर कैम्प में सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु पृथक से अभिभाषक नियुक्त है अथवा भरतपुर से नियुक्त अभिभाषक ही उक्त कैम्प में पैरवी करते हैं ? यदि धौलपुर कैम्प के लिए पृथक से अभिभाषक नियुक्त है तो उनका नाम तथा नियुक्ति कब व किसके द्वारा की गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) राजस्व अपील अधिकारी के धौलपुर कैम्प में वर्ष 1992-93 से 1994-95 तक सरकार जिन मुकदमों में शरीक थी, उनमें से कितने फैसले सरकार के पक्ष में हुए तथा कितने विपक्ष में ?

(4) क्या सरकार के खिलाफ हुए उपरोक्त मुकदमों की अपील की गयी ? यदि हां, तो कितने मुकदमों की ? यदि नहीं, तो क्यों ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या उक्त पराजय के लिये पेरोकारी करने वाले नियुक्त राजकीय अभिभाषक को दोषी पाया गया ? यदि हां, तो सरकार उस अभिभाषक के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

(6) पेरोकारी करने वाले अभिभाषक के कार्य की समीक्षा की गयी या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) धौलपुर कैम्प में सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु श्री गजेन्द्रसिह अभिभाषक को राजकीय अभिभाषक के रूप में नियुक्त किया हुआ है, इनकी नियुक्ति राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 5(3) राज/ग्रुप-1/88 दिनांक 26-5-1990 के द्वारा की गयी है तथा समसंख्यक आदेश दिनांक 16-12-1994 से इनकी नियुक्ति अवधि दिनांक 28-2-95 तक बढ़ाई गयी है।

(3) राजस्व अपील अधिकारी, धौलपुर कैम्प में वर्ष 1992 से दिनांक 31-3-1995 तक निम्न प्रकार मुकदमें फैसले हुए, जिसमें राज्य सरकार शरीक थी :–

वर्ष	कुल फैसले	पक्ष में	विपक्ष में
1992-93	19	9	10
1993-94	25	19	6
1994-95	40	21	19

(4) सरकार के विपक्ष में हुए कुल 35

Page No. 57

(57)

(राजस्व मंत्री)

प्रकरणों में से 17 प्रकरणों में अपीलें की गयी। 13 मामलों में रिमाण्ड किये गये, केवल 5 मामले ऐसे हैं, जिनमें अपीलें नहीं करने का निर्णय लिया है, जिसका विवरण सलंग्न है (परिशिष्ट "क")

(5) जी नहीं। राजकीय अभिभाषक को उक्त पराजय के लिये दोषी नहीं पाया गया है।

इसलिये उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(6) राजकीय अभिभाषक के कार्य की समीक्षा सम्बन्धित न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के द्वारा की जाकर भेजी जाती है, उनका कार्य संतोषप्रद होने पर ही उनकी सेवा अवधि में वृद्धि की जाती है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें।)

ग्राम सुंथला (जोधपुर) की भूमि का नगर सुधार न्यास जोधपुर को आबंटन

1162. श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही कि जोधपुर तहसील के ग्राम सुंथला में स्थित खसरा नम्बर 129 की 17 बीघा 8 बिस्वा भूमि जिला कलक्टर, जोधपुर ने आदेश संख्या : आबंटन-न्यास/सुंथला 87/260 दिनांक 20 अप्रेल, 1988 द्वारा भू-राजस्व अधिनियम की धारा 92 के अन्तर्गत नगर सुधार न्यास, जोधपुर को आबंटन (सेट ऐपार्ट) की गयी थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि आबंटन उस समय में पदस्थापित पटवारी एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर किया गया था ?

(3) क्या यह भी सही है कि अन्य तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 17 मार्च, 1992 में पूर्व पटवारी एवं पूर्व तहसीलदार के प्रतिवेदन को त्रुटिपूर्ण बताया और एक व्यक्ति का पक्ष लेते हुए यह अंकित किया कि पटवारी मौके की गलत रिपोर्ट नहीं करता, तो नगर सुधार न्यास को उक्त भूमि नहीं दी जाती ?

(4) क्या यह भी सही है कि राजस्व अपील अधिकारी (द्वितीय), जोधपुर ने अपील संख्या-383/89 अपने निर्णय दिनांक 30 अप्रेल, 1993 में जिला कलक्टर, जोधपुर के उपरोक्त आबंटन आदेश दिनांक 20-4-1988 को यथावत रखा तथा राजस्व मण्डल में भी अपील संख्या 72/93 में दिनांक 6-7-1993 को पारित निर्णय में जिला कलक्टर के उक्त आदेश को निरस्त नहीं किया ?

(5) क्या तहसीलदार की उक्त रिपोर्ट दिनांक 17-3-1992 जिला कलक्टर के उपरोक्त आदेश दिनांक 20-4-1988 की अवमानना की परिभाषा में नहीं आती ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, हां।

(3) तहसीलदार, जोधपुर ने अपने पत्रांक 284 दिनांक 17-3-92 के अनुसार पुलिस थाना प्रतापनगर में प्राथमिकी रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 420,467, 471 व 120 "बी" भा. द.सं. के तहत दायर करवायी। जिसके अनुसार तत्कालीन पटवारी श्री राणाराम का चालान चार्जशीट नं. 220-ए दिनांक 15-3-95 को ए. सी. जे. एम. द्वितीय, जोधपुर की अदालत में पेश किया जा चुका है, अतः प्रथम दृस्टया यह बिन्दु सही प्रतीत होता है कि इस पटवारी ने खसरा नं. 129 के बारे में गलत रिपोर्ट पेश की थी।

(4) जी, हां।

(5) जी, नहीं।

तहसील जमवारामगढ़ व आमेर की कृषि भूमि पर मकान बनाने बाबत नक्शों की मंजूरी

1163. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसीलदार, जमवारामगढ़ एवं आमेर द्वारा ग्राम सायपुरा, साईवाड़, इन्द्रगढ़, नटाटा, नांगल सुसावतान इत्यादि के कृषकों के उनकी कृषि भूमि पर मकान बनाने हेतु 1/50 भाग की स्वीकृति/नक्शों की मंजूरी जयपुर विकास प्राधिकरण/नगर निगम की एन. ओ. सी. लाने व उनका क्षेत्र बताकर नहीं दी जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ? प्राधिकरण/नगर निगम द्वारा कृषि भूमि के 1/50 भाग की कृषक को भवन निर्माण की स्वीकृति हेतु तहसीलदार/उपखण्ड अधिकारियों को समय-समय पर प्रदान अधिकारों/शक्तियों के नियमों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्रों में भविष्य में कृषकों को 1/50 भाग पर निर्माण की शीघ्र स्वीकृति मिल सके, इस हेतु कोई स्थायी व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 जिसका प्रकाशन राजस्थान राज पत्र में दिनांक 11-12-55 को हुआ है, के नियम 25 सी के अनुसार नगरीय क्षेत्र में यदि कोई खातेदार कृषक स्वयं की खातेदारी भूमि पर उसके उपयोग के लिये मकान बनाने की अनुमति चाहता है तो सम्बन्धित स्थानीय निकाय, जिसके क्षेत्राधिकार में वह भूमि है, से विचार-विमर्श किया जाना आवश्यक है। नगर निगम/जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कृषि भूमि में 1/50 भाग पर कृषक का भवन निर्माण की स्वीकृति हेतु तहसीलदार/उपखण्ड अधिकारी को अधिकार/शक्तियों के सम्बन्ध में कोई नियम जारी नहीं किये गये हैं।

(राजस्व मंत्री)

(2) जी, नहीं। वर्तमान प्रावधान उचित प्रतीत होते हैं।

तहसील रेवदर (सिरोही) की अनुसूचित जाति एवं जनजाति की भूमि पर अवैध कब्जे

1164. श्री जयन्ति लाल कोली (रेवदर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील रेवदर, जिला सिरोही के अधीन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों की कितनी खातेदारी जमीन सवर्ण जाति के लोगों के कब्जे में है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इस जमीन को इन लोगों से छुड़वाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? सरकार कब तक यह जमीन सम्बन्धितों को दिलाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) तहसील रेवदर में अनुसूचित जाति की खातेदारी जमीन पर सवर्ण जाति के लोगों द्वारा कब्जे के दो प्रकरण पाये गये हैं। अनु. जन जाति के लोगों की खातेदारी भूमि पर सवर्ण जाति के लोगों का कोई कब्जा होने का प्रकरण नहीं पाया गया है। दो प्रकरण निम्नानुसार है :—

(i) ग्राम बिकनवास के खसरा नं. 213 रकबा 1-15 बीघा जो मु. मटु बेवा जैसा जाति पुरी (अनु. जाति) निवासी बासन की खातेदारी कृषि भूमि है, पर श्री हेमसिंह पुत्र नाथूसिंह, कौम राजपूत हाल निवासी बिकनवास का कब्जा है।

(ii) ग्राम जोलपुर के खसरा नम्बर 171 में 179, 177/581, 166 कुल किता ग्यारह कुल रकबा 46.02 बीघा जो सर्व श्री धीरा बाबा, पिसरान भालाजी जाति मांबी (अनु. जाति) निवासी जोलपुर को खातेदारी की कृषि भूमि है, पर श्री चमनराम पुत्र नरसा, जाति माली (सवर्ण जाति) का कब्जा है।

(2) उक्त क्रम संख्या-1 से सम्बन्धित प्रकरण राज. काश्तकारी अधिनियम, 1995 की धारा 175 के तहत प्रार्थना पत्र सम्बन्धित न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जो विचाराधीन है।

उक्त क्रम संख्या 2 से सम्बन्धित प्रकरण राज काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183 (दो) के तहत तहसीलदार रेवदर के न्यायालय से निर्णित हो जाने के उपरान्त उक्त अधिनियम के तहत सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत हुई हैं, जो विचाराधीन है।

उक्त दोनों प्रकरणों में सक्षम न्यायालयों से निर्णय होने के उपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

ग्राम तूंगा (जयपुर) के विचाराधीन कृषि भूमि के प्रकरण

1165. श्री भीमराज मीणा (आसपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री भीमराज मीणा)

(1) तहसील बस्सी, ग्राम तूंगा की किस-किस खसरा नम्बर की कृषि भूमि के मामले ए. सी. एम. कोर्ट (प्रथम), जयपुर में विचाराधीन हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विवादों में से किस-किस कृषि भूमि के मामले में ए. सी. एम. कोर्ट (प्रथम), जयपुर ने स्थगन आदेश दे रखे हैं? स्थगन आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त ग्राम की खसरा नम्बर 4 रकबा 19 बीघा 6 बिस्वा की भूमि में चल रहे मुकदमे में भी स्थगन आदेश दे रखा है?

(4) क्या पुलिस ने खसरा नम्बर 4 की फसल कुडक कर काट ली थी? यदि हां, तो स्थगन आदेश के बावजूद पुलिस द्वारा की गयी अनियमित कार्यवाही के लिए सरकार क्या दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार कृषक को उसकी फसल की पूरी कीमत अविलम्ब भुगतान करेगी! यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) तहसील बस्सी ग्राम तूंगा के कृषि भूमि के 13 मामले न्यायालय ए. सी. एम. कोर्ट (प्रथम), जयपुर में विचाराधीन है। जिनकी सूची संलग्न है।

(2) उक्त 7 विवादों में स्थगन आदेश दे रखे हैं, जिनका विवरण संलग्न सूची के कालम संख्या-4 में अंकित किया गया है।

(3) जी, हां।

(4) पुलिस विभाग के विरुद्ध ए. सी. एम. (कोर्ट) में इस तरह की शिकायत प्राप्त नहीं हुई, अतः अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(5) प्रश्न ही नहीं उठता है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

अतारांकित प्रश्न संख्या 1166

(स्थगित)

जिला नागौर के मेल नर्स द्वितीय श्रेणी के वेतन निर्धारण के लम्बित प्रकरण

1167. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मेल नर्स द्वितीय श्रेणी के चयनित वेतन श्रंखला के वेतन निर्धारण के मामले निदेशक, चिकित्सा एव स्वास्थ्य विभाग के पास जिला अधिकारियों द्वारा भेजे जाते रहे हैं? यदि हां, तो नागौर जिले के कौन-कौन से मामले हैं जो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने भेजे हैं? उक्त मामलों की अब क्या स्थिति है?

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(2) नागौर जिले के ऐसे मामले कब-कब से निदेशालय को प्राप्त हुए तथा अब तक स्वीकृत नहीं करने के क्या कारण रहे हैं ? अब तक स्वीकृत कर दिये जाएंगे तथा अब तक रोके रखने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जायेगी ?

उत्तर

(1) जी, हां, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर से मेल नर्स-द्वितीय के 18 प्रकरण 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर चयनित वेतन-मान स्वीकृत करने हेतु प्राप्त हुए। इनमें से 8 मामले दिनांक 12-7-1994 एवं 29-7-1994 को चयनित वेतनमान स्वीकृत कर भेजे जा चुके हैं। शेष मामलों में से 9 मामले भी दिनांक 24-4-95 को निर्णित कर भेजे जा चुके हैं। शेष एक मामले में मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी नागौर से सूचना चाही गयी है, जिसके प्राप्त होने पर निर्णित किया जाना सम्भव होगा।

(2) प्रश्न के भाग एक से उत्तर में उल्लेखित किया जा चुका है। कर्मचारियों की ड्यूटी चुनाव कार्य में लग जाने के कारण समय पर चयनित वेतनमान स्वीकृत नहीं किये जा सके, अतः प्रकरणों को रोके रखने के सम्बन्ध में कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

पूर्णकालिक खाद्य निरीक्षक

1168. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में विभाग ने 34 खाद्य निरीक्षकों को चयनित कर उनको खाद्य पदार्थों के नमूने लेने के पूर्णकालिक रूप से अधिकृत किया है ? यदि हां, तो जनवरी, 1991 से अब तक कौन-कौन से जिले में कौन-कौन निरीक्षक नियुक्त रहे ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त खाद्य निरीक्षकों को वर्षवार नमूना लेने के लिए लक्ष्य निर्धारित किये गये थे ? यदि हां, तो उपरोक्त अवधि में किस-किस को कितने कितने और उन्होंने कितने-कितने नमूने लिये तथा उनमें कितने-कितने मिलावट के पाये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उपरोक्त अवधि में जिन नमूनों में मिलावट पायी गयी, उनका चालान न्यायालय में कब-कब प्रस्तुत किया गया ? जिलेवार विवरण सदन का मेज पर रखें।

(4) क्या ऐसे मामले भी हैं जिनमें मिलावट पायी गयी फिर भी निर्धारित अवधि में न्यायालय में चालान प्रस्तुत नहीं किया जा सका ? यदि हां, तो कौन-कौन से मामले हैं और क्यों ? जिन निरीक्षकों की गलती से यह चालान समय पर न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये जा सके, उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या-क्या कार्यवाही कब-कब की गयी ?

(5) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त अवधि में अधिकतर खाद्य निरीक्षकों ने निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति नहीं की है ?

(श्री हरजीराम बुरड़क)

यदि हां, तो किस-किसने और उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही कब-कब की गयी तथा आगे क्या कार्यवाही की जानी शेष है ?

उत्तर

(1) जी, हां। वर्ष 1991 से अब तक पदस्थापित खाद्य निरीक्षकों की जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) जी, हां। प्रत्येक पूर्णकालिक खाद्य निरीक्षक को 100 नमूने प्रति वर्ष लेने का लक्ष्य रखा गया है किन्तु निदेशालय स्थित केन्द्रीय दल के खाद्य निरीक्षकों का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। खाद्य निरीक्षकों द्वारा संकलित नमूनों की जिलेवार संख्या तथा, उनमें से मिलावटी पाये गये नमूनों की संख्या का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) प्रश्न के भाग दो में उत्तर में विवरण दर्शाया गया है।

(4) जी हां मिलावटी नमूनों के जिला नागौर के 5 मामले न्यायालय में समय पर पेश नहीं हो सके। उक्त 5 मामलों की सूची संलग्न है। नागौर जिले के पूर्णकालीन खाद्य निरीक्षकों श्री एस. के. सिंघल, जो कि प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये, की खाद्य शक्तियों पर वर्ष 1994 में रोक लगा दी गयी है तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

(5) जी, हां। लगभग सभी खाद्य निरीक्षकों द्वारा आवंटित लक्ष्यों की पूर्ति नहीं की जा सकी है। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। लक्ष्यों की पूर्ति नहीं होने के क्रम में खाद्य निरीक्षकों से समय-समय पर स्पष्टीकरण मांगे गये हैं जिसके आधार पर 4 खाद्य निरीक्षकों को चेतावनी दी गयी। एक की वेतन वृद्धि रोकी गयी। तीन की खाद्य शक्तियों पर रोक लगायी गयी और शेष को लक्ष्य पूरे करने हेतु निर्देश दिये गये।

(सूची एवं विवरण विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखा गया।)

ग्राम लीडी (पीसांगन) में चिकित्सालय

1169. श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, पीसांगन के पंचायत मुख्यालय गांव लीडी में व इसके आस-पास 10 किलोमीटर में करीब 20 हजार की आबादी पर कोई ऐलोपैथिक चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध नहीं है ?

(2) क्या यह भी सही है कि पंचायत समिति, पीसांगन की पंचायत मुख्यालय गांव लीडी में अस्पताल का भवन सरकार व जन सहयोग से निर्मित किया हुआ है ? यदि हां, तो सरकार यहां कब तक चिकित्सालय में डाक्टर व स्टाफ का पदस्थापन व अस्पताल की स्वीकृति प्रदान करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं, ग्राम लीडी पंचायत समिति पीसांगन एवं पंचायत समिति मसूदा की सीमा पर स्थित है पंचायत समिति मसूदा का किराप ग्राम में, जो ग्राम लीडी के पास ही है, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत है।

(2) ग्राम लीडी में एक उपकेन्द्र स्वीकृत है ग्राम लीडी में ग्राम पंचायत ने एक भवन का अपने स्तर पर निर्माण कराया है जो अभी अधूरा पड़ा है। पंचायत समिति पीसांगन में 6 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के लक्ष्य के विपरीत 9 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत है। अतः ग्राम लीडी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलना फिलहाल सम्भव नहीं हैं।

विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में चिकित्सा सुविधाएं

1170. श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जोधपुर जिले में किन-किन गांवों में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा कौन-कौनसी श्रेणी की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं एवं वहां पर किस-किस श्रेणी के कौन-कौन से पद सृजित हैं एवं कितने पद किस-किस श्रेणी के रिक्त हैं ?

(2) बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र में किस-किस ग्राम में कौन-कौनसी स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जा रही है ? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें एवं किस-किस ग्राम में कौन-कौन से पद कब से स्वीकृत हैं ? सूची ग्रामवार सदन की मेज पर रखें। इन रिक्त पदों को भरने के अब तक क्या-क्या प्रयास हुए एवं अब कब तक भर दिये जायेंगे ?

(3) क्या सरकार की नये स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की योजना है ? यदि हां, तो बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र में कहां कहां पर ?

उत्तर

(1) जोधपुर जिले के ग्रामों में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा विभिन्न चिकित्सा संस्थानों की सूची मय उक्त संस्थानों में श्रेणीवार सृजित पद और रिक्त पदों का विवरण संलग्न है।

(2) बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र में जिन-जिन ग्रामों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, प्रश्न के भाग एक में सम्मिलित है। रिक्त पदों का विवरण भी सूची में अंकित है। पद चिकित्सा संस्थान के स्वीकृति के समय से ही सृजित हैं। वरिष्ठ विशेषज्ञ, कनिष्ठ विशेषज्ञ तथा वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने के लिये विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की जा चुकी है। पदस्थापन से रिक्त पदों को भरने के प्रयास जारी हैं। नर्सिंग संवर्ग तथा टैक्नीशियनों के रिक्त पद प्रशिक्षित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर भरना सम्भव होगा। वेतन श्रृंखला-1 से 6 के पदों को भरने पर रोक लगी हुई है, जिनके कारण वर्तमान में भरना सम्भव नहीं है।

Page No. 64

(64)

(राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)

(3) जी, हां। वित्तीय वर्ष 1995-96 में 700 उप केन्द्र खोलने की योजना है। स्थानों का चयन निर्धारित नीति एवं उपादेयता के आधार पर करना शेष है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

नागौर जिले के चिकित्सालयों में रिक्त पद

1171. श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नागौर जिले में परबतसर व मकराना में सभी चिकित्सालयों में चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध हैं? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो सरकार कब तक चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है?

(2) नागौर जिले की परबतसर तहसील व मकराना तहसील में विभिन्न चिकित्सालयों में कौन-कौन से कितने-कितने पद रिक्त हैं? सरकार इन्हें कब तक भरने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) नागौर जिले में आज तक कम्पाउण्डर, नर्स एवं डाक्टर्स के कितने-कितने पद खाली हैं और कहां-कहां पर एवं सरकार इनको भरने का कब तक विचार रखती है?

उत्तर

(1) नागौर जिले के परबतसर व मकराना के चिकित्सालयों में चिकित्सक संवर्ग के स्वीकृत पदों में से परबतसर चिकित्सालय में कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन) के एक पद को छोड़कर सभी पद भरे हुए हैं, विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन) के रिक्त पद को भरने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की जा चुकी है, पदस्थापन की कार्यवाही की जा रही है।

(2) नागौर जिले की परबतसर, मकराना तहसील में विभिन्न चिकित्सालयों में रिक्त पदों का विवरण संलग्न है। रिक्त पदों को भरने के प्रयास जारी हैं।

(3) नागौर जिले में कम्पाउण्डर्स, नर्स, डाक्टर्स के रिक्त पदों का चिकित्सा संस्थावार विवरण संलग्न है। रिक्त पदों को भरने के प्रयास जारी है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

ग्राम चितारबा (मांडल) में प्रस्तावित चिकित्सालय

1172. श्री कालूलाल गूजर (मांडल) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या भीलवाड़ा जिले की मांडल

(श्री कालूलाल गूजर)

तहसील के ग्राम चितारबा के निवासियों ने सरकार को एक प्रार्थना पत्र देकर उनके द्वारा जन सहयोग से अस्पताल भवन बनाने और आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने पर सरकार द्वारा अस्पताल खोलने की स्वीकृति हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया ? यदि हां, तो अब तक उक्त प्रार्थना पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ?

(2) उक्त प्रार्थना पत्र पर ग्रामवासियों को अस्पताल के भवन के निर्माण के लिए स्वीकृति कब तक दे दी जायेगी ?

(3) नये अस्पताल खोलने के आधार क्या हैं ?

उत्तर

(1) भीलवाड़ा जिले की मांडल तहसील में चितारबा नाम का कोई ग्राम नहीं है किन्तु चितारबा नाम का ग्राम है। जन सहयोग से अस्पताल भवन बनाने और आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने का वहां के निवासियों का प्रार्थना-पत्र प्राप्त होना नहीं पाया जाता है।

(2) चूंकि पंचायत समिति मांडल में पांच प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के लक्ष्य के विरुद्ध सात प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत होने के कारण विचार करना सम्भव नहीं है।

(3) सामान्य क्षेत्र में 30 हजार की जनसंख्या पर एक तथा जनजाति/रेगिस्तानी क्षेत्र में 20 हजार की ग्रामीण जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का मापदण्ड भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया हुआ है।

राजकीय चिकित्सालय, इन्द्रगढ़ (बून्दी) में चिकित्सक की अनुपस्थिति

1173. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजकीय चिकित्सालय इन्द्रगढ़, जिला बूंदी में गत वर्ष स्थानान्तरण के समय किसी चिकित्सक अथवा महिला चिकित्सक की नियुक्ति की गयी थी ? यदि हां, तो किसकी ?

(2) क्या उक्त चिकित्सक इस अस्पताल में नियुक्त होने के बाद लगातार ड्यूटी पर आ रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इतने लम्बे समय तक ड्यूटी पर नहीं आने वाले चिकित्सक के खिलाफ कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक।

उत्तर

(1) जी, हां। डा. राजेन्द्र कुमार अग्रवाल एवं डाक्टर (श्रीमती) सुधा अग्रवाल, को दिनांक 30-4-94 को पदस्थापित किया गया था।

(2) जी, नहीं। डा. सुधा अग्रवाल एवं डा. राजेन्द्र कुमार अग्रवाल दिनांक 2-8-94 से लगातार ड्यूटी से अनुपस्थित हैं, लेकिन राजेन्द्र कुमार अग्रवाल को दिनांक 12-12-1994 से परिवार कल्याण कार्य हेतु भवानी मंडी (झालावाड़) में लगाया गया है। जी हां, उक्त दोनों चिकित्सा

(राज्य मंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)

अधिकारियों के विरुद्ध ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के कारण अनुशासनात्मक कार्यवाही करनी विचाराधीन है।

नागौर जिले के डाक्टर्स/कर्मचारियों के विरुद्ध जांच

1174. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नागौर जिले में कुछ डाक्टर्स व अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतों की जांच व अन्य कार्यवाहियां चल रही हैं ? यदि हां, तो किस-किस के विरुद्ध, क्या-क्या कार्यवाहियां, कब-कब से चल रही हैं ?

(2) इतने लम्बे समय तक जांच नहीं होने के क्या कारण हैं तथा भविष्य में शीघ्र जांच करवाने के सम्बन्ध में सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) नागौर जिले में जिन-जिन अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध जांच की कार्यवाही चल रही हैं। विचाराधीन है, की सूची संलग्न है।

(2) शिकायतों की जांच का कार्य विभिन्न जिला स्तर के अधिकारियों को दिया जाता रहा है तथा उनके द्वारा समय पर जांच प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने से ही विलम्ब हो रहा है। सम्बन्धित अधिकारियों को शीघ्र जांच कार्य पूर्ण करने के लिये निर्देशित किया जा रहा है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

सवाई मानसिंह चिकित्सालय में कैंटीन व्यवस्था

1175. श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर में कोई कैंटीन या भोजनालय की व्यवस्था है ?

(2) क्या पूर्व में कॉ-आपरेटिव द्वारा कोई कैंटीन व्यवस्था चलायी गयी थी ?

(3) क्या यह सही है कि बिना किसी टेन्डर या नीलामी के कैंटीन किसी व्यक्ति को दिये जाने के आदेश किये गये हैं ?

(4) कैंटीन किस को और किन शर्तों पर दी जा रही है ?

(5) क्या इस प्रकार की कैंटीन मात्र जयपुर डेयरी फैडरेशन द्वारा उत्पादित वस्तुएं ही बेचने के लिये है अथवा अन्य सामग्री बेचने के लिए भी हैं ?

(6) क्या इस प्रकार की बूथ या कैंटीन शुरू की जा चुकी है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं। सवाई मानसिंह चिकित्सालय कर्मचारियों की समन्वय समिति को उनके आवेदन पर जयपुर दुग्ध डेयरी का बूथ चलाने व उसके उत्पादों की बिक्री की अनुमति दी गयी।

(राज्य मंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)

(4) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(5) यह बूथ केवल जयपुर डेयरी फेडरेशन द्वारा उत्पादित वस्तुएं बेचने के लिये ही है।

(6) जी हां, बूथ व्यवस्था शुरू की गयी है।

ग्राम घनावद (झालावाड़) के चिकित्सालय में रिक्त पद

1176. श्री भरतसिंह (खानपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम घनावद (झालावाड़) के चिकित्सालय में कुल कितने पद स्वीकृत हैं तथा कितने पद रिक्त चल रहे हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि डाक्टर तथा नर्स का एक-एक पद लम्बे समय से रिक्त है? यदि हां, तो कितने समय से तथा सरकार रिक्त पद कब तक भरने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, घनावद (झालावाड़) में पद स्वीकृत तथा रिक्त है, की सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, घनावद में डाक्टर का एक पद दिनांक 19-12-1993 से रिक्त है, नर्स का कोई पद रिक्त नहीं है। डाक्टर के रिक्त पद को भरने की कार्यवाही की जा रही है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-12 देखें।)

भरतपुर व धौलपुर जिलों की जेलों के विकास की योजना

1177. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या कारागृह राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या भरतपुर व धौलपुर जिलों की जेलों के विकास की योजना सरकार के पास विचाराधीन है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या भरतपुर व धौलपुर जिलों की जेलों में कैदियों की संख्या में वृद्धि हुई है? यदि हां, तो वर्ष 1994 का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या भरतपुर व धौलपुर जिलों की जेलों में विचाराधीन कैदियों को भी उनकी योग्यता अनुसार श्रेणी आबंटित की जाती है?

(4) विचाराधीन कैदी पर कितना व्यय प्रतिदिन किया गया? वर्ष 1994 का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि भरतपुर व धौलपुर जिलों में जेलर के पद अप्रेल, 1994 से मार्च, 1995 तक रिक्त रहे? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। भरतपुर जेल को अति-सुरक्षित बन्दियों की जेल बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने रु. 85 लाख की एक

(राज्य मंत्री कारागृह)

योजना स्वीकृत की है, जिसके पेटे प्रथम चरण में वर्ष 1994-95 में रुपये 25 लाख आबटित किये गये हैं।

(2) जी हां, जिला भरतपुर व धौलपुर की जेलों में कैदियों की संख्या में वृद्धि हुई है जबकि उप कारागृह, डीग व बयाना में कुछ कमी हुई है। विस्तृत विवरण वर्ष, 1994 के सम्बन्ध में परिशिष्ट "ए" सलग्न है।

(3) जी नहीं।

(4) विचाराधीन बन्दी पर प्रतिदिन जो व्यय किया गया है, उसका वर्ष, 1994 का विवरण निम्न भांति प्रस्तुत है :—

विचाराधीन बन्दी पर 1994 का व्यय

क्र. सं.	कारागृह का नाम	प्रतिदिन प्रतिबंदी/व्यय	प्रतिबंदी प्रतिवर्ष व्यय	वर्ष भर का कुल व्यय
1.	जि. का. भरतपुर	8.20	2993	2,96,307
2.	उप का. डीग	7.50	2738	1,56,038
3.	उप का. बयाना	10.40	3796	1,28,064
4.	जि. का. धौलपुर	7.96	2905	2,44 897

(5) जी हां, जिला कारागृह, धौलपुर पर अप्रैल, 1994 से मार्च, 1995 तक कारापाल का एक पद रिक्त रहा व जिला कारागृह, भरतपुर 1-2-1995 से 31-3. 1995 तक कारापाल का पद रिक्त रहा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें।)

आश्वासित योजना के तहत चयनित जिले

1178. **श्री ओमप्रकाश शर्मा** (बूंदी) : क्या विशिष्ट योजना सगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान के कुछ जिलों को आश्वासित रोजगार योजना के लिये चयनित किया गया है? यदि हां, तो कौन-कौन से?

(2) प्रदेश के प्रत्येक चयनित जिले को कितनी-कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

(3) क्या यह सही है कि आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व कर्नाटक प्रदेशों में भी आश्वस्त रोजगार योजना लागू है? यदि हां, तो उपरोक्त प्रत्येक प्रान्त में

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

आबादी के आधार पर कितनी-कितनी धनराशि आबंटित हुई और राजस्थान प्रदेश को कितनी धनराशि आबंटित हुई ?

उत्तर

(1) आश्वासित रोजगार योजना जिले के आधार पर लागू नहीं की जाती बल्कि विकास खण्ड के आधार पर लागू की जाती है। राज्य के 172 विकास खण्डों को सुनिश्चित रोजगार योजना में चयनित किया गया है। जिलेवार विकास खण्डों की सूची परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) प्रदेश में चयनित विकास खण्डों के लिये जिलेवार वर्ष 1993-94 एव 1994-95 के अन्तर्गत जो धनराशि आवंटित की गयी है, उसका विवरण परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

(3) जी हां। यह सही है कि आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व कर्नाटक प्रदेशों में भी आश्वासित रोजगार योजना लागू है, परन्तु इन प्रदेशों में योजनान्तर्गत आबंटित की गयी राशि की राज्य सरकार को जानकारी नहीं है। वैसे इस योजना के अन्तर्गत धनराशि आबादी के आधार पर आबंटित नहीं की जाती।

(सूची एवं विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-14 देखें।)

घाटोल (बांसवाड़ा) में शिक्षाकर्मियों द्वारा निर्माण कार्य

1179. श्री जितेन्द्र नोनामा (घाटोल): क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति, घाटोल जिला बांसवाड़ा में शिक्षा कर्मी स्कूलों में कितने अतिरिक्त कक्ष निर्माणाधीन हैं व किस योजना के तहत ?

(2) क्या यह सही है कि निर्माण कार्य यथा-श्रमिक व मेटेरियल सहित ठेके पद्धति से कराये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या पचायतों के विकास कार्य ठेके पर दिये जा सकते हैं ? यदि हां, तो इसमें जनता की क्या भागीदारी रहेगी ? क्या उक्त कार्य में श्रमिकों का शोषण नहीं हो रहा है तथा उक्त कार्य ठेके पर किसके द्वारा दिये गये ?

(3) क्या यह भी सही है कि यह सारे निर्माण कार्य शिक्षाकर्मी अध्यापकों द्वारा करवाये जा रहे हैं ? यदि हां, तो मस्ट्रोल, केश बुक, रसीद बुक, आदि आज तक अध्यापकों को क्यों नहीं दी गयी तथा इनका प्रमाणीकरण किसके द्वारा कराया जाता है ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति घाटोल जिला बांसवाड़ा में शिक्षाकर्मी प्राथमिक स्कूलों में सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत 77 अतिरिक्त कक्षों का निर्माण वर्ष 1994-95 में स्वीकृत किया गया था। इनमें से 63 कक्षों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है तथा 14 कक्ष निर्माणाधीन है।

(2) जी नहीं। निर्माण कार्य ठेके पद्धति पर नहीं दिये गये, केवल निर्माण सामग्री का क्रय राजकीय नियमानुसार टेण्डर पद्धति द्वारा किया गया। यह कार्य ठेके पर नहीं करवाने के कारण जनता

(राज्य मंत्री विशिष्ट योजना संगठन)

की भागीदारी सुनिश्चित है तथा श्रमिकों का शोषण भी नहीं हो रहा है।

(3) जी नहीं। यह सारे निर्माण कार्य गठित निर्माण समिति द्वारा मस्ट्रोल के आधार पर कराये जा रहे हैं। निर्माण समिति में शिक्षाकर्मी अध्यापक भी सदस्य है। इन कार्यों हेतु मस्ट्रोल निर्माण समिति को दिये गये हैं तथा कार्य पर भुगतान, केस बुक एवं रसीद बुक का संचालन एवं कार्य का प्रमाणीकरण निर्माण समिति द्वारा कराया जाता है।

आश्वासित रोजगार योजना के तहत बून्दी जिले को आबटित धनराशि

1180. श्री ओमप्रकाश शर्मा (बून्दी) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बून्दी जिले को आश्वासित रोजगार योजना हेतु चयनित किया गया है? यदि हां, तो तालेड़ा, केशवरायपाटन, नैनवां व हिण्डोली पंचायत समितियों के विकास के लिये अप्रेल, 1995 से सन् 2000 तक प्रत्येक वर्ष कितनी धनराशि खर्च किया जाना प्रस्तावित है?

(2) क्या यह भी सही है कि आश्वासित रोजगार योजना के तहत चयनित परिवारों के सदस्यों को 100 दिन रोजगार देने की योजना है? यदि हां, तो यह चयनित सूची अन्तिम बार कौन से माह एवं वर्ष में बून्दी जिले में बनायी गयी थी? सम्पूर्ण बून्दी जिले की सूची सदन की सदन मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि बून्दी जिले को जो धनराशि (आश्वासित योजना) में दी गयी है वह अन्य जिलों की तुलना में कम है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) सुनिश्चित (आश्वासित) रोजगार योजना जिले के आधार पर लागू नहीं की जाती है बल्कि विकास खण्ड के आधार पर लागू की जाती है। राज्य के 172 विकास खण्डों को सुनिश्चित रोजगार योजना में चयनित किया गया है। जिसमें बून्दी जिले के 4 विकास खण्ड (पंचायत समिति) तालेड़ा, के. पाटन, नैनवां व हिण्डोली शामिल हैं। अप्रेल, 1995 से सन् 2000 तक इस योजना अन्तर्गत विकास खण्डों को धनराशि की उपलब्धता केन्द्र सरकार द्वारा वार्षिक आबंटन तथा विकास खण्डों द्वारा प्रतिवर्ष किये जाने वाले व्यय पर निर्भर करेगा।

(2) सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत प्रति परिवार अधिक से अधिक 2 व्यक्तियों को रोजगार चाहने पर गैर कृषि मौसम के दौरान 100 दिन का रोजगार देने का प्रावधान है। ऐसे जरूरतमंद लोगों का पंजीकरण ग्राम पंचायत में किया जाता है। बून्दी जिले में योजनान्तर्गत 3,096 रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों का पंजीकरण मार्च, 1995 तक किया गया। पंजीकृत व्यक्तियों की सूची परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न कर प्रस्तुत है।

(3) जी नहीं। बून्दी जिले के चयनित विकास खण्डों हेतु राशि का आबंटन वर्ष 1994-95 में राज्य में चयनित विकास खण्डों के बराबर ही किया गया है। यह

Page No. 71

(71)

(राज्य मंत्री विशिष्ट योजना संगठन)

चारों ब्लाक सुनिश्चित रोजगार योजना अन्तर्गत वर्ष 1994-95 में ही चयनित किये गये थे। राज्य में वर्ष 1994-95 में नये चयनित विकास खण्डों हेतु एक ही आधार पर राशि आवंटित की गयी है जो पूर्व वर्षों में चयनित खण्डों से कम है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

किशनगढ़ में स्वीकृत एनीकट्स

1181. श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों में किन-किन एनीकट्स को बनाने की स्वीकृति जारी की गयी? उनमें से कितने एनीकट्स का कार्य पूर्ण हो चुका है?

(2) क्या यह सही है कि अधिकांश एकीकट्स का कार्य अधूरा है और पिछले दो वर्षों से उन पर कोई कार्य नहीं हो रहा है? यदि हां, तो शिथिलता के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1992-93, 1993-94 एवं 1994-95 में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, अजमेर द्वारा 17 एनीकट्स निर्माण की स्वीकृति जारी की गयी थी। इसमें से 4 एनीकटों का निर्माण पूरा हो गया है। विवरण सहित सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न कर प्रस्तुत है।

(2) कुल स्वीकृत 17 एनीकट्स में से 14 एनीकट निर्माण पूर्व वर्षों में अकाल राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत किये गये थे, जिनमें से 1 एनीकट का कार्य पूर्ण हो गया है' 10 एनीकट अकाल की अवधि की समाप्ति पर अधूरे रहे तथा 3 एनीकट्स (अम्बामाल की रपट खाजूपुरा, मालपुरा रपट, तालाब की मरम्मत चुरली पाटन) सिंचाई के जलग्रहण क्षेत्र में आते हैं एवं जिनसे बांधों की क्षमता में व्यवधान उत्पन्न होने के कारण राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए इन एनीकटों का कार्य नहीं करवाया गया था। शेष 3 एनीकटों में से एक एनीकट (रोहावास) जीवनधारा योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया था, जो पूर्ण हो गया है। दो एनीकट जवाहर रोजगार योजना (द्वितीय धारा) में स्वीकृत किये गये थे, जिनमें से एक एनीकट (कुचील) पूर्ण हो गया है एवं एक एनीकट (गंगासागरपट सलेमाबाद) का कार्य प्रगति पर है।

इन कार्यों में किसी भी अधिकारी के दोषी नहीं होने के कारण किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-15 देखें।)

सांगोद पंचायत समिति के स्वीकृत निर्माण कार्य

1182. श्री भरत सिंह (खानपुर) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री भरत सिंह)

(1) सांगोद पंचायत समिति में गत 2 वर्षों में कुल कितने निर्माण कार्य करवाये गये हैं ? कितने कार्य पूर्ण हो गये हैं तथा कितने अभी अधूरे हैं ? पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या पूर्ण करवाये गये निर्माण कार्यों पर खर्च राशि का प्रमाण-पत्र कनिष्ठ अभियन्ता से प्राप्त कर लिया गया है ? यदि हां, तो अलग-अलग कार्यों पर कुल कितनी-कितनी राशि खर्च हुई ?

उत्तर

(1) सांगोद पंचायत समिति में वर्ष 1993-94 एवं 1994-95 में क्रमशः 76 एवं 129 कुल 205 निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये थे जिसमें से 128 कार्य पूर्ण हो गये तथा 77 कार्य अभी अधूरे हैं। वर्षवार कार्यों का विवरण परिशिष्ट—"अ" (1 व 2) पर संलग्न कर प्रस्तुत है।

(2) वर्ष 1993-94 में पूर्ण कराये गये 56 कार्यों में से 35 कार्य तथा वर्ष 1994-95 में पूर्ण किये गये 74 कार्यों में से 25 कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्र कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा जारी किये गये हैं तथा शेष पूर्ण कार्यों के प्रमाण-पत्र जारी किये जा रहे हैं। प्रत्येक कार्य पर व्यय की गयी राशि का विवरण परिशिष्ट-"ब" पर संलग्न कर प्रस्तुत है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन द्वारा निर्माण कार्य

1183. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडा-भीम) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन के अन्तर्गत वर्ष 1994-95 में किस-किस माध्यम से क्या-क्या निर्माण कार्य, कौन-कौनसी पंचायतों में करवाये गये व उन पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गयी ?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत सवराड़ व सेहवाज में पक्के निर्माण कार्य ठेकेदार द्वारा करवाये गये ? यदि हां, तो किससे व क्या ठेकेदार ठेके की शर्तों को पूरा करता था ?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त निर्माण कार्य में काफी अनिमिततताएं हुई ? ठेकेदार द्वारा बिना नींव खुदवाये ही निर्माण कार्य कर दिया गया एवं कई जगह तो निर्माण कार्य किये बिना ही भुगतान उठा लिया ? यदि हां, तो क्या सरकार उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 1994 - 95 में पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन की ग्राम पंचायतों में विभिन्न योजनान्तर्गत कराये गये निर्माण कार्य एवं उन पर व्यय की सूचना परिशिष्ट-1 पर संलग्न कर प्रस्तुत है।

(2) परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पाली ने सूचित

(राज्य मंत्री, विशिष्ट योजना संगठन)

किया है कि पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन की ग्राम पंचायत सवराड़ व सेहुवाज में पक्के निर्माण कार्य किसी भी ठेकेदार द्वारा नहीं करवाये गये हैं। अतः ठेके की शर्तों को पूरा करने का प्रश्न ही नहीं है।

(3) परियोजना निदेशक, पाली ने सूचित किया है कि उपरोक्त निर्माण कार्यों में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं हुई है। जब किसी ठेकेदार से कार्य करवाया ही नहीं गया तो बिना नींव खुदाये अथवा बिना निर्माण कार्य किये कोई भुगतान उठाने का प्रश्न ही नहीं। अतः इस मामले में किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं है।

(सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

भीलवाड़ा डेयरी द्वारा दुग्ध उत्पादक समितियों को प्रदाय खाखला

1184. **श्री कालूलाल गूजर (माण्डल)** : क्या दुग्ध विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भीलवाड़ा डेयरी द्वारा भीलवाड़ा जिले में वर्ष 1994-95 के दौरान किन-किन दुग्ध उत्पादक समितियों को कितने-कितने ट्रक खाखले के प्रदाय किये गये ?

(2) क्या उक्त सभी सोसाइटीज को सरकार द्वारा दी जाने वाली छूट मिल गयी है ? यदि हां, तो किन-किन को कितनी-कितनी मिली ? यदि नहीं, तो किन-किन सोसाइटीज को कितनी-कितनी अनुदान राशि नहीं मिली ? छूट की रकम नहीं मिलने के क्या कारण रहे ?

(3) क्या खाखले की छूट समय पर नहीं मिलने के लिये डेयरी के कोई अधिकारी और कर्मचारी दोषी हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन दोषी हैं और उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी ?

उत्तर

(1) वर्ष 1994-95 के दौरान जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि., भीलवाड़ा द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को प्रदान करवाये गये खाखले के ट्रकों का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) जी, नहीं। छूट की रकम जिन दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को नहीं मिली उनका कारणों सहित ब्यौरा परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(3) जी, नहीं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

कुक्कुट व्यवसाय को प्रोत्साहन

1185. **श्री भरत सिंह (खानपुर)** : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में कुक्कुट व्यवसाय को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार की क्या योजना है ? वर्तमान में प्रदेश के कितने जिलों में कुक्कुट (ग्राफिस) इकाइयां कार्यरत हैं ? तथा इनमें कितने अधिकारी व कर्मचारी

(श्री भरत सिंह)

कार्यरत हैं ? जिलेवार सूची सदन की मेज रखें ।

(2) क्या ग्रामीण क्षेत्र में कुक्कुट व्यवसाय को प्रोत्साहन देने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ?

(3) कोटा सम्भाग के जिला कोटा बारां, झालावाड़ा एवं बूंदी के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल कितने कुक्कुट फार्म हैं तथा इनमें कुल कितने कुक्कुट हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या मक्का जो कुक्कुट व्यवसाय की प्रमुख आवश्यकता है, उसके बढ़ते मूल्य को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्र में इस व्यवसाय से जुड़े लोगों को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार मक्का रियायती दर पर कुक्कुट पालकों को दिलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस प्रकार तथा कब से ?

उत्तर

(1) राज्य में कुक्कुट पालन के विकास हेतु पशुपालन के अधीन 17 सघन कुक्कुट विकास खण्ड, 4 कुक्कुट विस्तार केन्द्र, 5 राजकीय कुक्कुट शालाएं एवं इसके अतिरिक्त जांच हेतु कुक्कुट रोग निदान एवं आहार विश्लेषण की 4 प्रयोगशालाएं स्थापित हैं। इनमें अधिकारी व कर्मचारी के स्वीकृत पदों की सूची संलग्न है ।

(2) जी, हां । सघन कुक्कुट विकास खण्ड तथा कुक्कुट प्रशिक्षण केन्द्रों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में कुक्कुट पालकों को प्रोत्साहन देने हेतु उन्हें प्रशिक्षण, टीकाकरण, चोंच काटना, पक्षियों के रोग उपचार हेतु मार्ग दर्शन एवं नये इच्छुक कुक्कुट पालकों को बैंक से ऋण सुविधा उपलब्ध कराने में परियोजना आदि बनाकर सहायता करती है ।

(3) कोटा सम्भाग के जिला कोटा, बारां, झालावाड़, बून्दी के ग्रामीण क्षेत्र में 107 कुक्कुट शालाएं जिनमें 85147 पक्षी है, जिनकी सूची "ख" संलग्न है ।

(4) जी नहीं ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गयी ।)

विधानसभा क्षेत्र रेवदर में पशु चिकित्सकों के रिक्त पद

1186. **श्री जयन्तिलाल कोली,** (रेवदर): क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र रेवदर के अधीन पशुपालन विभाग में पशु चिकित्सकों के कितने पद रिक्त हैं ?

(2) इन पदों को सरकार कब तक भरने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र रेवदर के पशु पालन विभाग में पशु चिकित्सालय अनादरा में डाक्टर का पद रिक्त नहीं है ।

(राज्य मंत्री, पशुपालन)

(2) अनादरा में चिकित्सक के पद स्थापन के आदेश दिनांक 4-5-1995 को कर दिये गये हैं।

उदयपुर जिले में पी. टी. एस. की कमी पूर्ति हेतु हैड कान्स्टेबल की चयन सूची

1187. श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1993-94 में उदयपुर जिले में पी. टी. एस. की कमी पूर्ति हेतु हैड कान्स्टेबल की चयन सूची बनायी गयी थी ? यदि हां, तो क्या पदोन्निति दी गई थी ? यदि हां तो कितनों को व किन शर्तों पर ? सूची सदन की मेज रखें।

(2) क्या जितने हैड कान्स्टेबल पदोन्नत किये गये थे, वे सभी पी. टी. एस. में लगा दिये गये ? यदि नहीं तो क्यों ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) चयन सूची किस-किस अधिकारी द्वारा तैयार की गयी ?

(4) क्या नियुक्ति या सूची निरस्त करने वाले अधिकारी अलग-अलग थे ?

उत्तर

(1) जी हां। पी.टी.एस. खैरवाड़ा एवं जिला पुलिस उदयपुर के हैड कानिस्टेबलों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु एक चयन सूची उदयपुर जिला स्तर पर बनायी गयी थी। आदेश दिनांक 1-6-1994 के द्वारा 13 कानिस्टेबलों को एवं आदेश दिनांक 19-7-1994 के द्वारा 5 कानिस्टेबलों को हैड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति दी गयी थी। ये पदोन्नतियां रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु पूर्णतया अस्थायी रूप से तब तक के लिये थी जब तक कि ये हैड कानिस्टेबल पद की पदोन्नति संवर्ग पाठ्यक्रम (पी. सी. सी.) सफलतापूर्वक उत्तीर्ण नहीं कर लें। सूची परिशिष्ट क-1 एवं क-2 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। आदेश दिनांक 1-6-1994 के द्वारा पदोन्नत किये गये 13 हैड कानि. में से 5 हैड कानि. का पद-स्थापन पी. टी. एस. खैरवाड़ा में किया गया था। तत्पश्चात् 5 हैड कानिस्टेबल में 3 का एवं आदेश दिनांक 30-6-1994 के द्वारा एक हैड का नि.का. पदस्थापन उक्त आदेश दि.1-6-1994 के संशोधन में अन्यत्र कर दिया गया था। चूंकि चयन सूची जिला पुलिस, उदयपुर एवं पी. टी. एस. खैरवाड़ा के हैड कांस्टेबल के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु संयुक्त रूप से तैयार की गयी थी, अतः सभी पदोन्नत हैड कानिस्टेबल को पी. टी. एस. में नहीं लगाया गया एवं ना ही पी. टी. एस. में इतने रिक्त पद थे। सूची परिशिष्ट क-1, ख-1 एवं ख-2 पर संलग्न है।

(3) चयन सूची उप महानिरीक्षक पुलिस, उदयपुर रेंज, जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर एवं अपर पुलिस अधीक्षक, जोधपुर के गठित बोर्ड द्वारा तैयार की गयी थी।

(4) जी, नहीं। उपरोक्त आदेशों के द्वारा पदोन्नत किये 18 हैड कानि. की

(गृह मंत्री)

नियुक्ति अथवा चयन सूची निरस्त नहीं की गयी केवल 4 पदोन्नत हैड कानि. के पदस्थापन के पद जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा संशोधित किये गये, जिसके लिए वे सक्षम हैं। पदोन्नति आदेश जारी करने वाले अधिकारी एव तत्पश्चात आदेश दिनांक 15-6-1994 एवं 30-6-1994 द्वारा पद में संशोधन करने वाला अधिकारी एक ही है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकाल में रखी गयी।)

मत्स्य कार्यालय, उदयपुर के दैनिक वेतन भोगी कर्मी

1188. **श्री हीरालाल (बामनवास)** : क्या मत्स्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मुख्य अधिशाषी अधिकारी, मत्स्य विभाग, उदयपुर कार्यालय ने 1-10-1986 से 30-9-1987 तक दैनिक वेतन पर नियुक्त कर्मचारियों को 240 दिन की अवधि पूर्ण करने के पश्चात् भी बिना नोटिस के सेवा से कार्यमुक्त कर दिया गया था ? यदि हां, तो किन-किन को ? नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सेवामुक्त कर्मचारियों ने न्याय की दृष्टि से औद्योगिक विवाद अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, उदयपुर की शरण ली ? यदि हां, तो किन-किन ने ?

(3) क्या उक्त माननीय न्यायालय ने सेवामुक्त कर्मचारियों के पक्ष में दिनांक 29-12-1993 को अपना फैसला भी दिया है ? यदि हां, तो फैसले की प्रति मय की गयी कार्यवाही विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि माननीय न्यायालय के फैसले के पश्चात् भी अभी तक ऐसे कर्मचारियों को कार्यग्रहण नहीं कराया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार विलम्ब करने में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या सरकार माननीय न्यायालय के फैसले के अनुरूप अब कार्यमुक्त कर्मचारियों को कार्य ग्रहण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां, मुख्य अधिशाषी अधिकारी, मत्स्य पालक विकास अभिकरण, उदयपुर ने 1-10-1986 से 30-9-1987 तक की अवधि में दैनिक वेतन पर निम्न नियुक्त कर्मचारियों को 240 दिन की अवधि पूर्ण करने के पश्चात् नियुक्ति आदेश में लिखित शर्तों के आधार पर कार्यमुक्त कर दिया था (1) श्री दिलीप कुमार सनाढ्य (2) श्री मान सिंह।

(2) जी, हां। दैनिक वेतन पर नियुक्त सेवामुक्त कर्मचारियों में से सिर्फ

(राज्य मंत्री, मत्स्य)

श्री दिलीप कुमार सनाढ्य का प्रसंग औद्योगिक विधिकरण एवं श्रम न्यायालय, उदयपुर को श्रम विभाग द्वारा प्रेषित किया गया।

(3) जी, हां। माननीय न्यायालय के दिनांक 29-12-1993 के फैसले की प्रति संलग्न परिशिष्ट - 1 व कार्यवाही विवरण परिशिष्ट-2 में अंकित है।

(4) जी, हां। क्योंकि उक्त प्रकरण में न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध राजकीय अधिवक्ता की राय अनुसार अपील करने का प्रकरण विचाराधीन है।

(5) जी, नहीं। क्योंकि अपील करने का प्रकरण विचाराधीन है।
(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-16 देखें)

(12.00)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्न स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है, (व्यवधान) बिराजिये आप। दे दिया उन्होंने, वे कार्यवाही करेंगे और आप बता देंगे तो और कर लेंगे। इससे ज्यादा और क्या जवाब चाहिए आपको ?

(1) डा. जितेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से सवाई मानसिंह अस्पताल परिसर, जयपुर में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ निर्माण कार्य करवाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है, अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्य को दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

(1) श्री आर.पी. शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से भरतपुर शहर के बीचों-बीच स्थित सुजान गंगानहर से फैलने वाले प्रदूषण से शहर की जनता के जीवन यापन को खतरा उत्पन्न होने के सम्बन्ध में।

(2) श्री परसादीलाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से दौसा जिले की पंचायत समिति लालसोट के ग्राम मण्डावरी स्थित शीतला माता मंदिर के चारों ओर पत्थर डालकर गंदे पानी के नाले को बंद कर देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्यों को दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

मुझे माननीय सदस्यों को अग्रेतर यह भी सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हो गयी है :-

(1) श्री रामनारायण मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से महिला एवं बाल विकास विभाग की बाल विकास परियोजना राशमी के परियोजना अधिकारी कार्यालय

(श्री अध्यक्ष)

में कार्यरत एक लिपिक द्वारा आगंनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ कथित यौन शोषण एवं अश्लील हरकतों की घटना से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री रामनारायण मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से अलवर जिले की तहसील थानागाजी के गांव सूरतगढ़ स्थित श्री ठाकुरजी के मन्दिर की नीलम की प्रतिमा अन्तरराष्ट्रीय चोर गिरोह द्वारा चोरी कर लिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त दोनों स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। अन्य माध्यम से भी इन मामलों पर सदन में चर्चा हो चुकी है।

माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हो गयी है :...

(1) श्री हरजीराम बुरड़क, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर शहर में कुकिंग गैस एजेंन्सियों द्वारा की जा रही मनमानी से जनता को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

राज्य सरकार की सूचना के अनुसार विशेष अभियान के दौरान मैसर्स सुषमा गैस सर्विस, राजीव गैस एजेन्सी, खण्डेलवाल गैस एजेंन्सी, मणी एन्टरप्राइजेज, शान्ति गैस सर्विस, राजेन्द्र गैस सर्विस, मोहन गैस एजेंन्सी, तेज इन्टरप्राइजेज एवं सन्नी गैस एजेंन्सी, जयपुर के विरूद्ध आठ प्रकरण दर्ज हुए हैं। एक प्रकरण में एफ.आई.आर. भी दर्ज करायी गयी है। उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है, अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(2) श्री रामनारायण मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग में पम्प्स पाइप्स की खरीद में कथित पक्षपात करने से राज्य सरकार को हुई हानि तथा एम.एम. पाइप व जी.आई. पाइप की खरीद में करोड़ों का कथित घोटाला होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

राज्य सरकार ने जानकारी दी है कि अनुमोदित न्यूनतम दरें मैसर्स राजिन्द्रा स्टील लि. कानपुर, मैसर्स अजन्ता ट्यूब लि. नयी दिल्ली, मैसर्स एडवांस स्टील ट्यूब नयी दिल्ली, मैसर्स सिद्धार्थ ट्यूब लि., इन्दौर, मैसर्स गुडलक स्टील ट्यूब लि., गाजियाबाद को भी ऑफर की गयी है और उन्हें सहमति देने हेतु 10 दिन का समय दिया गया है। इस सामान की विभाग में हैण्ड पम्प बनाने के लिए अत्यधिक व तुरन्त आवश्यकता है। जो आदेश दिये गये हैं वे न्यूनतम दर पर और पेयजल की आवश्यकता को पूर्ण करने हेतु नियमानुसार दिये गये हैं। चूंकि इस सामान की खरीद न्यूनतम दर पर की जा रही है, अतः राज्य सरकार को किसी भी प्रकार की हानि होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है, अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(श्री अध्यक्ष)

(3) श्री परसादी लाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से अलवर जिले के थाना तिजारा में दर्ज मुकदमा नम्बर 10/95 के अपराधी को गिरफ्तार नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

राज्य सरकार ने जानकारी दी है कि महानिदेशक, पुलिस, राजस्थान, जयपुर के आदेशानुसार प्रकरण अग्रिम अनुसंधान हेतु सी. आई. डी. (सी.बी.) को स्थानान्तरित करने पर अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा अनुसधान किया जा रहा है। अभियोग में विसरा आदि की परीक्षण रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं होने के कारण निर्णय नहीं किया जा सका है। परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर तदनुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है, अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

(1) श्री राजेन्द्र पारीक, सदस्य, विधान सभा की ओर से सुलभ इन्टरनेशनल संस्था द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर उपलब्ध करायी जा रही सेनिटेशन सुविधा में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में।

(2) श्री पराक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से अजमेर जिले में पटेल-स्टेडियम में स्थित छात्राओं के छात्रावास के पास आफिसर्स क्लब के होने से छात्राओं को हो रही असुविधा के सम्बन्ध में।

(3) श्री श्रवण कुमार, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला झुन्झुनू के ग्राम सूरजगढ़ में हरिजन जाति के दो व्यक्तियों की भूमि खसरा नं. 8687 पर कतिपय व्यक्तियों द्वारा नाजायज कब्जा कर लिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री मोती लाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से दिनांक 6-4-1995 को सायंकाल 8 बजे बदनसिंह जाटव के बच्चों को जलते टायर से जला दिये जाने की दर्ज एफ आई. आर. नं. 70/95 पर पुलिस द्वारा सही मायने में तफ्तीश नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री रामेश्वर भारद्वाज, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर शहर के खजाने वालों के रास्ते में बसी गिरधारीपुरा कच्ची बस्ती को नियमित किये जाने तथा वहां के कब्जेधारी नागरिकों को पट्टे जारी करने के सम्बन्ध में।

(6) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास सदस्य, विधान सभा की ओर से जोधपुर शहर में गर्मी के मौसम में पेयजल की समुचित व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

(7) श्री एमादुद्दीन अहमद खां, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज गोचर भूमि पर अतिक्रमण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्री हरजीराम बुरड़क, सदस्य, विधान सभा की ओर से बीसलपुर बांध परियोजना क्षेत्र की डूब में आयी भूमि का मुआवजा देने में कथित घोटाला होने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(9) श्री लक्ष्मण सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से जनता को सस्ता एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराने की दृष्टि से उदयपुर में हाईकोर्ट की बैंच स्थापित करने के सम्बन्ध में।

(10) श्री गोपीराम, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर जिले के थाना रेनवाल के प्रतापपुरा निवासी सुरजाराम के कथित अपहरण के मामले की जांच करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(11) श्री हरिसिंह (कुम्हेर), सदस्य, विधान सभा की ओर से आयुर्वेद चिकित्सकों के पद रिक्त होने तथा आयुर्वेद विभाग की कतिपय समस्याओं के सम्बन्ध में।

(12) श्री रामस्वरूप मीणा, सदस्य, विधानसभा की ओर से मेहंदीपुर बालाजी की पेयजल योजना को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, खण्ड हिण्डौन के अधीन करने के सम्बन्ध में।

(13) श्री रामनारायण चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से मण्डावा विधान सभा क्षेत्र में चोरी की वारदातें बढ़ने से जनता में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में।

(14) श्री नरेन्द्र बुडानिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला चूरू के विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर में पेयजल की गम्भीर समस्या के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्नांकित माननीय सदस्यों के प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव लम्बित हैं, ये सब पढ़े हुए माने जाकर राज्य सरकार को भिजवाये जाकर सीधे ही माननीय सदस्यों को उत्तर भिजवाने के लिए निर्देश दिया जा रहा है :—

(1) श्री रामगोपाल बैरवा (व्यवधान)

श्री राधेश्याम : मैं तीन दिन से दे रहा हूं। मेरा आप पढ़ ही नहीं रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये बिराजिये। आपके पढ़े हुए मान लिये जायेंगे। रोज पढ़ रहे हैं। आप बिराजिये।

(2) श्री गोपीराम

(3) श्री हरिसिंह (कुम्हेर) तीन प्रस्ताव

(4) श्री रामस्वरूप मीणा

(5) श्री उदयलाल आंजना

(6) श्रीमती इन्दिरा मायाराम

(7) श्री सुरेन्द्र गोयल

(8) श्री नाथूराम अहारी

(9) श्री शंकर लाल अहारी

(10) श्री बनवारी लाल बैरवा

(11) श्री दयाराम परमार

(12) श्री रामनारायण चौधरी

(13) श्री लक्ष्मण सिंह

(14) श्री रतनलाल ताम्बी

(श्री अध्यक्ष)

(15) श्री हीरालाल मीणा

(16) श्री गोपीचन्द

(17) श्री महावीर मगोरा

(18) श्री बाबूलाल बछेर

(19) श्री महेन्द्र कुमार मीणा

(20) श्रीमती मीना अग्रवाल

(21) श्री शांति कुमार धारीवाल

(22) श्री रामनारायण मीणा

(23) श्री राधेश्याम

(24) श्री विष्णु मोदी

(25) श्री अर्जुनलाल जीनगर

(26) श्री राकेश मेघवाल

(27) श्री जयन्ति लाल कोली

(28) श्री मोतीलाल

(29) श्री कन्हैयालाल पाटीदार

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि दिनांक 27 अप्रेल, 1995 तथा 3 मई, 1995 को जिन माननीय सदस्यों द्वारा सदन में विशेष उल्लेख के मामले नहीं उठाये गये हैं, उन्हें पढ़ा हुआ मान लिया गया है और राज्य सरकार को माननीय सदस्यों को सीधे उत्तर देने हेतु कहा जा रहा है।

(प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट 20 देखें)

श्री लक्ष्मण सिंह (मीम) : पॉइंट ऑफ आर्डर।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (ओसिया) पाइंट आफ आर्डर।

श्री शान्ति कुमार धारीवाल(हिन्डोली) : जीरो आवर में....

श्री अध्यक्ष : दो पाइंट आफ आर्डर एक साथ ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : नो पाइंट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजें तो चलें (व्यवधान) आप बिराजिये।

व्यवस्था का प्रश्न

माननीय अध्यक्ष के चेम्बर में हुए वार्तालाप का समाचार पत्र में प्रकाशन

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (ओसिया) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ा गम्भीर विषय है कि कल जो भी व्यवस्था हुई, हमने शान्तिपूर्वक सुनी। अनेक बार आपने चेयर से कहा मेरे से आकर चैम्बर में मिल लेना। हम यह उम्मीद करते हैं, मैं सोचता हूं, पूरा सदन उम्मीद करता है कि आपसे जो भी डिस्कशन हो या आपके चैम्बर में जो भी बातचीत हो, वह प्राइवेट हो। ठीक है। अध्यक्ष महोदय, पहले तो यह बहुत ही अच्छी परम्परा थी, जो गलती से हमने खुदने तोड़ी कि जब अध्यक्ष का चुनाव हो जाता था तो वे अपनी पार्टी से इस्तीफा दे देते थे और वह व्यवस्था होनी चाहिये। मैं तो यहां तक कहूं कि सदन में वरिष्ठ सदस्य ऐसे हों, उनको परमानेंटली, अगर केपेबल हों, जैसे आप हैं, परमानेंटली आप स्पीकर के पद पर बिराजें तो हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन, अध्यक्ष महोदय,

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

यह नहीं हो सकता और यह मैं बड़ी गम्भीरता से अर्ज कर रहा हूं, क्योंकि आपने मेरे एक व्यवस्था के प्रश्न पर तो रूलिंग दे दी परसों। उसमें कोई भी रिजर्वेशन हो, उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। मेरे दूसरे प्रिविलेज मोशन पर आपने फरमाया कि आज एक ही लूंगा जबकि ऐसी व्यवस्था 'इस हाउस में हुई' है, उस पर तो मैं बाद में आऊंगा, दो सैकण्ड बाद में, लेकिन अध्यक्ष महोदय यह नहीं हो सकता, आप हमें भले ही ताड़ना दे दें यहां पर, आप भले ही ताड़ना दे दें आपके चैम्बर में, आपसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे लेकिन अनेकों बार यहां पर यह भी हुआ कि जब हाउस नहीं चल रहा हो तो आपने मेम्बर्स को ओथ आपके चेम्बर में दिलायी है लेकिन कल शाम को इस मिजाज से घर पर गया था कि अच्छा वातावरण हो गया। मुख्य मंत्रीजी ने अनेकों, अब मैं उनकी बात कितनी मानूं, कितनी नहीं मानूं। लेकिन मैं उनको आज नहीं घसीटूंगा।

अध्यक्ष महोदय, उन्होंने यह फरमा दिया कि नियमों से हम चलाना चाहते हैं। मैं भी कहता हूं कि सदन नियमों से चलना चाहिए। वह नियम लागू होने चाहिए मुख्य मंत्रीजी पर, भाटी पर, मुख्य सचेतकजी पर और दूसरों पर। अब अध्यक्ष महोदय, मैं आपके चैम्बर की छपी हुई पंक्तियां मैं आपको और इस हाउस को पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। क्योंकि इसकी व्यवस्था, अध्यक्ष महोदय, देखिये यह हाउस डिफाइन किया गया है, मेरी ओपिनियन में हाउस या सदन, आपका यह सदन भी है और आपका चैम्बर भी। अगर मुझे कोई, मेरे प्रतिपक्ष के नेता को कोई प्रेस कांफ्रेंस लेनी हो या सदन के नेता को लेनी हो, अपने-अपने चैम्बर्स में ले लें। अगर सदस्यों को भाटी को ताड़ना देनी हो या गाली देनी हो तो सड़कों पर देवें, अपने चैम्बर में देवें, मेरे को कोई एतराज नहीं, उसका जवाब मैं मेरे हिसाब से दूंगा। उसका बदला उनको लेना हो या मुझे लेना हो, हम सड़क पर लेंगे, नहीं भी लेंगे, लेकिन अध्यक्ष महोदय, यह नहीं हो सकता कि आपके चैम्बर की सेंक्टिटी को यूज किया जाय। यह पंक्तियां आप मेहरबानी करके सुन लें और उसके बाद में आप व्यवस्था दें कि फ्यूचर में अगर यह हो गया तो इसका मतलब तो यह हुआ कि हम आपके पास आयें ही नहीं। फ्यूचर में यह होगा, अध्यक्ष महोदय, मुझे आपसे कोई बात करनी होगी तो मैं आपके डायस पर आकर करूंगा। यह पंक्तियां मैं सुनाना चाहता हूं। आपकी....

श्री अध्यक्ष : हां, अनुमति है। आप सुनायें, क्या है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : स्थगन के बाद में, परसों के स्थगन के बाद में, विधान सभा परिसर दो घण्टे तक जीवित रहा। प्रतिपक्ष के नेता के कक्ष में जहां स्वादिष्ट भोजन विधायकों द्वारा उदरस्थ होने लगा वहीं अध्यक्ष के कक्ष में....(व्यवधान)... आप देखिये भामड़ा साहब....

श्री अध्यक्ष : हां, फरमायें आप।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : इसको गम्भीरता से लीजिये।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : थोड़ा गम्भीरता से लीजिये मामड़ा साहब, आपसे मुझे उम्मीद है।

श्री हरिशंकर मामड़ा (उप मुख्य मंत्री) : मैं कह रहा हूं, पूरा पढ़िये.... (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : विधायकों द्वारा, वहीं अध्यक्ष के कक्ष में पहुंचने वाले पत्रकारों को सदैव की भांति लड्डू खाने को मिले।

श्री शांति कुमार धारीवाल : उनके लिए तो ठीक हुआ साहब।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : हां, साहब, अच्छा है। बातचीत के दौरान कैलाश मेघवाल, नरपत सिंह राजवी, कालीचरण सराफ, महावीर प्रसाद जैन आदि भी टिप्पणियां करते रहे। अध्यक्ष का सीधा-सादा उत्तर था कि प्रतिपक्ष द्वारा बहिर्गमन के बाद विधायी कार्य तो सम्पन्न करना ही था। नरेन्द्र सिंह भाटी ने अपने प्रस्ताव पर व्यवस्था मांगी थी, वह दे दी गयी। अब उसमें परिवर्तन किया जाना तो सम्भव नहीं हो सकता। एक बार व्यवस्था देने के बाद उसे बदलने का प्रावधान ही नहीं है। फिर सदन का मूल्यवान समय बचाने के लिए मैंने विधायी कार्य हाथ में ले लिया। कोई वक्ता न होने के कारण वह बिना बहस पारित होते चले गये, कार्य समाप्ति के बाद सदन का स्थगन तो होना ही था। अब अध्यक्ष महोदय, यहां तक तो मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है।

श्री शांति कुमार धारीवाल : क्यों ? ऑब्जेक्शन है साहब।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : सुनिये, सुनिये। वह पेपर के लिए तो ऑब्जेक्शन है। उन्होंने प्रतिपक्ष की, उन्होंने से मतलब आपने अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष की सराहना करते हुए कहा कि चार-पांच विधायक गड़बड़ी फैलाते हैं। इसके बाद में तो नरेन्द्र सिंह भाटी के पोथे-पुराण बांचे जाने लगे। नरपत सिंह राजवी ने याद दिलाया, आपके कक्ष में....

श्री शांति कुमार धारीवाल : हैं ?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : हां। नरपत, सुनिये न।

श्री शांति कुमार धारीवाल : आपके कक्ष में महावीर जैन का....

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये।

श्री शांति कुमार धारीवाल : पहुंचना, कैलाशजी का पहुंचना और नरपतसिंह राजवी का कैसे पहुंचना हुआ ? अगर पत्रकार सम्मेलन आप ले रहे थे.... (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मैं तो, नहीं-नहीं...

श्री अध्यक्ष : जैसे आपका पहुंचना होता है। माननीय, इतना गरमा-गरम नहीं हों। आप जैसे आते हैं वैसे ही वह आये। आप विराजिये।

श्री शांति कुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, यह कैसे उपस्थित हुए ? इनका

(84)

(श्री शांति कुमार धारीवाल)

आपके पत्रकार सम्मेलन में उपस्थित होने का कारण क्या था ? वह कोई भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर नहीं है वह आपका चैम्बर है।

श्री अध्यक्ष : कोई पत्रकार सम्मेलन नहीं है, आप बिराजिये।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : नहीं, अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : जैसे आप आते हैं, वैसे ही आये हैं आप।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह भी एतराज नहीं है जो शांतिजी कह रहे हैं, अगर यह पहुंच गये तो बहुत अच्छा है, पहुंच गये। लेकिन नरेन्द्र सिंह भाटी के पोथे-पुराण जब बांचने लगे, उसका मुझे ऑब्जेक्शन है।

श्री अध्यक्ष : कोई नहीं, पोथे बांचने की बात ही नहीं हुई।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, अगर यह अखबार में छपा है, मेहरबानी करके इसको गम्भीरता से लीजिये। या बाद में आप मुझे यहां की सदस्यता से बरखास्त कर दीजिये। मैं सीरियस हूं इस बारे में। I am very-very serious because... अगर आपके चैम्बर से मेरे को इन्सल्ट किया जायेगा तो अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे जो मन आयेगा, मुख्य मंत्री के खिलाफ बोलूंगा और आप उसको अंकित नहीं होने देने का आदेश नहीं दिलावें। मेहरबानी करके सुन लीजिये। इसके बाद में तो नरेन्द्र सिंह भाटी के पोथे-पुराण बांचे जाने लगे। नरपत सिंह राजवी ने याद दिलाया कि शिवचरण माथुर के मुख्य मंत्री काल में तो भाटी को आर. ए. सी. की सहायता से आधी रात को राजस्थान हाउस से बाहर निकाला गया था। यह सत्य है, निकाला गया, जोधपुर हाउस से। इसमें राजस्थान हाउस लिख दिया सर। उनके साथी शिवराम शर्मा और प्रकाश चतुर्वेदी के साथ भी इसी प्रकार का व्यवहार हुआ। यह भी सत्य है। सत्य है अध्यक्ष महोदय। मैंने उनके खिलाफ एफ आई. आर. भी दर्ज करवायी, वह भी सत्य है। इस पर सरकारी मुख्य सचेतक, अब नरपत सिंहजी ने क्या फरमाया उसका तो मुझे आब्जेक्शन है, मेघवाल साहब वहां विटनेस थे, उसका भी मुझे अब्जेक्शन है क्योंकि मंत्री हैं, इन्होंने शपथ ली है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, आपके चैम्बर को सरकारी मुख्य सचेतक, जो कि ओथ लेते हैं, इस पर सरकारी मुख्य सचेतक महावीर प्रसाद जैन ने जोर दिया कि इन्हें चड्डी-बनियान में धक्के देकर बाहर निकाला गया, जो कि गलत है। ऐसे व्यक्ति को, अध्यक्ष महोदय, अब आप गम्भीरता से, और भी गम्भीरता से लीजिये। ऐसे व्यक्ति को, मतलब नरेन्द्र सिंह भाटी को, सदस्य को, तो सदन से भी निकाल देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। आप बिराजिये।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : इस दौरान....

श्री शांति कुमार धारीवाल : नहीं अब क्या करें ?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : इस दौरान अध्यक्ष एक शब्द भी नहीं बोले। अध्यक्ष महोदय, आपने उनको टोका भी नहीं।

श्री अध्यक्ष : न तो मैंने इनको....

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : नहीं-नहीं।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। आप बिराजिये। अब आप सुनें, आप बिराजिये।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : नहीं-नहीं सर, आप जो फरमायेंगे, मैं सुन लूंगा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इस हाउस की और इस चैम्बर की भी कोई गरिमा है। आप शकधर में... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप तो थोड़ा चुप रहो।

श्री प्रतापसिंह सिंघवी : अध्यक्ष महोदय, उस वक्त मैं भी वहां मौजूद था, इस तरह की कोई बात नहीं हुई। माननीय भाटी साहब ने खुद ने अखबार में छपवाया है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, शकधर में, और थोड़ा, देखिये अध्यक्ष महोदय, यह मेरा पन्द्रहवां साल है ...

श्री अध्यक्ष : यह पाइंट आफ आर्डर उठाया है आपने ?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : पाइंट आफ आर्डर उठाया है....

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजिये। हो गया आपका पाइंट आफ आर्डर।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : देखिये अध्यक्ष महोदय, मेरा ख्याल है, 52 से लेकर आज तक....

श्री अनंग कुमार जैन (राज्य मंत्री, वित्त) : अध्यक्ष महोदय, यह विषय कौन सा विचाराधीन है जिसके ऊपर पाइंट आफ आर्डर उठाया है ?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : ऐसी घटना यह पहली हुई है। आपके चैम्बर में आकर भले ही किसी ने कुछ कह दिया हो। मामड़ा साहब से मैंने भी चैम्बर में जाकर, मैं जब हाजिर हुआ था तो उस समय मुख्य मंत्रीजी ने क्या बिहेवियर उनके चैम्बर में मेरे साथ किया और मैंने उनके साथ क्या किया, वह कहीं अंकित नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, वह इनको पता है, मुझे पता है और वहां सदस्य हैं उनको पता है। मुख्य मंत्रीजी ने यहां खड़े होकर 16 मार्च को मुझे कहा कि तू बाहर चल, मैं तुझे देख लेता हूं, मैंने उनको कहा कि हां, चलिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (नगरीय विकास मंत्री) : यह कभी नहीं कहा।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये अब। अब इधर-उधर की बातें मत करिये। अब आपका, You raise your point of order.

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, देखिये, मैं बिराजूं कैसे....

श्री अध्यक्ष : मैं, माननीय सदस्य, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, क्या पाइंट आफ आर्डर है आपका।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आखिर उसके लिए पाइंट आफ आर्डर के लिए क्या मतलब है....

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप अपना पाइंट आफ आर्डर उठाइये न।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : पाइंट आफ आर्डर यह है अध्यक्ष महोदय, कि आपके चैम्बर की सेंक्टिटी और आपकी प्रजेंस में आनरेबल मेम्बर्स कह दें और एक सदस्य की तरह से इन्सल्ट करे और वह चीजें छप जायं और वह भी "जलते दीप" में छपे जो कि मेरे जोधपुर से पब्लिश होता है। इसका मतलब है, मैं कहां जाऊं।

श्री अध्यक्ष : ठीक। बिराजिये आप। अब आप सुन लीजिये।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : इसलिए मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं, मैं कोट करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। आप भी बंधे हुए हैं कुछ नियमों से, यह सदस्य बंधे हुए हैं, यह सभापति भी हैं और मैं नहीं चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि मैं अनरूली बनूं, लेकिन आप मुझे अगर मौका नहीं देंगे और इन लोगों से माफी नहीं मंगवायेंगे....

श्री अध्यक्ष : आप बार-बार मौका ले रहे हैं, मेरे ही दिये ले रहे हैं, एक-एक घण्टा तक बोल रहे हैं, अब आप क्या चाहते हैं मुझसे ?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मैं चाहता यह हूं कि मेहरबानी करके नियम बराबर लागू हों।

श्री अध्यक्ष : मैं आपको, किसी माननीय सदस्य को इतना नहीं बोलने दे रहा हूं, जितना आपको बोलने दे रहा हूं, यह नियमों से परे दे रहा हूं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आपकी बड़ी मेहरबानी है लेकिन अध्यक्ष महोदय, 52 से यह योजनाबद्ध तरीके से मेरे खिलाफ यह कांसपरेसी हो रही है। आप करिये, लेकिन यह नहीं हो सकता कि इस हाउस को आपको और इस चैम्बर को यूज किया जाय। नहीं करने देंगे हम। हमारा अधिकार है इसलिए मैं आपको शकधर से आपकी रिस्पांसिबिलिटी याद दिलाना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मैं बैठ जाऊंगा।

श्री देवीसिंह भाटी (सिंचाई मंत्री) : आसन को ध्यान है, बताने की जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री देवीसिंह भाटी : आसन को क्या बतायेंगे, आप स्वयं परिचित हैं, क्या बताने की जरूरत है।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। माननीय; अब बिराजें।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मैं बोलकर रहूंगा अध्यक्ष महोदय, और इस पर मैं उम्मीद करता हूं आपसे, आपके प्रति मेरा बड़ा रेस्पेक्ट है और....

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : माननीय अध्यक्ष खुद समझदार हैं, आप क्या समझायेंगे ।....

श्री नरपत सिंह राजवी : माननीय अध्यक्ष महोदय........

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मैं सीरियसली उम्मीद करता हूं कि इस पर आप कोई रिवोल्यूशनरी रूलिंग दिलवायेंगे । आप वकील हैं, आप बड़े ही सभ्य हैं और मैं आपका आदर करता हूं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं काउ-डाउन होऊंगा । यह सत्ता पार्टी के, ये, मुख्य मंत्रीजी के मैम्बर्स, ये मुझे बुली नहीं कर सकते आपके चेम्बर से, आपकी चेयर से और आपके सदन से । बाहर क्यों नहीं आते हैं ये, हिम्मत हो तो ?

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें ।

श्री देवीसिंह भाटी : यह बाहर कहां बुला रहे हैं अध्यक्ष महोदय ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें ।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, बाहर किससे निपटना चाहते हैं ये ?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : The all important conventional and ceremonial Head of Lok Salha is the Speaker Within the walls of the House his authority is supreme. This authority is based on the Speaker's absolute and unvarying impartiality-the main feature of his office, the law of its life. This obligation of impartiality appears in the constitutional provison which ordains that the Speaker is entitled to vote only in the case of equality of votes. His duties are very arduous etc. As the Principal spokesman of the House, he represents its collective voice. आप हमारी कलेक्टिव वाइस हैं अध्यक्ष महोदय । And is its sole representativeto the outside world.

श्री अध्यक्ष : मैंने आपकी पूरी बात सुन ली माननीय सदस्य, अब बिराजें ।

श्री नरपत सिंह राजवी : Bhati Saheb for a minute. नहीं, मैं आपको इन्टरविन नहीं कर रहा हूं ।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : Don't talk. देखिये, नरपतसिंह जी मैं आपको अर्ज कर दूं, आपके खिलाफ मेरे मन में कोई द्वेष नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : बिराजें, यह क्या हो रहा है ? माननीय, बात अब यह द्वेष की हो रही है । आप अपना पाइंट आफ आर्डर उठाकर यह बात कहने लग जाते हैं । मैं समझा कोई बात कह रहे हैं आप ।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : उन्होंने मुझे एड्रेस किया है, अध्यक्ष महोदय । एक सैकंड ।

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजें माननीय ।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मैं आपको बड़ी गम्भीरता से....

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें अब ।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मैं आपको 130 का नोटिस नहीं देना चाहता था ।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें माननीय । थोड़ा इर्रिटेट कर दिया आपने ।

श्री अर्जुनदास मदान : कोई सम्बोधन हो, देखिये, यह सदन की परम्परा रही है कि एक सदस्य विशेष को अगर कोई बात कहनी भी है तो भी चेयर के प्रति ही कह सकता है ।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें ।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अब अध्यक्ष महोदय, अगर मेम्बर टोकेंगे तो मैं बोलूंगा ।

श्री अध्यक्ष : अब आप यहां तो बहुत किताबें पढ़ सकते हैं ।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, पेज 92 आफ शकधर जिससे....

श्री अध्यक्ष : अब मैंने सुन लिया माननीय ।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : नहीं, नहीं सुना है ।

श्री अध्यक्ष : मैं कितनी देर तक सुनता रहूंगा यह ?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : Even at the secret sittings .... अध्यक्ष महोदय, यह रिलेवेंट पोर्शन है ।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें, मैंने सब बात सुन ली है और मुझे किताब दे देना, मैं उसका अध्ययन कर लूंगा पर यह तो है नहीं कि मैं कोई सरस्वती का अवतार हूं या गणेश जी का अवतार हूं जो आपने कहा और मेरे दिमाग में जंच जाएगी एकदम और यों की यों फिट हो जाएगी । आप बिराजें, आप लिखकर दे दीजिये ।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, ये चार पंक्तियां पढ़कर बैठ जाऊंगा ।

श्री अध्यक्ष : हां ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ये चार पंक्तियां भी पढ़ लें । मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं माननीय सदस्य से कि यह पाइंट आफ आर्डर के माध्यम से सवाल उठाया है, उसमें कई नाम दिये हैं, अखबार की चर्चा की गयी है और आपके चैम्बर की चर्चा की गयी है, क्या मैं माननीय सदस्य से आपके मर्फत निवेदन यह करना चाहता हूं कि इसके माध्यम से वह चर्चा हुई है, नहीं हुई है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, कुछ फैक्ट्स अखबार में आये हैं, कुछ आपने खुद ने ही स्वीकार किये हैं और वहां क्या चर्चा हुई है, इस मामले में क्या आपने कोई नोटिस, कोई हमको नोटिस जिसके नाम दिये गये हैं दिया है आखिर, अपने यहां पर यह व्यवस्था है कि अचानक कोई भी आप यहां विषय लाते हैं, (व्यवधान) एक मिनट, यदि कोई मामला तत्काल नोटिस में न आ जाए तो मैं समझता हूं; माननीय सदस्य उसका जवाब दे सकेंगे ।

श्री गोपीराम जाट (आमेर) : नहीं तो, आप सुनिये, इतनी देर से हम लोग सुन रहे हैं शालीनता से ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं यह चाहता हूं, माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं ....

श्री अध्यक्ष : फिर आपका जीरो ऑवर खतम हो जाएगा, फिर शुरू करते हुं आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन : कि वह अपना नोटिस देकर नियमों के तहत इस मामले को उठायें तो इसमें सार्थक चर्चा हो सकेगी। यह मेरा कहना है।

श्री अध्यक्ष : आप विराजें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : ये समझते ही नहीं हैं, नोटिस किस बात का दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष : आप विराजें, आपको चार लाइनें पढ़ने दो आप।

श्री गोपीराम जाट : यह कोई सीमा तो तय करें इनकी।

श्री अध्यक्ष : चार लाइनें आप पढ़ें साहब।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप तो 1965 को समझते हो, क्या होता है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, आपने परमीशन दी उसके लिए धन्यवाद। इवन एट दी सिक्रेट सिटिंग, सिक्रेट सिटिंग आपके चैम्बर में होती है।

श्री अध्यक्ष : आप माननीय एक्सप्लेन करेंगे तो तीन घन्टें लग जाएंगे। एक लाइन को मैं कल सुबह तक एक्सप्लेन कर सकता हूं। मैं भी वकील रहा हुआ हूं, एक शब्द को तीन दिन तक एक्सप्लेन कर सकता हूं इसलिए आप पढ़ लें इसको।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष जी, आपका कोई मुकाबला है? आपके ज्ञान को कोई पहुंच सकता है?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : हां पढ़ रहा हूं। Even at the secret sittings which are held at the request of the Leader of the Houses. It is the speaker who determine the manner of reporting the proceedings to the press.

श्री अध्यक्ष : अब चार लाइन पढ़ने दो आप।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : यह चार लाइन मैंने पूरी पढ़ दी। इसमें मैं चाहूंगा कि आप इस सब्जेक्ट को बड़ी गम्भीरता से लें, नहीं तो, अध्यक्ष महोदय, ऐसी भी सूरत आ सकती है कि हम वहां कैसे जायं आपसे बात करने के लिए, इस पर आप व्यवस्था दे दें।

व्यवस्था

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में चेम्बर में हुई किसी वार्ता के लिए वह जिम्मेवार नहीं

श्री अध्यक्ष : आप विराजें। आपका मोस्ट वैलकम है, आप हमेशा पधार सकते हैं। मेरे चैम्बर में इस प्रकार की मेरी

(श्री अध्यक्ष)

एक्सेस में कोई किसी ने बात की उसके लिए तो मैं कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता हूं। मेरे सामने कोई इस प्रकार की बात नहीं हुई।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : व्यवस्था दे दी अध्यक्ष जी ने।

श्री नरपत सिंह राजवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन है। मेरा नाम यहां पर लिया गया है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, तो इस पेपर के खिलाफ एक्शन लीजिये।

श्री अध्यक्ष : जो प्रोसीजर के तहत कार्यवाही कर सकते हैं, करें आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष जी, आज सदन का आखिरी दिन है और भी बिजनस है। इस पर तो आपने व्यवस्था दे दी। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : It is the property of the House.

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। (व्यवधान) मेरे सामने कोई बात नहीं हुई। (व्यवधान) आप बिराजें।

श्री जगदीप धनखड़ : If it is expunged then action should be initiated. यदि इस प्रकार की गलत रिपोर्टिंग हो गयी है तो गलत रिपोर्टिंग पर अध्यक्ष महोदय पर भी मामला है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने व्यवस्था दे दी है अध्यक्ष महोदय और यह किसकी परमीशन से टेबिल पर रखा इन्होंने? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक मिनट आप बिराजें तो सही। मेरे चैम्बर में तीन कमरे हैं और एक कमरे में 15-15, 20-20 माननीय सदस्य बैठ सकते हैं और बैठते हैं। मैं मना नहीं करता हूं। जैसे मेघवाल साहब पधारते हैं, वैसे धारीवाल साहब भी पधारते हैं, धनखड़ साहब भी पधारते हैं। अब किसने किसके बारे में क्या बात कही, मैं अपनी फाइलों में व्यस्त रहता हूं, न मुझे इतनी फुर्सत है कि मैं इस प्रकार की ऊल-जलूल बातों में पड़ूं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : कोई आपको कोट करें, मैं देखूंगा।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें, मैं देखूंगा इसको।

श्री जगदीप धनखड़ : यह बड़ा गम्भीर मामला है जो रिपोर्टिंग हुई है इस पर।

श्री अध्यक्ष : मैं देख लूंगा। मैंने इसको देखा नहीं है, मैंने फैक्ट्स को देखा नहीं है, क्या हुआ, किस सन्दर्भ में हुआ, कोन सी रुलिंग है, कौन सी किताबें आप कोट कर रहे हैं। आई विल सी इट। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह (भीम) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक ही सब-मिशन है। आप

Page No. 91

(91)

(श्री लक्ष्मण सिंह)

सुओमोटो इस पेपर के खिलाफ प्रिविलेज इश्यू इनिशिएट कीजिये और इस मैटर को प्रिविलेज कमेटी को सौंपिये। सुओमोटो आप इस चीज के मामले में कर सकते हैं। (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पाइंट आफ आर्डर उठा रहा हूं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप माननीय बिराजें। (व्यवधान) बिराजें आप। (व्यवधान) उनका पाइंट आफ आर्डर तो खतम हो गया।

स्पष्टीकरण

श्री नरपतसिंह राजवी का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री नरपत सिंह राजवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस अखबार में मैंने तो यह खबर नहीं पढ़ी लेकिन उनके पाइंट आफ आर्डर पर जब माननीय भाटी साहब बोल रहे थे, कुछ माननीय सदस्यों का नाम था उसमें मेरा भी सम्मिलित है। अब वह चर्चा किस आधार पर हुई, हुई या नहीं हुई। जब चेम्बर की में कोई चर्चा हो तो वह अखबारों के माध्यम से बाहर नहीं जानी चाहिये, मैं भाटी साहब की इस बात से सहमत हूं लेकिन अगर हाउस में राजस्थान हाउस या जोधपुर हाउस की बकाया जब भी रह सकती है उस समय की बकाया के मामले में आपको बाहर निकाला गया था, किस आधार पर निकाला गया था; डिटेल्स अगर नहीं हों और आपस में बात कर लें तो कोई इस प्रकार की बात नहीं है जिसमें आपके ऊपर कोई लांछन लगा रहे हों या आपको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हों।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मैं यह कह ही नहीं रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं सदन की सेंक्टिटी...:.

श्री नरपत सिंह राजवी : आई एग्री। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं। माननीय पूनमचन्दजी यहां पर अध्यक्ष रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था मैं यह चाहता हूं कि स्पीकर के पद का कार्य करते वक्त कोई बात हो उसकी सेंक्टिटी अलग है। पूनमचन्दजी भी बहुत वर्षों तक यहां पर रह गये। आप भी विराज रहे हैं। हमारी भाभीजी जो कि आपकी पत्नी हैं, वे यहां पर पधारें, उनसे बात करेंगे, क्या वह भी नहीं कर सकते? There are so many things कौल एण्ड शकधर के जो एग्जाम्पल्स हैं वे ड्यूटी आफ ए स्पीकर दिये हुए हैं नोट बियोंड दैट। मामड़ा साहब भी बिराज रहे हैं। परिवार के सदस्य आते थे हम लोग मिलते थे लेकिन परिवार के हिसाब से एक केजुअल टाक आप कर रहे हैं, वहीं पर लड्डू खा रहे हैं। वह भी स्पीकर की सेंक्टिटी में आ गया? लड्डू स्पीकर की चेयर पर बैठकर अगर कोई खाता है या टेबल पर लगाकर खाता है, वह ऑब्जेक्शनेबल हो सकता है लेकिन खाना आप भी अन्दर खाते हैं, आपके साथ बैठकर अगर मैं खा

(श्री नरपत सिंह राजवी)

लूं या नरेन्द्रसिंहजी भाटी खा लें, वह तो कोई ऑब्जेक्शनेबल नहीं है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। (व्यवधान) अब आप बिराजिये ना।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, गुलाबपुरा की नगरपालिका के सम्बन्ध में हम लोगों ने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था और कल आपसे व्यवस्था चाही। आपने आज के लिए कहा था कि आज आप व्यवस्था देंगे। आपने सारी व्यवस्थाएं दे दीं। आज के बाद हाउस भी एडजोर्न हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष : शायद वह आया नहीं होगा। आप (व्यवधान) देख लेना अपनी व्यवस्था।

श्री जुबेर खान : हम आपसे....(व्यवधान).. कि गुलाबपुरा की नगरपालिका के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था दें।

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान) हमको बुलाया था चैम्बर में और यह कहा था कि कल सवेरे व्यवस्था दे दी जाएगी (व्यवधान) क्या व्यवस्था दी उसके लिए ?

श्री अध्यक्ष : माननीय, आप कुछ तो आगे चलने दें। माननीय सदस्य आप बिराजें।

श्री जगदीप धनखड़ : X X X

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें। (व्यवधान) अंकित नहीं करें। यह अंकित नहीं होगा। जो धनखड़ साहब ने कहा है, वह अंकित नहीं होगा।

श्री जगदीप धनखड़ : X X X

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, हमको बुलाया था और आपने कह दिया था कि (व्यवधान) ...

श्री अध्यक्ष : आप मर्जी आये तब ही बोलने लग जाते हैं (व्यवधान)....

श्री अरुण सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक पाइण्ट आफ आर्डर देना है।

श्री जगदीप धनखड़ : X X X

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें।

श्री अरुण सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक पाइंट आफ आर्डर देना है।

श्री अध्यक्ष : सुनिये आप। (व्यवधान)

सूचना

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यमुना का पानी रोका जाना

श्री अरुण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सरकार का ध्यान आकर्षित करना

X X X माननीय अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अरूण सिंह)

चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार से जो यमुना का पानी आ रहा था, भरतपुर फीडर और डीग स्केप में, वह बंद हो गया, 4 दिन चला, 30 क्यूसेक्स पानी आया। अब जनता में रोष है कि यह पानी फिर कब चालू होगा। मैं सिचाई मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि वह खुद....

श्री अध्यक्ष : यह अच्छी बात है। बिराजिये आप।

श्री देवीसिंह भाटी : कृपया बिराजें।

श्री अरूण सिंह : इन्होंने वाहवाही लूट तो ली परन्तु अभी तक वह पानी आया नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : अध्यक्ष महोदय, पानी आना बंद हो गया है (व्यवधान) यह बड़े अफसोस की बात है।

श्री अरूण सिंह : जनता दुःखी है (व्यवधान) जनता रो रही है।

श्री देवीसिंह भाटी : आप बिराज जाएं।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : मैंने कल निवेदन किया था (व्यवधान) आपसे और पानी नहीं आ रहा है....

श्री देवीसिंह भाटी (सिचाई मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को चिन्ता है, वह पूरे प्रदेश की और सरकार की ...

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : जो पानी आ रहा है वह दिल्ली के इण्डस्ट्रियल एरिया का खराब पानी आ रहा है। उसके पीने से पशु और इन्सान भी मरेंगे। दूषित पानी आ रहा है।

श्री देवीसिंह भाटी : यह बात तो मेरे नोटिस में नहीं है।

श्री अरूण सिंह : पशु और इन्सान मर रहे हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, यू. पी. के अन्दर उनका तो सिस्टम बना हुआ है उसमें सिस्टम की टर्म बंधी हुई होती है, वह 15 दिन की टर्म होती है। उसके बाद में क्लोजर आता है और उसके बाद में हमें नियमित रूप से पानी मिलेगा, जब उनकी नहर का सिस्टम चलेगा (व्यवधान)

श्री अरूण सिंह : सुप्रीम कोर्ट ने 8 मई तक इस पानी को चलाने के निर्देश दिये हैं उत्तर प्रदेश सरकार को, हरियाणा सरकार को, तो इस चीज को, जो सैण्ट्रल वाटर बोर्ड बना है, आप लोग कम्पलेंट तो करें।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : सरकार एग्रीमेंट करके आयी थी कि 8 मई तक पानी निरन्तर चलता रहेगा। यह अखबारों में कोट भी हुआ था। अब एक नयी बात कह रहे है सिचाई मंत्रीजी कि बीच में

(श्री हरिसिंह)

पानी बंद हो गया, 289 क्यूसेक पानी अपने को मिलता था लगातार 100 दिन तक, फिर 8 मई तक आपने एग्रीमेंट कर लिया कि सौ क्यूसेक ही मिलेगा। अब वह सौ क्यूसेक भी बंद हो गया। अध्यक्ष महोदय, बड़ी भारी परेशानी खड़ी हो गयी, लोग परेशान हैं इसके अन्दर। मैं सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि थोड़ा इसके अन्दर पहल करें। उत्तर प्रदेश सरकार को मजबूर करें और पानी उसमें लायें।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री हरजीराम बुरड़क : मेरे को कह रहे हैं ?

श्री जगदीप धनखड़ : और मामलों में तो कोर्ट में चले गये। गेट की बात लेकर चले गये (व्यवधान) उस मामले में....

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : सिंचाई मंत्रीजी एक बात तो बताओ कि झुन्झुनू जिले में भी क्या गंगा का पानी लाने का विचार रखते हैं ? (व्यवधान) मंत्रीजी, झुंझुनू जिले में भी रखते हैं क्या ?

श्री देवीसिंह भाटी : बिलकुल।

श्री श्रवण कुमार : झुंझुनू जिले में पानी की सतह बहुत नीचे चली गयी है और लोगों में पानी की त्राहि-त्राहि मची हुई है। (व्यवधान) क्या झुंझुनू जिले में भी गंगा का पानी देने का विचार रखते हैं या भरतपुर में ही देंगे ?

श्री अध्यक्ष : माननीय श्रवण कुमार जी बिराजें।

श्री श्रवण कुमार : खड़े होकर बताएं।

श्री देवीसिंह भाटी : बिलकुल, बिलकुल।

श्री श्रवण कुमार : पक्की बात है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य बिराजें आप। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उद्घोषणा कर दी (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : हम बेटा-बेटी देते तो हैं। लेकर आते हैं, दिखाते हैं (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें।

श्री देवीसिंह भाटी : और आप तो वह रास्ता ही नहीं खोलते। हम बेटा-बेटी लेकर तो आये। दिखाया तो है आपको। आपसे तो वह भी नहीं हुआ कि उसमें भ्रूण भी पैदा हो जाय।

श्री अध्यक्ष : आप बिराज जाय।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री नरेन्द्र बुढ़ानिया (सरदारशहर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक सप्ताह पहले एक स्थगन प्रस्ताव आपके समक्ष पेश किया था। अध्यक्ष महोदय, 1993 के अन्दर एक हरिजन तहसीलदार की सार्वजनिक रूप से पिटाई हुई है और वह जनता के सामने....(व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष : आप विराज जायं।

श्री नरेन्द्र बुडानिया : प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि सन् 1993 में उस हरिजन तहसीलदार की पिटाई हुई। अब तक सरकार ने उस केस में....

श्री अध्यक्ष : मैंने जानकारी मांगी है। अभी जानकारी नहीं आयी है।

श्री नरेन्द्र बुडानिया : अध्यक्ष महोदय, 7 दिन पहले से आप जानकारी मांग रहे हैं (व्यवधान) सरकार आपके सामने बैठी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : 7 दिन में नहीं आ रही है। यहां तो साढे चार सौ के आसपास हैं। आप बिराजिए।

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) : एक मिनट, मैं निवेदन कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, आज आखिरी दिन है। माननीय सदस्य ने उसके लिये एडजोर्नमेंट मोशन पेश किया है। अब अगर सरकार से जानकारी नहीं आयी है तो इनको कम से कम दो मिनट बोलने का मौका तो दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष : हां, तो चलने तो दें। आप चलने तो दें। आप बिराजिये। अब जीरो आवर रखना है क्या आपको ?

अनेक माननीय सदस्य : हां।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये। बात पूरी तो होने दीजिये। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक करोड़ का घोटाला है। कल आपने हमको व्यवस्था देने के लिये कहा था। वह व्यवस्था आज क्यों नहीं दी गयी ?

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। श्री मोतीलाल जी।

श्री रामस्वरूप : कल आपने मेरे सामने उनको आर्डर देकर कहा था। चैम्बर में बुलाया था, आपने हमको कह दिया था कि कल आपको व्यवस्था दे दी जाएगी। इस बारे में कल अवसर दे दिया जायेगा लेकिन कोई अवसर हमको इस बारे में नहीं दिया। एक करोड़ के घोटाले का मामला है। नगरपालिका में एक करोड़ का घोटाला हुआ है।....

श्री मोतीलाल (रूपवास) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से (व्यवधान) मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें।

श्री रामस्वरूप : इसके बारे में मैंने व्यवस्था चाही थी और आपने कहा था कि दे दी जाएगी। आज क्या व्यवस्था मुझे दी है माननीय अध्यक्ष महोदय ?

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें। आपसे निवेदन कर रहा हूं कृपया बिराज जायं।

श्री रामस्वरूप : इसके लिए मुझे क्या व्यवस्था दी है ? चैम्बर में बुलाकर आपने मुझे कहा था। आप भी गये थे, मैं भी गया था।

श्री अध्यक्ष : अभी आप बिराजें तो सही।

श्री रामस्वरूप : अभी आपने कहा था + + + कि आपको कल व्यवस्था दी जायेगी, आपका क्वेश्चन है 131 का। आपने उनकी कोई व्यवस्था हमारे लिये नहीं दी। एक करोड़ रुपये का मामला है और उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं दी। घोटाले का (व्यवधान)

श्री मोतीलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि भरतपुर में (व्यवधान)........

श्री अध्यक्ष : आप बिराज जाएं। माननीय सदस्य, आप बिराज जाएं।

श्री मोतीलाल : भरतपुर जिले के अन्दर पांचना बांध का पानी, जो हमारे क्षेत्र में (व्यवधान) दिलाया जाए (व्यवधान)....

श्री रामस्वरूप : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक करोड़ रुपये का घोटाला नगरपालिका में हुआ है। उसके बारे में मैंने आपसे चेम्बर में (व्यवधान) जाकर के....

श्री अध्यक्ष : कृपया हाउस को चलने दो।

श्री मोतीलाल : वह यू. पी. को बेमतलब निकल जाता है जबकि भरतपुर को इसका कोई फायदा नहीं है। इसलिये आपसे माननीय अध्यक्ष महोदय,....

श्री रामस्वरूप : उसकी कोई व्यवस्था आपने हमको नहीं दी। कल आपने यह वायदा किया था कि आपकी व्यवस्था दी जायेगी और कल आपका नाम आयेगा उसके आदर, लेकिन आज आपने हमारा नाम नहीं बोला। एक करोड़ का घोटाला है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : क्या बोल रहे हैं आप ? मुझे पता ही नहीं लग रहा है कि आप कह क्या रहे हैं ?

श्री मोतीलाल : गम्भीर नदी के पानी को रोक कर के पांचना में डाला जाए जिससे कि....

श्री रामस्वरूप : एक करोड़ के घोटाले के बारे में आपने आज व्यवस्था देने के लिए कहा था....

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : इसकी व्यवस्था नहीं की। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री रामस्वरूप : इसी प्रकार बीज निगम के 60 लाख के घोटाले का दिया उसकी भी मुझे कोई व्यवस्था नहीं दी। एक करोड़ रुपये घोटाले का किया, उसकी भी कोई व्यवस्था नहीं दी।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये तो सही आप।

श्री रामस्वरूप : उसके लिए कब व्यवस्था दी जाएगी।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, एक स्थगन प्रस्ताव था।

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, मुझे कब व्यवस्था देंगे यह तो बता दें आप ?

श्री अध्यक्ष : माननीय, बिराजिये। यह क्या है बार-बार आपका खड़ा हो जाना ?

श्री रामस्वरूप : मेरा निवेदन है, कर दूं साहब ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने सुन ली आपकी बात। आप बिराजिये।

श्री रामस्वरूप : कब दी जायगी व्यवस्था ? सदन तो आज आज ही चलेगा।

श्री अध्यक्ष : अब आप सुनना ही नहीं चाहें तो मैं क्या कर सकता हूं (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, झुंझुनूं जिले में महिला भण्डार के नाम से फर्जी भण्डार चला रहे हैं। मैं खाद्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा ....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप अंकित नहीं करें।

श्री श्रवण कुमार : X X X

श्री रामस्वरूप : X X X

श्री अध्यक्ष : अच्छा आप और बोलने लग गये बीच में।

श्री श्रवण कुमार : X X X

श्री रामस्वरूप : X X X

श्री अध्यक्ष : पांच माननीय सदस्य एक साथ खड़े होकर के बोल रहे हैं। अब समझ में नहीं आ रहा है कि आप कहना क्या चाहते हैं। (व्यवधान) रामस्वरूपजी आप बिराजें।

श्री श्रवण कुमार : X X X

श्री रामस्वरूप : X X X

श्री अध्यक्ष : एक-एक माननीय सदस्य अपनी बात रखेंगे तो (व्यवधान) मैं भी लाभान्वित होऊंगा, पूरा सदन भी लाभान्वित होगा। वरना अब यह पता ही नहीं लग रहा है कौन क्या है......

श्री श्रवण कुमार : X X X

श्री अध्यक्ष : माननीय आप बिराज जाएं। श्रवण कुमार जी आप बिराजें।

श्री श्रवण कुमार : X X X

श्री अध्यक्ष : क्या बात--बात में पाइण्ट आफ ऑर्डर उठा रहे हैं। बिराजिये आप।

श्री श्रवण कुमार : X X X

श्री रामस्वरूप : X X X

X X X अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : आपका मौका आ जायगा, तब आप बता देना । आप बिराजें । अपनी मर्जी से हाउस चलाना चाहते हो रामस्वरूप जी और श्रवण कुमार जी तो उस हिसाब से चलाइये । यहां आकर के बिराज जायं ।

श्री श्रवण कुमार : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप बिराज जाएं । आज आखिरी दिन है । काफी काम लेना है और काफी बिजनस बाकी है । बिराजिये आप ।

श्री श्रवण कुमार : × × ×

श्री अध्यक्ष : फिर माननीय शिवनाथ सिंह जी कहेंगे कि हमको को--ऑपरेट नहीं कर रहे हैं (व्यवधान) ऐसा--ऐसा कर दिया है । मैं अकेला हूं । डेढ़ किलो बादाम खाकर नहीं आया हूं अभी ।

श्री श्रवण कुमार : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप बिराज जायं ।

श्री श्रवण कुमार : × × ×

श्री अध्यक्ष : बिराजिये । मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप बिराजिये । श्रवण कुमार जी, मैंने तो आपको कभी इतनी जद्दोजहद करते नहीं देखा । मैं आपको बोल रहा हूं, बैठें तो सही आप ।

श्री श्रवण कुमार : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप क्या कह रहे हैं ?

श्री श्रवण कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि झुन्झुनूं जिले में महिला भण्डार के नाम से फर्जी गेहूं वितरण का कार्य हो रहा है, जबकि जो गेहूं बंट रहा है, वे महिलाएं वास्तव में जीवित ही नहीं हैं । फर्जी साइन करके गेहूं का वितरण हो रहा है । आप इसकी इन्क्वायरी करवा लीजिये । मैं खाद्य मंत्रीजी से भी निवेदन करना चाहूंगा कि किसी से सांठ--गांठ करके, पैसे लेकर महिला भण्डार चला रहे हैं, वहां पर....... (व्यवधान) ...

श्री अध्यक्ष : अब बिराजिये आप ।

श्री श्रवण कुमार : जबकि इस प्रकार की धांधली यह सब मिलकर कर रहे हैं ... (व्यवधान)........

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये ।

श्री श्रवण कुमार : अध्यक्ष महोदय, आज मैं आपसे निवेदन करूंगा कि खाद्य मंत्रीजी वहां पर जाकर चैक करें और महिला भण्डार चल रहा है, उस फर्जी भण्डार को बन्द करने का कष्ट करें ।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये ।

श्री श्रवण कुमार : इस प्रकार के फर्जी भण्डार से गेहूं मार्केट में बेचते हैं, गरीबों के घर तक नहीं पहुंचता है । अध्यक्ष महोदय, आज ही इसकी इन्क्वायरी करवायी जाए ... (व्यवधान)........

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। मैं आपका आभारी होऊंगा, आप बिराज जाएं। (व्यवधान)

श्री परसादी लाल मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने जो स्थगन प्रस्ताव दिये हैं, न तो उनका हमारे पास जवाब आया और न हमको यहां व्यवस्था दी गयी है। माननीय रामस्वरूपजी को आपने कल व्यवस्था दी थी कि मैं कल इस बारे में व्यवस्था दूंगा। अगर आपके पास अध्यक्ष महोदय, जवाब आ गया हो तो माननीय सदस्य को....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : हां, मैं जरूर दूंगा, आप बिराजिये।

श्री परसादी लाल मीणा : नहीं आया तो सुनें, क्या एतराज है ? अध्यक्ष महोदय, आज आखरी दिन है।

श्री अध्यक्ष : मैं इसीलिये कह रहा हूं, कि आखरी दिन है और ज्यादा से ज्यादा माननीय सदस्य बोलें।

श्री परसादी लाल मीणा : नहीं, सभी को अलाऊ कर दें, अध्यक्ष महोदय, चलने दे रात तक हाउस, क्या दिक्कत है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय बिराजिये।

श्री परसादी लाल मीणा : जवाब न तो लिखित में दिये जा रहे हैं....(व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह (डेगाना) : अध्यक्ष महोदय, मैंने ...(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री परसादी लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, जो जवाब आपके पास सरकार से आ गये हैं, वे न तो हमको दिये गये हैं।+++अगर व्यवस्था नहीं दें तो हमें जवाब दें...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री परसादी लाल मीणा : लेकिन कहते हैं अध्यक्ष महोदय, हाउस में व्यवस्था देंगे। आप हमारी व्यवस्था भी नहीं दे रहे हैं। हमको बोलने का समय भी नहीं दे रहे हैं। इस तरह का....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : मैंने अभी तीन में तो कहा है, व्यवस्था दी है कि आप बोलेंगे।

श्री परसादी लाल मीणा : तो हम क्या करेंगे, अध्यक्ष महोदय, यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : जिसमें जवाब आ गया है, उसमें मैं बुलवा रहा हूं। आप बिराजिये तो सही....(व्यवधान)....

श्री परसादी लाल मीणा : इसलिये मेरा आपसे निवेदन है अध्यक्ष महोदय, रामस्वरूपजी को कल आपने व्यवस्था के लिये कहा भी था। आप उनको दो मिनट बोलने का समय दे दीजिये। उनको सुन लें और मंत्रीजी जवाब दे दें, इसमें क्या दिक्कत है ?

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

+++अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री रिछपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय.... (व्यवधान)....

श्री रामस्वरूप : जवाब आ गया, माननीय पहले....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये तो सही....(व्यवधान)....

श्री रिछपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी 10-12 रोज पहले दो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आपके समक्ष पेश किये थे, क्या व्यवस्था हुई ?

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की बात नहीं कह रहा हूं, मैं तो स्थगन की बात कह रहा हू, ध्यानाकर्षण के सबके जवाब मैं आपको भिजवाऊंगा।

श्री रिछपाल सिंह : लिखित में ?

श्री अध्यक्ष : हां।

श्री रामस्वरूप : नहीं, आपने कहा था कि जवाब तो आ गये, उस पर.... (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। मेरे पास कोई कम्प्यूटराइज्ड नहीं है। मैं एक घण्टे से बोले जा रहा हूं और आप बार-बार खड़े हो रहे हैं....(व्यवधान)....

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आज से 10 दिन पहले....

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, आन ए पाइंट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : आप मेरे से व्यवस्था चाह रहे थे। मैंने आपको कहा है आप बैठिये तो सही।

श्री अमराराम चौधरी : पचपदरा और जसावर के अन्दर हरिजन बस्ती में शराब की दुकान हटाने व मन्दिर के पास से शराब की दुकान हटाने के लिये दिया था....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : अब फिर अमरारामजी आप खड़े हो गये। मुझे पता ही नहीं लग रहा आप कह क्या रहे हैं। अंकित मत करो। पता ही नहीं लग रहा है क्या हो रहा है यह। (व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी : ×××

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, आन ए पाइंट आफ आर्डर। मेरा अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर यह है कि नियम 50 के तहत एडजोर्नमेंट मोशन हमने आपके समक्ष दिया। आपने उसको एडमिट किया। आपने सरकार को उसका जवाब देने के लिये कहा। सरकार से आपने जवाब तलबी कर ली। आज इस सत्र का अन्तिम दिन है। अभी तक हमें पता नहीं है कि रूल 50 के तहत एडजोर्नमेंट मोशन की जो प्रक्रिया है उसके तहत आपने कदम भी उठा लिया, उसको एडमिट भी कर लिया। या तो आप उसको एडमिट नहीं करते, आपने एडमिट किया और सरकार से जवाब मांगा सरकार जवाब देने में ढीला रवैया अपना रही है।

××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री जगदीप धनखड़)

ऐसी स्थिति में माननीय अध्यक्ष महोदय, उन एडजोर्नमेंट मोशन का क्या होगा जिनकी यहां पर आपने घोषणा कर दी कि सरकार से जवाब मांगा गया है। तो मेरा स्पेशिफिक पाइंट आफ आर्डर यह है कि उन एडजोर्नमेंट मोशन के सम्बन्ध में आपकी व्यवस्था कब आएगी?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री जगदीप धनखड़ : By nature it is an important work

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजिये।

श्री जगदीप धनखड़ : हाउस के एग्जिस्टिंग वर्क को एडजोर्न करके चर्चा के लिए उठाया गया था....

श्री अध्यक्ष : माननीय आपका ध्याना-कर्षण भी है आज... (व्यवधान) ...

श्री जगदीप धनखड़ : नहीं-नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सीधी सी बात कर रहा हूं, स्थगन प्रस्ताव हमने दिये ...

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। आप बोले जा रहे हैं सभी। अब मैं उसका उत्तर तो दूंगा नहीं। आप बिराजिये। माननीय मैंने सूचना मंगवायी है। अभी एडमिट किसी को नहीं किया है। सूचना आने पर मैं आपको जानकारी दे दूंगा कि एडमिट किये हैं या नहीं किये हैं। बिराजिये आप।

श्री जगदीप धनखड़ : कितने दिन में सूचना आयेगी? Adjournment motion is very urgent. हाउस के वर्क को रोक कर चर्चा की जाए। एक सप्ताह हो गया, दो सप्ताह हो गया उसके बावजूद भी कोई सूचना नहीं आयेगी....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : मैं देखूंगा कि आपका कौनसा है, बिराजिये आप।

श्री जगदीप धनखड़ : नहीं-नहीं, अध्यक्ष महोदय, फिर इसमें कब होगा। इस काम के लिए एक दिन का समय काफी होता है। एक सप्ताह. दो सप्ताह निकल गये .. (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : अब माननीय आप बिराजिये।

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, आप सरकार से कह कर इस पर व्यवस्था दोपहर में....(व्यवधान)....

एक माननीय सदस्य : जीरो आवर ले लें, जीरो आवर।

श्री अध्यक्ष : मैं जीरो आवर ही लेना चाहता था लेकिन वह तो वैसे ही जीरो हो रहा है। आप बिराजिये। (व्यवधान) मैं आपको कह रहा हूं, आप माननीय, बिराजिये। क्यों बार-बार खड़े हो रहे हैं? क्या रामस्वरूपजी मैं आपको मौका नहीं दे रहा हूं, ? (व्यवधान)....

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, उस अध्यक्ष के खिलाफ हम सबने एडजोर्नमेंट मोशन किया है, उसने भ्रष्टाचार किया है, करोड़ों का उस अध्यक्ष ने घोटाला किया ... (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : बार-बार बोलने का अवसर दे रहा हूं कि नहीं और उसके बावजूद भी आप इस तरह से कर रहे हो ... ... (व्यवधान)....

श्री जगदीप धनखड़ : राजनैतिक दल को पांच-पांच हजार के चैक से पैसा दिया है, उसकी चर्चा भी हम यहां नहीं कर पायेंगे, अध्यक्ष महोदय....(व्यवधान) ..

श्री रामस्वरूप : जाकर के (व्यवधान)... मेरे से कहा था + + + मैं कल व्यवस्था दे दूंगा....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं करें। अंकित नहीं करें।

श्री श्री रामस्वरूप : ××××

श्री जगदीप धनखड़ : ×××

श्री लक्ष्मण सिंह : ×××

श्री अध्यक्ष : अच्छी बात है।

श्री रामस्वरूप : ×××

श्री जगदीप : धनखड़ ×××

श्री अध्यक्ष : आराम से कर लें आप। आप जब थक जाएं तो मेरे से कह देना (व्यवधान)....

श्री रामस्वरूप : ×××

श्री लक्ष्मण सिंह . ×××

श्री अध्यक्ष : आप यह पाइंट आफ आर्डर राममस्वरूपजी से कहिये। रामस्वरूपजी को एड्रेस करके कहिये। अध्यक्ष की तरफ एड्रेस करके मत कहिये।

श्री किशन मोटवानी : ×××

श्री रामस्वरूप : ×××

श्री लक्ष्मण सिंह : ×××

श्री अध्यक्ष : मैं वही करना चाहता हूं, लेकिन समय मिलेगा जब ना।

श्री लक्ष्मण सिंह : ×××

श्री रामस्वरूप : ×××

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री लक्ष्मण सिंह : ×××

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। कैसे अंकित कर रहे हैं, मैंने कहा था अभी कोई अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह - ×××

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री लक्ष्मण सिंह - ×××

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। अंकित नहीं हो रहा है। मैंने उसमें व्यवस्था दे

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री अध्यक्ष)

दी थी। वह हाउस के अन्दर ही, मतलब उसको डिस अलाऊ कर दिया था। माननीय, आप बिराजिये।

श्री लक्ष्मण सिंह : आपने मुझे डिस अलाऊ किया, एक तो इसकी मुझे सूचना नहीं आयी, दूसरा मुझे ...

श्री अध्यक्ष : सूचना नहीं आयी ?

श्री लक्ष्मण सिंह : नहीं, नहीं आयी। दूसरा डिस-अलाऊ करने का रीजन एण्ड जस्टिफिकेशन देना चाहिये। अगर किसी, आप रूल 52 में देख लीजिये। मैंने रूल 52 की सभी बातों की पालना की है। रूल 52 के अन्दर जो भी पाइंट आवश्यक है वह मैंने अपने स्थगन प्रस्ताव में दिये थे और अगर राजस्थान के चीफ सैक्रेटरी हमारे राष्ट्रपति महोदय के पत्र की गोपनीयता भंग करें तो यह गलत चीज होगी।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री लक्ष्मण सिंह : मुझे अध्यक्ष महोदय, कारण बताइये कि ...

श्री अध्यक्ष : आप मुझसे मिल लेना। आप और हम तो रोज मिलते हैं। आप कल ही बता देते तो मैं बता देता। अब बिराजिये आप। श्री मोतीलालजी। आप थोड़ा को-आपरेट करें, बहुत देर हो गयी अपने यहां....

श्री मोतीलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान ऐसे मुद्दे पर ले जाना चाहता हूं जिसमें भरतपुर जिले की सिंचाई के विकास का सारा पैसा एक आदमी को लाभ देने के लिये लगा दिया गया। इस बात को सुन कर सारे माननीय सदस्यगण सिंचाई विभाग के कर्मचारियों पर+++क्योंकि खरदैला पर जो बाणगंगा है, उसमें कई लाख रुपयों का घोटाला है। उसी प्रकार से उल्लुपुरा में जो बायोगैस चल रही थी, उसमें भी कम से कम दस-बीस लाख रुपयें का घोटाला है, जिसमें दोषी ठहराने के लिये ..

श्री अध्यक्ष : 295 पढ़ रहे हैं क्या आप ?

श्री मोतीलाल : जी हां।

श्री अध्यक्ष : मैं जीरो आवर के लिए आपकी एक स्लिप आयी है उसके लिए कह रहा हूं।

श्री मोतीलाल : जिसमें कि दोषी कर्मचारी बच कर के और रूपवास तहसील से एक जे. ईएन. को लाकर के सस्पैण्ड करा गया जिसकी अगर पूरी जांच करायी जाए तो मेरे पास कैसेट मौजूद है सदन को दिखाने के लिए। इसकी माननीय मंत्री महोदय पूरी तरह से जांच कराएं और उस जे. ईएन....

श्री अध्यक्ष : आपको वह जाटव परिवार के बच्चे के लिए कुछ कहना है।

श्री मोतीलाल : हां कैसेट मेरे पास है, बहुत है। माननीय मंत्री महोदय इसका

+++अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री मोतीलाल)

न्याय दिलाकर जो निर्दोश जे ईएन सस्पैण्ड हुआ है उसको बहाल करायें, एस. ई., एक्स. ई. एन. सैक्रेटरी, इनको सस्पैण्ड कराया जाए जो दोषी हैं। निर्दोश को क्यों सस्पैण्ड किया गया ?

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें। श्री शांति कुमार धारीवाल।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी 7-8 दिन तक लगातार स्लिप दी थी।

श्री अध्यक्ष : दी है तो आपका नम्बर आ जाएगा, इतना उग्र क्यों हो रहे हैं, आप ? बिराजिये आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : +++

श्री अध्यक्ष : आप को जो कहना है वह कहो न फटाफट।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : +++

श्री अध्यक्ष : आप क्या बात कह रहे हैं, अब ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : +++

श्री अध्यक्ष : आप मैन पाइण्ट पर आ जाएं जो बात आप कहना चाहते हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : +++

श्री अध्यक्ष : मैं फिर इसको डिस अलाऊ करूंगा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : +++

श्री अध्यक्ष : यह आप क्या कह रहे हैं, आपने जो स्लिप दी है मुझे। आप बिराजिये, आई डिस अलाऊ यू। आप बिराजिये अब।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : +++

श्री अध्यक्ष : आप विधान सभा के बारे में कोई चर्चा नहीं कर सकते, आप बिराजिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : लेकिन इसमें कम से कम एम. एल. एज. के चैम्बर तो बनवाओ।

श्री अध्यक्ष : बस बात तो इतनी-सी थी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हां।

श्री अध्यक्ष : और उसको लम्बा-चौड़ा घुमा-घुमा कर कह रहे हो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : +++

श्री अध्यक्ष : यह एक अच्छे वक्ता का काम नहीं है। बिराजिये आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : +++

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री अध्यक्ष : देखिये, आपको चेम्बर की बात कहनी है, कह दी। अब आप....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : +++

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं करें अब। यह चेम्बर तो ठीक है। आप बोलिये अब। क्या कहना है आपको ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : ×××

श्री अध्यक्ष : एम.एल. एज. के चेम्बर की बात कह रहे हैं आप। बिराजिये आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : ×××

श्री अध्यक्ष : हां, बिराजिये आप। श्री जगदीपजी धनखड़।

श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, अंकित करने के निर्देश तो दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष : हो रहा है, बिराजिये आप। अंकित करें।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने एक निर्णय लिया कि जो सरकारी अधिकारी, जिनके मकान या फार्म हाउसेज जयपुर में स्थित हैं, यदि वह सरकारी आवास का उपयोग करते हैं तो कुछ शर्तें लगायी गयी हैं। शर्तें यह थीं कि जो भी आय उनको अपने निजी मकान या फार्म हाउस से हो रही है वह सरकारी कोष में जमा करानी पड़ेगी।

अध्यक्ष महोदय, इसके बाद मैंने सरकार से जानकारी मांगी कि यह जो आदेश सरकार ने निकाला है, कि वह जो सरकारी अधिकारी जिनके मकान और फार्म हाउसेज यहां पर हैं, उसके तहत क्या किसी को इन्होंने अभी तक प्रभावित किया है ? सरकार से जानकारी मांगी....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री जगदीप धनखड़ : आ रहा हूं मैं।

श्री अध्यक्ष : आप आवास की बात कह रहे थे और पता नहीं कहां चले गये।

श्री जगदीप धनखड़ : आवास की है। एक भी अधिकारी को प्रभावित नहीं किया है। फिर, माननीय अध्यक्ष महोदय, 19 आई. ए. एस. अधिकारियों के नाम दिये गये कि इन अधिकारियों के जयपुर में मकान या फार्म हाउसेज हैं और हजारों की महीने की इन्कम इनको हो रही है।

अध्यक्ष महोदय, उसके पश्चात अखबार में एक खबर छपी कि 5 वरिष्ठ आई. ए. एस. अधिकारियों ने, कामर्शियल टैक्सेज कमिश्नर+++ लैण्ड एण्ड बिल्डिंग टैक्स डाइरेक्टर....

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।
××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

Page No. 106

(106)

श्री अध्यक्ष : आप नाम नहीं लें, कृपया ।

श्री जगदीप धनखड़ : इन सब अधिकारियों ने मुख्य सचिव का पत्र लिखा कि हमारे बारे में जो जानकारी दी गयी है, हमारा तो कोई मकान नहीं है । माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार सरकार क्यों उदासीन है ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये ।

श्री जगदीप धनखड़ : एक आदेश पारित कर दिया, वाहवाही लूट ली, उसके तहत किसी एक भी अधिकारी को प्रभावित अभी तक क्यों नहीं किया गया ?

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये । माननीय, अर्जेण्ट मैटर कोई हो तो बात करें, अब क्या....

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मान लीजिये अन-रिप्लाइड जाता है, कोई जीरो आवर....

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप । जीरो आवर तो अब रोज ही हो रहा है, अपने जीरो ही हो रहा है काम । आप बिराजिये ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : नहीं, पर जिसका जवाब देना हो वही हो ।

श्री अध्यक्ष : श्री शैलेन्द्र जोशी ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी विनियोग बिधेयक पास हुआ है और उसके अन्तर्गत नये उप खण्डों का बनना बाकी है । मेरे निवेदन करना यह है कि दौसा 10-4-1991 को जिला हुआ था और आज 4 वर्ष हो गये लेकिन इस जिले में एक भी उप खण्ड नहीं है । प्रशासनिक दक्षता के लिए कुशलता के लिए यह अनिवार्य है कि बांदीकुई को उप खण्ड घोषित किया जाए जहां पर कि डीवाई. एस. पी. का कार्यालय है, डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन कोर्ट का कैम्प कोर्ट भी लगता है, साथ ही यहां पर एक्स. ईएन., आर. एस. ई. बी. भी बैठता है और रेल और रोड़ की दृष्टि से, हर तरीके से सुगमता का क्षेत्र है, अध्यक्ष महोदय, बांदीकुई को उप जिला बनाये जाने से में पूरा शासन, प्रशासन है वह कुशलता से हो सकेगा । इसलिए निकट भविष्य में जो जिला बने उसमें बांदीकुई को जिला घोषित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये । 295 में उठा लिया आपने । श्री जुबेर खान ।

श्री जुबेर खान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो डेली वेजेज के और अस्थायी कर्मचारी हैं उनके सम्बन्ध में राज्य सरकार ने अक्टूबर, 1992 में एक आदेश निकाला था, मैं उसकी चार लाइन पढ़कर सुनाना चाहूंगा । तदर्थ रूप से तथा डेली ।

श्री अध्यक्ष : अब यह क्या कह रहे हैं, इसका जवाब कौन देगा ?

श्री जुबेर खान : इसमें कनिष्ठ लिपिक की सेवाओं का यह था कि 1-1-1985 से

(श्री जुबेर खान)

31-3-1990 के बीच में जो डेली वेजेज पर नौकरी कर रहे थे, उनके लिए राज्य सरकार ने आदेश निकाला कि इनकी परीक्षाएं लेकर इनको स्थायी रूप से कर दिया जाये। अध्यक्ष महोदय, सारे विभागों में यह कर दिया गया लेकिन कालेज एजुकेशन में अभी तक इस तरह की परिक्षाएं नहीं ली गयी है....

श्री अध्यक्ष : विराजें। यह जीरो आवर का विषय नहीं है, माननीय।

श्री जुबेर खान : इसलिए मेरा निवेदन है कि कालेज एजुकेशन में भी इस तरह की परिक्षाएं लेकर इन लोगों को नियमित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : आप विराजें, जुबेरजी।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई जवाब दे या नहीं दे लेकिन हम यह जानते हैं कि इस सदन का सर्वोच्च आसन इस बात को सुनता है। चक-एक वर्ड जो इस सदन के माननीय सदस्य यहां पर अभिव्यक्ति देते हैं वह रिकार्ड में जाता है और रिकार्ड में जाता है और इस रिकोर्ड को अगर यह सरकार नहीं पढ़ती है, और अगर नहीं पढ़ेगी तो आगे दूसरा सेशन आयेगा इस सरकार को हम यहां डाक के अन्दर खड़ी करेंगे। इसलिए एक-एक वर्ड माननीय सदस्य जो कह रहे हैं यह सुनो या नहीं सुनो, अगर इन्होंने कान में तेल डाल रखा है तो हम इनको फिर रिमाइण्ड करेंगे, अगर और डाल रखा है तो तीसरी दफे रिमाइण्ड करेंगे लेकिन हम कंटिनुअसली, पर्सिस्टेंटली और विदाउट लेट-अप हम बार बार इनका तेल निकालने की बात करेंगे। अगर नहीं निकलता है तो फिर आप से यह निवेदन करेंगे कि इनको आप सवाई मानसिंह अस्पताल में भेजो और वहां नहीं भेजो तो इनको आगरा भेजो।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन आपके माध्यम से करना चाहता हूं। प्रतिपक्ष के माननीय नेता महोदय ने कहा है कि सब बातें रिकार्ड में जाती हैं, सब बातें सरकार के ध्यान में आती हैं, किन्तु मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हुं कि इसके कई नियम उप नियम बने हुए हैं।

श्री परसराम मदेरणा : वह बात तो ठीक है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : ध्यानाकर्षण से लायें, किसी और दृष्टि से लायें, किन्तु जीरो आवर तो कोई इमिजिएट आकरेंस, कोई बात हो गयी हो, जिसका प्रभाव ऐसा रहता हो तो उसकी तो बातें करने की बात है। एक आदेश 1992 में हुआ उससे कोई अनइफैक्टेड रह गये और वह आज चर्चा कर के, बहुत अच्छा होता अगर माननीय सदस्य ध्यानाकर्षण के रूप में प्रस्ताव लाते तो सरकार भी इस बात का जवाब देती और उनका कुछ न कुछ हल होता। यह कहना है मेरा।

श्री जुबेर खान : मंत्री महोदय, मैं आपको चिट्ठी लिख देता हूं तो कार्यवाही कर दें।

श्री अध्यक्ष हां, यह कर लेंगे यह। यह होशियार है इस काम में। श्री मोटवानीजी।

(13.00)

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम) : माननीय अध्यक्ष जी, इन दिनों दरगाह क्षेत्र के खादिम मौहल्ले में बहुत आक्रोश है। गरीब नवाज के खुद्दाम लोग हर रोज एक बैठक कर रहे हैं। उनमें एक बात को लेकर रोष है। वह रोष इस बात का है कि कुछ दिन पूर्व जी. टी. वी. पर एक न्यूज आयी थी दरगाह शरीफ के सम्बन्ध में। मैं उसका उल्लेख नहीं करूंगा क्या था, पर यहां भी इसकी बात उठी थी। खुद्दाम लोगों में बहुत आक्रोश है और वह हर रोज ऐसी बैठकें कर रहे हैं जिससे एक ऐसा वातावरण बन रहा है, जिससे तनाव बढ़ रहा है। यह सत्य है कि खुद्दाम लोगों के ऊपर आरोप लगाया गया था जो नितान्त असत्य है। और उस आरोप का खण्डन हमारी दरगाह कमेटी है, जो भारत सरकार द्वारा स्थापित है, उसके नाजिमों ने भी दी कि यह कलश जहां था वहीं कलश है। किन्तु उन्होंने एक मांग की है कि कलश किस धातु का है, सोने का है या अन्य एलाय का है, उसकी जांच होनी चाहिये। दूसरा, यह कलश रामपुर दरबार में दिया था उनसे जानकारी की जाये।

मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से इतना ही निवेदन करूंगा कि यह क्षेत्र अत्यन्त ही संवेदनशील है और दरगाह कमेटी ने जो इसमें मंशा जाहिर की है, अपनी विज्ञप्ति के अनुसार जानकारी करके इस मैटर को तत्परता समाप्त करवायें। वहां शांति बनाये रखने का प्रयास करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री उगमराज जी।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : अध्यक्ष महोदय, अजमेर जिले के आस-पास और अजमेर शहर में अवैध रूप से रह रहे बंगलादेशी शरणार्थियों ने आज वहां पर अपने राशन कार्ड बना लिये हैं। वह रह रहे हैं चीला, चमारों की घाटी में। वह चमारों की घाटी जो अजमेर में है, वह कायस्थों की घाटी भी कहलाती है। वहां अवैध रूप से वह सारे बस गये और रह रहे हैं। आज उन्होंने राशन कार्ड बना लिये और खाना वहां नहीं खाते, खाना लंगर से मिलता है उनको।

ब्यावर के आस-पास का क्षेत्र मिनि पाकिस्तान के रूप में बनने जा रहा है। मैं राज्य सरकार को निवेदन करना चाहूंगा कि बंगलादेश से आये हुए नागरिकों को तत्काल अजमेर जिले से, अजमेर शहर से बाहर किया जाए।

श्री अध्यक्ष : श्री रामचन्द्र जी रावत।

श्री रामचन्द्र रावत (कोटपूतली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हू।

मेरे कोटपूतली क्षेत्र में पाछूडाला से कारौली गांव के अन्दर एक अप्रोच रोड दो-तीन किलोमीटर अकाल राहत योजना के तहत बनी थी। दो साल पूरे हो गये हैं और वह रोड इतनी खराब हो गयी है

(श्री रामचन्द्र रावत)

कि मिट्टी भी बह गयी है और रोड उखड़कर निकल गयी है। मगर अभी तक कोई भी डामरीकरण उसके ऊपर नहीं किया गया। इसलिये मेरा निवेदन है माननीय मंत्रीजी से कि उस सड़क पर डामरीकरण किया जाय और इसी के तहत एक और महत्वपूर्ण सड़क है जो हरियाणा बोर्डर से लेकर... (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। इससे तो अच्छा है आप मंत्रीजी को लिखकर भेजते।

श्री रामचन्द्र रावत : और उसके अंदर न तो कोई डामरीकरण किया है दुबारा से जबकि विभाग की इस तरह से एक नीति है कि पांच साल के अंदर यह डामरीकरण दुबारा होना चाहिये। मगर अभी तक उनका न तो कोई डामरीकरण किया गया है, न पेच निकाले गये। यहां तक कि कई दूर-दूर तक कई खेतों तक तो उस सड़क का नाम ही नहीं है। न सड़क है, न डामर है और न रोड हैं। इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वह डामरीकरण दुबारा से करवाया जाय।

श्री अध्यक्ष : बिराजें। श्री रामगोपाल जी।

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय चिकित्सा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

इस साल का बजट चिकित्सा के लिए समर्पित रहा। लेकिन, माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं चिकित्सा के क्षेत्र में जब ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र की हम बात करते हैं तो पूरा का पूरा ग्रामीण प्रतिनियुक्ति के कारण खाली पड़ा हुआ है।

आज कोटा जिले के अन्तर्गत जो मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, पीपल्दा, वहां से सब सेन्टर जिनमें डूंगरली, रणोदिया, नरसिंहपुरा, आयानी, बिनायिका, बम्बूला, छापोद, नीमसरा, छिनोता, इन सबमें लगी हुई ए. एन. एम. प्रतिनियुक्ति पर कोटा जिला मुख्यालय पर लगी हुई हैं। आज ग्रामीण क्षेत्र की जनता को इंजेक्शन लगवाने की और टेबलेट तक की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

गत पिछले बीस दिनों पहले वहां के सी एम. एण्ड. एच. ओ., कोटा और जोइंट डायरेक्टर, कोटा ने इन प्रतिनियुक्तियों को भी समाप्त किया और जितने भी प्रतिनियुक्ति पर ए. एन, एम. और एल. एच. बी. लगी हुई थीं, उनको जिला मुख्यालय पर बुलाया और आठ दिन के बाद सारी प्रतिनियुक्तियों को वापस कैंसिल करके सबको प्रतिनियुक्ति पर लगा दिया गया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इन सब प्रतिनियुक्तियों को समाप्त कर ग्रामीण क्षेत्र में ए. एन. एम. लगायी जायं।

श्री अध्यक्ष : भीमराज जी भाटी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा कि जितनी भी ए. एन. एम., एल. एच. वी. प्रतिनियुक्ति पर पहले लगी हुई थी सबकी प्रतिनियुक्तियां रद्द कर दी गयी हैं। माननीय सदस्य ने अपने क्षेत्र के बारे में जो बात कही है। कुछ अभी भी इस तरह की हैं, जो प्रतिनियुक्ति पर हैं। शहरों में लगा दिया। गांवो में सब सेंटर खाली है। आप मुझे लिखकर दें, मैं उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करूंगा। निश्चित तौर पर इसकी व्यवस्था करूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमराज जी भाटी। (अनुपस्थित) श्री रतनलाल जी ताम्बी।

श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा का यह आखिरी दिन है....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आप पीछे हो ?

श्री परसादी लाल मीणा : उधर गये क्या आप ?

श्री रतन लाल ताम्बी : मैं सीधा पीछे ही हूं। पीछे की पीछे लग रहा हूं। आज राजस्थान विधान सभा के इस सत्र का अन्तिम दिन है। हम कई दिनों से यहां पर विभिन्न समस्याओं के लिए चर्चा कर रहे थे। मैं मुख्य तौर से मेरे क्षेत्र में जाऊंगा। मेरे सामने यह समस्या बहुत गम्भीर रूप से खड़ी है कि....

श्री इन्द्र सिंह पूनियां (सादुलपुर) : अब क्यों खड़ी है ?

श्री रतन लाल ताम्बी : हमारे गांव के लोग आज भी खारा और दूषित पानी पीते हैं और उसके लिये इतनी चर्चा के बावजूद भी राज्य सरकार की ओर से यह नहीं कहा गया कि उस समस्या का समाधान कैसे होगा ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में दस हजार हैण्ड पम्प नये लगाये जाएंगे। पूरे राजस्थान के लगभग सब हिस्सों का आप अंदाजा लगा लें तो ऊंट के मुंह में जीरा होगा। जहां राजस्थान में एक जिले में कम से कम दो हजार हैण्ड पम्प इसलिये लगना आवश्यक हो गया है ...

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री रतन लाल ताम्बी : बात तो सुने अध्यक्ष महोदय, पूरी।

श्री अध्यक्ष : पूरी सुन ली न बात।

श्री रतन लाल ताम्बी : नहीं-नहीं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आपके वहां पानी की समस्या है और दो हजार हैण्ड पम्प हैं और ऊंट के मुंह में जीरा है।

श्री रतन लाल ताम्बी : थोड़ा-सा निवेदन कर रहा हूं। 1981 की जनसंख्या के बाद जनसंख्या काफी बढ़ गयी है। हैण्ड पम्प बहुत नकारा हैं। इसलिए मेरा यह निवेदन हैं कि तात्कालिक तौर पर राजस्थान की सरकार इस समस्या को, कंटीजेंसी प्लान के लिए विशेष प्रावधान करके, युद्ध स्तर पर हल करने का प्रयास करें।

(श्री रतन लाल ताम्बी)

मैं इस के साथ यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि मांभड़ा साहब ने बहुत मेहनत करके एक रिपोर्ट राज्य सरकार को दी। हालांकि पूरे राजस्थान की उसमें समस्याएं समाविष्ट नहीं हुई हैं। काफी प्रयत्न करने के बाद, मैं समझता हूं काफी समस्याएं उभर कर आयीं। राजस्थान सरकार को उसके आधार पर इस सदन में आज कुछ घोषणा करने की आवश्यकता है कि वह क्या व्यवस्था करने जाएगी। वरना यह डेढ़-दो महीने इतने संकट के होंगे कि गांवों में लोगों का और पशुधन का रहना भी बड़ा कठिन हो जाएगा। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह माननीय आपने दो-तीन बार उठा ली बात। 295 के जरिये भी उठायी।

श्री रतन लाल ताम्बी : नहीं उठायी।

श्री अध्यक्ष : दो बार उठायी। आप बिराजें, माननीय।

श्री रतन लाल ताम्बी : एक आखिरी शब्द कहकर समाप्त करना चाहता हूं।

मैंने इस मौके पर यह भी निवेदन किया था कि राजस्थान में समस्या इतनी विकराल है, जयपुर की चार दीवारी में समस्या का समाधान करने में तत्पर रहने वाले पी. एच. ई डी. मंत्री महोदय, राजस्थान भर की ग्रामीण समस्याओं से जूझ नहीं सकते, व्यवस्था नहीं कर सकते। इसलिए मुख्य मंत्री महोदय तक मेरी यह भावना पहुंचायें कि एक मंत्री ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं के लिए अलग से मानिटरिंग करके समस्या का समाधान निकालें।

श्री अध्यक्ष : श्री गोपीचन्द जी। (अनुपस्थित) श्री रामनारायण जी मीणा (अनुपस्थित) श्री हरजीराम बुरडक।

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में बिजली संकट बढ़ता जा रहा है। उद्योगों के लिए राज्य सरकार द्वारा जनरेटर खरीदने पर अनुदान दिया जाता है लेकिन काश्तकार को अगर बिजली संकट से उबरने के लिए जनरेटर दे दिया जाता है तो कोई अनुदान नहीं दिया जाता।

जहां तक मेरी जानकारी है राज्य सरकार का मानना है कि काश्तकारों को बिजली सस्ती मिलती है। उनको खम्भों में अनुदान दिया जाता है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि उद्योगों को बहुत ज्यादा सुविधाएं दी जा रही हैं। कम से कम पच्चीस लाख तक का उनको मकान बनाने में या मशीनरी खरीदने में अनुदान दिया जाता है परन्तु काश्तकारों को किसी प्रकार का कोई अनुदान नहीं दिया जाता। इसलिए मेरा आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन है कि जो काश्तकार अपने संसाधनों से बिजली संकट से उबरने के लिये जनरेटर खरीदते हैं, उनको तो कम से कम अनुदान दिया जाय। जैसे उद्योगों को आप डेढ लाख रुपये तक अनुदान देते हैं उनको, दूसरी सुविधाएं देते हैं और बिजली कनेक्शन हाथों-हाथ देते हैं। काश्तकार 10-10 साल तक तो बिजली के कनेक्शन लेने के इन्तजार में रहें और खुद के साधन पर जो जनरेटर खरीदें,

(श्री हरजीराम बुरडक)

उनको आप अनुदान नहीं देते हैं इस विषय पर आप विचार करें और जहां तक मेरी जानकारी है राज्य सरकार यदि इस मामले में स्कीम बनाकर भारत सरकार के पास भेजे तो इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि जैसे स्प्रिंकलर या ड्रिप इरिगेशन में जो भारत सरकार सब्सिडी, दे रही है, उसी हिसाब से राज्य सरकार इसमें स्कीम बनाकर भेजे।

श्री अध्यक्ष : 295।

श्री रामनारायण चौधरी : यह बहुत इम्पोर्टेंट है, माननीय सदस्य बोलेंगे, अध्यक्ष महोदय।

श्री परसादी लाल मीणा : स्थगन प्रस्ताव में आपने व्यवस्था दी थी दो-दो मिनट की....(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : उद्योग मंत्रीजी, उद्योगपतियों को अनुदान देते हैं। काश्तकार अपने साधनों से जनरेटर लगायें तो उनको भी अनुदान देने पर आप विचार क्यों नहीं करते ?

श्री हरजीराम बुरडक : इसके लिये आश्वासन तो दीजिये, आप विचार तो करिये और भारत सरकार को स्कीम भेजिये आपका इसमें क्या लगता है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : माननीय सदस्यगण जो भी सवाल यहां उठाते हैं उन पर विचार जरूर करते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, उप मुख्यमंत्री जी बहुत धीरे बोल रहे हैं। मैं एक सजेशन देता हूं आपको ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : आप उधर जाकर शर्मीले ज्यादा हो गये।

श्री परसराम मदेरणा : जहां तक मुझे जानकारी है, हो सकता है कि पूरी जानकारी नहीं हो। अभी आप कृषि नीति बनाने जा रहे हैं। यह बात तो सही है कि पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर साहब, आपकी तो नीति बन गयी सड़क की, कृषि की नहीं बनी न।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : कृषि नीति भी बन रही है।

श्री परसराम मदेरणा : अब कृषि की नीति बन रही है, इसका सम्बन्ध कृषि नीति से है। बिजली वाले सब्सिडी नहीं देते हैं। सब्सिडी उद्योग डिपार्टमेंट दे रहा है उद्योगों को। चाहे रीको दे रहा है, राजस्थान फाइनेंस कार्पोरेशन, दे रहा है या इण्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट दे रहा है मुझे मालूम नहीं। इसी तरह से इसका प्रभारी डिपार्टमेंट तो कृषि के सम्बन्ध में आएगा एग्रीकल्चर। नीति के सम्बन्ध में यह कौंसिल आफ मिनिस्टर्स के पास जाएगा। चीफ मिनिस्टर साहब यहां बैठे हैं और वह सरकार के वरिष्ठ प्रतिनिधि हैं यहां पर और यह जो सुझाव आया है, प्रस्ताव आया है तो काश्तकार जो जनरेटर खरीदता है तो उसमें आप सब्सिडी उद्योगपतियों को देते हो और काश्तकारों को नहीं देते हो। परसों मुख्यमंत्री जी यहां, पर कह रहे थे, आप लोगों ने, विरोधी पक्ष ने, प्रतिपक्ष ने कि टैक्स कौन से लगने

(श्री परसराम मदेरणा)

चाहिये और कौन से माफ होने चाहिये इस पर मुझे कोई सुझाव नहीं दिया। फिर उन्होंने कहा कि यह व्यापारियों का बहुत कंवरसम है, सरलीकरण है, व्यापारियों के लिए फायदा है। व्यापारी तो हमसे मिलते ही नहीं, हम तो गरीब आदमी हैं, व्यापारियों को जानते ही नहीं। यह व्यापारियों की आपकी सरकार है और इसलिए आप मेहरबानी करके उद्योगों को जिस तरह से अनुदान दे रहे हैं आप काश्तकारों को भी जनरेटर के ऊपर आप सब्सिडाइज्ड एग्रीकल्चरल टैरिफ देते हैं उसका कोई मतलब नहीं है। उसको डीजल से चलाने के बाद में एक यूनिट का खर्चा दो/सौ पैसे आएगा....

(13.14)

(श्री समरथ लाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

ऐसा सूरत में आपकी एग्रीकल्चर पालिसी अण्डर फोर्मुलेशन है, तो उस पालिसी के अन्दर इस मैटर को निश्चित तौर पर डिस्कस करना चाहिये और उस पर आपको नीति सम्बन्धी निर्णय लेना चाहिये।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता ने जो सुझाव दिया है निश्चित रुप से सरकार इस बारे में पहले से ही विचार कर रही है। कुछ कठिनाइयां हैं जो हम आपके सामने बाद में रख देंगे लेकिन हम चाहते हैं यह बात सही है....

श्री रामनारायण चौधरी : कहां तक विचार कर रहे हैं ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैं बता रहा हूं। इसीलिए हम चाहते हैं कि यदि हम बिजली का जनरेशन जितना हमको पर्याप्त करना चाहिये इसके लिए हम प्रयत्नशील हैं और वह काश्तकारों के लिहाज से ही है कि उनको चौबीस घण्टे बिजली मिलती रहे। इतनी बिजली हम जनरेट करें, लेकिन यदि उसमें कहीं पर भी आपत्ति या कठिनाई पैदा हुई और इससे काश्त अफेक्ट नहीं हो, इस सम्बन्ध में सरकार विचार कर रही है। एक सुझाव जो आपने दिया है उस पर भी विचार करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : डा. जितेन्द्र जी।

डा. जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि हाउस में पहले चर्चा हुई थी। सवाई मानसिंह अस्पताल के अन्दर जगह की कमी को देखते हुए हमारे माननीय सदस्य ने विचार रखा था महाराजा कालेज की बिल्डिंग को ले लिया जाय। वह विचार चल रहा था लेकिन बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि वह बिल्डिंग तो लेना दूर रहा, एस.एम.एस हास्पिटल काम्पलैक्स के अन्दर जो प्रिंसिपल वगैरहा के ओल्ड रेजिडेंस थे, मुझे ज्ञात हुआ है कि जे.डी.ए. उन ओल्ड रेजिडेंशियल्स को लेकर वहां एक मार्केटिंग कोम्पलैक्स बनाने जा रहा है और उसको परमिट भी कर दिया गया। महोदय, बड़ा गम्भीर विषय है कि एक ओर तो आपके पास स्थान का अभाव है और दूसरी ओर जे.डी.ए. को मार्केटिंग काम्पलैक्स बनाने के लिए दे रहे हैं। मेरा तो यह सुझाव है, मंत्री जी को, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी पुराने प्रिंसिपल्स वगैरहा के रेजिडेंस बने हुए हैं वहां पर यह

(डा. जितेन्द्र सिंह)

स्थिति है कि कोई डाक्टर तो दस किलोमीटर दूर कोई बीस किलोमीटर दूर है। वहां पर आप उनके लिए एक छोटा रेजिडेंशियल काम्पलैक्स मल्टी स्टोरी बना दीजिए, पचास-साठ इम्पोर्टेंट डाक्टर्स एक साथ उसमें एक जगह रह जायेंगे। अगर मार्केटिंग काम्पलैक्स वहां पर बनेगा तो उससे सारा एटमोसफियर पाल्यूट हो जाएगा। रेजिडेंशियल काम्पलैक्स में मरीजों के लिए कोई सस्ती दुकान हो या कोई भोजनालय की अण्डर ग्राउण्ड व्यवस्था हो। यह मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को निवेदन करूंगा कि इसमें जल्दी से जल्दी इन्टरफियर करें अदरवाइज बहुत बड़ा अन्याय गरीबों के साथ हो जाएगा। धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एव स्वास्थ्य राज्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहूंगा कि मेडिकल हैल्थ की जब डिमाण्डस पर चर्चा हो रही थी उस समय भी मैंने कहा था कि एस.एम.एस. हास्पिटल की एक-एक इंच जमीन का उपयोग हो और वहां पर सब तरह की सुपर स्पेशेलिटीज को अलग-अलग करके व्यवस्थित रूप से उनका काम सुचार रूप से चले इसके लिए हमने एक समिति बनायी है। विशिष्ट शासन सचिव की अध्यक्षता में यह समिति है और उसमें समय भी निश्चित किया है एक माह का। और यह जिस मार्केटिंग काम्पलैक्स की बात कर रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह की कोई बात नहीं है। आपने जो आज ध्यान आकर्षित किया मैं और मालूम कर लूंगा किसी भी सूरत के अन्दर एस.एम.एस. जो हमारा सबसे बड़ा चिकित्सालय है वहां की एक-एक इंच जमीन का उपयोग हम करना चाहते हैं वहां इस तरह का काम्पलैक्स नहीं बनने दिया जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री आर.पी. शर्मा।

श्री आर.पी. शर्मा (भरतपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। भरतपुर जो राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार भी है और भरतपुर ने राजस्थान के विकास के लिए चाहे कृषि का क्षेत्र हो और चाहे रेवेन्यू रिसीटस का सवाल हो, राजस्थान के विकास के लिए भरतपुर की जनता ने बहुत बड़ा कांट्रीब्यूशन किया है। लेकिन मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि भरतपुर के विकास के सम्बन्ध में, राजस्थान सरकार से भरतपुर हमेशा उपेक्षा का शिकार रहा है और खाली उपेक्षा का शिकार नहीं रहा, मैं खास तौर से कहना चाहता हूं कि भरतपुर की मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, जो राजस्थान सरकार को एक जिले की हैसियत से देनी चाहिये थीं उसमें भी राजस्थान सरकार ने हमेशा उपेक्षा की है और राजस्थान सरकार इस मामले में फेल रही है। मैं खास तौर से चूंकि आज की तारीख में बी.जे.पी. की सरकार है राजनीति में यह निश्चित रूप से बिलकुल सही बात है कि हम सोच करते हैं इस बात का कि हमारी पार्टी का वहां कितना असर है। आज भरतपुर जिले में दोनों एम.पी. बी.जे.पी. के हैं। तीन बी.जे.पी. के एम.एल.ए. साहबान होने के

(श्री आर. पी. शर्मा)

बावजूद भी भरतपुर को राजस्थान सरकार उपेक्षा कर रही है।

खास तौर से मैं इस बात को कहना चाहता हूं भरतपुर का किला जब बना तो भरतपुर का किला बनाने के लिए राजा-महाराजाओं ने पहले दस हजार फीट लम्बी एक खाई खोदी जो दो सौ फीट चौड़ी थी और तीस फीट गहरी थी। वह खाई बनाने के पीछे हमारी सुरक्षा का सवाल तो था ही लेकिन उसके साथ-साथ उस खाई में नहरों के द्वारा पानी डाला गया उस पानी से हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे आस-पास के निवासियों के लिए पीने का पानी मिलता था। साथ ही साथ जानवरों के लिए भी पीने का पानी मिलता था और वहां एक तरह से शांति रहती थी लेकिन पिछले पच्चीस सालों से उस नहर के प्रति सरकार का कोई ध्यान नहीं रहा। हालत यह हो गयी उस नहर में पानी भरना बन्द हो गया और आज उस नहर में इतनी बदबू और सड़ान्ध है जिससे कि आस-पास के मकानों में रहने वालों को वहां सांस लेने में दिक्कत आ रही है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं आगे आने वाले समय में हो सकता है उस नहर से कोई महामारी फैले, हो सकता है उस नहर से कोई रोग फैले, मलेरिया फैले और सरकार को करोड़ों रुपया बरबाद करना पड़े। एक इंग्लिश में कहावत है कि "prevention is better than cure" सरकार ऐसी समस्याओं को गम्भीरता से लेते हुए खुद अपनी मर्जी से क्यों नहीं उन पर ध्यान देती है। इस नहर के लिए खास तौर से पहले जो पच्चीस साल का गंदा पानी इकट्ठा हो गया है उसको खाली करवाने की व्यवस्था सरकार तुरन्त प्रभाव से करे, क्योंकि अब जो पानी भरा हुआ है वह इतना भारी हो गया है, ओल्ड वाटर है। ओल्ड वाटर होने के कारण पम्प के जरिये हम पानी नहीं खाली करवायेंगे, नया पानी डालने के बाद भी खाली नहीं होगा। क्योंकि नया पानी लाइट वाटर होता है पुराना पानी हैवी वाटर होता है। लिहाजा वह लाइट वाटर बाहर निकल जाएगा, हैवी वाटर वहीं का वहीं रह जाएगा।

मैं, सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उस नहर को खाली करवाने की तुरन्त प्रभाव से व्यवस्था की जाए, नम्बर एक।

नम्बर दो, नहर को खाली करने के वक्त जो उसके नीचे कीचड़ और मिट्टी जमी है उसको साफ कराया जाय, नहर के घाटों का निर्माण कराया जाए और नहर की दीवारों का निर्माण कराया जाए। एक बात मैं गम्भीर रूप से कहना चाहता हूं मंत्रीजी से, कि जो नगर परिषद के नाले है, नगर परिषद् के शौचालय के, गन्दगी के नाले हैं, वह भी इस नहर में डाले जा रहे है। यहां तक कि हमारे अस्पताल का कूड़ा, कचरा और नालियां भी उसमें डाली जा रही हैं। इसलिए इन सब बातों को रोककर, अगर नहर की तरफ सरकार ध्यान नहीं दिया तो आगे आने वाले समय में भरतपुर में महामारी और रोग फैल सकता है। सरकार का करोड़ों रुपया बरबाद हो सकता है

(श्री आर. पी. शर्मा)

और कई लोगों की जान जा सकती है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं सरकार तुरन्त प्रभाव से इस और कार्यवाही करे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री परसादी लाल मीणा।

श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अतिक्रमण के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव लगाया था। पंचायत समिति लालसोट की ग्राम पंचायत मण्डावरी और मण्डावरी से एक सड़क जाती है बगड़ी और महाडिया के लिए। उस सड़क पर एक शीतला माता का मन्दिर बना हुआ है। उस मंदिर की साइड में होकर सैंकडों वर्षों से शहर और गांव का पानी निकलता था। उस स्थान मेन सड़क पर अतिक्रमण कर लिया गया और उस मन्दिर के चारों तरफ जो पूजा का और देवालय स्थान है, वहां चारों तरफ सम्बन्धित खातेदार ने पत्थर डाल दिये। सारे गांव का पानी पीछे मोहल्ले में भर गया और वहां पर भयंकर बीमारियां फैलने की संभावना है। स्थानीय ग्राम पंचायत ने कलक्टर को लिखा, एस.डी.ओ. को लिखा। ग्राम पंचायत ने मुझे लिखा तो मैंने भी कलक्टर को लिखा। जन-अभाव अभियोग समिति में भी इस मामले को उठाया गया। परन्तु उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने ऐसे +++ कलक्टर दौसा में लगा रखे है। +++ कलक्टर ने आज तक भी उस अतिक्रमण को हटाने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नही की। मुझे बहुत बड़ा अफसोस हैं, उपाध्यक्ष महोदय, मैने स्वयं ने इस मामले को जन अभाव अभियोग में कम से कम चार महीने पहले उठाया था और उसके बाद आज तक भी उस अतिक्रमण को नहीं हटाया गया। मुख्य मंत्रीजी सचिवालय के राज्य मंत्रीजी बैठे थे, क्या इसी तरह आप जन अभाव अभियोग की समितियां चलायेंगे ? इसी तरह आप ऐसे +++ कलक्टर लगाकर आप जिलों में....

श्री उपाध्यक्ष : कलक्टर कभी +++ नहीं होता। सारी।

श्री परसादी लाल मीणा : कलेक्टर +++ और +++ सिर्फ एक +++ ऐसे कलक्टर लगाकर कम से कम 6-8 महीने से वहां पर अतिक्रमण हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तकलीफ है इसलिये मैंने इस शब्द का इस्तेमाल किया है। नहीं, तो मैं कभी नहीं करता। इसका मतलब "अधेर नगरी चौपट राजा, टका सेर भाजी टका सेर खाजा" यह इस राज में हो रहा है। उस अतिक्रमण को हटाया नहीं गया। माननीय चतुर्वेदी जी बैठे हैं। बिलकुल सड़क के बीच में है। वहां पर सड़क का काम कराया गया। उसने कहा कि मैं नहीं करने दूंगा काम। सड़क का काम बद हो गया। ऐसे हालात और ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत के सरपंच कलक्टर

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री परसादी लाल मीणा)

को लिखे, उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं। एम.एल.ए. वहां पर आकर कलक्टर को जन अभाव अभियोग में कहे, उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं। मंत्री महोदय, आपको सड़कों पर जो अतिक्रमण हो रहे हैं और जो आपको सूचनाएं दी जा रही हैं, आप उस अतिक्रमण को हटाने के लिये त्वरित कार्यवाही करें। अगर सड़कों पर अतिक्रमण की परिपाटी शुरू हो गयी तो वहीं नहीं, आपकी सब जगहों पर अतिक्रमण हो जाएगें। हैल्थ के मंत्री महोदय, यहां बैठे हुए हैं। मंत्रीजी, वह गन्दा पानी गांव के मोहल्ले में भरा हुआ है, वहां मच्छर पैदा हो गये, मलेरिया फैल रहा है और अगर वहां पर पानी को निकालने की व्यवस्था नहीं की गयी तो आपके विभाग को भी कठिनाई आ सकती है। मेरा आपसे निवेदन है, सड़क के मंत्रीजी बैठे हैं ...

श्री रोहिताश्व (यातायात राज्य मंत्री) : कलक्टर से सड़क पर आ गये।

श्री परसादी लाल मीणा : कलक्टर क्या ? मैं तो रोजाना +++ कि क्या हो रहा है यह आपके राज में। जन-अभाव अभियोग में मामला आने के बाद, 6 महीने बाद भी अतिक्रमण नहीं हटे तो फिर जन-अभाव समितियों का महत्व रह जाता है ? एक एम. एल. ए. लिखे, एक सरपंच लिखे, गांव के लोग लिखें। उसके बाद भी ऐसे स्थानों से यह बी. जे.पी. के नेता कहते हैं कि हम तो देवस्थानों का, तीर्थ स्थलों का बहुत सम्मान करते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें।

श्री परसादी लाल मीणा : शीतला माता के मन्दिर के चारों तरफ जो पत्थर पड़े हुए हैं, आप मेहरबानी करके उनको तो हटा दें। मेरा आप सभी सम्बन्धित विभाग के मंत्रियों से निवेदन है कि उस अतिक्रमण को तुरन्त कार्यवाही करके हटाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव, श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

श्री नरेन्द्र बुडानिया : मुझे दो मिनट बोलने के लिये कहा था अध्यक्षजी ने।

श्री रामस्वरूप : मेरा विनम्र निवेदन है मुझे भी व्यवस्था दी ...

श्री उपाध्यक्ष : सूर्यकान्ता जी, आप बिराजें।

श्री राकेश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट। मैं आपकी अनुमति से...

(व्यवधान).

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें इनके बाद।

श्री नरेन्द्र बुडानिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं, सन 1993 की दुर्घटना का वर्णन करना चाहता हूं।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री उपाध्यक्ष : कितना लम्बा होगा यह ?

श्री नरेन्द्र बुढ़ानिया : सिर्फ दो मिनट सरदारशहर में श्री रामप्रताप नाम का एक तहसीलदार अपने इजलास में बैठकर के, अपनी अदालत में बैठकर के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे, और कुछ प्रभावशाली लोग, जिनमें एक भूतपूर्व मंत्री भी शामिल थे, भरी अदालत के अन्दर तहसीलदार को, जो हरिजन जाति से बिलोंग करते थे और निम्न शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उनका गला पकड़कर, इजलास से नीचे पटक करके इतनी बेरहमी से उनको पीटा गया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बता नहीं सकता कि उनके कपड़ो में पेशाब और शरीर के अपच पदार्थ भी बाहर आ गये। इस तरह से उस तहसीलदार की पिटाई की गयी। इनके सब बयान, गवाह, इनक्वायरी आदि सब हो गयी है। पिछले तीन साल से, 93 से....

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामस्वरूप जी।

श्री नरेन्द्र बुढ़ानिया : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। मैं इसलिए बार-बार आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूं ...

श्री उपाध्यक्ष : आपने ध्यान आकर्षित कर दिया, कृपया बिराजिये।

श्री नरेन्द्र बुढ़ानिया : कि इसमें जो मुलजिम शामिल हैं वह लगातार और दूसरी घटनाएं भी करते जा रहे हैं। उनका एक आतंक बना हुआ है। जनता की भावना के मुताबिक उस हरिजन तहसीलदार की पिटाई हुई। 3/19 में एट्रोसिटीज एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ और भी धाराएं उसकी लगी हैं। गृह मंत्रीजी बिराजमान हैं। मैंने पिछले बजट सत्र में भी कहा था। बार-बार इसके लिये कहता आ रहा हूं और आज भी आपसे निवेदन करना चाहता हूं ....

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामस्वरूप। कृपया बिराजिये।

श्री नरेन्द्र बुढ़ानिया : कि आप मुलजिमान को गिरफ्तार करवाइये और उस केस का तुरन्त निपटारा कराइये।

श्री राकेश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन को....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया रामस्वरुप जी के बाद आप बोलें।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : इतनी देर में तो अपनी बात कह देता....

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : माननीय सदस्य ने जो बात रखी है, बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री राकेश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, बी.14 विधायक आवास गृह 14, 15 16, 17, 18, ...

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामस्वरुप जी, आप बोलना चाहते हैं ? आप बोलिये। कृपया आप बिराजें।

श्री राकेश मेघवाल : इन आवास गृहों में पीने का पानी बहुत खारा आता है और

(श्री राकेश मेघवाल)

इससे दूध तक भी फट जाता है। चाय भी फट जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, सरकारी मकानों में, विधायक आवास गृहों में अगर खारा पानी आता है तो आम जनता का क्या होगा ? मेरे बार-बार निवेदन करने के बाद भी आज तक 14, 15, 16, 17, 18, बी-14 आवास गृह में आज तक मीठा पानी नहीं आया उससे दूध फट जाता है। डेढ़ साल से आज तक हम परेशान हैं और आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस समस्या को तुरन्त प्रभाव से आप दूर करावें।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद, आप विराजें।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : माननीय उपाध्याक्ष महोदय, मैं, आपके माध्यम से गुलाबपुरा नगरपालिका के करोड़ों रुपयों के घोटाले के बारे में निवेदन करना चाहूंगा जिसको हम माननीय सदस्यों ने दस्तखत करके आपके सामने दिया था। मेरा विनम्र निवेदन है कि बिना कोई प्रस्ताव के सिंथेटिक धागा बनाने वाली फाइबर पर चुंगी एक से घटाकर तीस करने पर पालिका को दो करोड़ रुपये से अधिक की क्षति पहुंची।

दूसरा, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि वहां पर अध्यक्ष के द्वारा नियमों के विपरीत विज्ञापन के लिए लाखों रुपये व्यय कर दिये जिसमें अधिकांश राशि अपने रिश्तेदारों एवं परिवार वालों को दी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह लिस्ट मेरे पास है जिसमें अलग-अलग विज्ञापन दिये गये हैं। एक कोई अखबार है उस अखबार का नाम भारतीय जनता पार्टी है, हमने तो आज तक कभी यह नाम सुना नहीं है। इस भारतीय जनता पार्टी अखबार को उन्होंने 50 हजार रुपये के विज्ञापन दिये। ताज्जुब की बात है कि अन्य अखबारों को किसी को एक हजार के दिये, किसी को दो हजार के दिये, किसी को तीन हजार के दिये 4-5 हजार रुपये से ज्यादा किसी को भी नहीं दिये। यह बड़े दुःख की बात है कि 50 हजार रुपये विज्ञापन के लिये उन्होंने इस प्रकार से दिये। नगरपालिका का अपना निजी वाहन होते हुए भी उन्होंने टैक्सी किराये पर ली। टैक्सी किराये पर ली और प्रति माह 15 हजार रुपये का नुकसान पहुंचाया।

इसी प्रकार मैं निवेदन करूं कि अपने निवास पर पालिका के टेलीफोन नम्बर 23015 पर एस. टी. डी बिना स्वीकृति के लगवा कर अपने निजी कार्य के उपयोग में लिया जिसके कारण 14 हजार रुपये इसी माह के बकाया हैं। इसी प्रकार से घर के व्यक्तियों के नाम से फर्जी दवाइयों के बिल प्रस्तुत कर उन्होंने राशि उठायी है। पार्षद राजकुमार पुत्र रांका को लाभ देने हेतु गबन का आरोप होते हुए भी लाखों रुपयों का भुगतान किया। वीरेन्द्र सिंह रांका जांच में दोषी पाये गये। पालिका के विधि सलाहकार द्वारा भी रांका के विरुद्ध एफ. आई. आर. दर्ज करवाने की कानूनी सलाह दी। श्री रांका सर्वोच्च न्यायालय का मुकदमा हार चुके हैं। इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इस प्रकार से जो नगरपालिका के अन्दर गड़बड़ हो रही है, इस गड़बड़ की जांच भी हो गयी है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। जांच कलेक्टर ने

(श्री रामस्वरूप)

की है और यह जांच फरवरी, 1993 के ग्रन्दर की है। कलक्टर ने स्वयं जाकर पूरी जांच की ग्रौर जांच में दोषी पाये गये ग्रौर उनको चार्जशीट दी गयी। मेरा विनम्र निवेदन है कि जब जांच हो गयी, जांच में दोषी माना गया ग्रौर उपाध्यक्ष को ग्रापने सस्पैंड भी कर दिया। माननीय मंत्री महोदय, लेकिन बड़े दुख की बात है कि ग्रापके ग्रध्यक्ष बैठे हुए हैं उनको आज तक सस्पैंड नहीं किया। इसका मूल कारण यह है कि 50 हजार रुपये उन्होंने चन्दे के ग्रापकी पार्टी को दिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसके कारण ग्रापने उसे सस्पैंड नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें।

श्री रामस्वरूप : इसलिए मेरा ग्रापके माध्यम से विनम्र निवेदन है कि जब उनकी जांच पूरी हो गयी, जांच में दोषी माना गया है तो ग्राप उसको सस्पैंड करें ग्रौर उसके विरुद्ध कार्यवाही करें।

श्री उपाध्यक्ष : 295, श्रीमती सूर्यकान्ता जी।

श्री रामस्वरूप : माननीय मंत्री महोदय बिराजमान हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसका जवाब दिलाया जाय। इसका जवाब भी ग्रापकी सेवा में ग्रा चुका है। हमने 131 के तहत लगाया था उसका जवाब भी सरकार के पास ग्रा चुका है। जब जवाब ग्रा गया तो माननीय मंत्री महोदय से मेरा विनम्र निवेदन है कि ग्रब इस बारे में क्या कार्यवाही करेंगे यह कम से कम हमें ग्रवगत करवा दें।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो रिपोर्ट ग्रायी है उसके बाद हमने जुडिशियल इन्क्वायरी में दे दिया है ग्रौर वहां से जो भी निर्णय होगा उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, कलक्टर ने साफ लिख दिया, जांच हो गयी, जांच में दोषी माना गया.... (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सदस्य सिस्टम यही है कि जब जांच रिपोर्ट ग्राती है उसको हम जुडिशियल इन्क्वायरी में दे देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें। 295, श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

नियम 295 के ग्रन्तर्गत विशेष उल्लेख

जोधपुर शहर में पेयजल की व्यवस्था

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : माननीय उपाध्यक्षजी, जोधपुर शहर में गर्मी के मौसम में पेयजल की समुचित व्यवस्था के सम्बन्ध में नियम 295 के तहत मंत्रीजी का ध्यान ग्राकर्षित करना चाहूंगी।

मान्यवर, जोधपुर शहर में पेयजल की विकट समस्या रहती है। ग्रीष्मकालीन में यह समस्या ग्रौर ग्रधिक जटिल बन जाती है। क्षेत्र के ग्रन्तिम छोर पर ग्रथवा ऊंचाई

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

वाले इलाकों में पानी या तो पहुंचता ही नहीं है या जमीन में गड्ढे खोदकर होदियां बना कर लोगों को पानी लेना पड़ता है। अब ग्रीष्म ऋतु आ रहे हैं और पानी की गम्भीर समस्या से फिर जूझना पड़ेगा। जोधपुर शहर विधान सभा क्षेत्र में पेयजल समस्या के समाधान के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं और समुचित पेयजल वितरण व्यवस्था के लिए कौन-कौन सी योजनाएं बनायी गयी हैं? जोधपुर शहर को अभी 48 घंटों के अन्तराल में पेयजल उपलब्ध होता है।

यह कहने में अत्यन्त रंज है कि माह फरवरी, 1995 से जोधपुर लिफ्ट कैनाल से जोधपुर को 40 लाख गैलन पानी प्राप्त होता था, परन्तु अब वह प्राप्त नहीं हो रहा है। जोधपुर शहर की वर्तमान जनसंख्या लगभग 9 लाख है और वर्तमान में 357 लाख गैलन प्रतिदिन की मांग है। इसमें उद्योग, रेलवे, सुरक्षा विभाग इत्यादि सम्मिलित हैं। जोधपुर शहर में लगभग 217 लाख गैलन प्रतिदिन फरवरी, 1995 तक वितरित किया गया था।

जोधपुर में रियासती काल से लगी पाइप लाइन अब बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए बहुत ही अपर्याप्त है। किन्हीं इलाकों में तो पानी अधिक दबाव से मिलता है तो कहीं बहुत ही कम प्रेशर से जलापूर्ति होती है। ऐसी जल वितरण व्यवस्था से लोगों को विकट स्थिति से गुजरना पड़ता है। शहर के भीतरी क्षेत्रों में जल वितरण सुधार के लिए विभाग द्वारा बनायी गयी योजना का अब तक क्या क्रियान्वय हुआ है, यह योजना कब स्वीकृत हुई और अभी तक कितना काम हुआ है? यह कहते हुए बहुत ही रंज है कि विभाग ने जलापूर्ति सुधार में सर्दी के मौसम में कोई भी उल्लेखनीय कार्य नहीं किया है जबकि समय रहते उन इलाकों में पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिये थी जहां जलापूर्ति में विशेष बाधाएं आ रही हैं।

जोधपुर शहर के अन्दरुनी क्षेत्रों में पेयजल समस्या के समाधान के लिए उच्च जलाशयों के निर्माण की योजनाएं तथा पाइप लाइन बदलने की योजना भी प्रस्तावित है। इन योजनाओं का क्रियान्वयन कब तक हो जाएगा तथा अब तक इसमें कार्य क्यों नहीं हो पाया? मैं विशेष रूप से यह जानकारी चाहूंगी कि बाईजी तालाब के पास उच्च जलाशय बनाने की योजना की क्या प्रगति है और यह कार्य कब तक पूर्ण हो जाएगा? यदि इसका निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है तो इसके क्या कारण रहे हैं? बड़े दुःख की बात है कि बाईजी तालाब पर टंकी निर्माण हेतु चयनित भूमि को देवस्थान विभाग ने आबंटित नहीं की है जबकि जोधपुर, जिलाधीश द्वारा राजस्व सचिव, जयपुर को इस भूमि को आबंटन हेतु आग्रह किया है। हनुमान भाखरी पर जलाशय निर्माण हेतु भूमि आबंटन नहीं होने के कारण निर्माण कार्य रुका हुआ पड़ा है।

जोधपुर शहर की कारगर जलापूर्ति के लिए बूस्टर लगवाने तथा हैण्ड पम्पों पर टंकिया लगवाने की क्या कार्यवाही की गयी है? अप्रेल, 1994 से मार्च, 1995 तक

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

कितनी टंकियां और बूस्टर लगाये गये हैं ? भविष्य में इसकी क्या योजना है ?

राज्य सरकार द्वारा हालांकि करीब चालीस करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की गयी है मगर विभाग के अभियंताओं द्वारा इसके क्रियान्वयन में बरती जा रही उदासीनता से अभी तक कोई सन्तोषजनक कार्य नहीं हुआ है। माननीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री महोदय द्वारा चार माह पूर्व इन योजनाओं को स्वीकृत करके जल वितरण व्यवस्था को सुव्यवस्थित एवं सुदृढ़ीकरण करने के लिए निर्देश दिये गये लेकिन विभागीय अभियन्ताओं ने सर्दी के मौसम में इसकी क्रियान्विति के लिए कार्य नहीं किया जबकि अब गर्मी आ रही है। और फिर जोधपुर शहर में पेयजल की समस्या से जूझना पड़ेगा।

अधिकारियों ने स्वयं ने यह स्वीकार किया है कि शहर की जलापूर्ति के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध है फिर स्वीकृत योजनाओं को क्रियान्वित नहीं करना स्पष्ट रूप से उनकी लापरवाही है । राज्य सरकार द्वारा आवश्यक धन राशि आबंटन के बाद भी अधिकारियों द्वारा पाइप लाइन बदलने फिल्टर हाउस बनाने, बूस्टर लगाने, नलकूप निर्माण और उच्च जलाशय बनाने आदि की दिशा में कार्यवाही नहीं किए जाने से सरकार की छवि प्रभावित होती है और योजनाओं का लाभ समय पर नागरिकों को नहीं मिल पाता है। ऐसे अधिकारियों से स्पष्टीकरण लेकर कार्यवाही की जानी चाहिए। प्रदूषित जल या पाइप लाइन में रिसाव हो, उस पर जलदाय विभाग शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही करें जिससे पीलिया व अन्य रोगों से बचाव हो सके।

मैं आपका ध्यान जोधपुर लिफ्ट कैनाल की ओर भी दिलाना चाहूंगी जिसका पानी अभी चालीस लाख गैलन प्रतिदिन मिल रहा है। इसकी मात्रा शीघ्रातिशीघ्र बढ़ायी जानी चाहिये ताकि शहरवासियों को पर्याप्त मात्रा में पेयजल की आपूर्ति हो सके। शहर क्षेत्र में ऐसे कई प्राचीन परम्परागत पेयजल स्रोत हैं जिससे जलापूर्ति सम्भव है। इनका दोहन करने के साथ ही पानी की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में नलकूप भी खुदवाये जाने चाहिये । सितम्बर, 1991 के सत्र में जोधपुर लिफ्ट कैनाल को मार्च, 1993 तक पूरा करने के लक्ष्य की सूचना दी थी एवं दिसम्बर, 1993 तक जोधपुर लिफ्ट कैनाल से जोधपुर को पेयजल उपलब्ध करा दिया जाएगा परन्तु पेयजल उपलब्ध करने का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। माननीय मंत्रीजी बतायें कि किन अधिकारियों की अकर्मण्यता से योजना को पूर्ण करने का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका।

श्री उपाध्यक्ष , सूर्यकान्ता जी, इसकी कुछ सीमा निर्धारित है कि कितना पढ़ा जाय।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : उतना ही पढ़ रही हूं उपाध्यक्ष महोदय, जो दिया है वही पढ़ रही हूं।

श्री उपाध्यक्ष : इसकी सीमा निर्धारित है लाइनों की, शब्दों की, 295 के अन्तर्गत सीमा निर्धारित है ।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : जितना दिया है मैं वही पढ़ रही हूं । शहर में जल संकट ज्यों का त्यों बना हुआ है । लिफ्ट कैनाल से आपातकालीन जल योजना की स्वीकृति भी लिफ्ट कैनाल से 40 लाख गैलन की बजाय 80 लाख गैलन की पानी लाने की योजना स्वीकृत की गयी थी तथा यह घोषणा की गयी थी कि दिसम्बर, 1994 तक 80 लाख गैलन जोधपुर लाकर पिछले वर्ष की अपेक्षा 40 लाख गैलन पेयजल जोधपुर को अतिरिक्त दिया जाएगा । लेकिन एक अतिरित बूंद भी जोधपुर शहर को नहीं मिली । अतः जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

जयपुर व अजमेर में भूमिगत सीवरेज लाइन लगाने का प्रावधान रखा है । राजस्थान में जयपुर के बाद जोधपुर दूसरे नम्बर का शहर है । इस शहर में सीवरेज लाइन लगाने हेतु उचित प्रावधान रख कर राशि आवंटित करें ।

जोधपुर शहर की विकट पेयजल समस्या के समाधान के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता से कार्य करवाया जाना चाहिये जिससे गर्मी के मौसम में शहर के समस्याग्रस्त इलाकों में पेयजल समस्या का सामना नहीं करना पड़े और उनकी दिक्कतों को दूर किया जा सके । धन्यवाद ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्रजी पारीक ।

सुलभ इंटरनेशनल को छूट बन्द किया जाना

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मैं सुलभ इंटरनेशनल को छूट बन्द किये जाने के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख करना चाहूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, सुलभ इंटरनेशनल संस्था द्वारा रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, अस्पताल आदि सार्वजनिक स्थानों पर लम्बे समय से सेनिटेशन सुविधा उपलब्ध करवायी जा रही है । जो एक सराहनीय कार्य था । लेकिन जब से इस संस्था ने नगरपालिका, नगर परिषद्, आदि संस्थाओं में सुलभ शौचालयों के निर्माण का काम अपने हाथ में लिया है, तब से इस संस्था में भ्रष्टाचार खुला व्याप्त हो गया है । जिससे उपरोक्त संस्थाओं को जहां एक ओर भारी आर्थिक भार पड़ रहा है वहीं दूसरी ओर घटिया स्तर के तहारत आदि बनने से इस संस्था पर से विश्वास उठ रहा है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ प्रश्नावली प्रस्तुत कर रहा हूं :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में सूखी तहारतों को जल प्रवाही शौचालयों में बदलने का कार्य सुलभ इंटरनेशनल नामक संस्था से बिना निविदाए आमंत्रित किये अग्रिम राशि देकर करवाया जाता है ।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त संस्था ने कई नगर पालिका क्षेत्रों में

(श्री राजेन्द्र पारीक)

निर्धारित मापदण्ड से निम्न स्तर का कार्य किया है ? क्या यह भी सही है कि इन नगर पालिकाओं ने अग्रिम राशि वापिस लौटाने की मांग की ?

(3) क्या यह भी सही है कि सुलभ इंटरनेशनल द्वारा विवाद पैदा किया जाकर इन नगर पालिकाओं को राशि वापिस नहीं लौटाई जाती है ? अगर यह सही है तो क्या राज्य सरकार सुलभ इंटरनेशनल को राशि अग्रिम दिये जाने की छूट समाप्त करने पर विचार कर रही है ? अगर हां, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि राज्य सरकार जगह-जगह सार्वजनिक शौचालय का निर्माण बिना निविदाएं आमंत्रित किये सुलभ इंटरनेशनल से करवाये जाते हैं ? इस छूट का औचित्य क्या है ?

(5) क्या यह भी सही है कि सुलभ इंटरनेशनल को राज्य स्तरीय कमेटी द्वारा निर्धारित दर से 10 प्रतिशत ज्यादा सुपरविजन चार्जेज के नाम से दिया जाता है ? इस कारण राज्य सरकार को हर वर्ष कितने लाख रुपयों का भार उठाना पड़ता है ?

(6) क्या यह सही है कि सुलभ इंटरनेशनल को अग्रिम राशि दिये जाने से वह कार्य के प्रति अनुत्तरदायी हो जाता है । जिससे कार्य निम्न स्तर का होता है ?

(7) क्या यह सही है कि सुलभ इंटरनेशनल को इस कार्य हेतु 80 प्रतिशत राशि अग्रिम दी जाती है ?

(8) क्या राज्य सरकार सुलभ इंटरनेशनल को दी गयी छूट को समाप्त करने का विचार रखती है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री पराक्रम सिंहजी ।

अजमेर के आफिसर्स क्लब को बन्द करना

श्री पराक्रम सिंह (बनेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मैं अजमेर के आफिसर्स क्लब को बन्द करवाने के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख करना चाहूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, अजमेर जिले में स्थित पटेल स्टेडियम में छात्राओं का एक छात्रावास है, जो खेल अभिकरण का है । इस हॉस्टल के पास ही श्री एम. सी. चौहान ने एक आफिसर्स क्लब बनाया है । इस आफिसर्स क्लब का उद्घाटन दिनांक 10-4-95 को पूर्व प्रधान मंत्री, श्री मोरारजी देसाई का निधन हो जाने के बाद भी अधिकारियों ने मिल कर किया जबकि श्री मोरारजी देसाई का निधन करीबन एक बजे हो चुका था और इसका उद्घाटन सांयकाल 5-6 बजेके करीब किया गया । उक्त आफिसर्स क्लब के पास ही गर्ल्स होस्टल है । यदि यहां पर यह क्लब चलता रहा तो क्लब की गतिविधियों को देखते हुए क्लब के दोनों तरफ स्थित छात्रावास में छात्राओं का रहना मुश्किल हो जाएगा तथा छात्राओं के अभिभावक भी छात्राओं को

(श्री पराक्रम सिंह)

छात्रावास से हटाना चाहते हैं। क्योंकि उनके पास भी इस क्लब को लेकर काफी शिकायतें पहुंच चुकी हैं। हॉस्टल के बीच में 15 फीट की जगह खाली है, जिसमें यह ऑफिसर्स क्लब इस समय चल रहा है। क्लब के दोनों तरफ गर्ल्स हॉस्टल के कमरे व खिड़कियां हैं। क्लब चलने के कारण खिड़कियों से बाहर देखना भी सम्भव नहीं है। हॉस्टल सरकारी है और इसकी सारी जगह सरकार की है और सरकारी जगह पर नियमानुसार प्राइवेट क्लब नहीं चल सकता। फिर भी इसको चलाया जा रहा है।

चूंकि अजमेर एक बहुत ही चर्चित स्थान रहा है। पिछले समय में अजमेर में अश्लील फोटो काण्ड और अन्य कई प्रकार के काण्ड हुए हैं। जिससे इस क्लब को लेकर वहां पढ़ने वाली छात्राओं के अभिभावकों में काफी रोष है। अतः क्लब को तत्काल बन्द करने की कार्यवाही की जाए। इस ओर मैं माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी और खेल मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : विराजें।

श्री किशन मोटवानी : वैसे कानून से मैं नहीं बोल सकता हूं लेकिन मेरे क्षेत्र से कंसर्न है इसलिए इतना ही कहना चाहूंगा कि खिलाड़ियों की जो भावना है, उसके अनुकूल होना चाहिये। यह सब जो हो रहा है, खिलाड़ियों की भावना के विपरीत हो रहा है। इसलिए खेल मंत्री इसमें तवज्जो दें और खिलाड़ियों की मंशा के अनुकूल इसका उचित समाधान हो।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रवण कुमार।

सूरजगढ़ में भू-माफिया के खिलाफ अभियान चलाया जाना

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मैं सूरजगढ़ में भू-माफिया के खिलाफ अभियान चलाने के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख करना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं में महाला पुत्र बीरबल, मूला पुत्र बास्ती, जाति हरिजन की भूमि खसरा नम्बर 86, 87 पर बनवारीलाल बावरिया को जो 7 भाई हैं, जबरन, उस गरीब हरिजन को पीट कर खेत से निकाल दिया और प्रार्थी पुलिस में गया तो कोई सुनवाई नहीं हुई और पुलिस ने पैसे खाकर उसी बावरिया की मदद की है। क्योंकि पुलिस को तीतर मार-मार कर खिलाता है। जिसको पैसे स्वयं ने खाते हुए को पकड़ा है।

श्रीमान्‌जी, गरीब हरिजन माननीय गृह मंत्रीजी से भी मिले हैं। बनवारीलाल बावरिया ने कलक्टर के यहां भी अपील की। वहां पर हार गया। बाद में आर. ए. ए. के यहां पर भी हार गया। परन्तु फिर भी लाठी के जोर पर उसी जमीन पर बैठा है। जबकि जमाबंदी, खसरा गिरदावरी और पट्टा आदि महाला पुत्र बीरबल व मूला बस्ती के नाम से भी

(श्री श्रवण कुमार)

रिकार्ड में है। परन्तु लाठी व पैसे के बलबूते पर खाली नहीं कर रहा है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि सम्बन्धित अधिकारी को आज ही फोन करें कि रिकार्ड देखकर प्रार्थी को भूमि का कब्जा दिलवाया जाए और श्री बनवारीलाल बावरिया को 40 बीघा सरकारी जोहड़ पर भी कब्जा कर रखा है और सरकारी अधिकारी आंखें बन्द किये बैठे हैं।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक अभियान भू-माफिया गिरोह के खिलाफ चलाया था। कृपया सूरजगढ़ की तरफ भी यह अभियान चलाया जाए, गरीब हरिजन की भूमि दिलवायी जाय, जिससे गरीब को गणेश मानने वाली सरकार सही सिद्ध हो सके और न्याय मिल सके।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोतीलाल। (अनुस्थित)। श्री रामेश्वरजी भारद्वाज।

भू-माफिया से राहत

श्री रामेश्वर भारद्वाज (किशनपोल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत भू-माफिया से राहत पहुंचाने के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख करना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर के खजाने वालों के रास्ते में बसी गिरधारीपुरा कच्ची बस्ती में आज भी 33 परिवार तीन पीढ़ियों से निवास कर रहे हैं। इनके नाम से 15-20 वर्षों से नल व बिजली के कनेक्शन हैं। वोटर लिस्टों में इनके नाम हैं।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक दिलचस्प स्थिति की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उक्त कच्ची बस्ती की जमीन को देवस्थान एवं स्वायत्त शासन विभाग दोनों ही अपनी सम्पत्ति नहीं मानते हैं। फिर उक्त भूमि पर किसका स्वामित्व है। यह आज तक स्पष्ट नहीं है यही नहीं, कुछ भू-माफिया गिरोह/असामाजिक तत्वों के द्वारा यहां मारपीट करने की कोशिश की गयी है, जो आज भी जारी है। कुछ लोगों ने भू-माफिया गिरोह/असामाजिक तत्वों के भय से अपने मकान खाली कर दिये हैं एवं कुछ को खाली करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में मेरा सरकार से निवेदन है कि उक्त भूमि पर गत लम्बे समय से बसे लोगों को, जिनको सरकार द्वारा बिजली एवं पानी के कनेक्शन भी दिये गये हैं एवं जिनके नाम वोटर लिस्ट में भी हैं, नियमानुसार शुल्क लेकर पट्ट जारी किये जायं। नगर निगम द्वारा गत वर्ष 'राजस्थान पत्रिका' समाचार पत्र के माध्यम से एक सार्वजनिक विज्ञप्ति भी जारी की गयी थी, जिसमें उक्त विवादास्पद भूमि के पट्टे "एस्टेट ग्राण्ट एक्ट" के तहत प्राप्त करने हेतु दिनांक 24-7-94 तक आपत्तियां प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया था। किन्तु नगर निगम द्वारा आज दिन तक भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी जबकि गिरधारीपुरा के लोगों ने समस्त सूचनाएं, जिन्हें निगम में चाहा था, दे दी हैं। इन भू-माफिया, गुण्डों से लोगों को राहत पहुंचायी जाए। जबकि सरकार द्वारा अन्य

Page No. 127

(127)

(श्री रामेश्वर भारद्वाज)

कच्ची बस्तियों को नियमित किया गया है तो इन्हें भी पट्टे जारी कर राहत पहुंचाई जांय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री एमादुद्दीन अहमद खां।

राजस्व रिकार्ड में दर्ज गोचर भूमियों की सुरक्षा हेतु तारबन्दी

श्री एमादुद्दीन अहमद खां (तिजारा) : उपाध्यक्ष महोदय राजस्व रिकार्ड में गायों हेतु भूमि गोचर किस्म के द्वारा आरक्षित है। लेकिन अफसोस है कि उक्त आरक्षित भूमियों पर भी गायों को न चरने दिया जाता है और न ही घूमने-फिरने दिया जाता है। हकीकत तो यह है कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज गोचर भूमियों पर स्थानीय राजस्व अधिकारियों की उदासीनता से अवैध कब्जे हो रहे हैं। गायों को उनका हक भी राज्य सरकार द्वारा नहीं दिया जा रहा है। अवैध कब्जेधारियों पर भी राजस्थान टीनेंसी एक्ट की धारा 90ए91 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है जो कि राजस्व अधिकारियों की उदासीनता का स्पष्ट प्रमाण है।

मुझे यह भी पता चला है कि भीलवाड़ा जिले की पंचायत समिति दीगोद में करीब 100 एकड़ भूमि पर शराब का कारखाना चालू हो रहा है। यह एक शर्मनाक बात है कि गोचर भूमियों पर गायों द्वारा चारा चरकर दूध देने के स्थान पर शराब की बोतलों का उत्पादन होगा।

गोचर भूमियों की सुरक्षा हेतु तारबंदी (बाउण्ड्री) करवाकर उसमें चारे, एवं पानी का इन्तजाम करवाने हेतु राज्य सरकार को किसी भी योजना के अन्तर्गत उचित राशि का प्रबन्ध कर जिला स्तर के राजस्व अधिकारी को अधिकृत करना चाहिए ताकि गायों को उनका हक मिल सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि सरकार इस ओर ध्यान देवे तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि यह योजना सरकार के लिए भी हर तरह से फायदेमन्द होगी। इससे आवारा पशुओं की समस्या से छुटकारा मिलेगा और गोचर भूमियों की सुरक्षा हो पायेगी। साथ ही ग्रामीण इलाकों में किसानों की फसलों की सुरक्षा भी हो पायेगी। इससे दुग्ध उत्पादन पर भी काफी अच्छा असर पड़ेगा जो कि आज के हालात में जन-जीवन हेतु अत्यावश्यक है।

अतः उपरोक्त मामले में शीघ्र कार्यवाही कर गोचर भूमियों पर से अवैध कब्जे हटाकर गायों को उनका हक दिलवाकर उनकी भूमियों की तारबन्दी (बाउण्ड्री), करवाकर चारे व पानी का शीघ्र इन्तजाम करवाने हेतु राज्य सरकार को प्रभावी ढंग से कार्यवाही करने हेतु पाबन्द किया जाये ताकि भविष्य में गायों के पास स्वयं की भूमि होते हुए भी कोई उनको आवारा पशुओं का सम्बोधन न दे सके। साथ ही गोचर भूमि पर लगने वाले शराब कारखाने को तुरन्त बन्द कर भूमि को मुक्त किया जावें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राकेश मेघवाल।

Page No. 128

(128)

मकराना में अवैध खनन कार्य

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मकराना के खनिज क्षेत्र में स्थित बोरावड़ कुमारी रेन्ज की खान संख्या 50 व 51 तथा अन्य जो स्टेट हाईव नं. 2 जो जयपुर--मकराना नागौर की मास्टर प्लान की सड़क है, जो जयपुर--मकराना-नागौर की दूरी को कम करती है। उक्त सड़क पर असंख्य मात्रा में वाहन आवागमन करते हैं, एवं कम से कम 100 बसें राजस्थान पथ परिवहन की तथा निजी बसें भी आती--जाती रहती हैं। उक्त सड़क क्षेत्र में एवरेस्ट मार्बल ट्रेडर्स द्वारा खनन कार्य कर रास्ता मात्र 20-25 फीट ही छोड़ा है तथा सड़क के दोनों ओर दीवारों के नीचे होने से सड़क क्षेत्र में अन्डर कटिंग करने से उक्त सड़क से आवागमन करने वालों को जान-माल का खतरा बना हुआ है तथा आम जनता में रोष व्याप्त है। इन्हें देखकर रोड की सभी खानों में अण्डर कटिंग होती है। उक्त खानों में खनन कार्य व ब्लास्टिंग भी नियमानुसार नहीं करने से विस्फोट होने की सम्भावना बनी रहती है। घन्टों यातायात बन्द रखना पड़ता है तथा असुरक्षित खनन से उक्त सड़क से आवागमन करने वालों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। हाल ही में कुछ दिन पूर्व करीब 100-125 मजदूरों से भरी हुई दो बसें खान में गिरते-गिरते बचीं। उक्त खान के चारों ओर लगे सीमा स्तम्भ भी मैसर्स एवरेस्ट मार्बल द्वारा हटवा कर सड़क सीमा पर नये बनवा दिये हैं एवं खान में उतरने के लिए सीढ़ियों की व्यवस्था नहीं है तथा खानों को नियमानुसार अनुचित रूप से फार्जी दस्तक करके अलाट कराई गई है तथा अन्य अनेक नियमों का पालन नहीं करने के कारण दिनांक 31-3-94 को माइनिंग विभाग द्वारा उक्त कार्य का माइनिंग लाइसेन्स समाप्त कर दिया गया। दिनांक 4-4-94 को कब्जा माइनिंग द्वारा प्राप्त करने के पश्चात् भी बिना पूर्व सूचना के एवं असुरक्षित तरीके से ब्लास्टिंग किया जा रहा है जिससे हर समय दुर्घटना घटित होने की सम्भावना बनी रहती है। खानों की जांच उच्च अधिकारी द्वारा करायी जाये, सार्वजनिक निर्माण विभाग की सर्वे रिपोर्ट भी मगाई जाये तथा सड़क सीमा का बोर्ड व पीलर बनाया जाये।

अत: आवागमन व इस सड़क की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए उक्त खानों को तुरन्त बन्द किया जाना एवं सड़क पात्र में मलवा डलवा कर तथा दीवार बनाकर तुरन्त खानों का खनन कार्य बन्द करवाया जाना नितान्त ही आवश्यक है। सड़क सीमा से लाखों रुपये के मार्बल पत्थर निकालकर सरकार के रायल्टी अथवा खनिज विभाग के करों की चोरी की हैं तथा खनिज विभाग व सार्वजनिक निर्माण विभाग के नियमों का उल्लंघन किया है। इसलिए सरकार खनिज व सड़क तथा जनहित का हर्जाना लिया जाये और खानों को तुरन्त सरकार अपने कब्जे में लेकर आम जनता को होने वाली परेशानी से बचाया जाये। क्या यह सही है कि खानों का पूर्व में जनता की शिकायतें प्राप्त हैं अगर हैं, तो किन-किन, कब-कब व किस-किस आफिस में हैं तथा सार्वजनिक विभाग में भी ऐसी कोई शिकायतें दर्ज हैं अथवा किन्हीं पक्षों के बीच कोई विवाद है। मयपूर्ण विवरण खानों के अलाट मेन्ट से

(श्री राकेश मेघवाल)

लेकर अब तक के विवरण सहित विस्तार-पूर्वक सूची सदन के पटल पर रखें।

मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इन खानों की असुरक्षित खदान को दूर करने के लिए सरकार तुरन्त आवश्यक कार्यवाही कर उक्त खानों के अवैधानिक मकराना क्षेत्र की समस्त अवैधानिक खनन कार्य को बन्द करवाने की कृपा करावें। सड़क सीमा के अन्दर कटिंग कर खनिज नियमों का उल्लंघन किया जाकर खनिज नीति के नियमों के परे हट कर खनन कार्य किया जाता है। उन खानों को सरकार अपने कब्जे में लेकर खालसा कर देना अति आवश्यक है तथा खानों के लिये पुलिस को स्पेशल निर्देश दिलावें ताकि किसी की मिली भगत से भी कार्य नहीं हो तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग के पीलर व बोर्ड भी लगने चाहिये ताकि आम जनता को यह जानकारी रहे कि उक्त खान की सीमा कहां तक है। सड़क सीमा के अन्दर कटिंग नहीं हो और सार्वजनिक निर्माण विभाग के जिन अधिकारियों की मिलीभगत से सड़क पर मलवा पाडू पत्थर तथा अण्डर कटिंग होता है, उन दोषी अधिकारियों की जांच कर निष्कासित (सस्पैण्ड) किया जाये तथा सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिया जाये कि सड़क पर अन्डर कटिंग मलवा, पाण्डू पत्थर तथा अन्य सामग्री डालकर सड़कों पर जो अतिक्रमण किया है, तुरन्त हटाया जाये व भविष्य में अतिक्रमण करने पर दण्डित या जुर्माना व सजा की जाये तथा पुलिस में विभाग द्वारा मुकद्मा दर्ज किया जाय।

मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि मकराना में कितनी खानें हैं, किन-किन पट्टेधारियों की हैं। उनके नाम, (साइज) खान का नाम, नाप, किस्म, क्वालिटी किस स्थान पर है? ब्ल्यू प्रिन्ट के सूची सदन के पटल पर रखें। क्या सभी खानों पीलर पर खान नं. लगे हुए हैं? अगर नहीं, तो क्यों नहीं अगर हैं, तो वहां किन-किन पर लगे हुए हैं? क्या यह भी सही है कि खान मालिक पांच रुपये स्टाम्प पर खान किसी अन्य को खनन कार्य करने पर दे रखी है? खान मालिक मय विस्तृत ब्यौरा सदन की पटल पर रखें। किन-किन खानों का विवाद कोर्ट अथवा अन्य विभागों में चल रहा है या किसी अन्य लोगों ने कब्जा कर रखा है। मय ब्यौरा सदन के पटल रखें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरड़क।

बीसलपुर बांध परियोजना क्षेत्र की डूब में आयी भूमि के मुआवजे के भुगतान में घोटाला

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि बीसलपुर बांध परियोजना क्षेत्र की डूब में आयी भूमि के मुआवजे के भुगतान में भयंकर घोटाला किया गया तथा इसकी जांच क्रमश: 10 अक्टूबर, 1994 व 23 दिसम्बर, 1994 व 16 जनवरी, 1995 को उपखण्ड अधिकारी कलैक्टर व डिविजनल कमिश्नर ने की। इन जांच रिपोर्टों के आधार पर राजस्व विभाग के कई कर्मचारी निलम्बित हो गए तथा कई मामले पुलिस में दर्ज हुए। इस मामले में राजस्व विभाग के कर्मचारी तो निलम्बित हो गये, परन्तु सिंचाई विभाग के

(श्री हरजीराम बुरड़क)

एक भी इन्जीनियर के खिलाफ कार्यवाही नहीं की गयी, जिसमें करीबन पचास इन्जीनियर दोषी पाये गये हैं। इन्जीनियरों की पहुंच होने के कारण बार-बार जांच करायी और इस मामले में लीपापोती करने के लिए जहां कुआ नहीं था, वहां कुआ बना दिया जहां मकान नहीं था, वहां मकान बना दिया और उच्च स्तरीय जांच कमेटी के नाम से मुख्य सचिव महोदय से जांच कमेटी बना ली गयी और इस मामले को लीपापोती करके दबा दिया गया।

उपखण्ड अधिकारी, कलक्टर तथा डिविजनल कमिश्नर ने आरोप सही पाये फिर एकाएक उच्चस्तरीय जांच कमेटी ने क्या खास बात देखी यह सोचनीय विषय है। क्या कमिश्नर स्तर का अधिकारी झूंठी रिपोर्ट देगा ? इस कार्यवाही से स्पष्ट होता है कि वरिष्ठ अधिकारी की कार्यवाही पर सरकार का कोई विश्वास नहीं है। अतः लोक महत्व का मामला है इसमें करोड़ों रुपयों का घोटाला हुआ है। इसके द्वारा सदन का ध्यान आकर्षित करता हूं।

(14.00)

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मण सिंह।

उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना

लक्ष्मण सिंह (भीम) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत उदयपुर, में हाईकोर्ट की बेंच स्थापित करने हेतु विशेष उल्लेख करना चाहता हूं।

महोदय, जनता को सस्ता न्याय उपलब्ध कराना एक कल्याणकारी सरकार का कर्तव्य है। प्रदेश में दिनों दिन न्याय मंहगा होता जा रहा है। एक गरीब व्यक्ति न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों की बढ़ोतरी तथा न्यायालयों में बार बार दी जाने वाली तारीखों से बहुत परेशान रहता है। जनता की मांग पर सरकार ने निचले स्तर पर तो कुछ न्यायालय स्थापित किये हैं, परन्तु उच्च स्तर पर सस्ता न्याय उपलब्ध कराने के लिए उच्च न्यायालय की प्रदेश में दो ही पीठ हैं-जोधपुर व जयपुर, उदयपुर सम्भाग के नागरिकों, विशेषकर गरीब लोगों के लिए जोधपुर उच्च न्यायालय जाना खर्चीला तथा कष्टदायक प्रक्रिया है। विशेष रूप से उदयपुर, डूंगरपुर व बांसवाड़ा के आदिवासियों के लिए उच्च न्यायालय जोधपुर तक पहुंचना बड़ा कठिन है। दूसरे कई राज्यों में चार-चार व पांच-पांच उच्च न्यायालय की बैंचें हैं, परन्तु राजस्थान में मात्र दो ही बैंच हैं।

महोदय, राजस्थान में प्रतिवर्ष जनसंख्या की तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। उसी अनुपात में हाईकोर्ट में लम्बित प्रकरणों की भी वृद्धि स्वभाविक है। साथ-साथ प्रदेश में देश के अन्य भागों की भांति कानून व्यवस्था के मामले कर निर्धारित केसेज, संवैधानिक बिन्दुओं, जनहित याचिकाओं तथा अन्य कई प्रकार के प्रकरणों की वृद्धि होती जा रही है। इन प्रकरणों में वृद्धि के कारण हाईकोर्ट में प्रकरण काफी समय बाद नम्बर पर लग पाते है। ऊपर से उच्च न्यायालय में उच्च न्यायाधीशों के पद भी काफी समय से रिक्त पड़े हैं। इन कारणों से उच्च न्यायालय से सुलभ व जल्द न्याय नागरिकों को नहीं

(श्री लक्ष्मण सिंह)

मिल पाता है। गरीब, किसान, मजदूर व सैनिक तो और भी ज्यादा पीड़ित है। उदयपुर सम्भाग के आदिवासी गरीबों को सुलभ व जल्द न्याय प्रदान करने की अत्यन्त आवश्यकता है।

अतः उदयपुर सम्भाग के लिये उदयपुर में उच्च न्यायालय की पीठ जल्द स्थापित करने पर सरकार गम्भीरतापूर्वक विचार करे।

अतः जनहित व जनता को सस्ता न्याय दिलाने के लिए सरकार का ध्यान उदयपुर में उच्च न्यायालय की बैन्च खोलने की ओर आकर्षित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोपीराम। (अनुपस्थित)। श्री गोपीचन्द।

डीग (भरतपुर)- क्षेत्र में डेयरी के दूध में मिलावट

श्री गोपीचन्द (नगर) : उपाध्यक्ष महोदय, भरतपुर जिले के डीग उपखण्ड क्षेत्र में डेयरी के दुग्ध में चिकनाई व नम्बर बढ़ाने के लिए भारी मात्रा में समस्त दूधिया गोदरेज कम्पनी का 'ई जी' नाम का धुलाई का डिटर्जेंट, रिफाइण्ड आयल, ग्लूकोज लिक्विड यूरिया खाद आदि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक के पदार्थ मिलाये जा रहे हैं जोकि जनता के स्वास्थ्य के खराब करने की साजिश है।

उल्लेखनीय है कि दुग्ध केवल डीग उपखण्ड में ही नहीं रहता, डेयरी के बड़े प्लांटों में जाता है और उसका मक्खन व दुग्ध आम नागरिकों के लिए बूथों से उपलब्ध होता है। जिससे आम नागरिकों के स्वास्थ्य पर घातक प्रभाव पड़ रहा है। अतः यह मामला लोक महत्व का है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिसिंह (कुम्हेर)।

आयुर्वेद चिकित्सकों के रिक्त पद

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : उपाध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत लोक महत्व के प्रस्ताव के अन्तर्गत मैं राज्य के माननीय आयुर्वेद मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदय, बजट 1995-96 को प्रस्तुत करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री मंत्री एवं वित्त मंत्रीजी ने इसे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिये समर्पित किया है, परन्तु प्रदेश की ग्रामीण जनता के चिकित्सा के एक मात्र आधार आयुर्वेद के लिये इसमें कुछ भी उपलब्धि नहीं है। आज राज्य में चार हजार आयुर्वेदिक चिकित्सालय राजकीय स्तर पर संचालित हैं, जिनमें 2600 के लगभग ग्रामीण क्षेत्र में और 400 के लगभग शहरी क्षेत्र में है, परन्तु इन चिकित्सालयों का कोई वर्गीकरण नहीं है। इन चिकित्सालयों के लिये निश्चित नक्शे में भवन, निश्चित औषधियां, निश्चित फर्नीचर निश्चित चिकित्सा उपकरण, जीवन रक्षक किट, चिकित्सकों के लिए आवास व्यवस्था आदि कुछ भी नहीं है। 4000 आयुर्वेद चिकित्सकों के लिए पदोन्नति के मात्र 41 पद हैं। जिससे आयुर्वेद चिकित्सक पर नियुक्त चिकित्सक 30 से 35 वर्ष की सेवा करने के बाद आयुर्वेद चिकित्सक पद से ही सेवानिवृत हो जाता है

(श्री हरिसिंह)

इससे उनमें बड़ी कुंठायें एवं निराशा व्याप्त हैं। इसके लिए 5-5-90 को आयुर्वेद सेवा नियमों में हुए संशोधन को 1-9-81 से लागू किया जा रहा है, जिससे 1326 आयर्वेद चिकित्सकों की नौकरी जाने का संकट हो गया है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी अपने निर्णय में इन चिकित्सकों को स्थायी करने का आदेश दिया है। अतः 31-12-93 तक के नियुक्त आयुर्वेद चिकित्सकों को स्थायी किया जाना चाहिये। 226 आयुर्वेद चिकित्सकों के पद रिक्त पड़े हैं, उनकी भर्ती नहीं हो रही है और विश्वविद्यालय से डिग्री लिए आयुर्वेद चिकित्सक विधान सभा के बाहर धरने पर पर बैठे हैं।

आयुर्वेद चिकित्सक एवं एलोपैथी के चिकित्सक के वेतन में समानता नहीं है और उनकी सुविधाओं में भी भारी अन्तर है। आयुर्वेद चिकित्सक को एलोपैथी चिकित्सक की तुलना में ग्रामीण भत्ता, सीमान्त भत्ता, तथा अधीनस्थ कर्मचारियों के नियंत्रण अधिकार तथा वेतन आहरण वितरण के अधिकार नहीं है और उसे रोगी से मात्र चार रुपये फीस लेने का अधिकार है, इससे बड़ी शर्मनाक स्थिति और क्या हो सकती है।

होमियोपैथी के डिप्लोमाधारी चिकित्सक को तीन वर्ष के अनुभव के आधार पर डिग्रीधारी चिकित्सक के समकक्ष माने जाने का प्रस्ताव है, परन्तु आयुर्वेद और यूनानी के डिप्लोमाधारी चिकित्सक को यह सुविधा 30 वर्ष के अनुभव के बाद भी नहीं दी जा रही है, जबकि तीनों चिकित्सा पद्धतियों का एक ही विभाग और एक ही सेवा नियम हैं।

चिकित्सकों के स्थानान्तरण की कोई नीति नहीं है, और स्वदेशी नाम पर शासन करने वाली सरकार में आयुर्वेद के विकास की कोई योजना नहीं बनायी गयी है। आज विभाग के 41 अधिकारियों में से 10 निलम्बित हैं, 4 पद रिक्त हैं। महीने की 15 तारीख तक आयुर्वेद कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलता राज्य सरकार द्वारा आयुर्वेद चिकित्सकों को वेतन बनाने की सुविधा दी गयी है, उसकी पालना जिला आयुर्वेद अधिकारी नहीं करते।

दुर्लभ वनस्पतियों की रक्षा और उत्पादन के लिए विभाग ने हुडील (नागौर), लोढी (अजमेर), किशनगढ़ (अजमेर) सुवाणा (भीलवाड़ा), रतनगढ़ (चूरू) में वनोषधि उद्यान लगाये, सरकारी खर्च से कुएं खोदे गये, विद्युत कनेक्शन लगाए गए, हजारों औषधियां लगायी गयी, परन्तु पिछले दिनों उनके विद्युत कनेक्शन काट दिये गये और कर्मचारियों को हटा लिया गया। वे लहलहाती वनपस्तियां और औषध वृक्ष सूख गये और सूख रहे हैं। इस प्रकार से सरकार के लाखों रुपये खर्च होने के बावजूद भी इनकी उपलब्धि नहीं ली गयी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा।

मेंहदीपुर बालाजी की पेयजल योजना

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : उपाध्यक्ष महोदय, जिला सवाईमाधोपुर के महान् तीर्थ स्थान मेहंदीपुर बालाजी के पेयजल

(श्री रामस्वरूप)

योजना जिसमें ग्राम मेटकीपुर की 50 प्रतिशत आबादी सम्मलित है एवं सोकरवाड़ा ग्राम पंचायत में जाती है पेयजल योजना का कार्य ठप्प पड़ा हुआ है । इस योजना को सवाई माधोपुर के खण्ड हिण्डौन के द्वारा तैयार की गयी थी और बालाजी स्थान टोडाभीम से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर है मेंहदीपुर जिला सवाई-माधोपुर का राजस्व ग्राम है। बालाजी का मन्दिर भी जिला सवाईमाधोपुर में है। योजना के नलकूपों का सर्वेक्षण मेंहदीपुर (सोकरवाड़ा) के निकट हुआ है तो इस योजना को सीकराय में क्यों दिया गया ? इसे हिण्डौन उप खण्ड को दिया जावे । इसके साथ ही मेरे क्षेत्र टोडाभीम में वर्ष 1994-95 स्वीकृत नलकूप हैण्ड पम्पों में से कितनी नलकूप हैण्ड पम्प सरकारी एजेंसी जैसे ड्रिलिंग विंग, जल विकास निगम, भूजल विभाग आदि द्वारा बनाये गये तथा कितने प्राइवेट एजेंसी द्वारा बनाये गये ।

क्या सरकार प्राइवेट ठेकेदारों से वर्ष 1995-96 में कार्य पूरा करने का विचार रखती है ? तहसील नादोती की पेयजल समस्या समाधान हेतु जलदाय विभाग द्वारा नादोती में सहायक अभियन्ता का कार्यालय सरकार खोलने का विचार रखती है या नहीं ? इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण जी चौधरी ।

श्री रामस्वरूप : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि मंत्री महोदय तो यहां है नहीं, आपको ही निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे जिले सवाई माधोपुर में जो पानी की भयंकर समस्या पैदा हो गयी है उसका एकमात्र हल है कि एनीकट बनाया जाय गम्भीरी नदी पर और मेरी जो योजनाओं को इधर-उधर किया जा रहा है उन योजनाओं को पूरा किया जाए । धन्यवाद ।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया नियमों के अन्तर्गत बोलें । श्री रामनारायण चौधरी ।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : गम्भीरी नदी पर एनीकट बनाने से भरतपुर जिले में सूखा होगा, हमारे साथ बराबर अत्याचार होगा ...(व्यवधान) ... यह हरगिज नहीं बनाया जाए, इसका हम भयंकर विरोध करेंगे । (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : उपाध्यक्ष महोदय, गंगा का पानी ला रही है सरकार........ (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें । (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : हमारी बात नोट की जाय .. (व्यवधान)....सवाई माधोपुर के अन्दर गम्भीरी नदी.... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : पानी का हिस्सा नहीं दे रहे हैं, हम प्यासे मर रहे हैं, (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : गम्भीरी नदी को सवाई माधोपुर में नहीं रोका जाय,

(श्री हरिसिंह)

हरगिज नहीं रोका जाए। बिलकुल नहीं रोका जाए।

श्री रामस्वरूप : गम्भीरी नदी का पानी....(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : हरगिज नहीं बनाया जाय....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आप भरतपुर....(व्यवधान). गंगा का पानी दो....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामस्वरूप जी मीणा, बिराजें।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष): सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह भरतपुर, सवाई माधोपुर, मेंहदीपुर बालाजी और हिण्डौन के अन्दर एनीकट का प्रश्न सदन में आया, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है लेकिन पहले यहां कोई माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये थे कि गम्भीरी नदी पर जो पांचना बांध बन गया उसकी वजह से नीचे का जितना भी क्षेत्र है उसका पानी नीचे चला गया है और कुओं का पानी नीचे जाने से कृषि का कमाण्ड एरिया घट गया है। पहले तो आप दोनों मिलकर बेसिक फैसला यह करें कि पांचना बांध का पानी किया जाय। और सौ तो कम से कम एनीकट बन सकते हैं लेकिन भरतपुर सूख जाएगा। इसलिए आप पहले बैठकर के यह गवर्नमेंट को कहिये कि गवर्नमेंट टैक्निकली दुबारा एग्जामिन करें, क्योंकि ऐसे कई बांध बन गये हैं जिनकी बनने की वजह से हजारों एकड़ जमीन सूख गयी है। तिलोनिया बांध लूनी में बना, आज दो साल से फ्लड आ रहा है ट्रिब्युटरीज में आज आपके पाली और जालौर डिस्ट्रिक्ट में लेकिन लूनी नदी सूखी पड़ी हुई है, क्योंकि तिलोनिया बन गया। आपकी रायपुर नदी पर रायपुर का बांध बन गया, जल नहीं तो फ्लो इरिगेशन से सिंचाई हो रही है 3000 एकड़ में और एरिया सूख गया है जो कि 15 हजार एकड़ है। पांचना भी मेरी समझ में यही परिणाम लाने वाला है। तो पहले पांचना बांध बने या नहीं बने, तो उसमें फ्लो रहेगा और पांचना बांध अगर आपका पड़ा रह गया और अभी तक कम्पलीट नहीं हुआ है, हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : काम चल रहा है।

श्री परसराम मदेरणा : काम चल रहा है। इसलिए मैं यह कह रहा हूं कि उसको कितना ऊंचा लिया जाए। बीसलपुर का बांध बनाने से पहले सोचा जा रहा था कि इसको कितना ऊंचा लिया जाय। इसको इरिगेशन के लिए रखा जाय या पी. एच. ई. डी. के लिए रखा जाय। पहले स्कीम पी.एच.ई.डी. की बनी थी फिर इरिगेशन की बनी, दोनों की कम्बाइंड बनी। तो यह निर्णय लिया गया कि इसका बेस बहुत मजबूत उठाना चाहिये जब इसका रेज कर दिया जाए। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि अभी तक पांचना का पूरा कम्पाउण्डमेंट होने का बंधा रेज

(श्री परसराम मदेरणा)

नहीं हुआ है। यह एक नीति सम्बन्धी निर्णय है। सरकार को यह रि-एग्जामिन करवाना चाहिये इंजीनियर से और उसके बाद में डिसिजन लेना चाहिये कि नीचे का एरिया पूरा हिंटरलैंड पूरी की पूरी सूखी हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण जी चौधरी।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह (आसीन्द) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस पर यह कहना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : इस पर चर्चा नहीं है आप विराजें।

श्री रामनारायण चौधरी : यह विशेष उल्लेख में काहे का बांध बना रहे हैं। यह तो फार्मेलिटी कर रहे हैं 295 की।

श्री नरपत सिंह राजवी (चित्तौड़गढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोई चर्चा का विषय नहीं छेड़ रहा हूं, मैं कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : यह 295 का उल्लंघन हो रहा है श्रीमान्।

श्री नरपत सिंह राजवी : माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने जो निवेदन किया, वास्तव में गम्भीर मामला है, दो मिनट अगर बोलने की अनुमति दें तो मैं बोल देता हूं वरना दूसरे माध्यम से उठाऊंगा ऐसी बात नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, दोनों ही सशक्त व्यक्तित्व हैं और हमारे लीडर और इधर के माननीय दोनों बैठकर के बात करें। जैसे इधर राय दी थी प्रतिपक्ष के नेता ने कि बैठकर के बात कर लो, वैसे आप भी....

श्री नरपत सिंह राजवी : मैं तो जनरल पालिसी के बारे में निवेदन करना चाह रहा हूं ....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण जी चौधरी।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह : विपक्ष के नेता ने जो बात कही है बहुत सही बात कही है।

श्री परसराम मदेरणा : कंफिलक्टिंग ओपीनियन आयी थी तो कंसेंसस कोपरेट करें इसमे, कहीं न कहीं हम अराइव एट हो जाय....

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने तो केवल अपने दल का झगड़ा मिटाया है ....(व्यवधान)

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह : यह एक पालिसी मैटर है।

श्री नरपत सिंह राजवी : अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों....

श्री परसराम मदेरणा : यह तो सवाई माधोपुर जिले की बात कर रहे हैं और चित्तौड़गढ़ का आपके दिमाग में है वह ले आये....

श्री नरपत सिंह राजवी : नहीं वह नहीं हैं दिमाग में।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह : प्रतिपक्ष के नेता ने जो बात कही है वह सही है। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम....

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण चौधरी।

मण्डावा विधान सभा क्षेत्र में चोरी की वारदातें

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य सचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से सदन में यह प्रश्न उठाकर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मण्डावा मेरे विधान सभा क्षेत्र का मुख्यालय है तथा 20-25 हजार का कस्बा है। आजकल पिछले कई वर्षों से अन्तरराष्ट्रीय पर्यटन केन्द्र बना है। देश विदेश से सैंकडों पर्यटक रोज यहां आते हैं तथा वहां रात्रि में विश्राम करते हैं। पिछले दिनों अमावस्या की रात्रि में एक ऐसी घटना घटी जिसके कारण शहर तथा आसपास के क्षेत्र में भारी आंतक छाया हुआ है। उस रात्रि को करीब एक डेढ़ बजे चार अजनबी सेठों की एक हवेली में घुसे। हवेली में चौकीदार तथा छोटा लड़का सो रहा था। उसकी पत्नी मोहल्ले में एक शादी में गीतों में शामिल होने बाहर शादी वालों के घर गयी हुई थी। रात में चार आदमी उस मकान में घुसे। चौकीदार की पत्नी शादी में जाते समय हवेली तथा बाहर के चौक, दोनों स्थानों पर किवाड बन्द कर ताले लगाकर गयी थी चोर उसमें घुसने के लिए दोनों तालों को तोड़कर अन्दर घुसे तो उनको एक कमरे में रोशनी दिखायी दी। एक चोर बोला कि यहां तो रोशनी हो रही है तो दूसरा बोला कि अन्दर एक आदमी सो रहा है। इतना सुनकर चौकीदार ने आवाज लगायी कि कौन है, कौन है, तुम यहां क्या करने आये हो, कौन हो, इतने में एक चोर ने उसके सिर में लठ दे मारा तथा 4-5 चोटें और लगा दी। और वह डर के मारे चुप्पी साधकर पड़ा रहा तो एक ने कहा कि यह तो बेचारा मर गया है, छोड़ो इसको आगे देखो। ऐसा कहकर वे आगे बढ़ गये तथा बिना कोई चोरी किये आगे बढ़े तथा हवेली में घूम फिरकर वापस बाहर निकल गये। वहां से वे उत्तर की तरफ एक मोहल्ले में घुसे। वहां पर उन्हें एक नाई जाति का युवक मिला, उसके घर के सामने वह खड़ा था उसको देखकर नाई के युवक को पकड़कर दबोच लिया तथा बगल में दबाकर मोहल्ले की गली की तरफ ले गया जहां उसके तीन साथी छिपे थे। वे उस नाई के युवक को लाठियों से घायल कर भाग गये तथा एक माली के घर में घुसकर एक बकरी को ले गये। वहां से सड़क तक गये, वहां कोई जीप जा रही थी उसमें बैठकर, भाग गये। गांव में हल्ला होने से गांव के लोग इकट्ठा हो गये और और पुलिस स्टेशन पहुचे। नगरपालिका के चेयरमैन भी उसी मोहल्ले में रहते हैं, वे सब पुलिस थाना पहुचे, स्थानीय थाने द्वारा आयी पुलिस ने खोजबीन की, परन्तु पुलिस के कुछ भी हाथ नहीं लगा, चोर भाग गये तथा आतंक पीछे छोड़ गये। उसके बाद ऐसी घटना खेतड़ी कोलीहान में हुई। वहां पर चार चोर ही घुसे, परन्तु

(श्री रामनारायण चौधरी)

वहां पर पुलिस ने घेराबन्दी करके दो चोरों को पकड़ लिया, दो चोर भागने में कामयाब हो गये। इस घटना से मण्डावा कस्बे तथा आस-पास के क्षेत्र में आतंक छा गया है तथा ऐसा ही आतंक खेतड़ी इलाके में पैदा हो गया है। मण्डावा में लोग रात में पहरा दे रहे हैं तथा बहुत आतंकित हैं।

मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए यह उल्लेख सदन के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं।

धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नरेन्द्र बुढ़ानिया।

सरदारशहर (चूरू) में पीने के पानी की समस्या

श्री नरेन्द्र बुढ़ानिया (सरदारशहर) : विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर जिला चूरू में पीने के पानी की भयंकर समस्या बनी हुई है। इस पीने के पानी की समस्या के सुधार बाबत सरकार का बार-बार ध्यान आकर्षित करने के बाद भी सरदारशहर क्षेत्र की जनता को समुचित पानी पिलाने में पूर्णतया असफल रही है। पिछले वर्ष सर्दियों में भी पीने के पानी का अभाव बराबर बना हुआ था पिछले वर्ष माह अक्टूबर में जिला कलक्टर व जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के उच्चाधिकारियों को एक नोटिस क्षेत्र के जागरूक लोगों ने दिया, जिसमें कहा गया था कि इस क्षेत्र को विभाग द्वारा संचालित सभी रीजनल परियोजनाएं लापरवाही की वजह से बन्द पड़ी हैं, गांवायी लोगों द्वारा संचालित कुएं भी बार-बार खराब हो जाने के कारण बन्द पड़े हैं और यह समस्या कोई अस्थायी नहीं बल्कि इस क्षेत्र के लिए स्थायी रूप धारण कर चुकी है। यदि सरकार ने इस समस्या के सुधार बाबत कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया तो बहुत ही गजब हो जायेगा। जब सर्दियों में इस प्रकार की किल्लत रहती है तो गर्मियों से क्या हो रहा होगा. इसका अन्दाजा लगाया जा सकता है।

सरदारशहर व कई अन्य क्षेत्र के लिए नहर से पीने के पानी लाने के लिए भारत सरकार व जर्मनी की सरकार के बीच एक समझौते के तहत जर्मनी के सहयोग से स्कीम बनी है। क्षेत्र की स्थिति को को देखते हुए जरूरी है कि सरकार इस स्कीम को जल्दी से जल्दी पूर्ण करवाये। यदि राजस्थान की अन्य पीने के पानी की योजनाओं की तरह यह चली तो तो इस क्षेत्र के लोग प्यासे मर जाएंगे। गधेली साहवा स्कीम के तहत सरदारशहर विधान सभा क्षेत्र के 74 गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए शामिल किया था, परन्तु बहुत अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि मात्र 15 ग्रामों को ही अभी तक पाइप लाइन डालकर जोड़ा गया है। इससे क्षेत्र के लोगों में रोष व्याप्त है।

महोदय, मैं सरदारशहर क्षेत्र की इस पीने के पानी की समस्या के स्थायी समाधान के लिए सरकार प्रभावी कदम उठावे, ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं

(श्री नरेन्द्र बुडानिया)

व निवेदन करना चाहता हूं कि जर्मन के सहयोग से बनी स्कीम को पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य चालू करें। गंधेली साहवा स्कीम में शामिल 74 गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य चालू रखें। बन्द पड़े सभी आर. ओ. प्लांट तुरन्त चालू करावें, तहसील के ग्राम खेजड़ा राजास, बलाज आदि गांवों के लिए तुरन्त कोई योजना बनाकर पानी पहुंचावें तथा कस्बे में पीने के पानी का वितरण सिस्टम में भी सुधार किया जाना आवश्यक है।

जयहिन्द ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नरपत सिंह राजवी सभापति, प्राक्कलन समिति "क", 1995-96 समिति का एक प्रतिवेदन उपस्थित करेंगे।

समिति का प्रतिवेदन

उद्योग विभाग विषयक प्राक्कलन समिति "क"–1991-92 के चतुर्थ प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री नरपत सिंह राजवी (सभापति, प्राक्कलन 'क') : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उद्योग विभाग से सम्बन्धित प्राक्कलन समिति "क", 1991-92 के चतुर्थ प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही विषयक समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

याचिका का उपस्थापन

श्री उपाध्यक्ष : याचिकाओं का उपस्थापन-श्री भीमराज भाटी, सदस्य, विधान सभा 4 याचिकाएं उपस्थापित करेंगे। (अनुपस्थित)।

श्री भीमसेन चौधरी, सदस्य, विधान सभा एक याचिका उपस्थापित करेंगे।

लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र को 150 से अधिक जनसंख्या वाली एक आबादियों में प्राथमिक विद्यालय अनौपचारिक केन्द्र खोले जाने बाबत दो व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग की स्मृति में संग्रहालय

श्री उपाध्यक्ष : प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत श्री जगदीप धनखड़, सदस्य, विधान सभा स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग की स्मृति में संग्राहालय खोले जाने के सम्बन्ध में श्री ललित किशोर चतुर्वेदी का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग की स्मृति में संग्राहालय खोले

(श्री जगदीप धनखड़)

जाने के सम्बन्ध में माननीय चतुर्वेदी जी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने स्वतंत्रता सैनानियों की समस्याओं के एक विषय को लेकर इस सरकार का ध्यान आकर्षित किया है उस बारे में दृष्टि से वक्तव्य इस प्रकार से है।

राजस्थान में स्वाधीनता सैनानियों की समस्याओं के प्रति सरकार सदैव जागरूक रही है। जब भी सरकार के ध्यान में कोई समस्या या विचार लाया जाता है, उसके समाधान की दिशा में प्रयास किया जाता है।

जयपुर में स्वतंत्रता सैनानियों के बलिदान और त्याग की स्मृति स्वरूप स्वतंत्रता सैनानी स्मारक के निर्माण की कहानी श्री सूरजप्रकाश पापा, महामंत्री राजस्थान स्वतंत्रता सग्राम सैनानी समिति, जयपुर द्वारा तत्कालीन माननीय मुख्य मंत्री महोदय को स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों की स्मृति अमर रखने हेतु स्वाधीनता सैनानी स्मृति भवन के निर्माण के क्रम में पत्र दिनांक 22-2-1983 से प्रारम्भ हुई थी। इसमें श्री पापा द्वारा निवेदन किया गया था कि राज्य सरकार जयपुर में 4,000 वर्गगज भूमि निःशुल्क आबंटित करे 5 से 20 लाख रुपये की राशि स्मृति भवन के निर्माण के लिए स्वीकृत करे।

तत्कालीन मुख्य मंत्री महोदय ने इस प्रकरण को मंत्रिमण्डल के समक्ष रखा और मंत्रिमण्डल निर्णय 114/93 दिनांक 24-6-1993 को लिया गया, जिसमें स्वाधीनता सैनानी स्मृति भवन के निर्माण हेतु प्रस्तावित समिति का निम्न प्रकार गठन किया गया :—

1. मुख्य मंत्री	अध्यक्ष
2. वित्त मंत्री	उपाध्यक्ष
3. सार्वजनिक निर्माण मंत्री	सदस्य
4. दो गैर सरकारी सदस्य	सदस्य
5. एक सांसद	सदस्य
6. एक विधायक जो मुख्य मंत्री जी द्वारा मनोनीत किये जाने थे।	सदस्य
9. मुख्य सचिव	समिति सचिव।

उपरोक्त समिति द्वारा प्रस्तावित स्मृति भवन का प्लान, स्थल का चयन व भवन निर्माण आदि किये जाने का निर्णय लिया गया और उसके लिए राज्य सरकार द्वारा 20 लाख रुपये आबंटित किये जाने का भी निर्णय लिया गया। इस समिति में श्री भीखाभाई, सांसद, श्री शोभाराम, विधायक, श्री मथुरादास माथुर एवं कप्तान श्री दुर्गाप्रसाद चौधरी को आदेश दिनांक 1 अगस्त, 1993 द्वारा सदस्य मनोनीत किया गया।

भवन योजना में एक बड़ा सभा भवन हाल 80 फीट × 30 फीट, पुस्तकालय कक्ष 20 फीट × 30 फीट, आवास कक्ष 2 मय सुविधा 20 फीट × 30 फीट, भवन के ऊपर एक स्मृति चिन्ह मोन्यूमेंट जो करीब 12 फीट की ऊंचाई पर हो, भवन

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

के प्रांगण (लोन) में गांधीजी की मूर्ति, बाहर के लोन के चारों ओर पेड़, एक स्मारक संगमरमर का। यह स्मारक अच्छे वास्तुकार से बनवाया जावे।

इस समिति की बैठक दिनांक 22-9-1983 को केवल एक बार आयोजित हुई। इस बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग को स्मृति भवन के लिये भूमि उपलब्ध कराने व प्रस्तावित भवन का प्लान बनाकर भेजने के लिए दिनांक 12-1-1984 को लिखा गया। दिनांक 20-10-1984 को अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग ने सूचित किया कि मुख्य सचिव महोदय के कक्ष में दिनांक 9-5-1984 को हुई बैठक में लिए गये निर्णय के अनुसार स्वाधीनता सैनानी भवन जवाहर कला केन्द्र का ही एक क्षेत्र इस हेतु आबंटित कर दिया जाय। इस सम्बन्ध में चार्ल्स कोरिया आर्किटेक्ट से प्रोजेक्ट के निर्माण की शर्तें आदि प्राप्त की जाकर राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाय।

इस कार्य में कोई गति नहीं हो सकी। यह किन कारणों से हुआ, इसका तो मैं उल्लेख नहीं करना चाहूंगा किन्तु जवाहर कला केन्द्र के निर्माण के साथ यह जानकारी दी गयी कि जवाहर कला केन्द्र में 9 ब्लॉक बनाये जाने प्रस्तावित थे। इनमें स्वाधीनता सैनानी भवन का कहीं कोई उल्लेख या स्थान नहीं था।

लगभग चार वर्ष बाद तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री शिवचरण माथुर द्वारा इस कार्य की एक बार फिर सुध ली गयी और फिर यह निश्चय किया गया कि जवाहर कला केन्द्र काम्प्लेक्स में स्वाधीनता संग्राम सेनानी भवन का स्थान रखा जाय। इस क्रम में जवाहर कला केन्द्र के बड़े काम्प्लेक्स को स्वाधीनता संग्राम सेनानी स्मृति भवन नामित करने की बात की गयी। इस पुनः यह सवाल उठा कि जवाहर कला केन्द्र सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं कला प्रदर्शन, धार्मिक साहित्य संरक्षा आदि के लिए बनाया जा रहा है, इसलिए इसका नाम स्वाधीनता सेनानी भवन नाम उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि यदि ऐसा किया गया तो स्वाधीनता सेनानी इस भवन का उपयोग रहने, ठहरने आदि के काम में करेंगे। यह न्यायोचित नहीं होगा। साथ ही जवाहर कला केन्द्र में जो 9 ब्लाक बनाये जा रहे हैं, उनमें भी स्मृति भवन के लिए कोई स्थान अब उपलब्ध नहीं है। अतः सुझाव दिया गया कि पंचायती राज से जुड़ा एक अन्य काम्प्लेक्स जो जवाहर कला केन्द्र निकट ही बनाया जा रहा है, उसमें स्वतन्त्रता सैनानी भवन का प्रावधान किया जा सकता है।

एक चर्चा इस सम्बन्ध में यह भी उठी कि जवाहर कला केन्द्र स्वर्गीय श्री जवाहर लाल जी नेहरू को समर्पित किया गया है अतः इसे स्वाधीनता सेनानी स्मृति भवन कहे जाने पर उस राष्ट्र नायक के नाम को हटाना पड़ेगा जो किसी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।

कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा अंकित उक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर जून, 1989 में पुनः चर्चा की गयी, किन्तु स्थान के

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

चयन और निर्माण के विषय में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया जा सका। इस प्रकार छह वर्ष की अवधि में यह मामला जहां से प्रारम्भ हुआ था वहीं खड़ा रहा और इसमें कोई भी प्रगति नहीं हुई। अप्रेल, 1990 में यह प्रकरण फिर सरकार के समक्ष आया और उस समय यह कहा गया कि वर्तमान में उक्त भवन के लिए इतनी भूमि जयपुर शहर में आसपास उपलब्ध होना मुश्किल है। साथ ही निर्माण लागत के बढ़ जाने के कारण प्रस्तावित भवन 20 लाख रुपये की जिस स्वीकृति की बात 1983 में की गयी थी, उसमें यह भवन बनना अब सम्भव नहीं है। अतः इस प्रकरण पर ससाधनों की साध्यता के सन्दर्भ में पुनः विचार किया जाय। वर्ष 1983 में राज्यपाल शासन के दौरान श्री बन्शीलाल लुहाड़िया, अध्यक्ष, राजस्थान स्वतन्त्रता सेनानी संगठन द्वारा एक आवेदन-पत्र महामहिम राष्ट्रपति को प्रेषित किया गया जिस पर राज्यपाल महोदय द्वारा यह कहा गया कि चूंकि इस योजना का निर्णय एक चुनी हुई सरकार द्वारा किया गया था, अतः जब अगली निर्वाचित सरकार आ जाय, उस समय यह प्रकरण उनके समक्ष रखा जाय।

उपरोक्त सारा विवरण मैंने इसलिए सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है कि सारे मामले में जब कार्यवाही करना उपयुक्त था, उस समय किसी न किसी उपक्रम के बहाने उसे टाला जाता रहा और इतनी लम्बी अवधि में स्थान का भी चयन नहीं किया जा सका। फलस्वरूप अब जयपुर शहर में आसपास कहीं भी उपयुक्त भूमि अब उपलब्ध नहीं है। इसके साथ-साथ निर्माण लागत इतनी बढ़ चुकी है कि इस सारी योजना पर पुनः विचार करना आवश्यक हो गया है। फिर भी राज्य सरकार इस विषय में उदासीन नहीं है और इस सन्दर्भ में विकल्प पर विचार किया जा रहा है।

श्री जगदीप धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदय, जिन लोगों के बलिदान की वजह से हम यहां बैठे हैं। भारत को आजादी मिली। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में हम अपने आपको जीवित रख पा रहे हैं। उनकी याद में एक भवन बनाने का मामला 10 साल से अटका पड़ा था....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बातें नहीं करें।

श्री जगदीप धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं, यह हमारे आचरण की एक अत्यन्त गम्भीर टिप्पणी है और सदन के सभी माननीय सदस्य आत्म विचार करेंगे....

श्री उपाध्यक्ष : आप सवाल पूछिये।

श्री जगदीप धनखड़ : मार्च, 1992 में सदन के वर्तमान नेता ने मुख्य मंत्री की हैसियत से इस सदन में यह कहा था कि यह हो जायेगा। 22 मार्च, 1991 को इसी सदन के समक्ष उस समय के वरिष्ठ सदस्य श्री केदार नाथ जी शर्मा ने एक संकल्प प्रस्तुत किया। उस संकल्प पर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानियों की कुर्बानी को देश का कोई भी नागरिक भुला नहीं सकता।

(श्री जगदीप धनखड़)

उनका सारा जीवन त्याग और बलिदान की प्रेरणा देने वाला एक ऐसा प्रकरण है, जिसकी अधिक अनुभूति हो उतनी ही राष्ट्रीय भावना जागृत होगी। यह देश का दुर्भाग्य है कि आज उन लोगों की, स्वतन्त्रता संग्राम की जो गतिविधियां रहीं, उनकी सही जानकारी जनता को नहीं है। अन्त में श्री केदारनाथजी ने यह कहा कि मैं इनकी भावना को मानते हुए माननीय मुख्य मंत्रीजी से इस प्रस्ताव को लेता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, जो भी स्वतन्त्रता संग्राम के सैनानी हैं, उनकी उम्र बढ़ रही है, उनकी संख्या कम हो रही है....

श्री उपाध्यक्ष : मैं स्वयं नहीं समझ पाया, चाहते क्या हैं, आप सवाल पूछिये।

श्री जगदीप धनखड़ : नहीं-नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, 1983 में यह घोषणा की गयी थी कि जयपुर में स्वतन्त्रता संग्राम के सैनानियों के लिए एक भवन का निर्माण होगा। माननीय मन्त्रीजी ने काफी तैयारी के बाद पूर्ण विवरण सदन के समक्ष रखा है। मैं उनको बधाई देता हूं क्योंकि मुझे जो जानकारी पहले दी गयी, वह बिलकुल अधूरी थी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि जब एक विवेकपूर्ण निर्णय ले लिया गया। 10 साल का समय निकल गया और उस 10 साल में यह निश्चित नहीं कर पाये कि इस निर्णय को एग्जिक्यूट करने के लिए इस भवन का निर्माण कहां हो? मैं सरकार से और माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि 20 लाख रुपये की स्वीकृति इन्होंने 10 साल पहले दी। जो भी सरकार आयी, उसने कोई न कोई कार्यवाही की। अब तक हम भूमि को निश्चित नहीं कर पाये और जो गतिविधि अब तक हुई है, अत्यन्त वेदना का विषय है। जवाहर कला केन्द्र में इसको स्थित कर दो या पंचायती राज भवन बन रहा है उसमें कर दो। जयपुर इतना विशाल है, नोन गवर्नमेंट आर्गेनाइजेशंस को जगह दी जा रही है तो ऐसी कौनसी दिक्कत है कि कहने के बावजूद उन स्वतन्त्रता संग्राम के सैनानियों के लिए धन की व्यवस्था करने के पश्चात् भी हम भूमि उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं तो मैं आपके माध्यम से और आपसे विशेष आग्रह करूंगा कि इसकी गम्भीरता को देखते हुए, उन लोगों का कितना अनादर हो रहा है, उनको कितनी भारी पीड़ा हो रही है। श्री बन्शीलाल जी लुहाड़िया ने हमको भी एक पत्र लिखा। उन्होंने पूरी जानकारी दी कि राष्ट्रपति शासन में उन्होंने क्या किया। इस सरकार से विनम्र आग्रह है, अब इस मामले में बिना कोई देरी किये हुए एक निश्चित घोषणा करे कि एक माह में, दो माह में इस विशाल जयपुर में उन स्वतन्त्रता संग्राम के सैनानियों के लिए, जिन्होंने हमें यहां बैठने का अधिकार दिया है, क्या हम कोई भूमि का टुकड़ा दे पाएंगे और दे पाएंगे तो कब तक इसका निर्माण प्रारम्भ हो जायेगा? यह, मान्यवर, आपके माध्यम से ...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री जगदीप धनखड़ : आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी अपना प्रभाव मंत्रीजी

(श्री जगदीप धनखड़)

पर डालें ताकि इस विषय पर और ज्यादा चर्चा नहीं होकर, आप निश्चित रूप से इस सदन के माध्यम से उन स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को बतायें कि एक माह, दो माह में यह कार्यवाही प्रारम्भ हो जायेगी।

श्री हरजीराम बुरड़क : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक सवाल है। मंत्रीजी, आपने उत्तर में यह बताया कि जमीन अभी यहां अवेलेबल नहीं है, नजदीक में नहीं है, बहुत दूर है तो आपके देखते-देखते, जैसे जवाहर नगर है उसमें पार्क के लिए जो जमीन छोड़ी थी वहां निर्माण कार्य हो गया। दूसरा, जमीन जो आपने एक्वायर कर रखी है, उन जमीनों में से आप जमीन दे सकते हैं। जैसे अमरूदों का बाग है या और कोई जमीन आपने एक्वायर कर रखी है, उनमें से आप प्लाट करके इसको बनवाएंगे ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य का जो प्रस्ताव है वह ही बहुत है और उतना ही नहीं, मेरे मन को भी इच्छा है और 125वीं वर्षगांठ महात्मा गांधी के जीवन की और 75वीं वर्षगांठ जलियावाला बाग की, निश्चित इस बात की अहमियत मैं समझता हूं किन्तु मैं निवेदन आपके माध्यम से इसलिए करना चाहता हूं कि दोनों बातें हुई। आज कम से कम इस प्रकार का भवन बनाने में एक करोड़ रुपया लगेगा, उसी प्रकार जिस परिमाण में भूमि चाहिये। मैं आपके माध्यम से किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य को, जिन्होंने केदारनाथजी वाली चर्चा की है, उसके बाद की भी एक कार्यवाही है जिसको बताना चाहता हूं। 17-3-1992 की है।

"केदारनाथ : माननीय मुख्य मंत्रीजी, आपका नाम हो जाएगा अगर राजस्थान की राजधानी में आप एक सेंट्रल हाल बना दें। दो तरह के लिबरेशन मूवमेंट हैं एक तो विदेशी हुकूमत मुगलों के खिलाफ और एक रजवाड़ों के साथ जो अच्छे शहीद हुए हैं, जो मार्टर्स हैं, जो हीरोज हैं। सेंट्रल हाल में उनके फोटोज होंगे। इससे लोगों में एक भावना पैदा होगी और माननीय मुख्य मंत्रीजी, आप एक उदाहरण पेश कर देंगे दूसरी स्टेट्स के लिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने दो बातों के सुझाव दिये हैं। एक तो स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र और इसी प्रकार उनके स्मृति चिन्ह एक जगह एकत्रित किये जायं ताकि सब लोग उनको देख सकें। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री कैलाश मेघवाल : सेंट्रल हाल।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, कोई एक ऐसा स्थान हो। मैं ऐसा समझता हूं आप ऐसे सुझाव देंगे और हम भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि इस प्रकार का कोई आयोजन हो जाय और इस प्रकार का स्थान भी सुरक्षित हो जाय, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।"

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

मैं आपके माध्यम से यही बात कहना चाहता हूं कि हम भी देखेंगे, आप भी देखिये कोई भी भूमि इस परिमाण की। उनके साथ तो पूरी सहमति मेरी नहीं है, क्योंकि जवाहर नगर की जो चर्चा की उन्होंने, उसमें जो एजुकेशनल काम्प्लेक्स के स्थान थे, वहां एजुकेशनल काम्प्लेक्स बनें उसको कहा जाता है, पार्क में बनाओ, यह बात ठीक नहीं है। जहां तक जमीन एक्वायर करने का सवाल है, आवासन मण्डल करता है, कोई और करता है, स्पेसिफाई काम के लिए करता है। इसके लिए भी किया जा सकता है, कोई बात नहीं है। किन्तु मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं और मेरी इस भावना को निश्चित रूप से लुहाड़ियाजी तक भी पहुंचा दूंगा, और उन तक भी पहुंच दूंगा कि वह ऐसी कोई जमीन देखें और माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने एश्योर किया है कि ऐसे भवन की जमीन ध्यान में आते ही उस पर कार्यवाही प्रारम्भ हो जायेगी। अभी स्पेसिफिक रूप में कुछ कहने की स्थिति मे नहीं हूं। इस पहले कदम की हम पूर्ति करने के कदम लिए उठायें जिसमें माननीय सदस्य भी सहयोग करें, भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी भी सहयोग करें, उनके जो विभिन्न संगठन चल रहे हैं उनके अध्यक्ष भी सहयोग करें तो निश्चित रूप से राज्य सरकार आगे बढ़ कर उस नाते से विचार करेगी। यही बात कह सकता हूं।

श्री जगदीप धनखड़ : उपाध्यक्ष जी, एक बात बताना चाहुंगा। महाराष्ट्र में आज से पन्द्रह साल पहले सरकार ने चार करोड़ की व्यवस्था इसी प्रकार के भवन के लिए की थी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मना कहां किया है मैंने। मैंने तो केवल जो एक चर्चा की थी वह बतायी है।

श्री जगदीप धनखड़ : मैं समझता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी की वर्तमान स्थिति को मैं समझता हूं और मैं उनको बधाई देता हुं कि उन्होंने स्पष्ट तरीके से एक बात को रख दिया है फिर भी इतना आश्वासन हमें जरुर दे दें कि जब भी उनकी मुख्य मंत्रीजी से बातचीत हो जाय, इस विषय पर गम्भीरता से विचार कर निश्चित निर्णय की ...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मुख्य मंत्री जी गम्भीरता से विचार कर रहे हैं, सारा मंत्रिमण्डल उनके साथ है। एक बार इतनी बड़ी भूमि का कोई चयन हो जाय तो यह काम निश्चित रूप से करेंगे।

श्री जगदीप धनखड़ : एक-दो महीने में हमें सूचना दे दी जायेगी। व्यक्तिगत रूप से सूचना दे देंगे एक-दो महीने में।

श्री उपाध्यक्ष : प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत श्री रामकिशन वर्मा, श्री रामगोपाल बैरवा, सदस्य, विधान सभा कोटा सम्भाग में बढ रहे अपराधों तथा आम जनता में व्याप्त भय के सम्बन्ध गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करेंगे।

कोटा सम्भाग में बढ़ रहे अपराधों के कारण आम जनता में व्याप्त भय

श्री रामकिशन वर्मा (रामगंज मण्डी) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य सचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के तहत मैं सरकार का ध्यान

(श्री रामकिशन वर्मा)

निम्न अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। श्रीमान, कोटा सम्भाग में वर्तमान में कानून-व्यवस्था की स्थिति अत्यधिक गम्भीर बनी हुई है।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोटा नगर में वर्ष 1993 में माह फरवरी तक चाकूबाजी की घटना के 19 अभियोग पंजीबद्ध हुए जिनमें से दो घटनाएं अघटित पायी गयी, आठ घटनाओं में अभियुक्तों के विरुद्ध चालान प्रस्तुत कर दिये गये हैं, शेष 9 घटनाओं में अन्वेषण जारी है। वर्ष 1994 में इसी अवधि में कुल 33 घटनाएं घटित हुई जिनमें से एक घटना अघटित पायी गयी व 14 अभियोगों में अभियुक्तों के विरुद्ध चालान प्रस्तुत कर दिये गये हैं व एक प्रकरण में मुलजिमान का पता नहीं चला है। शेष में 17 अभियोगों का अनुसंधान जारी है। वर्ष 1995 की इस अवधि में कुल 25 चाकूबाजी की घटनाएं घटित हुई हैं जिनमें से 17 प्रकरणों में अभियुक्तों के विरुद्ध चालान प्रस्तुत कर दिये गये हैं व शेष 8 अभियोगों का अनुसंधान जारी है।

कोटा शहर में बलात्कार के माह जनवरी, फरवरी में वर्ष 1993 में 7, 1994 में 2 व 1995 में माह फरवरी तक 4 अभियोग दर्ज हुए हैं जिनमें से क्रमशः 6 व 1-1 अभियोगों का चालान प्रस्तुत कर दिया गया है, शेष अभियोग अभी अन्वेषणाधीन हैं। कोटा शहर में घटित चाकूबाजी एवं बलात्कार की घटनाओं के माह फरवरी तक उपरोक्त तुलनात्मक आंकड़ों के अवलोकन से स्थिति स्पष्ट है कि वर्ष 1993 की अपेक्षा वर्ष 1995 में बलात्कार की घटनाओं में काफी कमी आयी है एवं चाकूबाजी की घटनाओं में भी विगत वर्ष की तुलना में कमी आयी है। उपरोक्त विवरण से यह भी स्पष्ट है कि दर्ज अपराधिक प्रकरणों में पुलिस द्वारा तत्परता से कार्यवाही की गयी है।

कोटा सम्भाग के जिला कोटा शहर, ग्रामीण, बूंदी, झालावाड़, बारां एवं सवाई माधोपुर में भारतीय दण्ड संहिता के अपराधों के अन्तर्गत वर्ष 1992 में 19515, वर्ष 1993 में 18875 व वर्ष 1994 में 20853 अपराध दर्ज हुए हैं। अपराधों की घटनाओं के उपरोक्तानुसार तुलनात्मक विवेचन को देखने से प्रतीत होगा कि विगत वर्षों की अपेक्षा इनमें आंशिक बढ़ोतरी ही हुई हैं।

अपराधों की घटना की सूचना पर अभियोग पंजीकरण के उपरांत अन्वेषण कर वैधानिक कार्यवाही करने के साथ ही अपराध प्रवृत्ति के लोगों पर अंकुश रखने के लिए समय-समय पर निरोधात्मक कार्यवाही भी की जाती है। असामाजिक तत्वों के विरुद्ध वर्ष 1992 में 9000, वर्ष 1993 में 11375 व 1994 में 11613 निरोधात्मक कार्यवाहियां सम्बन्धित अभियुक्तों के विरुद्ध की गयी हैं जो विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन है।

माननीय सदस्यों द्वारा कोटा सम्भाग की जनता में असुरक्षा की भावना होना एवं इस सम्भाग में गुण्डाराज कायम होने के आरोप तथ्यों के विपरीत है। वास्तविकता यह है कि अभियोगों का त्वरित गति से निस्तारण किया जाकर शांति व्यव-

(श्री कैलाश मेघवाल)

स्था बनाये रखने एवं आपराधिक तत्वों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करने के लिए पुलिस प्रशासन हर समय जागरुकता से कार्यवाही कर रहा है।

श्री रामकिशन वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने अनुभव के आधार पर, क्योंकि पुराने हैं, समझदार हैं और जबाब देने में भी माहिर हैं, लीपापोती की बात करके जबाब दे दिया लेकिन मैं यह चाहता हूं कि कोटा के अन्दर पार्षद को चाकू-छुरे मारे गये, सरपंच को गोली मारी गयी सांगोद में, झालावाड़ में उप प्रमुख के गोली मारी गयी, सुल्तानपुरा में सत्यनारायणको गोली मारी, रामगंज मण्डी में गोली मारी, तलवारें चलीं। बूंदी अन्दर बम्बइया स्टाइल में जीप की टक्कर देकर पार्षद की हत्या करी। यह सारी बातें इस बात का प्रमाण है कि लोगों मे भय उत्पन्न हो रहा है।

श्री परसराम मदेरणा : बम्बइया स्टाइल क्या है ?

श्री रामकिशन वर्मा : बम्बइया स्टाइल का मतलब, फिल्में देखकर जो लोग इस तरह सफाई से काम करते हैं कि पता भी नहीं लगे कि कैसे किस को मारा गया। यह सारी बातें मैं आपसे इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इस प्रकार के वातावरण के अन्दर बदलाव नहीं आया तो तो लोगों का भय दूर नहीं होगा। आपने रिपोर्ट तो दर्ज कर ली और चालान भी पेश कर दिये, लेकिन मुलजिमान को तो लाओ। कहीं मुलजिम भाग जाते है, आपको कल का ही वाकया बताता हूं इस अखबार के माध्यह से। माननीय उपाध्यक्ष जी, अपहरण का अभियुक्त पुलिस गिरफ्तारी में से भी फरार हो गया, कल।

श्री परसराम मदेरणा : कहां ?

श्री रामकिशन वर्मा : यह पेपर के अन्दर कोटा की बात है। तो इस तरह के हालात पैदा हों, तो फिर कैसे हम इस बात को मानें कि वास्तव में वातावरण मे सुधार आया है। यह पत्र-अखबार मेरे यहां नहीं है छपा हुआ, यह अधिकार की बात कहता हूं। पुलिस की घोर लापरवाही से सरे आम बन्दूकें-तलवारें चलीं। दसरा, अखबार आपके सामने पेश करता हूं। यह अधिकार है, इसके अन्दर है कि कोटा में 4 घण्टे तक अराजकता का राज रहा। यह सारी बाते आपके सामने कहना चाहता हूं। तीसरी, रामगंजमण्डी के अन्दर सरे आम रात के 10 बजे पेट्रोल पम्प को लूटा और लूट के अन्दर 80 हजार की एफ. आई. आर. लॉज करायी लेकिन माननीय मंत्रीजी....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप सवाल पूछें।

श्री रामकिशन वर्मा : मैं वही कर रहा हूं, सवाल की बात ही कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो व्याख्या कर रहे हैं।

श्री रामकिशन वर्मा : व्याख्या नहीं कर रहा हूं। सच्चाई बता रहा हूं जो सच्चाई बता रहा हूं जो सच्चाई सामने नहीं आयी।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया सवाल पूछें।

श्री रामकिशन वर्मा : और इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं, माननीय मंत्रीजी,

(श्री रामकिशन वर्मा)

जवाब में आपने 17 हजार का ही जवाब दिया है। रामगंजमण्डी के अन्दर अनुसूचित जन जाति, मीणा समाज की एक अबला जो विधवा थी उसके मकान को तोड़ दिया, उसके साथ मारपीट की, उसकी लड़की के साथ मारपीट की लेकिन उनका केस दर्ज नहीं हुआ। यह बहुत शर्म की बात है। यह धारा 3 का केस था। फैसला क्या हुआ, यह बात अलग थी। यह सारा वातावरण इस बात का गवाह है कि कोटा के वातावरण में एक भय है और डाकिया के अन्दर 4 वर्ष से एक लड़का गायब है उसका अभी तक पता नहीं है। यह आपने जो भी जवाब दिया, लीपापोती की बात थी। इन सारी बातों के साथ में मैं जो कहना चाहता हूं वह यह है कि जो अनुभवी लोग थे उनको आपने किसी लाइन में लगा दिया, किसी को सस्पेंड कर दिया और किसी को कंट्रोल पर बैठा दिया। नतीजा यह है कि...

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : बारां में भी एक धारा 3 का केस हुआ था, वह भी बता दें।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप बिराजें।

श्री रामकिशन वर्मा : दो डकैतियां बारां में भी हुई। यह सारी बातें, पूरे संभाग की आपसे निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मंत्रीजी से कहना चाहता हूं इस भय से हमें मुक्ति दिलायें। आखिरी जो बात कहना चाहूंगा वह यह है कि कोटा संभाग, कोटा शहर के अन्दर यातायात व्यवस्था तो बिलकुल निर्जिव हो गयी है, चौपट हो गयी है। जहां यह लगता नहीं है कि ट्रैफिक नाम की यहां कोई चीज भी है।

श्री प्रतापसिंह सिंघवी : यह बात तो बिलकुल सही है कि कोटा की ट्रैफिक व्यवस्था की, पुराने कोटा में तो यह हालत है कि रामपुरा और इधर तो हम जा ही नहीं सकते।

श्री सभापति : कृपया बिराजें। माननीय मंत्री महोदय।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रामगंजमण्डी से आने वाले माननीय विधायक की जो चिन्ता है वह सरकार की भी चिन्ता है और हम सब की यह कोशिश रहती है कि समाज में अपराध नहीं हो और हों तो कम से कम हों। राजस्थान का पुलिस प्रशासन पहली इस बात के लिए कोशिश करता है कि अपराध नहीं हों, शांति व्यवस्था बनी रहे, पूर्व सूचना मिल जाय तो उसको रोकने की कोशिश करे और जब अपराध हो जाय तो उसका अनुसंधान करें, त्वरित गति से सारी कार्यवाही निपटाकर अभियुक्तगण को कानून के हवाले करे और कानून के अनुसार सजा दिलाये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी जैसा कुछ आपने रामगंजमण्डी के पैट्रोल पम्प से बारे में जिक्र किया। 8-3-95 को रात के साढ़े ग्यारह बजे की बात है और इसकी सूचना मिलते ही अपराध पंजीबद्ध कर किया गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी जो सूचना है उसके अनुसार सारे

(श्री कैलाश मेघवाल)

वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं और जो 7-8 आदमी अलग-अलग दिशाओं से आये थे, वे सारे इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि किधर से आये, कैसे नहीं आये, और अनुसंधान बड़ी त्वरित गति से चल रहा है। आपने सरपंच की हत्या का जिक्र किया, यह सही है कि सरपंच की हत्या हुई। यह सरपंच कांग्रेस पार्टी की ओर से चुने गये थे लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसमें भी आपसी राजनैतिक

श्री परसराम मदेरणा : वे लोग किन दिशाओं से आये और आने के बाद में अब यह देख रहे हैं कि कौन सी डायरेक्शन से आये ओर सब आफिसर इक्ट्ठे हो गये, तो वे किधर से आये और पकड़ा गया है क्या ?

श्री रामकिशन वर्मा : आज तक पकड़ा नहीं गया माननीय मंत्रीजी।

श्री कैलाश मेघवाल : नहीं पकड़ा गया, मैं स्वीकार कर रहा हूं।

श्री रामकिशन वर्मा : और 80 हजार की जगह 17 हजार का जवाब है आपके पास तो, यह बाकी रुपया गया कहां ?

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह नहीं कहा है कि उसमें पकड़े गये हैं लेकिन कोटा में जिस तरह आज धीरे-धीरे यह बड़ी लाइन आ रही है और जिस तरह से इण्डस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, पिछली बार मैंने आपके सामने निवेदन किया था और मैं आज भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस साल में ज्यादातर क्रिमिनल गैंग्स आर्गेनाइज्ड हैं वे बाहर से आकर आपरेट होती हैं और ऐसी नाइन गैंग्स पकड़ी गयी हैं कोई मध्य प्रदेश से आती हैं, कोई कहीं से आती हैं, अब अनुसंधान उसका जारी है और उस पर निगरानी और माननीय विधायक की ओर से ध्यानाकर्षण कराने के बाद भी इस पेट्रोल पम्प का आपने खास तौर से जिक्र किया था तो उसके बारे में मैंने खुद से सूचना मंगायी है।

इसी तरह, आपने जब नरेन्द्र कुमार सरपंच वाली घटना जो पंचायत चुनाव के उम्मीदवार थे, जिनकी हत्या हुई इसमें 15 अभियुक्त तो अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं, कुछ की गिरफ्तारी बाकी है और पुलिस उसमें त्वरित गति से कार्यवाही कर रही है और मेरे सामने जब यह आया, इसमें जहां आपसी राजनैतिक प्रतिद्वंद्विता थी वहां आपसी इनके दूसरे जायदाद के झगड़े भी थे। इस केस में भी कार्यवाही हो रही है।

दूसरा, आपने जो कहा है, एक घटना और आपने बतायी है, सुल्तानपुर वाली घटना, अब सुल्तानपुर वाली घटना में भी महेन्द्र खण्डेलवाल नामजद हुआ है और उसके पीछे पुलिस लगी हुई और अभी तक उसका पता नहीं लगा है। यह स्थिति साफ है, तो पुलिस उस पर पूरी निगरानी रख रही हैं, उसमें किसी तरह की कोई कोताही नहीं कर रही है। और भी जो आपने बताया, जहां तक दूसरे सवालों का, कल का आपने जिक्र किया है,

(श्री कैलाश मेघवाल)

तो मैं इस बारे में भी पूरी जानकारी करूंगा, क्योंकि पुलिस अनुसंधान बढ़े और इस बात को मैं स्वीकार करता हूं कि अभी हमारे पास पुलिस की नफरी, पुलिस के आधुनिकीकरण और पुलिस के सुदृढ़ करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरा ऐसा विचार है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि आज जिस तरह अधिकारी वर्ग चाहे वह डी. आई. जी. हो, चाहे एस. पी. हो, चाहे दूसरे हों वे त्वरित गति से जिस तरह से रेस्पोंड करते हैं, जनता की शिकायतें सुनते हैं इसमें तो आपको सहमत होना होगा मेरे साथ कि वे सारी शिकायतें सुनते हैं।

श्री रामकिशन वर्मा : शिकायतें अगर वे सुनें तो लोग हमारे पास ही क्यों आवें। ये सारी बातें फिर आपके माध्यम से ही आ जाती।

श्री कैलाश मेघवाल : नहीं, आपके पास आएंगे, आप जन प्रतिनिधि हैं और आपके पास आने चाहिये। आप जहां रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं अगर जनता को कोई ग्रीवांस है तो ग्रीवांस लेकर, कई बार ठीक कार्यवाही होते हुए भी यह अपराध जब होते हैं तो जो विक्टम्स होते हैं उनको कई बार सन्तोष नहीं होता है पुलिस की कार्यवाही त्वरित गति से होने के बाद भी कई तरह की जो बाधाएं आती हैं तो उनको आपके पास आना चाहिये। मेरे पास भी आते हैं दरख्वास्तें भी आती हैं। हम सब मिलकर कोशिश करते हैं और यह कोई राजनीति का सवाल नहीं हैं। राजस्थान और देश की कानून और व्यवस्था पर हमको राजनीति से उपर उठकर देखना पड़ेगा।

इस सम्बन्ध में, मैं यही निवेदन कर सकता हूं। जैसा आपने यातायात व्यवस्था का कहा, मुझे मालूम हैं कि कोटा की यातायात व्यवस्था अभी नियंत्रण में नहीं हैं। वहां पर नफरी बढ़ाने की आवश्यकता हैं और वहां पर नये पाइंटस भी एस्टेब्लिश करने की आवश्यकता हैं और हमारी यह कोशिश चल रही है कि यातायात व्यवस्था किस तरह ठीक हो। जैसा अभी नये डी. जी. पी. आने के साथ ही हमने एक नया निर्णय लिया है कि यातायात व्यवस्था ठीक हों इसके लिए जो चैकिंग करने की और पुलिस इधर-उधर करती थी उससे उसको हटा दिया है उसका सीधा काम है कि यातायात व्यवस्था और धीरे-धीरे मैं यह कोशिश कर रहा हूं कि यातायात व्यवस्था भी ठीक रहे और जितने भी अपराध हैं, मानिटरिंग रेग्युलर चालू है, मेरे स्तर पर चालू हैं, डी. जी. पी. के स्तर पर चालू हैं, दूसरे हर स्तर पर चालू हैं। डी. आई. जी. और एस. पीज. को थानों के निरीक्षण करने की, वहां पर कार्यवाही करने की, अनुसंधान के ऊपर कार्यवाही करने की....

श्री सभापति : उत्तर पर्याप्त है, माननीय मंत्री महोदय बिराजें।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मानिटरिंग राजस्थान का होम मिनिस्टर बहुत चुस्ती के साथ कह रहा हैं। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह नहीं हैं, प्रश्न आज यह है कि बढ़ती हुई पापुलेशन एक्सक्लोजर ब्रॉडगेज के अन्दर इम्पोर्ट होने वाले एण्टी सोशल एलिमेंटस, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का

(श्री परसराम मदेरणा)

रातों रात ही करोड़पति और लखपति बन जाना कंज्युमरिज्म की यह संस्कृति और उसके साथ ही बाहर से लोगों का गैंग्स का का आना और भाग जाना, इसमें तो अप-राध होने के बाद में आप चुस्ती और उसके साथ में उसकी मानिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन आपको इंटैलीजेंस एजेंसी को मजबूत करना पड़ेगा और एक कांटेक्ट रखना पड़ेगा लोगों के साथ में तमाम चीज देखकर ये कौन सा अन-डिजायरेबल ऐसा आदमी आज आया है। दिल्ली की मैं पूछ रहा था, वहां पर भी कि यहां की सबसे बड़ी प्राब्लम क्या है। दिल्ली की प्राब्लम है कि दिल्ली में प्रतिदिन 8-10 लाख आदमी बाहर से आते हैं, किसी को पता भी नहीं लगता, कौन आया और कौन चला गया और एण्टी सोशल एलीमेंट्स है और कौन भद्र पुरुष है। इसलिए कोटा के अन्दर यह जगह-जगह गोलियां चलाना, दूसरी चीजें चलना, क्योंकि कुछ अपराध तो लोकल हो रहे हैं और कुछ बाहर से, क्योंकि कोटा आया हुआ है दूसरे राज्यों के ऊपर उस ओर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि एण्टी सोशल एलीमेंट्स, यह तो काम्प्लीकेटेड मैटर होता हुआ चला जा रहा है। इसका अपने पास में इलाज नहीं है। पहले थोड़ी पापुलेशन थी, सोशल कांटे-क्ट्स जीओग्राफिकल डिस्टेंस में बाधा नहीं हैं गांवों के अन्दर। अब इतने लोग आये हैं तो कोई पूछता ही नहीं है कि कौन तो चाय की दुकान पर बैठा है कैसा वह व्यक्ति है, ऐसे लोग जिनकी प्रवृत्ति हो, बाद में चौकसी रखने से या मानिटरिंग से नहीं है। आपको साइंटिफिक इन्वेस्टीगेशन में कौन आदमी आया है और कौन आदमी इस प्रकार का घूम रहा है, यह आपको साइकियाट्रिस्ट और साइकोलोजिस्ट भी अपनी पुलिस फोर्स में रिक्रूट करने चाहिये।

(15.00)

मैं कई दफा चेहरे को देखकर समझ जाता हूं कि मिनिस्टर के दिमाग में क्या चीज है। अगर आपने ये कुछ मैथड्स यूज नहीं किये तो वे भाग जाएंगे, बड़ा मुश्किल है। आपने देखा होगा, कल अखबारों में अग्रवाल का था, किसका मामला था? वह खुद ही तो भाग गया और खुद ही जैसे अब्डक्ट हो गया हो और वहीं से बैठे-बैठे टेलीफोन कर रहा है। घर के पैसे लेकर भाग गया और वहां दूसरा कॉलर बन गया कि हम इसको छोड़ें या नहीं छोड़ें। अप-राध के तरीके बदल गये हैं। बम्बइया तरीके का तो काफी असर पड़ता ही होगा लेकिन यह बीमारी पूरे समाज में फैल रही है। इसको मीट-आउट करने के लिये, आफेंस और प्रीवेंटिव स्टेप लेने के लिए....

श्रीमती कमला : अगर किसी को जान कारी नहीं हो, तो हमारी फिल्में सबको तरह-तरह के अपराधों में बिलकुल परफेक्ट कर रही हैं।

श्री परसराम मदेरणा : आप उन फिल्मों को भी देख लीजिये। आपका ज्ञानवर्द्धन होगा कि पर्टिकूलर फिल्म में आफेंस करने की मोडस आपरेंडी क्या है। यह भी एक तरीका हुआ है इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि इसमें आपको काफी प्रीवेंटिव स्टेप लेने चाहिये। आप

(श्री परसराम मदेरणा)

प्रीवेंटिव स्टेप लेंगे तो आपको अपराधी नहीं मिलेगा। अभियुक्त ही नहीं मिल रहा है तो इन्वेस्टीगेशन के अन्दर चाहे आप कितनी ही कोशिश करो। इसलिए अपराध करने वाले लोग और एंटी-सोशल एलिमेंट्स कांस्टेंटली पुलिस ऑफिसर्स की निगाह में रहने चाहिये।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह कोटा सम्भाग का मामला है। जैसा रामगंज मण्डी से आने वाले माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से मामला उठाया, कोटा सम्भाग के थानों में सही पुलिस ऑफिसर्स नहीं हैं, इसमें कोई दो-राय नहीं है। आपके सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, छोटा-सा कार्यकर्ता, किसी पार्टी का, किसी सत्ताधारी का नाम लेता है मैं ज्यादा इस तरह से नहीं कहते हुए इतना-सा समझाना चाहूंगा, एस. पी. वगैरह टायर री-ट्रेडिंग के नाम से चले जाते हैं। यह कोटा सम्भाग में हो रहा है।

मान्यवर, लाखेरी में लटूर मीणा की हत्या पुलिस के द्वारा की गयी। मैंने आपसे निवेदन किया, मैं मुख्य मंत्रीजी से मिला। यह सही है कि उसका केस रजिस्टर हुआ। उस केस में एफ. आर. लगाने के लिए तो ताकत लगा रही है लेकिन उस आदमी को क्षतिपूर्ति देने की बात नहीं कर रही है। देखिये, आपको पता है हिण्डोली में एक भील को पुलिस के द्वारा मारा गया। उन गवाहों को दबाने में उनको बचाने के लिये, जबरदस्ती एफिडेविट लिखाकर उस भील की हत्या के जुर्म से कैसे पुलिस, बरी हो इसके लिये तो ताकत लगायी जा रही है लेकिन मुलजिमों को पकड़ने के लिये, उन पर सख्ती करने के लिये इस तरह की ताकत नहीं लगायी जा रही हैं। रामगंज मण्डी की कजोड़ी बाई का मामला है, वह एक मीणी थी। उसको इसलिए बेदखल किया कि पट्टा उसके बाप के टाइम का था, वह स्टेट्स के टाइम का पट्टा था। उसको तो बेदखल कर दिया लेकिन कुछ लोगों ने जिन्होंने रास्ते की जमीन पर कब्जा कर रखा था, उनको नहीं हटाया गया। पुलिस तो वहां कब्जे कराने में कब्जे सिखाने की बात कर रही है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें।

श्री रामनारायण मीणा : इसलिए आप हमें आश्वस्त करें। इस तरह के नाटक और कारनामे हो रहे हैं। आपको पता होगा कि केशवरायपाटन थाने में एस. पी. ने अलिखित आदेश के तहत लोगों को बैठाये रखा। हाई कोर्ट के वकील गये। उनकी इन्क्वायरी में साफ जाहिर हुआ कि इनको जबरदस्ती रोके रखा गया। इसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहियें। इसके बाद भी डिपार्टमेंट ने कोई कार्यवाही नहीं की। बूंदी जिले के थानों में 3 हत्याएं हुई हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। गृह मंत्री महोदय, आप कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री रामनारायण मीणा : उसके बारे में आप कहना क्या चाहते हैं। इस तरह जो कुछ हो रहा है, उसके बारे में कृपया आप स्पष्ट जवाब दें। क्योंकि सदन जब नहीं मिलेगा तो हम आपसे कुछ कह नहीं पाएंगे और

Page No. 152

(152)

(श्री रामनारायण मीणा)

आप से कुछ कहते हैं तो आप कुछ कर नहीं पाते हैं।

श्री रामकिशन वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसी सम्बन्ध में एक बात और कहना चाहता हूं कि सुके थाने के झुलमी गांव के अन्दर चोरी हुई, रिपोर्ट दर्ज करायी नतीजा यह हुआ कि कार्यवाही नहीं हुई और कंजरों के डर के मारे पूरे गांव को रातभर पहरा देना पड़ रहा है। जब यह हाल हो जाएगा तो पुलिस का कौन डर मानेगा ? उस प्रकरण में तीन काश्तकार अपने खेत से अफीम लेकर जा रहे थे। उनको मारा और उनकी अफीम छीन ली। वे कहते हैं, हमारी पूरी साल भर की कमाई चली गयी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि व्यवस्था दें, राजनीतिक कारणों से ऐसी बात नहीं कह रहा। यह सच्चाई पर आधारित बात कहता हूं। इस भय को मिटाने में आप० हमारी मदद करें। आपसे इसी बात का आश्वासन चाहते हैं। नतीजा क्या होता है, कोटा में क्राइम बढ़ रहे हैं उधर तो जा नहीं रहे हैं। कोई नकली घी बना रहा है, उधर दौड़ रहे हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं। पकड़े तो सीधे चोर की मां को पकड़े जो घी बना रहे हैं, उन्हें पकड़े लेकिन आप तो छोटे व्यापारियों को पकड़ते जा रहे हैं।....

श्री उपाध्यक्ष : अब आप गृह मंत्रीजी को सुनें। बिराजें।

श्री रामकिशन वर्मा : आपको क्या यह पता था कि....

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठ जाइये।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रतिपक्ष के नेता महोदय का बहुत आभारी हुं कि उन्होंने मेरा काम हल्का कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष : आपको सुझाव दिये हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : यह सारे सुझाव वे हैं, जिनको हम आज हल करने की कोशिश कर रहे है। आज पुलिस बल का आधुनिकरण हो। पुलिस बल में अनुसंधान करने के आधुनिक तौर-तरीके आयें, उनको साधन सुविधाएं मिलें। यह सारी चिन्ता सरकार कर रही है। इसमें सकारात्मक सुझाव आये हैं। आज अपराध प्रवृत्ति की जैसे प्रतिपक्ष के माननीय नेता ने कहा कि आज सबसे ज्यादा अपराध तो ईजी-मनी प्राप्त करने के हो रहे हैं। दहेज-हत्या, ब्लैक मार्केटिंग, प्रोफिटीयरिंग, एडल्टरेशन, ये ईजी मनी प्राप्त करने की और ये चकाचौंध जैसे माननीय कमलाजी कह रही थीं कि ये सिनेमा से भी है, तो कई तरह फैक्टर्स आज समाज में काम कर रहे हैं जिससे अपराध करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है। अब समाज के सारे वातावरण को ठीक करने की भी आवश्यकता है और इन सब ट्रेंडस पर भी ध्यान रखना पड़ेगा।

मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हुं लटूर मीणा वाले मामले में कोई एफ. आर. देने की कोशिश नहीं की गयी उसमें पुख्ता कार्यवाही की गयी है धारा 302 में केस रजिस्टर करके गिरफ्तारियां की गयी

(श्री कैलाश मेघवाल)

उसमें किसी तरह की कोताही नहीं बरती जा रही है। वह कस्टडी-डेथ का केस मान लिया गया है। उसमें पूरे ध्यान से हम कार्यवाही कर रहे हैं। अब आपका सवाल है क्षतिपूर्ति का, मैंने पहले भी निवेदन किया है, आज भी निवेदन करना चाहता हूं कि क्षतिपूर्ति का न तो हमारे कोई प्रावधान है न कोई कानून है। लॉ आफ टार्ट्स जरूर है लेकिन लॉ आफ टार्ट्स को इस देश में कितना काम में लेते हैं।

मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने जो विचार व्यक्त किये हैं, अगर इस तरह की भय की आशंकाएं या भावनाएं हैं, उनको दूर करने के लिए पुलिस विभाग को निर्देश दिये जाएंगे। इंटेलीजेंस विंग को बहुत तेजी से ज्यादा कंसोलिडेट, ज्यादा ऑर्गेनाइज और ज्यादा मजबूत करने की ओर हमारी भी निगाह है। क्योंकि इंटेलीजेंस मजबूत नहीं होगी तो जैसा प्रतिपक्ष के माननीय नेता ने कहा, कौन कहां से, कैसे, किस तरह से किस रास्ते से, कब-कब आ रहा है इस पर जब तक तेज निगाह नहीं रखी जाएगी तो कुछ नहीं होगा, इसलिए सारे प्रयत्न करेंगे, और मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राज्य सरकार इस बारे में जागरूक है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र चौधरी, सदस्य, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान पाठ्य पुस्तक मण्डल में लगातार हो रहे घाटे के सम्बन्ध में शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

राजस्थान पाठ्य पुस्तक मण्डल में लगातार हो रहा घाटा

श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पाठ्य पुस्तक में पिछले दो सालों में बहुत भारी वित्तीय अनियमितताएं और भारी भ्रष्टाचार हुआ है। वहां के अधिकारियों ने मिलकर पाठ्य पुस्तक मण्डल को लूटा है और राजस्थान को भी लूटा है। इसकी तरफ मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (शिक्षा मंत्री): वर्ष 1993-94 के लिए निविदाएं माह सितम्बर, 1993 में आमंत्रित की गयी थीं। मूल निविदा पत्र में मुद्रित होने वाली पुस्तकों की संख्या 213.15 लाख थी। निविदा में जो संख्या दी जाती है, वह अनुमानित होती है जिसे बाद में वास्तविक आवश्यकतानुसार घटाया-बढ़ाया जाता है। पुस्तकों की आवश्यकता का निर्धारण प्रमुखतया निम्न बिन्दुओं को आधार मानकर किया जाता है:—

(1) शिक्षा विभाग से प्राप्त छात्र/छात्राओं की संख्या एवं उनमें प्राथमिक स्तर पर 10 प्रतिशत एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर 5 प्रतिशत की सम्भावित वृद्धि।

(2) गत तीन वर्षों की बिक्री का औसत।

(3) पूर्ववर्ती वर्षों की पुस्तकों का बैलेंस।

सत्र 1993-94 (शैक्षिक सत्र 1994-95 हेतु मुद्रण कार्य) में आमंत्रित की गयी

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

पुस्तकों की संख्या 213.15 लाख थी। 7 मार्च, 1994 को माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में घोषणा की कि शैक्षिक सत्र 1994-95 से राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक सभी छात्राओं एवं 1 से 5 तक सभी छात्रों को निःशुल्क पुस्तकें वितरित की जाएंगी।

निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरण करने की योजना के बाद यह स्थिति बनी कि राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों की कुल संख्या के अनुसार पुस्तकें मुद्रित करवाना आवश्यक हो गया। राज्य सरकार की मण्डल से अपेक्षा थी कि पुस्तकें जून, 1994 में शिक्षा विभाग एवं पंचायत समितियों को उपलब्ध करा दी जायं ताकि जुलाई में विद्यालय खुलते ही विद्यार्थियों के पास पुस्तकें उपलब्ध हों। मण्डल के पास 2-3 महीने की अल्पावधि थी जिसमें इस नयी चुनौती को स्वीकार कर कार्यवाही करनी थी।

अतः यही व्यावहारिक विकल्प था कि जो मुद्रक जिन पुस्तकों की निविदा के क्रम में मुद्रण कार्य कर रहे थे उन्हीं के मुद्रणादेशों में आवश्यकतानुसार वृद्धि कर इस बढ़ी हुई संख्या में पुस्तकों का मुद्रण कराया जाय। नये टेण्डर आमंत्रित करना व्यावहारिक भी नहीं था। टेण्डर प्रक्रिया में समय लगता है, टेण्डर के लिये पर्याप्त समय देना आवश्यक है व नये अनुबन्ध के अनुसार मुद्रकों को 115 दिन भी मुद्रण हेतु देने पड़ते हैं। जबकि उन्हीं मुद्रकों से अतिरिक्त कार्य कराने के लिये केवल 40 दिन देना ही होता है। उसी स्थिति में ही समय पर पुस्तकें प्राप्त होना सम्भव था। इस प्रकार अधिकांशतः बढ़ी हुई संख्या का मुद्रण कार्य उन्हीं मुद्रकों से कराया गया था। कुछ मुद्रक, जिनकी क्षमता नहीं थी या जिन्होंने मुद्रण के लिये मना कर दिया उनके स्थान पर ही अन्य मुद्रकों से काम कराया गया। परन्तु मुद्रण की दरें वही थीं एवं ये मुद्रक वे ही थे, जिन्होंने मूल निविदा में उन पुस्तकों के लिए अपनी दरें दी थीं। इस तरह यह सम्भव हो सका कि जून, 1994 के अन्तिम सप्ताह में शिक्षा विभाग एवं संस्कृत विभाग के विद्यार्थियों एवं जुलाई, 94 के प्रथम 10 दिनों में पंचायत समितियों के विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिये पुस्तकें उपलब्ध करा दी गयी।

इसके बाद भी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग एवं शिक्षा विभाग ने अतिरिक्त पुस्तकों की मांग की। जिस पर विभागाध्यक्षों के स्तर पर बैठक आयोजित हुई व जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि वे अपनी अतिरिक्त मांग भेजें। यह स्थिति माह जुलाई से लेकर अगस्त तक चली। अतः मण्डल को पुनः इस नयी मांग की पूर्ति के लिये भी तैयारी करनी थी। यह मांग भी औसतन 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत के बीच थी। अतः जो पुस्तकें आवश्यकता से कम थीं उनके लिये अतिरिक्त मुद्रणादेश देने आवश्यक हो गये। अतः कुल मिलाकर स्थिति यह रही कि सितम्बर, 1993 में मूल टेण्डर में पुस्तकों की संख्या

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

213.15 लाख थी वो बढ़कर 329.20 लाख हो गयी। यह भी उल्लेखनीय है कि निजी विद्यालयों के लिये पुस्तक विक्रेताओं के माध्यम से भी मण्डल को पुस्तकें बिक्री हेतु उपलब्ध करानी थीं।

जुलाई, 1994 में विद्यालयों के खुलने पर मण्डल एवं सम्बन्धित विभागों के भरसक प्रयासों के बावजूद कई स्थानों पर पुस्तकें जुलाई के उत्तरार्द्ध में वितरित की गयीं। इस पृष्ठभूमि में अगले सत्र (जुलाई, 1995 से प्रारम्भ होने वाला) के लिये यह लक्ष्य रखा गया कि सभी पुस्तकें अप्रेल एवं मई माह में उपलब्ध हो जायं ताकि मई व जून के उत्तरार्द्ध तक इन्हें शिक्षा विभाग व पंचायत समिति के अधिकारियों को दिया जा सके और जुलाई के प्रथम सप्ताह में विद्यार्थियों को पुस्तकें प्राप्त हो जाएं। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए यह योजना तैयार की गयी कि पुस्तक मुद्रण सम्बन्धि समस्त प्रक्रिया को एक महीने पहले प्रारम्भ किया जाय। तदनुसार अगस्त, 1994 में मुद्रण के लिये निविदाएं आमन्त्रित की गयी। सितम्बर, 1994 में भारत के उपक्रम हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन से कागज के लिये अनुबन्ध किया गया। एस.आई.ई.आर.टी., उदयपुर से पांडुलिपियों की तैयारी एवं राज्य सरकार से अनुमोदन कार्य को भी त्वरित गति से पूरा किया गया। मुद्रकों को मुद्रण हेतु अवधि भी 115 दिन की दी गयी। इन सबका प्रभाव यह हुआ कि मुद्रित पुस्तकों का आना मार्च-अप्रेल में प्रारम्भ हो गया। इन प्रयासों के पश्चात् स्थिति यह है कि अप्रेल के अन्त तक कुल 300 लाख पुस्तकों के मुद्रणादेश में से लगभग 200 लाख पुस्तकें ही मुद्रकों से प्राप्त हुई व शेष पुस्तकें माह मई में प्राप्त होना सम्भावित हैं।

अतः यह कहना सही नहीं है कि फरवरी, 1995 में मण्डल के पास भारी मात्रा में पुस्तकों का स्टाक था या चार महीने के ब्याज की हानि हुई। प्रदेश के सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को जुलाई के प्रथम सप्ताह में पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिये सभी प्रकार की सावधानियां बरती गयीं। पुस्तक मुद्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिस पर बहुत सारे कारणों का नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है, यथा:- कागज की कमी, ट्रकों की हड़ताल, बिजली की समस्या व अन्य कई प्रकार की आकस्मिक परिस्थितियां। इन सबका सम्मिलित प्रभाव पुस्तकों की सप्लाई में देरी कर देता है और ऐसी परिस्थितियों में स्थिति नियन्त्रण के बाहर भी हो सकती है। यह भी उल्लेखनीय है कि मुद्रकों से पुस्तकें मण्डल के नौ सम्भागीय डिपोज पर आती हैं एवं वहां से अन्य 24 डिपोज को आवश्यकतानुसार उनका स्थानान्तरण किया जाता है, जिसमें भी समय लगता है। शिक्षा विभाग एवं पंचायत समितियों को ही अपने सेंटर पर पुस्तकें लाने व उन्हें विद्यालयों तक पहुंचाने में लगभग एक माह की अवधि लगती है। इन सारी परिस्थितियों को मद्धनजर रखते हुए विद्यालय के खुलने पर पुस्तक उपलब्ध कराने के लक्ष्य को पूरा करने हेतु यह उचित समझा गया

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

कि अप्रेल-मई में ही सभी डिपोज को सभी पुस्तकें पहुंच जायं और यह तभी सम्भव हो सकता है जबकि 'मुद्रकों से मार्च में ही सप्लाई प्रारम्भ हो जाय।

बैंक से लिये गये ऋण का ब्याज- वर्ष 1994-95 में राज्य सरकार द्वारा कि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित किये जाने का निर्णय लिये जाने पर पुस्तकों की आवश्यकता बढ़ी है जो इससे जाहिर है कि वर्ष 1993-94 में 10.65 करोड़ की पुस्तकें विक्रय की गयीं, जबकि वर्ष 1994-95 में विक्रय की जाने वाली पुस्तकें 8.99 करोड़ एवं नि:शुल्क वितरित की जाने वाली पुस्तकें 10.21 करोड़ थीं। अर्थात् कुल 19.20 करोड रुपये की पुस्तकें प्रकाशित करवाना आवश्यक था। नि:शुल्क पुस्तकों के वितरण के कारण छात्र संख्या में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। अत: वर्ष 1995-96 के लिये नि:शुल्क वितरण के लिये पुस्तकों की आवश्यकता भी काफी बढ़ गयी है। इस प्रकार वर्ष 1995-96 के लिये 23 करोड़ रु. की आवश्यकता में 20 करोड़ रुपये का व्यय कागज पर एवं तीन करोड़ रुपये का व्यय मुद्रण का अनुमानित किया गया है। कागज क्रय के लिये आठ हजार मैट्रिक टन मुद्रण कागज एवं 600 मैट्रिक टन कवर कागज की आवश्यकता अनुमानित की गयी। इसमें से चार हजार मैट्रिक टन मुद्रण कागज एव 400 मैट्रिक टन कवर कागज की ही व्यवस्था पाठ्य पुस्तक के पास उपलब्ध संसाधनों से किया जाना सम्भव था। ऐसी स्थिति में मण्डल द्वारा राज्य सरकार से यह निवेदन किया गया कि नि:शुल्क पाठ्य-पुस्तकों के वितरण के लिए जो बजट राशि का प्रावधान वर्ष 1995-96 हेतु रखा गया है उसमें से आठ करोड़ रुपये की राशि अग्रिम रूप से उपलब्ध करा दें ताकि कागज क्रय किया जा सके। राज्य सरकार द्वारा अग्रिम राशि उपलब्ध कराने में असमर्थता व्यक्त किये जाने पर बैंक से ऋण लिये जाने का प्रयास किया गया। ऋण प्राप्त करने से पूर्व मण्डल की निष्पादक परिषद एवं शाषी परिषद की सहमति प्राप्त हो गयी और यह ऋण भी न्यूनतम ब्याज दर 15.50 प्रतिशत पर लिया गया है। ऋण लेने के लिये आठ करोड़ रुपये की क्रेडिट लिमिट निर्धारित की गयी ताकि उसमें से आवश्यकतानुसार ऋण राशि ली जा सके। 31 मार्च, 1995 को शिक्षा विभाग से तीन करोड़ तीस लाख तीस हजार रुपये की राशि पाठ्य-पुस्तक मण्डल को अग्रिम हस्तान्तरित कर दी गयी, जिसे बैंक ऑफ राजस्थान को ऋण के बदले जमा करा दी गयी। अत: कुल मिलाकर 6.19 करोड़ रुपये का ऋण भार ही राजस्थान राज्य पाठ्य-पुस्तक मण्डल पर है। राज्य सरकार ने नि:शुल्क पाठ्य-पुस्तकों के लिये वर्ष 1995-96 में जो बजट प्रावधान रखा है उसमें से राशि, प्राप्त होते ही इस ऋण का भी पुनर्भुगतान कर दिया जाएगा। अत: पाठ्य-पुस्तक मण्डल पर ब्याज का भार उस सीमा तक नहीं होगा जैसा कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अन्तर्गत बताया गया है। यह कहना सही नहीं है कि पुस्तकों को काफी समय पूर्व मुद्रित कराने के कारण ऋण लिया जाना आवश्यक हो गया बल्कि मार्च एवं अप्रेल में जो कागज प्राप्त हुआ उसके भुगतान

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

करने एवं मुद्रकों के बिलों के भुगतान करने के लिये धनराशि की आवश्यकता थी। राज्य सरकार से अपेक्षित अग्रिम राशि प्राप्त नहीं होने पर ऋण लेने के अलावा और कोई विकल्प ही नहीं था।

मुद्रण एवं कागज धरोहर राशि में वृद्धि करने के कारण मण्डल को हानि-मुद्रण एवं कागज के लिये धरोहर राशि के सन्दर्भ में तथ्यात्मक स्थिति निम्न प्रकार है :—

मुद्रण धरोहर राशि

मण्डल में पिछले कई वर्षों में मुद्रण धरोहर राशि पांच प्रतिशत की दर से ली जाती रही है। वर्तमान में भी वही दर है, इसमें कोई वृद्धि नहीं की गयी है। अतः यह कहना सही नहीं है कि वर्ष 1993-94 में मुद्रण धरोहर राशि में वृद्धि कर 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत कर दिया गया। (व्यवधान)....

श्री परसादी लाल मीणा : कितना लम्बा जवाब है। आपके अधिकारियों ने इतना लम्बा जवाब दिया है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आपने प्रश्न ही इस हिसाब से पूछा है कि हमको बिन्दुवाइज बनाना पड़ा। कागज की धरोहर राशि....

श्री उपाध्यक्ष : शिक्षा मंत्री महोदय, यह जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होता है, इसमें समय सीमा भी निर्धारित होती है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : विषय जो है, इन्होंने सारा विभाग का अपने ध्यानाकर्षण में....

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, इन्होंने इसमें सारा लेखा जोखा नहीं पूछा है।

श्री परसादी लाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, समय सीमा का मंत्रीजी को तो पता है लेकिन जो अधिकारी जवाब बनाते हैं उनको पता नहीं है....

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप चाहे तो मैं इसके बिना ही बता सकता हूं, ऐसी बात नहीं है। कोई आवश्यकता नहीं है कि मैं इसको पढ़ूं। कागज की धरोहर राशि के रूप में, जिसको भी हम कागज देते हैं या मुद्रण देते हैं, उससे हम धरोहर राशि के रूप में कुछ पैसा रखते हैं बैंक की गारंटी रखते हैं और वह बैंक गारंटी पहले 10 प्रतिशत थी, हमने उसको बढ़ा कर के 50 पर्सेण्ट की गारंटी कर दी ताकि जब हमारा कागज उसके पास जाय तो कहीं ऐसा न हो कि उस कागज के बदले हमको नुकसान हो जाय। बाद में यह लगा कि जब हम उनको इतनी बड़ी मात्रा में कागज दे रहे हैं तो जितने भी प्रिंटर्स थे उन्होंने कहा कि साहब यह 50 प्रतिशत धरोहर राशि बैंक गारंटी के रूप में देना सम्भव नहीं है, तो हमने उसको छूट देकर 25 पर्सेण्ट की है।

श्री उपाध्यक्ष : मेरे ख्याल से आप बिराजिये। यह सवाल पूछे तो कुछ जवाब दे दीजिये। श्री राजेन्द्रजी चौधरी।

श्री कालीचरण सराफ (जोहरी बाजार) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी एकदो प्रश्न पूछूंगा।

श्री किशनाराम नाई (डूंगरगढ) : उपाध्यक्ष महोदय, 200 सदस्य हैं जिनमें से करीब 100 सदस्य जाना चाहते हैं इसलिए समय से कार्यवाही हो जाए तो ठीक है।

श्री कालीचरण सराफ : उपाध्यक्ष महोदय, इधर भी देखो, मैं भी बोलूंगा दो मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया शांत रहें।

श्री राजेन्द्र चौधरी : उपाध्य महोदय, शिक्षा मंत्रीजी की यह तो भारी विवशता रही है कि उनको जैसा अधिकारियों ने जवाब बना कर के दिया उन्होंने मजबूरी में यहां पढ़ा। मैं इस बात को तो स्वीकार नहीं करता कि मंत्रीजी भी इस घपले में शामिल हैं पर यह बात निश्चित है कि जैसा इन्होंने जवाब दिया है उसमें कुछ बातें दी हैं, मैं आप से एक बात पूछना चाहता हूं कि आपने यह कहा है कि जो टेन्डर इन्वाइट करते हैं उसमें जो बढ़ोतरी होती है वह आपने बतायी है 10 प्रतिशत और 5 प्रतिशत। मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं कि हिन्दी प्रथम की जो निविदा आयी थी वह 5,70,000 किताबों के लिए आपने दी थी, उसका टेन्डर हुआ, आपने उसके बाद में उसको 12 लाख के आर्डर्स दे दिये, बाद में दिये 12 लाख के आर्डर्स। तो यह कितने प्रतिशत आगे बढ़ी ? नम्बर एक।

इसी तरह से दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे हिन्दी द्वितीय पर्यावरण अध्ययन तीन की जो किताब है उसमें 7 लाख की थी और 8,50,000 के आपने आर्डर्स दिये। इसमें एक महत्वपूर्ण बात और है कि 1260 रुपये की प्रिंटिंग के मीनिमम आर्डर्स आये थे उसके अगेंस्ट में जिसके टेन्डर में ज्यादा रकम थी, 1647 रुपये, उनको इन्होंने आर्डर्स दे दिये। इसी तरह से उसके बाद में 1620 आनन्द ब्रदर्स थी, उसको 5 लाख के आर्डर्स दे दिये। मंत्रीजी, इसी तरह से मेरे पास में तमाम फैक्ट्स हैं, मैं भी समय नहीं लेना चाहूंगा, इसके अन्दर किस तरह से घपला किया गया कि जिसका टेंडर था उससे कई गुणा ज्यादा के आर्डर्स दे दिये।

तीसरी बात, मैं यह पूछना चाहूंगा, आपने यह बात कही है कि कोई ज्यादा किताबें हमने छापी नहीं हैं। जिस समय 1993-94 के टेंडर्स आपने किये उस पीक सीजन के अन्दर किताबों की पोजिशन थी 9 करोड़ की पुस्तकें दिसम्बर माह में शेष रह गयी। क्या यह सही है ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से फरवरी, 1995 में इन्होंने एडवांस में ही पैसा लेकर के, लोन लेकर के, एडवांस में किताबें छपवा लीं। उसमें सारे घपले किये गये, उन टेन्डर वालों से, प्रिंटर वालों से सब से पैसे लिये गये और उसके अन्दर 20 करोड़ का स्टॉक इनके पास रह गया और जरूरत भी नहीं थी।

श्री उपाध्यक्ष : कितने सवाल पूछेंगे, आप ?

श्री राजेन्द्र चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो पूछना चाह रहा हूं स्टेट के हित में पूछ रहा हूं, मेरा कोई हित नहीं है, आप मेरी भावना समझेंगे कि मेरा कोई हित नहीं है। मंत्रीजी भी यह चाहेंगे कि इस तरह का घपला नहीं हो जिस तरह से अधि-

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

कारियों ने घपला किया है उस लिए मैंने यह पूछा है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें चौथी सबसे बड़ी बात धरोहर राशि के बारे में मंत्रीजी ने कही है, उत्तर में भी इन्होंने यह बताया। आप मुझे बताइये कि कागज की धरोहर राशि जो 10 प्रतिशत थी जो बैंक गारन्टी ली जा रही थी वह 1986 के अन्दर इन्होंने 20 प्रतिशत कर दी, ठीक है। 1986 से 1993-94 तक यह चलती रही और 1993-94 में इन्होंने एक साल में 20 से 50 प्रतिशत तक बढ़ायी, एक साल में ही। एक साल बाद में इन्होंने महसूस कर लिया और महसूस कैसे कर लिया, कैसे करते हैं महसूस, आप समझते होंगे। वह महसूस कर के 50 से यह 25 पर आये, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, आप इस बात को समझिये। एक साल के के अन्दर, आप मुझे बताइये, मैं भी मंत्री रहा हूं, एक साल के अन्दर किस तरह आप 50 से वापस 25 पर पहुंच गये ? यह सब समझने की बात है। इस बात पर आरोप हालांकि उन सारी संस्थाओं के बारे में आपने कह दिया कि इससे भी पास करा लिया, इससे भी पास करा लिया, इसमें भी पूरी भ्रष्टाचार की बू आती है।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत हो गया।

श्री राजेन्द्र चौधरी : नम्बर पांच। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर स्टाफिंग पैटर्न की जो बात लेने पूछी है, चूंकि उत्तर मेरे पास भी है और उनके पास भी है, स्टाफिंग पैटर्न के अन्दर अब एक अधिकारी का नाम है छज्जुराम पारीक, जो मण्डल का नियुक्त तकनीकी अधिकारी है, उसका काम बाकायदा आइडेंटिफाई किया हुआ है, आज यह काम क्या कर रहा है और इसको दिया हुआ काम क्या होना चाहिये ? इसी सो तरह से अभिदन कौर जो शैक्षिक अधिकारी है. उसका काम है क्या और कर क्या रही है। सारे अधिकारियों की मेरे पास लिस्ट है जिनका काम क्या है और उनसे काम क्या करवाया जा रहा है। तो क्या आपने यह देखने की चेष्टा की है जिस समय इसको आपने एप्रूव किया ? मेरे ख्याल से आपको गम्भीरता से इस पूरे मामले को देखना चाहिये था। इसलिए मैं यह चाहूंगा मंत्रीजी इस मामले को, अधिकारी जिस जगह लगना चाहिये था उसके अगेंस्ट में लगा रखा है, इन बातों का पहले जवाब दे दें आप।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कालीचरण सराफ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : बहुत लम्बा हो जाएगा।

श्री कालीचरण सराफ : एक मिनट। उपाध्यक्ष महोदय, होना तो यह चाहिये था कि राजस्थान के इतिहास में पहली बार पाठ्य पुस्तक मण्डल ने 46 लाख बच्चों को 125 लाख किताबें 12 करोड़ रुपये की समय पर दी। यानि, आज तक कांग्रेस के राज में कभी अक्टूबर, नवम्बर से पहले किताबें नहीं मिली, चार-चार पांच-पांच महीने बाद सेशन चालू होता था, होना तो यह चाहिये था कि पाठ्य पुस्तक मण्डल के जो आज अधिकारी लगे हुए हैं चेयरमैन और सेक्रेटरी, उनके आने के बाद कितना व्यवस्थित रूप से और सारा काम समय से पहले हो गया और जुलाई में सत्र प्रारम्भ

(श्री कालीचरण सराफ)

हो गया, और इनको इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है। मेरे समझ में नहीं आ रहा....

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, ऐसा नहीं है।

श्री कालीचरण सर्राफ : यह इस प्रकार की बात कर के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अन्तर्गत केवल पूछा गया लगातार घाटा।

श्री कालीचरण सराफ : कहां घाटा है, मैं यही तो कह रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, घाटा है ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : शिक्षा मंत्रीजी बोल रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सारे सदन को यह आश्वस्त करता हूं कि इसमें किसी प्रकार का कोई घाटा और अनियमितता नहीं हुई है। अगर आप चाहें तो सदन के किसी भी चार मेम्बर्स की कमेटी बना कर इस सारे प्रकरण को देख लें।

आपने दोनों को अलग-अलग नहीं किया। सितम्बर, 1993 में हमने जो टेण्डर आमंत्रित किये थे उन टेंडर के आधार पर अगर हम फिर नये टेंडर, जब हमने 7 मार्च के दिन बजट में घोषणा कर दी कि निःशुल्क पुस्तकें देंगे तो हम को निश्चित रूप से पुस्तकों की संख्या बहुत अधिक चाहिये थी। अगर हम अप्रेल से इस प्रक्रिया को शुरू करते तो हम इस ढाई महीने में यह किताबें किसी कीमत पर छापकर नहीं दे सकते थे। इसलिए जिनके पुराने टेंडर थे उन्हीं लोगों को हमने कहा कि यदि इसी कीमत पर आप यह किताबें छापना चाहें, तो आप ये किताबें छापें। हमने एक पैसा भी किसी को भी दिये हुए टेंडर पर बढ़ाकर नहीं दिया। यह जो हमने 5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत बढ़ाने की बात कही है यह अगले वर्ष 1995-96 में जो किताबें मिलेंगी उन्हीं लोगों अगर 10 पर्सेण्ट से ज्यादा रेट आ गयी तो हमने उनसे नेगोशिएशन किया, 20 पर्सेण्ट और 30 पर्सेण्ट दिया इस साल के लिये। अक्टूबर में जब हमने टेंडर कॉल किया तो हमने उसको भी नेगोशिएशन से घटा कर 5 पर्सेण्ट और 8 पर्सेण्ट और 10 पर्सेण्ट, पुराने टैण्डर से ज्यादा रेट नहीं जाए इसके लिए हमने उसको तैयार कर के किताबें छापी हैं। यह किताबें हमने अधिकांश जल्दी इसलिए ले ली, क्योंकि हम को इसका बड़ा वितरण करना है, अगर यह अप्रेल तक किताबें हमारे पास नहीं आएंगी तो हम एक जुलाई तक नहीं कर पाएंगे।

और यह जो आपने 25 पर्सेण्ट और 50 पर्सेण्ट की धरोहर राशि की बात कही है, यह न तो हमारी इनकम है न हमारा इस धरोहर राशि से कोई लेना-देना है। यह तो हम अपना कागज देते हैं उनकी एवज में बैंक गारण्टी लेते हैं। कहीं कागज खा नहीं जाए, कहीं कागज नष्ट नहीं कर दे ताकि हम उसका घाटा कहां

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

भुगतेंगे। तो धरोहर राशि जो हम पहले 5 और 10 पर्सेण्ट लेते थे उसको बढ़ाते-बढ़ाते 20 पर्सेण्ट गये, 20 से जब 50 पर्सेण्ट गये और जब हमारी इस सारी निविदा में कम लोगों के द्वारा, 40 और 45 लोगों के द्वारा यह सारी किताबें हम को छपानी थी तो एक-एक आदमी को उस धरोहर राशि के एवज में 50 पर्सेण्ट की बैंक गारण्टी देनी थी। उनकी समस्याओं को देख कर के हमने उनको 25 पर्सेण्ट की।

मैं आज भी चैलेंज करता हूं आपको कि आप में से कोई भी चार माननीय सदस्य की कमेटी बन कर इस सारे प्रकरण की जांच कर इस सारे प्रकरण की जांच कर ले और अगर इसमें कहीं कोई कमी पायी जाए तो मैं स्वयं भी सजा भुगतने के लिए तैयार हूं और अधिकारी भी सजा भुगतने के लिए तैयार हैं।

श्री राजेन्द्र चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी यह बात कहीं है कि मंत्रीजी अपने ऊपर इस बात को नहीं लें और अधिकारियों को, जिन्होंने गड़बड़ की है, उनको बचाने के लिए अपने कंधों का इस्तेमाल नहीं करें।

मैंने जो महत्वपूर्ण बात कही है वह यह कही है कि आपने कहा है कि जिनको टेंडर दिये गये हैं उन्हीं को हमने आर्डर दिये हैं और मैं इस सदन के अन्दर यह चैलेंज करता हूं कि जिन्होंने टेंडर दिये ही नहीं उनके अलावा उनको टेंडर्स दिये गये। क्या बात करते हैं आप।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी भी तैयार हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं यह मान रहा हूं।

श्री राजेन्द्र चौधरी : बिलकुल, मेरे पास में सारे डाकुमेंट्स हैं, इनके अलावा आपने उनको कैसे दिये? आपने देखे होंगे इसके अन्दर।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप मेरी बात सुन लें। वास्तव में इस बात में आपकी सच्चाई है, जितने लोगों को हमने टेंडर दिया उनमें से कई लोगों ने किताबें छापने से मना किया। तो हमने उन किताबों की संख्या देखकर उसी रेट पर और लोग जो हमारे साथ उस समय पहले टेण्डर में आये थे, उन लोगों को हमने फिर से बुलाया कि अगर इसी रेट पर आप लोग भी हमें किताबें छाप कर दें तो हम आप से किताबें ले सकते हैं। इस गुड फैथ में हमने उस सीमा से बाहर निकल कर भी लोगों को इन्वाइट कर के समय पर किताबें छप जाएं, उसके लिए हमने जरूर दिया है, यह आपकी बात में सच्चाई है।

श्री राजेन्द्र चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो बात कही है, वह यह कही है कि उन्होंने टेंडर दिये ही नहीं, उनको दिये जिनको आपने टेंडर दे दिये। उनके तीन-तीन महीने तक उन्होंने आपके पेपर नहीं उठाये। उसके बाद में भी आपने इनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया। मेरे पास में है न। मैं बता रहा हूं आपको। आप इस बात को मना कैसे करते हैं? मैं इस

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

तरह की गलत बयानी नहीं कर रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं हित की बात कर रहा हूं और मंत्रीजी ने भी यह कहा है कि कमेटी बना दी जाय। बिलकुल कमेटी बना दी जाय और आप भी इस कमेटी से मौजूद रहना और अपन बैठकर देखेंगे। मैं सारे डाक्यूमेंट्स सदन के पटल पर रखता हूं। उसके बारे में उसकी जांच की जाय। जो मैंने कहा है। आप बोलिये मंत्रीजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मुझे स्वीकार है। मैंने तो स्वयं ही कहा है कि आप बना दीजिये और इस सारे प्रकरण को देख लीजिये। अगर कहीं कमी है तो निश्चित रूप से कोई दिक्कत की बात नहीं है।

श्री परसादीलाल मीणा : आप कमेटी बना दीजिये।

श्री लक्ष्मण सिंह : दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अब यह अध्यक्ष महोदय को ही देते हैं। वह चार लोगों की कमेटी बनाकर के इस प्रकरण को देख लें और अगर कहीं भी किसी की गलती होगी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है बिराजिये।

प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत श्री भीमसेन चौधरी, सदस्य, विधान सभा खाजूवाला एवं छतरगढ़ में नयी तहसीलें एवं सहायक कलक्टर का पद स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

खाजूवाला एवं छतरगढ़ में नयी तहसील एवं सहायक कलक्टर के पद का सृजन

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व मंत्रीजी का खाजूवाला और छतरगढ़ में दो नयी तहसीलें बनाने के लिए और खाजूवाला में एस. डी. ओ. और छतरगढ़ में एक सहायक कलक्टर का पद सृजित करने के बारे में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि पूर्व में दो उपनिवेशन तहसीलें छतरगढ़ नम्बर एक एवं छतरगढ़ नम्बर दो कार्यरत थी जिन्हे भू-आबंटन का कार्य समाप्त होने के कारण समाप्त कर उनका समस्त रेकार्ड राजस्व तहसील में स्थानान्तरित कर दिया गया। जहां तक नयी राजस्व तहसील स्थापित करने का प्रश्न है, यह मामला बोर्ड और एरिया डवलपमेंट प्रोजेक्ट स्कीम के अन्तर्गत विचाराधीन है। वर्ष 1995-96 में खाजूवाला में उप खण्ड अधिकारी का न्यायालय एवं सहायक जिला कलक्टर का न्यायालय छतरगढ़ में स्थापित करने का प्रस्ताव अभी राज्य सरकार के विचाराधीन है। जिस पर शीघ्र ही निर्णय लिया जाएगा।

श्री भीमसेन चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खाजूवाला एरिये में सिंचित क्षेत्र के काश्तकार हैं, उन काश्तकारों की

(श्री भीमसेन चौधरी)

राजस्व सम्बन्धी अनेक समस्याएं अनिर्णित रहती हैं और काश्तकार बराबर तहसील मुख्यालय पर चक्कर लगाते रहते हैं। उनकी समस्याओं का, खातेदारी अधिकार का, उनके बंटवारे का, उनकी आबादी के अलाटमेंट का और दूसरे-झगड़े-टटे हैं, उनको निपटाने की कोई व्यवस्था अभी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : इसके कुछ नोर्म्स बने हुए हैं ... (व्यवधान).... वह आप बतायें।

श्री भीमसेन चौधरी : नोर्म्स के अन्दर तो आती हैं सारी बातें। सारी तहसीलें क्रियेट हैं।

श्री हरजीराम बुरड़क : झुन्झुनू जिले में पहले दोनों उप तहसीलें थीं तो नोर्म्स में तो वह अपने आप फिट हैं। जहां-जहां उपस्तरीय तहसीलें, थीं, वहां ज्यादातर तहसीलें खोल दी गयीं।

श्री भीमसेन चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, अभी एक एस. डी. ओ. है। पहले जहां पर चार ए. सी. सी. असिसटेंट कलक्टर्स काम करते थे वहां कोलोनाइजेशन खत्म होने के बाद चार ए.सी.सी. की पोस्टें कम हो गयी और चार तहसीलें थी लुणकरणसर, बीकानेर, छतरगढ़ और खाजूवाला। ये चार तहसीले खतम हो गयीं। उनका सारा का भार एक एस. डी. ओ. पर आ गया। वह एस. डी. ओ. जो सारे रेकोर्ड है. एक कमरे में बंद पड़े हैं और काश्तकारों की सारी समस्याए अनिर्णित रहती है। काश्तकारों के सामने आज यह सारी समस्या आ रही है। इसलिए यह व्यवस्था करना बहुत जरूरी है काश्तकारों की समस्याओं के लिए।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री गंगाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, उपनिवेशन तहसील के पास काम ज्यादा होता है क्योंकि भूमि का आबंटन होता है और राजस्व कानूनों के तहत भूमि की पैमाइश, चकबंदी वगैरह सारा करने के बाद में बहुत बड़ा काम होता है। उपनिवेशन तससीलों के पास जितना काम होता है उतना काम राजस्व तहसील के पास नहीं होता। हमारे नोर्म्स के हिसाब से चालिस पटवार सर्किल पर हम एक तहसील बनाते हैं। हमारे पास में यह मामला परीक्षणाधीन है। पहले उपनिवेशन तहसील छतरगढ़ नम्बर एक, छतरगढ़ नम्बर दो, यानि एक खाजूवाला और छतरगढ़ यूं समझ लीजिये दो थी और उसमें पूगल उप तहसील है जो बीकानेर का पार्ट है। पूगल उप तहसील और छतरगढ़ का क्षेत्र, खाजूवाला का क्षेत्र मिलाकर के एक तहसील बनाने का मामला राज्य सरकार के पास विचाराधीन है और जल्दी ही इस पर निर्णय लिया जाएगा।

अब प्रश्न रहा एस. डी. ओ. के कार्यालय स्थापित करने का। उपाध्यक्ष महोदय, नोर्म्स के हिसाब से एस. डी. ओ. का कार्यालय दो तहसील पर एक बनता है तो नोर्म्स में यह बात नहीं आती है लेकिन फिर भी चूंकि बीकानेर उत्तर एस. डी. ओ. का क्षेत्र है. वह काफी बड़ा है। इसलिए राज्य सरकार ने यह विचार बनाया है

(श्री गंगाराम चौधरी)

कि इस क्षेत्र में चाहे पूगल हो, चाहे छतरगढ़ हो, चाहे खाजूवाला हो। इस क्षेत्र में एक उपखण्ड स्थापित करना हम आवश्यक समझते हैं। इसका भी परीक्षण चल रहा है और जल्द ही इस पर निर्णय ले लिया जाएगा।

श्री भीमसेन चौधरी : यह कब तक करेंगे आप ?

श्री उपाध्यक्ष : विचाराधीन है।

श्री भीमसेन चौधरी : दूसरा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्व की जो तहसीलें वाइण्ड अप की कोलोनाइजेशन की और उनकी जगह सारा रेकार्ड एक जगह कमरे में बन्द पड़ा है और जो रेकार्ड उन्होंने तैयार किया है उसमें उन्होंने पर्चा खतौनी तैयार नहीं की और काश्तकारों की जमाबन्दी तैयार की, वह सही तैयार नहीं हुई है। इसलिए रेकार्ड भी अधूरा पड़ा है और इससे काश्तकार को समय-समय पर समस्याएं होती हैं।

श्री उपाध्यक्ष : यह अलग से सवाल है।

श्री गंगाराम चौधरी : बहुत जल्द कायम करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत श्री अर्जुनदास मदान, सदस्य, विधान सभा श्री राजस्थान श्रमिक ठेका सहकारी समिति, रामगंज मण्डी का पंजीयन खनन विभाग द्वारा नहीं किये जाने के सम्बन्ध में खनिज मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

राजस्थान श्रमिक ठेका सहकारी समिति, रामगंज मण्डी का खनन पंजीयन

श्री अर्जुनदास मदान (लाड़पुरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से खनिज मंत्री महोदय का ध्यान रामगंज मण्डी की उपरोक्त समिति जो आपने बतायी है, अभी तक उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ उसके सम्बन्ध में आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री कैलाश मेघवाल (खनिज मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान श्रमिक ठेका सहकारी समिति लिमिटेड, रामगंज मण्डी द्वारा खनिज लाइम स्टोन क्षेत्र 9000×1000 वर्ग फीट ग्राम कुंभकोट तहसील, रामगंज मण्डी के लिए राजस्थान अप्रधान खनिज रियायती नियमावली, 1977 के नियम 5 के अन्तर्गत खनि. अभियन्ता, कोटा के यहां एक आवेदन पत्र दिनांक 6-3-78 को प्रस्तुत किया। आवेदन पत्र में कमियां होने के कारण निर्धारित 9 माह की अवधि में निस्तारण नहीं हो सका। इस प्रकार यह आवेदन पत्र नियम 8(1) के अन्तर्गत स्वतः अस्वीकृति की श्रेणी में आ गया। इस सम्बन्ध में समिति द्वारा शासन के समक्ष एक पुनर्विचार याचिका प्रस्तुत की जिस पर राज्य सरकार के निर्णय दिनांक 23-3-81 के द्वारा स्वतः अस्वीकृति को निरस्त किया जाकर आवेदन पत्र का 100 दिन की अवधि में गुणावगुण के आधार पर निस्तारण करने के

(श्री कैलाश मेघवाल)

निर्देश प्रदान किये। इसी दौरान श्री भैंरूलाल सुथार द्वारा न्यायालय मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामगंज मण्डी से स्थगन आदेश दिनांक 24-11-81 से प्राप्त कर लिया। परन्तु स्थगन आदेश निरस्त होने के पश्चात् राज्य सरकार के आदेश दिनांक 16-12-82 के द्वारा समिति के पक्ष में खनन पट्टा क्षेत्र 3,65,707 वर्ग मीटर (36.57 हैक्टर) वार्षिक स्थिर भाटक रुपये 60,314/-- पर स्वीकृत किया।

उक्त श्री भैंरूलाल सुथार द्वारा इस मामले में अपर जिला न्यायालय, कोटा के समक्ष अपील दायर की। जिसकी वजह से खनन पट्टे का संविदा निष्पादन नहीं हो सका। निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर द्वारा संविदा निष्पादन हेतु अवधि बढ़ाये जाने पर दिनांक 25-2-87 को संविदा का निष्पादन किया जाकर पंजीयन हेतु समिति के अध्यक्ष को संविदा की प्रतियां दी गयी। परन्तु समिति द्वारा संविदा का पंजीयन निर्धारित अवधि में नहीं कराया जा सका। जिला पंजीयन अधिकारी, कोटा द्वारा 7-12-87 को संविदा अवधि पार होने के कारण संविदा दस्तावेज को बिना पंजीयन किये हुए लौटा दिया। समिति द्वारा पुनः संविदा का निष्पादन दिनांक 10-12-87 को किया गया। परन्तु विभिन्न कारण से इसका पंजीयन नहीं हो सका।

यह उल्लेखनीय है कि संविदा निष्पादन से पूर्व निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग के आदेश दिनांक 13-10-87 से 9% प्रतिमाह की दर से शास्ति आरोपित करते हुए 2 माह की अवधि बढ़ायी गयी। परन्तु समिति द्वारा शास्ति की राशि जमा नहीं करायी एवं निदेशालय के इस आदेश को राज्य सरकार के समक्ष रिवीजन के माध्यम से चुनौती दी गयी। रिवीजन के निर्णय दिनांक 4-8-94 के अनुसार निदेशालय के आदेश दिनांक 13-10-87 द्वारा उक्त शास्ति को समाप्त करते हुए प्रकरण खनि अभियन्ता को रिमाण्ड कर आदेश दिये कि वर्तमान प्रचलित नियमों के अन्तर्गत दो माह की अवधि में खनन पट्टे का संविदा निष्पादन किया जाय। शासन के उक्त रिवीजन के निर्णय की अनुपालना में निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर द्वारा उनके पत्र दिनांक 11-1-95 द्वारा समिति को सूचित किया गया कि वह वर्तमान में प्रचलित नीति के अनुसार पांच हैक्टेयर क्षेत्र का संशोधित नक्शा एवं विवरण की सूची पेश करें और यदि पुराने ही क्षेत्र (यानि 36.57 हैक्टेयर) को लेना चाहें तो वर्तमान में प्रभावी स्थिर भाटक के दर से रुपये 5,50,650/-- वार्षिक स्थिर भाटक भुगतान हेतु अपनी सहमति देवें।

प्रार्थी समिति द्वारा दिनांक 6-2-95 को एक पत्र निदेशक, खान एवं भू विज्ञान विभाग, उदयपुर, को लिखकर उनके परिपत्र दिनांक 20-6-84 का हवाला देकर यह निवेदन किया है कि स्थिर भाटक वर्तमान दरों पर नहीं लिया जावे बल्कि राज्य सरकार द्वारा जारी स्वीकृति आदेश दिनांक 16-12-1982 के अनुसार सम्पूर्ण क्षेत्र 36,57 हैक्टेयर का स्थित भाटक

(श्री कैलाश मेघवाल)

रुपये 60,314/- ही लिया जाये। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि जहां तक विभागीय परिपत्र दिनांक 20-6-84 का सम्बन्ध है यह परिपत्र निदेशक खान एवं भू-विज्ञान विभाग द्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायती नियमावली, 1977 के अन्तर्गत जारी किया गया है जबकि यह नियमावली विलोपित की जाकर नये नियम राजस्थान अप्रधान खनिज रियायती नियमावली, 1986 दिनांक 4-3-1986 से प्रभाव में आ चुके हैं। इस प्रकार कानूनी रूप से निदेशालय परिपत्र दिनांक 20-6-84 वर्तमान में प्रभावी नहीं है।

वर्तमान नियमों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा जिला झालावाड़ एवं रामगंज मण्डी में खनिज लाइम स्टोन। (बिल्डिंग स्टोन के खनन पट्टे हेतु पांच हैक्टेयर प्लाट सीमा निर्धारित की है तथा खनिज लाइम स्टोन (डाइमेंशनल) का स्थिर भाटक रुपये 15/- प्रति दस वर्ग मीटर रुपये 15,000/- प्रति हैक्टेयर) प्रभाव है। इस प्रकार सम्पूर्ण 36.57 हैक्टेयर क्षेत्र का स्थिर भाटक 5,50,650/–प्रतिवर्ष बनता है जो समिति द्वारा देय होगा। समिति की इस सम्बन्ध में सहमति प्राप्त होने के पश्चात ही राज्य सरकार द्वारा जारी स्वीकृति आदेश दिनांक 16-12-82 में आवश्यक संशोधन किया जाकर संविदा निष्पादन की कार्यवाही की जा सकेगी। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि सभी मामलों में स्थिर भाटक तथा रायल्टी प्रचलित दरों पर ही वसूल किये जाते हैं जिसमें किसी प्रकार की रियायत दिया जाना राज्य सरकार के लिये सम्भव नहीं है।

श्री अर्जुनदास मदान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1977 में बारहवें महीने में सोसायटी का रजिस्ट्रेशन हुआ और आज 5 मई, 1995 है। सतरह साल की अवधि बीत चुकी है और आज अाट्ठारहवां चल रहा है। बियालीस गरीब परिवारों ने सपना सजोया था, जो दूसरे की तगारियां उठा-उठा कर पत्थर ढोते थे। उन्होंने सोचा कि हम भी एक सोसायटी बनायें और हम भी खान के मालिक हों। 1977 में उन्होंने सोसायटी का रजिस्ट्रेशन करवाया। मैं मंत्री महोदय की इस बात से सहमत हूं कि जो क्षेत्रफल उन्होंने बताया है वह बिलकुल सही है लेकिन यह आरोप लगाना कि समिति रजिस्ट्रेशन करवाने में स्वयं दोषी है, अपराधी है, मैं उसे बिलकुल स्वीकार नहीं करता। मैं यह जानता हूं कि इन 17 वर्षों की अवधि में जो कुछ भी हुआ कोई न कोई एजेंसी जरुर उसके पीछे काम कर रही है क्योंकि माननीय, रामगंज मण्डी क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर लोग कमाते नहीं है। जहां लोग अर्न नहीं करते मिंट करते हैं। नोटों को छापते हैं, नोटों की कमाई नहीं करते और कुछ लोग ऐसे हैं जो छोटे-छोटे लोगों को इस दशा में नहीं देखना चाहते कि वह कुछ कमायें और खायें। आप कल्पना कीजियेगा कि 1977 में एक सोसायटी का पंजीयन हुआ और 1985 तक आज राज्य सरकार उनको पट्टे का अधिकार नहीं दे पायी। कहा जा रहा है मंत्री महोदय कि इसमें दोषी वह गरीब लोग हैं जिन्होंने सोसायटी का निर्माण किया वह चूकते रहे। मैं इस बारे में मंत्री महोदय आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि आप मेरी एक-एक चीज को नोट करें आप यह कह

(श्री अर्जुनदास मदान)

रहे हैं कि इन लोगों ने सोसायटी का रजिस्ट्रेशन नहीं किया, जैसे ही सोसायटी का रजिस्ट्रेशन हुआ एक हजार वर्ग फीट भूमि का उनको अलाटमेंट हुआ। उसी समय भैंरूलाल नामक लुहार को कुछ पूंजीपतियों ने उकसाया और रामगंज मण्डी के मुंसिफ मजिस्ट्रेट के यहां जाकर उसने स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया तीन साल की अवधि के बाद वह स्थगन आदेश समाप्त हुआ और मुंसिफ मजिस्ट्रेट ने उस सोसायटी के हक में फैसला कर दिया।

माननीय, अब उसके बाद आपने इस लैटर में 1982 के अन्तर्गत जो आपके माध्यम से मैं अपेंडिक्स "ए" के माध्यम से कर रहा हूं, यह 82 का लैटर है जिसके अन्दर आपने 60,314/-रुपये उस समिति से मांगे हैं। माननीय बहुत ध्यान देने की बात है कि सोसायटी केवल मात्र अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की है 42 परिवार हैं जिनसे सोसायटी का निर्माण हुआ। साठ हजार आपने मांगे और मेरी सोसायटी ने तीस हजार रुपये से ज्यादा की राशि आपके खाते में जमा करा दी और जमा कराये हुए भी आज पन्द्रह साल हो गये। आज अगर आप उसकी कल्पना करें कि ..

श्री उपाध्यक्ष : कृपया ऐसे पूछिये कि क्या यह सही है।

श्री अर्जुनदास मदान : मैं आपके माध्यम से बता रहा हूं, मैं जो बता रहा हूं उसका मेरे पास डाक्यूमेंट प्रूफ है। अगर यह चाहेंगे तो मैं एक-एक चिट्ठी का जवाब दूंगा आप मुझे बताइये अगर एक सोसायटी ने रजिस्ट्रेशन किया और कोई भैंरुलाल लुहार नामक आदमी स्थगन आदेश प्राप्त कर ले किसी मुंसिफ मजिस्ट्रेट की अदालत से तो उसमें दोषी कौन है। फिर उसके बाद एक बात निवेदन करूं कि फिर सोसायटी के हक में फैसला हुआ और आपने इस पत्र के माध्यम से साठ हजार समर्पित मांगे मैंने तीस हजार आपको जमा करा दिये। तीस हजार आपके पास हैं आज बारह चौदह साल से आपके पास जमा हैं। मंत्री महोदय इसका भी अवलोकन करें यह राशि जब जमा हुई मान्यवर, फिर उस आदमी को मलूम हुआ तो फिर उन पूंजीपतियों ने उसको उकसाया तो वह सैशन जज, कोटा में चला गया। कोटा में जाकर फिर उसने स्थगन आदेश लिया, फिर मामला तीन साल तक लटका रहा तीन साल के बाद मुंसिफ मजिस्ट्रेट के फैसले के अनुसार जब सैशन न्यायालय में श्रमिक मजदूरों के हक में फैसला किया तो रजिस्ट्रेशन के लिए यह पत्रिका अवलोकन करने के लिए उस उप पंजीयन अधिकारी रामगंज मण्डी, तहसीलदार को पावर्स थे, उसके पास यह पत्रावली भेजी गयी। मैं आपसे निवेदन करूं जो पत्रावली का प्रारूप है, इस पर तहसीलदार महोदय यह लिखते हैं कि आपने आठ महीने बाद हमारे पास रजिस्ट्रेशन के लिए कागज दिये हैं इसलिए अब आप अधिकृत नहीं हैं।

महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि अगर मान लिजिए आठ महीने बाद ही था और वह अवधि समाप्त हो गयी थी तो उन्होंने यह पत्र कोटा क्यों भेजा? जिला पंजीयन अधिकारी को लिखा कि मूल में जिला पंजीयन महोदय, कोटा को प्रेषित कर

(श्री अर्जुनदास मदान)

निवेदन करता हूं कि इन डाक्यूमेंट्स को एक्जीक्यूट हुए आठ महीने से अधिक का समय हो गया है अतः आप रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 की धारा 25 में आवश्यक कार्यवाही करने के लिए निर्देशित करें। जब एक अधिकारी जानता है कि मैं गलती पर हूं तो क्या जरूरत पड़ी थी उसको ? सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या हुआ कि यह गरीबों की सोसायटी है, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। मैंने जैसा आपसे निवेदन किया अनुसूचित जनजाति की है, वो और उनके परिवार के लोग तगारियां लेकर के पत्थर ढोते रहे हैं और आज भी वह यही काम कर रहे हैं। अगर आज वह दोषी थे, अपराधी थे, पंजीयन अधिकारी के पास तहसीलदार को यह डाक्यूमेंट भेजने की क्या जरूरत थी और यह ओरिजनल डाक्यूमेंट भेजा है। यह वही डेट, जो अध्यक्ष महोदय को दिया और उसने आठ महीने की अवधि दे दी और उन्होंने तहसीलदार को भेजा। तहसीलदार के पास जब यह कागज गया तो आठ महीने की अवधि हो गयी तो उन्होंने यहां आकर इसके ऊपर रिवीजन किया और रिवीजन में सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी ने अनुदान किया कि नौ प्रतिशत शास्ति पैनल्टी की रकम अगर आप जमा करा दें, नौ प्रतिशत था और साठ हजार के ऊपर ज्यादा से ज्यादा पैंतालीस हजार की पैनल्टी बैठती थी। पैंतालीस हजार रुपये क्षमा करने के लिए वापस अपील में आये रिवीजन में, पैंतालीस हजार तो जब रिवीजन में सोसायटी आयी उन गरीबों की तो निर्णय हुआ कि 45 हजार तो बख्श दिये जायं इसको तो आप माफ कर दो लेकिन नयी शर्तों के अनुसार पंजीयन करवाओ यानि पांच लाख पचास हजार। मुझे आप बताओ, मान्यवर, कौन बेवकूफ इन्सान ऐसा होगा सात साल इस निर्णय में लग गये, सात साल की अवधि, मान्यवर, आप कल्पना कीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय ने जो अभी जवाब दिया उससे थोड़ा बहुत भी सन्तोष नहीं हुआ आपको। आप बिराजें मंत्री जी को सुनें।

श्री अर्जुनदास मदान : मान्यवर, मैं अपनी पूरी बात कह दूं। आपकी अन्तर-आत्मा से भी पूछूंगा, आपकी अन्तरआत्मा भी सबूत दे देगी कि दोषी कौन है ? अब आप कल्पना कीजिए, मान्यवर, यह सब सवाल इनके सामने आया तो यहां के डिप्टी सेक्रेटरी ने सेक्रेटेरिएट में भी सात साल बिता दिये। सात साल के बाद में आपसे निवेदन करने जाऊं कि, मान्यवर, मेरे पचास हजार रुपये क्षमा कर दें, मेरी बात को आप सुनें, सात साल के बाद आप निर्णय दें और फिर मेरे से कहें कि पचास हजार तो माफ किये जाते हैं लेकिन पांच लाख पचास हजार जमा करा जाओ। कौन बेवकूफ होगा, चौबे जी छब्बे जी होने गये थे दुबे जी रहे गये, यह स्थिति इसके अन्तर्गत हो रही है।

इसके बाद मैं फिर और निवेदन करता हूं आपसे विडम्बना यहां तक है कि मैं आपको डायरेक्टर का बताता हूं जिन्होंने नीति बनायी है....

"Where a minor lease for lime stone under MMSCR, 1977

(श्री अर्जुनदास मदान)

for size other than 300 mt. has been sanctioned on the date of the aforesaid gazette notification the applicant should be allowed to execute agreement as per sanction."

अब यह आपकी नियमावली नहीं है, इन्हीं के विभाग की नियमावली है। यह स्पष्ट रूप से उद्धत करती है कि जो भी एग्रीमेंट इस गजट नोटिफिकेशन की तिथि से पहले हो चुके थे उनके ऊपर आप नयी शर्तें लागू नहीं कर सकते। और अगर नयी शर्तें लागू कर सकते हैं तो मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आरिफ मोहम्मद और हबीब मोहम्मद सन् आफ नियाज मोहम्मद, इस पर 59 हजार रुपये मांगे थे....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें। आपकी भावनाओं को मंत्री महोदय समझ चुके हैं।

श्री अर्जुनदास मदान : मान्यवर 59 हजार रुपये मांगे थे 25 हजार रुपये दे दिया गया यानि वह एक कानून इनके लिए तो लागू होता है हमारी सोसायटी के लिये इसके ऊपर लागू क्यों नहीं हुआ। मैं तो मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं क्योंकि ऐसा लगता है कि इनको डाक्यूमेंट्स पूरे नहीं बताये गये। वह गरीब कहीं दोषी अपराधी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : विराजें। माननीय मंत्री महोदय।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गम्भीर चिन्ता और विचार का विषय भी है कि 6-3-1978 को समिति रजिस्टर हुई और उसके द्वारा आवेदित क्षेत्र का उतार-चढ़ाव, प्रशासनिक बाधाएं, न्यायिक लड़ाई से आते-आते 1995 में यह स्थिति बनी है। सारे तथ्य आपके सामने है। मेरा ख्याल है कि तथ्यों के बारे में माननीय विधायक और मेरे बीच में कोई मतभेद नहीं है। केवल दो बिंदुओं पर निर्णय लेना है। एक तो क्षेत्र कितना मिले। क्योंकि नियमावलीं बदलती चली गयी, नीति बदलती चली गयी, नियम बदलते चले गये। 1978 के पहले 1977 के नियम लागू हुए थे, 1986 में फिर नये आ गये। स्थिर भाटक कितना लेना है? स्थिर भाटक उस समय के हिसाब से करीब 60,000 बनता है, अब वह पांच लाख के करीब आ गया। मेरी भी चिन्ता का विषय है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की तो स्पष्ट नीति है कि अनुसूचित जाति, जनजातियों की आर्थिक हिस्सेदारी और आर्थिक सम्पन्नता को और आगे बढ़ाने में यथासम्भव सहयोग दे और खनिज विभाग में तो हम प्राथमिकता से पट्टे देते हैं।

इस सरकारी समिति में अनुसूचित जाति, जनजाति के सदस्य भी हैं और एक बड़ी लम्बी लड़ाई लड़ी है। मैं, आपके द्वारा माननीय विधायक को यही आश्वस्त करना चाहता हूं कि वह इस बारे में मेरे साथ बैठकर कक्ष में चर्चा करें नियमों की परिधी में कितना लाभ और राहत दी जा

(श्री कैलाश मेघवाल)

सकती है और सरकार के विवेक का शिथिलीकरण, का यदि कोई है तो यह थोड़े विस्तार से देखना पड़ेगा कि कहां किस स्थिति में हम कर सकते हैं, किस स्थिति में नहीं कर सकते। मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं यह जो अनुसूचित जाति जनजाति की सहकारी समिति है, इसने जो लम्बी लड़ाई लड़ी है, इसमें राज्य सरकार अपने स्तर पर जितनी राहत दे सकेगी उतनी राहत देकर इनको यह पट्टे देगी जिससे यह अपने आर्थिक उत्थान की ओर लग सके। उन्हें मैं आमंत्रित करता हूं कि वह मेरे कक्ष में आ जायं।

श्री उपाध्यक्ष : आप गृह मंत्रीजी के कक्ष में जाकर चर्चा कर लें।

श्री अर्जुनदास मदान : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है। कंडीशंस तो बदलती रहेंगी। एक नियम आज बने हैं, एक कल बनेंगे। हो सकता है यह लड़ाई और लम्बी चले। आने वाले 2-5 सालों में फिर यह नियम बदल जाएंगे। आप और मेरे बीच में कोई सौदा तय हो गया है और सौदा तय होने में निर्धारित रकम होती है कि आप इतनी रकम जमा करा दें....

श्री कैलाश मेघवाल : इसमें सौदा नहीं भावना है। मेरी भी भावना है।

श्री अर्जुनदास मदान : भावना है। मैं यह निवेदन करता हूं कि मेरे ऊपर नयी कंडीशंस लागू होंगी कैसे ? क्योंकि मेरे से आपने साठ हजार मांगा और मैंने तीस हजार रुपये आपको जमा करा दिये। मान्यवर, मैं तो आपसे निवेदन करता हूं कि वह रोता रहता है....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें।

श्री अर्जुनदास मदान : आप कृपा करके इन गरीबों के ऊपर दया करें। गरीब लोग हैं और अनुसूचित जाति के है। डाक्यूमेंट देख लें मैं आपको विश्वस्त करता हूं कि आपको मैं कनविंस करूंगा।

श्री कैलाश मेघवाल : मेरा पूरा विवेक जो राजकीय नियमों में हो सकता है वह मैं इस समिति के अनुसूचित जाति, जनजाति के सदस्यों को देने के प्रयत्न करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत श्री रामपाल उपाध्याय, सदस्य, विधान सभा भीलवाड़ा जिले की सहाड़ा तहसील के आमली ग्राम में अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि पर किये गये अवैध कब्जे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

सहाड़ा तहसील (भीलवाड़ा) में अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि पर अवैध कब्जा

श्री रामपाल उपाध्याय (सहाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान भीलवाड़ा जिले की सहाड़ा तहसील के आमली ग्राम में अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि पर किये गये अवैध कब्जे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में आकर्षित कर रहा हूं।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमती सोहनी पत्नी श्री रामप्रसाद निवासी श्रामली, थाना गंगापुर ने पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि वह अनुसूचित जाति की महिला है। ग्राम आमली में स्थित उसकी पैतृक भूमि की फर्जी रजिस्ट्री धोखाधड़ी करके रामेश्वर लाल शर्मा व उसकी पत्नी श्रीमती भगवती देवी ने अपने नाम करवा ली। इस भूमि की कीमत भी अदा नहीं की गयी है और सारी कार्यवाही छल कपट से करवायी गयी है। राजस्थान टीनेंसी एक्ट की धारा 42 में यह हस्तान्तरण शून्य प्रभावी है। प्रार्थना पत्र में यह प्रार्थना की गयी कि रामेश्वर लाल शर्मा तथा उसकी पत्नी के विरुद्ध कार्यवाही की जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा द्वारा थाना गंगापुर को इस निर्देश के साथ भिजवाया गया कि मुकदमा दर्ज किया जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जावे। थाना गंगापुर पर अपराध संख्या 168/94 दिनांक 19-6-94 अन्तर्गत धारा 420 भा. द. सं. व धारा 3 (6) अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधि-नियम दर्ज किया जाकर उप अधीक्षक, पुलिस गंगापुर द्वारा अन्वेषण किया गया। अन्वेषण से यह पाया गया कि परिवादिया श्रीमती सोहनी बाई के पति रामप्रसाद गुरू तथा उसके पति के भाई बद्रीलाल द्वारा दि. 16-12-93, 11-2-94 व 9-3-94 को विक्रय पत्रों द्वारा रामेश्वर लाल शर्मा व उसकी पत्नी भगवती देवी को भूमि बेची गयी है। भूमि की कीमत विक्रय पत्र तस्दीक करने से पूर्व ही क्रेता द्वारा विक्रेता को गवाहानों के समक्ष भुगतान कर दी गयी थी और इस तथ्य का अंकन विक्रय पत्र में भी किया गया है। बेची गयी भूमि पर क्रेता रामेश्वर लाल व उसके परिजनों का कब्जा काश्त है।

प्रार्थिया ने अपने आपको गुरु जाति का होना अंकित करते हुए यह भी अंकित किया है कि गुरु जाति अनुसूचित जाति में सम्मिलित है। इस सम्बन्ध में जांच करने पर यह पाया गया कि गुरु जाति अनुसूचित जाति में सम्मिलित नहीं है। जो विक्रय पत्र निष्पादित किये गये हैं उसमें रामप्रसाद व बद्रीलाल ने अपनी जाति गुरु (ब्राह्मण) होना अंकित किया है।

पुलिस अन्वेषण से परिवादिया द्वारा लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं हुए। अतः दिनांक 17-9-94 को इस अभियोग में अन्तिम प्रतिवेदन अदम वकू झूंठ में लगाया जाकर अन्वेषण समाप्त कर दिया गया।

इसी विषय के सम्बन्ध में परिवादिया द्वारा राजस्व अधिकारियों को भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये थे, जिनकी जांच उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर तथा तहसील-दार सहाड़ा द्वारा करवायी गयी। राजस्व अधिकारियों द्वारा की गयी जांच में भी यही निष्कर्ष निकला है कि प्रार्थिया अनु-सूचित जाति की सदस्य नहीं है तथा राम प्रसाद व बद्रीलाल द्वारा भूमि बेचान हेतु जो विक्रय पत्र निष्पादित किये गये हैं उसके सम्बन्ध में भूमि की कीमत क्रेताओं द्वारा

(श्री कैलाश मेघवाल)

विक्रेताओं को अदा की जा चुकी है। इस प्रकार राजस्व अधिकारियों द्वारा की गयी जांच से परिवाद तथ्यहीन एवं निराधार पाया गया है।

श्री रामपाल उपाध्याय : उपाध्यक्ष महोदय, जो जवाब माननीय मंत्री महोदय ने दिया है, मैं समझता हूं वह उनके हृदय की भावना के प्रतिकूल जवाब है। जो कुछ अधिकारियों ने जिन पर बहुत बड़ा आरोप पहले लगाया गया, उन्होंने जो सन्देश भिजवाया उसी को आपने पढ़ दिया। मैं समय की सीमा को भी जानता हूं। लेकिन एक अनुसूचित जाति के गरीब परिवार को और उसके बाल बच्चों को बिलकुल नष्ट करने की प्रक्रिया अपनायी गयी है वहां के लोगों द्वारा और अधिकारियों द्वारा। इसलिये मैं कुछ प्रश्न पूछता हूं। क्या मंत्री महोदय, मेरे इस अनुरोध पर विचार करेंगे। 5-6 सर्टिफिकेट जो गुरु, गुरूड़ा, गारो, गरोड़ा अथवा गुरूड़ा, उप गौत्र गर्ग या गुरू इसके नाम पर इश्यू किये हैं मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को अवगत कराना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप इस पर विचार करेंगे कि जिस जिलाधीश, भीलवाड़ा ने इनको अपदस्थ करने की प्रक्रिया को सही माना है उसी जिलाधीश, भीलवाड़ा ने गुरू, गर्ग, गुरूड़ा, गरो, जो अभी मैंने नाम बोले हैं उनको अपनी तरफ से 3-4 सर्टिफिकेट दिये हैं। उदाहरण के लिये, 21-4-77 को समाज कल्याण अधिकारी, भीलवाड़ा ने श्री कन्हैया लाल पुत्र श्री छोगालाल गुरू को जो भांभोला मांडलगढ़ का है उसको एस. सी. का सर्टिफिकेट दिया। इसी तरह 7-4-77 को एस. डी. ओ. मांडलगढ़ ने इसी प्रकार एस. सी. का सर्टिफिकेट दिया। 17-1-85 को नगरपालिका राजसमन्द द्वारा शांता देवी पत्नी श्री भागीरथ गुरू को एस. सी. का प्रमाण पत्र दिया। इसी तरह से 11-3-76 को जिलाधीश, भीलवाड़ा द्वारा श्री बालाप्रसाद पुत्र श्री धन्नालाल गारो (गर्ग) ब्राह्मण मांडलगढ़ को एस. सी. का प्रमाण पत्र दिया। जो सूची संशोधन आदेश 1956 के तहत एस. सी. मानी जाती थीं। इसी तरह प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण, निवेदन करूं अभी भीलवाड़ा जिले की सिवाना पंचायत समिति के श्री भंवरलाल गर्ग एस. सी. का सर्टिफिकेट देकर वह निर्विरोध प्रधान बने हुए हैं और तो माननीय जोगेश्वरजी गर्ग,

(16.00)

जो इस समय वर्तमान में माननीय सदस्य हैं एस. सी. सीट से जालौर से निर्वाचित होकर आये हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक निवेदन करना चाह रहा हूं....

श्री मगराज चौधरी (आहोर) : काफी लम्बा हो जायेगा।

श्री रामपाल उपाध्याय : लम्बा तो होगा ही, किसी गरीब के लिए कहना है। चार महीने से मैं इसके लिए प्रयास कर रहा हूं। मैं आपको निवेदन करूं, इस सोहनी देवी को भीलवाड़ा एस.डी.ओ. ने एस सी. का सर्टिफिकेट दे दिया और 15-20 दिन बाद जबरन अपने कर्मचारियों, अधिकारियों को भेज कर वापस

(श्री रामपाल उपाध्याय)

मंगवाया। मैं माननीय मंत्री महोदय के निवेदनार्थ अर्ज करना चाहता हूं, श्रीमन् माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच द्वारा Yatish Kumar Vs. State of Rajasthan & 11 others. D. B. Civil writ petition No. 1448 of 1983 decided on 30th of November, 1983.

एक लाइन और पढ़ूंगा, मैं आपका समय ज्यादा नहीं लूंगा। It is declared that the petitioner belong to a Scheduled Caste.

दूसरा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय हाई कोर्ट का मैं एक और हवाला देना चाहूंगा, मोतीलाल, घड़ीसाज जो कांकरोली से विधान सभा सदस्य के लिए चुनाव लड़ चुके हैं और उस चुनाव की मान्यता राज्य और भारत सरकार ने दी। उच्च न्यायालय बैंच जयपुर ने 30 नवम्बर, 1987 को एस. सी घोषित किया है और तो और माननीय गृह मंत्री महोदय, राजसमन्द में 1977 में चुनाव लड़े थे उनके खिलाफ गुरु जाति के इस मोतीलाल गुरु ने चुनाव लड़ा था। इसके आगे और मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, श्रीमन्, कम से कम जितने लोग हैं जैसे पोकरजी गुड़ा, शाहपुरा में स्टेट के समय उनको

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

एस. सी. मान कर जमीन दी। भीलवाड़ा, अजमेर और राजसमन्द आदि अनेक जिलों में इनको एस. सी. मान कर जमीन दी। सुवाणा जो भीलवाड़ा में है, हरजीराम गुरु ने अपनी कृषि भूमि जाट को बेची लेकिन कहा कि आप शिड्यूल्ड कास्ट के हो, टीनेंसी एक्ट के सेक्शन 42 में परिवर्तन नहीं हो सकता।....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया और माननीय सदस्य सवाल पूछना चाहते हैं इसलिए आप बिराजें। बहुत लम्बा हो गया है।

श्री रामपाल उपाध्याय : मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं, श्रीमन; कि कम से कम एक एस. सी. का व्यक्ति है मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का इस पर ध्यान दिलाना चाहता हूं; मेरे पास 50 ऐसे केसेज हैं जो गुरु, गुरूड़ा, गरो ये शिड्यूल्ड कास्ट के अन्दर आ रहे हैं और उनको हटाया जा रहा है। सम्माननीय समाज कल्याण मंत्री महोदय यहां बिराजमान है, मैं माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम यह जो दोहरा रीति-रिवाज अपने यहां पर चल रहा है कृपया आप इसको ठीक करें और इस गरीब के साथ न्याय करावें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय पूनम चन्दजी।

श्री पूनम चन्द विश्नोई (फलोदी) : माननीय सदस्य ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से जो प्रश्न उठाया है यह बहुत महत्वपूर्ण है। गुरूड़ा, गुरु, गर्ग, ये तीनों ही चूंकि मेघवालों के गुरु हैं राजपूतों के मालदों के गुरु हैं ये महान हैं, क्योंकि ये मेघवालों के गुरु थे। इसलिए हिस्टोरिकली इनको, जैसे किसी को छोटा नाम कहना है तो आगे "ड़ा" जोड़ देते हैं।

(श्री पूनच चन्द विश्नोई)

उस हिसाब से यह जोड़ा गया नाम है। मेरे गांव में आसपास सब जगह गुरु बसते हैं और उनको गरूड़ा कहते हैं। क्योंकि पहले भावना यह थी कि गुरु तो ब्राह्मण या गुरु कोई बड़ा साधु महात्मा होता है बांबियों का या मेघवालों का गुरु वह गुरु कैसे, वह तो गरूड़ा है। तो यह बात है। इसलिए बात एक ही हैं और उचित तो यह होगा कि इसको गुरु इस हिसाब से मान्यता दे दें और इसका स्पष्टीकरण निकाल देना चाहिये ये तीनों एक ही चीज है, कोई इसमें फर्क नहीं है कि यह शिड्यूल्डकास्ट हैं, हमारे गांव में बसते हैं हम गांव के रहने वाले हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जोगेश्वर गर्ग।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालोर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संविधान के अनुच्छेद 342 क्लाज (1) के अधिकारों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति महोदय ने एक सूची जारी की अनुसूचित जातियों की राजस्थान के सन्दर्भ में और उसमें क्रम सख्या 27 पर एक जाति का उल्लेख है जिसमें चार नाम उल्लेखित है, गरो, गरूड़ा, गुरड़ा और गरोड़ा। 1961 में सैंसस आफ इण्डिया का वोल्युम 14 जारी हुआ राजस्थान के सन्दर्भ में, उसमें इस गरूड़ा शब्द को परिभाषित किया है। मैं उल्लेख करना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी जाति के बहुत से लोग राजस्थान में हैं और इस कंन्फ्यूजन को हम वर्षों से भुगत रहे हैं। मैं चाहता हूं कि सदन का थोड़ा समय तो लगेगा, पहली बार सदन में यह विषय आया है, मैं चाहता हूं कि इस पर अन्तिम निर्णय हो जाय दुबारा यह विषय नहीं आये। इसलिए मैं थोड़ा सदन का समय चाहूंगा। परिभाषा दी हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय "The Garudas consider themselves to be Brahamins. They are Priest who officiate at the religious and social functions of Bhambhis, Meghwals and other low caste people." बिलकुल स्पष्ट परिभाषा है और इस परिभाषा के सन्दर्भ में यदि श्री राम प्रसाद ने और बद्री लाल ने अपनी जाति रेवेन्यू रेकार्ड में या और कहीं गुरु, ब्राह्मण लिखी है तो कोई अपराध नहीं किया है। संविधान उनको ब्राह्मण मान रहा है लेकिन ब्राह्मण किस का? मेघवालों का। अब बड़ा अजीब संजोग है कि ब्राह्मण अपने ही यजमान से न्याय मांग रहा है। कैलाशजी मेघवाल, खुद मेघवाल हैं और हमारे यजमान हैं और हम उनके ब्राह्मण हैं। इस समय इस विषय पर निर्णय होना है। मैं माननीय गृह मंत्रीजी, अपने यजमान से सीधा सा सवाल रखता हूं.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया शांत रहें।

श्री जोगेश्वर गर्ग : विवाद कहां से शुरू होता है? उपाध्यक्ष महोदय, विवाद शुरू होता है इस "ड़ा" शब्द से। "ड़ा" का जो पुछल्ला लगा है। मारवाड़ में "ड़ा" का पुछल्ला कब लगता है जब किसी को अपमानित करना हो। मैं बहुत सारे उदाहरहण देता हूं, जैसे सोनी। सोनी को सोनीड़ा बोलना, रुपीड़ो लेने सोनीडा गयो थो। जब उसको थोड़ा हल्के रूप में बोलना है, एक बहुत लोकप्रिय गीत है,

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

रुपीड़ों लेने मोचीड़ा रे गयी थी, रुपीड़ों लेने सोनीड़ा रे गयी थी। इसमें "ड़ा" आया। इसी तरह से बाम्बी को जब थोड़ा सा प्रताड़ित करके बोलना हो तो बाम्बिड़ा, कुम्हार को कुम्हारड़ा, भंगी को भंगीड़ा, भील को भीलड़ा, ब्राह्मण को ब्राह्मणीया, खटीक को खटीकड़ा, इस तरह के प्रयोग होते रहे हैं .. (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया व्यवधान न करें।

श्री जोगेश्वर गर्ग : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब किसी भी सोनी को अपनी जाति लिखनी होगी तो वह सोनीड़ा कभी नहीं लिखेगा, भंगी को अपनी जाति लिखनी होगी तो वह भंगीड़ा कभी नहीं लिखेगा। ठीक उसी प्रकार जब हमको जाति लिखनी होती है गरूड़ा लिखते हुए बहुत शर्म आती है इसलिए हम गुरु लिखते हैं और गुरु लिखते हैं, तो कोई अपराध नहीं करते हैं। अब इसमें केवल इतना ही करना है, गृह मंत्री महोदय से, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि श्रीमती सोहनी के मामले में जांच की गयी, उप अधीक्षक, गंगापुर, उप खण्ड अधिकारी गंगापुर और तहसीलदार सहाड़ा ने जांच की। इन तीनों के लिए इस विषय पर इस परिभाषा पर ध्यान दिया जाना चाहिए था जो परिभाषा संविधान ने गरुड़ा की, की है ठीक वही परिभाषा साहनी, उसके पति और परिवार पर लागू होती है। और यदि लागू होती है तो उनको एस. सी. में शामिल माना जाना चाहिये था, उनको एस. सी. का माना जाना चाहिये था और उस हिसाब से ट्रीट करना चाहिये था।

दूसरी बात यह है कि यह कंफ्यूजन हमेशा के लिए समाप्त हो जाय। एक अन्तिम बात और कहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय। मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि यह कंफ्यूज़न हमेशा के लिए समाप्त हो जाय इसलिए केन्द्र सरकार को सिफारिश करें कि 'गुरु' शब्द को भी इस सूची में शामिल कर लिया जाय तो यह झगड़ा हमेशा के लिए खतम हो जायेगा पूरे प्रान्त में और हमारे समाज के लोगों को राहत मिलेगी, वे आपको दुआएं देंगे।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो मुख्य बिन्दु है उसमें कहीं विवाद नहीं है। मैं माननीय रामपाल जी से सहमत हूं, माननीय हमारे भूतपूर्व अध्यक्ष श्री पूनम चन्दजी विश्नोई से सहमत हूं और जोगेश्वरजी गर्ग से सहमत हूं। यह गरो, गरूड़ा, गरोड़ा, गुरड़ा जाति शिड्यूल्ड कास्ट की सूची में है। अब सवाल यह है, जैसे भाई जोगेश्वरजी कह रहे थे कि कई बार गुरु, ब्राह्मण की जो एक स्थिति है, ब्राह्मण शब्द लिखने से वहां पर इनको अनुसूचित जाति का नहीं माना। यह एक डिवीजन बैंच का फैसला है राजस्थान सरकार का और डिवीजन बैंच का फैसला इस मामले में बहुत विस्तार से है Yatish Kumar Vs. State of Rajasthan & others. यह यतीश कुमार अपने आपको कौशिक लिखते थे यद्यपि उन्होंने शिड्यूल्ड कास्ट का सर्टिफिकट लेना चाहा तो कहा कि,

(श्री कैलाश मेघवाल)

नहीं, तुम कौशिक हो, जांच होने के बाद फैसला इस मामले में विशुद्ध है, सही व्याख्या करता है कि शिड्यूल्ड कास्ट के बलाई बाकी मेघवाल इनके मन्दिरों में जो सेवा करने वाले थे, इनको सेवा करने वाले जो पुजारी होते थे। वह कास्ट हिन्दूज के मन्दिर में नहीं जा सकते थे। इनके जन्म पर, मरण पर, शादी ब्याह पर ब्राह्मण जो कार्य करता था, वह कार्य इन शिड्यूल्ड कास्ट का जो करने वाले लोग थे, वे गरुड़/गरूड़ा कहलाते थे। जैसा कि श्री पूनमचन्दजी ने कहा कि गुरु से गरूड़ा, हेय भावना से सम्बोधित करने की स्थिति बनती थी। मैं इस मामले में बहुत स्पष्ट हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विधायक को इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि कलक्टर को इस फैसले के साथ, इस निर्देश के साथ कि सारे मसले को भेज रहा हूं कि यह जो सोहिनी देवी है, क्या वह उस जाति की है, जिस जाति के लोग मेघवालों के बाम्बियों के बलाइयों के मन्दिरों में सेवा करते थे और इनकी चूंकि जाति है, इनका सारा काम, इनके मन्दिरों में सेवा करते इनके जीवन-मरण पर काम करते थे और यदि यह उस जाति की है, तो निश्चित रूप से जांच कराकर अनुसूचित जाति की घोषित हो जाएगी और अनुसूचित जाति के घोषित होने के साथ ही आप जितनी भी रिलीफ और राहत चाहते है, वह भी मिल जायेगी। मसला इतना ही है। इससे आप सहमत होंगे। मैं इसी निर्देश के साथ आज ही यह पत्रावली भेज देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मगराजजी चौधरी।... (व्यवधान)....कृपया शांत रहें। मैंने दूसरा सवाल ले लिया है, आप बिराजें.. (व्यवधान) ...पढ़िये आप, पढ़िये आप,....(व्यवधान).... पढ़िये आप....

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) : उपाध्यक्ष महोदय मुझे जवाब चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मगराज चौधरी। .... (व्यवधान) ... कृपया आप बैठिये.... । आप नहीं पढ़ना चाहते हैं.... (व्यवधान)....पढ़िये आप ...(व्यवधान)....

श्री जोगेश्वर गर्ग : कृपया 'गुरू' शब्द को इसमें शामिल करें। समाज कल्याण मंत्री से आप जवाब दिलायें।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें .... (व्यवधान)....इसमें आपका नाम नहीं है। माननीय सदस्य इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में आपका नाम नहीं हैं। मैंने केवल आपको एक मिनट की अनुमति दी है.... (व्यवधान) .... कृपया आप बिराजें। श्री मगराज चौधरी .... (व्यवधान)....

श्री मगराज चौधरी (आहोर) : पुलिस थाना भीनमाल में मुकदमा नम्बर 74/95, दिनांक 8-4-95, अपराध अन्तर्गत धारा 365, 307, 341, 342....(व्यवधान).... आई. पी. सी. के मुलजिमान अभी तक गिरफ्तार नहीं किए जाने से आसपास के क्षेत्रों के लोगों में भारी रोष व आक्रोश है। जुर्म की सजा से बचने के लिए मुलजिमान द्वारा मुकदमें के गवाहान को भी डराया धमकाया जा रहा हैं उक्त वर्णित घटना पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव के दौरान उत्पन्न रंजिसवश जानबूझकर घटित की

(श्री मगराज चौधरी)

गयी है, जिसमें मुलजिमान ने जान से मारने की नियत से अपहरण कर संगीन मारपीट की। जिससे एक मुजरिम की हालात अभी तक बहुत गम्भीर बनी हुई है और जिन्दगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है। इसी प्रकार से जालौर जिले में स्थित जसूड़ा नवोदय विद्यालय के बारहवीं कक्षा के एक विद्यार्थी की करीब साढ़े तीन चार महीने पहले संदेहास्पद हालत में मृत्यु कारित करने के पश्चात विद्यालय के अन्दर ही स्थित कुए में उसकी लाश डाल दी गयी एवं पोस्टमार्टम करने के पश्चात् मेडिकल बोर्ड द्वारा छात्र की मृत्यु होने बाबत एफ. एस. एल. की रिपोर्ट आने के बाद उक्त रिपोर्ट दिये हुए करीब 3 माह से ज्यादा अर्सा हो गया है। इस बीच फिर भी इस घटना से सम्बन्धित किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्यवाही या उनकी गिरफ्तारी नहीं करने के कारण विद्यालय के विद्यार्थियों में और उनके अभिभावकों में भारी रोष व आक्रोश है। यह छात्र विद्यालय एवं छात्रावास का मॉनीटर होने से, हल्का खाना देने एवं राशन की खरीद में प्रिंसिपल एवं अन्य सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा रेकार्ड में हेराफेरी करने, फर्जी रेकार्ड तैयार करने, सरकारी धन का गबन करने का विरोध करने के कारण ही प्रिंसिपल व अन्य कर्मचारियों द्वारा इस छात्र की हत्या कर उसकी लाश को कुए में डाल दिया गया है। इस प्रकार से असंतोष है।

ऐसे हालात में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप शीघ्र कार्यवाही कर मुलजिमान को गिरफ्तार करने की कार्यवाही करें। धन्यवाद।

श्री कैलाश मेघवाल : इसमें यथोचित कार्यवाही शीघ्रातिशीघ्र करायी जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें।

श्री जोगेश्वर गर्ग : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे निवेदन से राज्य सरकार भी सहमत है। गृह मंत्रीजी का सुझाव बहुत अच्छा है। मैं उनसे पूरी तरह संतुष्ट हूं। मेरा निवेदन केवल इतना है कि समाज कल्याण मंत्री केवल इतना स्पष्ट कर दें कि राज्य सरकार गुरु शब्द को गरुड़ा में इंक्ल्यूड करने के लिए जांच करायेगी।

श्री मदन दिलावर : (राज्य मंत्री, समाज कल्याण) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभी जिला कलक्टर्स को कल ही निर्देश जारी करता हूं कि इस प्रकार की जो जाति है, जो शिड्यूल्ड कास्ट से सम्बन्ध रखती है या इस प्रकार का काम करती है, तो जांच करवाकर जांच रिपोर्ट आने के बाद तुरन्त भारत सरकार को सूची में सम्मिलित करने के लिए मैं रिकमंडेशन कर दूंगा।

श्री जोगेश्वर गर्ग : बहुत - बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : राजस्थान गोसेवा आयोग विधेयक, 1995, श्री अर्जुन सिंह देवड़ा, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान गोसेवा आयोग विधेयक, 1995 को विचारार्थ लिया जाये।

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार राजस्थान गोसेवा आयोग विधेयक, 1995

श्री अर्जुनसिंह देवड़ा : (राज्य मंत्री, पशुपालन) उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान गोसेवा आयोग, विधेयक, 1995 को विचारार्थ लिया जाए।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष : जुबेरखानजी।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान गोसेवा आयोग, विधेयक, 1995 मंत्री महोदय ने जो रखा है, इसमें मैंने सुझाव दिया है कि इसको जनमत जानने हेतु प्रचारित किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इसमें 1-2 अमेंडमेंट्स भी दिये थे लेकिन पता नहीं किस वजह से वे कार्य सूची में नहीं ले पाये। मैं इसमें इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि कल जो विधेयक सरकार ने पास कराया उसके संदर्भ में गोसेवा आयोग को गठन किया जा रहा है एक अच्छी बात है सरकार गोसेवा आयोग के माध्यम से गायों से सम्बन्धित पशुधन है, उसकी व्यवस्था हो सकेगी जिनकी देख-रेख नहीं हो पा रही है। गोसेवा आयोग के माध्यम से इसकी देखरेख हो सकेगी। मैं इसमें इतना निवेदन करना चाहूंगा कि इसके क्लाज 4 के सब सेक्शन में सब क्लॉज 3 के आइटम "इ" में इसके गठन के बारे में कहा है कि कांस्टीट्यूशन ऑफ दी कमीशन, इसमें टोटल 15 मेम्बर होंगे, सात मेम्बर तो आफिशियल होंगे, एक्स ऑफिसियो और आठ मेम्बर में।

one representative from Rajasthan Gaushala Federation, two representatives from Bhartiya Govansha sanrakshan - samvardhan, one representative from Rajasthan Cooperative Dairy Federation, one is vice Chancellor of the Rajasthan Agriculture University, Bikaner, and three individuals working selflessly for the welfare of these animals.

मेरा यह निवेदन है कि जब सरकार की यह मंशा है कि सारे राज्य में, सारे लोग जो प्रांत में निवास करते हैं, की इसमें भागीदारी हो कि गोसेवा आयोग को सुचारू रूप से चलाया जाय। इसमें मेरा निवेदन है कि सरकार यह व्यवस्था करे कि इसमें out of three members, one member from minority community, करायी जाय, तो मेरी मान्यता है कि अल्पसंख्यक भी इस मामले में जुड़ेंगे, और इसमें अपनी सही भागीदारी निभा सकेंगे और वह सार्थक होगी। मैंने इसमें पर्टीकूलर अमेंडमेंट भी दिया था। लेकिन क्योंकि वह इंग्लिश में दिया था, उन्होंने कहाकि....

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिसिंह (कुम्हेर)।

श्री जुबेरखान : दूसरा मेरा निवेदन है कि सेक्शन 6 में सेक्रेटरी लिखा हुआ है—

'The State Government shall appoint a Secretary to the Commission who shall exerese such

(श्री जुबेर खान)

powers and perform such duties as may be prescribed.

The Secretary shall be a whole time officer of the Commission'.

इसमें मेरा निवेदन है कि इतना बड़ा गोसेवा आयोग बनेगा तो इसमें सेक्रेटरी कम से कम अगर आई ए. एस. नहीं हो तो आर. ए. एस. लेवल का तो हो। मैं चाहता हूं कि सरकार इसमें मेंशन करें ताकि इस आयोग की एक सेंक्टिटी बने, नहीं तो किसी को ही बैठा देंगे, कहीं से पकड़ कर बैठा देंगे जिस तरह से ट्रेजरार के लिए कहा कि "दी ट्रेजरार बिल बी फ्रॉम राजस्थान अकाउण्ट्स सर्विसेज" इस तरह से सेक्रेटरी एक महत्वपूर्ण पद है। कम से कम आर. ए. एस. केडर का वह होना चाहिये। इस मामले में मैं मंत्री महोदय निवेदन करना चाहता हूं कि क्लाज 11 में :....

'Removal of chairman, vice chairman or members:—

(a) refuses to act; or

(b) has recome incapable of acting.'

तो बिल बना रहे हैं यह 'रिकम' तो कोई वर्ड नहीं होता है। 'बिकम' जरूर होता है 'has become incapable of Acting,'

तो इसमें यह संशोधन और करें। यह दो तीन चीजों का मैंने विधिवत संशोधन दिया था। गलती हो गयी कि मैंने इंग्लिश में दे दिया। उन्होंने कहा कि ओरीजिनल बिल हमारा हिन्दी का है इसलिए हमने इसको इनकारपोरेट नहीं किया। यह आपसे मैं कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय एक यह निवेदन है कि गोचर की भूमि में जिस तरह से अतिक्रमण हो रहे हैं, गोचर भूमि कहीं बची नहीं है और गांवों में तो यह स्थिति हो गयी है कि किसी गांव के लिए सड़क बन रही है तो जो कच्चे रास्ते थे वह भी लोगों ने जोतकर उन पर अतिक्रमण कर लिया। तो गोचर जमीन के लिए इसमें प्रावधान है कि गोचर जमीन की देखरेख और डवलमेंट यह आयोग करेगा। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, जब तक गोचर भूमि से अतिक्रमण नहीं हटवाये जायेंगे, उसको खाली नहीं कराया जायेगा तब तक यह आयोग परपज सर्व नहीं कर पायेगा। इसलिए इसका संशोधन करें कि जितनी भी गोचर भूमि पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखें हैं वह अतिक्रमण हटाये जाये और उसको गोचर भूमि के लिहाज से इस आयोग के माध्यम से उसको डवलप कराया जाये। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरीसिंह (कुम्हेर,)

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार राजस्थान गोसेवा आयोग विधेयक, 1995 सदन में

(श्री हरिसिंह)

विचारार्थ रखने जा रही है। मैंने इसमें यह निवेदन किया है कि इसको जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाय।

श्रीमान् जहां तक सरकार की भावना है राजस्थान गोसेवा आयोग का गठन किया जाय, वह स्वागत योग्य कदम है किन्तु मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि इतना अशक्त, इतना अर्थहीन, इतना प्रभावहीन यह आयोग बनाया जा रहा है उस पर मैं कुछ निवेदन करना चाह रहा हूं। यह आयोग बनाया जा रहा है आर्टिकल 48 आफ दी कांस्टयूशन के आर्टिकल 51 (जी) के अन्तर्गत जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं। जो कि सिटिजन के लिए फण्डामेंटल ड्यूटीज हैं उनकी पूर्ति करने के लिए इस आयोग का गठन किया जा रहा है और एक ऐसा लचर आयोग बनाया जा रहा है कि जो आयोग सरकार की फूंक से कभी भी समाप्त हो सकता है, बबूले की तरहा इस आयोग को एक शक्तिशाली आयोग बनाना चाहिये, एक स्वावलम्बी आयोग बनाना चाहिये और कुछ उसको शक्तियां देनी चाहिये। कुछ तो ऐसे फंक्शंस होने चाहिये जो वह कर सके। यानि गौरक्षा का फंक्शन आप इस आयोग को देने जा रहे हैं और शक्तियां कुछ नहीं दे रहे हैं आप इस आयोग का मैं समझता हूं कि कोई चेयरमैन होना पसंद नहीं करेगा। आयोग का कोई मेम्बर होना पसन्द नहीं करेगा। क्यों नहीं पसन्द करेगा कि उस आदमी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचेगी। आप देखेंगे कि इस आयोग के मेम्बर्स को किस प्रकार से सरकार कठपुतली मात्र रखना चाहती है—

'Removal of chairman, vice chairman or members.'

एक तो जैसा मैंने निवेदन किया कि कांस्टीटयूशन के आर्टिकल्स के तहत में एक आयोग का गठन और उसको कौन हटा सकता है, कैसे हटा सकते हैं हम—

'The State Government may remove from the commission the chairman, vice chairman or any member, who in its opinion, is otherwise unsuitable to continue as chairman, vice chairman or member of the commission.'

जहां तक सवाल है कि आप रिफ्यूजल टू एक्ट है, विकम इनकेपेवल आफ एक्टिग है, एज ए व्यूजिव पोजिशन है- तो हटा दीजिए आप। अदरवाइज् इनकेपेबल भी नहीं इज् अदरवाइज् अनसूटेबल टू एक्ट एज् चेयरमैन, सरकार की मर्जी पर है। कभी भी किसी आदमी को हटा सकते हैं। कौन आदमी है जो पसन्द करेगा कि इस प्रकार का चेयरमैन बने। दूसरे इसके सैक्शन 26 के अन्तर्गत है —

'If at any time the State Goverment is satisfied that the Commission is not competent to perform or persistently makes default,' it may desolve the Commission.

यानि जिस आयोग के सदस्यों को किसी भी समय सरकार हटा सकती है बिना कारण बताये हुए, बिना कारण बताये हुए सस्पेंड भी कर सकती है। आप देखिये।

(श्री हरिसिंह)

सस्पेंशन की पावर्स दी हुई है इसमें-The State Government may suspend the chairman, vice chairman or any member of the commission pending an enquiry against him in connection with his proposed removal.' कमीशन के मेम्बर को आप हटा रहे हैं और इन्क्वायरी का नाम लेते हैं। लेकिन इन्क्वायरी कौन करेगा ? इन्क्वायरी का क्या प्रोसीजर होगा, इन्क्वायरी किस प्रकार की जायेगी, इन्क्वायरी करने वाला अधिकारी कौन होगा । यह सब इसमें नहीं है । आप रूल्स बनायेंगे । तो रूल्स के अन्दर यह बातें थोड़े ही होती हैं । आप पंचायत के सदस्य को हटाते हैं तो पंचायत एक्ट के अन्दर लिखा हुआ है, आप म्यूनिसिपैलिटी के सदस्य को हटाते हैं तो म्यूनिसिपल एक्ट के अन्दर लिखा हुआ है कि जुडीशियल आफिसर जो कि डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन जज की रैंक का होगा वह इन्क्वायरी करके हटायेंगे । इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं इसमें कि स्वाभिमान पर ठेस पहुंचाई जा रही है, इन प्रोविजन्स में कुछ अमेंडमेंट होना चाहिये ।

दूसरी बात, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि इसमें कुछ सोर्स तो होना चाहिये और कोष तो होना चाहिये, कोई स्त्रोत के साधन तो होने चाहिये और कोई फण्ड होना चाहिये जिसके आधार पर काम कर सके । इसमें आज सरकार को कम से कम घोषणा करनी चाहिये थी और इसमें लिखना चाहिये था कि 5 लाख की पूंजी स्थापित करते हैं, फलां-फलां इसका सोर्स होगा । कुछ नहीं है इसके अन्दर आप यह देखें इसमें लिखा है कि इसका फण्ड होगा । लेकिन फण्ड के स्त्रोत क्या होंगे वह इसमें नहीं लिखा गया है ।

तीसरी बात, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं इसमें धारा 21 (2) को आप देखें । कोई भी पैसा कमीशन अपने विवेक से खर्च नहीं कर सकता है । पहले तो बजट स्वीकार कराना पड़ेगा सरकार से और फिर एक फाइनेंस कमेटी सरकार द्वारा बनायी गयी है जो कि फाइनेंस कमेटी एप्रूव करेगी हर बात । कितनी बड़ी बन्दिश है इसके अन्दर ।

चौथी बात, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप रक्षा कैसे करेंगे गऊ की ? गऊ की रक्षा करने के लिए आपने इसमें पावर्स क्या दिये हैं ? आपने कल एक्ट पास किया है, इस विधान में पास किया है तमाम इसमें प्रोविजन्स दिये गये हैं कि कौन एफ. आई. आर. लाज करेगा, किस प्रकार से बात होगी । कमीशन क्या करेगा उसमें ? अगर कहीं कोई भी काम होता है तो कमीशन को पावर्स हैं क्या ? कमीशन कोई गोशाला खोल सकता है क्या ? कमीशन गायों को रखकर उसकी रक्षा कर सकता है क्या ? कोई रक्षा नहीं कर सकता । तो मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं संक्षेप में कि इस कमीशन को बना तो दिया आपने—

This is a body, corprate having a common seal,

है कुछ भी नहीं । है बबुला सरकार का । मर्जी आया जिसको बना दो । कठपुतली

(श्री हरिसिंह)

लोग हैं चाहे जब हटा दीजिए । उनको पैसा खर्च करने की पावर्स नहीं हैं । चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के अन्दर झगड़ा पैदा कर दिया है और कभी भी आप डिजाल्व कर सकते हैं, बिना इन्क्वायरी डिजाल्व कर सकते हैं । इस प्रकार का लचर कमीशन, अर्थहीन कमीशन मैं समझता हूं कि सरकार को नहीं बनाना चाहिये । इसलिए इसको जनमत के लिए भेजा जाना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नरेन्द्र बुडानिया । (अनुपस्थित) । श्री परसादी लाल मीणा ।

श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान गोसेवा अधिनियम, 1995 ऐसा लगता है कि मंत्रीजी और सरकार बहुत जल्दी में इसको लाये हैं । इसमें गोसेवा-गो जब रहेगी ही नहीं तो सेवा किस की करोगे मंत्री जी ? आज जो गायों की संख्या पहले थी झुण्ड के झुण्ड थे गायों के, बहुत सारी संख्या थीं उसमें निरन्तर गिरावट आने का कारण है उपाध्यक्ष महोदय, गोचर भूमि जो कि स्पेशल कैटेगरी बनायी गयी थी गऊ के चरने के लिए उस पर सारा अतिक्रमण हो गया उस अतिक्रमण को हटाने में न कलक्टर सक्षम हैं और न ही कोई और दिनोंदिन अतिक्रमण होते जा रहे हैं । अगर हम अतिक्रमण को हटाने के लिए आपने इस इस एक्ट में कोई प्रोविजन नहीं किया । कलक्टर के पास 91 में पैनल्टी करने के, सजा करने के अलावा और सजा पर अपील के अलवा कोई प्रोसीजर नहीं है । आप हर साल के आकड़े उठाकर देख लें गोचर भूमि पर प्रतिवर्ष अतिक्रमण का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है । कहीं भी जमीन में घास देखने को को नहीं मिलेगी, किसानों ने भी गायों को रखना बन्द कर दिया है । जब जमीन ही नहीं रही और खेती की जमीन है उसमें वह खेती करने लग गये हैं, गोचर भूमि पर भी अतिक्रमण हो गया, तो फिर गो कहां चरेंगी ? उनको चारा कहां से आयेगा । इसलिए गोधन का जो नुकसान हो रहा है उसका आयोग बनाने से कोई गोधन की वृद्धि नहीं होगी, गोधन की कोई सेवा नहीं होगी । आपने अध्यक्ष बना दिया, आपने उपाध्यक्ष बना दिया, आपने सदस्य बना दिये, आपने सब कुछ प्रोविजन कर दिया लेकिन वह अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्या करेंगे ? कुछ नहीं कर पायेंगे । जब तक आप गोधन को बढ़ाने के लिए कोई प्रयास नहीं करेंगे ।

मैं आपको उदाहरण दूं कि आज सरकार की जो नीति है आप आई. आर. डी. पी. में गरीबों को भैंस दिलायेंगे । क्या एक भी गो दिलाने का कहीं प्रावधान है ? कहीं कोई गो की बात नहीं करता । सब भैंस की बात करेंगे, क्योंकि कामर्शियल हो गया भैंस ज्यादा दूध देती है और गाय काम देती है । या तो आप ऐसी नसलें गायों की लाइये और आप आई. आर. डी. पी. में जो चयनित लोग हैं उनको भैंस की जगह गाय दीजिए । तो आपके गोधन की रक्षा होगी नहीं तो हमारे इलाके में तो कहीं एक दो गाय भी किसानों के पास नहीं हैं । इसलिए में कह रहा हूं कि आप जो एक्ट लाये हैं इसको बहुत जल्दबाजी में लाये हैं । अध्यक्ष उपाध्यक्ष आपके भूतपूर्व मंत्री जो कोई बेरोजगार होंगे, कोई चुनाव

(श्री परसादी लाल मीणा)

हार गये होंगे उनको अध्यक्ष बना देंगे, किसी को उपाध्यक्ष बना देंगे। आपके कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्त्ता हैं उनको सदस्य बना देंगे। होगा क्या, टांय-टांय फिस। जो गोपी चन्द ने मामला उठाया उनकी भावना की पूर्ति हो पाना... (व्यवधान) होगा यही।

एक माननीय सदस्य : आप इधर आ जाओ आपको भी बना देंगे।

श्री पूनम चन्द विश्नोई : मर्जी आये जब आसानी से हटा देंगे।

श्री परसादी लाल मीणा : जिस तरह का यह आयोग है जिसमें या तो कोई गैर राजनैतिक व्यक्ति का शब्द होता, गैर राजनैतिक होगा राजनैतिक को हम नहीं रखेंगे। आप किसी को भी बना देंगे। आपके कई मंत्री चुनाव हार गये उनको टेक देंगे, आप उनको कैबिनेट का दर्जा दे देंगे। विश्व हिन्दू परिषद के किसी पदाधिकारी को टेक देंगे। इससे आप कोई न कोई अपना राजनैतिक परपज साल्व करने के लिए यह एक्ट आप लाये हैं। अगर आप गोधन की सेवा करना चाहते हैं तो इस आयोग की मैं जरूरत नहीं समझता हूं अगर ईमानदारी से जो कल एक्ट आया था अगर उसका पालन किया जाय। आपने इसमें कोई माइनोरिटी का आदमी नहीं रखा, क्या आप यही मानते है माइनोरिटी के लोग गो सेवा नहीं करते? क्या माइनोरिटी के लोगों की गाय नहीं होतीं? आपको कम से कम एक मैम्बर तो माइनोरिटी का रखना चाहिये था। आप ने कोई एस.सी. या एस.टी. का प्रोविजन नहीं रखा है और न माइनोरिटी का रखा है। मंत्री महोदय, आप बहुत जल्दी बाजी में यह विधेयक लाये हैं। न इसमें किसानों का प्रतिनिधित्व है, जिसको मर्जी आवे उसको आप सदस्य बना देंगे किसी को अध्यक्ष और किसी को उपाध्यक्ष बना देंगे। आप मेहरबानी करके जनता को इस सम्बन्ध में मत जानने के लिए पहले आप इसको प्रचारित करें ताकि लोगों की भावनाएं क्या हैं....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें।

श्री परसादी लाल मीणा : किस तरह का आयोग चाहते हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं चाहते हैं। वह पता चल सके मेरे को लग रहा है कि आप कोई अपने बेरोजगार मंत्री को इसमें अध्यक्ष बनाना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनाथसिंह। (अनुपस्थित)। श्री रामनारायण चौधरी। (अनुपस्थित)। श्री अमराराम (धोद)। (अनुपस्थित)।

प्रश्न यह है कि राजस्थान गोसेवा आयोग विधेयक, 1995 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान गोसेवा आयोग विधेयक, 1995 विचारार्थ लिया जाय?

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार

खण्ड 2 व 3

खण्ड 2 व 3 में कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 व 3 स्वीकार किए जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 व 3 स्वीकार किये गये।

खण्ड 4—प्रभारी मंत्री महोदय।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : विधेयक के खण्ड 4 के उप खण्ड (2) की मद (i) (ड़) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्—"(ड़) विशिष्ट योजनाएं एवं एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग,"।

श्री परसराम मदेरणा : किस लिए ?

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : इसमें थोड़ा गलत हो गया था उसको सशोधित किया है।

श्री परसराम मदेरणा : गलत क्या हुआ है ?

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : इसमें पूर्व में लिखा हुआ था "विशेष स्कीमें और एकीकृत ग्रामीण विकास अभिकरण।

श्री परसराम मदेरणा : प्रभारी मंत्री महोदय, जब कभी कोई अमेण्डमेंट ओरिजनल बिल में करते हैं तो निश्चित तौर पर जो अमेंडमेंट ला रहे हैं उस अमेण्डमेंट की व्याख्या करनी चाहिये कि वह क्यों ला रहे हैं ? इन्होंने अमेंडमेंट पढ़ दिया.... (व्यवधान) आप बीच में मिनिस्टर हैं ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : जैसे आप मिनिस्टर हैं, वैसे ही मैं मिनिस्टर हूं। जैसे आप बोल रहे हैं वैसे मैं बोल रहा हूं।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं उत्तर तो वह देते हैं। आप सीनियर हैं और बातों में दे सकते हैं ...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय, आप प्रश्न पूछ रहे हैं, मुझे प्रश्न पूछने का अधिकार है, मैं भी स्पष्टीकरण ले रहा हूं।

श्री परसराम मदेरणा : स्पष्टीकरण नहीं, जवाब तो वह देंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जवाब तो वह दोनों साथ-साथ दे देंगे न ? आपका जवाब और मेरा जवाब दोनों साथ-साथ दे देंगे।

श्री परसराम मदेरणा : आप प्रश्न पूछ रहे हैं ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां।

श्री परसराम मदेरणा : हां, प्रश्न पूछ सकते हैं। मैंने सोचा कि मेरा जवाब देने के लिए आप खड़े हुए हैं। वैसे आप काफी

(श्री परसराम मदेरणा)

डिफेंस में खड़े होते हैं। इसलिए मैं गलतफहमी में रह गया। नहीं, नहीं, आप प्रश्न पूछिए, आपका राइट है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अब आपने टोक दिया इसलिए मैं नहीं पूछ रहा हूं।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, नहीं, आप पूछिए। मेरा निवेदन है कि आप एक प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : उपाध्यक्ष, महोदय, जो पूर्व में विधेयक लाया गया था उसमें "विशेष स्कीमें और एकीकृत ग्रामीण विकास अभिकरण" लिखा हुआ था, वह गलती से लिख दिया गया इसलिए इसके स्थान पर विशिष्ट योजनाएं एवं एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग" लिया गया है। बात वह की वह है।

श्री परसराम मदेरणा : बात यह है कि ट्रांसलेशन गलत की है।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : हां।

श्री परसराम मदेरणा : यों कहो न आप?

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड 4 में मैं मेरा संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं। जो नान आफिशियल सदस्य होंगे उसमें से आपने रखा है एक तो राजस्थान गौ शाला फैडरेशन का रिप्रेजेंटेटिव होगा, दो होंगे भारतीय गोवंश संरक्षण संवर्द्धन परिषद के, एक होंगे राजस्थान सहकारी डेयरी फैडरेशन के, एक होंगे राजस्थान कृषि विश्व विद्यालय के वाइस चांसलर या उनके प्रतिनिधि, और तीन इंडिविजुल वर्किंग सैल्फलैसली, तीन में से दो होंगे वालेण्टरी आर्गेनाइजेशन के। यह सब के सब जितने भी हैं गोसेवा संरक्षण, गो सेवा, गो शाला उनके होंगे। अब दुर्भाग्य अपना देखें कि एक्ट बहुत जल्दी में आते हैं और इस विधान सभा में जिसका मुख्यतः काम लेजिस्लेचर बनाना है, कानून बनाना है। जीरो आवर विधान सभा का ज्यादा काम नहीं है, यह राजस्थान जीरो आवर असेम्बली नहीं है, यह राजस्थान क्वेश्चन आवर असेम्बली नहीं है, यह राजस्थान लेजिस्लेटिव असेम्बली है और इसमें हर प्रोविजन को, कानून को बहुत थारोली थ्रेश आउट करना चाहिये। लेकिन दुर्भाग्य हमारा यह है कि कानून बनकर के आते हैं और पांच मिनट में जल्दी-जल्दी निपेट दो। जिस कानून का तीन-तीन रीडिंग्स रखने का प्रोविजन किया गया है हमारे रूल्स के अन्दर। एक बार नहीं, तीन बार हमको पढ़ना चाहिये, तीन-तीन बार उस पर विचार करना चाहिये परन्तु उसको फटाफट-फटाफट निपेट करके पांच मिनट के अन्दर ही कानून पास हो जाते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको इस बात के लिए निवेदन कर रहा हूं कि इसमें कौन मैम्बर बनाये गये, यानि कि राजस्थान की गोसेवा का संरक्षण करेगी और उसमें एक भी किसान का प्रतिनिधि नहीं है...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इसमें लिखा है गोवंशीय पशुओं की समस्त प्रजातियों के कल्याण के लिए निःस्वार्थ कार्य कर

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

रहे और उक्त पशुओं के परिरक्षण के उद्देश्य के लिए प्रतिबद्ध तीन व्यक्ति....

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : आप प्रभारी मंत्री कब से बन गये इसके ?

श्री अर्जुनसिंह देवड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सर्व प्रथम तो मैं माननीय सभी सदस्यों को यह बताना चाहूंगा....

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए।

श्री परसराम मदेरणा : यह आपने कौन सब सैक्शन पढ़ा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह पेज नं. 3 पर (ड़)। "पहला गोशाला वाले दूसरा है गोवंश संरक्षण और तीसरा है सहकारी डेयरी परिसंघ, चौथा है राजस्थान कृषि विश्व विद्यालय और पांचवा है (ड़) गोवंशीय पशुओं की समस्त प्रजातियों के कल्याण के लिए निःस्वार्थ कार्य कर रहे और उक्त पशुओं के परिरक्षण के उद्देश्य के लिए प्रतिबद्ध तीन व्यक्ति"।

श्री जुबेर खान : आगे तो पढ़िये प्रोवाइडेड वाला।

श्री पूनम चन्द विश्नोई : मै एक निवेदन करना चाहता हूं। आपने कहा कि इसमें गो पालकों से सम्बन्धित व्यक्तियों को रखा गया है लेकिन यह गो पालकों को नहीं हैं, यह ऊपर की संस्थाएं हैं। ऊपर की संस्थाओं में कितनी असलीयत है अभी थोड़ी देर पहले गुरु, गरूडा, गारी और तीन चार शब्दों की व्याख्या की जा रही थी। किसी कलक्टर ने यह सर्टिफाई कर दिया कि यह तो ब्राह्मण हैं। अंग्रेजी हैं, विदेशों से आये थे कौन सी बिरादरी क्या है उस कलक्टर को अगर पूछते तो उसी वक्त वह बता सकते थे तो इसके लिए अनुसंधान करना पड़ा। तो जो डेयरी फैडरेशन में गोसेवा संघ में लूली-लंगडी गायों को रखने वाले और करने वाले ये हैं और थे, ऊपरी ऊपरी व्यक्ति हैं। जो असल में गायों को पालते हैं और गायों के बारे में जानते हैं, मंत्री महोदय, स्वंय ग्रामीण हैं, पहले इनके पिता जी मुख्य जागीरदार थे अब यह छूट भाई हैं लेकिन खेती से और पशुपालन दोनों से इनका गहन सम्बन्ध है। तो कृपया ऐसे लोग जो गायों को रखते हों ऐसे लोगों को लें। ऊपरी ऊपर विश्व विद्यालय, अपने विश्व विद्यालयों ने ऐसी कौन सी चीज दी है, वैटरनरी कालेज ने या पशुधन के बारे में जिससे क्रांति हुई हो। बाहर से बारोड टैक्नोलोजी, बारोड रिसर्च और बारोड यह सब कुछ लेकर के काम करते हैं असलियत इसमें यह है और इसमें पी. एच. डी. कर लेते हैं कोई एक बात लेकर के।

श्री उपाध्यक्ष : प्रभारी मंत्री महोदय।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : मेरी बात खतम नहीं हुई। मैं दो मिनट और लूंगा। मैं सरकार से इस मामले में प्रश्न पूछना चाहता हूं कि अगर सरकार अच्छे से अच्छे कैटल ब्रीडर को नामिनेट करना चाहे तो मान लीजिये हमारे मंत्री महोदय की ही

(श्री हरिसिंह)

सरकार नामिनेट करना चाहें, तो वह किस प्रोविजन के अन्तर्गत नामिनेट कर देगी, कर नहीं पायेगी। क्योंकि आप देखें इसमें कहा है—

राजस्थान गोशाला अधिनियम, 1960 द्वारा शासित राजस्थान गोशाला परिसंघ द्वारा चुना गया एक प्रतिनिधि, इसमें आप नहीं आ पायेंगे। भारतीय गोवंश संरक्षण-संबर्द्धन परिषद् के उक्त परिषद् की राजस्थान राज्य इकाई द्वारा चुने गये दो प्रतिनिधि, आप उसमें नहीं आ पायेंगे। राजस्थान सहकारी डेयरी परिसंघ का एक प्रतिनिधि, आप उसमें नहीं आ पायेंगे। राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर का कुलपति या उसका किसी संकायाध्यक्ष की रैंक से अनिम्न प्रतिनिधि, आप उसमें नहीं आ पायेंगे। और गोवंशीय पशुओं की समस्त प्रजातियों के कल्याण के लिए निःस्वार्थ कार्य कर रहे और उक्त पशुओं के परिरक्षण के उद्देश्य के लिए प्रतिबद्ध तीन व्यक्ति। इसमें आगे परन्तुक देखें, परन्तु खण्ड(ड) के अधीन नाम निर्देशित किये जाने वाले व्यक्तियों में से दो राज्य में गोवंशीय पशुओं की समस्त प्रजातियों के कल्याण, परिरक्षण और संरक्षण के कार्य में लगे हुए स्वैच्छिक संगठनों में से दो नाम। कहीं किसी कैटल ब्रीडर को लाना चाहें, नहीं ला सकते।

श्री उपाध्यक्ष : आपका संशोधन क्या है ?

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : मेरा संशोधन यह है कि कम से कम राजस्थान लेजिस्लेटिव असेम्बली का, यानि कोई जन-प्रतिनिधि आप लेना नहीं चाह रहे है, कोई कैटल ब्रीडर आप लेना नहीं चाहते और क्योंकि हम तो यहां पर मोहर लगाने के लिए बैठे हैं, यहां कानून बनकर आया उस पर ठप्पा लगा देंगे। हां, ना का सवाल हो जाएगा, करेंगे आप जो करना चाहते हैं। मैं सभी सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप आयोग बनाने जा रहे है उसमें जनता का कोई प्रतिनिधि नहीं होगा, कैटल ब्रिडर्स का कोई प्रतिनिधि नही होगा, एम. एल. ए., जन-प्रतिनिधि नहीं होगा और जो बनी हुई हैं, कहीं गोशाला बनी हुई है, कहीं संरक्षण बने हुए हैं, वैसे ही काम चल रहे हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, सरकार को सोचना चाहिये इसके ऊपर कि ऐसा कोई प्रतिनिधि इसमें आना चाहिये। इसमें यह मेरा संशोधन है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : इसमें रामदास जी अग्रवाल होंगे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रतिपक्ष के नेता महोदय।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, यह क्लाज 4 जो है जिसमें विधान सभा के एक सदस्य को प्रतिनिधित्व देने का....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया व्यवधान नहीं करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अगर कोई हो जायेगा तो इसमें आपको क्या बेचैनी

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

है ? आप नाम लेकर उल्लेख क्यों कर रहे हो ?

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, उजलाजी बिराजिये । कृपया आसन की तरफ भी देख लें कभी-कभी ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अब किसी का नाम रामदास होगा, किसी का मोहन दास होगा, किसी का कृष्णदास होगा । आपका नाम नहीं होगा ।

श्री उपाध्यक्ष : उजला जी आप बिराजिये ।

श्री परसादी लाल मीणा : अध्यक्ष आपको बनाना चाहिये ।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य ने क्लाज 4 में जो प्रस्ताव रखा है, उनका संशोधन यह है कि इसमें विधान सभा के एक सदस्य को कमीशन में रखा जाए ।' उपाध्यक्ष महोदय, यह बात तो ठीक है लेकिन क्लाज 4 के सब-सैक्शन 1 (सी) The chairman and vice chairman-(a) and (b), (c) thirteen other members, out of whih seven members shall be official and six shall be non-official. अब नॉन आफिशियल जो 6 हैं वह है सब-सैक्शन 4 (3), माननीय सदस्य ने उसमें संशोधन रखा है । अब आप देखिये, 6 से ज्यादा सदस्य नामिनेट नहीं किये जा सकते अण्डर सब सैक्शन 3, आपने यहां पर गिनती तो 8 की कर दी- 'one representative chosen by the Rajasthan Gaushala Federation....

श्री अर्जुनसिंह देवड़ा : अध्यक्ष, उपाध्यक्ष इसमें शामिल है इसलिए 8 हो जाते हैं ।

श्री परसराम मदेरणा : कौनसे ?

श्री अर्जुनसिंह देवड़ा : इसमें 6 तो यह और दो अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, ऐसे करके 8 सदस्य हो जाते हैं ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : जिसके 10 वर्षों से 10 गायों से अधिक हों, उसको नामिनेट करो ।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (ऊर्जा मंत्री) : इसका प्रमाण क्या होगा ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : प्रमाण मांगा जाएगा कहां....

श्री परसराम मदेरणा : अगर यह इंटरप्रिटेशन लिया जाता है सब सैक्शन 3 का तो यह 10 हो जाएंगे ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : 10 नहीं 8.

श्री परसराम मदेरणा : आप सुनिये तो, बात मैं कह रहा हूं, यों आप केलकुलेट कर रहे हो । मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से कह रहा हूं कि वे सैक्शन क्लाज हाथ में लें । सब सैक्शन तीन में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को मैं

(श्री परसराम मदेरणा)

इन्क्लूड नहीं कर रहा हूं लेकिन सेक्शन सब क्लाज 3 के अन्दर भी 8 मैम्बर नामिनेट करेगी सरकार और वे हो जाएंगे तो 10 हो जाएंगे और 6 से ज्यादा कर नहीं सकते। आप सुनिये, मैं कह रहा हूं-"One representative chosen by the Rajasthan Gaushala Federation, two representatives of Bhartiya Govansha Sanrakshan, one representative of Rajasthan Cooperative Dairy Federation; vice chancellor of the Rajasthan Agriculture University, Bikaner, this makes five, three individuals working selflessly for the welfare of all species of bovine animals."

ये हो गये 5 और 3 आठ और दो वे जोड़े तो हो गये दस। दस अगर वे हो जाते हैं, तो । (सी) के अन्दर 13 अदर मैम्बर, इनके अलावा 13 हैं। उन्होंने लिखा है कि चेयरमैन और उसको हम करते, 13 करेंगे 13 में out of which seven members shall be official यह सात की लिस्ट दे दी आपने। 6 की यह लिस्ट दी थी इसमें 8 को लिस्ट दी and six shall be non-official. The non-official members become to eight. तो यह आपने किस प्रकार का प्रावधान किया है? जब 8 को तो आप नामिनेट करने जा रहे है और आगे क्लाज में यह लिखा है कि सात तो होंगे आफिशियल और 6 होंगे नॉन आफिशियल। आप नॉन आफिशियल 8 को कर रहे हैं नामिनेट।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय, बाकी भी पदेन हैं बाई नेम नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : मैं माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय से निवेदन करूंगा कि यह जो आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को सम्मिलित करते हुए...

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : मैं थोड़ा सा निवेदन कर दूं कि उसमें दो तो ये सदस्य हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो हो गये वे भी गैर सरकारी सदस्यों में से होंगे। इस प्रकार से इनको 8 में लिया गया है बाकी इसमें ऐसी कोई त्रुटि नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : क्या बात कर रहे हैं, आप यों कैसे कह सकते हो। आप सुनिये, मैं क्लाज 4 को पूरा पढ़ता हूं, आप पढ़ नहीं रहे थे—

4. Constitution of the Commission :—(1) The Commission shall consist of fifteen members including the chairman and the vice chairman, as follows :—

(a) a chairman who shall be a non-official to be nominated by the State Government,

(b) a vice chairman who shall be

(श्री परसराम मदेरणा)

a non-official to be nominated by the State Government.

(c) thirteen other members, out of which seven members shall be official and six shall be non-official.

चेयरमैन और वाइस चेयरमैन तो अलग है इसमें।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : ये जो 8 दिये है इनमें से ही चेयरमैन और वाइस चेयरमैन चुने जाएंगे।

श्री परसराम मदेरणा : कैसे चुने जाएंगे। आपने तो केटेगरी दे दी है 8 की अलग।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : इन 8 आदमियों में से एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन होगा।

श्री परसराम मदेरणा : आप क्या बात कर रहे हो। इसमें आ जाएगा, यह कोई टांटी है जो कूदकर के आ जाएगा?

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैम्बर्स की डेफिनेशन में है कि मैम्बर्स का मतलब इन्क्लूडिंग चेयरमैन और वाइस चेयरमैन और कोई भी नॉन आफिसियल आदमी....

श्री परसराम मदेरणा : चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के अलावा thirteen other members means excluding chairman and vice chairman. 13 अदर मैम्बर। अदर मैम्बर्स वर्ड यूज कीजिये। चेयरमैन ए, चेयरमैन बी, 13 अदर मैम्बर्स में से आपके 7 तो होंगे आफिशियल, 6 होंगे नॉन आफिसियल। नॉन आफिशियल की आपने केटेगरी बना दी पांच। पहली केटेगरी में एक, दूसरी केटेगरी में दो, दो और एक तीन, तीसरी केटेगरी में एक यानि चार, वाइस चांसलर, पांच, तीन इंडिविजुअल 6, 7, 8.

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह : यह गलती है 6 की जगह 7 होना चाहिये।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्यमंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, आपके आदेश से, असल में इसमें जो समझ में है, यह कि यह चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की अलग पोस्ट नहीं है। ये दो नहीं है, दोनों इन्क्लूड हैं इस 8 में। आठ में दे आर इन्क्लूडिंग। यह कहीं नहीं लिखा है कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन अदर दैन....

श्री परसराम मदेरणा : लिखा है आप 4 (1) (सी) पढ़िये : Chairman-1. vice chairman-two, thirteen other members.

श्री हरिशंकर भाभड़ा : बिलकुल ठीक है, 15 होंगे, टोटल 15 हुए, टोटल 15 हुए उनमें से 7 आफिशियल हो गये, बाकी जो बचे हैं उनमें जो कैटेगरी 8 की दी है, इन्हीं में से चेयरमैन और वाइस-चेयरमैन होंगे, फेडरेशन के और यह जो रिप्रजेंटेटिव है ना, इन्हीं में से होगा वन गोशाला, टू रिप्रजेंटेटिव आफ भारतीय गोशाला, इन्हीं में से चेयरमैन और वाइस चेयरमैन होगा।

श्री परसराम मदेरणा : इस सेक्शन में यह कहीं पर भी नहीं लिखा है कि चेयरमैन इसमें से होगा, यह चेयरमैन और वाइस चेयरमैन....

श्री हरिशंकर भामड़ा : मेम्बर्स की डेफिनेशन में लिखा है कि-"member' means a member of the commission and includes the chairman and the vice chairman nominated under sec. 4."

श्री परसराम मदेरणा : इससे क्या होगा? He is a member, alright, लेकिन आपने स्पेसिफिकली जब यहां पर प्रोविजन कर दिया कि- one chairman one vice chairman and thirteen other members. अदर मेम्बर्स में आपने कैटेगरी दे दी है कि गवर्नमेंट की 7 और 8 आपने दे दी हैं नान आफिशियलस की।

श्री हरिशंकर भामड़ा : वह दोनों 8 में ही शामिल हैं—Chairman and vice chairman will be nominated among all these eight members 8 कैटेगिरीज दी हैं आपके ए, बी, सी, डी इन्हीं में से दो होंगे—then automatically thereafter remain six.

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि आज की कार्य सूची पूरी होने तक सदन का समय बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या आज की कार्य सूची पूरी होने तक सदन का समय बढ़ा दिया जाय?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

खण्डशः विचार

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि इन्टरप्रेटेशन मान लिया जाय तो क्लाज 3 के तहत चेयरमैन भी आना चाहिये और वाइस चेयरमैन भी आना चाहिये। यही बात है? यदि क्लाज 3 के अन्दर चेयरमैन को लेंगे तो क्या इन्हीं कैटेगरीज में से लेंगे? मतलब चेयरमैन और वाइज चेयरमैन का सलेक्शन कितना सीमित होगा, वाइज चांसलर या उसको नोमिनी को तो नहीं बनायेंगे, डेयरी फेडरेशन के रिप्रजेंटेटिव को भी नहीं बनाएंगे—Two representatives of Bhartiya Gaushala, उनको बनाएंगे। मतलब यह कहने का कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का जोन आफ कंसीडरेशन आपने इतना कम कर दिया कि यह क्लाज "इ" तक ही आएंगे, तो किसी भी तरीके से जहां एक वाइड फील्ड अवेलेबल होता उसको इतना नेरो क्यों किया जा रहा है कि वाइस चांसलर को नहीं बना सकते, डेयरी फेडरेशन के रिप्रजेंटेटिव को नहीं बना सकते हैं? गोशाला यदि आप नम्बर वन को देंगे a representative chosen by the

(श्री जगदीप धनखड़)

Rajasthan Gaushala Federation, फिर मतलब ही क्या हुआ कमीशन का ?

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये, आप।

श्री जुबेर खान : एक ही आदमी है आपके पास जिसको बना सकते हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : पूरा प्रोविजन 3 में रख दिया ...(व्यवधान) ...

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात उठायी, तो सर्वप्रथम सभी माननीय सदस्यों को यह निवेदन करना चाहूंगा यह आयोग बन रहा है उसमें राजनैतिक प्रभावित कोई लोग नहीं होंगे। जिनकी आस्था गो सेवा, गायों की जो सेवा करते हैं, जो निःस्वार्थ सेवा करते हैं। मैं भी कई गोशालाओं में गया और मैंने वहां जाकर पाया, मुझे कई व्यक्ति मिले, वैसे घर से खाते-पीते हैं लेकिन उन्होंने घर का काम छोड़कर इन्हीं की सेवा में लगे हुए हैं। इसलिए माननीय सदस्य यह चाहें, अपने दिल में कोई गलतफहमी रखें कि इसमें राजनीति से प्रेरितव्यक्तियों को सदस्य लिया जाएगा। इस सम्बन्ध में मैं साफ कहना चाहता हूं कि जिनकी भावनाएं गो-सेवा और गो-रक्षा के सम्बन्ध में होंगी, उसमें माननीय विधायक भी होंगे, अपने अल्पसंख्यक लोग भी होंगे, जो भी होंगे, लेकिन इसमें यह शब्द कहीं नहीं है कि विधायक को नहीं लें, अल्पसंख्यक के व्यक्ति को नहीं लेंगे, जिस आदमी की भी ऐसी भावना होगी उसको इसमें मैम्बर बना दिया जाएगा। इसलिए सरकार की इस प्रकार की कोई ऐसी मंशा नहीं है।

श्री जुबेर खान : उपाध्यक्ष महोदय, आपके पास च्वाइस तो एक ही आदमी की बच रही है।....(व्यवधान)....देखिये, सुनिये आप बहुत ज्यादा विद्वान नहीं है जो बीच बीच में बोलते रहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री जुबेर खान : उपाध्यक्ष महोदय, आपने क्लियर कहा है कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन नान आफिशियल होंगे, नान गवर्नमेंटल होंगे, आपने 7 तो गवर्नमेंट के कर दिये उनमें फिर आपने एक रिप्रजेंटेटिव कर दिया राजस्थान गोशाला फैडरेशन का, 2 रिप्रजेंटेटिव कर दिये भारतीय गोवंश संरक्षण संवर्द्धन के, एक रिप्रजेंटेटिव कर दिया राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फैडरेशन का, वाइस चांसलर या उसका नोमिनी कर दिया तीन इण्डिविजुअली में से 2 voluntary orgainsations who are working for Gaushala protection, उनमें से कर दिया। आप बनायेंगे किसी को बनायेंगे, आप पास भी करवायेंगे लेकिन कहने का मतलब यह है कि आपके च्वाइस तो वन रिप्रजेंटेटिव की बची ना तो आप जहां 15 बना रहे हैं तो 17 या 19 या 21 करने में क्या दिक्कत है ? आप एम. एल. एज. को एडजेस्ट कर सकते हैं, किसान को भी एडजेस्ट कर सकते हैं, अल्पसंख्यक को भी एडजेस्ट कर सकते हैं, कोई तनख्वाह तो आपको देनी नही पड़ रही है, इसलिए

(श्री ज़ुबेर खान)

जहां 15 कर रहे हैं तो 17 या 19 या 21 कर दीजिये। आपके पास च्वाइस ही नहीं बची है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि नान गवर्नमेंटल होगा, नान आफि-शियल होगा। इसमें आपने कैटेगरीज ऐसी बना दी है कि एक के अलावा आपके पास च्वाइस ही नहीं बचती है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : च्वाइस क्या बचानी है?....(व्यवधान)....

श्री हरिशंकर भाभड़ा : Three individuals working selflessly, इनमें से भी हो सकता है।..(व्यवधान)... क्या देखें? कहां लिखा है इसमें :—'Provided that out of the individuals to be nominated under clause (e), two shall be nominated out of the voluntary organisations engaged in the task of welfare, preservation and protection of all species of bovine animals in the State.'

कहां है, मना कहां है इसमें, इसमें कहां मना है? इसमें ये तीन भी शामिल हैं, ऊपर के और तीन ये भी शामिल हैं और इन्हीं में से चेयरमैन और वाइस चेयरमैन होगा।

श्री ज़ुबेर खान : कैटेगरी बांध दी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : गो-पूजक, गो का कल्याण करने वाले कैटेगरी इसी में से होगी, एम. एल. ए. होगा कोई गो-पूजक वह इसमें आयेगा, अल्पसंख्यक कोई होगा इसमें आयेगा, च्वाइस तो है और अब इसके कारण और कोई च्वाइस करना आवश्यक नहीं है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री रामकिशन वर्मा : हम लोग हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आप हैं, उसमें लेंगे ना आपको, गो-पूजक को तो लेंगे ना हम।

श्री ज़ुबेर खान : वालयन्ट्री आर्गेनाइ-जेशन तो रजिस्टर्ड हो गया, रजिस्टर्ड में तो सदस्य हो तो आप बनायेंगे बाहर से कैसे बना देंगे, रिप्रजेंटेटिव भेजेगी गो-शाला उसको बनायेंगे, आपकी मर्जी से थोड़े ही बनाएंगे जब आपने बांध दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजिये।

प्रश्न यह है कि खण्ड 4 में प्रभारी मंत्रीजी ने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है उसे स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 4 में जो संशोधन श्री हरिसिंह (कुम्हेर) ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 4 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

खण्ड 4 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया ।

खण्ड 5 से 9-कोई संशोधन नहीं । प्रश्न यह है कि खण्ड 5 से 9 स्वीकार किये जायं ?

(स्वीकृत)

खण्ड 5 से 8-9 स्वीकार किये गये ।

खण्ड 10-श्री हरिसिंह (कुम्हेर) ।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने खण्ड 10 में खण्ड (ग) और (घ) में संशोधन पेश किया है । जरा आप इसको भाषा पढ़िये– "दिवालिया है या किसी भी समय न्यायनिर्णित किया गया है," तो मैंने इसमें लिखा है कि "दिवालिया है या ऐसे किसी भी समय न्यायनिर्णीत किया गया है।" भाषा को सही करने के लिए कहा है । आप माने या नहीं मानें आपकी मर्जी वाली बात है । दूसरा, (घ) में कहा है—

"आयोग के साथ, द्वारा या की ओर से किसी भी विद्यमान संविदा या नियोजन में स्वयं या अपने कुटुम्ब के सदस्यों द्वारा या किसी भागीदार द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई शेयर या हित रखता है ।"

यहां पीड़ा होती है कि हिन्दी भाषा इतनी गरीब नहीं हो गयी है कि अंग्रेजी के शब्द 'शेयर" को भी आप हिन्दी में नहीं ला सके । ठीक है, हम तो उस ओर से जो आएगा उस पर मोहर लगा देंगे अपनी लेकिन कम से कम विधान सभा में पास होकर एक्ट जा रहा है उसको आने वाली संतति क्या देखेगी कि राजस्थान विधान सभा हिन्दुस्तानी में पास कर रही थी, या अंग्रेजी में पास कर रही थी, या उर्दू में पास कर रही थी कि वह "शेयर" शब्द को हिन्दी में ला ही नहीं सकी । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, शेयर को हिन्दी में भाग नहीं हो, हिस्सा नहीं हो । नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए, भाग करना चाहे तो करें ।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय ।

श्री अर्जुनसिंह देवड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, शेयर का हिस्सा और अंश आना चाहिये था, अंश कर देते हैं । कोई बात नहीं । स्वीकार की । (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : शेयर की मीनिंग अंश होता है क्या ? नहीं, नहीं, हिन्दी की बात है ।

श्री जुबेर खान : इंग्लिश, वाले को भी ठीक कर लो साहब । रीकम को बीकम कर दीजिये, क्लाज 11 का बी ।

श्री हरिशंकर भामड़ा : देखिये, एक मिनट । कुछ शब्द ऐसे हैं जो अपने नाम से ही....

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : मैंने तो हिस्सा लिखा है ।

श्री हरिशंकर भामड़ा : सर्वत्र प्रचलित हैं । उनसे मतलब स्पष्ट होता है । शेयर का आप अंश कर दीजिये, हिन्दी तो हो जायेगी या भागीदारी कर दीजिये, हिस्सेदार कर दीजिये....

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : हां, हिस्सेदार कर दीजिये।

श्री हरिशंकर भामड़ा : लेकिन जो शेयर का अर्थ निकलता है, पूरा वह नहीं निकल पायेगा। अब हमें स्टेशन, आप हिन्दी में स्टेशन का प्रयोग करते हैं कि नहीं, टिकट का प्रयोग करते हैं कि नहीं। हिन्दी में बहुत से ऐसे शब्द हैं जो आपको ऐसे के ऐसे ही लेने पड़ेंगे, क्योंकि उनका अर्थ लोग उसी रूप में जानते हैं।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : माननीय भामड़ा साहब। शेयर इज ए इंग्लिश वर्ड।

श्री हरिशंकर भामड़ा : नहीं, आप चाहें उसमें कोई आपत्ति नहीं।

श्री परसराम मदेरणा : 'Share' is an English word.

चाहे आप हिस्सा कह दीजिये, चाहे उसको भागीदारी कह दीजिये।

श्री अर्जुनसिंह देवड़ा : ठीक है। हिस्सा कर देते हैं।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : नहीं, नहीं, हिस्सा रिकग्नाइज है।

श्री परसराम मदेरणा : रेलवे, यह शायद जनरल टर्म हो गया। आज अगर इसका हिन्दी में ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या है, बहुत क्लिष्ट है। क्या है, मुझे मालूम नहीं ...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : लोह पथ गामिनी।

श्री परसराम मदेरणा : क्या, लोह पथ गामिनी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : स्टेशन को कर दिया टेसन।

श्री परसराम मदेरणा : इसलिए इसकी आप हिन्दी कर रहे थे, वहां शेयर लिखा हुआ है उधर। इंग्लिश में आप देखिये, उसको आपने यहां शेयर लिख दिया। ये ठीक कह रहे थे कि हिन्दी भाषा इतनी गरीब नहीं है कि शेयर का कोई हिन्दी शब्द नहीं हो....(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : हिस्सा मान लें तो ठीक है।

श्री हरिशंकर भामड़ा : हां, हां, मान लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि....

श्री पूनमचन्द विश्नोई : ... किसी सम्पत्ति का बंटवारे का हिस्सा होता है और यहां मतलब है ट्रस्ट से, उसका कोई मतलब भागीदारी नहीं है। इसलिए वह हिस्सा सही नहीं है। हिस्सा तो नहीं है।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : मेरे कहने का मतलब है, कोई हिन्दी में शब्द लिख दें.... (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : शेयर ही ठीक है।....(व्यवधान)

श्री अर्जुनसिंह देवड़ा : शेयर ही ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 10 में जो संशोधन प्रस्ताव श्री हरिसिंह

(श्री उपाध्यक्ष)

(कुम्हेर) ने रखा है, उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया ?

(स्वीकृत)

प्रश्न यह है कि खण्ड 10 स्वीकार किया जाय ?

खण्ड 10. स्वीकार किया गया।

खण्ड 11. श्री हरिसिंह (कुम्हेर)

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : खण्ड 11 में (व्यवधान) नहीं, नहीं, मानूं नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये बिलकुल स्टेम्पिंग अथोरिटी बनते जा रहे हैं यानी आप देखें, किसी भी सदस्य को, किसी भी अध्यक्ष को, किसी भी उपाध्यक्ष को हटाने का प्रोपर कारण होना चाहिये। उसको हटाने के लिए कोई वजह होनी चाहिये, कोई मिस-कंडक्ट होना चाहिये, उसकी कोई इन-केपेसिटी होनी चाहिये। आप यह लिख रहे हैं यहां पर इसमें, "आयोग" के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में बने रहने के लिए अन्यथा अनुपयुक्त है।" "अन्यथा" क्या है मतलब, अन्यथा ...

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : मैं बताता हूं (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : अन्यथा के लिए आप लिख दो ना कि यह क्यों लिखा आपने। वह कार्य करने में असमर्थ हो गया है, यह मुझे देने की क्या जरूरत थी। उसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के रूप में, सदस्य के रूप में, अपनी स्थिति का इस प्रकार से दुरुपयोग किया है, वह मुझे देने की क्या जरूरत थी आपको। किसी गैर सरकारी सदस्य की दशा में, वह अध्यक्ष की पूर्व अनुज्ञा के बिना आयोग की तीन क्रमवर्ती बैठकों में अनुपस्थित रहता है, यह मुझे देने की क्या जरूरत थी। इसलिए लिख दिया इसमें, आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में सरकार इसको हटाना पसन्द करती है। यह लिख दिया इसमें, मैं समझता हूं, इससे खराब एक्ट आप बना नहीं सकते जो कि इस प्रकार से डिस्क्रिशनरी पावर सरकार को दे रहे हो और हम सब सदस्य यहां पर बैठे-बैठे एक मूक दर्शक के नाते उस पर अपनी मोहर लगा रहे हैं। पंचायत एक्ट में आप देखें। पंचायत एक्ट लाया हूं मैं....

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : इसका मिस यूज नहीं होगा।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसको जरा स्पष्ट कर दूं....

श्रीमती उजला अरोड़ा : स्पष्ट लिखा है कि पद का दुरुपयोग करेगा तो, तो यह पूरी जांच कर ली जायेगी उसके बाद....

श्री अर्जुनसिंह देवड़ा : खण्ड 11 (क) से (ड़) को विलोपित करना उचित नहीं होगा क्योंकि अगर किसी समय कोई व्यक्ति जो मनोनीत करने के पश्चात् इस नियम की धारा 10 के अन्दर अनुपयुक्त पाया गया या उसे हटाया नहीं जा सकेगा इसलिए इसे विलोपित किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, कोई सदस्य नियुक्त

(श्री अर्जुनसिंह देवड़ा)

करने के बाद में यदि वह ऐसा आचरण करे या चोरी करे या रेप करे तो ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि जिस समय लगाया उस समय तो उसके खिलाफ कोई आरोप नहीं था लेकिन यदि उसके बाद में कोई ऐसे आरोप लगते हैं, तो उसको हटाने की बात है ... (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : ठीक है, उन्होंने कुछ रीजंस दे दिये रीमूवल के (व्यवधान) चालान कैसे दे ।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : नहीं, इसमें दिया तो नहीं है मंत्री महोदय, उसमें आने के बाद में जो शाखा में नहीं जाय, उसको हटाना पसन्द करें आप....

श्री अर्जुनसिंह देवड़ा : नहीं, नहीं.... (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, नैतिक अक्षमता इसमें ...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : बहुत संकुचित दृष्टिकोण है । (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : केवल इस बात के लिए हरिसिंह जी यह संशोधन लाये हैं । केवल यह कहने के लिए शाखा की बात, मुझे बहुत अफसोस है । स्पष्ट रूप से लिखा है कि पद का दुरुपयोग करने के बाद में । मैं समझती हूं, आपकी संकीर्ण मनोवृत्ति है ।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : किसलिए लाये हैं यह संशोधन माननीय सदस्य, उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा कानून, मैं चैलेंज करता हूं, किसी भी कानून के अन्दर, आप हिन्दुस्तान में बता दीजिये कि इस प्रकार के आरोप से कैसे हटा सकते हैं ? I challenge it कि आप कोई भी कानून ऐसा निकाल दें जिसमें ऐसा प्रोविजन हो । I challenge it boldly. आप कोई ऐसा कानून निकाल दीजिये जिसमें इस प्रकार का प्रोविजन हो ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : हां, जरूर हो सकता है और मान लीजिये, यह भी हो सकता है ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : एक नहीं, राजस्थान में इस प्रकार के बने हुए कानून, जिनमें स्पष्ट यही पावर दिये हुए हैं ।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : हां बताइये आप । एक कानून बता दीजिये आप, एक कानून ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हाउसिंग बोर्ड का कानून, जो आपके द्वारा बनाया हुआ । यह पावर है कि जिसमें जब चाहे हटा सकते हैं ।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : जिसमें इतना, ...तिवाड़ी जी, इस प्रकार का कानून जिसमें चेयरमैन को, वाइस चेयरमैन को आप फूंक की तरह हटा देना चाहते हैं । ऐसा कोई कानून नहीं मिलेगा ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इसमें एक नहीं, इस राजस्थान में ऐसे बनाये हुए....

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : तो पढ़ दीजिये ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बताया ना मैंने।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : we are sitting.

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हाउसिंग बोर्ड का कानून है।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : हां, we are sitting. मंगा लीजिये एक्ट को, पढ़ दीजिये आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सरकार जब चाहे हटा दे।

श्री अर्जुन दास मदान : नहीं, आप जो यह फरमा रहे हैं कि....

श्री परसराम मदेरणा : इसलिए चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य बता रहे हैं कि वे बहुत कान्फिडेंस और असर्टिव भाषा में कह रहे है कि इस प्रकार का प्रावधान दूसरे अधिनियमों में भी है। बता दीजिये कौनसा अधिनियम ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बताया ना मैंने, हाउसिंग बोर्ड का।

श्री परसराम मदेरणा : हां, बता दीजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बताया ना, हाउसिंग बोर्ड का बताया ना मैंने।

श्री अर्जुन दास मदान : मैं निवेदन कर रहा हूं, को-आपरेटिव एक्ट की धारा 32 और 36 में, बिना किसी कारण के आप किसी प्रस्ताव को खण्डित कर सकते हैं और किसी बोर्ड को चाहे तो टाल सकते हैं।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : नहीं यह प्रस्ताव दूसरी बात है। बोर्ड को भंग करने के बाद इन्क्वायरी होती है। कैसी बात कर दी आपने, कहां से कहां बात को ले आये।

श्री अर्जुन दास मदान : आपने यह कहा था कि आप कोई एक्ट बता दें (व्यवधान) को-आपरेटिव एक्ट हैं।

श्री परसराम मदेरणा : प्रस्ताव नहीं है। यह रीमूवल का है।

श्री अर्जुन दास मदान : आप को-आपरेटिव एक्ट, 1965 पढ़ ले धारा 32 और 36।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : विपक्ष के नेता महोदय, इसमें मैं यह कहना चाहूंगा कि किसी व्यक्ति को नियुक्ति कर दी जाय और उसके बाद में वह कोई ऐसा कार्य करे जो उस पद के लिए आचरण के हिसाब से शोभायमान नहीं हो तो उसको रखना कहां तक उचित है।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात ही नहीं सुनी प्रभारी मंत्रीजी ने, मैं यह कह रहा हूं कि पहला तो आपने कारण बताया है कि कार्य करने से इन्कार करता है, कर सकता है। आप तो उसको जनरल नहीं रख सकेंगे। दूसरा आपने कारण बताया, वह कार्य करने में असमर्थ हो गया हो....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बैठे-बैठे नहीं बोलें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मान लीजिये, उसका दिमाग खराब हो गया हो।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, ठीक नहीं है। दिमाग खराब हो गया हो तब तो उसको, लेकिन आपने जो अंग्रेजी उसकी ट्रांसलेशन की यहां पर, +++ वह यह है कि has recome incapable of acting; रीकम क्या वर्ड है? यह अंग्रेजी में, मैंने डिक्शनरी में देखा है, मुझे मिला ही नहीं।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह : वह तो एरर है। आर की जगह बी होना चाहिये। वह बीकम है। वह तो टाईपिंग मिस्टेक भी हो सकती है, टाईपिंग मिस्टेक है।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : वह तो माननीय सदस्य ने भी बताया, वह गलती से रह गया है, वह मैं मानता हूं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लाज 11 के सेक्शन (2) में यह कहा है कि "राज्य सरकर आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी भी सदस्य को उसके प्रस्तावित हटाये जाने के सम्बन्ध में उसके विरुद्ध जांच होने तक, निलम्बित कर सकेगी।

श्री उपाध्यक्ष : आगे चलने दीजिये। विराजिये आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन : और सैक्सन (3) में उप धारा (1) के अधीन हटाये जाने का कोई भी आदेश कब तक नहीं किया जायेगा, जब तक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सम्बन्धित सदस्य को उसके प्रस्तावित हटाये जाने के आधारों के प्रति निर्देश से अपना स्पष्टीकरण राज्य सरकार को प्रस्तुत करने का अवसर दे नहीं दिया गया हो" तो सारे प्रोविजन है। ऐसी नहीं है कि कोई ऐसे ही हटा दे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 11 में जो संशोधन प्रस्ताव श्री हरिसिंह (कुम्हेर) ने रखा है, उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 11 स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड-11 स्वीकार किया गया।

खण्ड 12 से 28-कोई संशोधन नहीं

प्रश्न यह है कि खण्ड 12 से 28 स्वीकार किये जांय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 12 से 28 स्वीकार किये गये।

+++अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री उपाध्यक्ष)

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि कोई संशोधन नहीं ।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड- 1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया ।

विधेयक का पारण

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान गोसेवा आयोग विधेयक, 1995 को संशोधित रूप से पारित किया जाय"।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा (राज्य मंत्री, पशुपालन) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान गोसेवा आयोग विधेयक, 1995 को संशोधित रूप से पारित किया जाय । (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल जो पास होने जा रहा है इसके क्लाज 15 में क्लियर फंक्शंस आफ द कमीशन में पहला ही फंक्शन है—

"15. Functions of the commission — The commission shall perform the following functions, namely—...."

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह स्टेज चली गयी ।

श्री जुबेर खान ".... (1) supervise and ensure proper implementation of the law with respect to prohibition of slaughter of all species of bovine animals as in force in the State; ..."

जो कल पास हुआ है । अब मैं निवेदन करना चहूंगा, सभापति महोदय, और सत्ता पक्ष के सदस्यों से भी निवेदन करना चाहूंगा....

श्री उपाध्यक्ष : उपाध्यक्ष महोदय ।

श्री जुबेर खान : कि सरकार अगर गायें मार दें तो कोई कुछ नहीं, जमीन पर पड़े बिजली के तारों में करंट आने से 8 गायें मरी । झुन्झुनूं में कल ही 8 गायें मरीं । मैं पूछना चाहूंगा कि कितनी संवेदनशील सरकार है, क्या कार्यवाही की गयी इसमें ? जब कि गांव के लोगों ने, इसमें क्लियर लिखा है कि विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण निकटवर्ती गांव बिज्जुसर की सीमा में करंट लगने से 8 गायों की दर्दनाक मृत्यु हो गयी ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इससे आप क्या कह रहे हैं ?

श्री जुबेर खान : प्राप्त जानकारी के अनुसार बिज्जूसर फीडर से 1100 वोल्ट विद्युत लाइन ग्राम सिसिया आजादी कलां होती हुई जाती है । सोमवार को ग्राम बिज्जूसर की सीमा के निकट यह विद्युत तार टूट कर नीचे गिर गये । विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण....

श्रीमती उजला अरोड़ा : इससे आयोग का कोई मतलब नहीं है ।

श्री जुबेर खान : यह तार नीचे पड़े रहे और गायें चरती हुई मर गयी । परसों का वाकया है । (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहूंगा, अगर सरकार और माननीय सत्ता पक्ष के सदस्य संवेदनशील हैं तो सुबह से सदन चल रहा है, किसी ने नहीं उठाया और अगर यह किसी गांव में पड़ी हुई मिल जाती तो यहां राजनीतिकरण किया जाता । मैं पूछना चाहूंगा कि ऊर्जा मंत्रीजी के खिलाफ क्या सरकार एफ. आई. आर. लोज करायेगी ? जब हमने कानून बना दिया कि किसान भी अगर बैल को जोतते हुए कुछ मार देगा तो उसका काग्नीजेबल आफेंस होगा और यहां आठ-आठ गायें मर जायं और सरकार सोती रहे तो क्या सरकार इससे बची रहेगी ? क्या कल जो कानून हमने पास किया है उसमें सरकार को बेलगाम कर दिया कि सरकारी अधिकारी तो कितनी मार दें, विभाग कितनी ही मार दे और कोई किसान से गलती से मर गयी तो आप उसको कटघरे में खड़ा करना चाहेंगे ? मैं सदन के माध्यम से मांग करूंगा कि इसकी जांच हो और जो विद्युत कर्मचारी दोषी थे उनके खिलाफ, यह कल जो हमने विधेयक पास किया है, उसके तहत एफ. आई. आर. लीज की जांय और कार्यवाही की जाये ।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (ऊर्जा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसे ही समाचार पढ़ा, हमने जांच के आदेश दे दिये हैं और जांच में यदि कोई दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी ।

श्री विष्णु मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, कार्यवाही का माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि क्या उस कानून के तहत आप जो दोषी पाये जायेंगे ...

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : बिजली विभाग से उनको कम्पनसेशन दिलाया जाय ।

श्री विष्णु मोदी : उनके खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज करायेंगे ? एफ. आई. आर. दर्ज करवायेंगे या क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री रघुवीर सिंह कौशल : यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि किस कारण से हुआ और उसके लिए क्या कार्यवाही की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : दोषी व्यक्तियों को दण्ड दिया जायेगा ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को बधाई देती हूं कि वह गो सेवा आयोग और गोवंशीय वध निषेध, इस प्रकार के कानून लायी है जो नितांत प्रशंसनीय है और सर्वत्र प्रशंसनीय है । गाय के सम्बन्ध में हम भारतीयों की निष्ठा इतनी अधिक है कि उसको वेदना पहुंचाया जाना भी बरदाश्त नहीं करते । अभी हमारे यहां पहले कई सरकारें रही हैं उनकी संवेदनशीलता के बारे में वह जानें, लेकिन आज प्रशंसा करनी चाहिए थी, लेकिन माननीय सदस्य यहां पर नियमों के रहते हुए भी जो कि इस सम्बन्ध

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

में दण्डनीय भी यहां पर स्पष्ट किये गये हैं, यहां पर आलोचना का विषय प्रस्तुत कर रहे हैं, मुझे इस बात का खेद है। मैं माननीय मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करती हूं, उन्हें बधाई देती हूं, उनकी प्रशंसा करती हूं और सरकार की प्रशंसा करती हूं कि वह इस प्रकार के कानून यहां लायी। मैं समझती हूं कि इसमें दो राय नहीं होनी चाहिए कि यह बहुत सुन्दर कानून है, बहुत अच्छा कानून है। मैं यह भी कहना चाहूंगी कि अगर एक बच्चा पैदा होता है उसके नख, शिख शृंगार उसके बड़े होने पर....

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : कर लिये जाते हैं, पढ़ाने से, शिक्षा देने से, इस कानून में भी....

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोपीचन्द जी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, इस कानून में अगर कहीं कोई कमी निकली, समय आने पर अवगत होने पर वह भी दुरूस्त कर ली जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप बिराजें। कृपया बैठें। गोपीचन्द जी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अपने आप में यह बहुत बढ़िया कानून है, मैं बधाई देती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोपीचन्दजी गुर्जर।

श्री गोपीचन्द (नगर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का, अपनी सरकार का, माननीय मंत्रीजी का बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं और भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं कि गोरक्षा का बिल भी पास हुआ और गोसेवा आयोग का बिल भी आज पास हुआ। हो गया है। इसमें मान लीजिये कि माननीय प्रतिपक्ष के साथियों ने कुछ संशोधन रखे, समय और आवश्यकता के हिसाब से जो भी जहां आवश्यकता पड़ेगी उसमें निश्चित परिवर्तन हमारी सोच में, हमारे चिंतन में यह स्पष्ट हो गया है कि राजस्थान के अन्दर हम गो को पालना चाहते हैं, गो की रक्षा करना चाहते हैं, यह बात हमारे सोच, चिंतन और हमारी कार्यपद्धति से स्पष्ट हो सकी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार ही यह चाहती है, यह भी स्पष्ट हो गया है कि आज के वातावरण में प्रतिपक्ष के साथी भी निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं कि वह भी गोरक्षा के प्रति उतने ही गम्भीर हैं और खास तौर से मैं भाई जुबेर खानजी का बहुत-बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं कि इस गोरक्षा के विषय में जिस तरीके से उन्होंने बन्धुत्व का हाथ बंटाया है, जिस तरीके से मुझ जैसे छोटे से, अदने से, भाई को भाई समझ कर हाथ से हाथ मिला कर जो चलने का एक आयाम कायम किया है सदन के अन्दर, निश्चित रूप से आपने एक इतिहास को याद दिलाया। मुझे याद आ रहा है, जब बाबर ने हुमायूं के लिए अपना वसीयतनामा लिखा था, उस वसीयतनामे के अन्दर इस बात की चर्चा है कि हिन्दुस्तान के अन्दर यदि राज करना है तो गोवंश की रक्षा

(श्री गोपीचन्द)

करनी पड़ेगी हमें। तो भाई जुबेर खानजी ने आज उस इतिहास की याद को ताजा कर दिया... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें। गोपीचन्दजी।

श्री गोपीचन्द : एक आयाम कायम किया था। मैं इस विषय पर कोई ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : आदरणीय गोपीचन्द जी, बिराजें। श्री घनश्यामजी तिवाड़ी।

श्री गोपीचन्द : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट। एक और चर्चा करना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर जो गोचर भूमि है, अभियान के तौर पर गोचर भूमि को खाली किया जाय और प्राइवेट संस्थाओं के तरीके से उसको लीज पर देकर उसके अन्दर निश्चित रूप से अच्छी फसल पैदा की जाय, पशुओं को चराने के लिए चारा पैदा किया जाय, दो रुपये या पांच रुपये के हिसाब से गऊ को चराने के लिए, चाहे टैक्स ले लिया जाय, लेकिन राजस्थान के अन्दर एक गोचर भूमि को निश्चित रूप से खाली कराने का अभियान मैं चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें, आदरणीय गोपीचन्द जी।

श्री गोपीचन्द : दूसरा, एक और निवेदन करना चाहूंगा। राजस्थान के जो सीमावर्ती जिले हैं उनके अन्दर....

श्री उपाध्यक्ष : गोपीचन्दजी, आप किधर देख रहा हूं? इधर देखिये।

श्री गोपीचन्द : हां, मैं आपकी तरफ ही देख रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा कि जैसे महाराष्ट्र के अन्दर गाय के दूध को भैंस के दूध की कीमत पर बेचने की व्यवस्था हुई है, यहां पर भी गाय के दूध को भैंस के ही मूल्य पर बेचने की व्यवस्था होनी चाहिये। वहां जो फेट पर्सेन्ट की बजाय सोलिड पर्सेन्ट पर लेना शुरू कर दिया है उसी तरीके से राजस्थान के अन्दर भी इसको सोलिड के हिसाब से लेने की व्यवस्था हो जिससे कि गाय को पालने वाला व्यक्ति गाय के दूध को बेच पाये। गाय के लिए ऋण लेने पर सब्सिडी की व्यवस्था राजस्थान के अन्दर निश्चित रूप से कायम हो जिससे कि गो पालन की व्यवस्था बढ़े।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें।

श्री गोपीचन्द : दूसरा, मैं और निवेदन करना चाहूंगा....

श्री उपाध्यक्ष : आपकी भावना पूरी हुई, आप विराज जायं।

श्री गोपीचन्द : नहीं, मैं दो बात और निवेदन करना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री घनश्याम जी तिवाड़ी।

श्री गोपीचन्द : मैं लास्ट में अपनी सरकार के लिए और मंत्रीजी के लिए आज उपस्थित नहीं है माननीय मुख्य मंत्रीजी, उनके लिए भी बहुत-बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने प्रयास करके राष्ट्रपति से सहमति लाकर के मुझ जैसे छोटे से नन्हें से कार्यकर्ता की भावनाओं की कद्र की। इस बिल को लाने के लिए, गोरक्षा के लिए सदन में मुझसे कहीं भावावेश में कोई बात निकली और किसी माननीय सदस्य के दिल को ठेस लगी हो उसके लिए भी आज मैं क्षमा चाहता हूं। आज मेरी दिली इच्छा पूरी हो गयी और निश्चित रूप से जो भी आज सदन के अन्दर माननीय सदस्यों के एक हजार रुपये प्रतिमाह बढ़ने की बात हुई है उसमें से 551/- रुपये प्रति माह के हिसाब से गोसेवा आयोग को देने की घोषणा करता हूं। और जीवन भर सरकार ने गो सेवा आयोग जरूर बनाया, लेकिन मैं भी ट्रस्ट बना रहा हूं, जीवन भर गोसेवा आयोग के अन्दर काम करने का संकल्प करता हूं। जय हिन्द, जय श्रीराम, जय गुरुदेव।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : उपाध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के लिए यह बिल नया नहीं है। 1960 में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने भी इस प्रकार की गोशाला का बिल पास किया था और उसके पहले राजस्थान हिन्दुस्तान के उन राज्यों में से था, सबसे पहले गोवंश निषेध का कानून सारे हिन्दुस्तान में श्री मोहन लाल जी सुखाड़िया के नेतृत्व में लागू किया गया था। उस कानून में कई प्रकार की बातें थीं और आज सदन में जिस प्रकार की एकता के साथ इन दोनों कानूनों को पास किया इसमें कल जो चर्चा की, दो तीन प्रमुख बातें आयी थीं वे आज के कानून के द्वारा पूरी होने वाली हैं। जहां तक गोरक्षा का सवाल है, संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में तो है ही है, महात्मा गांधी ने भी कहा था कि गोरक्षा का और शराबबन्दी का प्रश्न मेरे लिए स्वराज्य से भी बड़ा प्रश्न है। उन स्वतंत्रता आन्दोलन के सैनानियों की इच्छा के अनुरूप ही यह बिल है लेकिन साथ ही साथ इस आर्थिक युग में गो पालन भावनाओं का मुद्दा होते हुए भी जब तक आर्थिक नहीं होता है तब तक उसकी सार्थकता को हम प्रमाणित नहीं कर सकते। आज गो पालन के लिए बहुत सी संस्थाएं काम कर रही हैं लेकिन प्रमुख रूप से किसान, जो गो पालक हैं, वे ही गो पालन का काम करते हैं। उदाहरण के लिए, उपाध्यक्ष महोदय, कहना नहीं चाहता लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले 8 महीनों में मुझे इस मामले में हजारों रुपयों का घाटा सहन करना पड़ा है। लेकिन मैं मेरी गायों को अपने खेत से बाहर नहीं भेज सकता। 67 गायें हैं मेरे पास जिनका मैं पालना करता हूं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह आर्थिक भी होना चाहिये। मैंने इसमें व्यक्तिगत रूप से कुछ एक्सपरिमेंट भी किये हैं।

उदाहरण के लिए, उपाध्यक्ष है महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अपनी जो देशी नस्ल की गायें हैं वे गायें चार वर्ष के पहले ब्याती नहीं है और चार वर्ष के पहले दूध नहीं देतीं जबकि ये विदेशी नस्ल की जो गायें हैं वे 14 महीने की या सौ किलो वजन होते ही है। ब्याने के लिए गर्भवती

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

हो जाती हैं हमने इस प्रकार का काम किया इसका उदारहण अगर देखना चाहें, तो मैं नाम लेकर बताऊंगा कि रानोली गांव है, जहां मेरा खेत हैं, वहां पर देवीदत्त जी अहीर नाम के आदमी हैं....

(17.23)

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अमरराम चौधरी (पचपदरा) : आपकी गायें कहां हैं ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यहां जयपुर भी हैं और अपने सीकर के खेत में भी हैं, दोनों जगह हैं। जयपुर में भी देख सकते हैं और मैं निवेदन यह करना चाहूंगा कि उन्होंने एक एक्सपरिमेंट किया और 12 महीने की देशी नस्ल की गाय, बिना ब्याई 2-3 किलो दूध देने लगी और 4 महीने दूध देने के बाद में वह गर्भवती हो गयी। 2 साल की होते होते वह गाय ब्या गयी। इस प्रकार का हमने व्यक्तिगत रूप से उसमें एक एक्सपरिमेंट किया है। हमने किया है, हरियाणा नस्ल की गाय शेखावटी में जो देशी नस्ल की है उसकी मैं बता रहा हूं।

श्री विष्णु मोदी : मैं सिर्फ आपकी जानकारी के लिए, इण्टरप्ट नहीं कर रहा हूं अजमेर की जो राठी नस्ल है उसका भी देशी गाय से ही डवलपमेंट हुआ है और राठी आज एक अच्छी नस्ल हमारे सामने है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अच्छी नस्ल है।

श्री देवीसिंह भाटी (सिंचाई मंत्री) : अजमेर में राठी कहां से आ गयी ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ले आये होंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं कि इस प्रकार की कुछ पद्धतियों का अविष्कार हुआ है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सुनें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इस प्रकार की पद्धतियों का अविष्कार हुआ है और इसमें एक्सपेरिमेंट हुआ, जैसे माननीय श्री पूनमचन्दजी बता रहे थे कि क्या कृषि विश्वविद्यालयों ने इस प्रकार का एक भी उदाहरण किया जिससे हमको कोई लाभ हुआ हो, तो कहने में कोई दिक्कत नहीं थी, पर किसी प्रकार का कोई उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह मूंगफली का जो बीज है, इसमें सबसे बड़ी बीमारी सफेद लट की है और उसमें बहुत महंगी से महंगी दवा डालने के बाद मे भी उस लट का इलाज नहीं होता है लेकिन शेखावटी और जयपुर जिले में बहुत से इलाके हैं, एक्सपेरिमेंट किया गया और जो सफल हो रहा है कि गौ मूत्र में मूंगफली के बीज को पहले भिगोकर और फिर सुखाकर बीजने के बाद में उसके सफेद लट नहीं लगती। इस प्रकार से गोबर का जो खाद है, उस खाद के बारे में एक्सपरिमेंट हुआ कि पत्तों के साथ गोबर का खाद मिलाकर एक प्रक्रिया के द्वारा जैविक खाद के रूप में बनाया जाता है, वह खाद निश्चित रूप से यूरिया या अन्य अपन जो खाद डालते हैं उन खादों से बेहतर है और उससे जमीन की उर्वरा शक्ति समाप्त नहीं होती बल्कि

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

उर्वरा शक्ति बढ़ती है। अध्यक्ष महोदय, यहां तक एक्सपेरिमेंट किया गया है कि खेत में जो पीले पत्ते झड़कर गिरते हैं उन पत्तों को अगर पौधों के चारों तरफ खड्डा खोदकर डालकर ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं और फिर पानी देते रहते हैं, मैंने इस प्रकार से 7 हज़ार फलदार पेड़ मेरे खुद के खेत में लगाये हैं और उनके एक मीटर चारों तरफ खड्डा करके गोबर और पत्तों को मिलाकर डाल देता हूं। आज उनकी ग्रोथ आप जाकर देख सकते हैं, शायद वह सबसे बढ़िया ग्रोथ के मेरे पौधे हैं।

एक माननीय सदस्य : यह कहां हैं ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ये सीकर से 15 किलोमीटर पहले गोरिया पर आशीष कृषि फार्म का बोर्ड लगा हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, मै आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यह जो बिल है, यह जो गोसेवा आयोग के द्वारा हम गो सदन जो बना रहे हैं। कल यहां मामला उठाया गया था कि जो लूली-लंगड़ी इस प्रकार की गायें हैं, वे अनार्थिक हो गयीं है और अनार्थिक होने से किसान उनमें से कितनों का पेट भरेगा, मजबूर होकर उस किसान को उन्हें छोड़ना पड़ता है। वे बाजार में जाती हैं या कहीं कटने के लिए जाती है तो इस गो सदन में इस प्रकार की व्यवस्था करने का प्रावधान रखना चाहिये कि वह दो प्रकार का काम करें : एक तो इस प्रकार का खाद पैदा करने का काम करे और सारी गायों को इस प्रकार से लेने का काम करें और उन गायों को लेकर खाद, बायो गैस और गोबर गैस के प्लांट्स का विकास करें जो बिना दूध देने वाली आहिणी गाय हैं वह गाय भी हमारे लिए अनार्थिक नहीं है और उनके पालन की व्यवस्था हो, इस प्रकार की व्यवस्था होगी तो ठीक रहेगा।

दूसरा अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं जो सबसे बड़ी समस्या है, चारागाह जो रूकते जा रहे हैं, इन चारागाहों को एनक्रोचमेंट से रोकने का बहुत बड़ा काम है और चारागाह को डवलप करने का काम है। इस कानून के उद्देश्यों में कहा गया है कि चारागाह को विकसित करने का, चारागाह को डवलप करने का और नये चारागाह पैदा करने का काम यह करेगा लेकिन उसके पास चारागाह कहां से आयेंगे ? चारागाह रूकते जा रहे हैं इसलिए सरकार को इस प्रकार की अथोरिटी भी देनी चाहिये। लेकिन इस अथोरिटी में यह नहीं हो, अध्यक्ष महोदय, कि गांव की जो गायें हैं, गांव के जो पशु हैं, उनके थोड़ी बहुत खड़ी रहने की जगह बची हुई है वह कहीं थोड़ी बहुत जगह भी न रुक जाय। इस बात का प्रावधान करने का विधान भी इसमें होना चाहिये और इसको इस प्रकार के अधिकार भी दिये जाने चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो देशी नस्ल की गायें हैं और जो सांड हैं, जब तक बढ़िया सांड लेकर इनकी हम नस्ल सुधार काम नहीं करेंगे, नस्ल सुधार होना बहुत आवश्यक है और इस नस्ल सुधार के कार्यक्रम के लिए मैंने एक छोटा सा प्रयत्न

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

किया है। मैं आज जो बोल रहा हूं, प्रयत्न करके बोल रहा हूं कि जयपुर के पास गोविन्दगढ़ के पास में मैंने एक गोशाला कायम की है, लोग कहेंगे कि वह गांव वालों ने नहीं की, मैंने गांव वालों के सहयोग से की। 17 गांवों की ग्राम सभाएं आयोजित की गयीं और 17 गांवों की ग्राम सभाएं आयोजित करने में उन ग्राम सभाओं ने अपनी जमीन डोनट की, जमीन डोनेट करने के बाद खेजरोली में और गोविन्दगढ़ में, दो जगह 20-20 लाख रुपये की लागत से हमने उन गायों के रहने के लिए गोशाला बनायीं और अकाल के अन्दर जितने भी पशु आये थे उन पशुओं का केम्प लगाकर हमने वहां पर उनको रखने की व्यवस्था की। उसके बाद में डोनेशन के आधार पर 4-4, 3-3 ट्यूबैल वहां पर लगा चुके हैं। उन गायों की नस्ल सुधार का कार्य हमने हाथों में किया हैं और जितनी भी गायें थीं, जो गायें अकाल में हमने ली थी उन गायों के ब्याने के बाद में किसानों को, जो उनको रख सकते थे, जो पालना कर सकते थे, उनको फ्री आफ कास्ट दे दी। यह नेशनल हाइवे के पास ही बना हुआ है। उसमें गांव के लोग काम करते हैं। अब जैसे फसल हुई है, तो गांव वालों ने अपने अपने खेतों में से एक-एक लड्डा खाखले का भरकर वहां पर लाकर डाल दिया, फूसों का डाल दिया और जो गांव वालों को फिरने वाली बेकार गाये थीं गांव वालों ने वह गायें भी वहां लाकर बेच दीं। इस प्रकार से हमने इसका प्रैक्टिल रूप लोगों के सामने करके दिखाया है और भारत की गोसंवर्धन परिषद् के लोगों को भी वहां बुलाया है।

इसलिए मैं इस बिल के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि यह बिल सरकार और सदन की मंशा को प्रकट करता है, यह केवल भारतीय जनता पार्टी की मंशा को प्रकट नहीं करता है, अध्यक्ष महोदय, अगर भारतीय जनता पार्टी की मंशा को प्रकट करता तो 1956 में भी कानून बना और 1960 में भी कानून बना और आज भी यह कानून बन रहा है। यह भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और मूल रूप से राजस्थान की जो जनता है, राजस्थान की जनता की संस्कृति गो-पालन की है और उसका सारा आर्थिक ढांचा उस पर निर्भर है, उसको प्रकट करने का यह बिल है। मैं इस बिल के माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो नस्ल सुधार का, जो जैविक खाद पैदा करने का, जो चारागाह को विकसित करने का और जिनको हम आवारा पशु के नाम से पुकारते हैं उनके शरणस्थल का कार्य होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं तो निवेदन करना चाहूंगा कि अगर हर गांव में, हर गांव में नहीं तो हर पंचायत में और पंचायत में नहीं तो एक-एक विधान सभा क्षेत्र में 5-5 गो सदन स्थापित करने का तय किया जाय और इन गो सदनों में इस प्रकार से चन्दा आयेगा कि वहां पर सरकार के अलावा भी बहुत से लोग चन्दा देंगे। लेकिन इसकी संरचना में अगर कोई कमी है, माननीय विधायकों में से या और कोई भी आना चाहे इसकी संरचना में सरकार परिवर्तन करें, कि प्रदेश के सारे लोग इसमें शामिल हों। इस प्रकार का परिवर्तन

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

करके हम दिखायें । अध्यक्ष महोदय, आपको पता है कि बड़े-बड़े शहरों में आजकल जो सब्जियां बिकती हैं, उनके साथ एक लेबल लगकर आता है। जो सब्जियां बाजार में प्लास्टिक की थैलियों में बिकती हैं उन पर एक लेबल आता है "गोबर से पैदा की गयी सब्जियां" । इस प्रकार की सब्जियों की कीमत बाजार में दो रुपये, तीन रुपये प्रति किलो ज्यादा मिलती है । कीटनाशक दवाइयों के प्रभाव से जिस प्रकार बीमारियां पैदा होती हैं, उन सबसे बचने की बात भी है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो बिल सरकार ने पेश किया है वह केवल भावनाओं पर आधारित नहीं है। अगर हम सही रूप से आर्थिक दृष्टि से इसका चिन्तन करेंगे तो आर्थिक दृष्टि से गाय को हम लाभकारी बना सकेंगे । एक बात मैं और कहना चाहता हूं, जिससे माननीय सदस्यों का भ्रम दूर हो जाय । कई लोग कहते हैं कि भैंस लाभकारी है और गाय लाभकारी नहीं है। हिन्दुस्तान दुग्ध उत्पादन में सबसे पीछे था । हमारे यहां हरित क्रांति हुई है, इसको कोई मना नहीं कर सकता है। स्वर्गीय श्री लालबहादुर जी शास्त्री ने कहा था "जय जवान जय किसान", उसके बाद में हम हरित क्रांति की ओर बढ़े और देश आज सरप्लस फूड उत्पादन की स्थिति में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी प्रकार से हमारे यहां श्वेत क्रांति भी हुई है। डेनमार्क का नाम लिया करते थे । आज हिन्दुस्तान दुग्ध उत्पादन में दुनिया में एक नम्बर का देश है। आज हमारे दूध की नदियां बहती हैं इसमें कोई दो राय नहीं है । दुग्ध उत्पादन जो बढ़ा है वह गायों की नस्ल सुधरने से बढ़ा है। आज भैंस 10-12 किलो से दूध ज्यादा देने वाली नहीं है। चाहे मुर्रा ले आओ, चाहे हरियाणा नस्ल की भैंस ले आओ, 12 किलो से ऊपर नहीं जाएगी। लेकिन मेरे गायें बंधी हुई है वे 18 किलो, 22 किलो और 15 किलो से कम दूध नहीं देती हैं। आपकी जितनी मिठाइयां ज्यादातर बन रही हैं वे गाय के दूध से बनती हैं।....

श्री पूनम चन्द बिश्नोई : ब्रीड कौनसी है जो 22 किलो दूध देती है ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मेरे पास एक गाय जो 15 किलो देती है उसे हरियाणा नस्ल, शेखावाटी की गाय कहते हैं, वह है। एक मेरे पास 22 किलो दूध देने वाली जर्सी गाय है लेकिन इसमें 60 प्रतिशत इण्डियन हैं और 40 प्रतिशत वे हैं। इसी प्रकार से मेरे पास राठी भी है, रेड इण्डियन भी है। थारपारकर नस्ल के भी दो बच्चे मैंने रख रखे हैं उनको तैयार कर रहा हूं । इसी प्रकार से चित्रकूट में कुछ गायें भेजी हैं आपने पश्चिमी राजस्थान की, राठी की, थारपारकर की, साइवाल नस्ल की गायें भेजी हैं ।

माननीय पूनमचन्दजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मेरा जन्म गांव में ही हुआ है। मैं आपको दिखने से शहरी लगता होऊंगा लेकिन मेरी स्टडी, आप

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

जैसे गो-पालक की है और यह मेरी भावनाओं से जुड़ा हुआ प्रश्न है।

श्री जगदीप धनखड़ : आप चेयरमैन बनकर ही मानोगे। आपने ऐसी जोरदार पैरवी की है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं चेयरमैन क्या बनूंगा। मैं तो जन्मजात इस काम का चेयरमैन बना हुआ हूं। आप यदि मेरे लिए शुभकामना करना चाहते हो तो यह करें कि मैं किसी को उस पर चेयरमैन बनाने लायक बन जाऊं। अगर आपको मेरे लिए शुभकामनाएं व्यक्त करनी हैं तो ये करें।

अध्यक्ष महोदय, मैं संक्षेप में मेरी बात इसी बात के साथ समाप्त करना चाहूंगा कि हमको, इसके जो उद्देश्य दिये गये हैं उन उद्देश्यों के लिये समर्पित होकर काम करना पड़ेगा। आज गौ-शालाओं में ऐसे लोग काम नहीं करते हैं जो बड़े-बड़े सेठ हैं, साहूकार हैं, जो करोड़पति--अरबपति हैं लेकिन तीन बजे से लेकर रात तक वे समर्पित होकर काम करते हैं। इसलिए यह राजस्थान की मंशा को प्रकट करता है। इस कानून को लाने के लिए अगर केवल गौ-वध निषेध का कानून लाते और यह कानून साथ-साथ नहीं लाते तो उसकी मंशा पूरी नहीं हो सकती थी। गौ-वध निषेध कानून की मंशा को पूरी करने के लिए यह कानून लाया गया है। इसके लिए मैं सरकार को, मंत्री महोदय को और सदन के सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्रीजी।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : सबसे बड़ी समस्या यह है उसके बारे में खास तौर से तिवाड़ीजी से पूछूंगा कि भैंस में तो लिमिटेड केपेसिटी है उससे आगे वे नहीं जा सकती हैं पर विदेशी गायें अनाप-शनाप दूध की नदी बहा सकती हैं। लेकिन अपनी जलवायु में प्योर नस्ल की जर्सी, रेड इण्डियन या काली वाली होलस्टीन तो पनप नहीं सकती, जो 60 प्रतिशत तक की हैं वे चल जाती हैं। अनुभव यह है, पहले काफी शौक शहरों के अन्दर पड़ा था कि उनमें 60 प्रतिशत तक, देशी खून हो लेकिन आज सामने यह आ रहा है कि उनको बीमारियां बहुत लग रही हैं और बहुत मर रही हैं। दूसरा, यह कि अपनी गाय दूध तो कम देती है लेकिन बछड़े बहुत जोरदार देती है। घी की मात्रा होलस्टीन में 3 प्रतिशत और जर्सी में 4 प्रतिशत पर खतम हो जाती है पर अपने यहां यह साढ़े छह, सात प्रतिशत तक पहुंच सकती हैं। यह जो बछड़ा है उसके बारे में यूनिवर्सिटी वाले तो कह देते हैं इसमें बहुत शक्ति है। बड़ी शक्ति है, मैं जानता हूं अगर उस जलवायु में रहे तो अपने वाले बैल के जैसा का जैसा यह ताकतवर है लेकिन अपनी जलवायु में यह हांफने लग जाता है। अब समस्या यह है कि मान लो डेयरी खोलें। मेरी पर्सनल काफी जमीन है, मैं सोचता हूं तो यह प्रश्न आ जाता है कि इन विदेशी गायों

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

के बछड़ों का क्या करेंगे, जैसे रोज नील गाय है वैसे ही ये हो जायेंगे। यह बात भले ही करो कि इनमें इतनी ताकत है, ये चल सकते हैं। ये नहीं चल सकते हैं, भार होने पर ये हांफ जाते हैं बुरी तरह सर्दी का मौसम हो तो ठीक है। उसमें ये थोड़ा बहुत भार खींच सकते हैं। तो यह मुख्य समस्या आती है और इसमें....

श्री रघुवीर सिंह कौशल : जर्सी और होलस्टीन के बछड़े खेत में काम कर रहे हैं। लोग इनसे जुताई का काम ले रहे हैं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : वह सब मैंने देखे है। चलती गाड़ियां भी देखी है लेकिन उनमें वह क्षमता नहीं है। या तो बीमारी से मरेंगे या हांफने लग जाएंगे। हल अगर तावड़े में चलाओ तो उनका रंग ही काला है। काला रंग है, वह गर्मी ज्यादा लेता है और उनका ओरिजिन वह है। आप जानते हो कि हम तो गो-वंश क्या, हमारे खेतों में चूहे को भी नहीं मारते, खरगोश को भी नहीं मारते और न मारने देते है। हिरण वगैरह सब हमारे खेतों में ही चरते है तो गाय को मारने का तो सवाल ही नहीं हैं लेकिन मुख्य प्रश्न यह हो गया कि इन काले बछड़ों का क्या करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : एक मिनट, निवेदन करूं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आप कुछ भी करें आखिर में ये बूचड़खाने में जाएगे, क्योंकि राजस्थान में तो आपने कानून को पास किया। राजस्थान में गाय तो मारते नहीं हैं वैसे भी पहले से ही है। मारते ही नहीं थे। अंग्रेजों के टाइम में नसीराबाद में अंग्रेज छावनी में मारते थे या टोंक में मारते थे, उसके बाद खत्म हो गये। या अपने यहां लॉ भी बनाया हुआ था। उसकी पूंछ के चोट पहुंचाना भी अपराध ही था। इस बारे में अगर आप कुछ बात करें। ये जो मेल बछड़े है....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : श्रीमान्, मैं एक निवेदन कर दूं। मेरी सबसे बड़ी शंका यही थी लेकिन दो कामों के लिये यह बहुत फिट साबित हुए हैं। यह बात सही है कि दुपहर में आप इनसे हल नहीं चला सकते हैं लेकिन एक तो शहरों में जो रेलवे स्टेशन से गोदाम में जो माल लादकर लाते हैं यह माल लाने में अपने वाले बैलों के बजाय ज्यादा ताकतवर सिद्ध हुए हैं। दूसरी बात यह हुई कि बिहार में, यू. पी. में और आसाम में जहां चावल पैदा होता है। वहां पर इनके पैरों से ही खला निकालते है। वहां एक-दो फसल के बाद में बैल बेकार हो जाते हैं। एक तो अपने यहां से जो बैल खरीद कर उधर ले जाते थे वह इसके लिए ही ले जाते थे। ये बछड़े या विदेशी नस्ल के जो सांड हैं वे इसके लिए बहुत अच्छे प्रमाणित हुए है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इनकी उपयोगिता समाप्त की जानी चाहिए।

हमारी जो गायें हैं उनका 10-11-12 लीटर तक आराम से दूध बढ़ा सकते हैं

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

अगर नस्ल सुधार का प्रोग्राम किया जाय। हमारी गाय की, जो सबसे बड़ी कमी है ड्राइ पीरियड की इसको कम किया जा सकता है, लेक्टेशन पीरियड बढ़ाया जा सकता है इसका बछड़ा बहुत ज्यादा काम हो सकता है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो विदेशी गाय हैं, इसका नस्ल सुधार सरकार को बन्द करना चाहिये। क्योंकि यह आगे चलकर हमारे लिये समस्याएं पैदा कर देगा इसलिए देशी गाय की और प्रमुख रूप से राजस्थान की 4-5 नस्ल की हैं उनकी नस्ल सुधार कर उनके विकास का काम भी करना चाहिये। उनका सीमन देना चाहिये। उसी के लिए सारी व्यवस्था करनी चाहिये। उसको सुधारने का काम करना चाहिए। यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री परसराम मदेरणा : I would like to say something on the principles of this Bill पहले तो, अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी का ध्यान स्टेटमेंट ऑफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजंस की तरफ खींचना चाहता हूं। आब्जेक्ट्स एण्ड रीजंस के अन्दर यहां पर आर्टिकल 15 (1) (ए) (जी) का उल्लेख किया है कि यह हमारी अटेंशन को लगातार एंगेज कर रहा था इसलिए कानून बनाना जरूरी है। 48 का तो मैं समझ गया, स्लाटर पर बेन लगाना चाहते हैं। अब आर्टिकल 51 (ए) (जी) क्या है? अध्यक्ष महोदय, 51 (ए) (जी) यह है कि "to protect and improve the natural enviroment including forests,...." क्लॉज 15 के अन्दर फंक्शंस हैं इसमें कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है। एनवायरनमेंट का उल्लेख नहीं, फोरेस्ट का कोई उल्लेख नहीं। लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ, कोई उल्लेख नहीं।"

..."and to have compassion for living creatures;" लिविंग क्रियेचर के कम्पेशन का मामला जहां तक अभी चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य क्रॉस ब्रीड की बात कर रहे थे, जर्सी वगैरह की और चावल की खेती की बात कर रहे थे। वह तो क्रियेचर है, क्रियेचर तो सब है। कम्पेशन क्रियेचर का मतलब है कि आप गाय भी रखो, भैंस भी रखो, उसके साथ आपका कम्पेशन रहना चाहिये लेकिन बोवाइन एनीमल न ऊंट है, न गाय है, न दूसरा है। यह होगा नहीं। इसलिए आपने जो इसका उल्लेख किया है, इस 51 का उल्लेख करने का आपका अभिप्राय क्या है, मैं यह जानना चाहता हूं, एक। क्लाज 15 में आपने जो फक्शंस रखे हैं, यह तो गो-सेवा आयोग का बिल है। आप यह समझते हो कि आयोग कोई सदन चलायेगा या गोशाला चलायेगा, यह नहीं चलायेगा कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं प्रमोट करेगा कंजर्व करेगा, हेल्प करेगा और जब आप हेल्प करने जा रहे हो, तो अभी चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत बेटी दिये हैं। एक तो सुझाव इन्होंने यह दिया कि जो क्रॉस ब्रीड बैल है जहां चावल की खेती हो रही है, वहां पर भेज दो। व्यापारी मेलों में आते हैं, इसको तो कोई खरीदते नहीं है। यू आप एक्सपोर्ट करते नहीं। इन फंक्शन्स में कहीं पर भी अगर आप जैसा आदमी गो-वंश के संवर्द्धन के लिए लगा हुआ है, जो पूरा समर्पित है निष्ठा के साथ वह अगर इनको

(श्री परसराम मदेरणा)

ले जाए और ले जाकर के वहां चावल की खेती के अन्दर काम में ले। शायद मेरी समझ में जलवायु भी थोड़ी ठंडी होगी ?

अभी यहां पर बिजली मंत्रीजी बोल लिये ना, ये बात करते हैं कि वहां पर रेगिस्तान की। हिन्दुस्तान का तीन चौथाई रेगिस्तान जियोग्राफिकली राजस्थान में सिचुएटेड है। कल आपने अखबार पढ़ा होगा कि बाड़मेर व जोधपुर का तापमान 43, साढ़े तियालीस और 44 हो गया है....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : 45 हो गया।

श्री परसराम मदेरणा : 45 हो गया। फलौदी में सबसे ज्यादा होता है। इसलिए मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था कि जो आप गाय की सेवा कर रहे हैं और जो एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं, "three individuals working selflessly for the welfare of all species of bovine animals...." अगर इस केटेगिरी में कोई इंडीविजुअल आता है इस सदन में, तो आपके अभिभाषण के बाद में मेरी यह निश्चित मान्यता और विनिश्चय है और गवर्नमेंट को मैं यह प्रस्ताव रखता हूं कि जो व्यक्ति इतना इण्ट्रेस्ट ले रहा है, मुझे कोई समझ में ही नहीं आया इनका फंक्शन, दो चार में से एक पर तो आपने प्रकाश डाल दिया मैं अब उस फंक्शन पर आता हूं फंक्शन जो है—"work for the scientific use of dung and urine af bovine animals...." गोबर का तो मैं समझ गया लेकिन यह जो यूरिन बोवाइन एनिमल्स का है, इसका साइंटिफिक यूज क्या है, अभी तक मुझे इसकी जानकारी नहीं है। आपने बताया कि मुंगफली के अन्दर डाल दो और....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बिना ब्याही गाय की जो बछड़ी है उसका गो-मूत्र लेने से लीवर का भी ईलाज हो जाता है और बच्चों के कान बहते हैं, उनके भी डाल दो तो उनका भी ईलाज हो जाता है।

श्री परसराम मदेरणा : बिना ब्याही है और जो विर्जिन बछड़ी है उसका यूरिन तो आप पीते भी हैं तो मेरी समझ में आपकी आयु बढ़ेगी। उसका लोग बहुत धार्मिक तरह से उपयोग करते हैं। पूजा के मामले में भी करते हैं लेकिन यह साइंटिफिक है कि नहीं इसका मुझे अभी तक पता नहीं है। इसलिए इसका क्या उपयोग है, जगह-जगह आपने चार जगह यह 'यूरिन' वर्ड यूज किया हैं प्रभारी मंत्रीजी ने, यहां नहीं किया है, आगे भी किया है। आर्गेनिक मेन्योर के लिये उसमें गोबर तो है, बायोगैस के लिये भी गोबर है लेकिन उसके ऊपर गिर जाएगा वह ही यूरिन है या दूसरा ? यूरिन आप अलग लेकर के इसमें डाल कर अलग यूज करते हैं उसको इसमें सेपरेट रखा है। यह जो बायोजेनिक प्रोडक्ट्स हैं यह क्या है ? ···· "research on the biogenic products of the bovine animals for medicinal purposes; ...."

अभी सदन को जानकारी नहीं है कि जीवननिक उत्पाद है क्या ?

अध्यक्ष महोदय, दूसरा मैं यह कह रहा हूं कि इन्होंने आब्जेक्ट्स एण्ड रीजंस

(श्री परसराम मदेरणा)

में एक मजेदार बात लिखी है और वह यह लिखी है कि—

"..... further to protect them from being carried away to other places for the purposes of slaughter and to checkmate further depletion in the percentage of such animals in the State;...."

अभी आपने जो आंकड़े दिये हैं, राजस्थान में जो टोटल एनिमल पापुलेशन है वह चार करोड़ और 91 लाख, आदमी अभी चार करोड़ 88 लाख हुए हैं। जैसी पर्सेण्टेज बढ़ रही है, कल तक पूरे हो जायेंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि इसे आप डिप्लीट नहीं होने देंगे। अब ह्यूमन एण्ड बोवाइन पापुलेशन की एग्जिस्टेंस की आपस में लड़ाई हो जाएगी। पापुलेशन बढ़ रही है। चारागाह नहीं रहे हैं। गोचर जमीन नहीं रही है। जमीन पर भार बढ़ रहा है। अपने बेटे पर बेटा हो रहा है और बेटी पर बेटी हो रही हैं लेकिन जमीन के बेटा पैदा नहीं हो रहा है वह उतनी ही रह रही है। उसके बाद में आप उसकी पर्सेण्टेज को चेकमेट करेंगे तो आप यह 4 करोड़ 91 लाख रखेंगे तो कैसे रखेंगे ? अगर आप यह रखेंगे तो चौमू से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि शाहीवाल क्रॉस बीडिंग से दूध ज्यादा पैदा हो रहा है, 15 किलो या 20 किलो हो गया ..

एक माननीय सदस्य : 22 किलो हो गया।

श्री परसराम मदेरणा : मैं जब एनिमल हसबेंडरी का मिनिस्टर था, मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि यह उदयपुर में डेयरी फैल कैसे हो गयी। वहां 35 या 40 लाख का घाटा था और करीबन क्वेश्चन 45 मिनट चला होगा। आखिर में मुझे उत्तर देना पड़ा कि यहां से कलक्शन जो होता है 70-70 मील दूर से ....

श्री पूनमचन्द विश्नोई : 150 मील से।

श्री परसराम मदेरणा : हां, लास्ट था 150 किलोमीटर और दूध उस गाय का होता है पौन किलो, आधा किलो, जमना पार बकरी से कम से कम 1 तो यह जो आधा किलो देने वाली है इसका क्या होगा ? अब रही गोशाला....

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अब किनके जिम्मे रखेंगे इनको, यह पावने रखो, रिटायर हो जाएं जो बैल, बूढ़ी भैंस, पाडे और दूसरे बूढ़े जानवर (व्यवधान) आज शहरी तबका है उसके पास ही पैसा है गांव वालों के पास न तो जमीन है और न पैसा हैं, जैसा मदेरणाजी ने कहा, बहुत जबर-दस्त कम्पीटिशन है, इनके आप पशु आश्रम बनाओ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां, वही बात है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : नहीं, तो आप आज ही जाकर देख लेना अजमेर रोड पर

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

जो रेलवे लाइन के ऊपर पुल है उस पर बूढ़ी, पामड़ी जिसको बोलते हैं आप समझते हों तो जो ब्याती नहीं हैं वह भैंसे, पाडे थके हुए 50-60 आपको अलग-अलग ग्रुप में कटने के लिए जाते हुए रोज मिल जाएंगे, तो आप इनके लिए कुछ व्यवस्था करो ताकि कटने नहीं जायं।

श्री परसराम मदेरणा: अध्यक्ष महोदय, इन्होंने गो-शालाओं और गो-सदनों को सहायता देने की बात कही है। इस बिल के साथ में फाइनेंशल मेमोरेंडम लगा हुआ है। एक पैसा नहीं दिया और इसका जो फण्ड है वह फण्ड क्रियेट होगा, इसका क्लॉज 20 है शायद "The commission may—(a) accept grants, subventions, donations and gifts from the Government...." कमीशन में accept ग्राण्ट। एक पैसे का प्रोविजन इन लोगों ने इस कमीशन को बना कर गो वंश के संवर्धन के लिए नहीं रखा है। यह सब फालतू हैं इसमें आपको करोड़ों रुपये रखने चाहिये थे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आ जायेगा।

श्री परसराम मदेरणा : कहां से आ जाएगा ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : लोग टूट पड़ेंगे देने के लिए इसमें।

श्री परसराम मदेरणा लोग जो टूट पड़ेंगे उसमें जो ट्रेजरार रख रहे हों वह किसी मल्टी मिलियनेयर को रखो फिर आप, मिलियनेयर रखो या बिलियनेयर रखो। लेकिन यह जो केटल ले जाओगे, लाखों केटल आपके पास आ जाएंगी और लाखों केटल को बचाना और उनके ब्रीड को इम्प्रूव करना बहुत टेढ़ा मामला है इसलिए सरकार को इसमें फण्ड का प्रावधान भी रखना चाहिये।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट और लूंगा। यह प्रश्न संगत तो नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण है और पूरे सदन में उठाया नहीं जा सका। स्टेट टाइम में अभी भी वह कानून एनिमल कुअल्टी एक्ट लागू है। लागर ऊट, अगर कोई समझते हों तो, जो रगड़ खा हो रहा पैर एडर से और खून चलता रहता हो, चांदी वाला ऊंट हो, चांदी मतलब जिसकी पीठ पर घाव पड़ गये हों, ऊंट का भार लोड किया जाता था तो बराबर तौलते थे, अगर 5 मण से ज्यादा हो तो चालान हो जाता। जो तांगे चलते थे उनमें तीन सवारी और एक तांगे वाला, चार से पांच होते तो चालान होता था। अब कितने-कितने लोग, बड़े-बूढ़े बैलों के ऊपर, गधा गाड़ी के ऊपर अनाप-शनाप भार ढोते हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। इसको तो आप पहले, देखें बाकी तो सब जाने दो, बचा दो सबको। इन जानवरों को आप मुक्ति दिला दें, पीट-पीटकर पड़ जाते हैं, मर जाते हैं, अनाप-शनाप इतना ओवर लोड करते हैं कि ऊंट की उम्र ही कम हो गयी है। गांव वाले कहते हैं छाती फाट कर मर जाते हैं। भाटीजी के एरिया में राजस्थान कैनाल उन्होंने खोदी, ऊंट की उम्र ही खतम हो गयी। इसलिए पशुओं की कुअल्टी की तरफ ध्यान दीजिये और यह बहुत जरूरी है। पुलिस बिलकुल ध्यान

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

नहीं दे रही है, यह मैं आप से कहना चाहता हूं।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, दो मिनट लूंगा। अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं राजस्थान गो-सेवा आयोग विधेयक जो पेश किया गया है, उसके लिए स्वागत करता हूं और मंत्रीजी का आभार भी व्यक्त करता हूं। एक बात जो घनश्याम जी ने कही, इसके लिए मैं यह निवेदन करूंगा कि...

एक माननीय सदस्य : अमेरिका की बात करो।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह : हां, उसी की बात करने जा रहा हूं। यह सही बात है, आज अमेरिका के अन्दर भी एक विचार विकसित हो रहा है कि जो सब्जी आज अमेरिका के मार्केट में आ रही है और अमेरिका प्रसिद्ध है, उन्होंने इतना विज्ञान और दूसरी चीजों से काम किया है, टमाटर होता है इतना बड़ा और जो दूसरी जितनी भी सब्जी आती है, भिण्डी आएगी तो इतनी बड़ी आएगी और सब चीजें इतनी बड़ी। पर आज जो आर्गेनिक मेन्योर, गोबर से जो फार्म फ्रैश, जो बात कह रहे थे कि गोबर से की हुई सब्जी जो आ रही है उसको वो कहते हैं फार्म फ्रैश और वह छोटा सा टमाटर है और चार छोटे से टमाटर के लिए वो चार-पांच डालर देने के लिए तैयार है पर जो बड़ा टमाटर है, जो पेस्टिसाइड से और आर्टिफिशल से मेन्योर से बना हुआ है उसको आज लेने के लिए तैयार नहीं हैं। यह चीज वहां भी विकसित हो रही है। इसलिए यह खुशी की बात है कि सहयोग से अपन गोबर और यूरिन की जो बात कही है उस पर भी अपन विचार कर के आगे इस बात पर विचार करेंगे।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन कर दूं। सरकार सर्वेक्षण कर ले, गोबर गैस प्लांट सबके सब फेल हो गये, एक भी चालू नहीं है। करोड़ों रुपये खर्च हो गये हैं। आपके गांव में कहीं चलते देखा है आपने गोबर गैस प्लांट ? मेरे घर वालों ने चार-पांच ने लिये थे, सब फेल हुए। एक दफा दो महीने चले थे ये, पशु घणे ही सब प्रकार के, यह बिलकुल सफल नहीं हैं, असफल हैं।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : वह ड्रम डिफेक्टिव लग गये। अब बाद में उसमें जो....

श्री परसराम मदेरणा : आप हर बात को काटने के लिए खड़े हो जाते हैं, मैं यह कह रहा हूं, चलें अपन। आप हरेक वक्त कहते हैं कि हां, मेरे यहां पर हो रहा है, अब मुझे आपके साथ जाना पड़ेगा।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : मैंने यह नहीं कहा कि मेरे यहां हो रहा है, मैंने यह कहा कि ड्रम डिफेक्टिव थे।

श्री परसराम मदेरणा : डिफेक्टिव नहीं होते तो भी इनमें कीचड़ वगैरह इतना हो जाता है महीने दो-दो महीने,

(श्री परसराम मदेरणा)

चार-चार महीने चलाने के बाद में इतने जानवर और कीड़े वगैरह हो जाते हैं कि कोई एक-दो जिले में एक-दो चलता हो तो मुझे मालूम नहीं, बाकी बायो गैस वाली बात कर दो और इसका फंक्शन रख दो तो वह बात अलग है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान गो सेवा आयोग विधेयक, 1995 को संशोधित रूप में पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान गो-सेवा आयोग विधेयक, 1995 संशोधित रूप में पारित किया गया।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह : सर्वसम्मति से।

श्री अध्यक्ष : सर्वसम्मति से।

राज्य में ऊर्जा की स्थिति पर विचार।

माननीय श्री रघुवीरसिंहजी कौशल (ऊर्जा मंत्री) प्रस्ताव करेंगे कि राज्य में ऊर्जा की स्थिति पर विचार किया जाये।

राज्य में ऊर्जा की स्थिति पर विचार

श्री रघुवीर सिंह कौशल (ऊर्जा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्य में ऊर्जा की स्थिति पर विचार किया जाए।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर। ऊर्जा पर विचार करने के बाद जो माननीय सदस्य अपने सुझाव रखेंगे, यह पावर मिनिस्टर और एनर्जी मिनिस्टर ने बिलकुल अपने दिमाग के सभी फंक्शन को चैकमेट कर दिया है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : ऊर्जा में लगा दिया है।

श्री परसराम मदेरणा : ऊर्जा में नहीं। अध्यक्ष महोदय, जो स्टेटमेंट आज देने वाले हैं, पूरा का पूरा स्टेटमेंट अब से करीब तीन-चार घण्टे पहले इन्होंने प्रेस को दे दिया है। It is a breach of privilege. और फिर बहस करने से क्या मतलब है ? यह सोची-समझी अपनी नीति बनाकर आये हैं, चाहे मैम्बर कहते रहो ऊपर जा रही है ऊपर ही ऊपर। यह अगर प्रेस को भी देना था तो स्टेटमेंट देने के बाद में प्रेस को दे सकते थे लेकिन आपने यह पहले प्रेस को दिया है, तो यह हाउस के प्रिविलेज का का वायलेशन हुआ है और मिनिस्टर के खिलाफ आपको.....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह स्टेटमेंट है या कोई फैक्ट्स है, क्या है ?

श्री परसराम मदेरणा : अब स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट पहले कैसे दो, यह तो पूरा स्टेटमेंट है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह हाउस में देंगे, क्या तय है ?

श्री परसराम मदेरणा : आज दिया है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, यह स्टेटमें उस दिन भी दिया जाना था और इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो अब तक अखबारों में नहीं आ गयी हो और जो मैंने भाषणों में विधान सभा में और विधान सभा के बाहर न कही हो। इसलिए यह कोई

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

बजट भाषण नहीं है, विद्युत मण्डल ने अब तक जो काम किये है उन कार्यकलापों का विवरण मात्र इसमें है इसमें कोई चीज कांफिडेंशियल नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : कांफिडेंस नहीं तो प्रेस को दे रहे हो और हम इस सदन के माननीय सदस्य हैं, इन्फोर्मेशन है तो आपको हमको देनी चाहिये थी।

(18.00)

आपने हमको दी नहीं और प्रेस को प्रचार कर रहे हो। बिजली आपके पास में नहीं है। उत्पादन आपने किया नहीं। अब इस स्टेटमेंट को आप नहीं पढ़ सकते हैं।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : यह कोई कान्फिडेंशियल नहीं है और माननीय प्रतिपक्ष के....

श्री परसराम मदेरणा : यह कांफिडेंशियल नहीं है तो भी आपका स्टेटमेंट है।

श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ : यह समीक्षा है। बिजली विभाग की क्या स्थिति है, इसकी यह समीक्षा है।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, समीक्षा तो मैंने पढ़ी है। समीक्षा नहीं है। आपको पता ही नहीं है, समीक्षा क्या होती है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो अखबारों में नहीं आ गयी हो या मैंने विधान सभा में इस पर चर्चा नहीं की हो।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, वह बात ठीक है। आप तो यह कह दोगे कि फाइव ईयर प्लान में इसका उल्लेख आ गया है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : इसलिये यह कांफिडेंशियल नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : वह पहले आ गया है।

श्री हरजीराम बुरड़क : आप जो व्यवस्था देंगे, वह इसको पढ़ेंगे या अलग से उत्तर देंगे ? उत्तर यही है या अलग से है ?

श्री रघुवीर सिंह कौशल : देखिये, यह स्टेटमेंट तो इसलिये है कि इसमें चर्चा के बिन्दु है और साथ ही समय बच जाय.... (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : सदन की परम्पराओं को प्रभारी मंत्री, (एनर्जी) ने तोड़ा है He should be reprimanded.

श्री रघुवीर सिंह कौशल : इसमें कोई कांफिडेंशियल नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : रेप्रिमांड करो। प्रताड़ना दी जानी चाहिये।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : यह कोई बजट भाषण नहीं है और इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय, मैं तो आपसे यह उम्मीद करता था कि आपने पिछली बार मेरा स्टेटमेंट विधान सभा में ही मांगा था। आपने एप्रिशिएट किया था। मुझे

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

प्रोत्साहित किया था । इसलिए मैं तो आपसे यह उम्मीद करता था कि आप स्टेटमेंट मांगे लेकिन यह कोई ऐसी कांफिडेंशियल चीज नहीं है ।

श्री परसराम मदेरणा : मैंने एप्रिशिएट किया । मैंने आपसे कहा था कि इस स्टेटमेंट को मैंने सुना है, उसकी कापी भेजिये । वह कापी आपने मेरे पास भेजी थी । लेकिन आज स्टेटमेंट कहां दिया है, आपने तो पहले ही स्टेटमेंट प्रेस को दे दुआकर अपना मामला समाप्त कर दिया । उस स्टेटमेंट का हाउस में आपने एक-एक वर्ड पढ़ा था । पढ़ने के बाद में वह स्टेटमेंट था । हाउस एडजोर्न हो गया था । फिर मैने आपको रिक्वेस्ट की थी कि मैं उस स्टेटमेंट की एक प्रतिलिपि चाहता हूं । यह तो पहले ही दे दिया है ।

श्री अध्यक्ष : ज्ञानवर्धन के लिये श्री घनश्याम जी ।

श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रतिपक्ष के नेता महोदय की बात से सहमत हूं....

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें, लक्ष्मण सिंहजी ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, माननीय विपक्ष के नेता ने जो आपत्ति उठायी है । वह क्या यह तय है कि इस सदन में माननीय मंत्री महोदय यहां वक्तव्य देंगे ? यह तो तय होना जब माननीय मंत्री महोदय अपना भाषण दे देंगे । इस पर माननीय मंत्री महोदय ने स्टेटमेंट और फैक्ट्स अगर कहीं पर भेजा है या छपा है या प्रेस को दिया है, तो इसमें सदन के किसी भी विशेषाधिकार का हनन निश्चित रूप से नहीं होता है । यह जब होगा जब माननीय मंत्री महोदय हूबहू इसको यहां पढ़ेंगे । फिर आप कहना कि आपने इसको प्रेस को पहले बटंवा दिया तो इस प्रकार का अभी कोई यंत्र माननीय नेता महोदय विकसित नहीं हुआ है कि जिससे आप यह देख सकें कि माननीय ऊर्जा मंत्रीजी यही वक्तव्य देंगे । और न ही इस पर यह लिखा है कि सदन में दिया जाने वाला वक्तव्य । माननीय मंत्री महोदय द्वारा आज राजस्थान की विधान सभा में दिये जाने वाला वक्तव्य नहीं है । इसलिये, अध्यक्ष महोदय, किसी भी प्रकार से सदन के किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है । यही मुझे कहना है ।

श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने जो बात कही है, उसका समर्थन करता हूं । यह राजस्थान की विधान सभा है और राजस्थान की विधान सभा के इस सत्र का अन्तिम दिन है और एक महत्वपूर्ण बिन्दु पर आज चर्चा हो रही है । उसमें, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक परिपत्र पहले से तैयार किया हुआ जो माननीय उर्जा मंत्रीजी अपना भाषण देने जा रहे है । उसकी कापी का सर्कुलेशन माननीय सदस्यों को भी नहीं किया जाना और उसको सर्कुलेशन पहले प्रेस को दिया जाना, यह निश्चित रूप से इस सदन की अवमानना है । यह बजट के लीक होने वाली बात नहीं है । लेकिन यह सदन का विशेषाधिकार

(श्री लक्ष्मण सिंह)

है कि माननीय मंत्री महोदय जो भी इसके अन्दर नीतिगत बात कहने जा रहे हैं या जो भी डिटेल्स वह एक्प्लेन करने जा रहे हैं, वह सदन के अन्दर पहले आनी चाहिये थी।

अब माननीय तिवाड़ी जी कहते हैं कि अगर यह हूबहू भाषण देंगे तब तो इसको मान लिया जाएगा कि यह हो सकता है कि प्रिविलेज हो और हूबहू भाषण नहीं देंगे तब प्रिविलेज नहीं माना जाएगा। या तो आप एश्योर कर दीजिये इस हाउस को।

श्री अध्यक्ष : विभाग की प्रगति विवरणिका होगी, माननीय बिराजें।

श्री लक्ष्मण सिंह : बिलकुल रेफर नहीं करेंगे। यह निश्चित रूप से सदन की अवमानना का प्रश्न है।

श्री हरजीराम बुरड़क : इसमें जो बात कही है वह अपने भाषण में नहीं कहेंगे यह कहलवा दें आप मंत्रीजी से।

श्री पूनम चन्द विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि मंत्री महोदय ने, राजस्थानी की एक सुन्दर अभिव्यक्ति है, उसको चरितार्थ कर दिया। "सिंह बड़ी आंकड़ी पर मारया नहीं खाय, चीजो लावन आपड़े भाज्यो लारन जाय" तो सिंह किसी का झूंठा नहीं खाते। तो सर्वोच्च सत्ता हमारे में निहित है। क्या पता, जो कुछ भी हम उम्मीद करते थे लाडू पुरसेंगे या क्या पुरसेंगे या दलिया ही पुरस देंगे। लेकिन जो हमें परोसना है वह ताजा तो होना चाहिये था न, झूठन किया हुआ कैसे परोस रहे हो आप?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अब बहस प्रारम्भ करें। श्री पूनम चन्द जी बोल गये न।

श्री अध्यक्ष : प्रारम्भ करें।

श्री जगदीप धूनखड़ : तिवाड़ी जी बोलने के बाद हमेशा बहस चालू कराना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, एक तो मंत्री की जो ट्रांसपरेंट इन्टिग्रिटी है, उसके बारे में मैं उनको कांग्रेचुलेट करूंगा क्योंकि चौमूं से आने वाले सदस्य ने मंत्रीजी को एक ऐसी अटकलबाजी में बांधने की कोशिश की थी कि वह खड़े होकर कह दें कि यह तो मेरा बयान नहीं है। यह सच्चाई के पुजारी हैं। ये इस प्रकार की बात कभी भी नहीं कहेंगे। हमने भी इनसे स्टेटमेंट की कापी मांगी और मैंने इनसे निवेदन किया, इन्होंने मुझे दी पर मैं समझता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक्ट आफ इन्डिस्क्रीशन ऐसे मिनिस्टर से हो गया जो पार्लियामेंटरी अफेयर्स के भी मिनिस्टर हैं और यह ग्रेव इम्प्रोप्राइ का मामला है। प्रतिपक्ष के नेता ने जो मामला उठाया है मैं समझता हूं इसको निर्णीत करने के लिये कभी मैं भी दिल्ली में I was also a Deputy Parliamentary Affairs Minister. आपको खेद व्यक्त करना ही चाहिये। आप खेद करने के लिये कहें कि जो कार्य आप कर रहे हैं उससे आपका कद बढ़ेगा और आप इनके चक्कर में नहीं आयें। बहुत भयंकर चक्कर था।

(श्री जगदीप धनखड़)

आप खड़े होकर कह देते यह स्टेटमेंट नहीं था। जिन्दगी भर हम सोचते रहते कि You are not a man of your words.

श्री रघुवीर सिंह कौशल : मैं उनके चक्कर में नहीं आया लेकिन आपके चक्कर में जरूर आ गया।....(व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय मंत्री जी, मुझे जो स्टेटमेंट दिया है वह मेरे तक रहा। किसी ने नहीं देखा। अध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्टेटमेंट इनसे लिया It was with me वह अपने बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो ही सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई भी स्टेटमेंट सदस्यों को दिया जा सकता है। प्रेस को दिया जाना is a grave act of impropriety इसके लिए मंत्रीजी खेद जरूर व्यक्त करें।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, आप इस मामले में कोई व्यवस्था दें उसके पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 10-3-69 को यह एक प्रश्न उठाया गया था तो उस विषय में यह व्यवस्था दी गयी थी कि वित्त विभाग के अलावा राज्य सरकार के अन्य विभागों की आय-व्ययक आंकड़ों की जानकारी विशेषाधिकार का हनन नहीं है।

इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कई बार ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्थगन, प्रस्ताव, सरकारी वक्तव्य, यह जितने भी हैं, उन सब की कापियां यहां पर आती हैं, समय से पूर्व माननीय सदस्यों के पास भी आती हैं और वह किसी कारण कोई प्रेस में भी चली जाती है, तो यह विशेषाधिकार का सवाल बिलकुल नहीं है। इसलिये इन्होंने जो यह पाइण्ट आफ आर्डर के जरिये प्रश्न उठाया है, उसको निरस्त किया जाय।

श्री जगदीप धनखड़ : इम्प्रोप्राइटी तो है ?

श्री परसराम मदेरणा : प्रोग्रेस रिपोर्ट हमारे पास में आयी है, फाइनेंशियल अकाउण्ट्स आये है, सब आ गये। इसके अन्दर बहुत-सी बातें ऐसी कही हैं जो अप्रेल के एण्ड में और मई के फर्स्ट वीक के अन्दर, इनकी जो कुछ कारगुजारी है, हमको नहीं मिली है। यह पब्लिसिटी कराना चाहते थे। सदन को इन्होंने सूचित किया नहीं सीधे-सीधे अपनी पब्लिसिटी और इनकी तारीफ हो वहां पर। मैं यह कह रहा हूं कि यह इम्प्रोप्राइटी बहुत ग्लेरिंज है और इन्होंने सदन के माननीय सदस्यों, जिनका पहला अधिकार है, अगर कोई फेक्चुअल रिपोर्ट भी है, आंकड़े दिये हैं तो अब आप इसमें एक भी वर्ड को रेफर नहीं करेंगे, इन्होंने ऐसी बात कही है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ऐसा कहां कहा ? ऐसा जरूरी भी नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : घनश्याम जी ने कह दिया।

श्री नरपतसिंह राजवी : If you want to put some words in his mouth and ...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय मंत्रीजी इसको पूरा नहीं पढ़ने वाले हैं। स्टटमेंट तो आपने इसमें क, ख, ग, घ, ड़ जुड़ाया। वह तो क, ख, ग, घ, ड़ कहीं न कहीं तो बोलेंगे ही।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अब तो बहुत सारे नये सवाल आयेंगे।

श्री घनश्याम तिवाडी : या इसके लिये वर्णमाला ही नहीं बनाएंगे? आप कहें माननीय नेता महोदय....

श्री परसराम मदेरणा : 18 पेज के इस स्टेटमेंट को इस तरह से कुछ भी नहीं पढ़ेंगे तो मंत्रीजी कुछ भी नहीं कह सकेंगे।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : और उल्टा पढ़ लिया तो?

श्री घनश्याम तिवाडी : मैं कह रहा हूं कि वर्णमाला के क, ख, ग, घ, ड़ से लेकर अ, आ, इ, ई, तक में सारा आया हुआ है। आप कहेंगे कि वह वर्ण माला ही नहीं आयेगी। इसमें तो यह सम्भव नहीं है। बाकी इसको हूबहू नहीं पढ़ेंगे। यह शब्दों को ही पढ़ेंगे। क्योंकि वह तो एक्स्टेम्परी भाषण देने वाले आदमी हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : शुरू कराओ अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : मैं इसको देखने के बाद अपनी व्यवस्था दे दूंगा। तब तक आप चालू करें। श्री धनखड़ जी।

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : माननीय चालू करें अब तो।

व्यवस्था का प्रश्न

विद्युत मण्डल के आय-व्ययक पर सदन में चर्चा

श्री हरजीराम बुरड़क : एक मिनट। व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने यह मामला पहले भी रेज किया था। उस समय तक यह बजट प्रस्तुत नहीं हुआ था। उसके दूसरे दिन यह प्रस्तुत हुआ। एक्ट की धारा 61 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि जो बजट विधान सभा में प्रस्तुत होगा उसमें बहस होगी और जो बहस होगी, जो सदस्य इसमें राय प्रकट करेंगे वह सारी राय बोर्ड और सरकार के पास भेजी जाएगी। और इस बजट को लागू करने में पहले बोर्ड और राज्य सरकार विचार करेगी, यह जरूरी नहीं है कि उनको शत-प्रतिशत माना जाय लेकिन उसमें विचार करेगी। अब आपने जो यह प्रस्ताव रखा है कि राजस्थान राज्य में ऊर्जा की स्थिति पर विचार, यह कौनसे एक्ट और कौनसे नियम के तहत हो रहा है। जब आपके पास बजट आ गया, नहीं आता तो यह कहते कि नहीं है। जब सारे अवसर इस पर डिस्कशन कराने के मौजूद थे और इस पर जो डिस्कशन कराते उस पर राज्य सरकार को, विद्युत मण्डल को माननीय सदस्यों की राय पर विचार करने की बाइन्डिंग थी, तो हर हालात में विचार करना चाहिये चाहे वह उसका फैसला कुछ

(श्री हरजीराम बुरड़क)

भी करें लेकिन यह आप निरर्थक बहस करायेंगे। यह न किसी नियम के तहत है, न किसी कायदे के तहत हूं। जबकि एक्ट में आपको बहस कराने का प्रोविजन मौजूद है। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आप इस पर विचार करायें तो इसका प्रस्ताव इस बजट के अनुसार, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट की धारा के अनुसार जो प्रस्ताव रखा है उसमें जो बहस होगी, जो माननीय सदस्य अपने विचार प्रकट करेंगे उनका कोई मतलब नहीं होगा। उन पर यह विचार करेंगे और विचार करके निर्णय लेंगे, यह मेरा व्यवस्था का प्रश्न है आप इस पर व्यवस्था दें।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, आपने रूलिंग को रिजर्व रखा है उससे पहले मैं एक बिन्दु की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और बिन्दु यह है कि इसकी कापी आप माननीय अध्यक्ष जी को दीजिए। अगर आप धनखड़ साहब को दे सकते हैं तो पहले आप लीजिए। इसमें आप देखिये, हैड लाइन क्या है—'माननीय विद्युत मंत्री जी 5-5-1995 को 'सदन में दिया जाने वाला वक्तव्य", यह है। आज क्या है आज 5-5-1995 ही तो है। आज जो वक्तव्य दिया जाने वाला है उसको उधर दे दिया। इस सदन में दिया नहीं। हमारा प्रिविलेज वायलेट हुआ। बहुत ग्रोस, आउटरेजियस इम्प्रोप्राइटी मंत्री ने की है। इसलिए आप अपना रूलिंग देते वक्त इन सब तथ्यों को, अध्यक्ष महोदय, आपके सामने रहने दें।

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था दीजिए मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। हां, ना कुछ तो बोलिये।

श्री अध्यक्ष : उसका भी दे दूंगा। एक ही साथ व्यवस्था हो जाएगी। मैं इसकी व्यवस्था जरूर दूंगा जो आपने कहा है।

श्री हरजीराम बुरड़क : यह पहले व्यवस्था देने की चीज है। यह ऊर्जा की स्थिति पर विचार, यह कौनसे नियम, कानुन कायदे के तहत है? जबकि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट में, स्पष्ट प्रोविजन है।

श्री अध्यक्ष : सदन में उस दिन बात हुई थी कि उस दिन अलग से बहस होगी .... (व्यवधान) .. नहीं तो कोई प्रोविजन भी नहीं था आज।

श्री हरजीराम बुरड़क : बजट प्रस्तुत नहीं हुआ था इसलिए रखी थी। बजट दूसरे दिन पेश हो गया।

श्री अध्यक्ष : पांच दिन पहले ही तय किया है यह। पांच सात या आठ दिन हुए होंगे। .... (व्यवधान) ....

श्री हरजीराम बुरड़क : मैं तो यह कह रहा हूं कि प्रस्ताव में यह वर्ड आना चाहिये कि आय-व्यय पर विचार यह आना चाहिये ताकि इस केस का कुछ कोर्स होगा।

श्री अध्यक्ष : यह 126 के तहत तो हो नहीं रही है। बी. ए. सी. उस दिन बैठी थी। बिजनस एडवाइजरी कमेटी ने यह तय किया कि आज इस बात के लिए रखा जाए। बिजनस एडवाइजरी कमेटी सुप्रीम है, उसने तय करके कहा है कि चर्चा

(श्री अध्यक्ष)

करायी जाय इसलिए आज चर्चा के लिए रखा नहीं, तो आज कोई ओकेजन भी नहीं था। इसलिए मैं इस सब रूलिंग को रिजर्व रखता हूं, मैं आपको सुना दूंगा। मैं चाहता हूं कि आज इसके लिए नियत किया है इस पर चर्चा जरूर हो। माननीय धनखड़ जी।

श्री हरजीराम बुरड़क : आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट पढ़िये। उसमें कम्पलसरी है, आपको बहस कराने के बाद ... (व्यवधान)... बहस होने के बाद माननीय सदस्यों के विचारों पर राज्य सरकार को, बोर्ड को विचार कराना जरूरी है इसलिए आपने इसको टालने के लिए यह वर्ड यूज किया है।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : यह कभी आज दिन तक पेश हुआ है क्या ?

श्री हरजीराम बुरड़क : हां, पेश हुआ है। पिछली साल आपने पेश किया, माननीय, मत्री महदोय, मैंने विशेषाधिकार का प्रश्न दिया, तीन दिन में आपने पेश किया उस पर फिर बहस हुई है। आप चाहे रेकार्ड देख लो। ....(व्यवधान)

राज्य में ऊर्जा की स्थिति पर विचार

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बहस बहुत ही सार्थक होती जैसा कि श्री बुरड़क साहब ने कहा उन प्रावधानों के अनुरूप ही हम यह कार्य करते।

श्री अध्यक्ष : सार्थक ही होगी आप तो बहुत दिनों इसे पर तैयारी कर रहे हो। उसमें, इसमें यह टैक्निकलटीज में क्यों उलझ रहे हो आप ? आप तो अपना प्रारम्भ करिये।

श्री जगदीप धनखड़ : स्टेच्युटरी कम्प्लायन्स जितनी ज्यादा हो उतना ही ठीक है।

श्री अध्यक्ष : वह तो ठीक है, पर आपमें बहुत ज्यादा ज्ञान है उसका लाभ राजस्थान की जनता को मिलेगा इसलिए आप तो बोलें।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में ऊर्जा की स्थिति अत्यन्त चिन्ता का विषय है। पिछले काफी वर्षों से जो भी पार्टी सत्ता में रही है, ध्यान देती रही है। अध्यक्ष महोदय, विकास किसी भी तरीके का हो, कृषि में हो, उद्योग में हो, अन्य क्षेत्र में हो यदि उर्जा की स्थिति राज्य की ठीक नहीं है तो निश्चित रूप से जो भी सफलता हम हासिल करना चाहते हैं हम अचीव नहीं कर पायेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, असली ताकत पावर है और This is the only way to our prosperity. मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं जो यह प्रगति प्रतिवेदन राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल 1994-95 सरकार का डाक्यूमेंट है इसमें 17 पर देखेंगे तो 1993-94 के लिए सात सौ पचास गांवों के विद्युतीकरण एवं पच्चीस हजार कुओं के ऊर्जीकरण के लक्ष्यों में उसके मुकाबले सात सौ पचास गांवों का विद्युतीकरण हुआ और कुओं

(श्री जगदीप धनखड़)

ऊर्जीकरण लक्ष्यों में उसके मुकाबले सात सौ छप्पन गांवों का विद्युतीकरण हुआ और कुओं की संख्या भी पच्चीस हजार चार सौ उनतीस रही। अध्यक्ष महोदय, जो लक्ष्य रखे गए थे अचीवमेंट उनसे ज्यादा रहा। इसी में लिखा हुआ है कि 1994-95 में सात सौ पचास ग्रामों के विद्युतीकरण एवं तीस हजार कुओं के ऊर्जीकरण का लक्ष्य रखा गया था और इन्होंने फिगर्स दिये हैं जहां तक गांवों की संख्या है वह सौ कम है छह सौ पचास और विद्युतीकरण कुओं का चौबीस हजार एक सौ चौसठ तो राष्ट्रपति शासन के अन्दर जो भी टार्गेट रखे गये थे उनको प्रोपरली अचीव किया गया, यह नहीं कर पाये।

अध्यक्ष महोदय, यही स्थिति 1990-91 और 1991-92 की रही है। आगे ट्राइबल सब प्लान में इस वर्ष में एक सौ तरह ग्रामों के विद्युतीकरण एवं एक हजार आठ सौ साठ कुओं के ऊर्जीकरण के लक्ष्य को फरवरी 1995 तक सिर्फ सड़सठ गांवों का ही विद्युतीकरण किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, चिन्ता का विषय इसलिए है कि ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए जो भी टार्गेट रखे गये हैं उनमें सरकार पूर्ण रूप से असफल रही है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इसी प्रगति प्रतिवेदन के पेज 42 की ओर आकर्षित करता हूं। जहां इन्होंने दे रखा है कि तीस हजार के मुकाबले चौबीस हजार एक सौ चौसठ कुंए हैं और हरिजन बस्तियों के मामले में, अध्यक्ष महोदय पेज 44 पर देखिये, 1994-95 के लक्ष्य थे सात सौ पचास और अचीवमेंट है इनका 142 हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण करने के मामले में सरकार कितनी उदासीन है। यह इस बात से स्पष्ट जाहिर है कि जहां सात सौ पचास बस्तियों का विद्युतीकरण करना था, इनका अचीवमेंट मान्यवर, मात्र एक सौ बियालीस है। समाज के जिस वर्ग की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है उसमें सरकार कितनी उदासीन है। बांसवाड़ा में आठ हरजिन बस्तियों का लक्ष्य रखा गया था अचवीमेंट दो हैं, ट्राइबल एरिया है उसके बावजूद अचीवमेंट यह है। सवाईमाधोपुर में पैंतालीस हरिजन बस्तियों का टारगेट रखा गया था, अचीवमेंट जीरो है। डूंगरपुर है आठ का रखा गया था, अचीवमेंट जीरो है। मैंने आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इसलिये आकर्षित किया है कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सवाई माधोपुर, यदि इन क्षेत्रों में भी भी सरकार का अचीवमेंट इतना कमजोर रहेगा, तो जो कमिटमेंट हमारा इस प्रकार के वर्ग के उठान के लिए है क्या हम कभी पूरा कर पायेंगे? मैं समझता हूं जो भी अचीवमेंट इन्होंने रखें हैं, वह अत्यन्त चिन्ता का विषय है।

दूसरा, यदि आप देखेंगे तो जो इन्होंने स्वयं की एक समीक्षा रखी है, उसके आधार पर देखिये। वार्षिक वित्तीय विवरण 1995-96, इसमें स्थिति और भी स्पष्ट हो जाती है। मैं आपका ध्यान पेज 3 पर आकर्षित करता हूं। उत्पादन के मामले में देखिये 1994-95 इनके अनुमान थे। 5700 मिलियन यूनिट और आपका अचीवमेंट रहा 4800, यह है उत्पादन तापीय बिजली का। मान्यवर, नेक्स्ट पेज पर देखिये गैस के उत्पादन में इन्होंने 1993-94 का दिया 5744 मिलियन

(श्री जगदीप धनखड़)

यूनिट्स और 1994-95 में 4800। आगे जल विद्युत में देखिये, 1993-94 में 3690 और 1994-95 में 3563। मेरा कहने का अर्थ यह है कि जो आंकडे इन्होंने प्रस्तुत किये हैं, 1994-95 की जो परफोरमेंस है वह 1993-94 के मुकाबले निश्चित रूप से कम रहा है।

मान्यवर, यह पहला वर्ष है जहां राज्य के अन्दर एक हजार मिलियन यूनिट का जनरेशन कम हुआ है। टोटल अवेलेबिलिटी आफ पावर जो स्टेट को रही है उसमें गिरावट आयी है। ऐसी स्थिति में जो मंत्री महोदय कह रहे हैं क्या वह ऐसी स्थिति को प्राप्त कर पायेंगे कि राज्य में अन्धकार की जो एक सम्भावना बनी हुई है हम ऊर्जा प्रान्त को दे पायेंगे? इन्होंने जो अचीवमेंट्स किये हैं आर्थिक समीक्षा, मैं इन्हीं के डाकूमेंटस को रिलाय करके कह रहा हूं कि हम किस ओर जा जा रहे हैं। उसमें यदि आप देखेंगे, तो पहले पेज पर इन्होंने दिया है विद्युत उत्पादन उत्पादन+क्रय। इसमें इन्होंने कहा है कि हमारी जो गत वर्ष के मुकाबले गिरावट है वह 0.30 प्रतिशत है। जबसे यह सरकार आयी है, पिछला जो सत्र भी आप लोगों को रहा है 1993 तक, आपने हम लोगों को एक सपना दिखाया। हजारों मेगावाट उत्पादन की आप बात करते हैं। आप कहते हैं कि आज कोई आ रहा है, कल कोई आ रहा है हम इस प्रकार का अनुबन्ध कर रहे हैं और रीयल नतीजों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं तो टोटल जनरेशन के अन्दर भी, टोटल अवेलेबिलिटी में भी गिरावट है। माननीय मंत्रीजी, हमें तो उम्मीद थी कि जब आप मंत्री बनेंगे तो जरूर कुछ न कुछ नयी ऊर्जा इसमें इन्जेक्ट करेंगे। पर आपने तो ऐसी ऊर्जा इन्जेक्ट कर दी कि जनरेशन के अन्दर एक हजार मिलियन यूनिट कम है। ओवर आल 0.3 प्रतिशत कम है। क्या कभी आपने इस ओर अपना ध्यान आकर्षित किया कि ऐसी परिस्थिति में हम राज्य को किस ओर ले जा रहे हैं?

श्री रघुवीर सिंह कौशल : यह फरवरी तक के आंकड़े हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : मान्यवर, मैं तो आपके ही आंकड़ों पर विश्वास कर रहा हूं। आपने जो यह दिया है मैं इस पर भी आपका ध्यान आकर्षित कर दूं। यह आपने कुछ दिन पहले ही सर्कुलेट करवाया है। जिसको आप सही मानें, वहीं आपकी बेलेंसशीट बिलकुल साफ, ट्रांसपरेंट है जैसी कि आपकी पर्सनलिटी है। आपने कुछ पेडिंग करने की आवश्यकता नहीं समझी। जनरेशन कम है, काफी कम है। ऐसा लगता है कि आपको काम करने की जितनी फ्रीडम होनी चाहिये, वह दी नहीं जा रही है। आप देखिये, इकानोमिक रिविजन, 1994-95 है इसके पेज 30, 31 में आप कितना करना चाहते हैं? यदि अगर आपका असेसमेंट माना जाए, आपके एन्युअल प्लान को देखा जाए तो इस साल में आपका पूरा जनरेशन 10 मेगावाट है। क्योंकि आपका जो एनुअल प्लान है, 1995-96 उसमें आपने दे रखा है कि बाई एण्ड आफ मार्च, 1996 आप टोटल जनरेशन कितना करेंगे और

(श्री जगदीप धनखड़)

आपके पास टोटल इन्स्टाल्ड अवेलेबल अपनी केपेसिटी कितनी है, उसका भी आपने फिगर दे रखा है। आप बात तो करते हैं हिमालय की, कहते हैं, ना खोदा पहाड़ चूहिया भी नहीं निकली।

ऐसी स्थिति में मंत्री महोदय, राजस्थान एक भयंकर संकट की ओर जा रहा है। मंत्री महोदय, जब आप सदस्य थे 20 मार्च, 1990 को, तब आपने विधान सभा में कहा सभापति महोदय, किसानों को ट्यूबवेल का कनेक्शन लेना पड़ता है उसमें भी भ्रष्टाचार है। कम नहीं हुआ है। मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने कुछ इस प्रकार के प्रावधान किये हैं जिससे यह कम हुआ है। बिजली विभाग से किसानों को कोई एग्रीकल्चरल कनेक्शन बिना घुस दिये नहीं मिलता है। 7-7, 8-8 सालों में कुओं के कनेक्शन के लिये प्रार्थना पत्र दिये हुए हैं लेकिन उद्योगपतियों को 6 महीने में ही कनेक्शन मिल जाएगा। यह किसान और उद्योगपति में अन्तर है। माननीय मंत्री महोदय, आपकी वेदना थी एक सदस्य के रूप में। आपने कहा किसान को वर्षों तक इन्तजार करना पड़ता है, 7-7, 8-8 साल करना पड़ता है। क्या आपने स्थिति में कोई परिवर्तन किया है? क्या अब भी किसान को 10 साल तक इन्तजार नहीं करना पड़ता है? आपने कोई इस की व्यवस्था नहीं की है, आपकी यह वेदना जो आपने 20 मार्च, 1990 को यहां व्यक्त की उसके अनुरूप जब आपके हाथ में कलम आ गयी तो आप कुछ करते। मैं कहता हूं कुछ सुधार आपने किये हैं। कुछ बंदिशों से किसान को आपने निकाला है, पर जहां तक किसान जिस लम्बी लाइन में खड़ा है आपने सिर्फ इतना किया है कि लाइन में तो खड़े रहो, पर धूप नहीं आएगी छतरी कर दी।

मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि जो कुछ आपने कहा है उसके अनुरूप कार्य कीजिये। किसान को कनेक्शन लेने में जो लम्बी लाइन है उसको खतम कीजिये। 21 मार्च, 1985 को वर्तमान डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उद्योग मंत्री इन्होंने एक भाषण दिया, तेजस्वी भाषण। तब यह सरकार में नहीं थे। उम्मीद नहीं शायद इनको नहीं। ज्यादा से ज्यादा उम्मीद थी कि इस आसन पर बैठेंगे। शायद सरकारी कार्य से अपने आपको सम्बन्धित कर पायें। तो उन्होंने कहा, जहां तक बिजली का सवाल है, मैं कह चुका हूं मंत्रीजी ने किसान के बारे में क्या कहा। आज जो इन्होंने कहा उससे ज्यादा बदतर स्थिति है। भाभड़ा जी कहते हैं— जहां तक बिजली का सवाल है, मैं समझता हूं बिजली के मामले में तो हालत यह है कि राजस्थान में जो उद्योग लगे हुए हैं इनमें पिछले पांच साल में आपने 40 पर्सेण्ट 60 पर्सेंट और 80 पर्सेण्ट बिजली की कटौती कर दी I pause here for a moment. भाभड़ाजी का अचीवमेंट है इनके काल में इससे ज्यादा कटौती हुई है।

आप बैंगलोर जाकर भाषण देते हैं राजस्थान में उद्योग लगाओ। लीडिंग इकानोमिक न्यूज पेपर में वह छपता है और साइड में छपता है राजस्थान में कम्पलीट पावर कट, ग्रेडेड पावर कट,

(श्री जगदीप धनखड़)

क्या इस स्थिति को बदल पायेंगे ? आज यह कहते हैं, केवल आपने लाइसेंस की संख्या दे दी है कि हमने इतने लाइसेंस दे दिये। लाइसेंस देने से न तो उद्योग बनते हैं। उनको बिजली नहीं दे सकते, पानी की व्यवस्था नहीं कर सकते उद्योग लगाने के लिये जो सुविधाएं उनको तुरत-फुरत मिलनी चाहिये, वह आपका प्रशासन नहीं दे सकता। अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने एक नयी योजना चालू की कि जब वह उद्योग लगायेंगे, उस स्टेज में पहुंचेंगे, उद्योग चालू होने की स्थिति में आएगा तब तक हमारे श्री कौशल साहब जो बड़े प्लान कर रहे हैं, एम्बीशियस प्लान हैं, प्रोजेक्ट हैं, डीजल जनरेशन का जो मेकेनिज्म है, उससे कहीं न कहीं बिजली हमको मिल जाएगी। सदस्य की हैसियत से, जिम्मेदारी से वह कह रहे थे कि तुरत-फुरत में मिलना चाहिये, नहीं हो पाया।

आगे कहते हैं, मैं कुछ स्कीम करके कहता हूं राजस्थान में छठी पंचवर्षीय योजना पूरी होने तक 4500 मेगावाट बिजली पैदा हो जानी चाहिये थी, आप बताइये। हमसे पूछते थे इधर जो बैठते थे। आज वह उधर बैठे हैं। आप बताइये, इसमें कहीं नहीं लिखा है कि कितने मेगावाट बिजली उत्पादित कर रहे हैं। यह छठी पंचवर्षीय योजना का टार्गेट था, जो पूरा ही हो जाना चाहिये था मगर इसका कहीं उल्लेख नहीं है। इसके विपरीत आपकी कोटा की जो अणु इकाई है वह कितना परेशान करती है। वे जब कह रहे हैं कि अरबों रुपयों का घाटा हो चुका है, मंत्री महोदय आप मुझे यह बताइये कि जो कोटा की इकाई है....

श्री रघुवीर सिंह कौशल : अणु इकाई क्या ?

श्री जगदीप धनखड़ : अणु इकाई ज्यादा परेशान कर रही है। आप चाहे बन्द को परेशान नहीं मानते हैं यह बहुत अच्छी बात है।

श्री परसराम मदेरणा : क्या बन्द हो गयी ?

श्री रघुवीर सिंह कौशल : बन्द हो गयी।

श्री परसराम मदेरणा : दोनों ही बन्द हो गयी क्या ? 'जहां-जहां पांव पडे सन्तन के वहीं-वहीं बंटाधार।'

श्री रघुवीर सिंह कौशल : वह तो मेरे आने से पहले ही बन्द हो गयी थी।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैंने आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित किया कि हमारे ऊर्जा मंत्रीजी विधान सभा के साधारण सदस्य थे तब उनको किसानों के दुःख की कितनी चिन्ता थी और अब इस कुर्सी पर बैठने के बाद किसानों को दुःखी कर दिया। कहां लाइन में खड़े रहे, लाइन बहुत लम्बी रहेगी पर मैं आपके ऊपर छतरी कर देता हूं, बिजली नहीं दूंगा। हमारे उद्योग मंत्री जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, 1995 में कह रहे थे....

श्री परसराम मदेरणा : उस समय इन्होंने बडे जोर से कहा था कृषि के लिए बीज खाद का समय पर वितरण, नियमित और

(श्री परसराम मदेरणा)

पर्याप्त बिजली। यह सब बातें मैं उस दिन सुन रहा था। आपका भाषण। आप कम से कम 50 मिनट या एक घण्टा बोले होंगे। मैंने यह सोचा था कि साफा बांधने वाले गांव के आदमी हैं और यहां पर किसानों के लिए खड़े हैं इतनी जोर से वकालत कर रहे हैं, तो यह रीयल में किसान हैं। उसके बाद में तो आप अबाउट टर्न ही हो गये दिखते हैं।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय, बिजली विभाग में किसान के प्रतिनिधि के नाते ही काम कर रहा हू और अभी आपको बताऊंगा कि किसानों के हित में क्या काम किया हैं।

श्री माधवसिंह दीवान (मोजत) : आप तो नहरी क्षेत्र के किसान हैं, नहरों से पानी आ जाता है और खेती हो जाती है। आपको इससे क्या लेना-देना है।

श्री परसराम मदेरणा : इलैक्ट्रिसिटी एक्ट, 1948 के अन्दर बोर्ड का जो कांस्टीट्यूशन है उसमें आप किसानों का प्रतिनिधि रख सकते हैं। आप उसमें मैम्बर है नहीं। या तो आप इसके चेयरमैन बन जाइये या रखिये किसानों का कोई मैम्बर।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : किस में ?

श्री परसराम मदेरणा : बोर्ड के अन्दर सब के सब सैक्रेटरीज हैं बोर्ड के अन्दर किसानों का क्या कोई प्रतिनिधि है ?

श्री रघुवीरसिंह कौशल : दो एम. एल. ए. हैं किसानों के। एडवाइजरी बोर्ड में एक माननीय श्री भंवर सिंह चौधरी....

श्री परसराम मदेरणा : एडवाजरी बोर्ड का क्या मतलब हुआ ? आपने जगह-जगह रीजनल और डिविजनल बना रखें हैं, उसमें हमको भी बुला लेते हैं, यह क्या मतलब हुआ ?

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि कोटा की जो अन्य इकाइयां हैं वह कितनी परेशान करती है। अरबों रुपयों का घाटा है और अब वह बन्द हो गयी है। तो जो वे कल्पना कर रहे थे 1985 में कि औद्योगिक विकास के लिए क्या जरूरी है कि तुरत-फुरत में बिजली मिले। अब यहां खड़े होकर कहते हैं कि हम योजना बना रहे हैं, 4-5 साल में बिजली आ जाएगी। आपकी तो तब तक छुट्टी हो जाएगी और किसानों को कहां मिलेगा ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता जो 5 जुलाई, 1985 को माननीय भैरोंसिहजी शेखावत प्रतिपक्ष के नेता थे। उन्होंने 5 जुलाई, 1985 को प्रतिपक्ष के नेता की हैसियत से कहा था कि "मैं सन्दर्भ में निवेदन करना चाहता हूं कि कपूरड़ी में जिस प्रकार का लिग्नाइट मिला है, सब प्रकार की स्टडी करने के बाद हम एक हजार मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट लगा सकते हैं लेकिन भारत सरकार का इन्तजार किया। कपूरड़ी की हालत बताते-बताते आगे कहते हैं कि आप प्राइवेट

(श्री जगदीप धनखड़)

सेक्टर के अन्दर पावर जनरेशन के मामले के अन्दर कपूरड़ी का इन्तजाम करें। क्या हुआ ? आप 1990 के अन्दर मुख्य मंत्री थे। अब आपका स्टेटमेंट है. जिसको पढने का मुझे लाभ मिला और जिसमें आप कह रहे हैं कि आप मेरे चक्कर में आ गये। मैं कहता हूं कि अब तक तो कुछ हुआ नहीं है। माननीय मंत्रीजी I appreciate कि जो मैकेनिज्म डबलप किया है वह ट्रांसपरेंट होना चाहिये उसमें कुछ ज्यादा समय लग सकता है पर 1990 से लेकर आज तक क्या कर रहे थे ?

श्री रघुवीरसिंह कौशल : बीच में राज्यपाल का शासन आ गया था, डिस्टर्बेंस हो गया था।

श्री जगदीप धनखड़ : यह बहुत सही बात कही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 23 मार्च, 1990 को माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा, आपने कोई योजनाएं ही नहीं बनायी अगर आप योजना बना कर भेजते तो वर्ल्ड बैंक से इतना पैसा ले लेते, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से ले लेते। आपने राजस्थान का बहुत अहित किया है। फिर उन्होंने एक बात कही कि अब तक किया सो किया मैं चार महीने के अन्दर योजना बना कर भेज दूंगा वर्ल्ड बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कि किसी प्रकार का कोई, संकट नहीं रहेगा। क्या राष्ट्रपति शासन चार महीने में ही आ गया था ? एक बात उन्होंने और कही है 23 मार्च, 1990 को। कहने का मतलब, क्या वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व राजस्थान के भयंकर ऊर्जा, संकट को खतम करने की हालत में हैं ? नहीं है।

मान्यवर, अब इनका मैं एक रेफरेंस करता हूं ड्राफ्ट एनुअल प्लान 1995-96, अब आप इसमें टार्गेट देखिये। टार्गेट क्या हैं ? यह जितना अचीवमेंट करना चाहते हैं, पैरा 6.4 में लिखा है कि Thus the total installed shared and allocated capacity to Rajasthan at the end of March, 1995 would be 3605.66 MW. यह आपने कहा है। आपने आगे पैरा 6.8 में कहा है--Thus the anticipated installed capacity at the end of March, 1996 will be 3614.30 MW.

कितना एड करेंगे मंत्रीजी ? साधारण अर्थमैटिक 10 मेगावाट के आसपास आप एड करेंगे। आपका अचीवमेंट इतना डिसमल है, इतना पेनफुल है, इतना चिन्ता का विषय है, तो आपकी इस बात पर कैसे विश्वास किया जाए कि आप चार हजार से ज्यादा मेगावाट आने वाले कुछ वर्षों में जनरेट करने की हैसियत में आ जाएंगे। मुझे तो लगता है माननीय मंत्रीजी, आपको भी सही अन्दाजा नहीं है कि हम किस प्रकार के संकट में हैं।

एक बात कही गयी कि किसान हैं और कहते है कि ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर चोरी होती है और उस चोरी को हम रोक नहीं पाते हैं। मान्यवर, सी. ए. जी. की रिपोर्ट है For the year ended 31st March, 1994 यह मुझे उम्मीद थी कि ज्यों ही मैं सी. ए. जी. रिपोर्ट की बात करूंगा तो श्री चतुर्वेदी जी समय का ध्यान दिला देंगे।....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : समय का ध्यान तो हर समय रखना चाहिये ।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, अप्रेल, 1991 में सी. ए. डी. रिपोर्ट में पेज 112, अप्रेल, 1991 के अन्दर एक चैक हुई, उस समय आप सरकार में थे, उसमें लिखा है—A check April, 1991 of the metre in the premises of H. T. Consumer at Chittorgarh revealed its tempering so as to stop its running.

मीटर को रोकने के लिए उन्होंने कोई षड-यंत्र किया, उसकी आपने चैकिंग की । आप सत्ता में थे, चैकिंग के अन्दर आपने दोषी पाया और आपने पैनल्टी लगा दी । इसमें सी. ए. जी. का कमेंट्स यह है Scrutiny by audit June, 1994. क्योंकि सी. ए. जी. के आंखों से बचना बड़ा मुश्किल है— revealed that this consumer had even earlier deen found, in November, 1989 committing theft of power.

पहले भी इस कंज्यूमर ने बिजली चोरी की थी और यदि उस बात को दृष्टिगत रखा जाता है तो जो भी....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : 191 में हुआ तो हमने चैकिंग करके पकड़ लिया । 1980 से 1990 के बीच में भी कुछ चैकिंग की जा सकती थी ।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने नहीं किया तो हम भुगत रहे हैं , क्या आप भी भुगतने की तैयारी कर रहे हैं ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह क्या मतलब हुआ ?

श्री राजेन्द्र पारीक : आप तो अच्छे काम करें । हमने गुनाह किया उसको तो भुगत रहे हैं, आज इधर बैठे हैं ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : हमने तो पकड़ कर उस पर पैनल्टी लगा दी थी ।

श्री राजेन्द्र पारीक : आप तो बढ़िया काम करो ।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी गम्भीर नहीं है । नवम्बर, 1989 में थी, वह पकड़ा गया था और पकड़ने के बाद कार्यवाही की गयी थी । अप्रेल, 1991 में भी पकड़ा । आप थे तब भी पकड़ा गया और जब कांग्रेस शासन में थी तब भी पकड़ा गया । शायद आपने ध्यान से सुना नहीं । पर आपके समय में जब पकड़ा गया तो उसको बचाने की नियत से आपने नवम्बर, 1989 वाली घटना को ढक लिया और आपने उस पर 5-6 लाख की ...पीनल प्रोविजन एप्लाई कर दिया । उसके बाद सी. ए. जी. ने.... देखिये, मैं खुद कुछ नहीं बोल रहा हूं । मैं अपने भाषण में आपके डाक्यूमेंट को ही अलाइव करूंगा । आपने आगे यह लिखा है, देखिये, कंक्ल्यूजन देखिये....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : 1990 में तो पैनल्टी लगा दी थी । 1989 में क्या किया था ? वह जवाब दीजिये ।

श्री जगदीप धनखड़ : 1989 में चोरी की थी उसने ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : वह पढ़ दीजिये ।

श्री जगदीप धनखड़ : मैं पढ़ता हूं, आप बिलकुल संतुष्ट हो जाएंगे । थोड़ा सा पेसेंस रखिये ।...

Therefore the amount of compensation leviable should have been doubled the normal rate as per the Board's circular of february, 1991 referred to above. But the fact regarding theft having been committed earolier was not in the notice of the concerned division at the time of compounding the case and the levying of compensation which led to this omission and resulted in a loss of 5.25 lakhs Tne aforesaid cases were brought to the notice of the Government both during May-July, 1994. The reply had not yet been received by December, 1994.

यह एक ही नहीं है, मान्यवर, मैं ज्यादा समय इस सी. ए. जी. रिपोर्ट पर नहीं लूंगा, पर सी. ए. जी. रिपोर्ट में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण संकेत मिलते हैं, जिनसे जाहिर है कि The board is not being run properly. ऐसी स्थिति में माननीय मंत्रीजी हमें उम्मीद थी कि....

श्री अध्यक्ष : माननीय समाप्त करें ।

श्री जगदीप धनखड़ : आप इसकी रिआर्गेनाइजेशन का सोच सकते हैं । आप इस प्रकार की व्यवस्था कीजिये कि कम से कम बोर्ड उन कार्यों को सफलतापूर्वक कर सके जिनके लिए बोर्ड बना है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय समाप्त करें ।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय, मैंने एक संकल्प दिया था जिसकी सूचना मुझे देर रात मिली है । मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इसमें लिखा है कि आज को डिबेट के दौरान उस पर भी आप बोल सकेंगे । मैंने यह मामला काफी लम्बे समय से उठाया है । गांव का आदमी, किसान आदमी, उसको आप एक ऐसा उपभोक्ता क्यों मानते हैं जो कहते हैं सैकण्ड रेट्स सिटीजन है । उसको सैकण्ड रेट्स कंजूमर आप क्यों मानते हैं ? यदि गांव के अन्दर कोई घरेलू उपभोक्ता है, उसको आप इतनी बिजली नहीं देते हैं, जितनी शहर में देते हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जो से पूछना चाहता हूं कि आप भारत के संविधान की श्रेष्ठ धारा, राइट टू इक्वल, क्या यह उसका वायलेशन नहीं है । यदि आपके पास बिजली कम है, जयपुर में भी कम दीजिये, गांव में भी कम दीजिये । पर आप पाएंगे, माननीय मंत्रीजी, आपका शहर में कोई मकान है वहां पर आप बिजली का कनेक्शन लेंगे. आपको बिजली ज्यादा मिलेगी पर यदि गांव में आप मकान लेते हैं, तो वही कानून है. वही कौशलजी है, वही बिजली विभाग है । आप तो ज्यादा शहर में मांग भी नहीं करते । ऐसी परिस्थिति के अन्दर हमें इस प्रकार की इंफीरियर्टी काम्पलेक्स में क्यों डाला जा

(श्री जगदीप धनखड़)

रहा है कि मात्र हम गांव के अन्दर बिजली का कनेक्शन लेते हैं तो कहते हैं कि आपको बिजली कम मिलेगी। यदि आपके पास बिजली कम है तो यूनिफार्म कर दीजिये। शहरों को आप इतना प्रिविलेज सिच्यूएशन मत दीजिये कि शहर में रहने वाला कोई आदमी है, आप कह दो कि वह सुपीरियर स्टेट्स वाला कंजूमर है, इसके लिए आपको एक कठोर निर्णय लेना होगा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : कोई भी निर्णय ले लें, कोटा को तो बिजली देनी पड़ेगी, कोटा बिजली पैदा करता है।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।

श्री जगदीप धनखड़ : दूसरी बात मैं कहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो गांव के आदमी को आप इंफीरियर स्टेट्स दे दिया, उसको एक ऐसा कंजूमर कर दिया जिसको कहते हैं, मैं समझता हूं कि अण्डर आवर कांस्टीट्यूशन ऐम्ब्रेसिंग सिच्यूएशन, सदन के लिए हो ही नहीं सकती इसलिए मंत्रीजी कठोर निर्णय लीजिए, डोमेस्टिक कंजूमर के मामले में बराबरी का, समानता का व्यवहार कीजिये, क्योंकि गांव के अन्दर जब बिजली को आप कम देते हैं तो गांव के बच्चे जो पढ़ते हैं, वे शहर में आते हैं। आज के दिन गांव के अन्दर वे लोग अफोर्ड कर सकते है।

मान्यवर, मेरा दूसरा निवेदन है, वही मेरा जो संकल्प था। आप आज के दिन उद्योग लगा लो. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिजली मिल जाएगी। किसान को क्यों नहीं, मिल पाती किसान के लिए आप ऐसे टारगेट क्यों रखते है कि 20 हजार कुओं को ही कनेक्शन देंगे। यदि गांव-ढाणी मिला लेते है तो करीब 80 हजार हो जाते है। क्या यह मान लें कि दो-ढाई ढाणी के गांव के ऊपर एक बिजली का कनेक्शन मिलेगा, एक कुए के ऊपर ? ऐसी परिस्थिति में. मान्यवर, यह डिमाण्ड और सप्लाई वाली बात को रखिये। जब किसान लाइन में खड़े हैं, बिजली लेना चाहते हैं तो आप इस प्रकार की व्यवस्था क्यों कर रहे हैं कि आपने कोटा सिस्टम जारी कर दिया, वह कोटा आपने क्यों कर दिया - उसमें किसान की आवश्यकता को आपने दृष्टिगत नहीं रखा है। उसमें किसान की परेशानी को तो आपने नहीं देखा है। यह कहना तो बहुत अच्छी बात है कि हमारी 70 प्रतिशत जनसंख्या गावों में रहती है, हमारी जनसंख्या कृषि पर आधारित है, यदि आप किसान को बिजली देंगे तो एक आर्थिक क्रांति ग्रामीण क्षेत्रों में आएगी। आज के दिन किसान कहां सोच सकता है ? वरना वरिष्ठ सदस्य श्री पूनमचन्दजी ने कहा था कि टमाटर का उत्पान हुआ, उसकी क्या दुर्दशा हुई। यदि आप बिजली की जितनी आवश्यकता है, किसान को उतनी ही बिजली देंगे, कहीं से भी दीजिये, उसकी व्यवस्था कीजिये, आप इसको प्राइवेट सेक्टर में दीजिये, इसको आप डिमांण्ड एण्ड सप्लाई के कसेप्ट से जोड़िये, इसको आप अपने फीगर जो आपके अधिकारियों ने तैयार किये हैं, उन पर मत छोड़िये। मैं आपको

(श्री जगदीप धनखड़)

इसलिए कहता हूं कि मेरे को एक उम्मीद की किरण दिखायी देती है। आपने शायद गत सप्ताह या 10-5 दिन पहले भी यहां घोषणा की है, उसमें कुछ इरिटेंट्स को आपने हटाया है, उनके हटाने से हमें उम्मीद बनी है। एक तो आप कठोर निर्णय लीजिये और कहिये कि राजस्थान के अन्दर यदि 2 लाख की पेंडेंसी है तो कहिये कि इस बेकलॉग को 2 साल में क्लियर करेंगे, तब तो लगेगा कि कौशलजी जैसे आदमी ने अपना कौशल दिखाया है। वरना हरी और शंकर को हम याद करते रहेंगे, शेखावत साहब राज करते रहेंगे।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री) : हरिशंकर को याद करोगे तो कल्याण होगा। स्वर्ग की प्राप्ति होगी,.... ये स्वर्ग में तो जाना ही नहीं चाहते।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि डरने से काम नहीं चलेगा। मुख्य मंत्रीजी है नहीं, मुख्य मंत्री जी को डर लगता है, उनको लगता तो है कि 20 हजार करोड़ रुपये आ जाएंगे, 4 हजार से ज्यादा मेगावाट जनरेशन की स्कीम बना लूंगा, कहां से बना लोगे? आपको डर ही इतना लगता है कि निर्णय करूंगा तो पता नहीं मेरे ऊपर क्या लांछन लगेगा, कभी इंफोरमल कमेटी बनाते हैं, सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों की कमेटी क्यों नहीं बनायी? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मैं बिलकुल स्पष्ट कहता हूं-Don't create extra lagel mechanism. आपके वरिष्ठ अनुभवी मंत्री हरिशंकर भाभड़ा जिनसे मेरे मतभेद चर्चित हैं, पर मैंने कहीं भी यह नहीं कहा कि He is not a competent man. He is a very competent man. पावर जनरेशन को आपने आश्वासित किया है, आगे की पहली श्रेणी में आप बैठे है। किसको किया है, कुछ नहीं किया है। आप बाहर के लोगों पर डिपेंड करके एक्स्ट्रा लीगल मेकेनिज्म से सरकार कोई ऐसे चलती हैं, यह किसी की बेटी का ब्याह नहीं है, किसी के घर में आयोजन नहीं है, We are accountable to the State of Rajasthan.

आज से 10 साल बाद यह देखा जाएगा कि ये वरिष्ठ मंत्री चुप क्यों रहे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि हम मानते हैं, सदन मानता है, इनकी काम्पीटेंस पर कोई कमी किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करता, राजनीतिक मतभेद होने के कारण हम कुछ बातें कह देते हैं। why are we not utilising them?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझको कई बार बड़ा डर लगता है कि राजस्थान को नगर पालिका की तरह चलाया जा रहा है। कई बातें हमसे भी की जाती हैं कि फलानां आदमी आ गया, वह इतने करोड़ रुपये लगाना चाहता है, His timing is running out.

आप मेकेनिज्म से बात कीजिये, सिस्टम से बात कीजिये तो कोई बात होगी। वरना

(श्री जगदीप धनखड़)

नहीं होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिना ज्यादा समय लिये हुए और सदन की भावना को समझते हुए और शेक्सपीयर को याद करते हुए, Brevity is the soul of wit.

मैं यह कहते हुए कन्क्लयूड करूंगा कि सरकार टेलेंट है, एक्सपीरियंस है वरिष्ठ मंत्री हैं और मुझे कहते हुए कोई हिचकिचाहट नहीं है, मेरे कई मित्रों ने मेरे से बातचीत की है कि आपके इण्स्ट्रीज मंत्री आए थे, हमारा मन करता है कि राजस्थान में उद्योग लगा दें। मैंने उनसे कहा साफ कि आप उद्योग तो लगा देंगे पर हमें आज ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो पावर, कृषि और इण्डस्ट्री, तीनों को ऐसी एक कमेटी बने, तब तो कहीं जाकर कल्याण होगा। वरना हरिशकर जी आप कल्याण की बात करते रहोगे, राजस्थान अंधकार में डूबता जाएगा, आप अपनी छुट्टी यहां से करा लोगे। परेशानी उनको होगी जो हमारी पीढ़ी के लोग हैं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आपका कल्याण होगा, हमारी छुट्टी होगी तो।

श्री जगदीप धनखड़ : राजस्थान की जनता का बुरा हाल होगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे सकल्प का निर्णय इस प्रकार से कर दिया। मैंने किसान और गांव वाली बात कही है, उसको माननीय मंत्रीजी ध्यान रखेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवकिशोरजी। (अनुपस्थित) श्री अर्जुनदासजी मदान। (अनुपस्थित) श्री वी. पी. सिंह जी। .... (व्यवधान)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, ऐसा है. समय काफी हो गया है इसलिए स्पीचों पर लिमिट डाल दीजिये कि 10 मिनट में वह बतायें हरेक व्यक्ति अपनी बात कह सके। अपनी समस्याएं हैं वह बतायें।

श्री अध्यक्ष : प्रथम वक्ता को ज्यादा समय दिया जाता है और अब वक्ता 10 मिनट में अपनी बात कहेंगे, 10 मिनट में।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, इनके पास अथोरिटी है, इनके पास इंटरनेशनल ज्ञान है।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बिलकुल अनजस्टिस है कि पहले तो ...

श्री अध्यक्ष : मैं आपको थोड़ा-सा टोकना तो नहीं चाहता पर, इनजस्टिस कह देंगे तो ठीक रहेगा, अनजस्टिज तो मामला अलग हो जाएगा, इनजस्टिस....

श्री विष्णु मोदी : एक तो पावर की डिबेट हमेशा लास्ट ऑफ दी सैशन होती है और उसके बाद पहले कोई बोले, उसके बाद रश-थ्रू शुरू होता हैं। अगर किसी को सुनना है तो बैठे, नहीं सुनना तो जायें। लेकिन कम से कम आप अनजस्टिस नहीं करें, जिसको जो बोलना है .. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं आपको थोड़ा कह रहा हूं, इनजस्टिस कहिये उसको, अनजस्टिस नहीं, उसको इनजस्टिस ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : वी. पी. सिंह जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : हरिसिंह जी आपके साथ हैं ।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) : अध्यक्ष महोदय, आर. एस. ई. बी. पर विचार चल रहा है और मैं ज्यादा नहीं बोलकर मेरे कुछ सुझाव ही यहां आपके माध्यम से हाउस के सामने रखना चाहता हूं । समस्या बहुत गम्भीर है । प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने तो वह बात कह दी कि अगर आप जनरेशन नहीं करना चाहते हैं तो मोमबत्ती की एक इण्डस्ट्री लगा दो । यह दो बहुत हद की बात कर दी हैं, बहुत ज्यादा बात कह दी हैं । पर समस्या का भी है और मेरा यही निवेदन है कि आज कोई भी आप पावर प्लांट लगाने जायं, तो आज जैस्टेशन पीरियड है वह 6 साल का हैं । कम से कम कर दो तो 54 मंथ्स । और साइन करने के लिए ग्लोबल टेंडर्स और दूसरे को साइन करने के लिए आप जायं तो साल, डेढ़ साल या दो साल लग जायेंगे....

श्री परसराम मदेरणा : आन एक पाइंट आफ पर्सनल क्लैरीफिकेशन सर, माननीय सदस्य ने मोमबत्ती वाली बात कही । मैंने तो कोई मोमबत्ती की बात ही नहीं कही....

एक माननीय सदस्य : चन्दनमल जी ने कही थी ।

श्री परसराम मदेरणा : आपने प्रतिपक्ष के नेता की बात कही तो वह एक ही है । आपने नाम तो ले लिया मेरा....

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : प्रतिपक्ष के एक नेता ने कहा । वह भी नेता ही हैं प्रतिपक्ष के पर आप यहां सदन के प्रतिपक्ष के नेता हैं ।

मेरा निवेदन है कि डेढ़ साल पहले भी मैंने दो तीन सुझाव दिये और उस पर अगर हम कुछ विचार करते और उस बात को आगे बढ़ाते तो आज इसके समाधान पर काफी प्रगति कर पाते । क्योंकि जैसा मैंने अभी निवेदन किया कि कोई भी पावर प्लांट हमारे यहां पर एक तो एटोमिक नहीं लग सकता जब तक एन. पी. टी. साइन नहीं करें । मैं उस पर नहीं जाऊंगा कि एन. पी. टी. साइन करना चाहिये या नहीं करना चाहिये । हमारे यहां पर फिर पानी इतना हैं नहीं कि हाइडल पावर स्टेशन हम लगा दें । हम दूसरी स्टेट्स पर भी निर्भर नहीं कर सकते कि हम वहां जाकर लगा दें और वह हमारे ऊपर मेहरबानी करके बिजली पहुंचाने लगेंगे । वह भी नहीं हो सकता । वह एक नेशनल बात है । वह मैं आज यहां पर डिस्कस नहीं करूंगा । हमारे यहां पर खाली दो बातें रह गयी हैं । एक तो लो स्पीड और सस्ता डीजल आता है । डीजल पर आधारित जनरेटिंग सेट्स से उत्पादन करें और दूसरे हम लिग्नाइट पर, जो हमारे घर की खेती है उस पर हम आधारित उत्पादन करें जिसमें हम थर्मल लिग्नाइट पावरराइट पावर स्टेशन लगाने की बात हमने रखी हैं ।

Page No. 236

(236)

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

मेरा निवेदन है कि हमने ग्लोबल टेन्डर्स और एक तो बीकानेर के लिए बरसिंघसर और उसके आस-पास जितना भी लिग्नाइट है और एक बाड़मेर के अन्दर दोनों हमने फ्लोट कर रखें हैं। समय लगता है और उसमें बहुत देरी हुई है। डेढ़ साल लग गया पी. पी. ए. साइन अभी तक नहीं हुआ। पर ट्रांसपेरेंसी का ध्यान रखते हुए समय लग रहा है। उस पर भी मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा पर आज हमारे पास आने वाला क्या है। खाली सूरतगढ़ और कुछ नहीं। और जब हम ग्लोबल साइन भी कर देंगे तो 5 साल और लग जायेंगे। यह भी सही बात है। हाउस से कुछ छिपाने की बात नहीं है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि डेढ़ साल पहले भी मैंने निवेदन किया था कि इस टाइम को शार्ट करने के लिए, एक बात।

दूसरे हम जो आज एनरोन की बात ऐसी चल रही है जो मध्य महाराष्ट्र के अन्दर लगायी थी डबोल के अन्दर उस पर भी वह कर रहे हैं। काम शुरू होने से पहले जो नयी सरकार आ गयी वह कह रही है कि हमें इसको आगे रिव्यू करना चाहिये और वह एक मेगावाट पर 4 करोड़ रुपये लग रहे हैं। 4 करोड़ रुपया प्रति मेगावाट जनरेशन कास्ट आ रही है और पर यूनिट कास्ट 4 रुपये आयेगी साढ़े चार रुपये आयेगी। जब बनेगा जब आने लगेगी तब बात होगी। मेरा एक ही निवेदन था, उस समय भी था और आज फिर कहता हू कि पावर फाइनेंस कारपोरेशन आज भी रेनोवेशन के लिए पैसा देता है कि जो पुराने पावर प्लांट हैं उनको हम रेनोवेट करके हम लगायें।

मैंने उस समय भी निवेदन किया था कि ग्लोबल टैन्डर्स की जब बात कही थी उसमें एक क्लाज और लगा देते कि हम सेंकिण्ड हैंड सेट्स भी लगाने के लिए तैयार होंगे और अगर आप यह क्लाज लगा देते तो जितनी कटेंडिंग कन्ट्रीज जो आज अब कन्ट्रीज कटेंडिंग नहीं रहीं रहीं, जैसे पोलेण्ड है चेकोस्लोवाकिया हैं, ईस्ट जर्मनी है, वहां पर ज्यादा बिजली थी और वहां पर पावर प्लांट्स पड़े हुए हैं, बेकार पड़े हुए हैं उनको वहां से लाकर और रेनोवेट करके यहां लगाने पर विचार करें आप तो एक मेगावाट पर 4 करोड़ रुपये और वह जो पुराने पावर प्लांटस हैं, आज पी. एफ. सी. देता रेनोवेशन के लिए पैसा उसको अगर हम प्राइवेट सैक्टर में देकर करते तो एक मेगावाट पर 4 करोड़ की जगह, मैंने जाकर जानकारी की है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं कहूंगा, यह मेरे पास है प्रीसुअल इलैक्ट्रा का 3 सेट्स हैं 30 करोड़ में 125 मेगावाट का मिल रहा है। हां। और उसके साथ में ही आपको वहां से लेकर यहा लगाना है। टाइम की बचत हो जाएगी।

दो साल के अन्दर वहां से हटाकर यहां लगाना है और हम टर्न की जाब दे सकते हैं और वह लौड फैक्टर को भी एश्योर करेगा। आपकी जनरेशन कास्ट भी कम आएगी। अगर 4 करोड़ रुपया प्रति मेगावाट आएगा तो 4 रुपया पर यूनिट कास्ट आएगी और यह 20 करोड़ के अन्दर उसको रेनोवेट करके अगर अच्छी

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

कम्पनी को टर्नकी जाब देते हैं जैसे सीमेंस है इलेक्ट्राट्स है, दूसरी हैं, तो आपको कास्टिंग भी कम आएगी। मैं तो यह भी निवेदन करता हूं कि इस स्कीयर के अन्दर इतनी तरक्की हो रही है और उससे 10 साल के अन्दर अगर हम एन. पी. टी. साइन कर देते हैं और हम को मजबूर कर देते हैं तो यह सब ओब्सोलीट हो जाएगा। कोई लिग्नाइट पर आधारित पावर प्लांट ही नहीं लगाएगा और इसको जैसे वहां पर ईस्ट जर्मनी में और दूसरी जगह पर बिलकुल छोड़ दिया है। वही स्थिति यहां भी आ जाएगी ....

श्री जुबेर खान : माननीय अध्यक्ष महोदय, ईस्ट जर्मनी तो अब है ही नहीं।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : इतनी अक्ल आप हमें सिखा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : भारत में पूर्व और पश्चिमी भारत नहीं है क्या? तो फिर जर्मनी में पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी क्यों नहीं हो सकता ?

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : आज जर्मनी एक हो गया है। सही बात कह रहे हैं। पर इतनी अक्लमंदी बताने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं निवेदन कर रहा था कि एक तो पेपर कटिंग की बात में सामने रखना चाहता हूं। एम. ओ. यू. फोर पावर प्लांट माडर्नाइजेशन इसकी दो लाइन पढ़कर सुना दूं :—

"Mr. Nitham ,however, said, the process of investment is yet to be worked out as it is a new concept which is to be tried out in India so far only a few renovations have been made in the country employing funds from the power Finance Corproation, Attempts in this direction have been few and painfully slow.

अच्छा यह क्यों हुआ। महाराष्ट्र, हरियाणा और यह क्यों सैकिण्ड हैंड पावर प्लांट लगाना चाहते हैं? ज्यादा कहना ठीक नहीं। इसमें पैसा कम है और कोई भी अगर लगाये तो नीचे से पैसा मिलता है वह नहीं मिलेगा। पर राजस्थान में ऐसी बात नहीं है। मैं तो तारीफ करता हूं हमारे सैक्रेटरी साहब की और चेयरमैन साहब की कि इन्होंने पहल की है। इस पर भी विचार करें। मैं किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं। मैं तो शार्टकट रास्ता बताने के लिए खड़ा हुआ हूं। ठीक, दो साल के अन्दर जस्टेशन पीरियड कम कर रहें हैं। पर यूनिट कास्ट कम आ रही है और दो साल में लग जाएगा, सैकण्ड हैंड चैक अगर वह दस साल तक चला, ठीक है 25 साल का जो टाइम फ्रेम होता है वह इसमें नहीं है। एक थर्मल पावर प्लांट की लाइफ होती है 25-30 साल और यह सब मेरे पास कोटेशन्स हैं। मैंने प्रसोन इलेक्ट्रा का और इस सम्बन्ध में थोड़ा होमवर्क किया है। इसमें इतना लिखा है कि ईस्ट जर्मनी .. (व्यवधान) कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। मेरा निवेदन है कि इसके अन्दर कितने कोल के स्टार्ट हुए, कितने घण्टे चला है, हण्ड्रेड थाउजेंड आवर्स आपरेशन हुआ है

Page No. 238

238

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

and it is good for another 10 years. अगर आप रेनोवेट करें....

श्री अध्यक्ष : माननीय समाप्त करें।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मेरा सुझाव दूसरा, है कि जो हमने छह जो सौ-सौ मेगावाट के डीजल जेनरेटिंग सैट्स लगाने का विचार रखते हैं भिवाड़ी में जोधपुर में सार्ट आफ केप्टिव पावर प्लांट्स, उनके लिए आप छह जगह जमीन लेंगे, छह जगह सिवल वर्क्स करायेंगे उससे एक ही फायदा होगा कि लाइन लासेंज नहीं होगा, क्योंकि वहीं पर खपत होगी। मेरी यह निवेदन करना है कि आप दो जगह 500-500 के प्लांट्स लगा दें, आपने एक ही जगह लगा दिया तो सिविल वर्क्स, ओवर हैड्स सब कम हो जाएगा, एक ही जगह इन्स्पैक्शन हो जाएगा। यह आप कहेंगे कि लाइन लासेज होगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज बिजली तो सब जगह है और मैं बिजली की भी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वह बिजली महंगी होगी, डीजल जनरेटिंग सैट्स जो करेंगे वह महंगी होगी यह सही बात है। उसकी जो पर यूनिट कास्ट आएगी वह दो रुपये चालीस पैसे से दो रुपये अस्सी पैसे आएगी। अगर आप कह दें कि 100 मेगावाट तो होगा भिवाड़ी के लिए, यह होगा वहां। आप लगा तो सकते हैं कहीं पर भी, यह तो नहीं है कि कोटा की बिजली जैसलमेर नहीं जा रही है, यह तो नहीं कोटा की बिजली बीकानेर नहीं जा रही है। लाइन लासेज तो हो रहे हैं। आप यह कहेंगे बिजली तो है इस इण्डस्ट्रीयल सैक्टर के लिए पर लगा रहे हैं हम दूसरी बिजली का नाम तो होता नहीं है कि वही बिजली वहां जानी चाहिये इसलिए दो जगह आप 500-500 मेगावाट के लगायें, जल्दी लगेंगे और जमीन रोदेंगे नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप तो विचार करें कि इण्डस्ट्रीयल एरिया के अन्दर आप लगा रहे हैं तो इन्वायरनमेंटल क्लीयरेंस कैसे मिलेगी। जब पहले से इतना इन्वायरमेंट प्रदूषित है इसलिए आप ऐसी जगह लगायें कि आपको क्लीयरेंस भी जल्दी मिल जाय और प्रदूषण भी ज्यादा नही हो। इसलिए यही मेरे दो सुझाव हैं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री विष्णु मोदी।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जो बिजली की स्थिति है वह सर्व विदित है। चाहे एनर्जी मिनिस्टरी का सर्वे हुआ हो, चाहे चैम्बर आफ कामर्स का सर्वे हुआ हो और चाहे कोई दूसरा सर्वे हुआ हो राजस्थान के बारे में अनुमान है कि 1995--96 में नादर्न रिजन में अगर सबसे ज्यादा कमी बिजली की होगी, जो 50 पर्सेंट से भी ज्यादा होगी वह राजस्थान में होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1991 में केन्द्र में कांग्रेस की सरकार आयी और मनमोहनसिंह जी जब वित्त मंत्री बने तो उन्होंने जब पूरे नेशनल सीनेरियो को देखा तब उन्होंने एक पहल की, क्योंकि जितने भी एक्सपर्ट्स थे उनकी एक बड़ी रिपोर्ट थी--"एनर्जी पालिसी प्राब्लम्स पर्सपेक्शन एण्ड रिफार्म्स", बाई ज्योती पारीक एण्ड किरट पारीक। उन्होंने सबसे पहले लिखा है—"Power shortage continues in the country. Also given the resource crunch and the need for fiscal discipline, invest-

(श्री विष्णु मोदी)

ment in the power sector is likely to be smaller. This may lead to more serious shortage in future."

उन्होंने कहा कि हम पावर सैक्टर को प्राइवेट सैक्टर में इन्वाइट करते हैं उसके लिए बहुत सारे इन्सेन्टिव्ज वगैरह दिये हैं। उस पर जाने से पहले, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि देश में जितने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैं उनमें से अधिकांश घाटे की ओर जा रहे थे और जो पावर फाइनेंस कारपोरेशन था, क्योंकि पहले सारा जनरेशन स्टेट सैक्टर में होता था। पावर फाइनेंस कारपोरेशन पैसा देता था। कुछ अपने रिसोर्स लगाते थे और बिजली के कारखाने लगाते थे। लेकिन पावर फाइनेंस कारपोरेशन ने एशियन डेवलमेंट बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने और जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थीं, उन्होंने एक शर्त लगाई कि जब तक 3 पर्सेंट रिटर्न किसी स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड का नहीं होगा तब तक हम उनको पैसा नहीं देंगे। वह स्थिति आकर बनी कि हमारे यहां भी एक ग्राइंडिंग हाल्ट हो गया और हम अपने स्टेट सैक्टर में आर. एस. ई. बी. के अन्दर कोई बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाये। लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, उस तीन पर्सेंट रिटर्न पर जाने का न तो सरकार ने, न बोर्ड ने कोई कांक्रीट प्रयास किया। जहां तक राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थिति है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मैं सिर्फ तीन आंकडे आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जब वह अपना जवाब दें, क्योंकि इसमें मैंने बड़ी कोशिश की समझने की, लेकिन वह समझ नहीं आया, तो उस पर भी जरूर प्रकाश डालें। पेज नं. 7, रेवेन्यू बजट 1994-95 में पहले बताया कि रेवेन्यू हमें 1585.54 करोड़ रुपये मिली और रिवाइज्ड एस्टीमेंट्स दिया उसमें बताया कि 1817.40 करोड़ रुपये मिलेगी, अर्थात् रिवाइज्ड एस्टीमेंट्स से हमको 231.85 करोड़ रुपये ज्यादा मिलेंगे। इसके साथ में उन्होंने जो फिगर्स दिये हैं यह बहुत विचारणीय है कि 12,14,500 मिलियन यूनिट का पहले बजट दिया एस्टीमेट था, इतने मिलियन यूनिट हमें मिलेगी। रिवाइज्ड एस्टीमेट दिया उसमें 12,62,000 मिलियन यूनिट की अवेलेबिलिटी बतायी है। इस तरह से रिवाइज्ड एस्टीमेट में 47 करोड़ यूनिट ज्यादा बतायी है और रेवेन्यू बतायी वह उससे 231.86 करोड रुपये बतायी। अगर 47 करोड का 231 करोड में भाग देते हैं, क्योंकि 231 करोड की फिगर इस किताब में है 4 रुपये 85 पैसे यूनिट की दर से अगर हम वसूली करें तो 231 करोड रुपये बनते हैं। मैं यह समझ नहीं पाया कि यह जो किताब हमें भेजते हैं या बनाते हैं तो यह वास्तविक है या वास्तविकता से परे है, काल्पनिक है या आपका कोई स्ट्रिक्ट फाइनेंशियल कंट्रोल या कोई थाट या कोई एस्टीनेशन या कोई प्रोफेशनलिज्म इसमें है या नहीं है? आपने एक एस्टीमेट दिया कि इतने मिलियन यूनिट होंगी, उसके बाद आपने कहा कि 47 करोड़ मिलियन यूनिट हमें ज्यादा मिलेंगी और हमें इतना पैसा मिलेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 1994-95 का जब बजट था तो सब्वर्शन रिक्वायर्ड फ्राम द स्टेट गवर्नमेंट निल था और रिवा-

(श्री विष्णु मोदी)

इज्ड में आपने 521.56 करोड़ रुपये सब्वर्शन दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, किताब पढ़ने से न तो यह समझ में आया कि जितनी यूनिट ज्यादा मिल रही है उससे 231 करोड़ रुपया कैसे मिलेगा ? मैं समझता हूं कि आर. एस.ई. बी. ने कई शार्टकट रास्ते निकाले हैं। जैसे नर्सरी कनेक्शन में बिजली की रेट ज्यादा कर दी, फ्लैट रेट में मेरे एक सवाल का जवाब था जिसके अनुसार फ्लैट रेट के ऊपर पैसा तय कर रखा है और आठ घण्टे बिजली देंगे। आर. एस. ई. बी. ने और खुद मंत्री महोदय ने मंजूर किया है कि हम आठ घंटे तो बिजली नहीं दे पाये लेकिन हमने पांच घंटे बिजली दी है। पांच घंटे बिजली दी, 8 घण्टे की फ्लैट रेट से आपने पैसे लिए। मैंने एक सवाल में यह पूछा कि आप पांच घण्टे बिजली देना जब मन्जूर करते है तो क्या आप उस काश्तकार को पैसा वापस करेंगे ? तो उसका गोलमाल उत्तर है नहीं, पांच घण्टे तो दी है लेकिन वह ऐसी लिमिट होती है कि वह पांच घण्टे से ज्यादा भी ले सकता है ...

श्री रघुवीर सिंह कौशल : पांच घंटे कुछ ही दिनों के लिए दी है।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर कुछ ही दिनों के लिए दी है तो इण्डस्ट्रीज के अन्दर जब आप कट करते हैं.... (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह हिसाब-किताब क्या साइट कर रहे हैं ?

श्री विष्णु मोदी : घनश्याम जी, दो ही मिनट में मैं अपनी बात खतम कर दूंगा।

श्री शांति कुमार धारीवाल : बनिया और हिसाब-किताब की बात नहीं करेगा ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यही मैं कह रहा हूं कि क्या इनसे पूछ रहे हैं फिर ? बनिया जब हिसाब-किताब की बात कर रहा है तो फिर रघुवीर सिंह जी से क्यों पूछ रहा है ?

श्री विष्णु मोदी : मैं हिसाब-किताब की बात सिर्फ इसलिए साइट कर रहा हूं कि अगर हमारा हिसाब-किताब ही सही नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे और माननीय घनश्याम जी तिवाडी बार-बार इस सदन में कहते हैं कि आ रही है, यह आ रही है, यह आ रही है तो सब आती ही रह जाएगी, आएगी नही।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आ रही है वह हमारे पास आयेगी, मतलब किसानों के पास जाएगी, इण्डस्ट्रीज को नहीं जाएगी।

श्री हरिसिंह (महुआ) : घनश्यामजी तो ऐसा कहने वाले को पसन्द ही नहीं करते।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, इण्डस्ट्री पर अगर कोई कट लगता है, पावर कट लगता है तो उसके जो मिनिमम चार्जेज हैं उसके अन्दर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड रिबेट देता है। अगर कुछ ही दिनों को, जो मंत्री महोदय ने मंजूर किया है तो मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि जब 8 घंटे की

(श्री विष्णु मोदी)

फ्लेट रेट के पैसे लगाते हैं और आपने कुछ दिन 5 घण्टे ही बिजली दी है तो आप उनका पैसा वापस करो। एक तो आपके माध्यम से यह निवेदन करना है।

दूसरा, यह पूछना है कि आपका पहले सब्सिडी नहीं था फिर 521 करोड़ रुपये दिया, 231 करोड़ रुपये आपने ज्यादा रेवेन्यू बतायी जबकि यूनिट आपकी 500 मिलियन यूनिट ज्यादा थी और उसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 रुपये 85 पैसे की रेट, मैं समझता हूं कि न आप इण्डस्ट्री से ले रहे हैं, न आप नर्सरी से ले रहे हैं, न आप कामर्शियल से ले रहे हैं न आप और किसी से ले रहे हैं। तो यह हिसाब है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके बाद में चूंकि कुल मिलाकर स्थिति यह है, यह हिसाब-किताब दिखाने के लिए जो मंत्रीजी ने अन-आफिसियली माना भी है कि 16 पर्सेण्ट, 18 पर्सेण्ट, 21 पर्सेण्ट नेशनल एवरेज में जो लाइन लासेज हैं उनको दिखाने के लिए यह इतना बताते हैं और उसका मेकेनिज्म भी बहुत साफ है कि जहां फ्लेट रेट पैसे हैं वहां यह फ्लेट रेट की अवेलेबिलिटी मान लेते हैं कि इतनी बिजली दे दी, उतनी घटा दी लेकिन मेरा आपके माध्यम से निवेदन करना है कि वास्तविकता से आप अगर दूर भागेंगे तो राजस्थान के अन्दर समस्या है उसका हल नहीं कर पायेंगे। आपके लाइन लासेज तो 35 पर्सेण्ट और कहीं-कहीं तो 50 पर्सेण्ट हैं और उसके अन्दर कुल-मिलाकर हाफ हार्टेड एप्रोच है। इन्हीं की किताब में लिखा है-"The following measures are being taken to improve the financial health of the Board .."

उसमें सबसे पहला जो लिखा है—Intensified vigilance/checking to prevent theft of energy."

मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि कि क्या आपके पास यह आंकड़ा है कि आपकी कितनी थैफ्ट होती है, आपने जो इंटेसिफाइड बिजिलेंस की है उसमें आपने कितनी थैफ्ट रोकी है और उससे कितनी रेवेन्यू बढ़ी है? आगे लिखते हैं—"strengthening of sub-transmission system and installation of capaciator banks to reduce T & D losses."

और इन्हीं की किताब से, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो टी. एन. डी. लासेस के लिए कह रहे हैं कि हम सिस्टम इम्प्रूव कर रहे हैं, इस सिस्टम इम्प्रूव करने के लिए पेज 19 पर लिखा है—

"The provision has been enhanced by Rs. 892.89 lacs due to the availability of additional loan from P. F. C. for various transmission schemes, increase in EST works executed as deposit work...."

220 के. वी. लाइन का ओरिजिनल टार्गेट 1994-95 में था 259 किलोमीटर, रिवाइज्ड हुआ 216 किलोमीटर और अचीवमेंट टिल फरवरी, 1995, मैं नहीं जानता कि मार्च में आपने कितना कर

(श्री विष्णु मोदी)

दिया लेकिन आपने 104 किलोमीटर कुल 220 के. वी. लाइन आपने 1994-95 में डाली है। 132 के.वी. लाइन में आपका ओरिजनल टार्गेट था 479 किलोमीटर, रिवाइज्ड टार्गेट आपने किया 473 और, माननीय अध्यक्ष महोदय, अचीवमेंट था 176 किलोमीटर। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जिस स्थिति में आकर खड़ा हो गया है, हमारे चेयरमैन का मैं व्यक्तिशः प्रशंसक हूं लेकिन उन्होंने इस सरकार को भी और पिछली 40 सरकारों को, मतलब पिछले 40 साल में जितनी सरकारें रही हैं उन सबको चार्जशीट कर दिया कि किसी को फुर्सत नहीं है बैलेंसशीट देखने की।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पावर फाइनेंस कारपोरेशन से पैसा नहीं मिलेगा, तीन पर्सेण्ट आपका रिटर्न नहीं होगा, आप बिजली पैदाकर नहीं सकते और जहां तक सवाल है आपके जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स के सम्बन्ध में तो माननीय मंत्रीजी ने कहा था कि हम दो साल के अन्दर बहुत पावर ले आएंगे और दो साल यहां की पावर की पोजिशन सब ठीक हो जाएगी लेकिन सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट स्टेट सैक्टर में है वह सूरतगढ़ फर्स्ट फेज है, सूरतगढ़ फर्स्ट फेज जो जून, 1996 में आना था वह माननीय मंत्री महोदय, अगर आप जून, 1997 तक भी ले आयेंगे तो मैं समझता हूं कि आप राजस्थान का बहुत भला करेंगे लेकिन आलरेडी जो स्लीपेज आफ टाइम है वह आपका 10 महिने हो चुका है, आपको जो आर्डर्स कर देने चाहिये थे वे आर्डर्स आपने अब किये हैं। सैकण्ड फेज, माननीय अध्यक्ष महोदय, सूरतगढ़ का जब एक फेज अगर आपका आ जाता है तो सैकण्ड फेज में आपका कम इन्वेस्टमेंट होता है लेकिन इसमें अभी तक स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में और गवर्नमेंट में यह क्लिएरिटी नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और गवर्नमेंट में भी प्राइवेट सैक्टर के मामले में क्लिएरिटी नहीं है। बोर्ड कुछ सोचता है, गवर्नमेंट कुछ सोचती है और क्लिएरिटी नहीं है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन करना है कि सूरतगढ़ सैकण्ड फेज की आप प्राइवेट सैक्टर की बात छोड़ दें और आप उसको अपने सैक्टर में, पहले आपका कमिटमेंट है उसको लेकर आयें।

दूसरा, आपका प्रोजेक्ट जो आने वाला है माननीय तिवाड़ी साहब, वह है इस रामगढ़ गैस का तीन मेगावाट का वह तो आप अब साल भर बाद में ले आये और वह एक माइलस्टोन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस राजस्थान के साथ जो पिछड़ापन लगा हुआ है, राजस्थान के साथ में जो आर्थिक विषमताएं जुड़ी हुई हैं, वह मेरा यह मानना है कि यह जो गैस जैसलमेर और बाड़मेर के अन्दर है, जो सूची गैस का एक्सटेंशन है पाकिस्तान का जो दुनियां की सबसे बड़ी रिजर्व है, उसका एक्सटेंशन है और यह तीन मेगावाट नहीं है लेकिन यह

(श्री विष्णु मोदी)

आगे आने वाले समय में एक माइलस्टोन साबित होगा। दूसरा 35 मेगावाट का हमारा आ जाना चाहिये था लेकिन 35 मेगावाट के लिए बी. एच. ई. एल. को आपने पैसा नहीं दिया कोटा फिफ्थ जो आपकी यूनिट है आप के जो सिक्रोनाइज करने की बात की, मैं यह तो नहीं कहूंगा कि आपने इस सदन को गुमराह किया लेकिन कोटा फिफ्थ यूनिट को आपने जब सिक्रोनाइज किया तो कोल से नहीं चलाया था आपने इसको डीजल से चलाया था और डीजल से ही आपका जनरेटर या जो भी टेकिनकल पार्ट था, वह आपका जल गया। आपकी जिम्मेदारी नहीं रही होगी, भेल की कांट्रेक्ट में होगी, भेल आपको रिप्लेस कर रहा होगा लेकिन अभी बी. एच. ई. एल. के लोग कुछ दिन पहले आये थे, मुझे भी ईसिडेंटली मिलने का मौका मिल गया। उन्होंने स्लो-डाउन कर दिया। पहले हरियाणा से कोई यूनिट थी वह आपको देने वाले थे लेकिन चूंकि उनके करोड़ों रुपये आप में बाकी है, आप पैसे उनको देने की स्थिति में नहीं हैं और जितने उनको देने चाहिये वह दिये नहीं है इसलिए आपका रामगढ़ का 35 का भी देर से आएगा। उन्होंने स्लो-डाउन कर रखा है। कोटा की जो फिफ्थ यूनिट है जिसको उनको रिपेयर करना था उसको भी उन्होंने स्लो-डाउन कर रखा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि पिछली बार मैंने कहा था कि आपने बाजार से 250 करोड़ रुपये उठाया और आपने कहा कि उन गड्डियों पर यह तो नहीं लिखा हुआ था कि यह यहां खर्च करेंगे या यहां खर्च करेंगे। मैं आपके माध्यम से उनसे स्पष्ट रूप से जानकारी करना चाहता हूं कि आपने 250 करोड़ रुपये जो सूरतगढ़ के लिए लिया उसमें आपने बुकिंग तो कर दी होगी 100-150 करोड़ रुपये की लेकिन आपने एक्चुअल कितना पैसा खर्च किया और बाकी के 250 करोड़ रुपये का आपने क्या किया? माननीय अध्यक्ष महोदय, एक रुमी पिक्चर इस राजस्थान में पेंट जरूर करें, क्योंकि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यहां एप्रोप्रिएशन बिल के वक्त मे माननीय मुख्य मंत्रीजी उस दिन तो यहां तक कह गये....

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : रोजी पिक्चर।

श्री विष्णु मोदी : रोजी पिक्चर, सोरी। मुख्य मंत्री जी ने तो यहां तक कहा कि मुझे कांग्रेस का षड़यंत्र नजर आता है कि इसमें, विनियोजन नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता कि राजस्थान के अन्दर जनरेशन किस-किस साल में कितना कब-कब हुआ, चलिये आप ही ने किया होगा, हमने कुछ नहीं किया लेकिन मैं आपके माध्यम से इस सदन के रिकार्ड के अन्दर दर्ज करना चाहता हूं ताकि पोस्टे-रिटी कम से कम हम इसके लिए नहीं कहूंगी कि जब एक तरफ से चार हजार. साढ़े चार. हजार, बत्तीस सो करोड़ मेगावाट की बिजली उत्पादन की बात हो रही थी तब किसी ने क्यों नहीं कहा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पन्द्रह सो

(श्री विष्णु मोदी)

मेगावाट, जो साढे चार हजार मेगावाट की बात आप करते हैं उसमें पन्द्रह सौ मेगावाट तो कपूरड़ी में है खाली बाड़मेर में पन्द्रह सौ मेगावाट का तो कपूरड़ी में है उसके अन्दर आपको 180 किलोमीटर पानी की लाइन ले जानी पड़ेगी। वह अपने आप में एक प्रोजेक्ट है। आज तक आपके पास एन्वायरनमेंटल क्लीयरेंस नहीं है, आपने पी. पी. ए. बना लिया होगा लेकिन वह आपका पी. पी. ए. किसी को एक्सेप्टेबल नहीं है, तो पन्द्रह सौ तो उसमें निकल गया, वह आपका सन 2000 तक नहीं आ सकता है दूसरा आपका धौलपुर का साढ़े सात सौ .... (व्यवधान) धौलपुर हैं. (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 5 मिनट में ही खतम करूंगा, क्योंकि श्री धारीवाल जी को बहुत तकलीफ हो रही है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य समाप्त करें।

श्री विष्णु मोदी : नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप 5 - 7 मिनट ठहरिये।

श्री अध्यक्ष : काफी समय हो गया आपको।

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, यह तो बाड़मेर की स्थिति है, बरसिंघसर की स्थिति यह है जो पांच सौ मेगावाट है, आपके पास 120 बाई टू की परमिशन है, आप आज ग्लोबल टेंडर कर रहे हैं 250 बाई टू के आपके पास एन्वायरमेंटल क्लीयरेंसेज नहीं आपके पास गवर्नमेंट की दूसरी क्लीयरेंसेज नहीं है आपने ग्लोबल टेंडर लिया होगा लेकिन वह आपका अगले 4-5-6 साल में बरसिंघसर भी नहीं आने वाला है... (व्यवधान)....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वह आ गये।

श्री विष्णु मोदी : आ रहे हैं, आ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां डीजल की बहुत लम्बी चौड़ी बात की जा रही है। अभी मैं दिल्ली गया। था, मिनिस्ट्री आफ एनर्जी ने हाइडल के नार्म्स प्राइवेट सैक्टर के तय किये हैं मिनिस्ट्री आफ एनर्जी ने थर्मल के नार्म्स भी तय किये है, मिनिस्ट्री-आफ एनर्जी से जब राजस्थान सरकार ने पूछा कि आप डीजल के नार्म्स भी तय कर दीजिये। मिनिस्ट्री आफ एन्वायरनमेंटल के जोइंट सैक्रेट्री ने मुझे कहा है कि हमने राजस्थान सरकार को यह लिखा है कि डीजल तो ट्रांसपोर्ट फ्यूल है, जेनरेशन फ्यूल नहीं है।

माननीय अध्यय महोदय, कुल मिलाकर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्राइवेट सैक्टर के साढ़े चार हजार मेगावाट की बात सिर्फ एक रोजी पिक्चर की तरह है, वह कहीं बिजली 2 साल-4 में हमारे को मिलने वाली नहीं है। हमारे खुद के जो प्रोजेक्ट्स हैं वह आने वाले नहीं जितने टाइम पर उनको आना था उनमें स्लीपेज हो रहा है और जहां तक हमारे टी. एण्ड डी. लासेज का सवाल है वह बजाय ठीक होने के बढता जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक (व्यवधान)......

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : सुझाव दीजिये कि क्या करना है ?... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये ।

श्री विष्णु मोदी : एक मिनट, अध्यक्ष महोदय । मैंने आपको एक नोटिस दिया है । लेट मी कम्पलीट माई नोटिस, लेट मी कम्पलीट माई नोटिस, सर ।

मैंने आपसे निवेदन किया कि राजस्थान विद्युत मण्डल की एक तो स्थिति यह है कि वह घाटे में जा रहा है, टी. एण्ड डी. लासेज हैं दूसरी तरफ सूरतगढ़ थर्मल कोल हैंडलिंग प्लांट के कान्ट्रैक्ट अवार्ड होना चाहिये था वह आठ महीने बाद हुआ है । माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं आपसे स्पेसिफिक निवेदन करना चाहता हूं कि कोल हैंडलिंग प्लांट का चार स्टेजेज में कान्ट्रेक्ट होना था, फर्स्ट स्टेज थी कि ट्रेन से कोल आता है वह टिपर हो जाय दूसरा लेवल हो जाय. तीसरा कन्वेयर बेल्ट से ऊपर हो जाय और फोर्थ पैकेज के अन्दर था कि उसका डस्ट प्रोमिशन । हो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने यह तय किया कि वह इन तीनों किया पैकेज में जो डस्ट प्रोमिशन है पैकेज में जोड़ दिया जाय, लेकिन थर्ड पैकेज जो कांट्रेक्ट अवार्ड किया गया, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता के साथ धोखा किया गया । जो लोएस्ट टेंडर था, इसमें बड़ी टैक्निकिलिटी है । यह कहा गया कि इसमें सिर्फ क्वालिफाइड टेंडर्स चार हैं लेकिन अनक्वालिफाइड टेंडर्स को हम इसलिए बुलाना चाहते है कि उससे हम प्राइज कम करवा लें । लेकिन फर्स्ट स्टेज और सैकण्ड स्टज के लिए कोल हैंडलिंग का कांट्रेक्ट किया गया उसके अन्दर अन-क्वालिफाइड लास्ट बट वन था, उस प्राइस पर क्वालिफाइड को प्रेसराइज किया गया कि आप इस प्राइस पर यह काम करो । लेकिन थर्ड स्टेज का कांट्रेक्ट अवार्ड किया गया उसके अन्दर, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो लोएस्ट था उसका 5 करोड़ रुपये का अन्तर था और लास्ट बट वन था जिसका फर्स्ट स्टेज में कंसीडर किया, सैकेण्ड स्टेज में कसीडर किया लेकिन थर्ड स्टेज के अन्दर लास्ट बट वन को कंसीडर नहीं किया, डेढ़ करोड़ रुपये का उसमें भी अन्तर था । वह उस पार्टी का अन्तर था, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कोटा के अन्दर आलरेडी, वहां आपका क्वालिफाइड नहीं होगा, लेकिन कोटा थर्मल में वह आलरेडी आपके यहां कोल हैंडलिंग का काम कर रहा था । उसके लिए कहा गया कि वहां इसकी शिकायतें है, तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि अगर उसकी डीले था, तो क्या स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने उस पर पैनल्टी लगायी या स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने उसको ब्लैक लिस्ट किया ? खाली जब थर्ड फेज के आर्डर देने की बात आ गयी तो आपने यह कह दिया इसकी कमियां हैं ।

इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि एक तरफ तो बोर्ड वैसे घाटे में जा रहा है, दूसरी तरफ आपका स्लीपेज हो रहा है और दूसरी तरफ इस राजस्थान के किसान से ज्यादा पैसा लिया हुआ, इण्डस्ट्रिलिस्ट से ज्यादा पैसा लिया हुआ अगर आप इस तरह से इनइफिशिएसी, इस तरह से आप नेगलिजेंस में देंगे यह कमी आने वाला नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप बिराजें।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, लास्ट, अब लास्ट ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के इसी सत्र के अन्दर एक प्रश्न का जवाब दिया गया कि चीफ इंजीनियर के ऑफिस में 3 टेलीफोन और उन 3 टेलीफोनों का खर्चा आया 6,4,803 रुपये। शर्म आती है इसमें नाम पढ़ते हुए कि मस्कट, सऊदीअरब. आबूधाबी, गुजराबाला सियालकोट, आस्ट्रेलिया और इस तरह से जहां टेरेरिस्ट के अड्डे हैं पाकिस्तान के अन्दर, उन टेलीफोन नम्बरों पर यहां के चीफ इंजीनियर के यहां से 6,48, 803 रुपये के आई. एस. डी. टेलीफोन किये गये। मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप राजस्थान को अंधेरे में डुबो रहे है, राजस्थान के 2-2 लाख काश्तकार लोग लाइन में खड़े हुए हैं, एक इण्डस्ट्रिलिस्ट लोड एक्सटेंशन की एप्लीकेशन देता है तो 6-8 महीने और साल भर तक निपटारा नहीं होता है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में और बहुत संजीदगी से निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी कनेक्शन में, कोई भी लोड एक्सटेंशन में बगैर पैसे लिए इस आर. एस. ई. बी. में कोई काम नहीं होता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अन्त में एक निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्रीजी ने नये नये सर्किल खोले, आफिस बनाये लेकिन क्या इनके सम्बन्ध में आपने कोई नार्म्स बनाये, क्या आपने रेशनल बनाये ? यहां विद्युत भवन के नये एयर कंडीशनर आफिस में बैठकर आपने एक गोला खेंच दिया। पहले उस काश्तकार का 10 किलोमीटर पर आफिस था वहां से 50 किलोमीटर दूर जाकर उनकी फाइल डाल दी। क्या आप विद्युत भवन के एयर कंडीशनर कमरे में बैठकर राजस्थान का इण्डस्ट्रिलाइजेशन करना चाहते हैं और राजस्थान का एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं ? मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपने कमेटीज बनायी हैं, सुपरिन्टेंडेंट इंजीनियर की चेयरमैनशिप में कमेटीज बनायी हैं, कलेक्टर्स की आपने एडवाइजरी कमेटीज बनायी हैं तो यह जो आफिस खोला है यह कोई रेशनल नहीं खोला है, आपकी कोई स्कीम नहीं है, न आप टी. एण्ड डी लासेज कम करने की स्थिति में हैं, जिन काश्तकारों को जिन उपभोक्ताओं को 10 किलोमीटर जाना पड़ता था, किसी को 15 किलोमीटर जाना पड़ता था, किसी को 50 किलोमीटर, किसी को 30 किलोमीटर और किसी को 40 किलोमीटर जाना पड़ता है और तो कुछ आप नहीं कर सकते हैं, बिजली आप पैदा कर नहीं सकते हैं, बिजली आप दे नहीं सकते हैं, घाटा आप घटा नहीं सकते हैं, भ्रष्टाचार आप रोक नहीं सकते है. तो मेरा आपके माध्यम से हाथ जोड़कर निवेदन है कि उन काश्तकारों के लिए कम से कम सुविधाजनक दफ्तर हो उसकी तो व्यवस्था उपलब्ध करवा दें। धन्यवाद।

जय हिन्द ।

श्री अध्यक्ष : श्री अमरारामजी।

श्री पूनम चन्द बिश्नोई : 10 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिये, ये साढ़े सात तो बज गये है।

श्री अध्यक्ष : नहीं मानें तो, चार-चार बार मना कर दिया, अब क्या करें ?

श्री पूनम चन्द बिश्नोई : इस डिबेट के दो हिस्से कर दो, एक तो महाजनी का जो काम है, हिसाब-किताब का कि इतने किलोवॉट इसमें आ जाएगा, इतना इसमें आ जाएगा, इतने करोड़ होने उनके लिए टाइम आप अलग मुकर्रर कर दें और जो ग्रामीण और गरीब वर्ग की समस्याएं हैं उनके लिए टाइम अलग फिक्स कर दें। अब ये किताबें पढ़-पढ़ कर फेज टू में इसमें-इसमें होगा, इतना सब जगह के आंकड़े ....

श्री अध्यक्ष : आप सही फरमा रहे है। कोई प्रैक्टिकल सुझाव दें कि हम क्या कर सकते हैं। यह आंकड़े तो किताबों में छपे हुए हैं। श्री अमरारामजी।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : माननीय अध्यक्ष जी, आज सारा सदन और सारे राजस्थान की जनता इस बिजली के कारण बहुत चिन्तित है। मैं तो सिर्फ सुझाव ही देना चाहूंगा और माननीय मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगा कि कपूरड़ी मेरे बाड़मेर जिले में है, उसका बार-बार नाम लिया जा रहा है उसका आप कब शिलान्यास करने आ रहे है, प्लांट लगाना किस तारीख से शुरू करेंगे और कब तक उससे बिजली मिलना शुरू हो जाएगी ? वह तारीख बता दें। कपूरड़ी के अन्दर ऐसा हो रहा है, कपूरड़ी में लिग्नाइट मिला है और यहां पर तापीय बिजली घर लोग यह मैं सन् 1980 से सुनता आ रहा हूं और कई लोगों ने यह कह कर कई बार वोट भी ले लिये है। अब आप क्या करने जा रहे हैं और कब करने जा रहे हैं ? एक तो वह बता दें।

दूसरा, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आलरेडी एग्जिस्टिंग लाइनें बिजली की है वह जगह-जगह से टूटी हुई हैं, खम्भे स्वयं काश्तकार खड़े करते हैं, बड़ी मुश्किल से वह खम्भे आंधियों से आज भी टेढ़-मेढ़े हैं, एक्सीडेंट होते हैं, गाये मर जाती है और अभी आपने सुना होगा कि भैंस भी मर जाती हैं। जो काम आलरेडी है उनका सुधार कब कराने जा रहे हैं ? दूसरा, जिन गांवों को आपने चार साल पहले, दस साल पहले इलेक्ट्रिफाइड कर दिया। क्या आपने उन गांवों के अन्दर कहीं अभी तक एक को भी कनेक्शन दिया ? बाड़मेर जिले के अन्दर 907 कनेक्शन देने का टार्गेट रखा था, एग्रीकल्चर में आपने 230 ही कनेक्शन दिये इस 1994-95 में, तो क्या आप बाड़मेर जिले को अगले वर्ष के अन्दर जो कनेक्शन कम दिये गये है, उनके अलावा देंगे, जो नहीं दिये गये हैं, वह लक्ष्य आप पूरा करेंगे ?

बाड़मेर जिले के पचपदरा विधान सभा क्षेत्र में आपने कितनी एस. सी. और एस. टी. की बस्तियों को इलेक्ट्रिफाइड किया ? मंत्रीजी, मेरे क्षेत्र के अन्दर तो पिछले साल में एक भी हरिजन बस्ती को इलेक्ट्रिफाइड नहीं किया है। मैं आपसे यह निवेदन भी करना चाहूंगा कि हरिजन

(श्री अमराराम चौधरी)

बस्ती का जो आपके पास में कोड नम्बर 109 घड़सीकाबाड़ा है, वहां से प्रस्ताव भेजे गये थे और उस प्रस्ताव को भेजे हुए करीबन एक साल होने जा रहा है लेकिन वह बस्ती अभी तक इलेक्ट्रिफाइड नहीं हुई।

इसके अलावा मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो पहले सिस्टम था, आज हर बार नया सिस्टम चेंज करते है थोड़े दिनों के बाद में, कह देते है कि इतने पैसे जमा कराओ फिर कोई नयी योजनाएं ले आते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन्होंने ग्रीनकार्ड ले रखे हैं, जिन्होंने परिवार नियोजन का आपरेशन करवाया था, उसको यह लालच दिया गया था कि जिनके दो बच्चे है, जो ग्रीनकार्ड होल्डर है ...

श्री अध्यक्ष : यह तो आपने पहले भी कहा हुआ है।

श्री अमराराम चौधरी : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उनको आप कनेक्शन में प्रायोरिटी से देंगे पंचायत में भी कानून बना रहे है कि चुनाव जो लड़ेगा जिसके दो बच्चे होंगे तो जिनके आलरेडी हैं, आपरेशन नहीं कराये हुए है, दो बच्चे ही है, उनको आप कनेक्शन देने की आज घोषणा करें कि जिनके दो बच्चे हैं, उनको हम प्रायोरिटी से कनेक्शन देंगे तो दोनों काम हो जायेंगे। परिवार कल्याण का भी कार्य हो जायेगा और लोगों को प्रोत्साहन भी मिलेगा....(व्यवधान) इसको तो मंत्रीजी करें।

दूसरा, निवेदन करना चाहूंगा कि हम आखिरी किनारे पर हैं और 220 के.वी. की जो लाइन लगाते है, वह लग रही हैं और उससे हमें कुछ राहत मिलेगी। इसके लिए मैं मंत्रीजी, आपको बहुत धन्यवाद देता हूं लेकिन एक निवेदन करना और चाहता हूं कि हमारे यहां बालोतरा के दक्षिण की तरफ लूणी नदी है और वहां आसोतरा, कीटनोद, भिडाकुआ, बिठुजा, इन गांवों के अन्दर, इनमें से कुछ गांव कनाना जी. एस. एस. से जुड़े हुए हैं, उस लूणी नदी के कारण से खम्भे गिर जाते हैं तो उन लोगों को अपना रजका पिलाने के लिए, और भी जरूरी कार्य करने के लिए बिजली से कई महीनों तक महरुम रहना पड़ता है। दूसरा वोल्टेज, इतना लोड है उस पर, इतने कनेक्शन दे दिये गये है और जिसके कारण से आये दिन मोटरे जल रही हैं और एक गरीब काश्तकार है, अगर महीने में तीन बार भी मोटर जल जाती है तो उसको कोई प्रोफिट नही होता है। हमारे मारवाड़ी में एक कहावत है "वैरा री छाया तो वैरा म ही जरै", यानी काश्तकार तो कभी खेती से धनवान हो ही नहीं सकता। अब यह तो मजबूरी है कि नौकरी मिलती नहीं इसलिए खेती करनी पड़ती है, बाकि उससे लाभ ज्यादा होने वाला नहीं है। मेरा निवेदन यह है कि आप आसोतरा के अन्दर, जो बालोतरा से 8 किलोमीटर दूर है, वहां जी. एस. एस. बनायें....

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह : अंग्रेजी के अन्दर इसका एक बहुत अच्छा किस्सा, खेती से अमीर नहीं हो सकता। शेक्सपियर ने

(श्री विजयेन्द्र पाल सिंह)

एक बात कही, "the farmers who died on the expectancy of plenty."

श्री अध्यक्ष : 'प्लेंटी' यानी बहुत माल आयेगा। यही आस है, अटक्यो रह्यो अली गुलाब के संग।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह : In the expectancy of plenty. शेक्सपियर ने कहा था।....(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा :अध्यक्ष महोदय, इतने अकाल पड़ते हैं, ओले पड़ते हैं, रोली आती हैं लेकिन काश्तकार कितनी उम्मीद रखता है, हिम्मत नहीं हारता। अगले साल अच्छा हो जाएगा। यह तो काल का महा-चक्र है, इसमें यह रखना पड़ेगा कि काश्तकार को कभी भी निरुत्साहित नहीं रहना चाहिए। उसकी विल पावर रहनी चाहिये कि नहीं, अगले साल पलटेगा ...

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह : इसको मैं थोड़ा समझा दूं, 'expectancy of plenty.' का क्या मतलब आया है। शेक्सपियर ने कहा है। मैं थोड़ा सा समझा दूं।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये, माननीय सदस्य। उस समय ही बोल देते आप। बाद में बता देना। आप बोलने दें उनको.. (व्यवधान)

श्री अमरराम चौधरी : मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, मंत्रीजी से कि इस सदन में घोषणा करें कि इस साल आसोतरा के अन्दर जी. एस. एस. बन जाएगा जिससे हजारों लोगों को फायदा होगा।

जहां तक रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का सवाल है, मंत्रीजी, हमने बार-बार, पिछले सत्र में भी निवेदन किया था आपसे, कम्प्यूटर से जो भी बिल बनते हैं, वह बहुत ज्यादा राशि के बिल आ रहे हैं। उनको सही कराने के लिए बार-बार ए. ईएन. आफिस जाना पड़ता है, जे. ईएन. आफिस जाना पड़ता है....

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये, माननीय सदस्य। यह 3-4 बार आप पहले कह चुके हैं। बिराजिये आप। श्री रामप्रताप कासनिया।

श्री अमरराम चौधरी : स्टाफ नहीं है आपके पास, स्टाफ ज्यादा से ज्यादा लगावें ताकि काश्तकारों को समय पर उसकी मेंटिनेंस हो सके, बिजली टाइम पर मिल सके और आने वाले समय में ऐसा प्रबन्ध करें कि काश्तकार को कम से कम 10 घण्टे बिजली मिले। यह बात कहता हुआ मैं आपको धन्यवाद दूंगा।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये।

श्री परसादी लाल मीणा : कासनिया जी, आप तो छक्के लगाओ।

श्री रामप्रताप कासनियां (पीलीबंगा) : नहीं, छक्के नहीं, मैं तो चौके ही लगाऊंगा और एक-एक नम्बर बनाते-बनाते ही गाड़ी चला लूंगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं तो कुछ सुझाव ही देना चाहूंगा। आंकड़ों में जाना तो मेरे बस की बात नहीं है। मैंने तो एक बात बिजली के सम्बन्ध में सुनी है। प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य जब भी बोलते हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आयी

(श्री रामप्रताप कासनियां)

है तब से राजस्थान की बिजली गिरवी रख दी हो, इस तरह का हौवा खड़ा कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर मंत्री महोदय, आप एक व्यवस्था तो कर ही दीजिये। इसमें ज्यादा कोई खर्चा आने वाली बात नहीं है। जैसे एक गांव को विद्युतीकृत घोषित कर दिया, 5-10 घरों में कनेक्शन हो गये और उसके बाद में 10-10, 15-10 वर्षों तक घरों में कनेक्शन ही नहीं होते हैं तो क्यों नहीं, आप ए. ईएन. और जे. ईएन को पाबन्द करें कि हर माह गांवों में जाकर के वहीं पर एप्लीकेशन लेकर, वहीं सिक्योरिटी जमा करके, जो लोग कनेक्शन लेना चाहे उनको वहीं गांव में ही कनेक्शन क्यो नहीं ? दिये जाते। इसमें कितना लम्बा-चौड़ा खर्चा है और एक आदमी अपने घर में कनेक्शन लेने के लिए 10-10, 15-15 वर्षों तक आफिसों में जाकर चक्कर लगाता रहे। उसमें पता नहीं कितना ही खर्चा हो जाता है आने-जाने में।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा एक और बात है। यहां गांवों को विद्युतीकरण की मांग बार-बार होती है, परन्तु जो गांव विद्युतीकृत हुए हैं उनकी क्या हालात है ? कहीं पर पोल गिरा पड़ा है, कहीं तार नीचे लटक रहे हैं जिनसे पशुधन मरता है, इन्सानों की भी मौत होती है, बहुत नुकसान हो रहा है। एक बार लाइन खिचने के बाद में विभाग की तरफ से कोई सार-सम्भाल नहीं की जाती उसके कारण भी विभाग को नुकसान होता है। कई बार यह होता है कि तार हवा में झूलते हैं और हवा से आपस में टकराते जाते हैं उससे फ्यूज भी उड़ता है और कई बार तो ट्रांसफार्मर भी जल जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह ए ईएन. और जे. ईएन. तो हर हालात में गांव के अन्दर एक महीने में एक बार कैम्प करें और वहीं पर एप्लीकेशन लेकर सिक्योरिटी जमा कर कनेक्शन जारी कर दें। इसके अलावा बिल जमा करवाने के लिए गांव के लोगों को तीस-तीस, चालीस-चालीस किलोमीटर जाना पड़ता है। जिस गांव में बैंक हो वहां तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को यह छूट होनी चाहिये कि वह बैंक में बिल जमा करा दें। कई बार मेरे यह देखने में आया है कि यह तो फलां बैंक है इसमें हमारे विभाग का खाता नहीं है, खाता नहीं है तो खाता खुलवा दो। उससे ग्रामीण लोगों को सुविधा होगी। इसके अलावा, किसी गांव के अन्दर मान लो बैंक नहीं है तो वहां पर विभाग का ... (व्यवधान) ...बैंक खुलाने वाली बात तो मुझे पता है कि बहुत महंगी है पर विभाग का आदमी एक महीने में एक दिन, दो दिन गांव में जाये, लोगों से बिल जमा करले और उन दो दिनों में कोई जमा नहीं कराएगा तो वह अपने आप जमा कराता फिरेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैंने पूर्व में भी मंत्री महोदय से निवेदन किया था कि सिंचित इलाके में एक-एक गांव की आबादी चार-

(श्री रामप्रताप कासनियां)

चार चकों में है। 1995-96 में एक चक को फेस प्रोग्राम में शामिल कर लिया, एक गांव की आबादी चार चकों में है और आबादी जोइंट है तो जब गांव का एक चक विद्युतीकृत घोषित हो जाय, फेस प्रोग्राम में शामिल कर लिया जाय तो वह गांव पूरा का पूरा फेस प्रोग्राम में विद्युतीकृत घोषित होना चाहिए। विद्युतीकरण तो बाद में होता है। फेस प्रोग्राम में मान लिया जाना चाहिये उस गांव को, न कि एक गांव को चार भागों में विभाजित करके अलग-अलग चार गांव माने जायं। इस व्यवस्था में कोई खर्चा लगने वाली बात नहीं है, कनेक्शन तो लोग वैसे भी लेते हैं पर उसमें लूट-खसोट के चांसेज ज्यादा रहते हैं। ए. ईएन. जे. ईएन. वगैरह कह देते कि आपके गांव का अमुक हिस्सा तो फेस प्रोग्राम में शामिल है और अमुक हिस्सा फेस प्रोग्राम में शामिल नहीं है, इस नाम से वह पैसे लेते हैं।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा जिन गांवों के पास से लाइन गुजरती है उसको फेस प्रोग्राम में शामिल करने में कोई विभाग का ज्यादा खर्चा होता हो, ऐसी बात नहीं है। खर्चा तो होता है पर एक तो पन्द्रह-बीस किलोमीटर तक लाइन खेंचनी पड़ती हैं और एक गांव के बिलकुल चिपती ही लाइन है जिसमें ज्यादा खर्चा नहीं होता है। इस तरह के गांवों को तो फर्स्ट प्रायोरिटी पर लेना चाहिये और फेस प्रोग्राम में शामिल कर लेना चाहिए। इसके अलावा ट्यूब वैल कनेक्शन देने पर एक सीमा निर्धारित की जाती है....

(19.44)

(श्री समर्थ लाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री रामस्वरूप : अब नम्बर आ जाएगा।

श्री रामप्रताप कासनियां : और कारखानों में कोई सीमा नहीं है। कारखाने आजकल ज्यादातर स्वचालित लगते हैं जिनमें कम लोगों को काम मिलता है। इसलिए ट्यूब वैल का कनेक्शन दे दिया जाय, उसमें पाबन्दी नहीं होनी चाहिये, इससे बहुत से लोगों को रोजगार मिलता है, देश को अनाज मिलता है, टैक्स मिलता है। उपाध्यक्ष महोदय, अपना प्रयास यही रहता है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा काम मिले, सरकार की इनकम बढ़े इसलिए मेरा यह सोच है कि कारखानों से भी ज्यादा फायदेमंद ट्यूब वैल को कनेक्शन देना है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में तीन-तीन सौ, चार-चार सौ वर्ष पुराने गांव तो सर्वे प्लान में शामिल नहीं हैं और जिन चकों में आबादी नहीं है उन चकों को सर्वे प्लान में शामिल कर लिया जाता है इसलिए उन्हें फेस प्रोग्राम में जुड़ाने में बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि जो गांव सर्वे प्रोग्राम में शामिल नहीं हैं उनको फेस प्रोग्राम में नही लेते हैं। उपाध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो गांव पुराने हैं, तीन-तीन, चार-चार सौ वर्ष पुराने गांव हैं, जिनकी जनसख्या भी काफी है उन गांवों को सर्वे प्लान में शामिल करने

(श्री रामप्रताप कासनियां)

का मंत्री महोदय इसी वर्ष में प्रावधान करें।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक गांव है सरदारगढ़ जिसमें ग्यारह हजार वोल्टेज की लाइन गांव के बीच में से होकर गुजरती है। उस गांव में कम से कम सैंकड़ों पशु उस लाइन की वजह से मर गये और एक-दो आदमी भी करंट लगने से मर गये। उस लाइन को गांव से बाहर निकालने के लिए विभाग से मैंने कई बार बातचीत की तो नीचे के स्तर पर तो यह कह दिया जाता है कि गांव वाले अगर इसको शिफ्ट करने का खर्चा जमा करवायें तो हम यह लाइन शिफ्ट कर सकते हैं, नहीं तो इसका एस्टीमेट वगैरह बनाकर हम सरकार के पास भेजेंगे। इस तरह की छोटी-छोटी बातों के लिए लोगों को परेशान होना पड़ता है। उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में इतना ही निवेदन करूंगा मंत्री महोदय से कि एक तो जो ग्रामीण क्षेत्र में कनेक्शन देने वाली बात है इसके लिए तो आज ही आप घोषणा करेंगे कि गांव में ही ए. ईएन., जे. ईएन. जाकर एप्लीकेशन लेकर सिक्योरिटी जमा कर वहीं कनेक्शन जारी करने के आदेश दें और दूसरी बिल जमा करवाने वाली बात है। यह मोटे रूप में मेरे दो सुझाव हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि यह दोनों बातें बिना खर्चे की हैं, इनको मानने में विभाग का कोई ज्यादा खर्चा आने वाला नहीं है। आपने समय दिया, उसके लिये धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पूनमचन्द विश्नोई।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : उपाध्यक्ष महोदय, समय तो कहीं काफी हो गया है और कई विद्वान माननीय सदस्यों ने प्रगति के, बिजली की कमी और आगे की, भविष्य की योजनाओं के बारे में विस्तार में कह दिया और पुस्तकें उपलब्ध हैं, हम लोग पढ़ते-पढ़ाते रहेंगे, इसलिए मैं यही उचित समझता हूं कि क्षेत्र विशेष और खास तौर से जो मरूस्थलीय क्षेत्र हैं उनकी समस्याओं के बारे में मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

आप यह बात अच्छी तरह जानते है कि आधुनिक सभ्यता कई स्तम्भों पर खड़ी है जिनमें शिक्षा, यातायात, औद्योगीकरण, मशीनीकरण, बिजलीकरण, स्वास्थ्य, सफाई आदि-आदि प्रमुख स्तम्भ हैं लेकिन यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बिजली वर्तमान में इसका मुख्य स्तम्भ है। अगर कहीं गांव में बिजली नहीं है तो वहां अन्धकार है। लेकिन अगर अन्धकार ही नहीं है वह अन्धेरे युग में रह रहे हैं, जो डार्क एजेज, कहा जाता है न इतिहास में आज से हजार वर्ष पहले। क्यों? इतनी हमारी आबादी बढ़ गयी, जमीन बढ़ती नहीं, शिक्षा फैल गयी तो लोग रोजगार चाहते हैं। गांव में बिजली के अभाव में कोई रोजगार नहीं। उसका नतीजा यह हो रहा है कि लोग शहरों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। यहां मकान बनाने में दस लाख रुपये का खर्चा होता है, रह नहीं सकते, झुग्गी-झोंपड़ियों में नारकीय जिन्दगी व्यतीत करते हैं और पन्द्रह पुलिस कांस्टेबल्स की भर्ती के अन्दर पन्द्रह हजार लोग यहां पर आते हैं और निराश होकर

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

वापस जाते हैं। इस सब का उपाय, सबसे बड़ा उपाय, अन्य कई तरह की बातें हैं जिन पर मैं गहराई में नहीं जाऊंगा, अगर गांव के अन्दर उद्योग-धन्धे हों, हस्त कलायें हों, छोटा-मोटा लुहारी, सुनारी, मशीनरी, बुनाई-कताई, यह काम हो अगर गांवों के अन्दर, तो उन लोगों को गांवों के अन्दर ही रोजगार दे सकते हैं, शहर के अन्दर जो समस्या बढ़ रही है और जो प्रदूषण बढ़ रहा है उससे बच सकते हैं।

इसलिए चाहे बहुत से खर्चे, कई योजनाएं किसी को 5 रुपये मिल रहे हैं, किसी नाम से और किसी नागरिक को 50 रुपये मिल रहे हैं और किसी को 500 रुपये मिल रहे हैं, इससे कुछ फायदा नहीं होना है। फायदा जब होगा जब उस व्यक्ति को शिक्षा देंगे और रोजगार का साधन देंगे और जैसा मैंने कहा रोजगार के साधन का सबसे बड़ा स्तम्भ अब बिजली है, चाहे खेती करो तो बिजली और मशीनीकरण करो तो बिजली इसलिए इस के लिए कहीं पर भी आपको कटौती करनी पड़े लेकिन आपको बिजली उत्पादन पर पूरा जोर देना चाहिये। वर्तमान व्यवस्था में क्या कमजोरियां हैं अधिक नहीं कहना चाहता, क्योंकि खुद खेती करता हूं, बिजली की मशीनें लगी हुई हैं, ट्यूबवैल हैं, श्री अर्जुन सिंह साहब यहां विराज रहे हैं, हमारे गांव के ही ठाकुर हैं, उन्हें पता है कि वोल्टेज की कमी के कारण बार-बार मशीनों का जल जाती हैं। यही नहीं मेरी सिंचाई भी हाथ से की हुई है, खोड़ जिसको केरी पिलाने का काम 400 मीटर दूर पानी ले जाना है, कच्ची धोरी में अब अगर मशीन चालू होती है तो 20 मिनट में वहां पानी पहुंचता है जितने बीच में ट्रिप हो गयी तो वह पानी यों का यों कच्ची नाली में बैठ जाएगा, फिर जब चालू होता है तो वहां 15-20 मिनट में पानी पहुंचता है, 5 मिनट पानी मिलता है और उसके बाद में फिर ट्रिप आ जाती है। इसलिए कृपया कनेक्शन देने की यह होड़ मत लगाओ कि कांग्रेस ने 30 हजार दिये थे, दूसरे कहें हम 50 हजार कनेक्शन देंगे, कोई कह रहे हैं हम 8 घण्टे दे देंगे, कोई कह रहे हैं 10 घण्टे दे देंगे। देखिये, जितनी दो पक्की दो और पूरे वोल्टेज के साथ दो अन्यथा किसान बरबाद हो जाएगा।

आज वास्तविक के तौर पर देखा जाय तो गांव में चार-पांच हमारे सरीके किसान परिवारों को हर गांव में छोड़ दीजिये बाकी जितनी खराब हालत आज किसान की है आर्थिक दृष्टि से और किसी भी वर्ग की नहीं है, मजदूर की ऐसी हालत नहीं है। मेरा गांव जोधपुर से 40 किलोमीटर दूर पड़ता है। जोधपुर के उद्योगों में काम करने के लिए जो अपनी विधान सभा की मेटाडोर गाड़ियां हमें लेने जाती हैं, उस तरह से सुबह 8 बजे वहां पहुंच जाती है 60 रुपये प्रति मजदूर देती है और शाम को उनको घर छोड़ देती है। अगर पांच बच्चे घर में हैं तो रोज का उनका पिता 300/- रुपये कमाता है। किसान के ठीक है, वह कहीं भागेगा नहीं इसलिए बनिया उसको उधार देता रहता

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

है और डेढ़ की मिती से ब्याज लेता रहता है, जमीन छोड़कर कहीं जाएगा नहीं और माल वहीं जमा कराएगा और दूसरे दिन से फिर उधार शुरू कर देगा। आपको वोल्टेज वाला यह भ्रष्टाचार का मामला है। अब इसमें ज्यादा क्या कहें, आप और हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। कासनियां जी कह रहे थे कि कई-कई दफा घूमना पड़ता है। हां घूमना पड़ता है जो पैसे नहीं देते और पैसे दो और घर पर जा जाकर हुकुम दे देंगे कि यह आपका कनेक्शन हो गया। तो पैसा " रुपया थारी रात ना कोई जायो और न बलै जन्मेला", वह तो बात छोड़ो आप, यह नहीं है कि भ्रष्टाचार बढ़ा है तो इसको रोकना नहीं है। इस पर भी सख्ती करो, रोको। अपने पास योग्य आफिसर हैं। यह नहीं हैं कि सभी कर्मचारी हैं वे रिश्वतखोर है लेकिन कुछ डर, भय और आप में क्षमता है, यह मैं मानता हूं। मैं कोई आपकी फ्लैटरि नहीं करना चाहता, क्योंकि दबाने से इसमें काफी रिलिफ मिल सकती है।

मेरा क्षेत्र है वह हिन्दुस्तान का मध्य है, क्योंकि सबसे ज्यादा तो आबादी का घनत्व और सबसे बड़े टीबे हिन्दुस्तान में मेरे क्षेत्र में और नोखा क्षेत्र के अन्दर हैं। वहां मेरे चुनाव क्षेत्र में एक एकड़ भी आज से पांच साल पहले सिंचित भूमि नहीं थी अब डेढ़ सौ मीटर पर पानी निकला है और 70-80 प्रतिशत गांवों में पानी निकला है लेकिन हल्की से हल्की मोटर है वह 20 हार्स पावर की लग सकती है, उससे छोटी से तो 90 पुरुष से नीर, 5 फीट का एक पुरुष और उससे 90 पुरुष नीचे पानी है, पानी काफी है लेकिन बहुत बड़ी मोटर, आपकी जो अभी नीति, भण्डारी साहब बिराजें हैं। ये मारवाड़ के ही हैं, जानते हैं। अब रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के पहले तो यह था कि एक पोल का अगर है तो हजार रुपये जमा कराओ और फिर 7 हजार रुपये जमा कराओ, दूसरा था दो पोल का है तो दो हजार रुपये पहले जमा करा दो सिक्योरिटी के तौर पर और 11 11 हजार के अन्दर कनेक्शन हो जाएगा। अब प्रति हॉर्स पावर ढाई हजार रुपये, 20 हजार या 25 हजार से कम के अन्दर वहां पानी लिफ्ट हो ही नहीं सकता तो 25 हॉर्स पावर का साढ़े 62 हजार तो वह देओ एक लाख का ट्यूबवैल, 40 हजार की मोटर फिर पाइपें और अड़खंजा। उसके बाद में क्या होता है कि राजस्थान नहर मेरे इलाके के बिलकुल लगती चलती है, पत्थर फैंको राजस्थान कैनाल है लेकिन चूंकि हम लेफ्ट साइड में है और लेफ्ट साइड में ऊंचा आया हुआ है, इण्डस वैली उस ढाल में है तो होता क्या है, मैंने अनुमान लगाया है जोड़ है कि बरसात की खेती तो जाने दो वैसी बादशाही खेती तो दुनिया में कोई है नहीं। दूसरे नम्बर में है, एक रुपया मान लीजिये कि नहर की खेती में खर्च आता है तो बिजली में 4-5 रुपये आएंगे, डीजल से अगर आप चलाओगे तो 10-12 रुपये आएंगे और बैल से चलाओगे तो उसी यूनिट का 20 रुपये आएंगे। वहां पर 25 रुपये एकड़ की पिलाई मिलती है, पानी मिलता है हमारे पड़ौस में 25 रुपये 35 रुपये में

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

जैसे नरमा किया या कपास की या गन्ना किया, ज्यादा कम, लेकिन एवरेज 25 से 35, 45, 50 एक एकड़ का होगा। मेरे यहां सिंचाई का चार्ज कितना आता है, 12 सौ से 15 सौ रुपये प्रति एकड़ गेहूं और सरसों वे भी पैदा करते हैं और गेहूं और सरसों हम भी पैदा करते हैं, उनके 25 रुपये हमारे से तीन किलोमीटर दूर वालों के और हमारे यहां पर हजार से 15 सौ। अब एक नया ही सिलसिला शुरू हो गया है। धान तो हम पैदा करें, दूसरे बोली लगा रहे हैं शहरों में बैठे-बैठे कि हम लोगों को एक रुपया किलो चावल दे देंगे। हम शायद अब आप लोग उस अपोजिशन पार्टी वाले काफी आ गये, हम अब आठ आने किलो पर आएंगे। अनाज तो मेरा,

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

घोषणा करने वालों का अनाज से न कोई लेना और न कोई देना। इतने महंगे भाव का अनाज इसका मतलब यह है कि सरकार कीमत बढ़ाएगी नहीं, गेहूं खरीदने की या दूसरा अनाज चावल खरीदने की कीमत नहीं बढ़ाएगी। यहां भी जो किसान बिराजमान हैं जानते हैं महत्वपूर्ण एक खाद है, दूसरी कीटनाशक दवाइयां तो जाने दो। यह मेरी 50 किलो का बोरी 80 रुपये की खरीदी हुई है और अब 500 रुपये में मिलती है। 558 में। थोड़ा शहरी हूं इसलिए फर्क रह गया तो 558, लागत क्या हो रही है इन चीजों की और आपकी यह जो रिट्रोस्पेक्टिव नीति लागू की है कि जिन्होंने पहले पैसे जमा करा दिये एक पोल के एक हजार और उसके हिसाब से 7 हजार, 11 हजार या 12 हजार, यह मरुस्थल के काश्तकार जो मर गये, 20 हॉर्स पावर से कम की तो मोटर ही नहीं लग सकती, नलकूप खुदवा दिये। अब उन पैसों का ब्याज अलग और चालू, यह होगा नहीं, एक लाख रुपये और कहां से लावें। मंत्री महोदय, इन समस्याओं के ऊपर आप गहराई से विचार करें और किसान को न्याय दें, खास तौर से मरुस्थल में सब जगह यह चोहटन, गुढ़ा, बाड़मेर में और घोरीमन्ना से 10 साल पहले गेहूं या सिंचाई की कोई फसल नहीं, आजकल ईसबगोल, जीरा और सरसों सब पैदा हो रही हैं।

(20.00)

वे इतनी गहराई से पानी निकाल रहे हैं लेकिन उनको पोसाए कैसे। जगह-जगह पानी निकला है लेकिन बहुत गहरा निकला है। यह जो आपकी नीति है, यहां तो जहां 3 हार्स पावर की, 5 हार्स पावर की मोटर लगती है। 5 हार्स पावर की बिजली की मोटर इस डीजल वाले 7-8-10 हार्स पावर जितना पानी फेंकती है। इतनी यह इफिशेंट है, इतनी इसकी लागत कम है, इतनी इसमें खराबियां कम हैं, सिवाय वोल्टेज की खराबी के। मेरे पास के. एस. पी. का एक पम्प था 32 हार्स पावर का, 15 वर्ष तक चला। तब बिजली ठीक आती थी। अब जलने लग गया, वैसी मोटरें भी नहीं आती हैं, तो इस पर आप विचार करें, काश्तकारों को

(श्री पूनम चन्द विश्नोई)

रिट्रोस्पेक्टिव स्पीड तरीके से मत कीजिये। भविष्य में भी जो डेजर्ट का काश्तकार है और जहां पानी निकला है वहां आप को कुछ रियायतें हिल डवलपमेंट में डेजर्ट डवलपमेंट में ये इजरायली बबूल के बजाय किसानों को आप रिलीफ दें तो सब तरह की बातें साथ में आ जायेगी। एक बात यह भी है। यह आपके प्रशासन से सम्बन्धित है, क्योंकि वैसे बिजली उत्पादन और वितरण का काम तो बोर्ड करता है। इंस्पेक्टेट सेफ्टी की दृष्टि से इंस्पेक्शन करता है और एक संगठन है। उसके चार स्तर हैं। इंस्पेक्टर है, चार उप इंस्पेक्टर्स हैं, सहायक इंस्पेक्टर्स हैं और इंस्पेक्टिंग सहायक हैं। पहले बहुत केंद्रित था। मैं कोई नाम नहीं लेना चाहता उसके बाद कुछ सत्ता का विकेन्द्रीयकरण हुआ है। लेकिन जो मौके पर इंस्पेक्टिंग असिस्टेंड है उसको एण्ट्री की, चेकिंग की, जितने तरह के इंस्पेक्टरों को अधिकार है, वे अधिकार इनको दिये हुए नहीं है। किसी भी कानून में आप देखेंगे, सी. आर. पी. सी. देख लीजिए, मतलब कानून में वर्णित सबसे नीचे का अधिकारी एस. एच. ओ. है, तो एस. एच. ओ. को जो पावर है वह आटोमेटिकली सुपीटेंडेंट को भी है, डी. आई. जी. को भी है, आई. जी. को भी है। और डी. जी. को भी है उधर उल्टा चलता है, क्योंकि डकैती के मामले में डी. जी. को कब रिपोर्ट हो, इसलिए वह इमिजिएट अरेस्ट कर सकता है। इसके अन्दर उल्टे तरीके से केन्द्रित होगा लेकिन फिर भी जो मौके पर जाते हैं। हरियाणा वाला जो किस्सा हुआ, जेल भेजने वाला, जो इंस्पेक्टिंग असिस्टेंट हैं, उनसे आप काम तो करवाते हैं, क्योंकि नीचे वाला सब काम करता है और उनको कानून का प्रोटेक्शन नहीं, कानून से अधिकार नहीं, उसका नतीजा क्या हो सकता है, वह हरियाणा वाला केस आपको बताता है। इस पाइन्ट पर भी आप गहराई से अध्ययन करें, उनका डेलिगेशन भी आपको मिलेगा।

श्री उपाध्यक्ष : ऊर्जा मंत्री महोदय। ....(व्यवधान)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आपको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : उपाध्यक्ष महोदय, (व्यवधान) मेहनत कर रहे हे।....(व्यवधान) दो बात कहने का अवसर नहीं मिले तो सदन के अन्दर बेकार बैठने से क्या फायदा (व्यवधान) बिजली विभाग की चर्चा है। .... (व्यवधान) सात मिनिट का समय है और हमको चार मिनिट का भी अवसर नहीं मिल सकता? दो मिनट दे दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। हमारे सुझाव होंगे, दे देंगे। आपसे हमारा विनम्र निवेदन है, लिखित में क्या होता है? ... (व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी (भोपालगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, पूरा का पूरा भट्टा बैठा हुआ है, काश्तकार का भट्टा बैठा हुआ है। ... (व्यवधान) इस कारण से....

श्री रामस्वरूप : काश्तकार परेशान है। जनता ने हमको उनकी आवाज उठाने के लिए भेजा है। आप दो मिनट भी हमारे लिए नहीं दे सकते है। फिर बेकार है हमारा बैठना यहां। (व्यवधान)

श्री मगराज चौधरी : दो मिनट माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, उन्हें दे दीजिए (व्यवधान)....

श्री रामस्वरूप : आप हरेक सदस्य से पूछ लीजिए जो रुक गये हैं, कम से कम। (व्यवधान) विनम्र निवेदन है हमारा आप से।

श्री मगराज चौधरी : जो जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं उन्हें 5-5 मिनट का समय दिया है (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आप हमारे अधिकारों की रक्षा करेंगे। आप माननीय सदस्यों के जो सुझाव हैं उन्हें बोलने का अवसर दें, यह हमारा निवेदन है। आप व्यवस्था दीजिए इस बात के लिए हमने नियम 131 के तहत मोशन दिया था।... (व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी : आप सुनिये, आपके पास बिजली नहीं, कनेक्शन नहीं, वोल्टेज नहीं,। लाइन ठीक करने की व्यवस्था नहीं और उसके बाद भी आप हमारी बात नहीं सुनें। काश्तकार मारे-मारे फिर रहे हैं।....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये। (व्यवधान) बैठिये।

श्री रामनारायण डूडी : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो हमारे साथ इन्जस्टिस हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : काफी रचनात्मक सुझाव आ गये हैं।

श्री महावीर भगोरा : (गोगुन्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, बोलना पड़ेगा, हो क्या गया है ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं जनजाति क्षेत्र के बारे में बोलना चाहता हूं।

श्री रामनारायण डूडी : उपाध्यक्षजी, सब बातें आयी हैं। आंकड़े बताये गये हैं पर गांव के अंदर काश्तकार की तकलीफ क्या है, क्या लाभ की तकलीफ है, ओवरलोड हो रहा है, उसकी तकलीफ क्या है ....(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : उन खोलने वालों को आंकड़े देने वालों को पता नहीं है वहां क्या तकलीफ है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी : एक ही ट्रांसफार्मर के साथ पी. ऐच. ई. डी. की स्कीम्स जोड़ दी गयी हैं, गांव के डोमेस्टिक कनेक्शन भी दिये गये हैं। ....(व्यवधान)

श्री महावीर भगोरा : उपाध्यक्ष महोदय, दो-दो मिनट दे दें। हम बोल लेंगे, दो दो मिनट में।

श्री रामनारायण डूडी : और उसी ट्रांसफार्मर से एग्रीकल्चर के कनेक्शन भी दे दिये गये हैं। इसी तरह की सारी अव्यवस्था और अनियमिताओं को आप कैसे दूर करेंगे। ये बातें अभी रिकार्ड पर आयी नहीं हैं। मैं भी सुन रहा हूं। इस प्रकार की जो गांव के अन्दर दिक्कतें आ रही हैं ...

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप विराजें। (व्यवधान) आप का नाम (व्यवधान) कृपया एक मिनट सुनिये।

श्री रामनारायण डूडी : क्या मेरा नाम नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आपका नाम आपके मुख्य सचेतक महोदय ने नहीं दिया।

श्री रामनारायण डूडी : नाम नहीं दिया तो नहीं दिया मैं मेरी बात कह रहा हूं ठीक है।

श्री महावीर भगोरा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नाम तो दिया हुआ है।

श्री रामस्वरूप : आप देखिये। मेरा नाम दिया हुआ है।

श्री रामनारायण डूडी : जिनका दिया हुआ है, उनको बुलवा दो।

श्री महावीर भगोरा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नाम तो दिया हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र चौधरी (व्यवधान)

श्री महावीर भगोरा : इसलिए बोल रहे हैं, नहीं तो काहे को बोलते (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिजली मंत्रीजी का इस बात के लिए तो धन्यवाद देना चाहता हूं एक उन्होंने बहुत ही कड़ा हृदय करके यहां पर हमारी बात सुनने के लिये आज का दिन नियत किया और यहां पर बैठे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1994-95 के जो आंकड़े आपने किताबों में छापे हैं, उनसे कोई टार्गेट आप अचीव नहीं कर सके। 1993-95 में जो आंकड़े थे, टार्गेट थे उन सभी को अचीव किया था, चाहे वे हरिजन बस्तियों के थे, चाहे गांवों के थे, चाहे कुओं के कनेक्शन के थे। अब जो महत्वपूर्ण बात हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह यह हैं कि हमारी जो बिजली की मांग और आपूर्ति हैं उस के अन्दर लगभग 40 प्रतिशत की कमी हैं। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन की सबसे बड़ी समस्या आती हैं। अभी कासनियां जी कह रहे थे, बिलकुल ठीक बात है, जिन गांवों में बिजली आपने दे दी है। लगभग एक लाख ट्रांसफर्मर अपने राजस्थान में लगे हुए हैं उनमें से औसतन 10 हजार से ऊपर जल जाते हैं। जलने का कारण, मंत्री महोदय, यह है कि उनका रख-रखाव ठीक नहीं होता। जो स्टाफ लगा हुआ है, उस स्टाफ के अन्दर इजिनेटेड लोग नहीं है। स्विच बोर्ड अटेंडेण्ड जो होता है वह नहीं है। इसी तरह से लाइन-मैन डेजिग्डेटेड हैं, वे उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। तनख्वाह तो बिजली बोर्ड दे रहा है। उनको उतनी तनख्वाह दे रहा है पर वे उसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। उनको आप एक्ट के अनुसार जिम्मेदार ठहरा नहीं सकते।

दूसरी बात, जो अपने ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, वे इसलिये जल जाते हैं कि कुछ उनकी नेग्लीजेंसी है, जो स्टाफ है वह ध्यान नहीं रखता उसके ऊपर मेरे ख्याल से, मंत्री महोदय, शायद आज तक इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही उनके विरुद्ध नहीं हुई। जो ट्रांसफार्मर जलते हैं उनके लिए क्या किन्हीं आफिसर्स को जिम्मेदार ठहराया गया है? मेरे ख्याल से इस बात पर कोई ध्यान नहीं रखा जाता। इसके अन्दर एक बड़ा कारण यह भी है कि रेटेड फ्यूज ट्रांसफार्मर्स में नहीं लगाये जाते हैं। इस तरह की बात आयी थी कि वह फ्यूज लगाने से ट्रांसफार्मर्स जलेंगे नहीं, बोर्ड को घाटा नहीं होगा और किसानों को भी तकलीफ नहीं

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

होगी। इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, ट्रांसफार्मर जलने की आज जो रेट है। टाटा कंसलटेंसी जो बोम्बे में बिजली देती है उसकी है, मंत्री महोदय, तीन प्रतिशत ट्रांसफार्मर वहां जलते हैं। हमारे यहां दस प्रतिशत से ऊपर जलते हैं। इसके ऊपर आप विशेष रूप से ध्यान देंगे कि इसके प्रतिशत को हम कैसे कम कर सकते हैं।

दूसरा मंत्री महोदय मैं यह कहना चाहूंगा कि इन महीनों के अन्दर जो विद्युत आपूर्ति हुई है उसके अन्दर सभी जगहों पर पिछले सालों के मुकाबले बीच में रुकावट बहुत ज्यादा आयी है। उसके हर स्तर पर बड़ा नुकसान हुआ है।

मैं भी यह कहना चाहूंगा कि जिस तरह से गांवों के अन्दर, मंत्री महोदय, हम बिजली देते हैं चार घण्टे के लिए जो गांव इलेक्ट्रिफाइड भी हैं, पर वहां पर बच्चों को शाम के वक्त चार घण्टे पढ़ने के लिये बिजली चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, आप भी इस बात से परिचित हैं कि हम जब गांव में जाते हैं तो वह कहते हैं कि यह बिजली आपने क्यों लगायी ? बिजली का बल्ब जल नहीं रहा है, बच्चे पढ़ नहीं सकते तो परीक्षा के समय में बड़ी परेशानी होती है। खाने के टाइम भी चार घण्टे बिजली चाहिये, उस समय बिजली नहीं आती है, ऐसी स्थिति है।

दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के हितों की बात कहना चाहूंगा। उनको कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं दिये जाते हैं, कोई साधन नहीं दिये जाते वे ऐसे ही पोल्स पर चढ़ते हैं और ऐसे ही मर जाते हैं। आपने यह कमी देखने की कोशिश ही नहीं की कि उनको सारी सुरक्षा के साधन मिलते हैं या नहीं ? यह बहुत भारी कमी है। मैं, कहना चाहूंगा जैसी यहां श्री कासनियांजी ने जो बात कही, बिल जमा कराने की सुविधा अक्सर गांवों में लोग यह कहते हैं कि हम जाते हैं, बाबू है वह उस दिन मिला नहीं, भीड़ हो रही थी, उसने कह दिया कल आ जाना। उसका तो कहना हो जाता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। बिजली के बिल पैसा जमा कराने के लिए किसान घूमे और बिजली बोर्ड का कर्मचारी पैसा नहीं ले, उसके लिये किसान जिम्मेदार नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा कि किस तरह से आप यहां पर पिछले बीस सालों से सिर्फ जे. ईएन. के एपाइंटमेंट कर रहे हैं ? जे. ईएन. के एपाइंटमेंट के अन्दर जो 1973 के अन्दर क्लॉज था उसको आपने हटा दिया कि राजस्थान का मूल निवासी होना जरूरी नहीं है। उसके कारण, उपाध्यक्ष महोदय, यह हुआ कि अपने यहां राजस्थान के बच्चे जो हैं वह तो इसमें आते रहे पॉलोटेक्निक डिप्लोमा किये हुए और बाहर से, ये दूसरे राज्यों से जो बी. ई. किये हुए थे वे आये और तीन साल में उन्होंने प्रमोशन ले लिया और जो पचास प्रतिशत कोटा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का था, आज तक 20 साल से इन्होंने ऑपरेट नहीं किया और हमारे यहां का जो स्टाफ है, वह इतना पीड़ित है जिसकी कोई सीमा

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

नहीं है। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि सारी मेजोरिटी उन लोगों की बन गयी है, सारे प्रमोशंस उनको मिल गये हैं। आपका डायरेक्ट कोटा है उसके अन्दर कोई भी आये। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि अभी हरियाणा के अन्दर अलवर के कुछ लोगों को एपाइंटमेंट मिल गया था और जब यह देखा गया कि वे यहां के बोनोफाइड नहीं हैं, वह तो राजस्थान के हैं, सुजानसिंहजी, उन लोगों को हरियाणा सरकार ने नौकरी से निकाल दिया। आपको ध्यान होगा। आज हमारा जो बच्चा है, हमारा जो स्टूडेंट निकलता है उसको नौकरी दूसरे स्टेटस में नहीं मिलती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, मेरा सजेशन कोई गलत नहीं हैं इसलिये मैं चाहूंगा कि आप एक तो पचास प्रतिशत का जो डायरेक्ट कोटा है, ए. ईएन. का, आज तक बिजली बोर्ड में वहां पर नियुक्ति नहीं दी. वह चालू की जाये और जे. ईएन. के एपाइंटमेंट के अन्दर आप बोनोफाइड वाली बात को लागू करें यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात हैं।

इसी तरह से मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जो पी. एच ई. डी. के कनेक्शन एप्लाई किये हुए हैं, जलदाय मंत्रीजी के सिर पर हमेशा हांडी फूटती है मगर उसका सबसे बड़ा कारण है, ये बिजली मंत्रीजी अब उनकी लड़ाई इस बात की होती है, कि मैंने उस दिन मांग के समय भी कहा था कि पी. एच. ई. डी. ने मुझे कहा दिया कि बासनी और रतपुड़ा फीडर जो मेरी कांस्टीट्यूएसीं का इलाका है, हमारे वहां पर बिजली बोर्ड का डायरेक्ट फीडर है। हमने पैसा जमा करा दिया और बिजली मंत्रीजी आपका जवाब आता है कि वह डायरेक्ट फीडर नहीं है। अब आप बताइये, दोनों आप काउन्सिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं और दोनों के जवाब अलग-अलग आते हैं, इस तरह के हालात् हैं। पी. एच. ई. डी. से हम पानी मांग तो करते हैं पर उनके कनेक्शन को देने की बात नहीं है। पिछले कंटिजेंसी में जो ट्यूबवैल खुदे हुए थे, जिनका पैसा बिजली मंत्रीजी आपके यहां जमा है। आप जोधपुर जिले में देखिये कि कितने लोगों के पैसे पी. एच. ई. डी. ने कब से जमा करा रखे है और आपने वहां पर कोई कनेक्शन नहीं दिया, कोई कार्यवाही नहीं की और वे कब से खुदे हुए हैं। पेयजल मंत्रीजी, आपके सिर पर मांड़ा फूटता है और ये उसके कनेक्शन नहीं देते हैं। आप देखिये यह हालात इस तरह के हैं। मेरा यह निवेदन करना है कि मेरे क्षेत्र में विद्युत वोल्टेज की भी बहुत तकलीफ है, पिछले एक साल से ज्यादा हो गया, मैं बारबार कह रहा हूं कि यह मेरी बिलाड़ा कांस्टीट्एंसी के अन्दर एक गुजलियावास गांव है, वहां पर वोल्टेज की प्रॉब्लम है और वे इस बात को एग्री करते हैं कि यहां पर 33 के. वी जी एस. एस. बनना चाहिये, इस तरह से एरिया में 33 के. वी. का जी. एस. एस. बनना चाहिये। इसी तरह से खांगड़ा के अन्दर 33 के. वी. का जी. एस. एस. बनना चाहिये और वे इस बात को मान रहे हैं, परन्तु उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। मेरा ख्याल है मंत्रीजी, आप

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

इन सुझावों को लिखेंगे, इस बात के डायरेक्शन देंगे और मेरे सुझावों पर आप थोड़ा गम्भीरता से विचार करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया, बिराजिये।

श्री राजेन्द्र चौधरी : एक महत्वपूर्ण सुझाव और देना चाहूंगा कि जो कंजूमर प्रोटक्शन एक्ट लागू हुआ है इसके अन्दर, मंत्रीजी, बहुत भारी क्लेम आपके खिलाफ जाते हैं, आपके अधिकारियों के खिलाफ जाते हैं और आपके बोर्ड को पैसा देना पड़ता है। आप यह बात क्यों नहीं देखते हैं कि यह किसकी जिम्मेदारी है। बचने का तरीका नहीं है, आज कंजूमर मजबूर होकर कंजूमर प्रोटेक्शन में जाता है, आपकी गलती के कारण जाता है। आज आपने सर्कल तो छह कर दिये, आपने डिक्लेयर कर दिये, बारह डिविजन बना दिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहूंगा कि एक अप्रैल से सब डिविजन काम करने की बात कही थीं क्या वे काम करने लग गये ? मैं यहां दावे से कहता हूं कि छह महीने तक वे आपके लागू ही नहीं होंगे और आपकी रेवेन्यू का लॉस होगा।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। प्रतिपक्ष के नेता महोदय कृपया बिराजिये।

श्री राजेन्द्र चौधरी : वे इधर से उधर जमा होंगे, यह बात कहना चाहता था, यह मेरा सुझाव है, धन्यवाद।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्पादन सम्बन्धी सभी आर्थिक गतिविधियों के लिये ऊर्जा एक आवश्यक प्रादान है। मैं सिर्फ दो मिनट का समय लूंगा। अभी पीलीबंगा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि कांग्रेस वाले यह कह रहे हैं, मेरा यह निश्चित तौर पर इस सदन के प्रांगण पर यह आरोप है बी. जे. पी. की सरकार पर कि आज जो डिमांड और सप्लाई का गेप है, उत्तरी क्षेत्र के अन्दर, नार्दन रीजन के अन्दर राजस्थान में 51 पर्सेण्ट है आप 40 या 42 पर्सेण्ट की क्या बात कर रहे हैं, 51 पर्सेण्ट है। राजस्थान में सबसे ज्यादा गेप रहेगा। आपने अपने घोषणा पत्र में यह बात कही है। आपके घोषणा-पत्र में बिन्दु नम्बर 10 बहुत आस्पिशल नम्बर है, "किसान को निर्बाध रूप से आठ से बारह घटें तक बिजली दी जायेगी"। मेरा उपाध्यक्ष जी, एक सुझाव है कि गेप है, पांच साल का पीरियड़, 4 मार्च, 1990 से लेकर के 4 मार्च, 1995 तक, यह बैठें हैं ऊर्जा मंत्रीजी, प्लांट लोड फैक्टर की बात कर रहे हैं और जोर-जोर से प्रशंसा कर रहे हैं। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने पांच साल में 11 मेगावाट बिजली पैदा की है और कांग्रेस की सात पंचवर्षीय योजना में, हर पंचवर्षीय योजना में पौने चार सौ मेगावाट बिजली का उत्पादन हुआ और इसलिए वोल्टेज की बात, ट्रिपिंग की बात, विश्नोईजी के भाषण के बाद मैं इस सदन का समय लेना नहीं चाहता, क्योंकि उसकी पर यूनिट कास्ट जो है काश्तकार की, अन-इकॉनामिक है लेकिन उसके पास में कोई दूसरा धंधा नहीं है इसलिये मजबूरी की हालत में उसको इतनी कास्ट पर बिजली का बिल

(श्री परसराम मदेरणा)

भुगतान करके खेती करनी पड़ती है। कम से कम वह मजदूरी की तरह काम कर रहे हैं। मजदूरी-मजदूरी बचती है...

श्री पूनम चन्द बिश्नोई : मजदूरी कहां बचती है, मजदूरी तो पचास रुपये है।

श्री परसराम मदेरणा : चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य ने मुख्य मंत्रीजी ने इस सदन से यह सुझाव मांगा था और मैंने उस पर सुझाव दिया नहीं था, आज सुझाव दे रहा हूं। मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि "बिजली, सिंचाई और पानी तथा विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में विशेष तौर पर उल्लेख करना चाहता हूं, माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि इस मुद्दे पर इस सत्र में विचार करके आम सहमति के आधार पर आगे आने वाले वर्षों के लिये विवेक-सम्मत समुचित उपभोक्त मूल्य नीति के लिये अपने सुझाव दें तथा सरकार का मार्ग-दर्शन करें"।

मैं आपका मार्ग-दर्शन करना चाहता हूं और मेरा कीमती सुझाव यह है- इकानोमिक सर्वे ऑफ इंडिया, 1994-95 इसमें कंजूमर केटेगरीवाइज सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एन एवरेज टैरिफ, एग्रीकल्चर का जो टैरिफ है 21 पैसे और 70 पैसे आल इण्डिया और सेल का जो पर्सेण्टेज है वह है 27 पैसे और 55 पैसे। आप अभी लगा रहे हैं पचास पैसे। मेरा एक सुझाव है कि एग्रीकल्चर टैरिफ को एग्रीकल्चर सेक्टर में सब्सिडाइज्ड करना पडेगा। नहीं करोगे, दो रुपये में चावल और दो रुपये में गेहूं देने वाली बात कर रहे हो, काश्तकार के लिये यह जो अन-रिम्यूनरेटिव हुआ, उसने अनाज का उत्पादन कम कर दिया तो आप जो खेजड़ी के खोख, खेलरे होते हैं उस तरह से सूख जाओगे।

इसलिए मेरा यह आपसे निवेदन है और कांग्रेस पार्टी का यह सुझाव है, सुझाव ही नहीं यह मेरा अभिमत है और यह विनिश्चय है कि जो ऑल इंडिया एवरेज टैरिफ है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए वही टैरिफ रहनी चाहिये। यह एक सुझाव है।

दूसरा सुझाव यह है, चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य जो प्लांट लोड फैक्टर की बात कह रहे थे वह 81 पर्सेण्ट कुछ नहीं है यह लिखा है इसमें कि यह 73 पर्सेण्ट है। आज भी लिखा है, दोनों ही स्पीचेज यहां पड़ी हुई हैं। एक तो इन्होंने स्पीच दी थी 31 मार्च, 1994 को जिसकी कापी मैंने इनसे मांगी थी और आज है 5-5-1995 की वह 81 पर्सेण्ट कह रहे हैं वह हैं ही नहीं, वह तो 73 पर्सेण्ट है। लेकिन आप कह रहे थे कि और कहीं नहीं हैं, क्या नहीं है? आप देखिये —

"Five of the National Thermal Power Corporation's plants achieved, during 1994-95, 75 per cent P. L.F. with the BALCO CPP going up to 88.18 per cent. And Ramagundam Super Thermal Power Station achieved 100 per cent P. L. F."

(श्री परसराम मदेरणा)

जो मैं आपको बता रहा था इन दो के बाद 88.18 पर्सेण्ट, इसलिए यही लफ्फाजी है इनकी। दो।

तीसरा, मेरा सजेशन यह है, उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : यह लास्ट है, माननीय, आपका।

श्री परसराम मदेरणा : लास्ट। अंतिम मेरा सुझाव यह है कि आप 14 हजार करोड़ में 7 ऐसे पावर प्रोजेक्टस लगा रहे हैं जिनसे आप बिजली पैदा करेंगे 4280 मेगावाट और इसका ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा? इसलिए आप यह सोचते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में जाकर बिजली का उत्पादन कर देंगे लेकिन ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन इसी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के मार्फत होगा इसलिए आप स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड को स्ट्रीमलाईन कीजिये, ईसको स्ट्रैंथन कीजिये। अगर आपने यह नहीं किया तो हम बहुत बड़ी ब्लांडर कमिट कर लेंगे। मेरा यह सुझाव है कि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के पूरे नैटवर्क को स्ट्रैंथन किया जाये।

हमने सात पंचवर्षीय योजनाओं में क्या किया था, मेरे पास वह आंकडे हैं लेकिन वह आंकड़े देना नहीं चाहता, समय खराब नहीं करना चाहता लेकिन अन्त में इतना ही सुझाव दूंगा कि आप अपना जो वक्तव्य दे रहे हैं इसमें से एक वर्ड नहीं पढ़ेंगे, एक्सटेम्पोर बोलेंगे। गैप आज जो है डिमाण्ड और सप्लाई में, कैसे पूरा होगा? आप काश्तकारों को एक बात कह दीजिये, क्यों मरवा रहे हैं उनको, आप कह दीजिये हम तो बिजली चार घण्टे देंगे। 8 घण्टे की बात करते हैं और बिजली दो घण्टे देते हैं, अपने मेनिफेस्टो में 10 और 12 घण्टे की बात करते हैं, न तो आपके पास बिजली है, हमारे उधर मारवाड़ में कहावत है और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी जानते हैं, "कोठे में व्हेला तो खेली में आवेला"।

श्री सुजान सिंह यादव : ट्रांसलेशन करो, माननीय, समझे नहीं।

श्री परसराम मदेरणा : ट्रांसलेशन तो, आप ब्रज भाषा के जानने वाले हैं, मैं कुछ ज्यादा समझता नहीं हूं लेकिन बोरों में 75 लाख भर कर रवाना कर दो, इस तरह बोरों में नहीं आती है बिजली तो ऊपर ही ऊपर चलती है। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि अगर गैप है, आपसे पूरी नहीं हो। सकती। मैंने उस दिन भी कहा जब खड़े हो गये आप, मुख्य मंत्रीजी दो तारीख को जब एप्रोप्रिएशन बिल पर उत्तर दे रहे थे, आप खड़े हुए कि नहीं, क्योंकि उन्होंने 1994 में कहा था कि यह भी इसी महीने बार पर आ जायेगा फिफ्थ यूनिट ऑफ कोटा, आप खड़े हो गये बीच में कि उसमें जनरेटर खराब हो गया वह हो गया, कुछ भी हो गया आप फेल हो गये 1 और 11 मेगावाट बिजली आपने पांच साल में एड की है, इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति किसी भी सरकार की हो नहीं सकती। मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, और यह मुझे दिख रहा था इसलिए मैंने मेरी जो स्पीच दी थी 5 नवम्बर, 1993 को, उसका उल्लेख उस दिन इसलिए किया था कि मैं सोच रहा था क्योंकि मैं पालिटिशियन भी

(श्री परसराम मदेरणा)

हूं लेकिन मैं दूरदर्शी भी हूं मेरा नजरिया आगे रहता है। मैं पालिटिशियन भी हूं लेकिन उसके साथ में स्टेट्समेन भी हूं, मैं पालिटिशियन भी हूं लेकिन उसके साथ राजस्थान की बहबूदी और उसकी ग्रोथ बढ़े, यह सदन के लिए सामूहिक चिन्ता का विषय है।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह : फिलासफर भी हैं।

श्री परसराम मदेरणा : फिलासफर नहीं हूं, और सब कुछ हूं पर फिलासफर नहीं हूं, फिलासफर आप हैं।

इसलिए आप मेहरबानी करके काश्तकारों को झांसा-पट्टी मत दीजिये उनको कह दीजिये कि हम चार घण्टे बिजली देंगे ताकि वह कम से कम उतनी ही बुवाई करें उससे ज्यादा नहीं करें, नहीं तो उनकी फसल सारी की सारी खराब हो जाती है। वह तो काश्तकार की केनोपी के नीचे है, बड़ा हॉल नहीं है यहां। रोली पड़ जाती है उसके ओले भी पड़ जाते हैं, एटमोस्फीयर चेंज में उसकी फसल खराब हो जाती है और फसल पकने वाली होती है तो कई दिन बादल रहते हैं तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं He is at the mercy of the vagaries of nature and climate.

इसलिए आप मेहरबानी करके इन काश्तकारों को कितनी बिजली आप दे सकते हैं, यह सोच लीजिये। हम 700 गांवों को बिजली दे रहे हैं, 20,000 कुओं को दे रहे हैं, पास में कुछ है नहीं और आगे टिकाते जाओ और पीछे ट्रांसमिशन लाइन पूरी खींची नहीं, वोल्टेज पूरा नहीं और ट्रांसफार्मर जल रहे हैं वह रोता फिर रहा है और यह यहां लम्बी-चौड़ी डींगें हांक रहे हैं और प्रशंसा के पुल बांध रहे हैं, अपने पास है नहीं, इसको स्वीकार कीजिये If you are mentally honest जिस पारदर्शिता की और जिस ट्रांसपरेंसी की बात करते हैं यह सदन सुप्रीम है, अपने को ट्रूथफुली बात कहनी चाहिये कि यह पोजिशन है। इसलिए मैं उस दिन कोई एक्सपरसन कास्ट नहीं कर रहा था अपन बुला तो रहे हैं जब तक आ जाएगी मैं यह कह रहा हूं जब तक आ जायेगी बिजली, चाहे आप किसी भी मल्टीनेशनल को बुला लीजिये जो आपके थर्मल के प्रोजेक्टस हैं, जेस्टेशन पीरियड किसी भी थर्मल प्रोजेक्ट का 6 साल से कम नहीं है, अगर 6 साल के बाद में बिजली आयेगी पहले ही उसको बुला कर यहां बैठा देंगे ? एक यह है।

दूसरा, डीजल के लगा रहा हूं मैं। यह डीजल वाले 5--6 हैं न 100-100 मेगावाट के, इसमें एक बात का ध्यान रखिये कि डीजल से और नेफ्था से जितना पोल्यूशन होता है उतना पोल्यूशन किसी भी प्रोजेक्ट से नहीं होता। कोल से नहीं होता। आज क्या स्थिति नहीं है ? परसों मैं कह रहा था जब तो मेरे बारे में आप कह रहे थे कि आपने राजस्थान को डुबो दिया। और परसों वहां उद्घाटन करने लिए मुख्य मंत्रीजी पधारे थे, आज एक क्यूसेक भी पानी नहीं है, बंद कर दिया है, चीफ व्हिप महोदय। और पानी कौनसा एफ्लूएण्ट सीवरेज वाला दिल्ली का मैला

(श्री परसराम मदेरणा)

पानी वहां पर आ रहा है, पोखरों में डाल रहे हैं आदमी कोई टच नहीं करता। समझौता कर दिया, पानी आया है, वहां पर जाकर फाटक खोल रहे हैं, पूरी पब्लिसिटी दी जा रही है और टांय-टांय फिस, आज एक बूंद नहीं आ रहा है। आप ऐसी स्थिति मत कीजिये, जो स्थिति साफ है वह साफ आप जनता के सामने रखिये। आपके कनेक्शन साढ़े चार लाख के आस-पास हैं, कितने हैं एग्रिकल्चरल कनेक्शंस ? आप इनको डार्क में मत रखिये, इनको स्पष्ट बात कहें ताकि वो उतनी ही खेती करे जितनी आप उनको बिजली देवें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री महावीर भगोरा। केवल दो मिनट।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अब मंत्री महोदय को बुलवाएं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो, महावीरजी। ऊर्जा मंत्री महोदय।....(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : हो गया, अब लीडर के बाद बोलेंगे क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : आपके नेता महोदय बोल लिये, बिराजो आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, एक बात तो आपने गलत कही है, विपक्ष के नेता महोदय, वह यह कही है कि 1460 मेगावाट बिजली राजस्थान में पैदा होती है और 1465 करीब अपन बाहर से लाते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : हैं ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : 1460 मेगावाट तो राजस्थान में पैदा होती है अपने खुद के सोर्स से और 1465 बाहर से आती है, तो जो 1460 राजस्थान में पैदा होती है वह कोटा थर्मल में होती है, उसमें से अधिकांश: भारतीय जनता पार्टी के राज में उसकी स्थापना हुई थी और अधिकांशत: आयी है, आपके जमाने की सारी बिजली बाहर से आती थी।

श्री परसराम मदेरणा। बिलकुल गलत बात।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बिलकुल सही बात है।

श्री परसराम मदेरणा : कुछ नहीं। वह तो आप पर्चेज कर रहे हैं और पर्चेज भी आपको पूरी नहीं मिल रही है। 1450 मेगावाट का जब आपने पिछली साल आश्वासन दिया था इस सदन में, 450 मेगावाट मिली क्या आपको ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : 300 मेगावाट मिली है।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, आपको 270 मेगावाट मिली है 450 के मुकाबले में। केवल 270 मेगावाट।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पौने चार सौ मेगावाट प्रति पंचवर्षीय योजना में लाने

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

की बात कही है वह भी बाहर की थी और हमारी सरकार भी जो ला रही है, वह भी बाहर की है।

श्री परसराम मदेरणा : चीफ मिनिस्टर साहब इतना ही कह रहे थे कि पहले कोटा वाला जो है, उसको मैंने क्लीयर कराने के लिये स्टेप लिये। बाकी चार यूनिट तो हमारी सरकार के... (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : एक तो 1978 में बनायी थी। दो आपके हो गये। दो हमारे हो गये। बराबर ही चल रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : वक्त में और कांग्रेस के शासन के वक्त में चार यूनिट तो हमने कमिशन्ड किये, पांचवां कर रहे हो आप। वादा किया आपने अप्रेल में और एक साल का स्लिपेज हो गया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बिजली के बारे में जितने आन्दोलन आपके राज में हुए, भारतीय जनता पार्टी के राज में एक भी आन्दोलन किसानों का नहीं हुआ। (व्यवधान) किसानों का एक भी आन्दोलन बी. जे. पी के राज में नहीं हुआ. आपके राज में हुआ।

श्री परसराम मदेरणा : और एक साल बाद में इस सदन के अन्दर आपने हमको गुमराह किया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सबसे ज्यादा बिजली का प्रोडक्शन हुआ और एक भी आन्दोलन किसानों का भारतीय जनता पार्टी के राज में नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी के राज में हजारों लोगों को आन्दोलन के कारण से जेल में जाना पड़ा। पांच-पांच मिनट में बिजली जाती थी और सारा का सारा प्रोडक्शन बी. जे. पी. के राज में हुआ है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें। मीणाजी, बिराजें माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : एक भी आन्दोलन नहीं हुआ। आपके राज में किसानों पर डण्डे पड़ते थे, डण्डे। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : (व्यवधान) किसानों का सत्यानाश कर दिया आपने। दो घण्टे बिजली नहीं मिलती है। कांग्रेस की बिजली नीति देखो उठाकर।

श्री उपाध्यक्ष : मीणाजी, बिराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री परसराम मदेरणा : यह बात सही है कि इतना भारी अन्तर होने के बाद में भी आन्दोलन नहीं हुआ। हम अन्दोलन करें?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जन समर्थन नहीं मिल रहा है आपको। आपने करने की कोशिश तो की है। जनता आपके साथ नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : यह बात कुछ नहीं कि समर्थन नहीं मिल रहा है। आपने आन्दोलन करवाकर उस बालूराम को मरवा दिया झुन्झुनू में।....(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आज भी बैठे थे चार-पांच चौपड़ पर (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें।

श्री रामनारायण डूडी : पूरे काश्तकारों की जमीनों को गिरवी रखवा दी और बिजली मिली नहीं। आठ घण्टे का वायदा किया। फ्लेट रेट जो है आपकी आठ घण्टे के हिसाब से ली और....

श्री रामस्वरूप : वहां पर कोई आफिसर नहीं बैठता। अफसरों से बिलकुल खाली पड़ा है डिपार्टमेंट।

श्री रामनारायण डूडी : और फोरी के अन्दर इन्होंने लोगों के सारे कनेक्शन डिसकनेक्ट कर दिये, ट्रांसफार्मर्स हटा लिये गये और उनको चार घण्टे बिजली नहीं दी आपने।

श्री उपाध्यक्ष : बैठ जाइये।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (ऊर्जा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने मेरा ज्ञानवर्द्धन किया इसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं। उन्होंने आलोचना की किन्तु मेरा मार्गदर्शन करने के लिए :

श्री परसराम मदेरणा : सरकार मार्ग दर्शन चाहती है। अकेले आपका कहां रहा ?

श्री रघुवीर सिंह कौशल : हां, तो मैं यही तो कह रहा हूं।

श्री परसराम मदेरणा : उसमें सिंचाई भी है, पेयजल भी है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : हां, सभी हैं। इसलिए मैं कोई गलत थोड़ी ही कह रहा हूं। लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि प्रतिपक्ष के नेता महोदय भी बिजली मंत्री रहे हैं। मैंने उनके कार्यकाल को देखा है। पूछा, क्योंकि मैं उनका अनुसरण करता हूं। उनका बहुत आदर करता हूं। उन्होंने यह किया था कि पहले एक साल में चालीस हजार एग्रीकल्चर कनेक्शन थे, उन्होंने बिजली मंत्री बनते ही उस साल दस हजार कर दिये। हमारे कई माननीय सदस्यों ने कहा, इसमें घनखड़जी तो यह कह गये तुरत-फुरत ढाई लाख कनेक्शन दे दीजिये आप। उन्होंने दस हजार किये इस बोर्ड को स्ट्रेंथन करने के लिए और ऐसा करने के लिये साहस की आवश्यकता होती है।

आज आवश्यकता इस बात की है कि हमने जितने काश्तकारों को कनेक्शन दिये हैं। जो हमारे साढ़े चार लाख उपभोक्ता हैं। उनकी सेवा ठीक ढंग से कर सकें या इसका एक्सपांशन करके ज्यादा से ज्यादा कनेक्शन दे दें बिजली न होते हुए भी। यह प्रश्न हमारे सामने आकर खड़ा होता है और दूसरी तरफ आलोचना हो रही है बिजली के लिए। माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय, आप इतना जानते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के राज में 210 मेगावाट आ गयी। अब मैं आपसे यह उम्मीद नहीं करता, कोई और भले ही कर दे....(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : आ गयी क्या ? अच्छा मुझे बता दीजिये कब आयेगी ?

श्री रघुवीर सिंह कौशल : मैं बता हूं आपको।

श्री परसराम मदेरणा : डेट तो बताओ अब आप।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : आप बैठें तो बताऊं मैं। आपके खड़े होते ही मेरी बोलती बन्द हो जाती है।

मान्यवर, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं सिंक्रोनाइज हो गयी। रोटर यदि भेल खराब लगा देता है। मैं यहां से जा रहा हूं घर जाने के लिए, रास्ते में ही कोई पहाड़ टूट पड़ता है, कोई बिल्डिंग मेरे ऊपर गिर जाती है, इसमें कोई मेरे बस की बात है क्या? कोई यह कह दे हमारी सिनसियरिटी में कमी थी क्या और क्या यह जो 210 मेगावाट बिजली है, इसके लिये हम श्रेय लेने के अधिकारी नहीं हैं? माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय, सूरतगढ़ का जो प्लाट बन रहा है क्या यह हमारे राज में नहीं बन रहा है और जो अभी एक वर्ष में यह सूरतगढ़ आ जाएगा, यह प्रयास किसका होगा?

माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय, आज बिजली बनाने का जो वातावरण राजस्थान में क्रिएट हुआ है, कभी आपने बिजली मंत्री रहते हुए यह वातावरण क्रिएट किया था कि कुछ न कुछ राजस्थान की जनरेशन बनेगी।

श्री परसराम मदेरणा : कुछ नहीं। आपने तो प्राइवेट लोगों के पास जाकर हाथ जोड़े हैं और हमने खुद ने जनरेशन किया है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या किया? आज राजस्थान की स्थिति ऐसी है कि राजस्थान में बिजली के लिये दो महीने, तीन महीने, चार महीने, पांच महीने में पांच महीने में यह 4,200 मेगावाट के लिए हस्ताक्षर हो जायेंगे फाइनल डीड होकर, कितना काम हुआ। बिजली बोर्ड के इतिहास में जो जनरेशन का काम नहीं हुआ वह इन पिछले एक-दो साल के अन्दर-अन्दर हुआ और आज यह वातावरण दिखाई दे रहा है कि हरेक की फाइनल स्थिति आ गयी है। यह बरसिंघसर लिग्नाइट, सारी फोर्मेलिटीज पूरी होते-होते (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : वह पढ़ लिया, पढ़ लिया।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : नहीं-नहीं, आपने जब मुझे सुनाई। मैं भी तो बता दूं आपको। मैं तो आपके पद चिन्हों पर चल रहा हूं।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, आपने पहले एक दिन सभी के बारे में जिक्र किया था। आप इस सदन में मुझे तो यह बता दीजिये कि यह बिजली छह-सात साल बाद आयेगी?

श्री रघुवीर सिंह कौशल : कौनसी?

श्री परसराम मदेरणा : आप जो छह-सात प्रोजेक्ट की बात करते हैं। टैरिफ क्या रहेगी?

श्री रघुवीर सिंह कौशल : टैरिफ क्या रहेगी? यह तो जो सारे देश की टैरिफ

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

रहेगी, वही टैरिफ रहेगी। और आप छह साल, सात साल की बात कर रहे हैं न ... (व्यवधान) ...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आन्दोलन होंगे। इनके पद चिन्हों पर चलोगे तो आन्दोलन होंगे। किसानों पर डण्डे बरसाने पड़ेंगे। छोड़ें इस बात को।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : उपाध्यक्ष महोदय, बिजली बनाने में कांग्रेस सरकार कितनी गम्भीर रही है, उसका कुछ नमूना मैं आपको बताता हूं। पॉवर हाउस माही का देखिये .... (व्यवधान) जो आलोचना माननीय प्रतिपक्ष के नेता....(व्यवधान)

श्री रामपाल उपाध्याय : कुछ रचनात्मक बात करो, किसानों की बात करो यह क्या आलोचना कि आपने यह किया और हमने यह किया। यह क्या बात हो गयी ?

श्री रघुवीर सिंह कौशल : मैं रचनात्मक काम पर भी आता हूं।

श्री परसादी लाल मीणा : (व्यवधान) आपने क्या किया ? कांग्रेस के राज में क्या हुआ ? हमारा राज... (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह कौशल : एक मिनट तो सुन लो।

श्री परसादी लाल मीणा : क्या बात कर रहे हो आप (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजिये।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : जब यह कहा गया है कि आपने 10 मेगावाट बिजली बनायी है तो मैं बिजली के लिए जो वातावरण आज राजस्थान में बना है, क्या बिजली बोर्ड के इतिहास में कभी बना ? मैं यही सिद्ध करना चाहता हूं। आपने बिजली बनायी माही की........ (व्यवधान)

श्री रामपाल उपाध्याय : मंत्री महोदय, सारे देश में बन रही है। आर्थिक उदारवाद आया है तब से बन रही है।

श्री उपाध्यक्ष : उपाध्याय जी बिराजिये।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : थोड़ी देर सुन लो बैठकर। यह माही कांग्रेस के जमाने में बनी। 25 मेगावाट जनवरी, 1976 में प्लानिंग कमीशन ने स्वीकार की, सैंक्शन की। 25 मेगावाट अब कब बनी, 1986 में (व्यवधान) मेगावाट बनी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मंत्री महोदय, 1976 कब था, यह तो बताओ और आप और हम जेल में थे। (व्यवधान) आपको और हमको जेल बंद करके रखा था आपने।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, परम्परा यह है कि माननीय मंत्रीजी वक्तव्य दे दें उसके बाद कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिये। बीच में इंट्रप्शन मत करिये।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : माही का पॉवर हाउस सैकिण्ड जनवरी, 1979 में

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

सैंक्शन हुआ, बना 1989 में। 10-10 साल मेगावाट बनाकर हमें शिक्षा दे रहे हैं कि सूरतगढ़ के 250 मेगावाट में पांच साल का समय क्यों लग रहा है। एक साल क्यों बढ़ रहा है? 1997 तक माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय, 1997 में सूरतगढ़ का 250 मेगावाट सिंक्रोनाइज हो जाएगा।

श्री परसराम मदेरणा : सात साल लगेंगे? 1990 से 1997, सेवन ईयर लगेंगे?

श्री रघुवीर सिंह कौशल : आपकी आशा पूरी नहीं होने दूंगा। आपको निराश होना पड़ेगा कि 1997 यह सूरतगढ़ का 250 मेगावाट सिंक्रोनाइज हो जायेगा। मान्यवर, मैं यह भी निवेदन करता चाहता हूं (व्यवधान)

(20.38)

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री परसराम मदेरणा : निराश मैं किसके लिए होऊंगा? मैं तो चाहता हूं आप अभी ले आओ जल्दी। उसको जनवरी 1996 में ही ले आओ। एडवांस करते हो आप, वह अच्छा रहेगा।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : मैं जानता हूं आप चाहते हैं, क्योंकि आप राजस्थान का हित चाहते हैं। आपने मुझे वेदना से चैलेंज किया है कि जल्दी-जल्दी काम करें। इसलिए मैंने उसको उसी रूप में लिया है।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, उसको एडवांस करो जितना भी कर सकते हो।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : मान्यवर, मैं बता रहा था कि बरसिंहसर लिग्नाइट का सारी चालीस स्टेज पार करके अब स्थिति यह आ गयी है कि माह जून-जुलाई, 1995 के अन्त तक परियोजना के क्रियान्वयन हेतु एक पार्टी का चयन कर लिया जाएगा।

बाड़मेर लिग्नाइट, जिसमें जालीपा और कपूरड़ी दोनों हैं। कोई बता दे जालीपा और कपूरड़ी में कांग्रेस सरकार ने क्या किया? क्या श्रेय लेना चाहती है 1500 मेगावाट का कांग्रेस सरकार? इसकी भी सारी योजना, सारी स्टेजेज पार करती हुई 31 अगस्त, 1995 तक निविदाओं की प्राप्ति की अन्तिम तिथि है यह 1500 मेगावाट की और 500 मेगावाट की।

सूरतगढ़ द्वितीय चरण सारी स्टेजेज पार करती हुई अन्तिम मूल्य निविदा प्राप्त करने की तारीख 31-5-1995 निर्धारित की गयी है।

डीजल और अन्य वैकल्पिक ईंधन पर यह 600 मेगावाट की दो महीने में फाइनल हो जायेगी और माननीय मदेरणा साहब, मैं आपको बधाई देने आऊंगा जिस दिन इनके हस्ताक्षर हो जायेंगे, इन प्राइवेट पार्टीज को जनरेशन के लिए आदेश मिल जायेंगे और वह दिन बहुत ज्यादा दूर नहीं होगा। और भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं मैं कहना नहीं चाहता क्योंकि आप तो दूसरी भावना से लेते हैं। कई ऐसे होते हैं कि मोमबत्ती दिखाना चाहते हैं कि राजस्थान में मोमबत्ती ही जलनी चाहिए लट्टू नहीं जलना चाहिये, वह स्थिति नहीं है।

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

मैं आपकी सूचना के लिए एक और बात बता देना चाहता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नहीं, सब मत बताओ, नजर लग जायेगी।

श्री परसराम मदेरणा : यह तो गांव की बात है, यहां तो चकाचौंध है। शहर में तो चकाचौंध करो और गांव में अंधेरा करो।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां हमने जनरेशन पर ध्यान दिया है और आज यह वातावरण बना है। सत्य बात यह है कि आज बाहर से आने वाला व्यक्ति यह सोचने लगा है कि जितने जनरेशन पर अभी इनका काम चल रहा है, जनरेशन हो जाएगा तो क्या राजस्थान में बिजली सरप्लस हो जाएगी यह कई लोग आकर पूछते हैं। जब हम यह सुनते हैं तो हमें बड़ी सुखद लगती है, क्योंकि हम घोर अभाव में चल रहे हैं। अभी एक बहुत अच्छा ऑफर आया है मैं माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय से अकेले में बात करूंगा। एक 1200 मेगावाट का आफर हमारे पास आया है, 1200 मेगावाट बनाकर हमको देने को तैयार हैं उसकी रेट भी फिक्स है, और इसीलिये.... (व्यवधान)....

श्री रामस्वरूप : टोडाभीम का आया है क्या ?

श्री रघुवीर सिंह कौशल : कुछ लोग भले ही गलत आलोचना कर दें, किन्तु मैं जानता हूं कि राजस्थान में बिजली उत्पादन सबसे सम्बन्धित है। न वह बी.जे. पी. का हित है, न वह कांग्रेस का हित है राजस्थान का हित है और हर राजस्थान का हितैषी इसको बड़ी आशा भरी दृष्टि से देख रहा है। इसीलिये जो नौ लोगों की कमेटी बनायी है, उसमें माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय, माननीय रामनारायण जी चौधरी, माननीय चंदनमल जी बैद, इन सबको मैंने इसलिए रखा है कि जनरेशन और डीजल में इनसे हमारा मार्गदर्शन होता रहे, क्यों? क्योंकि इसी दृष्टि से देखेंगे।

माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने एक बात यह कही थी कि जब मैं यहां विधान सभा में बोलता था तो ऐसा लगता था कि कोई किसान बोल रहा है और मैं आपकी इस उम्मीद को पूरी करने के लिए कटिबद्ध हूं, मैं बिजली बोर्ड में हूं मुझे भी याद है कि मुझे भी इनर्जी मिनिस्टर बनाया था तो कई लोगों ने कहा था कि झुनझुना पकड़ा दिया, झुनझुना, पर मैंने झुनझुना नहीं लिया। मैंने सोचा यह किसान से सम्बन्धित विभाग है इसको चेलेंज के रूप में स्वीकार करूंगा और जितनी बाधाएं आयेंगी उन बाधाओं को पार करूंगा।

माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय, यह किसान की आत्मा ही बोल रही थी। यह एल फार्म मैंने स्वीकार किया यह किसान का हित किया कि नहीं किया ?

श्री परसराम मदेरणा : मैंने तो यह सोचा कि आपकी आत्मा बुझ गयी है उसको जागृत करना चाहता हूं।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : इसीलिए मैं मार्गदर्शन आपका चाहता रहता हूं। यह

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

मैंने "एल" फार्म खतम किया उस के कारण किसान इतना परेशान था, आप बताइये किसान का हित किया या नहीं किया ? यह डिमाण्ड नोटिस जाने के बाद तीस दिन में पैसे जमा नहीं हुए तो प्रायोरिटी फाइल कैंसिल हो जाती थी, यह कैंसिल होना खतम किया तो मैंने अच्छा किया या बुरा किया ? यह कनेक्टेड लोड बढ़ाने की स्वीकृति ए. ई. एन. को दे दी एस. ई. के बजाय यह अच्छा किया या गलत किया ? यह जो कुए, का कनेक्शन डिस कनेक्ट हो जाता था किसान और फिर जब वह री-कनेक्शन कराने आता था तो उससे मिनिमम चार्जेज लिए जाते थे। एक किसान मेरे पास आया था, चार हजार रुपये बाकी थे कनेक्शन जब डिस-कनेक्ट हुआ और जब री-कनेक्शन कराने आया तो 16 हजार रुपये हो गये। हमने यह कर दिया कि जिसका डिसकनेक्ट हो गया है, जिस तारीख को डिसकनेक्ट हो गया है उसके ऊपर जितने रुपये बाकी हैं उसका डेढ़ प्रतिशत ब्याज लेंगे, नो मिनिमम चार्जेज, मिनिमम चार्जेज समाप्त कर दिया। यह किसान के हित में किया कि नहीं किया ? यह जो शिकायत अभी सुनने को मिल रही थी कि तार ढीले हो गये, वह कनेक्शन गलत दे दिया, वह भ्रष्टाचार है, तो क्या आज किसान की उस वेदना को समझकर यह एस. डी. ओ. की कमेटी नहीं बनायी ? पहले भी कोई बना सकता था ना (व्यवधान) .... देखिये श्री परसादी लाल जी, आप समझिये यह कमेटी बनायी उसके बाद विधान सभा शुरू हो गयी, इसलिए कमेटी की मीटिंग नहीं हुई। मैं बार-बार कहता हूं यह मोस्ट पावरफुल कमेटी है, इसमें आप जो निर्णय ले लेंगे जिस काम के भी, वहां तार नहीं खिच रहे हैं। यह जे. ई. एन. गड़बड़ कर रहा है ? इसका कनेक्शन इसने गलत दे दिया है वही निर्णय बोर्ड के निर्णय माने जाएंगे जो एस. डी. ओ. के यहां आप लोग ले लेंगे और जो वह कन्ट्रोल.......

श्री परसादी लाल मीणा : एम. एल. ए. को रखा कि नहीं रखा ?

श्री रघुवीर सिंह कौशल : उसमें एम. एल. ए. विशेष आमंत्रित कर दिया है। आप की सर हो जायेगी। एम. एल. ए. को रखा है एस. ई. की मीटिंग में, एम.एल.ए. को रखा है जिले की बैठक में। उसमें सारे प्रधान हैं और आपको विशेष आमंत्रित कर दिया है और सारे अधिकार आज यहां बैठकर मैं चेयरमैन, जे. ईएन, ए. ईएन. की बात नहीं सोच सकता कि वहां क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इसका कंट्रोल जब वहां रहेगा और जब वह देखेंगे कि जे. ईएन. के यहां, ए. ईएन. के यहां कोई जन-प्रतिनिधि देख रहे हैं, तो उनकी गड़बड़ियों में कमी आयेगी।

यह किसान के हित के लिए कितने एस. ई. सर्किल खोले, एक्स, ई. एन. के आफिसेज खोले. ए. ईएन. के आफिसेज खोले, इतने कभी बने थे क्या ? किसान के दर्द को समझकर ही किया गया था कि किसान को परेशानी नहीं हो, यह भी अच्छा हुआ कि नहीं हुआ ?....(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप ऊर्जा मंत्री बन गये यह सबसे अच्छा हुआ।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : चीफ इन्जीनियर जयपुर में बैठते थे। आज जोनल चीफ इंजीनियर भी बना दिये। जहां चीफ इंजीनियर की पोस्ट नहीं है वहां डिप्टी चीफ इंजीनियर है एडीशनल चीफ इंजीनियर है और प्रत्येक जोन में एक बिठा दिया और चाहे वह डिप्टी चीफ इंजीनियर भी है, सारी चीफ इंजीनियर की पावर उसको दे दी। किसान का कोई झगड़ा हो गया है तो उसके लिए सैटलमेंट कमेटी एक्स. ईएन. लेवल पर बना दी दस हजार तक की, पचास हजार तक की एस. ई. के लेवल पर बना दी, ढाई लाख तक की चीफ इंजीनियर के लेवल पर बना दी, जो जोन पर ही हों जाएगी और फिर ऊपर बोर्ड में आ जाएगी यह सारे झगड़े मिटाने के लिए। यह सारा बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन जयपुर से होता था अब जो जोनल चीफ इंजीनियर हैं उनको इसके लिए अधिकृत कर दिया ताकि आज यह जो शिकायतें आ रही हैं कि उसको यह नहीं मिल रहा है, उसको कनेक्शन ज्यादा मिल गया और उसको कम मिल गया। अब बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन जोनल चीफ इंजीनियर अपने हिसाब से करेंगे अपने यहां की आवश्यकता को देखते हुए.... (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : कितने घण्टे बिजली मिलेगी ?

श्री रघुवीर सिंह कौशल : कितने घंटे बिजली मिलेगी उसका भी मैं बता देता हूं आपको।.... (व्यवधान).... माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय, आपने कहा कि आपने बिजली का क्या किया। यह तो आप भी जानते हैं कि तुरत-फुरत बिजली बनायी नहीं जा सकती। बिजली बनाने के लिए पचास तरह के पापड़ बेलने पड़ते हैं। सूरतगढ़ का पर्यावरण क्लियरेंस होने के बाद कैंसिल कर दिया है, इसने हमको लेट किया अब बाद में फिर वही वापस कर दिया तो तुरत-फुरत बिजली नहीं बना सकते थे, लेकिन अब तक 1990 में 2711 मेगावाट स्थापित क्षमता थी और इन पांच सालों में स्थापित क्षमता, हमने 219 मेगावाट बढ़ायी है।

श्री परसराम मदेरणा : कहां से बढ़ा दी ?

श्री रघुवीर सिंह कौशल : बताता हूं।

श्री परसराम मदेरणा : वह तो आपकी इन्टरनल फर्म केपेसिटी है, इनस्टाल्ड केपेसिटी है यह खरीद रहे हो और वह भी नहीं मिल रही है पूरी।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : यह स्थापित क्षमता है....

एक माननीय सदस्य : चोर कर लाये पर लाये तो सही।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : 210 मेगावाट के. टी. पी. एस. की, 111 मेगावाट अन्ता की, 450 मेगावाट एन. टी. पी. सी. से अतिरिक्त आवंटन शामिल है। यह स्थापित क्षमता हमने, जो तुरत-फुरत बना नहीं सकते थे, तो हमने व्यवस्था की 219

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

की जो 40 साल की बिजली का 1/3 है।

श्री परसराम मवेरणा : सैंट्रल प्रोजेक्ट से नहीं लेना चाहिये। आपको जो मान जनरेशन है वह अभी कोटा वाली आ जायं जो 11 मेगावाट है। वह है क्या यहां पर ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सूरज से ला रहे हैं।

श्री परसराम मवेरणा : सूरतगढ़ वाली नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सूरज। आकाश में से, सोलर।

श्री परसराम मवेरणा : 4 मार्च से सोलर आ रही है। मथानिया में आ रही है। आ रही है ?

श्री रघुवीर सिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, मैं, विनम्र निवेदन यह करना चाहता हूं कि मैं दो साल का खाका आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। आज नहीं आयी है, एक महीने बाद दो महीने बाद 210 मेगावाट बिजली आएगी और आज नहीं साल भर में, डेढ़ साल में सूरतगढ़ आयेगी। आप नहीं मानें, दो साल में मान लीजिये, सूरतगढ़ आयेगी। हां, तो 250 और 210 और दो साल में 600 मेगावाट डीजल की आयेगी। यह जितनी आपने 40 साल में एक हजार मेगावाट बनायी है उतनी बिजली दो साल में एक हजार मेगावाट राजस्थान में बनेगी। इसके अलावा 38 मेगावाट रामगढ़ की अलग है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हम जनरेशन में बहुत कंसंट्रेट होकर काम कर रहे हैं। हमारे जितने जनरेशन प्लांट हैं इनमें भी हे-टूडे का कार्यक्रम फिक्स है। इस तारीख तक यह हो जाएगा। बिलकुल समयबद्ध, तिथिबद्ध कार्यक्रम से हम चल रहे हैं। हम जानते हैं कि बिजली प्लांट में जितनी देरी होगी उतना राजस्थान का अहित है, राजस्थान के किसान का अहित है, राजस्थान के उद्योगों का अहित है। जहां तक चोरी का सवाल है, चोरी की ... (व्यवधान) मैं चाहता था कि मोदी जी का जवाब देऊं। न मोदी जी है, न धनखड़ जी हैं ...

श्री पूनम चन्द विश्नोई : ढाई हजार रुपये जो प्रति हार्स पावर....

श्री कालीचरण सराफ : मोदी जी, घारीवाल जी तो मीटिंग पाइण्ट पर गये।

श्री पूनम चन्द विश्नोई : ढाई हजार प्रति हार्स पावर वाला जो है रिट्रोस्पेक्टिवली लागू किया है जिसका पहले जमा करा चुके हैं किसान....

श्री रघुवीर सिंह कौशल : जिसके डिमांड नोटिस इश्यू हो गये हैं उनसे उतना ही लिया जाएगा। उनसे रिट्रोस्पेक्टिव इफैक्ट का ज्यादा पैसा नहीं लिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं, सदन को यही विश्वास दिलाना चाहता हूं और प्रतिपक्ष

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

के नेता महोदय को विशेष रूप से कि वह एक किसान के नाते मुझसे जो उम्मीद करते हैं, किसान को अधिक से अधिक बिजली देने के लिये हम तत्पर हैं। अभी हम नार्दन ग्रिड से जुड़े हुए हैं। वेस्टर्न ग्रिड से भी हम संचार लाइनें लगा रहे हैं ताकि जरूरत पड़ने पर वहां से भी ली जा सके, चाहे जिस भाव में लगे। अब के भी किसानों को बिजली देने के लिये ढाई सौ करोड़ रुपये का नुकसान उठाकर बिजली दी है, लेकिन यह अहसान नहीं है किसान पर। यह किसान पर अहसान नहीं कर रहे हैं हम। चाहे कितनी ही महंगी बिजली मिले और कहीं मिले, जहां से भी अवेलेबल होगी वहां से किसान के लिये बिजली लायी जायेगी और बिजली उसके लिये उपलब्ध करायी जायेगी। इसी विश्वास के साथ धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष : अभी आपको थोड़ा इन्तजार करना पड़ेगा.... (व्यवधान)

श्री पूनम चन्द विश्नोई : मंत्री महोदय, मेरी बात सुनिये आप। मैंने निवेदन किया था शार्ट नोटिस क्वेश्चन का, इंस्पेक्टिंग असिसटेंस को आथोरिटी दी हुई थी चैक करने की।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : मान्यवर इस सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि वह सबसे छोटी पोस्ट है। उसको यह अधिकार नहीं दिये हैं और न देने का विचार है। (व्यवधान)

सूचना

चतुर्थ सत्र में सदन में लिये गये कार्य

श्री अध्यक्ष : विराजें माननीय। माननीय सदस्य, आप सबने 26 दिन तक, विधान सभा के 26 कार्य दिवस है और जिस तरह का सहयोग दिया है उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। आप सबने ....(व्यवधान) आपका मतलब आप निर्दलियों से ही ले रहे हैं क्या? मैं सामने दे रहा हूं इसलिये। आपने खास सहयोग दिया उसके लिये आप का आभारी हूं।

दशम राजस्थान विधान सभा का चतुर्थ सत्र दिनांक 23 मार्च, 1995 से प्रारम्भ हुआ और आज दिनांक 5 मई, 1995 को अनिश्चितकाल के लिये स्थगित हो रहा है। इस सत्र में कुल 26 बैठकें हुई। 48 घण्टे + आज का अतिरिक्त समय कुल 53 घण्टे तक सदन की बैठकें अपने निर्धारित समय से अधिक चलीं।

प्रश्न:

इस सत्र में माननीय सदस्यों से 2204 तारांकित, 1782 अतारांकित, 22 आधे घंटे की चर्चा, 19 अल्पकाल की सूचना के प्रश्न की सूचनाएँ प्राप्त हुई। कुल 793 तारांकित प्रश्न सूचीबद्ध हुए जिनमें से 167 प्रश्नों पर सदन में चर्चा हुई। 1188 अतारांकित प्रश्न सूचीबद्ध हुए। एक आधे घण्टे की चर्चा व दो अल्प सूचना प्रश्नों पर सदन में चर्चा हुई।

इसके अतिरिक्त अध्यक्ष के निदेश संख्या 5 के अन्तर्गत 17 प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई।

(श्री अध्यक्ष)

प्रक्रिया के नियम 50 के अन्तर्गत के स्थगन प्रस्ताव :

54 माननीय सदस्यों से प्रक्रिया के नियम 50 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई उनमें से 39 प्रस्ताव राज्य सरकार को जानकारी हेतु भेजे गये, 27 प्रस्तावों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त हुई, 14 स्थगन प्रस्ताव सदन के बाहर नियम 50 का विषय न होने के कारण अग्राह्य किये गये और 12 प्रस्तावों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त होना शेष है। सभी 54 स्थगन प्रस्ताव अस्वीकृत किये गये।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के प्रस्ताव :

उक्त नियम के अन्तर्गत 316 विशेष उल्लेख के प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई और सभी प्रस्ताव राज्य सरकार को, जानकारी प्राप्त करने हेतु भेजे गये और भेजे जा रहे हैं और 183 के उत्तर प्राप्त होने शेष हैं।

प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव :

उक्त नियम के अन्तर्गत 426 प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई जिनमें से 362 प्रस्ताव राज्य सरकार को जानकारी हेतु भेजे गये उनमें से 276 के उत्तर प्राप्त हो गये, 86 के उत्तर प्राप्त होने शेष हैं, 32 प्रस्ताव अस्वीकृत किये गये और 40 प्रस्तावों पर सदन में चर्चा हेतु रखे गये।

प्रक्रिया के नियम 127 के अन्तर्गत प्रस्ताव :

प्रक्रिया के नियम 127 के अन्तर्गत माननीय सदस्यों से 4 प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई। उनमें से एक प्रस्ताव पर सदन में चर्चा हुई।

प्रक्रिया के नियम 157 के अन्तर्गत विशेषाधिकार हनन की सूचना :

प्रक्रिया के नियम 157 के अन्तर्गत 15 सूचनाएं विशेषाधिकार हनन की प्राप्त हुई, जिनमें से 7 अस्वीकृत की गयी, 4 सूचनाओं पर सदन में व्यवस्था सुनायी जा रही है और एक में सुनायी गयी, मतलब कुल चार हैं।

प्रक्रिया के नियम 119 के अन्तर्गत प्रस्ताव :

प्रक्रिया के नियम 119 के अन्तर्गत चार प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई। इन प्रस्तावों में उठाये गये विषयों के सम्बन्ध में अन्य अवसरों पर हुई चर्चा में माननीय सदस्यों को भाग लेने का अवसर प्रदान किया गया।

मंत्री द्वारा वक्तव्य :

सदन में 4 घटनाओं के सम्बन्ध में मंत्री द्वारा वक्तव्य दिये गये, जिसमें हुई चर्चा में 49 माननीय सदस्यों ने भाग लिया।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा

राज्यपाल महोदय, के अभिभाषण पर

(श्री अध्यक्ष)

धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा में 33 माननीय सदस्यों ने भाग लिया।

आय-व्यय (बजट) 1995-96 पर
सामान्य वाद-विवाद

आय-व्यय (बजट) 1995-96 पर हुए सामान्य वाद-विवाद में 28 माननीय सदस्यों ने भाग लिया। विभिन्न विभागों से सम्बन्धित 13 अनुदानों की मांगों पर सदन में चर्चा हुई, जिनके सम्बन्ध में कुल 1950 कटौती प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई। जिसमें से 1505 कटौती प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किये गये। अनुदान की मांगों पर विभिन्न तिथियों को हुई चर्चा में कुल 193 माननीय सदस्यों ने भाग लिया।

विधायी कार्य :

सत्र में कुल 21 विधेयक पारित किये गये। इन विधेयकों पर 151 माननीय सदस्यों से संशोधन प्रस्ताव प्राप्त हुए। एक विधेयक वापस लिया गया।

उपरोक्त के अतिरिक्त प्रतिदिन शून्य-काल में माननीय सदस्यों को विभिन्न मुद्दे उठाने का अवसर उनके द्वारा दी गयी पर्चियों के आधार पर दिया गया और ज्यादातर माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी पर्चो के आधार पर उन्हें बोलने का अवसर मिला। कुल मिलाकर माननीय सदस्यगण को 226 अवसर उपलब्ध कराये गये।

याचिकाओं का उपस्थापन :

21 याचिकाएं माननीय सदस्यों द्वारा सदन में उपस्थापित की गयी। अब मुझे

(21.00)

दो-तीन व्यवस्थाएं जो प्रिविलेज के बारे में थी, मैंने उनसे कहा था कि मैं लास्ट में सुनाऊंगा। कुछ माननीय सदस्य आज नहीं भी हो सकते हैं, पर चूंकि मैंने उन्हें आश्वस्त किया था इसलिए मेरा फर्ज है। इसलिए मैं इसको सुना रहा हूं।

अनेक माननीय सदस्य : पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

अनेक माननीय सदस्य : ओपरेटिव पार्ट सुना दीजिये।

श्री अध्यक्ष : नहीं, पढ़ा हुआ मैं तो....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ओपरेटिव पार्ट सुना दें।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आपरेटिव पोर्शन सुना दें।

श्री अध्यक्ष : जैसा आप कहें।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (फलोदी) : मुख्य प्रश्न यह है कि क्या विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द किया है ?

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : ओपरेटिव पोर्शन बता दीजिये।

विशेषाधिकार हनन प्रश्न पर व्यवस्था

टिबरीवाल आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक किये जाने से पूर्व राजस्थान पत्रिका में प्रकाशन

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मण सिंह जी और श्री माधव सिंहजी दीवन ने राजस्थान पत्रिका के खिलाफ पेश किया था कि उन्होंने विशेषाधिकार हनन किया और टिबरीवाल जांच आयोग के प्रतिवेदन के बारे में लीकेज की है। तो टिबरीवाल जांच आयोग की रिपोर्ट यहां है नहीं हमारे पास इसलिए मैं यह कहने में असमर्थ हूं कि उसमें क्या क्या थे जो उसमें चुने फैक्टस रखे गये, क्योंकि आज हमारे पास रिपोर्ट है नहीं इसलिए मै इसमें कहने में असमर्थ हूं।

"इस सन्दर्भ में यह भी देखने की बात है कि जो कुछ रिपोर्ट के अंश "दैनिक राजस्थान पत्रिका" द्वारा छापे गये हैं उनको किस प्रकार प्रमाणित माना जा सकता है, क्योंकि यह अभी तक अप्रकट है कि रिपोर्ट में क्या कुछ लिखा गया है और कल्पना के आधार पर आरोप नहीं लगाये जा सकते। पुनः यह दोहराने योग्य है कि आयोग की कार्यवाही कमरे में न होकर खुले में हुई थी और ऐसे में कोई भी अपने निष्कर्ष निकाल सकता है।"

उपरोक्त विवेचन के आधार पर मैं नहीं समझता कि इसमें सदन के विशेषाधिकार हनन का प्रश्न उपस्थित हुआ है और यह कोई ऐसा मामला है जिसे सदन के समक्ष विचारार्थ लाया जा सके।

एतदर्थ मैं उपरोक्त दृष्टान्त व तथ्यात्मक स्थिति के प्रकाश में माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत इस विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव को अग्राह्य करता हूं।"

(विस्तृत व्यवस्था के लिए कृपया परिशिष्ट-17 देखें।)

माननीय मुख्य मंत्री द्वारा पूछे गये प्रश्नों के उत्तर में विरोधाभास

दूसरा, माननीय जगदीप जी धनखड़ और बीस माननीय सदस्यों ने तिलम संघ के बारे में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव रखा था। तिलम संघ के बारे में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सन 1991 में एक उत्तर यहां दिया था उसको कोट करके और सन् 1995 में जब भी प्रश्न लगा उसमें उन्होंने कहा कि हानि बतायी गयी है। यह सारे फैक्ट्स, यह बड़ी रूलिंग हैं और पूरे 11 पृष्ठ की है। आप कहें तो मैं पढ़ कर सुना दूं।

अनेक माननीय सदस्य : ओपरेटिव पोर्शन पढ़ कर सुना दीजिये।

श्री हरजीराम बुरड़क : ओपरेटिव पार्ट पढ़ कर सुना दीजिये।

श्री अध्यक्ष : मैं ओपरेटिव पार्ट पढ़ कर सुना देता हूं।

"सार संक्षेप यह है कि विशेषाधिकार के प्रश्न के रूप में उठाने के लिए नियमानुसार यह मामला प्रक्रिया नियम 159 के अन्तर्गत हाल ही में घटित किसी विषय से सम्बन्ध नहीं रखता है और इस कारण

(श्री अध्यक्ष)

इससे सदस्य के या सदन के विशेषाधिकार हनन का भंग अन्तर्गस्त होना नहीं प्रकट होने के कारण सदन का इसमें हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। राज्य सरकार के सहकारिता विभाग के पत्र दिनांक 15 अप्रेल, 1995 में यह स्पष्ट किया गया है कि 24 मार्च, 1992 को सदन के सामने जो तथ्य प्रस्तुत किये गये 'वे नकद उपलब्धि के अनुरूप थे, उनमें घिसावट (depreciation) का समावेश नहीं किया गया था और आंकड़े 31 जनवरी, 1992 तक के उपलब्ध कराये गये थे और सदन को किसी प्रकार त्रुटिपूर्ण तथ्य नहीं उपलब्ध कराये गये। विशेषाधिकार भंग तभी होता है जब कोई सदस्य या मंत्री कोई गलत या असत्य वक्तव्य जानबूझ कर (intentionally) सोच समझकर एवं यह जानते हुए देता है कि यह गलत या असत्य है और यदि मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य के सम्बन्ध में कोई कथित विसंगति की बात कही जाती है तो उसके लिए माननीय अध्यक्ष के निर्देश संख्या 5 के अन्तर्गत माध्यम उपलब्ध है और यह कि इस मामले में मुख्य मंत्रीजी को जो सूचना थी, उस आधार पर उन्होंने दिनांक 24 मार्च, 1992 को तिलम संघ के बारे में सदन में स्पष्टीकरण दिया और इसी सदन में 31 मार्च, 1995 को मुख्य मंत्रीजी द्वारा प्रश्न के उत्तर में दी गयी सूचना में कथित विरोधाभास होने की स्थिति को विशेषाधिकार हनन नहीं माना गया है।

एतदर्थ मैं, श्री जगदीप धनखड़ व अन्य माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये इस विशेषाधिकार के मामले को उपरोक्त विवेचन की दृष्टि में विशेषाधिकार हनन की कोटि में नहीं मानते हुए अग्राह्य करता हूं और इस मामले को यहीं बन्द करता हूं।

(विस्तृत व्यवस्था के लिए कृपया परिशिष्ट--18 देखें।)

सचिव/माननीय अध्यक्ष को प्रस्तुत प्रस्तावों/सूचनाओं का समाचार पत्र में पूर्व प्रकाशन

तीसरा, एक विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव माननीय नरेन्द्र सिंहजी भाटी ने दिया है राष्ट्रदूत के बारे में है। राष्ट्रदूत के बारे में यहां कोई खबर छपी है कि विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव माननीय भाटीजी के खिलाफ लाया गया है और वह दूसरे दिन राष्ट्रदूत में छप गया था कि यह इस प्रकार का प्रस्ताव आया है। उसे उन्होंने विशेषाधिकार हनन माना और मान कर उन्होंने विशेषाधिकार नोटिस दिया है, उसका मैं ओपरेटिव पार्ट आपको सुना देता हूं।

"मैं भी मेरे पूर्व विद्वान माननीय अध्यक्ष द्वारा दिये गये विनिर्णय का अनुसरण करते हुए मार्गदर्शन के बतौर सभी माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करूंगा कि वे विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव प्रस्तुत करने में पूर्ण सावधानी बरतेंगे और किसी भी प्रकार प्रेस द्वारा सचिव एवं माननीय अध्यक्ष को प्रस्तुत प्रस्तावों/सूचनाओं के पूर्व प्रकाशन की स्थिति नहीं बने। समाचार पत्रों को यह समझ लेना चाहिये कि वे इस तरह के नोटिसेज/

(श्री अध्यक्ष)

प्रस्तावों का प्रकाशन नहीं करें जब तक कि उनको माननीय अध्यक्ष द्वारा स्वीकार नहीं कर लिया जाता और सदस्यों को परिचालित नहीं कर दिया जाता ।

मैं माननीय सदस्यों और प्रेस दोनों से उपरोक्तानुसार उम्मीद करते हुए इस प्रस्ताव को अग्राह्य करते हुए बन्द करता हूं ।"

(विस्तृत व्यवस्था के लिए कृपया परिशिष्ट-19 देखें ।)

ये तीनों ही सुना दिये हैं । अब पहले राष्ट्र गीत होगा । सभी माननीय सदस्य राष्ट्र गीत के लिए खड़े हो जायं ।

राष्ट्र-गीत

जन-गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता ।
पंजाब, सिन्ध, गुजरात मराठा, द्राविड, उत्कल बंग ।
विंध्य हिमाचल, यमुना-गंगा, उच्छल जलधि तरंग ।
तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशिष मांगे, गाहे तव जय गाथा ।
जन-गण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता ।
जय हे, जय हे, जय हे, जय, जय, जय, जय हे ।

सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 21:07 बजे अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई ।)

परिशिष्ट–1

तारांकित प्रश्न संख्या 2 का विवरण

सूची--"क"

उच्चतम न्यायालय में लम्बित प्रकरणों का वर्षवार विवरण

वर्ष	लम्बित प्रकरणों की संख्या
1989	261
1990	101
1991	179
1992	153
1993	172
1994	448
1995	68
	योग 1382

(282)

सूची "ख"

राजस्थान उच्च न्यायालय में लम्बित प्रकरणों का वर्षवार विवरण

वर्ष	लम्बित प्रकरणों की संख्या
1977	7581
1978	2072
1979	27495
1980	—
1981	11279
1982	153
1983	—
1984	1425
1985	3198
1986	73
1987	—
1988	370
1989	966
1990	1813
1991	1820
1992	2449
1993	2555
1994	2469
1995	279
	योग— 65997

परिशिष्ट--2

तारांकित प्रश्न संख्या 759 का विवरण

राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लि. में वर्ष 1991-92 से 1992-93 तक, जो देशी मदिरा की भराई हेतु खाली बोतलें उपयोग में लाई गई तथा उनमें जो टूट-फूट हुई, उसका विवरण।

वर्ष	भरी गयी बोतलों की संख्या	ढलाई एवं भराई के दौरान बोतलों में हुई टूट-फूट का विवरण।	कुल उपयोग में लायी बोतलों की संख्या
1	2	3	4
1991-92	872,24,034	14,07,690	886,31,724
1992-93	940,13,706	15,05,877	955,19,583

परिशिष्ट–3

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में गेस्ट्रो एन्ट्रोलोजी विभाग

762. डॉ. जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार की सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर में सर्जीकल गेस्ट्रो एन्ट्रोलोजी विभाग खोलने की कोई योजना प्रस्तावित है, जैसाकि अन्य राज्यों के शीर्ष चिकित्सालयों में है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं, सवाई मानसिंह मेडिकल कालेज, जयपुर में सर्जीकल गेस्ट्रो-एन्ट्रोलोजी विभाग खोलने की योजना राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है। सर्जरी विभाग के अन्तर्गत ही सर्जीकल गेस्ट्रो-एन्ट्रोलोजी के मरीजों का उपचार किया जाता है। भविष्य में वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने तथा कालेज से प्रस्ताव प्राप्त होने पर इस सम्बन्ध में विचार किया जा सकेगा।

राजस्व ग्राम मदरामपुरा (जयपुर) की भूमि पर अतिक्रमण

763. श्री एमादुद्दीन अहमद खां (तिजारा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या खसरा नम्बर 361 राजस्व गाव मनरामपुरा तहसील जयपुर की भूमि सवाई चक या किसी भी प्रकार से सरकारी भूमि है ? यदि हां, तो क्या उस पर अतिक्रमण है ?

(2) सरकार द्वारा उक्त भूमि की सुरक्षा हेतु क्या कदम उठाये गये ? क्या अतिक्रमियों के खिलाफ पुलिस कार्यवाही या अन्य किसी भी प्रकार की कार्यवाही की गई ? यदि हां तो क्या ?

(3) क्या उक्त भूमि पर किसी गृह निर्माण सहकारी समिति ने पट्टे काटे हैं और कब्जा करवाने की कार्यवाही की है ? यदि हां, तो किस समिति द्वारा एवं किन-किन व्यक्तियों को पट्टे दिये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) गृह निर्माण सहकारी समिति एवं पट्टेधारियों के खिलाफ सरकारी भूमि हड़पने के बारे में क्या कार्यवाही की गयी ?

उत्तर

(1) ग्राम मदरामपुरा के ख. नं. 351 को 3 बीघा 3 बिस्वा भूमि 29-11-82 के पूर्व मडकमा पी. डब्ल्यू डी के नाम दर्ज थी। न्यायालय सहायक कलक्टर एव कार्यपालक दण्डनायक कोर्ट नं. 3 के न्यायालय वाद संख्या 68/79 के निर्णय दिनांक 6-3-82 के द्वारा उक्त भूमि मांगीलाल पुत्र बक्सा माली के नाम

(राजस्व मंत्री)

खातेदारी हुई। तत्पश्चात् राज्य सरकार द्वारा उक्त आदेश को अपील राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर के न्यायालय में हुई। अपील संख्या 23/1982 में दिनांक 18-7-83 को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को बहाल रखा गया। खातेदार ने जरिये एग्रीमेंट माधव गृह निर्माण सहकारी समिति एवं उक्त समिति द्वारा स्वास्तिक गृह निर्माण सहकारी समिति को बेचान किया। अति.कलक्टर (भू. रु. उत्तर) ने 8-2-83 को अन्तिम रूपान्तरण के आदेश जारी किये। उक्त आदेश 3 माह हेतु जारी हुए थे। शर्तों की पालना न होने पर एवं खातेदार द्वारा बिना अनुमति के उक्त भूमि को कृषि भिन्न प्रयोग में लिये जाने के कारण तहसीलदार, जयपुर द्वारा खातेदार के विरुद्ध धारा 90-ए राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही कर दिनांक 28-1-85 के सिवाय चक अंकित किया गया। तत्पश्चात् उक्त भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 54 के प्रावधानो के अनुसरण में जयपुर प्राधिकरण के नाम अभिलिखित की गई।

(2) भूमि को सुरक्षा बाबत राज्य भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-ए के अन्तर्गत तहसीलदार, जयपुर में मुकदमा नं. 119/84 दर्ज कर दिनांक 16-10-84 को निर्णय पारित हो जाने से सिवाय चक करने के आदेश दिये सिवाय चक भूमि जे. डी. ए. में निहित हो जाने से वर्ष 1991 में उक्त भूमि जे. डी. ए. के नाम अभिलिखित कर दी गई।

(3) जी हां। खातेदार मांगीलाल द्वारा माधव गृह निर्माण सहकारी समिति के पक्ष में विक्रय करने व माधव गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा स्वास्तिक गृह निर्माण समिति को विक्रय करने का अनुबन्ध किया गया। स्वास्तिक गृह निर्माण सहकारी समिति ने ख. नं. 361 ग्राम मदरामपुरा व ख. नं. 19, 47 व 49 ग्राम सोड़ाला व ग्राम सुदर्शनपुरा को कुछ भूमि को सम्मिलित करते हुए अपने सदस्यों को गौरव नगर में भूखण्ड आवंटित कर कब्जे दिये हैं। ख. नं. 361 पर कटे भू-खण्डों के भूखण्ड धारियों की सूची, जो कि सोसायटी द्वारा रूपान्तरण के समय पेश की है, को सदन को मेज पर रख दिया है।

(4) मूलतः यह भूमि खातेदारी की भूमि थी। जिसे गृह निर्माण सहकारी समिति को हस्तानान्तरित करने और समिति के द्वारा भू-खण्ड काटकर अपने सदस्यों को कब्जा दिये जाने से ही भू-राजस्व अधिनियम, 1956 को धारा 90-ए के तहत राजकीय घोषित की गई है। अतः सहकारी भूमि हड़पने का प्रकरण प्रतीत नहीं होता है।

LIST OF ALLOTMET OF PLOTS

Under Swastik Grah Nirman Sahakari Semiti Btd.

GORAV--NAGAR

Area in Sq Yds.	Name & Father's Name	Address
500	Sh. S. K. Mittal S/o Sh. K. L. Mittal	Laddha Bhawan, Kishanpole Bazar, Jaipur
300. 1	Sh. Man Mohan Dhamu S/o Sh. Hari Ram Dnamu	77, Gorav Nagar, Jaipur
638.8	Sh. Bhag Chand Jain S/o Dharmi Chand Jain	C /o P. s. Kalani,G--2 Yamuna path, Kabir Marg Jaipur.
295.5	Sh. Yogesh Babu S/o Sh. Om Prakash	
50	Sh. H. L. Batra S/o Sh. K. L. Batra	
442.11	Sh. Ram Sahaya S/o Sh. Har Sahaya	
304.4	Sh. L. B Mathnr S/o Sh. Dr. Raj Bihari Lal	19, Gopal Bari, Jaipur.
200.83	Sh. Arjun Kumar S/o Sh. Dholu Mal Ji.	C/o Bhagwan 'B' 8 Girdhani 131, Haldiyon ka Rasta, Jaipur
582	Smt. Laxmi Bhansali S/o Sh. H.OR. Bhansali	Krishna Marg, 'C' Scheme, Jaipur.

(श्री एमादुद्दीन ग्रहमद खां)

425	Sh. Brijendra Singh S/o Sh. Sheesh Ram Ola	Civil Lines, Jaipur.
346.	Sh. R. D. Sarvat S/o Sh. Bhagwat Dayal	
302.	Sh. Shyam Lal S/o Sh. Nathu Lal	
266·6	Sh. Om Prakash s/o Sh. Khem Chand Jain	

डूंगरपुर जिले में संचालित बालवाड़ियां

764. श्री नाथूराम ग्रहारी (डूंगरपुर) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) डूंगरपुर जिले में कितनी बालवाड़ियां कहां-कहां चल रही हैं ? पंचायत समितिवार ब्योरा सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या ये बालवाड़ियां शहर-कस्बे एवं गांवों में खोली जाती हैं ? यदि हां, तो बालवाड़ी केन्द्र खोलने के क्या मानदण्ड हैं ?

(3) क्या सरकार द्वारा बालवाड़िया खोलने के लिए कोई समिति बनाई गयी है ? यदि हां, तो समिति के सदस्य कौन-कौन हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के सामान्य सहायक अनुदान कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला डूंगरपुर में कोई बालवाड़ी संचालित नहीं है ।

(2) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के विशेष पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत डूंगरपुर जिले में केवल दो बालवाड़ियां क्रमशः ग्राम खड़गदा एवं पंचवटी फार्म पर संचालित है ये दोनों ग्राम डूंगरपुर पंचायत समिति में स्थित है ।

शहर, कस्बे और गांव में बालवाड़ियां संचालित करने के लिए ऐसी स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं को, जो पहले से ही बालवाड़ियां संचालित कर रही हों, राज्य समाज कल्याण बोर्ड द्वारा उनके उत्तर एवं कार्यक्रमों के विस्तार के लिए सामान्य सहायक अनुदान कार्यक्रम के अन्तर्गत बालवाड़िया के लिए वित्तीय अनुदान दिया जाता है जिसकी अधिकतम सीमा 10,000/- रुपये वार्षिक है । इस अनुदान की 50 प्रतिशत राशि संस्था द्वारा वहन की जाती है -

विशेष पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत

(राज्य मंत्री, समाज कल्याण)

स्वयंसेवी संस्थाओं की बालवाड़ी प्रारम्भ करने के लिए केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार शत-प्रतिशत अनुदान स्वीकृत किया जाता है। जिसका वार्षिक बजट प्रावधान 15,217/- रुपये है।

(3) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता है।

मथुरा रिफाइनरी से डामर परिवहन का ठेका

765. श्री रामकिशन वर्मा (रामगंज मण्डी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या मथुरा रिफाइनरी से डामर, सड़क मार्ग की अपेक्षा रेल मार्ग से कोटा मंगवाना दूरी की दृष्टि से कम पड़ता है? यदि हां, तो डामर का परिवहन सड़क मार्ग से क्यों और किसकी राय पर किया गया?

(2) सड़क मार्ग से डामर परिवहन करने में कितना किराया अधिक भुगतान करना पड़ा और इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या विभाग अधिक भुगतान की राशि उत्तरदायी अधिकारी से वसूल करने का विचार रखता है?

(3) क्या कोटा संभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता को यह ज्ञात था कि मैसर्स नूतन फ्रेट कैरियर, भरतपुर का मालिक ब्लैक लिस्टेड है? यदि हां, तो इस कम्पनी को डामर परिवहन का ठेका वर्ष 1993-1994 में क्यों दिया?

(4) ब्लैक लिस्टेड कम्पनी को परिवहन का ठेका देने की लिए उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

(5) मैसर्स नूतन फ्रेट कैरियर, भरतपुर ने वर्ष 1993-94 में समुचित मात्रा में डामर परिवहन नहीं किया था फिर भी उसका वर्ष 1994-95 के लिए समय क्यों बढ़ाया गया और इसके लिए कौन दोषी हैं तथा सरकार उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) सीधे रेल मार्ग द्वारा कोटा से मथुरा की दूरी सड़क मार्ग से कुछ कम है। डामर सिर्फ सड़क मार्ग से ही आता है पैक्ड डामर परिवहन रेल मार्ग या सड़क मार्ग द्वारा मंगवाना सामान्य प्रक्रिया है। रेल मार्ग से डामर परिवहन में सामान्यतया रेक की मांग पर तत्काल उपलब्धि नहीं होने के कारण कभी-कभी विलम्ब होता है। इसलिये सड़क मार्ग के द्वारा भी डामर का परिवहन किया जाता है।

(2) रेल मार्ग द्वारा डामर परिवहन सड़क मार्ग द्वारा परिवहन की तुलना में सस्ता नहीं पड़ता। अतः अधिक भुगतान न किये जाने से राशि वसूल करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) जी नहीं। मैसर्स नूतन फ्रेट कैरियर, भरतपुर : ।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

अतः परिवहन का ठेका देने में कोई अनियमितता नहीं बरती गई।

(4) मैसर्स नूतन फ्रेट कैरियर, भरतपुर ब्लैक लिस्टेड नहीं था, अतः अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(5) मैसर्स नूतन फ्रेट कैरियर भरतपुर ने वर्ष 1993-94 में डामर के परिवहन का कार्य विभिन्न खण्डों में किया था। परिवहन का कार्य प्रगति पर था। वर्ष 1994-95 के लिये परिवहन की निविदाएं अप्रेल, 1994 तक आमंत्रित नहीं की जा सकी थी। डामर की आवश्यकता को देखते हुये नई निविदाएं आमंत्रित कर उनका निस्तारण हो जाने तक के लिये समयावृद्धि की गई थी।

सिरोही जिले में आश्वासित रोजगार योजना व मरुधर विकास कार्यक्रमान्तर्गत स्वीकृत कार्य

766. **श्रीमती तारा भण्डारी** (सिरोही) एवं **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या विशिष्ठ योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सिरोही जिले में कुल कितने खण्डों में आश्वासित रोजगार योजना एवं मरुधर विकास कार्यक्रम कब स्वीकृत हुए हैं ?

(2) इन योजनाओं के अन्तर्गत कुल कितना बजट योजना एवं खण्ड अनुसार आवंटित कब हुआ ?

(3) उक्त योजनाओं के अन्तर्गत कौन-कौन से कार्य किन-किन विभागों के, किन-किन गांवों में स्वीकृत किये गये ?

(4) उनमें से कितने कार्य प्रारम्भ हो गये व कितने कार्य किन कारणोंवश अभी तक शुरू ही नहीं किये गये ?

उत्तर

(1) सिरोही जिले में कुल तीन खण्डों में आश्वासित रोजगार योजना निम्नांकित वर्षों में स्वीकृत की गई है :—

क्र.सं.	खण्ड	स्वीकृति वर्ष
1.	आबूरोड	1993-94
2.	पिण्डवाडा	1994-95
3.	शिवगंज	1994-95

मरू विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सिरोही जिले के शिवगंज खण्ड को वर्ष 1995-96 से सम्मिलित किया गया।

(2) सिरोही जिले में आश्वासित रोजगार योजना के अन्तर्गत 198.75 लाख रुपया निम्नानुसार आबंटित हुआ :--

(राज्य मंत्री विशिष्ट योजना संगठन)

क्र. सं.	खण्ड	1993-94	1994-95	योजना
1.	आबूरोड	36.60	79.65	116.25
2.	पिण्डवाड़ा	—	41.25	41.25
3.	शिवगंज	—	41.25	41.25
		36.60	162.15	198.75

(3) मरू विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत चूंकि शिवगंज विकास खण्ड 1995-96 में ही सम्मिलित किया गया है। अतः भारत सरकार से राशिग्रब प्राप्त होगी। आश्वासित रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1993-94 में 13 एवं वर्ष 1994-95 में 68 कुल स्वीकृत 81 कार्य स्वीकृत किये गये हैं, जिनका अपेक्षित विवरण परिशिष्ट "अ" परप्रस्तुत है। मरू विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्मिलित खण्ड हेतु कार्यों के प्रस्ताव वार्षिक कार्य योजना तहत तैयार किये जा रहे हैं।

(4) आश्वासित रोजगार योजना के अन्तर्गत कुल स्वीकृत 81 कार्यों में से 25 कार्य पूर्ण हो गये हैंएवं 55 कार्य प्रगति पर हैं। मात्र एक कार्य तकनीकी स्वीकृति के अभाव में शुरू नहीं हो पाया है। कार्यवार स्थिति का विवरण परिशिष्ट "अ" पर प्रस्तुत है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

सैनिकों के कल्याणार्थ बजट में वित्तीय प्रावधान

767. **श्री लक्ष्मण सिंह (भीम)** : क्या मुख्य (सैनिक कल्याण) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पूर्व सैनिकों के कल्याण हेतु पिछले तीन वर्षों में राज्य के बजट में कितना-कितना वित्तीय प्रावधान रखा गया तथा उन्हें क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) भविष्य में सरकार पूर्व सैनिकों के कल्याणार्थ क्या-क्या ठोस कदम उठाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) अवकाश प्राप्त सैनिकों के कल्याण हेतु पिछले तीन वर्षों में राज्य के बजट में आयोजना मद के अन्तर्गत वर्ष 1992-93 में 847 लाख, 1993-94 में 10.00 लाख एवं 1994-95 में 10.40 लाख रुपये का प्रावधान रखा था। उक्त मद के अन्तर्गत पूर्व सैनिकों को स्व-रोजगार के लिये तैयार करने हेतु पैक्सम योजना (प्रिपेरिंग एक्स सर्विसमैन फोर सैल्फ एम्पलायमेंट) के अधीन विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण दिला कर स्व-रोजगार स्थापित कराये जाते हैं।

वर्ष 1992-93 में 542 पूर्व सैनिकों को प्रशिक्षण दिलाया गया व 104 पूर्व सैनिकों को 20.84 लाख रुपये ऋण स्वीकृत कराया, 1993-94 में 553 को प्रशिक्षण दिलाकर 124 को 36-40 लाख रुपये का ऋण तथा 1994-95 में 578 को प्रशिक्षण दिलाया गया व 174 को 58-61 लाख ऋण के रूप में स्वीकृत कराया गया है। विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) भविष्य में पूर्व सैनिकों के कल्याणार्थ एक्स सर्विसमैन कार्पोरेशन के गठन की सम्भावना हेतु इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ रूरल मैनेजमेंट, जयपुर द्वारा अध्ययन किया जा रहा है।

आयोजना मद में पूर्व सैनिकों को दी गयी सुविधाओं का विवरण

अवकाश प्राप्त सैनिकों के कल्याण हेतु पिछले तीन वर्षों में राज्य के बजट में आयोजना मद के अन्तर्गत वर्ष 1992-93 में 8.47 लाख रुपये 1993-94 में 10.00 लाख रुपये एवं 1994-95 में 10.40 लाख रुपये का वित्तीय प्रावधान रखा गया था। आयोजना मद के अन्तर्गत स्वीकृत राशि पूर्व सैनिकों को स्व-रोजगार प्रदान कराने के लिए पैक्सम योजना (प्रिपेरिंग एक्स-सर्विसमैन फोर सैल्फ एम्पलायमेंट में व्यय की जाती है। पैक्सम योजना के अन्तर्गत पूर्व सैनिकों को रेडियो, टी. वी. रिपेयर, मोटर वाइंडिंग, डेयरी, फीटर, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, अंग्रेजी/हिन्दी शार्टहैण्ड, स्टील/लकड़ी का फर्नीचर बनाना, कशीदाकारी आदि व्यवसायों में प्रशिक्षण दिलाया जाता है।

पिछले तीन वर्षों में आयोजना मद के तहत पूर्व सैनिकों को दिलाये गये प्रशिक्षण व सुविधाओं का विवरण इस प्रकार है :—वर्ष 1992-93 में 542 पूर्व सैनिकों को प्रशिक्षण दिलाया गया एवं 104 पूर्व सैनिकों को 20.84 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत कराया गया। वर्ष 1993-94 में 553 को प्रशिक्षण दियाया गया व 124 को 36.40 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत कराया गया तथा वर्ष 1994-95 में 578 पूर्व सैनिकों को प्रशिक्षण दिलाकर 174 को 58.61 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत कराया गया है।

राजस्थान राज्य डेयरी फैडरेशन का संचालन

768. श्री अर्जुनदास मदान (लाड़पुरा) : क्या दुग्ध विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा कुछ वर्ष पूर्व राजस्थान राज्य डेयरी फैडरेशन को लाभ में लाने हेतु नेशनल डेयरी डवलपमेंट बोर्ड को सौंपा गया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार एवं नेशनल डेयरी डवलपमेंट बोर्ड के मध्य कोई समझ का ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया था ? यदि हां, तो क्या एवं किन शर्तों पर उक्त संस्थान नेशनल डेयरी डवलपमेंट बोर्ड को सौंपा गया था ?

(3) समझ के ज्ञापन की क्या मुख्य शर्तें थीं ? राज्य डेयरी फैडरेशन को कब तक कितने लाभ में लाना था ?

(4) राज्य डेयरी फैडरेशन को नेशनल डेयरी डवलपमेंट बोर्ड को सौंपने के पूर्व में पांच वर्षों (वित्तीय) के लाभ तथा हानि के आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या राज्य सरकार राज्य के प्रशासनिक एवं वित्तीय प्रबन्ध के अन्तर्गत कुशल प्रशासकीय एवं वित्तीय अधिकारियों का पदस्थापन पुनः कर राज्य डेयरी फेडरेशन को चलाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) अभी तक कोई "समझ का ज्ञापन" (एम. ओ. यू) हस्ताक्षर नहीं हुआ है। प्रस्तावित अनुबन्ध की शर्तों का प्रारूप राज्य एवं एन. डी. डी. बी. के विचाराधीन है।

(3) वांछित जानकारी अनुबन्ध के निष्पादित होने पर ही सम्भव होगी।

(4) डेयरी फैडरेशन को नेशनल डेयरी डवलपमेंट बोर्ड को सौंपने के पूर्व में पांच वर्षों के लाभ-हानि ब्यौरा परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(5) जी नहीं। राज्य सरकार एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के मध्य प्रस्तावित अनुबन्ध की शर्तों पर विचार-विमर्श जारी है।

(राज्य मंत्री दुग्ध विकास)

	(करोड़ रुपये में)			(करोड़ रुपये में)	
वर्ष	कुल हानि	ह्रास		रोकड़ हानि	अन्य विवरण
1986-87 —	7.51	5.17	—	2.34	अंकेक्षित खातों के आधार पर
1987-89 — (21 माह)	10.04	4.33	—	5.71	
1989-90 —	3.97	1.87	—	2.10	
1990-91 —	5.10	1.01	—	4.09	
1991-92 —	14.98	0.70	—	14.28	पूर्व वर्षों के प्रस्तावित समायोजन मिलाकर अनअंकेक्षित खातों के आधार पर

अलवर जिले में दैहिक व्यापार में लिप्त वेश्याओं के पुनर्वास की योजना

769. श्री मदन मोहन (खैरथल) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि अलवर जिले के ग्राम कलसाड़ा, गिरवास, सोडावास, कलगांव, गाजूकी, रेशम फैक्ट्री तथा रामगढ़ रोड में दैहिक व्यापार होता है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त दैहिक व्यापार के अड्डे सेना के ठिकानों के आसपास हैं ? यदि हां, तो क्या सेना और अलवर जिले के नागरिकों पर इसका कुप्रभाव नहीं पड़ रहा है ? उक्त अड्डों पर कितनी वेश्याएं वेश्यावृति में लिप्त हैं ? क्या सरकार इसे बन्द करने का विचार रखती हैं ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या सरकार इन वेश्याओं के पुनर्वास के लिये कोई योजना तैयार करने का भी विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) अलवर जिले के ग्राम कलसाड़ा, गिरवास, कलगांव, गाजूकी रेशम फैक्ट्री व रामगढ़ दिल्ली रोड पर चोरी छिपे दैहिक व्यापार होता है।

(2) सभी सैनिक ठिकाने उक्त दैहिक व्यापार के अड्डों से अधिक दूरी पर स्थित हैं।

ऐसे अड्डों का सेना व नागरिकों पर कुप्रभाव पड़ने की संभावना को मध्य नजर रखकर इन स्थानों के आस-पास पुलिस गश्त की व्यवस्था की जाती है।

इन अड्डों पर करीब 70-75 औरतें चोरी-छिपे वेश्यावृति करती हैं।

रोकथाम के लिये वेश्यावृति के समय-समय पर 10 मुकद्मात कायम कर कार्यवाही की गई है।

(3) जी नहीं। फिलहाल कोई ऐसी योजना विचाराधीन नहीं है।

अलवर जिले में संचालित मेडिकल दवाइयों की दुकानें

770. **श्रीमती मीना अग्रवाल** (अलवर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अलवर जिले में मेडिकल दवाइयों की कितनी दुकानें लाइसेंस से चल रही हैं? इनमें से कितने लाइसेंसधारी मर चुके हैं? क्या मरने के बाद भी उसी लाइसेंसधारी के नाम से दुकानें चल रही हैं? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या लाइसेंसधारी की मृत्यु के बाद ऐसी दुकान के लाइसेंसधारी का नाम बदला गया है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अप्रेल, 1995 तक अलवर जिले में 496 औषधि विक्रेताओं को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अन्तर्गत विभाग द्वारा औषधी विक्रय हेतु लाइसेंस दिया हुआ है। उक्त औषधि विक्रेताओं में से किसी औषधि विक्रेता के मालिक/भागीदार का देहावसान हो गया है, की सूचना अभी तक विभाग को किसी औषधि विक्रेता से प्राप्त नहीं हुई है। लाइसेंस की शर्त के अनुसार संविधान परिवर्तन के कारण तीन महीने की अवधि में नया लाइसेंस लेना अनिवार्य है। तीन माह की अवधि पश्चात् पुराना लाइसेंस स्वतः ही निरस्त हो जाता है।

(2) लाइसेंसधारी मालिक अथवा भागीदारी संस्था है तो मालिक/भागीदार की मृत्यु के पश्चात् नाम बदलने का कोई प्रावधान औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम में नहीं है, अपितु फर्म के संविधान परिवर्तन पर नया लाइसेंस तीन माह की अवधि में लेना अनिवार्य है अन्यथा पुराना लाइसेंस स्वतः ही निरस्त हो जाता है।

इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में सरकारी भूमि के विशेष आबंटन में आय

771. **श्री अमरराराम** (धोद): क्या उपनिवेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री अमराराम)

इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र के प्रथम व द्वितीय चरण में आज तक कितनी सरकारी भूमि विशेष आबंटन के नाम से बेची गई है ? इससे कुल कितनी राशि सरकार को प्राप्त हुई ? कम से कम व अधिक से अधिक प्रति मुरब्बा क्या कीमत रखी गई है ?

उत्तर

इन्दिरा गांधी नहर के क्षेत्र के प्रथम व द्वितीय चरण में विशेष आबंटन के अन्तर्गत निम्न प्रकार भूमि बेची गई : —

नाम चरण	कमाण्ड	अनकमाण्ड	योग
प्रथम चरण	10279	31750	42029
द्वितीयचरण	40758	6863	47621
योग :	51037	38613	89650

उपरोक्त विक्रय की गई भूमि से कुल 3727.65 लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई। बेची गई कमाण्ड भूमि का न्यूनतम मूल्य 77.500 रुपये प्रति मुरब्बा (25 बीघा) व अधिकतम 3,90,000/— रुपये प्रति मुरब्बा तथा अनकमाण्ड भूमि का न्यूनतम मूल्य 19,375/— रुपया प्रति मुरब्बा (25 बीघा व अधिकतम 50,000/ रुपये रहा है।

नागौर जिले में समाज कल्याण भवनों का अपूर्ण कार्य

772. श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जिला नागौर में कुल कितने समाज कल्याण भवन कहां--कहां पर बने हुए हैं ? तहसीलवार, गांववार सूची सदन की मेज पर रखें। क्या बने हुए सभी भवनों को किवाड़ वगैरा चढ़वाकर तैयार कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों एवं अब कब तक भवनों को पूर्ण तैयार करने का सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

नागौर जिले में कुल 529 समाज कल्याण भवन बने हुए हैं। तहसीलवार, ग्रामवार सूची परिशिष्ट-"1" के अनुसार सदन के पटल पर रख दी गई है। इनमें से 16 भवनों का निर्माण कार्य अपूर्ण हैं, जिन्हें पूर्ण करवाने की कार्यवाही जारी है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कार्यक्रमों के संचालन हेतु स्वीकृत बजट राशि

773. श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : क्या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री यह की बताने कृपा करेंगे :—

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

(1) राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कार्यक्रम का आयोजन राजस्थान में कब से प्रारम्भ किया गया तथा इसका आयोजन राजस्थान में किसके सहयोग (राज्य/भारत) से किया जाता है ?

(2) राजस्थान में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कार्यक्रम का आयोजन किस संस्था के माध्यम से किया जा रहा है एवं इसका आयोजन वर्ष 1990 से अब तक कहां-कहां किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के कार्यक्रम पर प्रतिवर्ष कितना बजट आबंटित किया गया तथा आबंटित बजट के मुकाबले कितनी राशि व्यय की गई ? वर्ष 1990 से अब तक किस-किस मद में कितनी राशि प्रतिवर्ष व्यय की गई ? प्रतिवर्ष के बजट पैटर्न की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की राज्य स्तरीय कांग्रेस का आयोजन राजस्थान में वर्ष 1993 से प्रारम्भ किया गया।

राजस्थान में इसका आयोजन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा एन. सी. टी. सी.-नेट वर्क, नयी दिल्ली के सहयोग से किया जाता है।

(2) राजस्थान में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का राज्य स्तरीय आयोजन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 1993 से किया जा रहा है।

अब तक इस कांग्रेस के दो राज्य स्तरीय आयोजन जयपुर में आयोजित किये जा चुके हैं।

(3) राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम हेतु जो बजट राशि आबंटित व व्यय की गयी, उसका वर्ष वार ब्यौरा निम्न प्रकार से है :—

वर्ष	आबंटित राशि	व्यय की गयी राशि
1993	66,000/—	55,490.58
1994	1,17,500/—	10,9291/-

कांग्रेस का वर्ष वार व मुख्य मदवार व्यय का ब्यौरा निम्न प्रकार से है :—

	1993	1994
(i) संदर्भ व्यक्ति प्रशिक्षण कार्यशाला	11,886/- (2 कार्यशाला)	25,545/- (5 कार्यशाला)
(ii) खण्ड स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस (5)	—	47,385/-
(iii) राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस	43,604-58	36,361/-
	55,490-58	10,9291/-

गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वालों को विभिन्न योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि

774. श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : क्या विशिष्ठ योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गरीबी की रेखा से नीचे चयनित व्यक्तियों/परिवारों को विभिन्न योजनाओं में कितनी-कितनी बार लाभान्वित करने का प्रावधान है तथा हर बार लाभान्वित करने पर कितनी राशि की सीमा तक अनुदान देने का प्रावधान है ?

(2) क्या किसी सरकारी कर्मचारी व परिवार को भी उक्त योजना में लाभांवित करने का प्रावधान है ? यदि हां, तो किस आय वर्ग तक ?

(3) पंचायत समिति, गोगुन्दा में ऐसे कितने परिवारों को उक्त योजना में दो से अधिक बार लाभान्वित किया गया एव किस-किस योजना में कब-कब ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गरीबी रेखा से नीचे चयनित व्यक्तियों/परिवारों को निम्न योजनाओं में लाभान्वित किया जा सकता है :—

1. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जब तक परिवार गरीबी रेखा से नीचे की स्थिति में रहता है, निर्धारित अनुदान सीमा तक विभिन्न चरणों में भी लाभान्वित किया जा सकता है, यदि वह ऋण चुकाने हेतु दोषी नहीं है।

2. इन्दिरा आवास योजना में एक परिवार को एक ही बार योजना की इकाई लागत के अनुसार अनुदान राशि से लाभान्वित करने का प्रावधान है। अनुदान मकान हेतु रुपये 10,800/—तक देय है तथा शौचालय हेतु 1500/— तक अतिरिक्त अनुदान देय है।

3. जीवनधारा योजना के अन्तर्गत एक परिवार को एक ही बार लाभान्वित कराने का प्रावधान है। अनुदान राशि योजना की इकाई लागत के अनुसार देय है।

इस प्रकार गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे चयनित परिवारों को एक से अधिक योजनाओं/कार्यक्रमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार लाभान्वित कराया जा सकता है।

(2) जी हां। यदि सरकारी कर्मचारी का परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहा हो अर्थात परिवार की कुल वार्षिक आय 11,000/— रुपये से कम हो एवं ग्राम सभा द्वारा चयनित हो तो उक्त योजनाओं में लाभान्वित किया जा सकता है।

(3) पंचायत समिति, गोगुन्दा में 4 परिवारों को उक्त योजनाओं में से दो से अधिक योजनाओं में लाभान्वित किया गया है। इनको एकीकृत ग्रामीण विकास योजना जीवनधारा एवं इन्दिरा आवास योजना में लाभान्वित कराया गया है, सूची परिशिष्ट 1 पर संलग्न है।

पंचायत समिति गोगुन्दा, जिला उदयपुर में दो से अधिक योजनाओं में लाभान्वित कराये गये परिवारों की सूची

क्र.सं.	लाभान्वित व्यक्ति का नाम/ पिता का नाम एवं जाति	गांव का नाम	योजना का नाम	दिये गये लाभ का विवरण	लाभान्वित करने का वर्ष
1	2	3	4	5	6
1.	श्री कूकल/माना, जाति-भील	कमोल	1. जीवनधारा	नवकूप	1993-94
			2. इन्द्रा आवास	मकान	1992-93
			3. आई. आर. डी. पी.	बैल जोड़ी	1992-93
2.	,, रत्ना/जग्गा, जाति-गरासिया	पीपरणा	1. जीवन धारा	नवकूप	1993-94
			2. इन्द्रा आवास	मकान	1994-95
			3. आई. आर. डी. पी.	बकरी	1992-93
3.	,, चतरा/खेमा, जाति-गमेती	दादीयां	1. जीवनधारा	नवकूप	1994-95
			2. इन्द्रा आवास	मकान	1994-95
			3. आई. आर. डी. पी.	डी. पी. एस.	1994-95

1	2	3	4	5	6
4.	श्री देवा/माना	ओबरीकलाँ	1. जीवनधारा	नवकूप	1992-93
			2. इन्द्रा आवास	मकान	1994-95
			3. आई. आर. डी. पी.	चर्म जूता	1994-95

रामेश्वरी देवी कन्या महाविद्यालय, भरतपुर के पास स्थित शराब कारखाने का स्थानान्तरण

775. श्री आर. पी. शर्मा (भरतपुर) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या रामेश्वरी देवी कन्या महाविद्यालय, भरतपुर के पास देशी शराब बनाने का कारखाना व मालगोदाम है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कारखाने व माल-गोदाम को महाविद्यालय से दूर स्थानान्तरण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या यह सही है कि इस संबंध में जन प्रतिनिधियों एवं छात्राओं द्वारा उक्त कारखाने को हटाने का अनुरोध बार-बार सरकार से किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कारखाने को स्थानान्तरित करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स का राज्य सरकार के भवन में भरतपुर नगर किले की परिधि में देशी मदिरा निर्माण हेतु गोदाम पिछले कई वर्षों से कार्य कर रहा है । इस गोदाम को औद्योगिक क्षेत्र, भरतपुर में स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव है । गोदाम हेतु प्लांट एवं शैड राजस्थान वित्त निगम से दिनांक 23-3-95 को क्रय कर उसका कब्जा प्राप्त कर लिया गया है । भवन निर्माण हेतु निविदाएं आमंत्रित कर ली गई है जिनके प्राप्त होने की दिनांक 3-5-95 निर्धारित की गई । निर्माण कार्य पूरा होने पर लगभग दो वर्ष की अवधि के भीतर गोदाम को नये परिसर में स्थानान्तरित कर दिया जाना संभावित है ।

(2) जन-प्रतिनिधियों एवं छात्राओं के अनुरोध पर देशी मदिरा निर्माण हेतु गोदाम हटाये जाने का विवरण प्रश्न के भाग एक के उत्तर में दर्शाया गया है जिसके अनुरूप कार्यवाही प्रस्तावित है ।

ग्राम कापड़ियावास खुर्द चन्द्रपुरा के निकट आवंटित एम. एल. नं. 6/85 का नवीनीकरण

776. श्री बाबू लाल (दूदू) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नेमीचन्द जाट को ग्राम कापड़ियावास खुर्द चन्द्रपुरा के निकट पहाड़ी, विभाग के द्वारा माइन्स लीज नं.6/85 (100/50 व. मी.) द्वारा आवंटित की हुई है ।

(2) क्या यह भी सही है कि विभाग ने नेमीचन्द से रुपये 3,30,360/- की वसूली के आदेश दिनांक 2-1-95 को किए हैं ? यदि हां, तो वसूली कब तक की जानी है ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त माइन्स लीज नं. 6/85 का वर्तमान में नवीनीकरण किया जा रहा है ?

उत्तर

(1) जी, हां ।

(खनिज मंत्री)

(2) श्री नेमीचन्द को पत्र दिनांक 2-1-95 द्वारा नोटिस प्राप्ति से 15 दिन में यह स्पष्टीकरण मांगा गया कि क्यों नहीं अनाधिकृत खनिज की कीमत रुपये 3,30,360/-आपसे वसूल की जावे। श्री नेमीचन्द द्वारा इस नोटिस का जबाव दिनाक 23-1-95 को कार्यालय में पेश किया गया है जिस पर मौके की जांच सहायक खनिज अभियन्ता, जयपुर द्वारा की जा रही है। श्री नेमीचन्द के जबाव के सम्बन्ध में जांच पूरी होने के पश्चात् ही अग्रिम कार्यवाही नियमानुसार की जावेगी।

(3) श्री नेमीचन्द नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र दिनांक 7-9-94 को पेश किया गया था जिस पर सहायक खनि. अभियन्ता, जयपुर के आदेश दिनांक 29-11-94 से स्वीकृति जारी की गई है, परन्तु वर्तमान में शिकायत की जांच होने तक जारी स्वीकृति पर अग्रिम कार्यवाही लम्बित है। जांच के तथ्य उपलब्ध होने के बाद नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

भीलवाड़ा डेयरी के लिए वाहन किराये पर लेने की प्रक्रिया

777. श्री कालूलाल गूजर (माण्डल) : क्या दुग्ध विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) भीलवाड़ा डेयरी में 1 जनवरी, 1994 से 20 मार्च, 1995 तक कुल कितने वाहन कितने-कितने समय के लिये किस-किस दर से किराये पर लिये गये ? वाहन नम्बर, समय दर व मालिक के नाम पते सहि सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) भीलवाड़ा डेयरी के लिए वाहन किराये पर लेने का क्या तरीका है ?

(3) क्या यह सही है कि डेयरी के किसी कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्य के वाहन को किराये पर लिया गया और बिना टेन्डर किये व बिना प्रक्रिया की पालना के वाहन किराये पर अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए लिया गया और किराया उठाया गया ?

उत्तर

(1) जिला दुग्ध संघ, भीलवाड़ा द्वारा गत 01 जनवरी, 1994 से 20 मार्च, 1995 तक समय-समय पर विभिन्न कार्यों की आवश्यकतानुसार जितने भी वाहन किराये पर लिये गये उनका वांछित विवरण परिशिष्ट-"क" पर सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(2) जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी, संघ, भीलवाड़ा द्वारा तात्कालिक आवश्यकतानुसार निम्नांकित प्रक्रिया के अन्तर्गत निजी वाहनों को किराये पर लिया जाता है :-

(अ) दैनिक स्थायी कार्यों के निष्पादन हेतु स्थानीय/मुख्य समाजार पत्रों में विज्ञापन द्वारा मोहरबन्द निविदाएं आमन्त्रित कर न्यूनतम दरों के आधार पर।

(ब) अन्य आकस्मिक आवश्यकताओं के

(राज्य मंत्री दुग्ध विकास)

लिए प्रचलित बाजार दर के आधार पर।

(3) दुग्ध संघ के अधिकांश वाहन पंचायत चुनाव, 1995 में जिला कलक्टर द्वारा अधिग्रहण किये जाने के कारण संघ के तात्कालिक कार्य की आवश्यकता की परिस्थितिवश ही दुग्ध संघ, भीलवाड़ा में कार्यरत अधिकारी के परिवार के सदस्य का वाहन 16 जनवरी, 1995 से 19 जनवरी, 1995 तक सहकारिता विकास कार्यक्रम को सुचारु रूप से चलाने हेतु किराये पर लिया गया। इस अवधि में रुपये 1560/- का व्यय किया गया।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

स्वतन्त्रता कालोनी, जहाजपुर, के राजकीय चिकित्सालय परिसर में अतिक्रमण

778. श्री शम्भूदयाल बड़गूजर (केकड़ी) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि स्वतन्त्रता कालोनी, जहाजपुर (भीलवाड़ा) के निवासियों ने राजकीय चिकित्सालय परिसर में अतिक्रमण कर रखा है ? यदि हां, तो किन-किन लोगों ने कितने-कितने क्षेत्र में अतिक्रमण किया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार अतिक्रमण को हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। स्वतन्त्रता कालोनी में 12 निम्नलिखित व्यक्तियों के रिहायशी मकान बनाये जाने से चिकित्सालय परिसर की भूमि पर अतिक्रमण हुआ है :—

1. श्री सुरेश चन्द्र अग्रवाल
2. ,, दयानन्द आर्य
3. ,, सुरेश चन्द्र मथुरा प्रसाद वैद्य (राव)
4. ,, ज्ञानमल ताम्बी/श्री धन्नालाल ताम्बी
5. ,, मांगी लाल/सोहन लाल जैन
6. ,, बालकृष्ण/मांगी लाल शर्मा
7. ,, भंवर लाल बालेश्वर/बंशी लाल पत्रिया
8. ,, कृष्ण मुरारी पाराशर/श्री बंशी धर पाराशर
9. ,, कन्हैया लाल जी राव।
10. ,, दुर्गाप्रसाद जी पत्रिया
11. ,, दुर्गालाल/मथुरालाल जी भट्ट।
12. ,, रमेशचन्द्र/वैद्य मथुरा प्रसाद जी राव

प्रति व्यक्ति अतिक्रमण किये गये क्षेत्रफल की जानकारी एकत्र की जा रही है।

(2) जी हां। कार्यवाही की जा रही है।

राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय, भरतपुर का डीग में स्थानान्तरण

779. **श्री अरूण सिंह (डीग)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में ऐसे कितने जिले हैं जहां एक से ज्यादा राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय स्थित हैं ?

(2) क्या यह सही है कि भरतपुर जिले में दो राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय कार्यरत हैं ? यदि हां, तो दूसरे न्यायालय में कितने मुकद्मे है तथा किस क्षेत्र के ?

(3) क्या यह भी सही है कि जिला कलक्टर, भरतपुर ने द्वितीय कोर्ट राजस्व अपील प्राधिकारी को डीग में स्थानान्तरित करने की सिफारिश की है, क्योंकि पहाड़ी, बयाना, कामां, नगर आदि के राजस्व मामले उक्त न्यायालय में सुनवाई हेतु आते हैं जिनके सस्ते एवं सुलभ न्यायालय हेतु उपयुक्त स्थान डीग है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त न्यायालय को डीग (भरतपुर) स्थानान्तरित करने की कोई योजना रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य में अलवर, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर एवं बीकानेर ऐसे 7 जिले हैं जहां राजस्व अपील अधिकारी भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, के न्यायालय में एक साथ स्थापित हैं ।

(2) जी हां । दूसरे न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, भरतपुर के न्यायालय में निम्न प्रकार मुकदमें विचाराधीन हैं :—

कार्य क्षेत्र	विचाराधीन प्रकरण
तहसील बयाना	241
तहसील रूपवास	215
तहसील वैर	224
तहसील धौलपुर	185
तहसील राजाखेड़ा	110
तहसील बाड़ी	105
तहसील बसेड़ी	77
योग	1157

(3) जी नहीं । ऐसे कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए, और न ही ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ।

खण्डार में बनास नदी पर पुल निर्माण

780. **श्री हरिनारायण बैरवा** : (खण्डार) क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि तहसील खण्डार में नौ पंचायतें ऐसी हैं, जो बनास नदी, चम्बल नदी और दो ओर से पहाड़ों से घिरी हुई होने के कारण टापू का छोटा रूप लिये हुये हैं ?

(2) क्या सरकार का इस क्षेत्र को खण्डार से जोड़ने के लिए बनास नदी पर पुलिया बांधने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या यह सही है कि पंचायत

(श्री हरिनारायण बैरवा)

समिति सवाई माधोपुर की पांच पंचायतें शिवाड़, ईसरदा, सारसोप, टापुर और महापुरा बनास नदी के कारण जिला मुख्यालय से सीधे सड़क मार्ग से नहीं जुड़े हुए हैं ?

(4) क्या सरकार इन पांचों पंचायतों को जिला मुख्यालय से बनास नदी पर पुलिया बनाकर जोड़ना चाहती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। वर्ष 1995-96 के प्लान में सवाई माधोपुर से करनपुर वाया खण्डार सड़क पर बनास नदी पर पुल बनाना प्रस्तावित है।

(3) पंचायत समिति सवाई माधोपुर के पांच पंचायत मुख्यालयों में से चार 1. शिवाड़ 2. ईसरदा 3. सारसोप तथा 4. महापुरा पंचायत मुख्यालय जिला मुख्यालय सवाई माधोपुर से डामर रोड से वाया बौंली जस्ताना होकर जुड़े हैं। पांचवा पंचायत मुख्यालय टापुर को सारसोप से ग्रेवल रोड़ से जोड़ने का कार्य जवाहर रोजगार योजना के तहत प्रगति पर है।

(4) इन पांचों पंचायत मुख्यालयों को जिला मुख्यालय से अन्य रूट से जोड़ने के लिये कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

तारांकित प्रश्न संख्या 781

(स्थगित)

लालसोट में कालेज खोला जाना

782. **श्री परसादीलाल मीणा** (लालसोट) एवं **श्री हरिसिंह** (महुआ) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार पंचायत समिति, लालसोट मुख्यालय पर आगामी सत्र में कालेज खोलने का विचार रखती है ?

उत्तर

जी नहीं।

शराब के कारण दुर्घटनाएं

783. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण, एवं **श्री राजेन्द्र गहलोत** (सरदारपुरा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) राज्य में शराब पीने से, गलत शराब पीने से, शराब पीकर वाहन चालन से दुर्घटनाओं में वर्ष 1994-95 में कुल कितने लोगों के मरने के मामले सरकार की जानकारी में आये हैं ?

(2) उक्त दुर्घटनाओं को देखते हुए बचाव के लिये विभाग द्वारा क्या-क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

उत्तर

(1) राज्य में वर्ष 1994-95 में शराब पीने से 29, गलत शराब पीने से 7, शराब पीकर वाहन चालन करने से 15 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है।

(2) ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के

(गृह मंत्री)

लिए यातायात पुलिस व पुलिस अधिकारियों द्वारा समय-समय पर वाहन चैकिंग के दौरान वाहन चालकों को भी चैक किया जाता है। शराब पिये हुए चालकों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्यवाही की जाती है। समय-समय पर यातायात नियमों के बारे में अभियान चला कर वाहन चालकों को शराब पीकर वाहन नहीं चलाने की हिदायत दी जाती है। अवैध शराब के लिये पुलिस विभाग द्वारा दबिश दी जाकर मुलजिम को गिरफ्तार कर कानूनी कार्यवाही की जाती है और अवैध शराब पर रोक थाम लगाई जाती है।

चिकित्सा सेवाओं के विकास हेतु जर्मन संस्थाओं का योगदान

784. **श्री शांतिकुमार धारीवाल** (हिण्डौली) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जर्मनी की दो संस्थाएं यथा: के. एफ. डब्ल्यू. एवं जी. टी. जेड ने माध्यमिक स्तर की चिकित्सा सेवाओं के विकास एवं विस्तार तथा ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में अध्ययन करने वाले बालकों के स्वास्थ्य स्तर को ऊंचा उठाने के लिये दो परियोजनाओं के लिए सैद्धांतिक सहमति दे दी है ? यदि हां, तो दोनों परियोजनाओं को शीघ्रातिशीघ्र क्रियान्वित करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

(2) क्या यह सही है कि बोम्बे हास्पिटल, हिन्दुजा हास्पिटल एवं अपोलो हास्पिटल संस्थाओं द्वारा प्रदेश में चिकित्सा सेवाओं के विस्तार हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रस्तुत किये गये हैं यदि हां, तो वे प्रस्ताव क्या हैं ?

(3) क्या राज्य सरकार देश की प्रतिष्ठित संस्थाओं को राज्य में चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाने हेतु उन्हें आमन्त्रित करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। के.एफ. डब्ल्यू. के माध्यम से राजस्थान के चयनित आदिवासी जिलों में समग्र स्वास्थ्य के सेवाओं सुधार हेतु एवं जो. टी. जेड. के माध्यम से स्कूल स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम लागू करने के बारे में जर्मन मिशन से विचार-विमर्श हुआ। अब भारत सरकार एवं जर्मन सरकार के बीच वार्ता होगी।

(2) जी हां। राजस्थान हास्पिटल लि. द्वारा शहर में अपोलो हास्पिटल खोलने का एक प्रस्तव राज्य सरकार को प्राप्त हुआ है, जिस पर विचार किया जा रहा है। बोम्बे हास्पिटल तथा हिन्दुजा हास्पिटल संस्थाओं के कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(3) जी हां। अस्पतालों, डाइग्नोस्टिक सेन्टर व नर्सिंग होम आदि में निजी विनियोजन को प्रोत्साहन देने की योजना विचाराधीन है।

उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं) में सड़क निर्माण पर व्यय

785. **श्री शिवनाथ सिंह** (गुढ़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की

(श्री शिवनाथसिंह)

कृपा करेंगे :-

झुन्झुनूं जिले की उदयपुरवाटी पंचायत समिति क्षेत्र में केवल सड़कों के निर्माण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग को आश्वाशित रोजगार योजना के अन्तर्गत जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, झुन्झुनूं द्वारा वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 में कितनी राशि किन-किन सड़कों के लिये स्वीकृत की गई तथा फरवरी, 1995 के अन्त तक कितनी राशि खर्च की गई ?

उत्तर

झुन्झुनूं जिले की उदयपुरवाटी पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग को आश्वासित रोजगार योजनान्तर्गत जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, झुन्झुनूं द्वारा ग्रेवल सड़कों के निर्माण हेतु वर्ष 1993-94 एवं 1994-95 में क्रमश: 3.0 लाख रुपये एवं 16.00 लाख रुपये की, परिशिष्ट "क" में दर्शाई सड़कों की, स्वीकृति दी गई तथा फरवरी, 1995 के अन्त तक उक्त योजना के अन्तर्गत कुल 5.62 लाख रुपये व्यय किये गये।

झुन्झुनूं जिले की उदयपुरवाटी पंचायत समिति क्षेत्र में आश्वासित रोजगार योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य :--

क्र. सं.	स्वीकृति का वर्ष	सड़क का नाम	स्वीकृत राशि (लाखों में)
1.	1993-94	1. सम्पर्क सड़क नाटास	3.00
		योग --	3.00
2.	1994-95	1. मोडकी से जाखल	2.00
		2. गुढ़ा से बासडी वाया सांवल की ढाणी	2.00
		3. सिगनोर से परसरामपुरा	4.00
		4. जैतपुरा से उदयपुरवाटी वाया इन्द्रपुरा	4.00
		5. गढ़ला कलां से गढ़ला खुर्द	4.00
		योग --:	16.00

रेलमगरा (राजसमन्द) तहसील में एनीकट्स का निर्माण

786. श्री शांतिलाल खोईवाल (राजसमन्द) : क्या विशिष्ठ योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या बनास नदी पर ग्राम कुरन एवं सकरांवास तहसील रेलमगरा (राजसमन्द) में एनीकट्स बनाने का प्रस्ताव जिला प्रशासन के विचाराधीन है ?

(2) यदि हां, तो इस हेतु अब तक प्रशासनिक स्तर पर क्या-क्या प्रयास किये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) जी, नहीं।

राज्य सरकार द्वारा दसवें वित्त आयोग को ज्ञापन

787. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) दसवें वित्त आयोग को संघ एवं राज्यों के बीच विभाज्य करों का बंटवारा एवं विभिन्न राज्यों का अंश में हिस्सा निर्धारण के सम्बन्ध में सरकार ने ज्ञापन किस तिथि को प्रस्तुत किया था तथा उसके पश्चात् राज्य सरकार ने ज्ञापन में उल्लिखित मुद्दों को भारत सरकार द्वारा स्वीकार करवाने के लिए अब तक किस स्तर पर क्या कार्यवाही की है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि दसवें वित्त आयोग ने अनुशंसाओं को अन्तिम रूप देते समय राज्य सरकार के सुझावों को ध्यान में रखने का आश्वासन दिया था ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार की ओर से दसवें वित्त आयोग को प्रस्तुत किये जाने वाला ज्ञापन दिनांक 10 मई, 1993 को प्रेषित किया गया था। तत्पश्चात समय-समय पर वांछित पूरक तथा मांगी गई सूचना प्रेषित की गई। जनवरी, 1994 में सम्पूर्ण आयोग के साथ मुख्य मंत्री एवं मंत्रि-परिषद तथा शासकीय अधिकारियों द्वारा विभिन्न बिन्दुओं पर विस्तृत-विचार विमर्श हुआ। इसके पश्चात आयोग द्वारा राज्य के कतिपय इलाकों में समस्याओं का निरीक्षण किया गया। उस समय विस्तार से मंत्रीगण तथा अधिकारियों के स्तर पर उनसे चर्चा हुई। तदुपरान्त भी आयोग की सचिवालय से समय-समय पर चर्चाएं व विचार-विमर्श अधिकारी स्तर पर हुए।

(2) जी हां।

थाना दिहोली (धौलपुर) के अन्तर्गत निलम्बित शस्त्र अनुज्ञापत्र

788. श्रीमती मनोरमा सिंह (राजाखेड़ा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि धौलपुर जिले में थाना दिहोली के अन्तर्गत मरेना

(श्रीमती मनोरमा सिंह)

गांव के पांच शस्त्र अनुज्ञापत्रों को सन् 1990 में एक वर्ष के लिए निलम्बित किया गया था ? यदि हां, तो थाना दिहोली की वर्ष 1990 तथा 1991 में प्रस्तुत रिपोर्ट के उपरान्त भी चालू वर्ष 1995 तक शस्त्र अनुज्ञापत्रों का नवीनीकरण नहीं करने तथा शस्त्र रिलीज करने के आदेश प्रसारित होने में क्या अवरुद्धता है ?

(2) क्या यह सही है कि मरेना गांव के सुन्दरसिंह नाई की हत्या दिनांक 3 मार्च, 1995 को कर दी गई थी एवं नामजद रिपोर्ट दर्ज हुई है ? यदि हां, तो क्या मुल्जिमों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है ? यदि नहीं, तो सरकार इन्हें कब तक गिरफ्तार करने का विचार रखती है ?

(3) मुल्जिमों के शस्त्र अनुज्ञापत्रों को निलम्बित करने तथा शस्त्र जब्त करने की क्या कार्यवाही की गई है ?

(4) चीलपुरा पंचायत के समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्रों को निलम्बित करने का कारण क्या रहा है ? क्या चीलपुरा के समस्त अनुज्ञापत्र धारकों ने निर्दिष्ट शर्तों का उल्लंघन किया ? जिले में शस्त्र अनुज्ञापत्रों को निलम्बित करने के कितने मामले लम्बित हैं ?

(5) शस्त्र अनुज्ञापत्रों को जारी करने के लिये सामान्य या सरकार ने क्या कोई मानदण्ड निरुपित किये हैं ? यदि हां, तो आवेदन-पत्र को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने की समयबद्धता क्या है ? क्या मनियां पुलिस की घटनाएं, जो समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुई हैं, उस पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां। समय-समय पर जिला पुलिस अधिक्षक की रिपोर्ट तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर जिलाधीश द्वारा निलम्बित अनुज्ञापत्रों का नवीनीकरण तथा रिलीज करना उचित नहीं समझा गया। शस्त्रों के निलम्बन आदेशों की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी।

(2) जी हां। एफ. आई. आर नं. 29/95 अभियुक्त रमेश पुत्र हीरासिंह जाट निवासी जगरियापुरा थाना मनिया, एवं गज्जो पुत्र महेंद्रसिंह जाट निवासी, महेन्द्र सिंह का अड्डा थाना दिहोली के विरुद्ध दर्ज हुई है। तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष मुल्जिमों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।

(3) अन्वेषण के दौरान मुल्जिम सोवरनसिंह के पास लाइसेंसी हथियार था और शेष मुल्जिमों के पास शस्त्र अनुज्ञापत्र नहीं हैं।

(4) पंचायत चुनावों के कारण चल रही पार्टीबाजी के फलस्वरूप शांति एवं व्यवस्था भंग होने की आशंका के कारण ग्राम पंचायत चीलपुरा के समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्रों को दिनांक 31-1-95 से दो माह के लिए निलम्बित किया गया था। निर्धारित अवधि समाप्त होने पर दिनांक

(गृह मंत्री)

3-4-95 को धौलपुरा ग्राम पंचायत के जिन शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों के विरूद्ध कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं हैं उनके शस्त्र अनुज्ञापत्र बहाल कर शस्त्र वापिसी के आदेश जारी कर दिये गये हैं। धौलपुर जिले में वर्तमान में लगभग 195 शस्त्र अनुज्ञा पत्र निलम्बन के मामले विचाराधीन हैं।

(5) आर्म्स लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया आर्म्स नियमों के नियम 13 में दिया हुआ है। शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी करने से पूर्व आवेदक के चरित्र तथा शस्त्र की आवश्यकता बाबत पुलिस अधीक्षक एवं तहसीलदार की रिपोर्ट ली जाती है और रिपोर्ट प्राप्त होने पर सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्णय लिया जाकर प्रार्थी का अनुज्ञापत्र प्रार्थना-पत्र का निस्तारण किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिये समय सीमा निर्धारित नहीं है।

मनिया पुलिस की घटनाओं के बारे में विशिष्ट विवरण-समाचार पत्र का नाम प्रकाशन की दिनांक आदि के अभाव में उत्तर दिया जाना संभव नहीं है।

प्रतापगढ़ (चित्तौड़गढ़) में आदिवासी उप योजनान्तर्गत सृजित पद

789. श्री फूलचन्द (सलूम्बर) एवं श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चित्तौड़गढ़ जिले के आदिवासी उप योजना क्षेत्र में आने वाले प्रतापगढ़ उपखण्ड में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की सेवाओं में कितने पद सृजित हैं और वर्तमान में सृजित पदों में से कितने पद रिक्त हैं ?

(2) रिक्त पदों के भरने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई और ये पद कब तक भर दिये जायेंगे ? रिक्त पदों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) चित्तौड़गढ़ जिले के आदिवासी उप योजना क्षेत्र में आने वाले प्रतापगढ़ उप खण्ड में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की सेवाओं में 377 पद सृजित हैं और वर्तमान में सृजित पदों में से 93 पद रिक्त हैं।

(2) वरिष्ठ विशेषज्ञ, कनिष्ठ विशेषज्ञ, तथा वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पद विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से पदोन्नत चिकित्सकों से भरने की प्रक्रिया जारी है।

नर्सिंग संवर्ग, लैबोरेट्री टैक्नीशियन, रेडियोग्राफर आदि पर प्रशिक्षित अभ्यर्थी प्राप्त होने पर भरना सम्भव होगा।

वार्ड ब्वाय आदि के रिक्त पदों को भरने पर रोक होने से भरना सम्भव नहीं है। रिक्त पदों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(310)

"जनजाति उप योजना क्षेत्र प्रतापगढ़ के अन्तर्गत रिक्त पदों की सूची"

सामान्य चिकित्सालय प्रतापगढ़

वरिष्ठ विशेषज्ञ	 3
उप नियंत्रक	 1
कनिष्ठ विशेषज्ञ	 6
वरिष्ठ चिकि. अधि.	 1
चिकित्सा अधिकारी	 2
मेलनर्स I	 1
सिस्टर	 4
कार्यालय अधीक्षक	 1
मेल नर्स II	17
स्टाफ नर्स	 8
कनिष्ठ लिपिक	 3
लैब टैक्नीशियन	 2
प. क. कार्यकर्त्ता	 1
म. स्वा. दर्शिका	 1
रेडियोग्राफर	 1
सहा. रेडियोग्राफर	 1
वार्ड ब्वाय	 8
योग :	61

सेन्टर सुपरवाइजर (मेल)

ब्लाक प्रा. स्वा. केन्द्र दलोट	.... एक
यथा बारावरदा	.... एक

स्टाफ नर्स

सामु. स्वा. केन्द्र, अरनोद	 3
एम. सी. डब्ल्यू. सेन्टर, अम्बामाता	 1
यथा सुहागपुरा	 1

चिकित्सा अधिकारी

प्रा. स्वा. केन्द्र, सालमगढ़	 1
मातृशिशु कल्याण केन्द्र, सुहागपुर	 1

मेल नर्स II

प्रा. स्वा. केन्द्र, अम्बीरामा	 2
यथा अचनेरा	 1
उच्ची. उपकेन्द्र, कोटड़ी	 1
यथा सेवना	 1
ब्लॉक प्रा. स्वा. केन्द्र, बारावरदा	 1
प्रा. स्वा. के. अम्बामाता	 1
यथा थड़ा	 1
यथा रामपुरिया	 1
यथा अचलेश्वर	 1
यथा सुहागपुरा	 1
उच्ची. उपकेन्द्र, कचौरिया	 1
यथा सुहागपुरा	 1
यथा मथुरातालाब	 1

Page No. 311

(311)

लैब टेक्नीशियन

प्राथमिक स्वा. केन्द्र, अम्बीरामा		....	एक
यथा	अचनेरा	....	एक
यथा	सालमगढ	....	एक
यथा	कुलथाना	....	एक
यथा	थड़ा	....	एक
यथा	रामपुरिया	....	एक
यथा	अचलेश्वर	....	एक
यथा	सुहागपुरा	....	एक
यथा	बरडिया	....	एक

सीकरी (भरतपुर) को कस्बा घोषित करने हेतु प्रस्ताव

790. श्री गोपीचन्द (नगर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सीकरी कस्बा पांच ग्रामों में विभाजित है ?

(2) क्या यह सही है कि कस्बा सीकरी भौगोलिक दृष्टि से पांच गांव नहीं, बल्कि एक ही है ?

(3) क्या यह सही है कि जिला कलक्टर, भरतपुर ने इन पांच ग्रामों का सीकरी कस्बा घोषित किये जाने हेतु प्रस्ताव सरकार को भेजा है ?

(4) क्या सरकार सीकरी को एक राजस्व कस्बा घोषित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, कस्बा सीकरी राजस्व ग्राम सीकरी पट्टी, कालिमपुर पट्टी, सोलपुर पट्टी, कुतकपुर पट्टी एवं सेदवाड़ा पट्टी से मिलकर बना है।

(2) जी हां। उक्त पांचों ग्रामों की आबादी एक साथ मिली हुई है।

(3) जी हां।

(4) यह प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन है। शीघ्र ही इस पर आवश्यक कार्यवाही का निर्णय लिया जावेगा।

सूरतगढ़ की तहसीलों में भूमिहीन काश्तकारों को भूमि का आवंटन

791. श्री अमर चन्द मिढ़ढा (सूरतगढ़) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वन विभाग की सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र की चारों तहसीलों सूरतगढ़, अनूपगढ़, श्रीविजयनगर एवं घड़साना में कितनी जमीन आवंटित की गयी ? मुरब्बा नम्बर, चक सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वन विभाग द्वारा छोड़ी गई भूमि कितने भूमिहीन काश्तकारों को आवंटित की गयी ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या वन विभाग द्वारा छोड़ी गयी भूमि का कब्जा भूमिहीनों को दे दिया गया है ? यदि हां, तो कब एवं नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सूरतगढ विधान सभा क्षेत्र में वन विभाग को भूमि आबंटन की गई का विवरण :—

(1) तहसील सूरतगढ को	28.755-14 बीघा
(2) तहसील अनूपगढ़ को	52,916-06 बीघा
(3) तहसील श्री विजयनगर को	28,939-12 बीघा
(4) तहसील घड़साना को	86,332-17 बीघा
योग :—	1,96,942-49 बीघा

तहसीलवार चक नम्बर व मुरब्बा नम्बर अंकित की हुई सूची संलग्न है।

(2) वन विभाग द्वारा छोड़ी गयी भूमि एवं भूमिहीन को आबंटन की सूचना का तहसीलवार विवरण निम्न प्रकार है :—

क्र. सं.	तहसील	छोड़ी गई भूमि का क्षेत्रफल (बीघा में)	आबंटित भूमि का क्षेत्रफल (बीघा में)	आबंटियों की संख्या
1.	सूरतगढ़	....	....	....
2.	अनूपगढ़	625.07	625.07	32
3.	विजयनगर	50.00	50.00	1
4.	घड़साना	1954.05	1954.05	109

(उपनिवेशन मंत्री)

चक, मुरब्बा नम्बर सहित सूची संलग्न है।

(3) जी हां सूची तहसीलवार विवरण सहित तिथिवार संलग्न है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकाल में रखी गयी।)

ग्राम मोरचणा (राजसमंद) में अवैध खनन कार्य

792. श्रीमती बीना काक (सुमेरपुर).: क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम मोरचणा के पास जिला राजसमंद, में सरकारी भूमि पर श्री मुबारक हुसैन उर्फ "डालडा', द्वारा धड़ल्ले से अवैध रूप से मशीनें लगाकर मारबल का अवैध खनन किया जा रहा है ? क्या यह भी सही है कि इससे सरकार को अब तक करोड़ों रुपयों के राजस्व की हानि हो चुकी है ?

(2) क्या सरकार उपरोक्त अवैध खनन एवं उक्त व्यक्ति के आतंक को रोकने का विचार रखती है ? यदि हां, तो सरकार क्या कारगर कदम कब तक उठाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। पूर्व में श्री मुबारिक हुसैन द्वारा किये गये अवैध खनन के सम्बन्ध में दिनांक 12-7-93 को पंचनामा बनाया गया था, जिस पर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। दिनांक 28-4-95 को सहायक खनि अभियन्ता, राजसमंद, द्वारा क्षेत्र की जांच की और अवैध खनन कार्य होना नहीं पाया गया।

(2) जैसा कि प्रश्न के भाग-1 उत्तर में दर्शाया है कि इस क्षेत्र में वर्तमान में कोई अवैध खनन नहीं हो रहा है।

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, प्रतापगढ़ में ट्यूबवैल लगाया जाना

793. श्री प्रभूराम गरासिया (पिण्डवाड़ा) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, प्रतापगढ़ में अध्ययनरत बालक/बालिकाओं एव बगीचे के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए क्या सरकार के पास ट्यूबवैल खुदवाने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो कब तक यह सुविधा उपलब्ध करा दी जायेगी ?

उत्तर

जी नहीं, वार्षिक योजना 1996-97 में यह सुविधा उपलब्ध कराने हेतु विचार किया जायेगा।

परिशिष्ट--4

अतारांकित प्रश्न संख्या-1136 का विवरण

कोटा सम्भाग में राजस्थान राज्य पुल निगम द्वारा

निर्माण कार्यों का विवरण ;

क्र. सं.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (लाखों में)	31-3-95 तक का व्यय (लाखों में)	कार्य पूर्ण होने की तिथि	भौतिक प्रगति
1.	2	3	4	5	6
1.	कोटा इंजीनियरिंग कालेज काम्पलैक्स	1688	1427	3/96	प्रशासनिक भवन, प्रयोगशाला क्लास, रूम्स होस्टल, पुस्तकालय, आवासीय भवन अन्य विकास पूर्ण। जिमनेजियम हॉल, गर्ल्स होस्टल पार्ट-बी, कोकयूरी कूलर केन्द्र का कार्य प्रगति पर।
2.	कोटा खुला विश्वविद्यालय	590	387	3/96	आवासीय भवन, उपकुलपति ऑफिस, प्रशासनिक भवन सड़क कार्य पूर्ण। स्कूल स्टेडी ब्लोक, होस्टल, रिजनल सर्विस केंद्र/उपकुलपति आवास भवन प्रगति पर।
3.	आई एम. टी. आई. भवन	504	202	3/96	फेस-प्रथम कार्य पूर्ण 7-93 में द्वितीय फेश शुरू

					7/94 में/होस्टल व आवासीय भवन प्रगति पर ।
4.	महिला पोलि-टेक्निक	75	25	10/95	90 % रफ कार्य कम्पली-टेडग्रन्य फिनिशींग कार्य प्रगति पर ।
5.	कैथुन फिश कार्य	32	7.80	3/96	मत्स्य विभाग द्वारा कार्यों का निर्णय न होने से 7/93 से अपूर्ण ।
6.	काली सिन्ध ब्रिज कोटा बारां संपर्क सड़क	1848	834	3/97	सभी-खम्भों का कार्य पूर्ण 15 स्थान सुपर स्ट्रक्चर कास्टेड ।
7.	पार्वती ब्रिज कोटा-बारां शाहबाद मार्ग ।	773	675	3/96	मुख्य पुल पूर्ण तथा एप्रोच डब्ल्यू. बी. एम. कार्य प्रगति पर ।
8.	कुरेल ब्रिज केशव-राय-पाटन खटकड मार्ग ।	120	62	6/95	कार्य की शुरुआत व प्रगति पर ।

परिशिष्ट--5

अतारांकित प्रश्न संख्या 1141 का विवरण

चूरू जिले में गत: छ: वर्षों में सड़क निर्माण एवं रख-रखाव पर किये गये व्यय का विवरण :--

तहसील का नाम	किया गया व्यय (लाखों में) 89-90	90-91	91-92	92-93	93-94	94-95	योग
(अ) मद—5054—सड़कों एवं पुलों पूंजिगत परिव्यय							
चूरू	25.35	33.03	17.80	45.33	8.59	15.83	145.93
राजगढ़	11.04	18.86	26.88	30.65	34.63	42.13	164.19
तारानगर	—	11.16	41.92	15.00	10.15	20.19	98.42
रतनगढ़	0.53	13.40	42.69	39.88	24.26	21.11	141.87
सुजानगढ़	9.44	4.49	18.22	7.96	6.56	42.28	88.95
सरदारशहर	0.61	8.93	98.59	10.78	12.59	0.11	131.61
श्री डूंगरगढ़	6.93	1.87	16.58	18.16	20.22	20.81	84.57
योग :--	53.90	91.74	262.68	167.76	117.00	162.46	855.54

1	2	3	4	5	6	7	8
(ब) मद—3054 —सड़कों एवं पुलों के रखाव पर व्यय							
चूरू	34.08	68.89	66.36	88.39	56.48	106.34	420.55
राजगढ़	38.58	71.73	58.59	50.37	77.23	59.18	355.68
तारानगर	26.85	22.32	53.55	40.83	61.45	36.04	141.04
रतनगढ़	19.55	34.68	37.16	79.25	65.83	68.30	304.77
सुजानगढ़	31.49	47.22	46.82	24.31	58.21	74.48	282.53
सरदारशर	43.20	43.60	36.38	82.49	84.22	40.58	330.47
श्री डूंगरगढ़	21.62	27.46	29.58	34.06	24.78	32.35	139.85
योग :--	215.37	315.90	328.44	399.70	428.20	415.27	2104.88

परिशिष्ट–6

अतारांकित प्रश्न संख्या 1144 का विवरण

राजस्व विभाग द्वारा ग्राम करलाव में अनधिकृत खननकर्त्ताओं के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण

क्र. सं.	नाम अवैध खननकर्त्ता	दिनांक दायर प्रकरण	मुकदमा नं.	क्षेत्रफल	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	श्री भंवरलाल पिता काना भील नि. करलाव	16-12-94	501/94	ल.×चौ.×गहराई	प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।
2.	,, मेरू पिता मवाना भील ,, ,,	....,,....	502/94	40×20×2	....,,....
3.	,, प्यारा पिता नाना भील ,, ,,	....,,....	503/94	20×10×1	....,,....
4.	,, राहू पिता कालू भील नि. आरोली ,,	....,,....	504/94	40×15×2	....,,....
5.	,, ईश्वर/मेरू भील नि. करलाव	....,,....	505/94	15×10×1	....,,....
6.	,, शान्तिलाल/छोगा महाजन नि. आरोली	10-4-95	49/95	40×15×2	....,,....
7.	,, नन्दा/भंवरलाल भील नि. करलाव	....,,....			

Page No. 319

(319)

1	2	3	4	5	6
8.	श्री शांतिलाल पिता छोगा महाजन नि. भारोली	10-4-95	50/95	20×12×2	प्रकरण न्यायालय के
9.	,, ईश्वर पिता देराम भील नि. करलाव	....,,....	51/95	20×12×2	विचाराधीन है
10.	,, रोडू पिता कालू भील नि. करलाव	....,,....	52/95	45×25×2	....,,....
11.	,, भंवरलाल पिता काना भील नि. करलाव	....,,....	53/95	20×10×1	....,,....
12.	,, भवाना पिता मेरू भील नि. करलाव	....,,....	54/95	30×20×2	....,,....
13.	,, बरदा पिता नाराण भील करलाव	....,,....	55/95	30×30×2	....,,....
14.	,, भंवरलाल पिता देवी भील भारोली	....,,....	56/95	30×20×3	....,,....
15.	,, बालू पिता तुलछा भील करलाव	....,,....	57/95	40×30×3	....,,....
16.	,, फंजूदीन/समसूदीन मुसलमान नि. रसदपुरा	....,,....	58/95	85×20×3	....,,....
17.	,, बरदा पिता नारायण भील करलवा	....,,....	59/95	20×10×1	....,,....

खनिज विभाग द्वारा ग्राम करलाव में अनधिकृत खननकर्त्ताओं के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण

क्र. सं.	नाम प्रबंध खननकर्त्ता	दिनांक दायर प्रकरण	निर्गमित खनिज की कीमत जो वसूली योग्य पायी गयो/ औजार जब्त किये गये	विशेष विवरण
1.	मौका रिपोर्ट	17-11-94	वक्त निरीक्षण कार्यरत मजदूरों के भाग जाने से कोई कार्यवाही न हो सकी। मौके पर पाये गये औजर जब्त किये गये केवल झड़ाई का कार्य पाया गया खनिज निर्गमन होना नहीं पाया गया।	....
2.	श्री फैमुदीन पिता समसूदीन मुसलमान	22-1-94	6800.00	वसूली हेतु नोटिस जारो
3.	श्री शम्भुलाल धाकड़ नि. सुखपुरा	25-1-95	19600.00	वसूली हेतु नोटिस जारी
4.	श्री रोडा पिता कालू भील निवासी भारोल, श्री शम्भुलाल धाकड़ नि. सुखपुरा	2-3-95	22600.00	वसूली हेतु नोटिस जारी

Page No. 321

321

1	2	3	4	5
5. मौका रिपोर्ट		9-3-95	वक्त निरीक्षण कार्यरत मजदूरों के भाग जाने से कोई कार्यवाही न हो सकी। मौके पर पाये गये औजार जब्त किये गये केवल झड़ाई का कार्य पाया गया खनिज निर्गमन होना नहीं पाया गया।	....
6. मौका रिपोर्ट		7-4-95	....	....

परिशिष्ट-7

अतारांकित संख्या 1146 की तालिकाएं

राज्य के प्रमुख शहरों में वर्ष 1993 एवं 1994 में घटित सड़क दुर्घटनाओं के दर्ज अभियोग की तालिका

क्र. सं	शहर का नाम	वर्ष 1993	वर्ष 1994
1.	अजमेर	116	122
2.	भीलवाड़ा	46	54
3.	नागौर	17	26
4.	जयपुर शहर	1594	1628
5.	झुंझुनूं	38	44
6.	सीकर	59	77
7.	टोंक	27	28
8.	दौसा	110	101
9.	भरतपुर	17	30
10.	अलवर	84	104
11.	सवाई माधोपुर	85	70
12.	धौलपुर	37	53
13.	बीकानेर	196	163
14.	चूरू	31	36
15.	गंगानगर	42	72
16.	हनुमानगढ़	49	51
17.	जोधपुर	378	386
18.	जालोर	31	27
19.	जैसलमेर	31	27
20.	बाड़मेर	55	60
21.	पाली	75	93
22.	सिरोही	55	44

1	2	3	4
23.	कोटा शहर	682	775
24.	बूंदी	32	53
25.	झालावाड़ा	33	41
26.	बारां	42	47
27.	उदयपुर	340	384
28.	बांसवाड़ा	22	34
29.	चित्तौड़गढ़	17	24
30.	डूंगरपुर	1	1
31.	राजसमंद	24	19

राज्य में वर्ष 1993 एवं 1994 में राष्ट्रीय राजमार्गों पर घटित सड़क दुर्घटनाओं का राष्ट्रीय राज मार्ग व क्षेत्र वाईज दर्ज अपराधों की तालिका :—

क्र. सं	जिले का नाम	नेशनल हाइवे नम्बर	वर्ष 1993 दुर्घटनाओं की संख्या	वर्ष 1994 दुर्घटनाओं की संख्या
1.	धौलपुर	3	51	58
	योग		51	58
2.	अलवर	8	94	124
3.	जयपुर ग्रामीण	,,	848	998
4.	जयपुर शहर	,,	224	215
5.	अजमेर	,,	394	413
6	राजसमन्द	,,	291	304
7.	उदयपुर	,,	238	346

1	2	3	4	5
8.	डूंगरपुर	,,	42	47
	योग :—		2131	2447
9.	भरतपुर	11	63	76
10.	दौसा	,,	156	176
11.	जयपुर ग्रामीण	,,	195	224
12.	जयपुर शहर	,,	180	172
13.	सीकर	,,	135	162
14.	चुरू	,,	19	31
15.	बीकानेर ..	,,	82	175
16.	सवाईमाधोपुर	,,	13	—
	योग—		843	1016

1	2	3	4	5
17.	जयपुर शहर	12	144	106
18.	जयपुर ग्रामीण	,,	68	80
19.	टोंक	,,	174	174
20.	बूंदी	,,	121	136
21.	कोटा ग्रामीण	,,	16	32
22.	कोटा शहर	,,	155	158
23.	झालावाड़	,,	42	59
24.	भीलवाड़ा	,,	47	12
	योग :—		767	757
25.	अजमेर	14 ए	27	21
26.	पाली	,,	251	279
27.	सिरोही	,,	209	234
	योग :—		487	534

1	2	3	4	5
28.	गंगानगर	15	64	81
29.	बीकानेर	,,	97	137
30.	जोधपुर	,,	20	13
31.	जैसलमेर	,,	29	43
32.	बाड़मेर	,,	20	30
33.	जालोर	,,	20	16
34,	हनुमानगढ़	,,	—	1
	योग :—		250	321

परिशिष्ट-8

अतारांकित प्रश्न संख्या 1147 की सूचना

भरतपुर जिले के विभिन्न थानों पर श्रेणीवार स्वीकृत कर्मचारियों की संख्या का विवरण :

क्र. सं.	थाना	पुलिस निरी.	उप निरी.	स. उ. नि.	हेड कानि.	कानि.	ड्राईवर
1.	कोतवाली	1	2	6	4	29	1
2.	मथुरागेट	1	2	4	4	25	1
3.	अटल बन्द	1	2	4	4	25	1
4.	उद्योग नगर	1	2	4	4	25	1
5.	सितसाना	—	1	1	1	12	1
6.	सेवर	—	2	3	3	20	1
7.	नन्दबई	—	1	2	2	17	1
8,	कुम्हेर	1	2	4	4	25	1
9.	बयाना	1	2	4	4	25	1
10.	रूपावास	—	1	2	2	17	1
11.	बैर	—	1	1	1	15	1

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	गढ़ी बाजेना	—	1	—	1	12	1
13.	मुसावर	—	1	2	2	17	1
14.	कुचेन	—	1	2	2	17	1
15.	हलैना	—	1	1	1	12	1
16.	डीग	1	2	4	4	25	1
17.	कामां	—	1	2	2	17	1
18.	जुरहरा	—	1	1	1	12	1
19.	पहाडी	—	1	2	2	17	1
20.	गोपालगढ़	—	1	1	1	12	1
21.	नगर	—	1	1	1	15	1
22.	सीकरी	—	1	1	1	15	1
	योग	7	30	52	51	106	22

परिशिष्ट-9

अतारांकित प्रश्न संख्या 1151 की सूचनाएं

पुलिस के कितने व कहां-कहां पर हथियारों की चोरी का विवरण वर्ष, 1990 से 1995 तक।

क्र. सं.	चोरी गये हथियारों की किस्म	स्थान जहां से हथियार चोरी हुआ	पुलिस अधिकारी का नाम व पद जिनकी अभिरक्षा में से खोना पाया गया	बरामदगी हेतु की गई कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण	किये गये प्रयासों का परिणाम।
1.	रिवाल्वर 38 बोर	पुलिस लाइन, जयपुर (शहर)	श्री अमरचन्द मु.अ्रा. नं. 14 के चार्ज में गुम हुआ।	अ.सं. 307/91 धारा 409 भा.द.स. थाना बनीपार्क जयपुर (शहर) पर पंजीबद्ध कर अन्वेषण से श्री अमर चन्द मु.अा.नं. 14 के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाया गया।	अभियोग में दि.29-2-92 को चालान प्रस्तुत किया गया।
2.	रिवाल्वर वेवलेसोट 38 बोर	पुलिस लाइन जयपुर शहर	श्री भंवरसिंह मु.अा. नं. 129 के चार्ज में कम पाया गया	अ.सं. 308/91 धारा 380 भा.द.स. सहपठित 7,8,25 आर्म्स एक्ट थाना बनीपार्क पर पंजीबद्ध कर अन्वेषण से अभियुक्त भंवरसिंह के विरुद्ध	अभियोग में 17-3-92 को चालान प्रस्तुत किया गया।

1	2	3	4	5	6
				धारा 409 भादस का अपराध प्रमाणित पाया गया।	
3.	रिवाल्वर	जयपुर प्रवास के दौरान श्री जगदीश मीणा आर. पी. क्वाटर नं.2/डी.जीपी. एस. लिव रिजर्व, जयपुर ग्रो. कालोनी जयपुर से (शहर)		प्र.सं 195/91 धारा 380 भा.द. स. पुलिस थाना विधायकपुरी पर दर्ज कर अन्वेषण से माल मुलजिम पता नहीं चला।	एफ. आर. अदम पता माल मुलजिमान दिनांक 29-2-92
4.	39 बोर रिवाल्वर	रिजर्व पुलिस लाइन जयपुर (शहर)।	श्री जगदीश प्रसाद की मु.आ. नं. 32	प्र.सं. 150/92 धारा 380,381, 468,342 भा.द.स. सहपठित 7,8, 25 आर्म्स एक्ट थाना बनीपार्क पर दर्जकर अन्वेषण से जुर्म प्रमाणित पाया गया, (1) भंवरसिंह मु.आ. नं. 124 (2) अमरचन्द मु. आ. नं. 14 (3) दिलीपसिंह का नि. 918 के विरुद्ध जुर्म प्रमाणित पाया गया।	अभियुक्तों के विरुद्ध चालान 27-9-94 को प्रस्तुत किया गया।

1	2	3	4	5	6
5.	सर्विस रिवाल्वर	उप अधीक्षक के निवास स्थान से	श्री उच्छवलाल उपअधीक्षक, पुलिस वृत, पाली ।	अ. सं. 177/92 धारा 457, 380 भा.द.स. थाना कोतवाली पर दर्जकर अन्वेषण से माल मुलजिमान का पता नहीं चला पाया ।	अंतिम प्रतिवेदन अदमपता माल मुलजिमान में दि. 30--10--92 को लगाया गया ।
6.	303 बोर राइफल	थाना पगारीया के संतरि ड्यूटी के दौरान	श्री गुलजार मोहम्मद नं. 437 थाना पगारिया (झालावाड़)	अ.सं. 20/91 धारा 379, भा.द.स. थाना पगारिया पर दर्ज कर अन्वेषण किया गया माल मुलजिमान का पता नहीं चला ।	एफ.आर. अदमपता माल मुलजिमान में दिनांक 31-5-91 को गई ।

नोट :— 1 वर्ष 1990, 93, 94 एवं 95 में अब तक पुलिस हथियारों की चोरी के कोई अभियोग पंजीबद्ध नहीं हुए ।

— 2 वर्ष 1991-92 में घटित अपराधों की वांछित सूचना उपरोक्त अनुसार हैं ।

परिशिष्ट-10

अतारांकित प्रश्न संख्या 1157 का विवरण

क्रमांक	नाम ग्राम	नाम अतिक्रमी	मुताबिक रिकार्ड जमाबंदी भूमि का विवरण			कितने रकबे पर काश्त की गई		तहसीलदार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण
			ख.नं.	कुल रकबा	किस्म भूमि	रकबा	काश्त जिन्स	
1.	लांगडीपुरा	बत्तू पुत्र लटूर हि0 1/4, रामसिंह पुत्र मूला हि0 1/4 जगन पुत्र श्री हि0 1/4, भंवर पुत्र श्योनारायण हि0 1/4 जाति गूजरान	163	31 बीघा 6 बिस्वा	चारागाह	7 बीघा	चना	अतिक्रमियों के विरुद्ध रा. भू. रा. अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही कर बेदखली आदेश पारित किए एवं 150 रु. जुर्माना वसूल किया गया। दि. 15-3-95 को गिरदावर द्वारा फसल कुर्क की जाकर पूरण पुत्र श्री

1	2	3	4	5	6
		निवासी लांगडीपुरा			गूर्जर की सुपुर्दगी में दी गई। फसल काटकर ले जाने की सूचना मिलने पर सुपुर्दगीदार की ओर से पुलिस थाना सलेमपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवायी गई जो जेर तफ्तीश है।

भवदीय,

ह०/—

जिला कलक्टर, दौसा

Page No. 335

335

परिशिष्ट-11

अतारांकित प्रश्न संख्या 1161 का विवरण

सरकार के विरुद्ध हुए निर्णयों का विवरण

वर्ष 1992-93, 1993-94 एवं 1994-95 जिसमें राज्य सरकार फरीक थी, कुल 94 प्रकरणों पर निर्णय हुआ जिसमें से 49 प्रकरण राज्य सरकार के पक्ष में हुए और 35 प्रकरण सरकार के विपक्ष में निर्णित हुए। इन 35 प्रकरण में से 13 प्रकरण रिमाण्ड किये गये, शेष 22 प्रकरणों में से 17 प्रकरणों में अपील की गई, शेष 5 प्रकरणों में अपीलें निम्न कारणों से नहीं की गई :—

1. एक प्रकरण में भूमि रूपान्तरण शुल्क जमा कराये जाने के आदेश दिये जाने से राज्य सरकार को हानि होने के कारण अपील नहीं की गई।

2. चार प्रकरणों में धारा 95 एल. आर. एक्ट में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय 1993 आर. आर. सी. पेज 286 के अनुरूप अतिक्रमियों द्वारा अतिक्रमित भूमि को सरकार के पक्ष में छोड़ने एवं भविष्य में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने बाबत लिखित अण्डर टेकिंग दे देने एवं पैनेल्टी जमा करा देने की स्थिति में सजमा के बिन्दु पर माफी दी गई थी। अतः इन प्रकरणों में माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर की रूलिंग को आधार मानकर अपील नहीं किया जाना उचित माना।

(336)

परिशिष्ट--12

अतारांकित प्रश्न संख्या 1176 की सूची

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, घनावाद (झालावाड़) में स्वीकृत कार्यरत रिक्त पदों की सूची—

	पद का नाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1.	चिकित्सा अधिकारी	1	....	1
2.	नर्स श्रेणी—11	2	2	....
3.	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	1	....
4.	एम. पी. डब्ल्यू	1	1	....
5.	वार्ड ब्वाय/स्वीपर	4	3	1

337

परिशिष्ट-13

अतारांकित प्रश्न संख्या 1177 का विवरण

भरतपुर व धौलपुर जिलों की कारागृहों की वर्ष, 1994 की संख्या का विवरण

माह	जिला कारागृह, भरतपुर			उप कारागृह, डीग			उप कारागृह, बयाना			जिला कारागृह, धौलपुर		
	1993	1994	1994 में वृद्धि (+) कमी (—)	1993	1994	1994 में वृद्धि (+) कमी (—)	1993	1994	1994 में वृद्धि (+) कमी (—)	1993	1994	1994 में वृद्धि (+) कमी (—)
जनवरी	74	97	+ 23	71	41	— 30	32	30	— 2	82	91	+ 9
फरवरी	58	107	+ 49	52	65	+ 13	38	25	— 13	66	92	+ 26
मार्च	79	109	+ 30	51	49	— 2	33	30	— 3	69	88	+ 19
अप्रेल	95	116	+ 21	65	52	— 13	34	32	— 2	61	99	+ 38
मई	83	116	+ 28	71	48	— 23	38	37	— 1	71	91	+ 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
जून	89	126	+ 37	68	59	— 9	36	36	××	83	90	+ 7
जुलाई	124	169	+ 45	49	63	+ 14	27	30	+ 3	79	89	+ 10
अगस्त	137	149	+ 12	65	75	+ 10	44	34	— 10	97	96	— 1
सितम्बर	150	143	— 7	71	47	— 24	34	32	— 2	92	82	— 10
अक्टूबर	127	148	+ 21	64	56	— 8	38	41	+ 3	102	114	+ 12
नवम्बर	94	160	+ 66	52	47	— 5	43	46	+ 3	93	86	— 7
दिसम्बर	95	145	+ 50	59	43	— 16	23	40	+ 17	85	107	+ 22
योग :	1205	1580	+375	738	645	— 93	420	413	— 7	980	1125	(+)145

परिशिष्ट-14

अतारांकित प्रश्न संख्या 1178 की सूची व विवरण

सुनिश्चित रोजगार योजना अन्तर्गत सम्मिलित जिलेवार
विकास खण्डों की सूची

क्र.स. जिला	क्र.सं.	ब्लाक्स
1. अजमेर	1.	मसूदा
	2.	जवाजा
	3.	भिनाय
	4.	पीसांगन
	5.	किशनगढ़
	6.	श्रीनगर
2. अलवर	1.	राजगढ़
	2.	थानागाजी
3. बांसवाड़ा	1.	घाटोल
	2.	गढ़ी
	3.	बांसवाड़ा
	4.	बागीडोरा
	5.	कुशलगढ़
	6.	सज्जनगढ़
	7.	भूकिया
	8.	पीपलखूंट
4. बांरा	1.	शाहबाद
	2.	छबड़ा
	3.	अटरू
	4.	छीपाबड़ोद
	5.	बांरा
	6.	अन्ता
5. बाड़मेर	1.	बायतू
	2.	बाड़मेर
	3.	चौहटन
	4.	धोरीमन्ना
	5.	बालोतरा
	6.	शिव
	7.	सिणधरी
	8.	सिवाना
6. भरतपुर	1.	डीग
7. भीलवाड़ा	1.	जहाजपुर
8. बीकानेर	1.	बीकानेर
	2.	कोलायत
	3.	लूणकरनसर
	4.	नोखा
9. बून्दी	1.	तालेड़ा
	2.	के. पाटन
	3.	हिण्डोली
	4.	नैनवा
10. चित्तौड़गढ़	1.	प्रतापगढ़

क्र.सं.	जिला	क्र.सं.	ब्लॉक्स
		2.	अरनोद
		3.	छोटी सादड़ी
		4.	बड़ी सादड़ी
		5.	भैंसरोडगढ़
11.	चूरू	1.	डूंगरगढ़
		2.	राजगढ़
		3.	रतनगढ़
		4.	सुजानगढ़
		5.	सरदारशहर
		6.	तारानगर
		7.	चूरू
12.	दौसा	1.	दौसा
		2.	सिकराय
		3.	महुवा
		4.	लालसोट
		5.	बांदीकुई
13.	डूंगरपुर	1.	हिमतवाड़ा
		2.	बिछीवाड़ा
		3.	आसपुर
		4.	सागवाड़ा
		5.	डूंगरपुर
14.	गंगानगर		
	(i) हनुमानगढ़	1.	भादरा
		2.	हनुमानगढ़
		3.	नोहर
	(ii) गंगानगर	4.	करनपुर
		5.	अनूपगढ़
		6.	पदमपुर
		7.	रायसिंहनगर
		8.	सादुल शहर
		9.	सूरतगढ़
		10.	गंगानगर
15.	जयपुर	1.	दूदू
		2.	चाकसू
		3.	जमवारामगढ़
		4.	बस्सी
16.	जैसलमेर	1.	जैसलमेर
		2.	सँम
		3.	सांकड़ा
17.	टोंक	1.	उनियारा
		2.	देवली
		3.	टोडारायसिंह
		4.	निवाई
18.	जालौर	1.	आहोर
		2.	भीनमाल
		3.	जालौर
		4.	जसवन्तपुर
		5.	रानीवाड़ा
		6.	सांचौर
		7.	सायला

क्र.सं.	जिला	क्र.सं.	ब्लॉक्स	क्र.सं.	जिला	क्र.सं.	ब्लॉक्स
19.	झालावाड़	1.	झालावाड़			4.	सुलतानपुर
			(झा. पाटन)			5.	लाडपुरा
		2.	डग	23.	नागौर	1.	डीडवाना
		3.	खानपुर			2.	डेगाना
		4.	मनोहरथाना			3.	जायल
20.	झुन्झुनूं	1.	अलसीसर			4.	कुचामन
		2.	बुहाना			5.	लाडनूं
		3.	चिड़ावा			6.	मकराना
		4.	झुन्झुनूं			7.	मूण्डवा
		5.	खेतड़ी			8.	मेड़ता
		6.	नवलगढ़			9.	नागौर
		7.	सूरजगढ़			10,	परबतसर
		8.	उदयपुरवाटी			11,	रियां
21.	जोधपुर	1.	बालेसर	24.	पाली	1.	पाली
		2.	बाप			2.	देसूरी
		3.	भोपालगढ़			3.	रानी
		4.	बिलाड़ा			4.	खारची
		5.	मण्डोर			5.	बाली
		6.	लूनी			6.	सुमेरपुर
		7.	ओसियां			7.	जैतारण
		8.	फलोदी			8.	रोहट
		9.	शेरगढ़			9.	सोजत
22.	कोटा	1.	सांगोद			10.	रायपुर
		2.	चेचट	25,	राजसमन्द	1.	भीम
		3.	इटावा			2.	देवगढ़

क्र.सं.	जिला	क्र.सं.	ब्लॉक्स
		3.	कुम्भलगढ़
28.	स. माधोपुर	1.	नादौती
		2.	खण्डार
		3.	बामनवास
		4.	गंगापुर
		5.	हिण्डौन
		6.	करौली
		7.	स. माधोपुर
		8.	टोडाभीम
		9.	सपोटरा
		10.	बौली
27.	सीकर	1.	दांतारामगढ़
		2.	धोद
		3.	फतेहपुर
		4.	खण्डेला
		5.	लक्ष्मणगढ़
		6.	नीमकाथाना
		7.	पीपराली
		8.	श्रीमाधोपुर
28.	सिरोही	1.	आबूरोड़
		2.	शिवगंज
		3.	पिण्डवाड़ा
29.	उदयपुर	1.	गिर्वा
		2.	झाड़ोल
		3.	कोटड़ा
		4.	सराडा
		5.	धरियावाद
		6.	सलूम्बर
		7.	खैरवाड़ा
		8.	गोगून्दा
		9.	बड़गांव
		10.	मावली
		11.	भिण्डर

कुल विकास खण्ड 172

आश्वासित रोजगार योजनान्तर्गत भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा राशि का आवंटन (रुपये लाखों में)

क्र. सं. नाम जिला	1993-94			1994-95		
	राज्यांश	केन्द्रीय अंश	योग	राज्यांश	केन्द्रीय अंश	योग
1. अजमेर	7.13	60.00	67.13	92.87	280.00	372.87
2. अलवर	....	....	....	20.00	60.00	80.00
3. बांसवाड़ा	52.82	240.00	292.82	157.18	480.00	637.18
4. बांरा	7.13	60.00	67.13	82.87	240.00	322.87
5. बाड़मेर	28.50	240.00	268.50	171.50	480.00	551.50
6 भरतपुर	....	....	....	10.00	30.00	40.00
7. भीलवाड़ा	....	....	....	10.00	30.00	40.00
8. बीकानेर	14.25	120.00	134.25	105.75	320.00	425.75
9. बूंदी	....	....	....	40.00	120.00	160.00

1 2	3	4	5	6	7	8
10. चित्तौड़गढ	13.21	60.00	73.21	73.04	210.00	283.00
11. चूरू	24.94	210.00	234.94	185.06	560.00	745.06
12. दौसा	....	....	....	60.00	150.00	200.00
13. धौलपुर	....	....	....	....	....	....
14. डूंगरपुर	33.02	150.00	183.02	123.23	400.00	523.23
15. गंगानगर	35.63	300.00	335.63	214.37	100.00	814.37
16. जयपुर	....	....	....	40.00	120.00	160.00
17. जैसलमेर	10.69	90.00	100.69	64.31	180.00	244.31
18. जालौर	24.94	210.00	234.94	185.06	560.00	745.06
19. झालावाड़	10.69	90.00	100.69	74.31	210.09	284.31
20. झुन्झुनूं	28.50	240.00	268.50	171.50	480.00	651.50
21. जोधपुर	32.07	270.00	302.07	237.93	720.00	957.93
22. कोटा	7.13	60.00	67.13	72.87	210.00	282.87
23. नागौर	39.20	330.00	369.20	290.80	880.00	1170.80

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	पाली	35.62	300.00	335.62	214.38	600.00	814.38
25.	राजसमंद	....	....	....	30.00	90.00	120.00
26.	स. माधोपुर	7.13	60.00	67.13	132.87	400.00	532.87
26.	सीकर	28.50	240.00	268.50	171.50	480.00	851.50
28.	सिरोही	6.60	30.00	36.60	42.15	120.00	162.15
20.	टोंक	10.69	90.00	100.69	74.31	210.00	284.31
30.	उदयपुर	46.22	210.00	256.22	217.53	680.00	897.53
	योग :—	504.61	3660.00	4164.61	3355.39	9900.00	13255.39

परिशिष्ट--15

अतारांकित प्रश्न संख्या 1181 की सूची

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, अजमेर (राज.)

गत तीन वर्षों में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा जिले के किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत एनिकटों की सूची

क्र.सं. 1	नाम एनिकट 2	वर्ष 3	योजना का नाम 4	स्वीकृत राशि 5	वर्ष 6	व्यय राशि 7	वि. वि- 8
1.	कालानाडा एनिकट घोलपुरिया	92-93	अकाल	1.00		0.89	अपूर्ण
2.	चुरली तालाब पाटन रपट	,,	अकाल	2.00		2.22	,,
3.	अम्बा माल की रपट खाजपुरा	,,	अकाल	2 00		2.21	,,
4.	मालखण्ड की अपूर्ण रपट करकेडी	,,	अकाल	2.00		2.09	पूर्ण
5.	रोडावास एनिकट	,,	जीवन धारा	2.00		1.91	पूर्ण
6.	कुचील एनिकट	93-94	जवाहर रोजगार योजना द्वितीय धारा	2.00		1.99	पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	मदूर्ण एनिकट	93-94	अकाल	1.60		0.35	अपूर्ण, जगह का विवाद होने के कारण
8.	बालासागर रपट पाटण	,,	अकाल	0.69		0.49	पूर्ण
9.	अम्बामाल की रपट खाजूपुरा	94-95	अकाल	2.45		....	दिशा निर्देशों तहत नहीं होने के कारण कार्य नहीं करवाया गया।
10.	मालपुरा रपट	,,	अकाल	1.00		....	.... ,, ...
11.	तालाब की मरम्मत चुरलीपाटन	,,	अकाल	1.00		....	.... ,, ...
12.	रूपनगढ़ लाल दरवाजा	,,	अकाल	2.70		1.17	अपूर्ण
13.	मेघसागर रपट सलेमाबाद	,,	अकाल	2.85		1.34	,,
14.	मण्डावरिया रपट तिलोनिया	,,	अकाल	1.60		0.86	,,
15.	भैंरू जी के रास्ते पर रपट सरगांव	,,	अकाल	0.50		0.92	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	किशनगढ़ से सरगांव के रास्ते पर रपट	,,	अकाल	0.50		0.92	,,
17.	गंगा सागर रपट सलेमाबाद	,,	ज. रो. यो. द्वितीयधारा	2.00		2.51	प्रगति पर

——

परिशिष्ट--16

अतारांकित प्रश्न संख्या 1188 का विवरण

परिशिष्ट--1

औद्योगिक विवाद अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, उदयपुर (राज.)
पीठासीन अधिकारी :—श्री ओमप्रकाश गुप्ता. आर. एच. जे. एस.

प्रकरण संख्या
81 सन् 90

श्री दिलीप कुमार पिता श्री घनश्याम लाल सनाढ्य, 47-बावेलो की सेथरी, उदयपुर

————प्रार्थी

बनाम

मुख्य अधिशाषी अधिकारी, मत्स्य पालक विकास अभिकरण, उदयपुर

———विपक्षी

उपस्थित :—

श्री आर. एस. चौधरी, प्रार्थी की ओर से
सुश्री विमला त्रिवेदी, विपक्षी की ओर से

दिनांक 29-12-93

पंचाट

राजस्थान राज्य के श्रम विभाग द्वारा जरिये क्रमांक. प. (1)(175) श्र0नि./89 दिनांक 31-3-90 निम्न आशय का प्रसंग इस न्यायालय को प्रेषित किया गया।

क्या श्रमिक श्री दिलीप कुमार सनाढ्य जरिये राजेन्द्र सिंह चौधरी 89 पंचवटी उदयपुर को उसके नियोजक मुख्य अधिशाषी अधिकारी, मत्स्य पालक विकास अभिकरण सरदारपुरा, उदयपुर द्वारा सेवा से पृथक किया जाना उचित एव वैध है ? यदि नहीं तो प्रार्थी श्रमिक किस राहत को पाने का अधिकारी है ?

स्टेटमेंट आफ क्लेम में प्रार्थी का अभिकथन है कि विपक्षी ने प्रार्थी को 1-10-86 के द्वारा कनिष्ठ लिपिक के पद पर दैनिक श्रमिक के रूप में 15/-प्रतिदिन

350

की दर से नियुक्त किया तब से लगातार 7-10-88 तक प्रार्थी ने विपक्षी नियोजन में सेवाएं दी। और 240 दिन कार्य दिवस भी पूरे कर लिये, परन्तु उसकी सेवा समाप्त करने से पूर्व कोई नोटिस अथवा छटी मुआवजा नहीं दिया गया। अतः द्स्ब धारा 25 एफ के प्रावधानों की पालना नहीं करने से विपक्षी का सेवामुक्ति आदेश अवैध है और प्रार्थी को अनवरत सेवा में मानते हुए पूर्ण वेतन सहित पुनः सेवा में लिया जाये।

विपक्षी ने जवाब में अंकित किया है कि उनकी संस्थान उद्योग नही है। यह भी कहा है कि प्रार्थी को 15/-प्रतिदिन की दर से मजदूरी पर रखा था न कि कनिष्ठ लिपिक के रूप में दिनांक 1-10-80 से प्रार्थी का कार्य नही किया जाना अंकित किया है और चरण क्रम 3 में विभिन्न वर्षों में अनुपस्थित रहने के दिवसों को दर्ज कर निरन्तर 240 दिन कार्य नही करने का उल्लेख किया है। यह भी अंकित किया गया है कि नियुक्ति पत्र में यह शर्त थी कि विभाग द्वारा नियुक्ति होने पर उसकी सेवाएं स्वतः ही समाप्त हो जायगी और प्रार्थी ने स्वतः ही काम पर आना बन्द कर दिया। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की प्रार्थना की है।

विपक्षी की ओर से एन0 बी0 कोष्ठी का शपथ पत्र प्रस्तुत हुआ है और उसने जवाब में कहे हुये कथनो का पुनः उल्लेख किया हैं। प्रार्थी ने स्वयं का शपथ-पत्र पेश किया है और स्टेटमेंट आफ क्लेम के कथनों का ही उल्लेख किया है।

दोनों पक्षकारान के तर्कों पर मनन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का तर्क है कि प्रार्थी 7-10-88 को सेवा से पृथक कर दिया और उसे 1-10-86 को 15/-रु. दैनिक वेतन पर रखा। उसे कोई नोटिस नहीं दिया। उनका तर्क है कि दिनांक 1-10-86 से 7-10-88 के बीच की अवधि की अनुपस्थिति का रेकार्ड न्यायालय में प्रस्तुत नही किया। दिनांक 1-10-86 से 30-9-87 के सेवाकाल के विपक्षी द्वारा प्रस्तुत रेकार्ड के आधार पर प्रार्थी 14 दिन कुल अनुपस्थित रहा अतः 240 दिन से अधिक सेवा में रहा। उनका यह भी तर्क है कि 1-10-87 से 6-10-88 की अवधि का जो रेकार्ड पेश किया है उसमें कुल 35 दिन गैर हाजिर रहा है जबकि एक वर्ष 86-1/2 दिन अर्थात प्रार्थी ने 240 दिन से अधिक काम किया। स्वयं विपक्षी के साक्षी श्री एन0 बी0 कोष्टी ने स्वीकार किया है कि प्रार्थी ने कुल मिलाकर 268 दिन कार्य किया है। विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि विनिर्णय एल. एल. जे. 1993 (1) राजस्थान पेज 187 और एल0 एल0 जे0 1993 (1) राजस्थान 1993 के आधार पर 240 कार्य दिवस पूरे कर लेने पर द्स्ब धारा 25 एफ का लाभ दिलाये जाने का तर्क प्रस्तुत किया है।

विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि

Page No. 351

351

प्रार्थी की सेवाएं स्वतः अन्य कर्मचारियों के आने से समाप्त हो गई और वो स्वतः ही छोड़ कर चला गया'।'

मैंने पत्रावली का अध्ययन किया और दोनों साक्षीगण के कथनों का अवलोकन किया। प्रार्थी ने इस तथ्य को गलत बताया है कि 1-10-86 से लगातार काम नहीं किया और इस तथ्य को भी गलत बताया है कि स्थाई श्रमिक आने पर स्वतः ही सेवा समाप्त कर दी जाएगी, ऐसी शर्त हो एवं 240 दिन कार्य नहीं किया हो।

श्री एन0 बी0 कोष्टी ने शपथपत्र में जिरह में उसने स्वीकार किया है कि एक वर्ष में प्रार्थी ने निरन्तर 240 दिन कार्य नहीं किया लेकिन कुल मिलाकर 268 दिन काम कर चुका है जो उसने एक वर्ष की अवधि में किया है जिन दिनों में प्रार्थी ने 268 दिन काम किया उसका वेतन दिया गया है जिसमें रविवारीय अवकाश शामिल नहीं है और यह भी स्वीकार किया है कि द्स्ब धारा 25 एफ की कोई कार्यवाही नहीं की गई।

साक्ष्य के अवलोकन से सिद्ध है कि प्रार्थी के प्रमाण पत्र प्रदर्श—1 जो विभाग द्वारा दिया गया है उसमें 1-10-86 से 7-10-88 तक लिपिक के पद पर दैनिक श्रमिक के रूप में कार्य संतोषप्रद होने बाबत है। इस प्रमाण पत्र से प्रार्थी के लिपिक पद पर प्रारम्भिक नियुक्ति का तथ्य भी सिद्ध है जबकि जवाब में विपक्षी ने इसे अस्वीकार किया है। प्रार्थी के 1-10-86 से 7-10-88 तक के उपस्थिति रेकार्ड को पेश नहीं किया गया है और जैसा की स्वयं विपक्षी के साक्षी ने स्वीकार किया है कि प्रार्थी द्वारा किये गये कार्य से उसके 240 दिन कार्य दिवस होने का निष्कर्ष निकलता है। मैं विद्वान अधिकवक्ता प्रार्थी के तर्क से सहमत हूं कि प्रार्थी के द्वारा 1—10-86 से 30-9-87 तक के 12 महिने के कार्यकाल में कुल 14 दिन अनुपस्थित रहने के फलस्वरूप ही 240 कार्य दिवस हो जाते है। 240 कार्य दिवस पूर्ण कर लेने पर विपक्षी को सेवा समाप्ति से पूर्व द्स्ब धारा 25 एफ के प्रावधानों की पालना करना अनिवार्य था। अतः उनके द्वारा दिया गया सेवामुक्ति का आदेश उचित एवं वैध नहीं माना जा सकता।

पंचाट पक्षकार पारित किया जाता है कि प्रार्थी को तुरन्त प्रभाव से

(352)

सेवा में लिया जाये और सेवा अवधि को निरन्तरता के लिये जोड़ा जावे बकाया वेतन दिया जावें। प्रार्थी को खर्च मुकदमा 300/- दिलाया जाता है।

पंचाट आज दिनांक 29-12-93 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायाधीश,
औद्योगिक विवाद अधिकर णएवं
श्रम न्यायालय, उदयपुर।

परिशिष्ट–2

माननीय औद्योगिक विवाद अधिकरण एवं श्रम न्यायालय के निर्णय दिनांक 29-12-93 के पश्चात की गई कार्यवाही का विवरण

1. औद्योगिक विवाद अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, उदयपुर के निर्णय दिनांक 29-12-93 पर राजकीय अभिभाषक श्रीमती विमला त्रिवेदी की राय प्राप्त की। राजकीय अभिभाषक ने उनके पत्र दिनांक 23-11-94 द्वारा न्यायालय के निर्णय दिनांक 29-12-93 के विरुद्ध अपील करना प्रस्तावित किया।

2. राजकीय अभिभाषक की राय के अनुसार जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, मत्स्य पालक विकास अभिकरण, उदयपुर ने उनके पत्र क्रमांक 95 दिनांक 7-2-95 के द्वारा औद्योगिक विवाद अधिकरण एवं श्रम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में वाद दायर करने को अनुमति हेतु विधि परामर्शी एवं शासन सचिव, विधि विभाग, राजस्थान जयपुर को लिखा गया। इसी प्रकरण को विधि विभाग ने प्रशासनिक विभाग को मार्च, 1995 में सन्दर्भित किया। शासन के स्तर पर जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, मत्स्य पालक विकास अभिकरण, उदयपुर से आगे अपील किये जाने की टिप्पणी/प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए। अतः प्रस्ताव भेजने हेतु अप्रेल, 95 में लिखा है, जिसका प्रत्युत्तर अभी अपेक्षित है। देरी के लिए दोषी अधिकारी की जिम्मेदारी भी निश्चित कर भेजने हेतु जिला कलक्टर को लिखा है, अभी तक इस बारे में सूचना अपेक्षित है।

परिशिष्ट—17

विशेषाधिकार हनन प्रश्न पर व्यवस्था

(टिबरीवाल जांच आयोग की रिपोर्ट

सार्वजनिक किये जाने से पूर्व राजस्थान पत्रिका में प्रकाशन)

श्री लक्ष्मण सिंह व श्री माधव सिंह दीवान, सदस्य, विधान सभा ने दिनांक 24 मार्च, 1995 को प्रक्रिया नियमों के नियम 157 के अन्तर्गत एक विशेषाधिकार हनन के इस आशय के प्रस्ताव का नोटिस दिया है कि सरकार ने 21 अप्रेल, 1991 को टिबरीवाल आयोग का गठन किया जिसने अभी हाल ही में राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, किन्तु इस रिपोर्ट को न तो सार्वजनिक किया गया और न ही इसे सदन के पटल पर रखा गया है। परन्तु एक समाचार पत्र विशेष राजस्थान पत्रिका को सरकार द्वारा पिछले तीन दिनों से इस रिपोर्ट को जानबूझकर लीक किया जा रहा है। सदन के आहूत होने के पश्चात् बिना सदन के पटल पर एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट को रखे हुए राजस्थान पत्रिका को लीक करना पूरे समाचार जगत का ही अपमान व अवमान नहीं है, सदन का भी घोर अपमान व अवमान है।

राजस्थान पत्रिका के सम्पादक से इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण चाहने पर उनकी ओर से अवगत कराया गया है कि टिबरीवाल आयोग में चली खुली सुनवाई की रिपोर्टिंग पत्रिका में नियमित रूप से हुई है, यह भी कि आयोग के कामकाज के विषय में पत्रिका नियमित रूप से खबरें छापती रही हैं, इस सम्बन्ध में किसी भी पक्ष ने एतराज नहीं किया। जांच आयोग की ओर से बाद में रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत की गयी। कार्यकारी सम्पादक ने लिखा है कि पत्रिका की यह मान्यता है कि लोकहित के इस प्रकार के मुद्दों पर जनता की समझ और जानकारी बढ़ाने के लिए, जितना सम्भव हो प्रयास किए जाने चाहिये और इस मामले में नियम, परम्परा आदि का भी पूरा ख्याल रखा गया है। आयोग की जांच रिपोर्ट के बारे में पत्रिका में समाचारों का प्रकाशन शुरू हुआ तब सदन की बैठक नहीं चल रही थी। हमारे पास रिपोर्ट के बारे में तथ्यात्मक जानकारी थी जिसे जनता के समक्ष रखना हमारा फर्ज था। राज्य सरकार जांच रिपोर्ट को सदन में रखती है या नहीं, यह निर्णय राज्य सरकार को ही करना है। यह भी कहा गया है कि टिबरीवाल जांच आयोग का गठन राज्य सरकार ने किया था, सदन ने नहीं किया। राज्य सरकार ने सदन को केवल मात्र आयोग के गठन की जानकारी दी थी। अन्त में उल्लेख किया गया है कि जांच आयोग की रिपोर्ट पर आधारित खबरें छापकर पत्रिका ने माननीय सदन और उसके सदस्यों के विशेषाधिकारों का हनन नहीं किया है। पत्रिका सदैव ही चुने हुए सदन के प्रति आदरभाव रखता है, रखती रहेगी।

राज्य सरकार से जानकारी चाहने पर सूचित किया गया है कि टिबरीवाल आयोग ने राज्य सरकार को अपना जांच प्रतिवेदन दिनांक 25-2-95 को प्रस्तुत किया। इसका अध्ययन विभागीय स्तर पर किया जा रहा है। सरकार ने टिबरीवाल जांच आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में दिये गये तथ्यों के सम्बन्ध में न तो कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी की है अथवा न ही किसी समाचार पत्र विशेष को लीक किया गया है। अन्त में उल्लेख किया गया है कि माननीय सदस्यों ने जो प्रकाशित समाचार की फोटो प्रति अपने प्रस्ताव के साथ संलग्न की है उसमें कहीं भी यह अंकित नहीं है कि जांच प्रतिवेदन की प्रति राज्य सरकार अथवा किसी सरकारी सूत्र से प्राप्त हुई है।

अब विचारणीय विषय यह है कि :—

(1) आया टिबरीवाल आयोग की रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखना ओब्लीगेटरी है अथवा नहीं ?

(2) राजस्थान पत्रिका में आयोग की रिपोर्ट के बारे में जानकारी का क्या स्रोत रहा और क्या इसमें सरकार व राजस्थान पत्रिका द्वारा सदन के विशेषाधिकार का हनन किया गया है।

इस सन्दर्भ में लोकसभा में दिनांक 02 अप्रेल, 1951 को तत्कालीन लोकसभा सदस्य श्री एच. वी. कामथ द्वारा उठाये गये एक विशेषाधिकार के प्रश्न का उल्लेख करना उपयुक्त प्रतीत होता है जिसमें खाद्य एवं कृषि मंत्री द्वारा वाद-विवाद के दौरान प्रधान मंत्री जी द्वारा दिये गये आश्वासन के अनुसरण में चीनी का आयात करने के सम्बन्ध में लगाये गये आरोपों की जांच करने के सम्बन्ध में गंगानाथ कमेटी का गठन किया गया था और उस कमेटी की रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत नहीं करने के सम्बन्ध में सीधे ही प्रेस को रिलीज कर दिये जाने का उल्लेख था।

उक्त के सम्बन्ध में तत्कालीन माननीय उपाध्यक्ष श्री अनन्त शयनम आयंगर ने इस प्रश्न पर दिनांक 05 अप्रेल, 1951 को अपना विनिर्णय सुनाया जो निम्न प्रकार है :—

"मुझे माननीय सदस्यों को यह सूचित करना है कि यह सदन द्वारा गठित समिति नहीं थी इसलिए इस रिपोर्ट का सदन में रखा जाना आब्लीगेटरी (Obligatory) नहीं था। राज्य सरकार को यह अधिकार है कि वह सदन में किसी वक्तव्य के माध्यम से अथवा अन्यथा चाहे जितनी संख्या में कमेटियों का गठन कर सकती है, इसलिए मैं नहीं सोचता कि इसमें कोई विशेषाधिकार हनन का मामला अन्तर्निष्ट है, साथ ही यह

भी संदेह से परे है कि यदि कोई कमेटी राज्य सरकार द्वारा अपने स्तर पर गठित नहीं की जाकर किसी संकल्प के अनुसरण में अथवा अन्यथा जबकि सदन की बैठकें चल रही हों, गठित की जाती तो स्वाभाविक है कि सदन यह अपेक्षा करेगा कि समिति की कार्यवाही की सबसे पहले जानकारी सदन को दी जानी चाहिये। इस निरुक्ति (Obsirva Tions) के होते हुए इस मामले में कोई विशेषाधिकार हनन का मामला नहीं बनता।"

(सन्दर्भ प्रिविलेज डाइजेस्ट, लोकसभा 1951 पेज 503 मूल रूप आंग्ल भाषा में)

इसी प्रकार 22 अगस्त, 1955 को तत्कालीन श्रम मंत्री द्वारा सदन की मेज पर बैंक अवार्ड कमीशन की एक रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय प्रेस में सारांश प्रकाशित होने की बात को लेकर उठाये गये विशेषाधिकार प्रश्न के सन्दर्भ में तत्कालीन माननीय अध्यक्ष मावलंकर ने जो विनिर्णय सुनाया गया, उसके सुसंगत अंश का यहां उल्लेख करना वांछनीय प्रतीत होता है :—

"जहां तक विशेषाधिकार हनन का प्रश्न है, हम बिलकुल निश्चित नहीं है कि यह ऐसा मामला है। यदि मुझे पूर्ण सन्तुष्टी हो जाती तो मैं मामला सीधे ही विशेषाधिकार समिति को सौंप देता, बजाय इसके कि मंत्री से जांच करवाकर रिपोर्ट के लिए कहता। आखिर में संसदीय परम्पराओं को उत्तरोत्तर विकसित होने देना चाहिये, इसलिए मैं सभी सम्बन्धित और प्रेस से सहयोग की अपेक्षा रखता हूं। मैं इस प्रयोजन के लिए कोई समिति का गठन करने का इरादा नहीं रखता"......................

यहां यह दृष्टव्य है कि यह सदन द्वारा गठित समिति नहीं है और सरकार के लिए इसको सदन की मेज पर रखा जाना ऑब्लीगेटरी नहीं है जबकि उपरोक्त मामले में सदन की मेज पर रखे जाने के समय ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई। (प्रिविलेज डाइजेस्ट के सौजन्य से) पृष्ठ 289

उपरोक्त दृष्टान्त के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि राज्य सरकार के लिए ऑब्लीगेटरी नहीं है कि वह टिबरीवाल आयोग की रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखे अलबत्ता, वह उचित समझे तो ऐसा कर सकती है। उक्त आयोग का गठन राज्य सरकार द्वारा किया गया था सदन द्वारा किसी संकल्प अथवा किसी प्रस्ताव के माध्यम से नहीं।

जहां तक दूसरे विचारणीय बिन्दु का प्रश्न है, राज्य सरकार के विभाग ने उनके पत्र दिनांक 17 अप्रेल, 1995 में यह स्थिति स्पष्ट कर दी है कि उनके द्वारा उक्त आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में दिये गये तथ्यों के सम्बन्ध में न तो कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी की गयी है अथवा न ही किसी समाचार पत्र विशेष को लीक किया है। रिपोर्ट विभागीय स्तर पर ही अध्ययनाधीन है और राजस्थान पत्रिका के कार्यकारी सम्पादक ने भी अपने पत्र दिनांक 05 अप्रेल, 1995 में कहीं उल्लेख नहीं किया है कि उनको रिपोर्ट अथवा उसके अंश राज्य सरकार अथवा अन्य किसी सोर्स से प्राप्त हुए बल्कि इसके विपरीत यह कहा है कि खुली सुनवायी हुई थी और पत्रिका नियमित रूप से आयोग के कामकाज की इस विषय में खबरें छापती रही है, उनके पास रिपोर्ट के बारे में तथ्यात्मक जानकारी थी जिसे जनता के समक्ष रखना उनका फर्ज था और यह कि पत्रिका सदैव ही चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रति आदर भाव रखती है और रखती रहेगी।

इस सन्दर्भ में यह भी देखने की बात है कि जो कुछ रिपोर्ट के अंश दैनिक "राजस्थान पत्रिका" द्वारा छापे गये हैं, उनको किस प्रकार प्रमाणित माना जा सकता है, क्योंकि यह अभी तक अप्रकट है कि रिपोर्ट में क्या कुछ लिखा गया है और कल्पना के आधार पर आरोप नहीं लगाये जा सकते। पुनः यह दोहराने योग्य है कि आयोग की कार्यवाही केमरे में न होकर खुले में हुई थी और ऐसे में कोई भी अपने निष्कर्ष निकाल सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर मैं नहीं समझता कि इसमें सदन के विशेषाधिकार हनन का प्रश्न उपस्थित हुआ है और यह कोई ऐसा मामला है जिसे सदन के समक्ष विचारार्थ लाया जा सके।

एतद्र्थ मैं उपरोक्त दृष्टान्त व तथ्यात्मक स्थिति के प्रकाश में माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत इस विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव को अग्राह्य करता हूं।

परिशिष्ट--18

विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पर व्यवस्था

(माननीय मुख्य मंत्री द्वारा पूछे गये प्रश्नों के उत्तर में विरोधाभास)

श्री जगदीप धनखड़ व 20 अन्य माननीय सदस्यों ने दिनांक 06 अप्रेल, 1995 को प्रक्रिया नियमों के नियम 157/158 के अन्तर्गत सदन के नेता माननीय मुख्य मंत्री श्री भैरोंसिंह शेखावत के विरुद्ध सदन के विशेषाधिकार हनन किये जाने

सम्बन्धी विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना प्रस्तुत की है जिसमें उल्लेख किया गया हैं कि तारांकित प्रश्न संख्या 5/सह. मं./सह,/ प्रश्नकर्ता श्री जगदीप धनखड़, सदस्य द्वारा उठाये गये प्रश्न के उत्तर में सरकार की ओर से दिनांक 04 अप्रेल, 1995 को जो उत्तर दिया गया है उसमें राज्य तिलम संघ की स्थापना से जनवरी, 1995 तक की वर्षवार शुद्ध हानि का उल्लेख किया गया है।

उनके कथानानुसार उत्तर से यह निर्विवाद रूप से स्पष्ट हुआ है कि किसी भी वर्ष में राज्य तिलम संघ ने कोई लाभ अर्जित नहीं किया जबकि नवीं विधान सभा के षष्ठम् सत्र के तीसरे दिवस दिनांक 24 मार्च, 1992 को माननीय मुख्य मंत्री श्री भैरोंसिंह शेखावत ने राज्य तिलम संघ के बारे में स्पष्टीकरण देते हुए (पृष्ठ 572-573-डिबेट) कहा है कि पिछले दो वर्षों (1990-91 व 1991-92) में घाटा 7 करोड़ 79 लाख का था उस घाटे के उपरान्त 1990-91 में और 91-92 में इस संघ को प्रोफिट में लाया गया।

उक्त परिस्थिति में उन्होंने यह कह कर इस सदन को गुमराह कर सदन के विशेषाधिकारों का हनन किया है और यह भी कि उक्त विशेषाधिकार का प्रश्न दिनांक 25 अप्रेल, 1995 को सरकार द्वारा दिये गये उत्तर से उनकी तथ्यात्मक स्थिति से स्पष्ट हुआ है और इसमें सदन का हस्तक्षेप अपेक्षित है।

इस प्रस्ताव में विचारणीय विषय यह है कि क्या प्रश्न के उत्तर से उत्पन्न तथ्यात्मक स्थिति में सदन का विशेषाधिकार भंग होना माना जा सकता है?

प्रक्रिया के नियमों के नियम अध्याय 8 में "आधे घंटे की चर्चा" शीर्षक से वर्णित नियम 49 मे "प्रश्न के उत्तर से उठने वाले किसी लोक महत्व के विषय पर चर्चा" शीर्षक से निम्न प्रावधान किया गया हैं:--

> "49 (1) अध्यक्ष आधा घन्टा ऐसे पर्याप्त लोक-महत्व के विषय पर चर्चा उठाने के लिए नियत करेगा जो हाल ही में किसी मौखिक या लिखित प्रश्न का विषय रह चुका हो और जिसके उत्तर का किसी उक्त विषय के सम्बन्ध में विशदीकरण आवश्यक हो।"

उपरोक्त के अवलोकन से यह बात निर्विवाद रूप से कही जा सकती है कि केवल मात्र प्रश्न के उत्तर से उत्पन्न होने वाली स्थिति के लिए माननीय सदस्यों के समक्ष एकमात्र विकल्प नियम 49 के तहत आधे घंटे की चर्चा उठाने का उपलब्ध था, किन्तु माननीय सदस्यों ने प्रश्न के उत्तर को मुख्य मंत्रीजी द्वारा दिनांक 24 मार्च, 1992 को तिलम संघ के बारे में दिये गये स्पष्टीकरण से जोड़ते हुए सदन को गुमराह करने के मुद्दे नजर कथित विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव का रूप दिया है, अतः इसकी जांच विशेषाधिकार प्रश्न के सन्दर्भित नियमों, संसदीय व्यवस्थाओं परम्पराओं और अध्यक्षों के विनिर्णयों के प्रकाश में किये जाने की अपेक्षा है।

ऐसे मामलों में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा स्पष्ट किया गया है कि माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा दिनांक 24 मार्च, 1992 को सदन के समक्ष जो तथ्य प्रस्तुत किये गये थे, वे नकद उपलब्धि के अनुरूप थे यानी कि घिसावट (depreciation) का समावेश नहीं किया गया था और एतदर्थ जो आंकड़े माननीय मुख्य मंत्री जी ने दिनांक 24 मार्च, 1992 को इस सदन में उक्त स्थिति का उल्लेख करते हुए पेश किये हैं वे पूर्णतया संस्था के लेखों के अनुरूप हैं। यह भी कि मुख्य मंत्री जी ने वर्ष 1991-92 के सम्बन्ध में जो आंकड़े पेश किये थे वे पूरे वर्ष की अवधि के नहीं हो सकते, क्योंकि मुख्य मंत्री जी ने सदन में अपना वक्तव्य ही दिनांक 24 मार्च, 1992 को दिया था। ये आंकड़े विभागीय अभिलेखों के अनुसार 31 जनवरी, 1992 तक के उपलब्ध कराये गये थे और लिपिकीय त्रुटि के अलावा जिसमें "करोड़" के स्थान पर "लाख" अंकित हुआ, सदन को किसी प्रकार त्रुटिपूर्ण तथ्य उपलब्ध नहीं कराये गये।

अब इस प्रस्ताव के गुणावगुण पर विचार किया जाना वांछनीय है कि आया-यह विशेषाधिकार हनन की कोटि में आता है अथवा नहीं, इसके लिए नियमों में निम्न तीन अपेक्षाएं हैं :—

(1) एक बैठक में एक से अधिक प्रश्न नहीं उठाया जायेगा,

(2) प्रश्न हाल ही के किसी विशिष्ट मामले तक ही सीमित रखा जायगा, और

(3) उस विषय के सम्बन्ध में सभा के हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

यह निर्णय करना अध्यक्ष का काम है कि विशेषाधिकार प्रश्न का विषय हाल ही में हुआ कोई विशिष्ट विषय है या नहीं।

सदन के माननीय सदस्य प्रथम दृष्टया मुझसे सहमत होंगे कि विशेषाधिकार हनन का उठाया गया यह प्रश्न हाल ही में हुए किसी विशिष्ट मामले से सम्बन्धित नहीं हैं क्योंकि प्रश्न के उत्तर से उत्पन्न स्थिति के समाधान के लिए तो नियमों में अन्य माध्यम हैं (माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत माध्यम नहीं) और 24 मार्च, 1992 को दिया गया स्पष्टीकरण तीन वर्ष से भी अधिक पुराना है और केवल मात्र इसको प्रश्नोत्तर से जोड़ देने से उसे अभी हाल का विशिष्ट मामला नहीं माना जा सकता है जिसकी तार्किक परिणति यही है कि उठाये गये विषय के सम्बन्ध में सभा के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

क्या वर्षों पुराना मामला अभी हाल का मामला हो सकता है, इस सम्बन्ध में इसी सदन में दिनांक **15 अप्रेल, 1958** को जो "सद्यःभूत घटना के अभाव में विशेषाधिकार हनन का प्रश्न प्रस्तुत करने की सम्मति नहीं दी जा सकती" शीर्षक से

तत्कालीन माननीय अध्यक्ष द्वारा सुनाये गये विनिर्णय (अध्यक्ष पद से दिये गये महत्वपूर्ण विनिर्णयों का संकलन-प्रथम खण्ड पृष्ठ-193) के कुछ महत्वपूर्ण अंशों का यहां उल्लेख करना वांछनीय प्रतीत होता है :—

"माननीय सदस्य ने मुझे बताया कि "फ्री प्रेस जनरल" में जो 15 अप्रेल, 1955 को श्री गुमान सिंह का वक्तव्य प्रकाशित हुआ है उससे विशेषाधिकार का हनन होता है। यह सत्य है कि उस वक्तव्य में जो वह सत्य नहीं है तो वह स्टेटमेंट बहुत ज्यादा अपमानजनक है। अब प्रश्न यह उठता है कि फ्री प्रेस जनरल में जो समाचार प्रकाशित हुआ वह उसी रूप में दिया गया था अथवा नहीं। अब इतने समय बाद इसकी सही जानकारी प्राप्त कर लेना कठिन होगा।

लेकिन मुख्य प्रश्न तो इसमें यह है कि यह प्रश्न अत्यधिक विलम्ब से पेश किया गया है।

मेजर फतह सिंह की गिरफ्तारी दिनांक 7 अप्रेल 1955 को हुई थी, जिसको आज 3 वर्ष हो चुके हैं और इस बीच में कई बार तो अजमेर विधान सभा की बैठकें हो चुकी हैं तथा राज्य पुनर्गठन के बाद भी तत्कालीन विधान सभा के दो सत्र हुए थे। तदुपरान्त नये चुनाव के पश्चात् द्वितीय राजस्थान विधान सभा के दो सत्र समाप्त हुए एवं अब तृतीय सत्र भी फरवरी, 1958 से चालू है, किन्तु इस प्रश्न को प्रथम बार 19 मार्च, 1958 को उपस्थापित किया गया। माननीय डिप्टी स्पीकर ने अनुमति नहीं देने की आज्ञा 28 मार्च, 1958 को घोषित की। उसके उपरान्त यह प्रश्न लिखित रूप में 12 दिन बाद 09 अप्रेल, 1958 को पेश किया गया। इस सम्बन्ध में अजमेर विधान सभा की कार्यवाही दिनांक 11 अप्रेल, 1955 को देखने से यह भी ज्ञात होता है कि मेजर फतह सिंह की गिरफ्तारी की सूचना उस सदन को दी जा चुकी थी। इससे यह भी स्पष्ट है कि जब उस सदन को तथा उसके सदस्यों को इस घटना की जानकारी थी और उस समय यह प्रश्न नहीं उठाया गया तो फिर यहां पर इतने समय के बाद इस पर कैसे विचार किया जा सकता है ? इस प्रसंग में माननीय सदस्यों का ध्यान "मेज पार्लियामेंट्री प्रेक्टिस (पन्द्रहवां संस्करण) के पृष्ठ 365 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जिसमें दिये गये उदाहरण से यह मामला स्वत: स्पष्ट हो जाएगा :—

"A matter which occurred during the recess was refused precedence as a matter of privilege because it was not raised on the first day of the session. Similarty, a matter

(360)

concerning are article in a newspaper published on 6th My was refused precedence because it was not raised till the 14th"

"ऐसी स्थिति में विशेषाधिकार का हनन होना प्राइमा फेसी साबित नहीं है। मामला रीसेंट ऑकरेंस का नहीं है व दुबारा यह प्रश्न उठाने में जो 12 दिन का विलम्ब किया उसका भी कोई कारण प्रतीत नहीं होता है। अतः इसे सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाती है।"

दिनांक 09 अप्रेल, 1994 को इसी सदन में माननीय अध्यक्ष द्वारा सुनाये गये विनिर्णय (अध्यक्ष पद से दिये महत्वपूर्ण निर्णयों का संकलन-चतुर्थ खण्ड-पृष्ठ 45) का एक अंश भी उद्धृत करना सुसंगत प्रतीत होता है, जो निम्न प्रकार है :—

"श्री रामचन्द्रन की पुस्तक, "लॉ ऑफ पार्लियामेंट्री प्रेक्टिसेज इन इण्डिया" के पृष्ठ 285 पर जिस मामले पर विचार किया गया है उसका भी उल्लेख करना प्रांसगिक होगा। इस मामले में माननीय मुख्य मंत्री जी के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन का प्रश्न रखा गया था जिसमें मुख्य मंत्री जी द्वारा यह कहा गया था कि कुछ मकानों का ले आउट प्लान म्यूनिसपल बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था। मामले की जांच किये जाने पर कहा गया कि मकान प्लान के अनुमोदन से पूर्व ही बना लिये गये थे। इस प्रकार की परिस्थितियों में विशेषाधिकार का प्रश्न प्रस्तुत किया गया तो अध्यक्षीय व्यवस्था दी गयी कि विशेषाधिकार हनन प्रश्न को प्रथम दृष्टया ग्राह्य नहीं माना जा सकता है, क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री ने जानबूझकर सदस्य को गलत सूचना नहीं दी है।"

"मुख्य मंत्री द्वारा दी गयी सूचना व प्रश्न के उत्तर में सूचना के विरोधाभास होने पर विशेषाधिकार हनन नहीं" शीर्षक से दिनांक 31-3-1987 को तत्कालीन माननीय अध्यक्ष ने जो विनिर्णय सुनाया वह निम्न प्रसंग में सम्पूर्णतया सही उतरता है :—

(अध्यक्ष पद से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों का संकलन-द्वितीय खण्ड पृष्ठ 205-6-7) इसके कुछ महत्वपूर्ण अंश नीचे उद्धृत हैं :—

"श्री अध्यक्षः श्री नाथूसिंह, सदस्य, विधान सभा ने इन्दिरा गांधी परियोजना में रबर शीट लगाये जाने के मामले में मुख्य मंत्री महोदय द्वारा

सदन को दी गयी सूचना और एक तारांकित प्रश्न के उत्तर में दी गयी सूचना में काफी विरोधाभास होने के आधार पर जानबूझकर तथ्यों को छिपाने तथा सदन को गुमराह करने के कारण विशेषाधिकार हनन का प्रश्न उठाया है।

विशेषाधिकार हनन प्रश्न में उल्लेख किया गया है कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में हुए वाद-विवाद का उत्तर देते हुए मुख्य मंत्री महोदय ने निम्न उत्तर दिया :--

उक्त रबर शीट की सी. डब्ल्यू. सी. से अप्रूवल ले ली गयी है।

मुझको जो अंश बताये गये हैं उसके अन्दर काफी कन्वेंसिंग चीज है।

"इट इज फोर अप्रूवल"

तारांकित प्रश्न के उत्तर का उल्लेख करते हुए प्रस्तावक ने कहा कि उत्तर में यह दिया है---अध्यक्ष केन्द्रीय जल आयोग ने प्रयोगात्मक उपयोग हेतु रबर शीट लगाने हेतु मौखिक सहमति प्रकट की है। यह निविदा केवल प्रयोगात्मक उद्देश्य हेतु मंगवायी गयी है।

प्रश्न का उक्त उत्तर प्रश्न के भाग 3 में चाही गयी निम्न जानकारी पर दिया गया था :--

"क्या यह सही है कि रबर शीट लगाने की प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ? यदि हां, तो निविदाएं क्यों मांगी गई ?"

प्रश्न में चाही गयी जानकारी और महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर हुए वाद-विवाद के उत्तर के समय चाही गयी जानकारी में एकरूपता नहीं है।

विशेषाधिकार हनन के प्रश्न में यह कहा गया है कि मुख्य मंत्री महोदय ने तथ्यों को जानबूझकर छिपाया है और सदन को गुमराह किया। जैसा कि मुख्य मंत्री महोदय ने वाद-विवाद का उत्तर देते समय कहा कि--

"मुझको जो अंश बताये गये हैं, उस आधार पर काफी कन्वेंसिंग चीज है।"

"इट इज फार अप्रूवल"

इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि मुख्य मंत्री महोदय को जो सूचना थी उसके आधार पर उन्होंने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

"........मेरी राय में सार रूप में प्रश्न के उत्तर और वाद-विवाद के समय दिये गये उत्तर के तथ्यों पर कोई विरोधाभास प्रतीत नहीं होता है और यह भी नहीं कहा जा सकता कि मुख्य मंत्री महोदय ने जानबूझकर सदन को गुमराह करने के लिए वाद-विवाद का उत्तर देते समय असत्य बात कही हो, अतः विशेषाधिकार हनन प्रश्न को प्रथम दृष्टया ग्राह्य नहीं मानता।"

अग्रेत्तर सर्वश्री कौल एवं शकधर द्वारा लिखित पुस्तक "संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार" के पृष्ठ 244 में यह उल्लेख भी ध्यान देने योग्य है जिसमें कहा गया है कि "सभा या उसकी किसी समिति के सामने उसे धोखा देने के उद्देश्य से झूठी, जाली या गढ़ी गयी दस्तावेज पेश करना सभा के विशेषाधिकार का भंग है और उसका अवमान है।"

अग्रेत्तर, स्थिति और स्पष्ट हो, इस दृष्टि से विद्वान लेखक कौल एवं शकधर द्वारा लिखित संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार पुस्तिका (हिन्दी संस्करण--1972) के पृष्ठ 261 पर निम्न उल्लेख भी अवलोकनीय है :--

मामले जो सभा का विशेषाधिकार भंग या
अवमान नहीं कहे जा सकते

> यदि कोई सदस्य या मंत्री सभा में कोई ऐसा वक्तव्य देता है जो किसी अन्य सदस्य के विचार में असत्य, अपूर्ण या गलत है तो वह विशेषाधिकार का भंग नहीं है। यदि कोई गलत वक्तव्य दिया जाता है तो उस मामले का निपटरा करने के दूसरे रास्ते हैं।

(यथा इस सभा के सन्दर्भ में माननीय अध्यक्ष द्वारा दिया गया निदेश संख्या-5)

विशेषाधिकार भंग तभी होता है जब कि कोई सदस्य या मंत्री कोई गलत या असत्य वक्तव्य जानबूझकर, सोच समझकर और यह जानते हुए देता है कि वह गलत या असत्य है।

लोक सभा के समक्ष भी एक समय लोक सभा के दो सदस्यों ने खाद्य तथा कृषि मंत्री के विरुद्ध इस आधार पर विशेषाधिकार प्रश्न उठाने की चेष्टा की कि जब वे लोक लेखा समिति के सामने पेश हुए तो उन्होंने सच्चाई को छिपाया और समिति

को गुमराह किया । इस पर अध्यक्ष ने अपने निर्णय में और बातों के अतिरिक्त यह भी कहा :—

(सुब्रह्मण्यम का मामला, लोकसभा वाद विवाद 17-8-1966 का0 5165-78) : किसी मंत्री द्वारा दिये गये गलत वक्तव्यों के आधार पर कोई विशेषाधिकार प्रश्न नहीं उठाया जा सकता । यदि जानबूझकर झूठ बोला जाय और यह प्रमाणित हो जाय तभी विशेषाधिकार हनन होता है । अन्य भूलें तथा गलतियां इस श्रेणी में नहीं आतीं क्योंकि हम हर रोज देखते हैं कि मंत्री वक्तव्य देते हैं, जिनमें गलतियां होती हैं और फिर वे उन भूलों का सुधार करते हैं.... ....

पार्लियामेन्ट्री प्रिविलेजेज (डाईजेस्ट ऑफ केसेज 1950-1985 लोकसभा सचिवालय का प्रकाशन) के पृष्ठ 367 पर, 1980 में सदन को मंत्री जी द्वारा दी दी गयी कथित भ्रामक सूचना के एक मामले में तत्कालीन माननीय अध्यक्ष श्री बलराम जाखड़ ने इस सम्बन्ध में श्री रामविलास पासवान, एम. पी. को विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव की सूचना देने की अनुमति नहीं दी और यह निरुक्ति (Observations) की कि मैंने पूर्ण अध्ययन के पश्चात् मेरा विनिर्णय सुनाया.... आप अध्यक्ष के निदेश संख्या 115 (यहां निदेश संख्या 5) के अन्तर्गत नोटिस दे सकते हैं । [मूल आंग्ल भाषा में]

सार संक्षेप यह है कि विशेषाधिकार के प्रश्न के रूप में उठाने के लिए नियमानुसार यह मामला प्रक्रिया नियम 159 के अन्तर्गत हाल ही में घटित किसी विषय से सम्बन्ध नहीं रखता है और इस कारण इससे सदस्य के या सदन के विशेषाधिकार हनन का भंग अन्तर्ग्रस्त होना नहीं प्रकट होने के कारण का इसमें हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं हैं । राज्य सरकार के सहकारिता विभाग के पत्र दिनांक 15 अप्रेल, 1995 में यह स्पष्ट किया गया है कि 24 मार्च, 1992 को सदन के सामने जो तथ्य प्रस्तुत किये गये वे नकद उपलब्धि के अनुरूप थे, उनमें घिसावट (depreciation) का समावेश नहीं किया गया था और आंकड़े 31 जनवरी, 1992 तक के उपलब्ध कराये गये थे और सदन को किसी प्रकार त्रुटिपूर्ण तथ्य नहीं उपलब्ध कराये गये विशेषाधिकार भंग तभी होता है जब कोई सदस्य या मंत्री कोई गलत या असत्य वक्तव्य जानबूझकर (इन्टेंसली) सोच-समझकर जानते हुए देता है कि यह गलत या असत्य है और यदि मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य के सम्बन्ध में कोई कथित विसंगति की बात कही जाति है तो उसके लिए माननीय अध्यक्ष के निर्देश संख्या 5 के अन्तर्गत माध्यम उपलब्ध है और यह कि इस मामले में मुख्य मंत्री जी को जो भी सूचना थी, उस

(364)

आधार पर उन्होंने दिनांक 24 मार्च, 1992 को तिलम संघ के बारे में सदन में स्पष्टीकरण दिया और इसी सदन में 31 मार्च, 1995 को मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रश्न के उत्तर में दी गयी सूचना में कथित विरोधाभास होने की स्थिति को विशेषाधिकार हनन नहीं माना गया है।

एतदर्थ मैं, श्री जगदीप धनखड़ व अन्य माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये इस विशेषाधिकार के मामले को उपरोक्त विवेचन की दृष्टि में विशेषाधिकार हनन की कोटि में नहीं मानते हुए अग्राह्य करता हूं और इस मामले को यही बन्द करता हूं।

परिशिष्ट–19

(सचिव विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पर व्यवस्था माननीय अध्यक्ष को प्रस्तुत प्रस्तावों का समाचार-पत्रों में पूर्व प्रकाशन)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी, सदस्य, विधान सभा ने दिनांक 04 अप्रेल, 1995 को रात्रि 9.45 बजे राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 158 के अन्तर्गत इस आशय के विशेषाधिकार हनन के विषय की सूचना प्रस्तुत की कि दिनांक 01 अप्रेल, 1995 को दैनिक समाचार "राष्ट्रदूत" के प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित समाचार (एक रहस्मय पत्र शीर्षक से विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव का मजमून समाचार आइटम रूप में प्रकाशित) से उन्हें ज्ञात हुआ कि विधान सभा में भाजपा के कुछ सदस्यों ने उनके खिलाफ प्रक्रिया नियमों के नियम 158 के अन्तर्गत नोटिस दिया है जबकि उक्त नोटिस दिनांक 04 अप्रेल, 1995 को सुबह 10.00 बजे तक उन्हें प्राप्त नहीं हुआ और न ही यह मामला सदन में उठाया गया। उनके कथनानुसार उक्त समाचार पत्र में हूबहू प्रकाशन कराने के पीछे उनकी प्रतिष्ठा हनन करने की मंशा रही है और यह संसदीय परम्पराओं और मर्यादाओं का भी सरासर उल्लघंन और अपमान है। उनके कथनानुसार उक्त मुद्दा सदन में नहीं रखे जाने और उनको इस हेतु अवसर प्रदान नहीं किये जाने अथवा सदन की राय नहीं लिये जाने से जाहिर है कि विशेषाधिकार हनन का नोटिस देने वाले उक्त माननीय सदस्यों ने सदन की मर्यादाओं का उल्लघंन किया ही, उनकी मानहानि करते हुए सदस्य की हैसियत से उनके विशेषाधिकार का भी हनन किया।

ज्ञातव्य है कि सर्वश्री किशन गोपाल कोगटा और अनेक माननीय सदस्यों ने दिनांक 30 मार्च, 1995 को एक विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव इस आशय का

प्रस्तुत किया था कि दिनांक 24 मार्च, 1995 को ओसियां (जोधपुर) से निर्वाचित माननीय विधायक श्री नरेन्द्र सिंह भाटी ने सत्तापक्ष के मुख्य सचेतक श्री महावीर प्रसाद जैन द्वारा उठाये गये एक व्यवस्था के प्रश्न के विरोध में कुछ माननीय सदस्यों के साथ अकारण हाउस के "वैल" में आकर सत्ता पक्ष के सदस्यों की ओर एक किताब फेंकी और अभद्र भाषा का प्रयोग किया जिसके पीछे उनका इरादा निश्चय ही किसी को चोट पहुंचाना था और यह भी कि श्री भाटी की यह कार्यवाही सदन की मर्यादाओं का उल्लंघन है और सदन के विशेषाधिकारों का उल्लंघन भी है, अतः सदन उनके इस आचरण के लिए उन्हें प्रताड़ित करता है।

इस प्रस्ताव की सभी पहलुओं से जांच कर दिनांक 04 अप्रेल, 1995 को श्री भाटी से इस सचिवालय द्वारा यह जानकारी चाही गयी थी कि विशेषाधिकार हनन के प्रश्न के प्रस्ताव में उल्लिखित तथ्यों के सम्बन्ध में उन्हें क्या कहना है। जिसके सम्बन्ध में उनके द्वारा दिनांक 05 अप्रेल, 1995 को स्थिति स्पष्ट की गई।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी ने उनके द्वारा विशेषाधिकार हनन के प्रस्तुत प्रस्ताव के अन्त में यह चाहा है कि वे सत्तारूढ़ दल के मुख्य सचेतक श्री महावीर प्रसाद जैन समेत उक्त कथित नोटिस पर हस्ताक्षर करने वाले सभी माननीय सदस्यों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव की सूचना प्रेषित करते हैं। इस प्रकरण में विचारणीय विषय यह है कि यह मामला विशेषाधिकार हनन की संज्ञा में आता है या नहीं। इस हेतु दिनांक 08 मार्च, 1965 को (p- 198-99 I Part निर्णय) इसी सदन में दिये तत्कालीन माननीय अध्यक्ष के विनिर्णय का महत्वपूर्ण अंश उद्धृत करना उचित समझता हूं :--

> "**मा0 अध्यक्ष** :-- अगर कोई प्रश्न है विशेषाधिकार का, तो न तो एक सामान्य रूप से उसे लाना चाहिए, न स्वीकार करना चाहिये, न विचार ही किया जाना चाहिये। जब तक यह देख लें कि यह ऐसा प्रश्न बन भी सकता है या नहीं वह किस परिभाषा में आता है, यह अध्यक्ष का फर्ज है कि उस पर पहले पूर्ण रूप से विचार करें बातचीत की अगर इसके लिये आवश्यकता हो तो वह भी करें, दूसरी किताबों में उल्लेख मिलता है वह भी देखे फिर ही आगे बढ़ने की कोशिश करें।

इस प्रकरण में एक विचारणीय विषय भी है कि क्या प्रस्तावकर्ता सदस्यों ने प्रेस को/दैनिक राष्ट्रदूत समाचार को उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये नोटिस की जानकारी दी है अथवा नहीं और यह कि समाचार पत्र ने इसे समाचार आइटम के रूप में क्यों कर प्रकाशित किया।

366

इस सम्बन्ध में प्रक्रिया नियमों के नियम 255 में "सूचनाओं तथा पत्रों का सदस्यों में परिचालन" शीर्षक के उप नियम 2 के परन्तुक में निम्न प्रावधान किया गया है :--

> "परन्तु किसी सूचना का किसी के द्वारा तब तक प्रचार नहीं किया जायेगा जब तक कि वह स्वीकार नहीं की जाय तथा सदस्यों में परिचालित नहीं कर दी जाय :
>
> परन्तु यह भी कि किसी प्रश्न की सूचना का तब तक प्रचार नहीं किया जायेगा जब तक कि उसका उत्तर सदन में नहीं दिया जाय ।"

लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 334 (क) में सूचनाओं के पहले से विख्यापन पर प्रतिबन्ध" शीर्षक से निम्न प्रावधान किया गया है :....

> "किसी सूचना का विख्यापन किसी सदस्य अथवा अन्य व्यक्ति द्वारा तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि यह अध्यक्ष द्वारा गृहीत नहीं कर ली गयी हो और सदस्यों में परिचालित न कर दी गयी हो, परन्तु किसी प्रश्न की सूचना का उस दिन तक कोई विख्यापन नहीं किया जाएगा जिस दिन उस प्रश्न का उत्तर दिया जाय ।"

प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए इस मामले से दैनिक समाचार "राष्ट्रदूत" के प्रबन्ध सम्पादक से जानकारी की गयी कि उनको इस प्रस्ताव की सूचना कैसे प्राप्त हुई । उन्होंने यह प्रकट किया है कि उन्होंने भाजपा के पदाधिकारियों से भी जानकारी चाही लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में कोई कमेंट्स नहीं की और न ही वे कोई स्रोत बताने की स्थिति में है क्योंकि वे आइडेंटीफाई करने की स्थिति में नहीं है । प्रकारान्तर से उनके उत्तर से यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सम्बन्धित प्रस्तावकर्ताओं द्वारा सीधे रूप से उनके द्वारा सदन में प्रस्तुत किये गये विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गयी ।

इस सम्बन्ध में प्रस्तावकर्ता सर्व श्री किशनगोपाल कोगटा व समर्थलाल मीणा

को भी पत्र लिखा गया था जिन्होंने स्पष्ट किया है कि उनके द्वारा या अन्य प्रस्तावकों द्वारा दैनिक समाचार "राष्ट्रदूत" को प्रस्ताव के सम्बन्ध में किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई है बल्कि वे समाचार पत्र किसी प्रतिनिधि को पहचानते भी नहीं हैं।

उपरोक्त के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि माननीय श्री भाटी द्वारा जो इरादे आरोपित किये गये हैं, उनका कोई आधार नहीं है।

माननीय सदस्य ने मात्र प्रस्तावकर्ताओं के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन का प्रश्न उठाया है, दिनांक 10 अक्टूबर, 1979 को इसी सदन में तत्कालीन विद्वान माननीय अध्यक्ष द्वारा जो विनिर्णय सुनाया गया है, उसका ऑपरेटिव पार्ट अवलोकनीय है।

प्रश्न केवल यही है कि क्या पूर्व प्रसारण के लिए श्री कौशल किशोर जैन, सदस्य, विधान सभा तथा राजस्थान पत्रिका के सम्पादक, प्रकाशक व मुद्रक तथा आकाशवाणी की जिम्मेदारी है ? यदि है, तो क्या उनके विरुद्ध कोई विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव बनता है जिस पर कि मैं नियम 157 के अन्तर्गत उसकी स्वीकृति दे सकूं ? (उक्त के सम्बन्ध में "अध्यक्ष पद से दिये गये महत्वपूर्ण" निर्णयों का संकलन) अक्टूबर, 1977 से दिसम्बर 1989 तक (में पेज 155 पर उल्लेख किया गया है) :

मैंने इस प्रश्न पर विचार किया है और आवश्यक जानकारी भी प्राप्त की है। सुस्थापित परम्पराओं के आधार पर जब किसी सदस्य द्वारा माननीय अध्यक्ष या सचिव को दी गयी सूचनाओं का पूर्व प्रसारण हो, चाहे पूर्व प्रसारण सम्बन्धित सदस्य द्वारा हो, चाहे अन्य किसी के द्वारा उससे विशेषाधिकार हनन का प्रश्न नहीं बनता किन्तु यह निश्चित है कि इस प्रकार का पूर्व प्रसारण नियम विरुद्ध तो है ही, सर्वथा अनुचित व संसदीय परम्पराओं के विरुद्ध भी है। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य भविष्य में इसका पूर्णतः ध्यान रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस मामले को बन्द करता हूं।

इससे मिलती जुलती व्यवस्था जो लोकसभा में दिनांक 31 अगस्त, 1978 को दी गयी है, उसका उल्लेख किया जाना भी समीचीन एवं सुसंगत प्रतीत होता है।

(368)

उक्त व्यवस्था अविकल रूप से निम्न प्रकार है :—

(पार्लियामेन्ट्री प्रिविलेजेज) डाइजेस्ट ऑफ केसेज-1950-85 (लोकसभा सचिवालय प्रकाशन 1987 पृष्ठ 510-11)

"Point of Privilege

Advance publicity in the Press to notices given by members for raising matters in the House.

"Facts of the case and ruling by the Speaker

On 30th August, 1978 Shri Vayalar Ravi, a member, gave notice of a question of privilege against Shri Madhu Limaye, another member, the Editor. Printer and Publisher of the Hindustan Times and the correspondent of U. N. I. for giving advance publicity to anotice by Shri Madhu Limaye about his intention to oppose a Bill in the House.

"2. On 31st August, 1978, the Deputy Speaker (Shri Godey Murahari) made the following announcement in the House :—

"It has been brought to my notice that advance publicity is being given in the press to various notices given by members for raising matters in the House.

...ay inform the members that giving of advance ...icity to notices for raising matters in the House ...ontravention of the provisions of Rule 334A

of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, which reads as follows :

'A notice shall not be given publicity by any member or other person until it has been admitted by the Speaker and circulated to members :

Provided that a notice of a question shall not be given any publicity until the day on which the question is answered in the House.

"I seek cooperation of members and the press in the observance of the provisions of this Rule."

"3. The Matter was, thereafter, closed."

उपरोक्त दृष्टान्त उस अवस्था में लागू कहे जा सकते हैं, जब प्रस्तावक माननीय सदस्यों ने सचिव अथवा अध्यक्ष को दी गयी सूचनाओं का पूर्व प्रसारण जानबूझकर किया गया हो। प्रस्तुत मामले में न तो प्रेस की ओर से किसी का नामोल्लेख किया गया है और न ही प्रस्तावक माननीय सदस्यों की ओर से प्राप्त पत्र से इस तरह की कोई सूचना प्रेस को उपलब्ध कराने की पुष्टि होती है, अतः उपरोक्त दृष्टान्त उदाहरणस्वरूप ही दिये गये हैं।

एतदर्थ द्वारा इस सम्बन्ध में उपलब्ध दृष्टान्त संसदीय व्यवस्थाओं आदि के मद्देनजर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि प्रस्तावक माननीय सदस्यों द्वारा सदन के सदस्य अथवा सदन के विशेषाधिकारों का उल्लंघन नहीं किया है, न ही उनकी मंशा माननीय श्री भाटी प्रतिष्ठा को गिराने की प्रकट हो रही है और न इस हेतु श्री भाटी द्वारा जो इरादे आरोपित किये गये हैं, वे माने जाने योग्य हैं।

मैं भी मेरे पूर्व विद्वान माननीय अध्यक्ष द्वारा दिये गये विनिर्णय का अनुसरण करते हुए मार्ग दर्शन के बतौर सभी माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करूंगा कि वे विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव प्रस्तुत करने में पूर्ण सावधानी बरतेंगे

ग्रौर किसी भी प्रकार प्रेस द्वारा सचिव एवं माननीय ग्रध्यक्ष को प्रस्तुत प्रस्तावों/सूचनाओं के पूर्व प्रकाशन की स्थिति नहीं बने। समाचार पत्रों को भी यह समझ लेना चाहिये कि वे इस तरह के नोटिसेज/प्रस्तावों का प्रकाशन नहीं करें जब तक कि उनको माननीय ग्रध्यक्ष द्वारा स्वीकार नहीं कर लिया जाता ग्रौर सदस्यों को परिचालित नहीं कर दिया जाता।

मैं माननीय सदस्यों ग्रौर प्रेस दोनों से उपरोक्तानुसार उम्मीद करते हुए, इस प्रस्ताव को अग्राह्य करते हुए बन्द करता हूं।

परिशिष्ट-20

दिनांक 27 अप्रैल, 3 मई एवं 5 मई, 1995 को सदन में पढ़े हुए माने गये नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के प्रस्ताव

(दिनांक 27 अप्रैल, 1995)

[श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर)]

सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं उद्यान विभाग के कर्मचारियों को सुविधाएं

राज्य सरकार ने दिनांक 28 फरवरी, 1994 को एक आदेश जारी कर दिनांक 31-12-1993 तक दस वर्ष की सेवा पूर्ण किये हुए श्रमिकों को स्थायी घोषित कर रेगूलर केडर में लेने का निर्णय लिया तथा शेष कर्मचारियों को वर्कचार्ज सेवा नियमों के तहत रखने का भी निर्णय लिया। इसी आदेश में यह भी उल्लेख था कि श्रमिकों को राजस्थान सेवा नियमों के अन्तर्गत प्रदत्त सभी सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेगी लेकिन अभी तक भी वे सुविधाएं प्रदान नहीं की जाकर रेगूलर करने के नाम पर श्रमिकों के साथ धोखा किया गया है।

इस विषय में उल्लेखनीय है कि श्रमिकों को 9, 18 व 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर चयनित वेतन श्रृंखला का लाभ आज तक नहीं दिया गया है जिससे उनको काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है जबकि यह लाभ रेगुलर एवं वर्कचार्ज दोनों ही प्रकार के श्रमिकों को मिलना चाहिये। इसी प्रकार मृत श्रमिकों के आश्रितों की नियुक्तियां बंद कर दी गयी हैं, गत एक वर्ष से किसी भी मृतक आश्रित की नियुक्ति विभाग में नहीं की गयी है। ऐसे लगभग 60 मामले सरकार के पास लम्बित पड़े हैं। ऐसे प्रकरणों में मानवीय आधार पर त्वरित कार्यवाही कर नियुक्तियां दी जानी चाहिये।

इसी प्रकार राज्य कर्मचारियों की भांति समर्पित अवकाश का भी भुगतान श्रमिकों को नहीं किया जा रहा हैं। एवं न्यायालय से निर्णय होने के उपरांत भी अभी तक सैंकड़ों श्रमिकों को न तो ड्यूटी पर ही लिया गया है, न ही उनके बकाया भुगतान की कोई कार्यवाही की जा रही है। ग्रेड प्रथम व द्वितीय के श्रमिकों को अनुचित रूप से 60 वर्ष के स्थान पर 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर ही सेवानिवृत्त कर दिया गया है। समता समिति की रिपोर्ट में रही विसंगतियों को श्रमिक संघों की आपत्तियों के बावजूद दूर करने की कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

(372)

(श्री राजेन्द्र पारीक)

उपरोक्त समस्याएं सार्वजनिक निर्माण एवं उद्यान विभाग में समान रूप से व्याप्त हैं एवं राज्य सरकार को श्रमिक संघों द्वारा बार-बार अनुरोध किये जाने के बावजूद सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है और श्रमिकों में व्यापक असंतोष व्याप्त है। अतएव विधान सभा की प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत यह प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि श्रमिकों को देय सभी सुविधाएं समय पर उपलब्ध करवाने की कार्यवाही तुरन्त की जाय।

(दिनांक 27 अप्रेल एवं 3 मई, 1995)

[श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा)]

बिलाड़ा (जोधपुर) में डाक बंगले का निर्माण

जोधपुर जिले में बिलाड़ा कस्बा एक महत्वपूर्ण कस्बा है। यहां पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के कार्यालय कार्यरत हैं। यहां पर ए. सी. एम. कार्यालय तहसीलदार कार्यालय, सहायक अभियन्ता राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल कार्यालय, सहायक अभियन्ता कार्यालय, जलदाय विभाग, सहायक अभियन्ता कार्यालय, सिंचाई विभाग, न्यायिक मुन्सिफ मजिस्ट्रेट का कार्यालय, जे. ई. एन. (फोन.) का कार्यालय मार्केटिंग सोसायटी का कार्यालय आदि कई सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालय कार्यरत हैं। इस स्थान का धार्मिक दृष्टिकोण से भी बड़ा महत्व है। यहां पर आई माता का विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थान हैं जहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते है। यहां पर कल्प वृक्ष, बाण गंगा, बगड़ावतों का मन्दिर भी है जहां पर हजारों की संख्या में पर्यटक घूमने आते हैं। वर्तमान में दो कमरों का एक छोटा सा रेस्ट हाउस बना हुआ है। डाक बंगले के निर्माण के सम्बन्ध में राज्य सरकार को प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं।

उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए जनहित में राज्य सरकार बिलाड़ा कस्बे के प्रशासनिक, धार्मिक, सामाजिक महत्व के अनुसार डाक बंगले के निर्माण की स्वीकृति जारी करेगी।

[श्री जितेन्द्र नीनामा (घाटोल)]

घाटोल अस्पताल में अव्यवस्था

निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र घाटोल में एक ही बड़ा अस्पताल है। इस

(श्री जितेन्द्र नीनामा)

क्षेत्र में 80 प्रतिशत जनजाति के लोग रहते है। इस पिछड़े इलाके में बना अस्पताल में 30 बैड की स्वीकृति है, मगर अभी तक इस अस्पताल में एक-दो कमरों के अलावा वार्डो व कमरों की कोई व्यवस्था नहीं है। लाइट पंखे, लेटरिन बाथरूम खाट बिस्तर अन्य किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है।

इस अस्पताल में जो मरीज आता है उसके साथ कोई व्यक्ति आता है वह भी बीमार हो जाता है। यह हालत बनी हुई है। क्योंकि आदिवासी गरीब लोग अपनी आर्थिक स्थिति खराब होने से दूसरी जगह नहीं जा सकता है। एक्सरे रूम की व्यवस्था भी नहीं है। अतः चिकित्सा मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस पिछड़े इलाके के जनजातीय लोगों के लिये तत्काल कमरों व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की कृपा करें।

इसी प्रकार नरवाली में करीब दो तीन वर्षों से सब सेन्टर से पी एच. सी. में क्रमोन्नत हुआ है मगर आज तक बजट के अभाव में सब सेन्टर के कमरे में ही पी. एच. सी. चल रही है। आप अन्दाज लगाये कि डाक्टर कहां बैठेंगे। यह पी. एच. सी. ऐसी जगह पर है जहां पर बांसवाड़ा, उदयपुर और प्रतापगढ़ के आदिवासी दवाई लेने आते है।

अतः श्रीमान् इस पी. एच. सी. के भवन के लिये तत्काल पैसा दिलाने की कृपा करेंगे ताकि वहां के आदिवासियों को चिकित्सा सुविधा मिल सकें।

[श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही)]

सिरोही जिले में सम्पर्क सड़कों, रपटों एवं पुलियों का निर्माण

मैं सिरोही जिले के कुछ प्रमुख मार्गों पर सम्पर्क सड़कें, पुलिये तथा रपटें नहीं होने से जनता को हो रही असुविधा के बारे में सदन के माध्यम से माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहती हूं।

महोदय मेरे विधान सभा क्षेत्र में जावाल से जालोर वाया कैलाशनगर, मणादर रोड बनी हुई तथा इस मार्ग पर जालोर, अहमदाबाद, शिवगंजजावाल, सुमेरपुर-जावाल आदि बसें भी संचालित की जाती है मांडानी, कैलाशनगर, नारादरा, सेभ्रडा, झाडोली, उम्मेदगढ़, लोरीवाड़ा, मणादर आदि गांव शिवगंज तहसील के अन्तर्गत हैं तथा इन गांवों के लोग शिवगंज तहसील मुख्यालय पर इसी मार्ग से

(374)

(श्रीमती तारा भण्डारी)

जाते हैं, परन्तु इस मार्ग पर एक पुल का निर्माण नहीं होने से वर्षा ऋतु में यह मार्ग बन्द हो जाता है ।

(2) रामपुरा ग्राम पंचायत से डोडूआ कालन्दी जाने वाले मार्ग की दूरी सिरोही से कालन्दी मार्ग से 10 किलोमीटर कम है, परन्तु इस मार्ग पर रपटें नहीं होने से बरसात में यह मार्ग बन्द होता है तथा इससे जुड़े गांव के लोगों को 15-20 किलोमीटर ज्यादा घूम कर सिरोही आना पड़ता है ।

(3) मेरे विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत रोवाड़ा के गांव केराल में जाने का रास्ता सुमेरपुर-भारून्दा होकर ही है, परन्तु भारून्दा जिला पाली से नोवी जिला पाली के बीच में पड़ने वाले सिरोही जिले के इस गांव केराल की सड़क पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण ग्राम केराल में आने-जाने की भारी समस्या बनी हुई है ।

ग्राम पंचायत गोल से सिरोही मार्ग वाया माण्डवा में गोल से मांडवा के बीच की सड़क नहीं होने से गोल एवं उसके आसपास के लोगों को सिरोही आने में भारी कठिनाई होती है तथा वर्षा ऋतु में इन गांवों में जाने वाली बसें बन्द हो जाती है ।

ग्राम पंचायत रोवाड़ा, आल्पा, जोगापुरा जोयला, पोसालिया आदि ग्राम पंचायतों एवं उनके आसपास के ग्रामवासियों का शिवगंज जाने का रास्ता जोयला से शिवगंज वाया पालड़ी (जिला पाली) है परन्तु जोयला से पालड़ी रोड नहीं होने से उपरोक्त गांवों के लोगों शिवगंज, सुमेरपुर आदि आवागमन करने में भारी कठिनाई होती है ।

उपरोक्त के अलावा भी ग्राम लखमावा की नदी पर रपट, गोडाणा एवं श्रूवाणा के बीच की रपट आदि अनेक समस्याएं हैं जिनका निराकरण किया जाना अति आवश्यक है ।

साथ ही पिछले वर्ष हुई अतिवृष्टि से भी सड़कों को भारी नुकसान हुआ परन्तु अतिवृष्टि से हुई क्षति के लिए भी कोई बजट आबंटित नहीं किया गया । इस कारण से सड़कों की जो भारी क्षति हुई उन्हें अस्थाई तौर पर मरम्मत तो किया गया परन्तु उनकी पूर्व स्थिति नहीं बन सकी है ।

अतः मेरा सदन के माध्यम से मान्यवर मंत्री महोदय से अनुरोध है कि उपरोक्त मार्गों को जल्दी से जल्दी ठीक करवाकर मेरे क्षेत्र की जनता को राहत प्रदान करें ।

[श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट)]

आमेर तहसील के ग्राम खुराड़ में चारागाह भूमि पर अवैध कब्जा

जयपुर जिले की तहसील आमेर के ग्राम खुराड़ की आराजी खसरा नम्बर 123, रकबा 87 बीघा पांच बिस्वा की यह कहानी प्रारम्भ होती है इस आराजी खसरा नम्बर 123 का गैर मुमकिन आबादी का हिस्सा चार बीघा एवं बाकी भूमि 831 बीघा चारागाह थी, जो खतोनी बन्दोबस्त सम्वत् 2023 में स्पष्ट है। इस जमीन को वर्ष 1952 में मेजर मेघसिंह को आवंटित करना बताया जाता है जबकि गैर-मुमकिन आबादी एवं चारागाह की भूमि किसी भी नियम के अन्तर्गत आवंटित नहीं हो सकती, लेकिन जब तहसील एवं भू-प्रबन्ध विभाग से इस आवंटन से सम्बन्धित रिकार्ड की नकलें मांगी गयी तो आवंटन सम्बन्धी रिकार्ड गायब होना कहते हैं। आश्चर्य की बात है कि मेजर-मेघसिंह ने फिर इस भूमि को अपनी खातेदारी में कैसे दर्ज करा ली। इसके अलावा मेजर-मेघसिंह ने इस भूमि के सम्बन्ध में गैर खातेदारी एवं खातेदारी के सम्बन्ध में नामान्तरकरण कैसे स्वीकार करा लिया। इन नामान्तरकरणों की नकलें भी आज उपलब्ध नहीं हो रही है। इस जमीन पर मेजर मेघसिंह ने कभी काश्त नहीं की। फिर भी तहसीलदार की मिलीभगत से उसके पक्ष में कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन नियम विरुद्ध होते हुए नामान्तरकरण खोल दिये गये। यह विचारणीय प्रश्न है। इसके अलावा मेजर मेघसिंह ने उसी जमीन को वर्ष 1982 में ठाकुर जीवणसिंह पुत्र ठाकुर करणसिंह को विक्रय कर दी। श्री जीवणसिंह ने भी इस भूमि पर कभी कब्जा नहीं किया और न खेती की। फिर जब सीलिंग में भूमि आई तो ठाकुर जीवणसिंह ने इस आराजी खसरा नम्बर 123 के दो भाग सीलिंग से बचने के लिये किया। यानी 123/मी. दो रकबा 401/3 बीघा जमीन को अपने लड़के अश्विनी कुमार के नाम पर ट्रांसफर करके नामान्तरकरण संख्या-11 अपने लड़के अश्विनी कुमार के नाम पर सरपंच ग्राम पंचायत से स्वीकार करा दिया जबकि ऐसे नामान्तरकरण स्वीकार करने के अधिकार पंचायत को नहीं थे। इसके बाद श्री जीवणसिंह एवं उसके लड़के अश्विनी कुमार से यही जमीन ठाकुर हरेन्द्रपाल सिंह ने वर्ष 1990 में क्रय कर ली इस वर्ष 1990 में यह खुराड़ गांव की दयनीय स्थिति प्रारम्भ होती है।

खुराड़ गांव के कतिपय जानकार एवं साहसी व्यक्तियों ने ठाकुर हरेन्द्रपाल सिंह को इस तमाम जमीन के चारों तरफ दीवार एवं तारकसी करने के लिए मना किया तो हरेन्द्रपाल सिंह ने इन भोले-भाले ग्रामीण व्यक्तियों को पुलिस के जरिये तथा असामाजिक तत्वों के गिरोह के जरिये आतंकित करना प्रारम्भ किया तथा उपखण्ड अधिकारी आमेर के यहां दो दावे इन ग्रामीण व्यक्तियों के निवास की भूमि, चारागाह एवं श्मशान की भूमि, मन्दिर की भूमि तथा गांव की आबादी की भूमि एवं अन्य

(श्री परसादी लाल मीणा)

सार्वजनिक उपयोग की भूमि के चारों तरफ दीवार एवं तारकसी माननीय उपखण्ड अधिकारी के यहां से इन ग्रामीण व्यक्तियों को मुगालता देकर डिक्री प्राप्त करने के बाद प्रारम्भ कर दी तथा गांव में आने-जाने के रास्तों पर लोहे के गेट लगा दिये। गांव वालों ने इसका विरोध किया। इस लोकतन्त्र में उच्च पदों पर आसीन उच्च अधिकारीगण एवं प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री एवं मुख्य मन्त्रीजी के पास अपने विरोध पत्र भेजे, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। इस पर ग्राम खुराड़ के जागरूक व्यक्तियों ने ठाकुर हरेन्द्रपाल सिंह की गैर कानूनी हरकतों से परेशान होकर यह आन्दोलन का रास्ता अपनाया तब माननीय जिलाधीश महोदय एवं उच्च स्तरीय प्रशासनिक अधिकारीगण के सामने यह निर्णय लिया गया कि गैर मुमकिन आबादी भूमि वापस ठाकुर हरेन्द्रपाल सिंह से सरेण्डर कराकर खुराड़ गांव के व्यक्तियों को प्लाट एक माह में आवंटित कर देंगे तथा मन्दिर, श्मशान एवं चारागाह की भूमि से कब्जा हटवा देंगे लेकिन आज दिन तक एक भी घोषणा पर अमल प्रशासनिक अधिकारीगण ने नहीं किया। इसके अलावा हरेन्द्रपाल सिंह ने दिनांक 22.11 1994 से पूर्व रास्तों पर लगे गेट इस उच्च स्तरीय प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक के समक्ष अपनी गलती स्वीकार करते हुए हटा लिये। अब उन्हीं गेटों को वह वापस लगाना चाहता हैं यह और भी हास्यास्पद बात है। इसके अलावा अब भी ग्राम खुराड़ के व्यक्तियों के साथ होली दहन के वक्त ठाकुर हरेन्द्रपाल सिंह ने अपने असामाजिक तत्वों के गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर हमला किया। जब ग्राम खुराड़ के व्यक्ति थाने पर रिपोर्ट लिखाने गये तो सही तथ्य पुलिस वालों ने नहीं लिखे और इसके पूर्व भी ग्राम खुराड़ के व्यक्तियों के साथ जो आपराधिक घटनाएं घटित की उनके सम्बन्ध में रिपोर्ट दर्ज कराई गई जिनमें पुलिस वालों ने अन्तिम नतीजा दे दिया है जो इस बात का द्योतक है कि कानून भी गरीब व्यक्तियों की मदद नहीं करता चूंकि कानून की पालना उन व्यक्तियों के हाथों में है जो चन्द चांदी के टुकड़ों में बिक जाते हैं। यहां यह उल्लेख करना भी आवश्यक है कि अभी तहसीलदार, आमेर ने ठाकुर हरेन्द्रपाल सिंह के विरुद्ध धारा--91 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज करने हेतु सूचना थाने पर भेजी तो थाने वालों ने आज दिन तक मुकदमा दर्ज नहीं किया। जब तहसीलदार जैसे अधिकारी के द्वारा दी गई रिपोर्ट ही थाने पर दर्ज नहीं की जाती तो साधारण आदमी की थाने वाले वैसे ही नहीं सुनते।

अतः माननीय मुख्य मन्त्री जी से आग्रह है कि इस मामले की जांच करवाकर अनियमित रूप से की गयी कार्यवाही को निरस्त करें एवं गांव के रास्तों को खुलवाकर जनता को राहत प्रदान करें।

[श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा)]

जयसमन्द पाल से गामड़ी सड़क का डामरीकरण

निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सराड़ा में सराड़ा, सलूम्बर व जयसमन्द से जगह होती हुई उदयपुर को सड़क जाती है। इस मार्ग पर कई महत्वपूर्ण गांव आते हैं। जिससे प्रतिदिन कई लोग इधर से उधर आवागमन बसों द्वारा करते हैं। इस पूरी सड़क में से मात्र 5 किलोमीटर कच्ची होने के साथ-साथ यह सड़क जयसमन्द प्राकृतिक झील के किनारे-किनारे अत्यन्त विकट मोड़ों से गुजरती है। इसलिए बस चालक को इस 5 किलोमीटर सड़क पर अत्यन्त सावधानीपूर्वक चलानी होती है। वर्षा के दिनों में तो यह सड़क इतनी खराब हो जाती है कि इस सड़क मार्ग को तय करने में लम्बा समय लग जाता है। क्योंकि जगह-जगह पर पहाड़ से पानी उतर कर जगह-जगह सड़क कट जाती है तथा सड़क पर खड्डे हो जाते हैं। और एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ झील का भरा पानी रहता है इसलिए किसी भी वाहन को इधर-उधर से निकालना सम्भव नहीं होता है।

यही कारण रहा है कि वर्ष 1994 में एक बस जगत से सराड़ा जाती हुई बस झील में गिर गई जो एक खड्डे को बचाने के कारण बस फिसल कर पानी में गिर गई। जिससे 36 लोगों की जानें चली गयीं। जो हादसा होना था वह हो गया लेकिन भविष्य में ऐसे हादसे की पुनरावृत्ति न हो इसलिए उक्त सड़क के 5 किलोमीटर के टुकड़े को डामरीकरण किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि विभाग ने मेरे एक प्रश्न के जवाब में यह उत्तर दिया है कि इस 5 किलोमीटर की सड़क को पूर्ण करने हेतु 1·34 करोड़ की आवश्यकता बताई है और यह भी कहा है कि यह राशि अभी मिलना सम्भव नहीं है। लेकिन इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि इस सड़क का अन्य काम छोड़कर केवल डामरीकरण कर दिया जाए। इसमें करीब 25 लाख रुपये खर्च आएगा और इस सड़क का 60 प्रतिशत दुर्घटना होने की सम्भावना कम हो जाएगी। अतः मैं राज्य सरकार एवं विशेषकर सार्वजनिक निर्माण विभाग मन्त्रीजी से यह आग्रह करता हूं कि जयसमन्द की पाला से गामड़ी तक 5 किलोमीटर सड़क का डामरीकरण इसी वित्तीय वर्ष में कराया जाए।

[श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर)]

सिंचाई विभाग के जिलेदार पद से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन केस का निपटारा

राज्य सरकार अपने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति होने के साथ सेवानिवृत्ति की तिथि को ही अथवा उसके पश्चात बहुत थोड़े समय में ही सेवानिवृत्ति के सभी

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

लाभ देने की बार-बार घोषणा करती रही है। समय-समय पर सरकार यह समाचार अखबारों में प्रकाशित करवाती है कि जी. पी. एफ. और पेंशन का लाभ सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के दिन ही दिया जायेगा। लेकिन सरकार की ये घोषणाएं केवल कागजी घोषणाएं ही रहती हैं। सम्बन्धित विभाग जी. पी. एफ. और पेंशन की राशि भुगतान करने में अत्यधिक विलम्ब करते हैं। और कई प्रकार की आपत्तियां लगाते हैं। इस सम्बन्ध में कार्मिक विभाग ने भी परिपत्र क्रमांक प-3(20) कार्मिक क-5/94 दिनांक 1-3-1994 के आदेश द्वारा निर्णित किया है कि सेवानिवृत्ति के दिन ही सेवानिवृत्ति के लाभ दिये जायें।

श्रीगंगानगर जिले के सिचाई विभाग के अल्प वेतन भोगी कर्मचारी जिनका पद जिलेदार का है, जो वर्ष 1994 के अन्तिम माह में अपने पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, सेवानिवृत्ति के पश्चात चार माह का समय व्यतीत हो गया लेकिन इन सेवानिवृत्त अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों को उनके वेतन से प्रतिमाह काट-काट कर जमा की गयी जी.पी.एफ. की राशि भी अभी तक नहीं लौटायी गयी है और उनका पेंशन केस भी अभी तक विभाग ने आगे नहीं भिजवाया है। इस प्रकार दोनों सम्बन्धित विभाग अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों के साथ अन्याय कर रहे हैं और सरकारी आदेशों की अवहेलना भी कर रहे हैं। सेवानिवृत्त कर्मचारियों में ऐसे भी कर्मचारी हैं जो बीमारी से ग्रसित हैं। उनको जो दवाइयां सरकारी भुगतान पर मिलनी चाहिए वह दवाइयां अपनी जेब से पैसा व्यय करके क्रय कर रहे हैं। क्योंकि उनका पेंशन केस निर्णीत नहीं होने से उनको मेडिकल डायरी भी नहीं मिल पायी है।

मैं सरकार का ध्यान उसके द्वारा समय-समय पर इस सम्बन्ध में जारी आदेशों और अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों की दयनीय आर्थिक स्थिति की ओर आकर्षित करते हुए यह अपेक्षा करता हूं कि दिसम्बर, 1994 में श्रीगंगानगर जिले के सिचाई विभाग के जिलेदार के पद से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन केस अविलम्ब निपटाए जाएं।

[श्री बनवारीलाल बैरवा (निवाई)]

सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत वनस्थली से माशी बांध (वाया करणपुरा) सड़क की स्वीकृति

दिनांक 9-3-1995 को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण टोंक के सभा भवन में हुई शासकीय निकाय की बैठक में वनस्थली से माशी बांध वाया करणपुरा

(श्री बनवारी लाल बैरवा)

वाली सड़क को अविलम्ब स्वीकृत कर चालू करवाने का निर्णय लिया गया था जो अभी तक स्वीकृत होकर शुरू नहीं हुई है।

इस कार्य के सम्बन्ध में पुनः निवेदन है कि इस कार्य को स्वीकृत कर चालू करने से ग्राम रामजीपुरा, करणपुरा, सरसडी, रामपुरा, सूरजपुरा एवं मनोहरपुरा ग्राम सड़क से जुड़ते हैं तथा इसी रोड पर टोंक जिले की महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना माशी बांध है जिसकी देखरेख हेतु इसी रास्ते से आवागमन होता है। वर्तमान में माशी बांध से निवाई की पेयजल योजना चल रही है, जिसकी पाइप लाइन इसी रास्ते पर होकर गुजर रही है। इसी प्रकार माशी बांध से राज्य सरकार मत्स्य पालन से हर वर्ष लाखों रुपयों की आय होती है। यह सड़क गत वर्ष अकाल राहत कार्य में भी स्वीकृत हुई थी। जो समयाभाव के कारण पूर्ण नहीं हो सकी है और अभी तक अधूरी पड़ी हुई है। अतः इसे कार्य को अविलम्ब स्वीकृत करा कर प्रारम्भ कराने का कष्ट करे। उपरोक्त कार्य से सभी गांव वालों को राहत मिलेगी।

[श्री जुबेर खान (रामगढ़)]

पिछड़े वर्ग सूची में ओड़ राजपूत को सम्मिलित किया जाना

निवेदन है कि प्रदेश के जिला अलवर एवं श्रीगंगानगर में ओड़, ओड़ राजपूत नामक जाति के लोग काफी संख्या में निवास करते हैं। ओड एवं ओड राजपूत एक ही जाति का नाम है। इस जाति के लोग अलवर के अलावा सभी जगहों पर "ओड" नामक जाति के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन अलवर जिले में इन लोगों ने अपनी जाति ओड के साथ राजपूत जोड़ लिया है। अलवर जिले में भी अधिकांश जनसंख्या रामगढ़, किशनगढ़, लक्ष्मणगढ़ में रहती है।

यह जाति देश के बंटवारे के समय 1947 में पाकिस्तान से शरणार्थियों के रूप में भारत आये और इन्हें जगह-जगह पर बसाया गया था।

इस सभी लोगों में आपस में ब्याह-शादियां होती हैं। रीति-रिवाज एक जैसे ही है। इनका मुख्य व्यवसाय मजदूरी है। इन्हें मिट्टी खोदने वाले मजदूरों के नाम से भी जाना जाता है। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि इन जातियों के नामों को सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक आधार पर तथा आयोग की निर्धारित प्रक्रिया एवं मापदण्डों के तहत जोड़ना न्यायोचित व एक सराहनीय कदम होगा।

380

(श्री जुबेर खान)

क्योंकि केन्द्रीय सरकार का यह उद्देश्य रहा है कि पिछड़े समुदाय के लोगों को सामाजिक न्याय दिलाया जावें व राष्ट्र की धारा में जोड़ा जावें।

इसी संदर्भ में मेरा निवेदन है कि दिनांक 8-8-94 राजस्थान राज-पत्र में प्रकाशित राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग की सूची जो राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की गयी है, उसी सूची के क्रमांक 42 पर "ओड" जाति के नाम का उल्लेख किया गया। राज्य के विभिन्न विधान सभा क्षेत्रों में इस जाति के लोगों की भारी तादाद है, परन्तु इन क्षेत्रों में ये लोग "ओड राजपूत" के नाम से भी जाने जाते हैं तथा सरकार के रिकोर्ड में जैसे--भूअभिलेखों, मकानों, ? किस्तों आदि में भी इन्होंने 'ओड राजपूत" दर्ज करवा रखा है। किन्तु ये लोग मूलत: ओड जाति से है क्योंकि हम इस जाति को पिछले तीन दशकों से जानते हैं। (ओड) व "ओड राजपूत ' में कोई भेद नहीं है। इनकी रिश्तेदारियां "ओड" जाति के लोगों से होती हैं तथा ये "ओड राजपूत" ओड जाति से भिन्न नहीं है। सभी इन्हें एक ही समाज मानते हैं। यह वास्तविकता है। अस्पृश्यता से बचने के कारण विवशता से अपने को उच्च जाति के "राजपूतों" से जोड़ने वाले इस समुदाय के लोग सबसे अधिक निरक्षर, अत्यधिक पिछड़े तथा हमेशा वैधानिक अधिकारों से वंचित रहे है।

इस जाति के लोग सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े होने के कारण राजनैतिक व सरकारी सेवाओं में इनका प्रतिनिधित्व नगण्य रहा है। स्वतंत्रता के लगभग पांच दशकों के पश्चात भी इस दबे हुए वर्ग के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए सरकार द्वारा संवैधानिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं हो सका है क्योंकि इस जाति के लोग दबे हुए एवं अज्ञानता के कारण, समकालीन परिवर्तनों के समय मिलने वाले लाभ के लिए अपनी आवाज बुलन्द नहीं कर सके हैं। यही कारण है कि इस जाति का एक भी सदस्य राज्य प्रशासनिक सेवा, राज्य न्यायिक सेवा, राज्य पुलिस सेवा व भारतीय प्रशासनिक सेवा या भारतीय पुलिस सेवा में नहीं है और न ही इस जाति का आज तक विधायक व सांसद तथा जिला प्रमुख निर्वाचित हुआ है। यह सब जाति के पूर्णतया निरक्षरता व अज्ञानता के कारण हो रहा है। अत: इस "ओड" जाति के उप जाति नाम "ओड राजपूत" को जोड़ना इस जाति के उत्थान के लिए तथा इन्हें राष्ट्र की धारा में जोड़ना एक न्यायोचित कदम होगा।

अत: यह प्रस्तावित किया जाता हैं कि "ओड" जाति के उपजाति नाम "ओड राजपूत" के नाम को इसी क्रम में जोडा जावें ताकि इस जाति के सभी लोगों को लाभ प्राप्त हो सकें। जब तक राज्य राज पत्र में इस जाति का उपजाति नाम

(श्री जुबेर खान)

(ओड राजपूत) नहीं जोड़ा जाता है तब तक समग्र राज्य में इस जाति के लिए जाति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी आनाकानी कर रहे है व करते रहेंगे और ये लोग पूर्व की भांति अपने संवैधानिक अधिकार से वंचित रहेंगे।

अतः इस सम्बन्ध में हमारी ओर से विशेष सिफारिश की जाती है कि "ओड" जाति जिसे राजस्थान राज-पत्र में प्रकाशित पिछड़ा वर्ग सूची में पहले ही क्रमांक-42 पर अधिसूचित किया जा चुका है। इस "ओड" जाति के उपजाति नाम "ओड राजपूत" को भी जोड़ा जावे। जैसे अन्य जातियों के दो-दो तीन-तीन उपजाति नाम पिछड़ा वर्ग सूची में जोड़ कर इन समुदायों के लोगों को न्याय दिलाकर उन्हें पिछड़ा वर्ग के लोगों को मिलने वाले लाभ में सम्मिलित किया है।

शीघ्र आवश्यक कार्यवाही की आशा में।

[श्री एमादुद्दीन अहमद खां (तिजारा)]

गोचर भूमि पर अतिक्रमण

राजस्व रिकार्ड में गायों हेतु भूमि गोचर किस्म के द्वारा आरक्षित है लेकिन अफसोस कि उक्त आरक्षित भूमियों पर भी गायों को नहीं चरने दिया जाता और न ही घूमने-फिरने दिया जाता है। हकीकत तो यह है कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज गोचर भूमियों पर स्थानीय राजस्व अधिकारियों की उदासीनता से अवैध कब्जे हो रहे हैं। गायों को उनका हक भी राज्य सरकार द्वारा नहीं दिया जा रहा है। उक्त अवैध कब्जेधारियों पर भी राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 90 ए, 91 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है जो कि राजस्व अधिकारियों की उदासीनता का स्पष्ट प्रमाण है। मुझे यह भी पता चला है कि भीलवाड़ा जिले की पंचायत समिति बीगोद में करीब 100 करोड़ एकड भूमि पर शराब का कारखाना चालू हो रहा है। यह एक शर्मनाक बात है कि गोचर भूमियों पर गायों द्वारा चारा चरकर दूध देने के स्थान पर शराब की बोतलों का उत्पादन होगा।

गोचर भूमियों की सुरक्षा हेतु तारबन्दी (बाउण्ड्री) करवा कर उसमें चारे, पानी का इन्तजाम करवाने हेतु राज्य सरकार को किसी भी योजना के अन्तर्गत उचित राशि का प्रबन्ध कर जिला स्तर के राजस्व अधिकारी को अधिकृत करना चाहिये ताकि गायों को उनका हक मिल सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि सरकार इस ओर ध्यान देवे तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि यह योजना सरकार के लिए भी हर तरह से

(श्री एमामुद्दीन अहमद खां)

फायदेमन्द होगी। इससे आवारा पशुओं की समस्या से छुटकारा मिलेगा, गोचर भूमियों की सुरक्षा हो पायेगी। साथ ही ग्रामीण इलाकों में किसानों की फसलों की सुरक्षा भी हो पायेगी। इससे दुग्ध उत्पादन पर भी काफी अच्छा असर पड़ेगा जो कि आज के हालात में जन जीवन हेतु अत्यावश्यक है।

अत: उपरोक्त मामले में शीघ्र कार्यवाही कर गोचर भूमियों पर से अवैध कब्जे हटाकर गायों को उनका एक दिलवाकर उनकी भूमियों की तारबन्दी करवाकर चारे व पानी का शीघ्र इन्तजाम करवाम हेतु राज्य सरकार को प्रभावी ढंग से कार्यवाही करने हेतु पाबन्द किया जाय ताकि भविष्य में गायों के पास स्वयं की भूमि होते हुए भी कोई उनको आवारा पशुओं का सम्बोधन न दे सके। साथ ही गोचर भूमि पर लगने वाले शराब कारखाने को तुरन्त बन्द कर भूमि को मुक्त किया जावे।

[श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर)]

अलवर शहर की पेयजल समस्या

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि अलवर में पानी की समस्या जब से अलवर बना है तब से ही है। आजादी से पहले अलवर में घटकी के पहाड़ से पानी रोका गया। सागर लाल डिग्गी जलाशय बनाया गया। सीलीसेढ़ से नहर से बागवानी के लिए पानी लाया गया। वह सब टूट गयी या बन्द हो गयी। पर आजादी के बाद अलवर की आज तक उपेक्षा की गयी है। हर साल कुछ हैण्डपम्प लगा कर जनता को पानी देना चाहते हैं जैसे कि अलवर छोटा गांव हो। राजस्थान के सभी शहरों से सबसे ज्यादा पानी की समस्या अलवर की है दूसरी जगह लाखों रुपये खर्च करके नहरें लायी गयी हैं पर अलवर का कोई ध्यान नहीं रखा गया है। घर-घर के सामने पांच-पांच फीट के खड्डे किये हैं तब पाइप से पानी के दो लोटे ही पानी ले पाते हैं। कई जगह तो खारे पानी की समस्या है। पानी की समस्या का एक समाधान यह है कि जल्दी से जल्दी यमुना का जल लाया जावे। भरतपुर में पानी लाया गया इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं पर जल्दी से जल्दी अलवर में भी लाया जावे।

शहर में घर के अन्दर आइसक्रीम फैक्ट्री, डेयरी, ढाबा, होटल, स्कूल आदि में काफी पानी की खपत होती है। कई जगह तो 2 इंच की पाइप लाइन दे रखी है गर्मी में ऐसी व्यवस्था हो कि इनको टंकी से पानी दें जिससे जनता को राहत मिले। पिछले साल जनता जल योजना चालू की थी। जनता (गांव वाली) ने प्रार्थना

(श्रीमती मीना अग्रवाल)

पत्र जनता जल योजना में दिये और जिलाधीश ने भी वाटर वर्क्स को लिखा पर उन पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मैं मंत्रीजी से निवेदन करती हूं कि वे अधिकारियों से कहें कि इस योजना को चालू करें। सरकार अखबार में विज्ञापन देती है कि शुद्ध पानी पीयें, सफाई रखें पर अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वहां पर कई बार गन्दा पानी सप्लाई किया जा रहा है और सीवर लाइन का भी पानी मिलकर आता है। जनता की शिकायत पर ध्यान नहीं देते हैं।

(1) अलवर में सूखे व बेकार हैण्डपम्प की जगह नये हैण्डपम्प लगाये जावें।

(2) ऊंचाई वाली कच्ची बस्तियों में विशेष कर पानी की व्यवस्था की जाये।

अलवर में जनता पानी की समस्या के कारण चक्का जाम, धरना, प्रदर्शन हो रहा है इसलिए पानी की समस्या के लिए 200 हैण्डपम्प लगाये जावे और जब तक यमुना का जल नहीं आवे तब तक नसोपुर योजना चालू की जावे। बारां से 2/5 जल जयसमंद को चाहिये पर बड़ी तादाद में नदी में अलवर की ओर मिटटी आ जाने से अपने हिस्सा का पानी मिलता नहीं है। उसकी खुदाई होनी चाहिये।

अलवर की जनता मंत्रीजी को इन्द्र भगवान मानती है। अलवर में बारिश का पानी पहाड़ से शहर में आता है 2-3 किलोमीटर तक और वर्षा रुकने पर भी 2 घण्टे के बाद पानी कम होना चालू होता है। मैं मंत्रीजी से निवेदन करती हूं कि उस पानी को भी इस्तेमाल करने की कृपा करें।

[श्री हरिसिंह (महुआ)]

महुआ विधान सभा क्षेत्र की पंचायतों में पीने के पानी की समस्या

मैं आपका ध्यान विधान सभा क्षेत्र महुआ में सम्मिलित पंचायत समिति टोडाभीम की 11 ग्राम पंचायतों में पीने के पानी से सम्बन्धित समस्या के बारे में प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत आकर्षित करना चाहता हूं। इन 11 ग्राम पंचायतों में निम्न योजनाएं हैं:—

(384)

(श्री हरिसिंह)

1. फोजीपुर ताजपुर क्षेत्रीय जलदाय योजना—यह योजना 1982 में स्वीकृत की गयी थी। इसमें 11 गांव सम्मिलित हैं। अभी तक एक भी गांव को इस योजना में पीने का पानी उपलब्ध नहीं कराया गया है।

(1) लपावली—वह स्रोत गांव है। ओपन वेल एवं टंकी का निर्माण हो चुका है। इससे गांव लपावली ताजपुर एवं सालीमपुर को पानी पहुंचाना है। परन्तु अभी तक किसी भी गांव को पानी नहीं पहुंचा सालीमपुर तक पाइप लाइन डाल दी है। टंकी जी. एल. आर. का निर्माण भी हो गया है। कुछ पाइप कम है। अभी तक लाइन बेस्ट नहीं हुई है।

(2) कटारा प्रजीत—हैण्ड पम्प द्वारा कमीशन गांव है सभी हैण्ड पम्पस का पानी खारा एवं फ्लोराइड युक्त होने के कारण बन्द है। इस गांव में होकर लपावली से सालीमपुर के लिये पाइप लाइन जा रही है। अतः गांव कटारा अजीत को इसी योजना में सम्मिलित कर गरीब 1000 मीटर पाइप स्वीकार कर दिया जाता है तो इस गांव के तीनों मंजरों को पानी मिल सकता है। इस समय यहां पर पीने का पानी 2 किलो-मीटर दूर से औरतें सिर पर मटकी रखकर लाती हैं। मामूली से खर्चे से लपावली की एस. आर. से पानी पहुंचाकर समस्या का निराकरण किया जा सकता है।

(3) सालिमपुर—सालिमपुर तक पाइप लाइन टूट-फूट सही करवायी जाकर 5 दिन में ही पानी पहुंचाया जा सकता है।

(4) सिगानिया—इसी योजना में इस गांव में नलकूप बनाकर स्रोत गांव बना दिया है। सिगानिया से मोढ़ोली, नन्दपुरा एवं मोखलपुर तक पाइप लाइन बिछी है। कुछ पाइप जमीन से निकालकर चोर ले गये हैं। जी. एल. आर. सभी गांवों में बन गयी है। इस जल स्रोत को प्रारम्भ करके उक्त सभी गांवों को पानी मिल सकता है।

2. योजना का द्वितीय चरण—इस योजना के द्वितीय चरण में गांव नया गांव पीलवा एवं पाट कटारा सम्मिलित है। इन गांवों को पानी पहुंचाने के लिये गांव जमदपुर का स्रोत गांव बनाया गया है। जहां औमेन वेल बनाया गया है। विद्युत कनेक्शन लेकर कुएं से पानी निकाला जा रहा है। परन्तु कुएं में पानी का अभाव है। अतः दूसरा स्रोत इसी स्थान पर नलकूप बनाकर तैयार करके गांव महमदपुर, देवसेन, नयागांव एवं पीलवा को पानी पहुंचाया

(श्री हरिसिंह)

जा सकता है। नया गांव तक पाइप लाइन बिछी हुई है। स्रोत गांव महमदपुर एवं नया गांव के बीच देवसेन गांव भी आता है। इसको भी इसी योजना में सम्मिलित किया जाना चाहिये।

स्रोत गांव महमदपुर से पश्चिम दिशा में गांव पाट कटारा सही योजना में सम्मिलित गांव है जहां तक पाइप लाइन डल चुकी है, परन्तु अभी तक लाइन टेस्ट नहीं की गयी है जल स्रोत महमदपुर से पाइप कटारा के बीच रास्ते में दो गांव पड़ते हैं। (1) जगदीशपुरा एवं (2) जयसिंहपुरा--दोनों गांवों में हैंड पम्प 1982 में लगाये गये परन्तु मुंह में नहीं देने लायक खारा पानी सभी हैण्ड पम्प 1982 में ही बन्द करवा दिये गये। बिना किसी प्रकार का अतिरिक्त खर्चा किये इन दोनों गांवों को भी इस योजना में सम्मिलित किया जा सकता है। क्योंकि महमदपुर से पाट कटारा तक जो पाइप लाइन डाली है वह उक्त दोनों गांवों में होकर ही निकल रही है मात्र एक हजार मीटर पाइप स्वीकृत करके जयसिंहपुरा एवं जगदीशपुरा को पानी जो पीने का है उपलब्ध करवाया जा सकता है।

इसी योजना का विस्तार करके गांव बरमपुर, मंजीतपुरा एवं सलेपुरा जिनके हैण्ड पम्प खारा पानी होने के कारण बन्द पड़े हैं, को सम्मिलित किया जा सकता है या तीनों गांवों की कोई अलग से योजना बनाई जा सकती है। करमपुरा में जल स्रोत है। नलकूप लगाकर या पाट कटारा से एक किलोमीटर पाइप लाइन अतिरिक्त बिछाकर तीनों गांवों की समस्या का निराकरण किया जा सकता है।

पाइप योजना :

(1) तिथरिया—जलस्रोत में खारा पानी है दूसरा नलकूप स्वीकार कर बनवा दिया है विद्युत कनेक्शन लेकर बन्द पड़ी योजना से पीने का पानी तुरन्त उपलब्ध करवाया जावें ताकि गर्मी के मौसम में पीने का पानी इस गांव की जनता को मिल सकें।

(2) मूंडियां—यहां दूसरे जल स्रोत का निर्माण हो चुका है। विद्युत कनेक्शन लेकर पानी उपलब्ध करवाया जावें। इस समय योजना बन्द है। शीघ्र चालू किया जावें।

बौल—योजना चालू है परन्तु जाटव बस्ती मुख्य गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर है जो आबादी करीब 500 है। इस जाटव बस्ती को भी पानी पहुंचाया जावें।

386

(श्री हरिसिंह)

बालघाट—योजना चालू है परन्तु बैरवा तक पाइप लाइन डालकर उसको पानी पहुंचाया जाना आवश्यक है। जिनके पानी पीने का कुआं सूख चुका है। इसके लिये मात्र 500 मीटर पाइप पर्याप्त है।

घाटरा बरेडी योजना—यह घाटरा बरेडी एवं पेंचला गांवों की योजना है दो साल तक पानी मिला, परन्तु अब घाटरा एवं बरेडी का पानी बन्द कर दिया गया है। क्योंकि इन गांवों के लिए निर्मित जल स्रोत का निर्माण कर लिया गया है अतः उसको खुद के जल स्रोत से पानी दिया जावें। जल स्रोत ओपन वैल को गहरा करवाया जावें।

हैण्ड पम्प से कमीशंड गांव—गांव बदलेटा खुर्द एवं बदलेटा कलां दोनों के अनुसूचित जाति के मोहल्लों के लिये चार हैण्ड पम्प स्वीकार किये जावें। गांव बदलेटा खुर्द एवं बदलेटा कलां में प्रत्येक गांव में दो हैण्ड पम्प कुल चार हैण्ड पम्प स्वीकृत करने के आदेश प्रदान करें।

मैंने पंचायत समिति टोडाभीम की पंचायतों में सम्मिलित गांवों की चालू एवं बन्द जलदाय योजनाओं का विस्तृत विवेचन किया है। कृपया मेरे विचारों से सहमत होकर आप योजनाओं को शीघ्र क्रियान्विति करवाने का श्रम करेंगे।

[श्री राकेश मेघवाल (परबतसर)]

कुचामान सिटी को नया जिला बनाया जाना

वर्तमान नागौर जिला काफी बड़ा क्षेत्र है जिसमें मेड़ता-नागौर डीडवाना एवं परबतसर सब डिवीजन सम्मिलित है। नांवा तहसील का ग्राम पंचायात मोण्डा से नागौर जिला हैडक्वाटर कि दूरी 217 किलोमीटर है इतनी बड़ी दूरी के कारण जिले का समुचित विकास सम्भव नहीं है। राज्य सरकार द्वारा कोटा में बांरा जयपुर में दौसा, गंगानगर में हनुमानगढ़ को नये जिले बना कर उन क्षेत्रों के विकास के लिये महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। उसी प्रकार नागौर जिले में भी सब डिवीजन नागौर एवं मेड़ता को मिलाकर नागौर जिला एवं सब डिवीजन डीडवाना तथा परबतसर को मिलाकर अलग कुचामन जिला बनाया जावें। कुचामन शहर इस क्षेत्र का सब से अच्छा एवं सुन्दर कस्बा है तथा इन दोनों क्षेत्रों के बीच

(श्री राकेश मेघवाल)

का सेन्टर है । यहां से सभी प्रकार के आवागमन के साधन है । यहां जिला स्तरीय नवोदय विद्यालय राजकीय जिला शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र (डाइट) आई. टी. आई जिला भू-संरक्षण कार्यालय, जिला पशुरोग निदान केन्द्र जिला पशुपालन अधिकारी कार्यालय कुचामन महाविद्यालय, इन्दिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी स्टडी सेन्टर आदि सचालित हैं । इसके अलावा राजकीय सेठ राधाकृष्ण शोरदा रेफरल अस्पताल छात्र एवं छात्राओं के लिए दो अलग-अलग सीनियर सैकण्डरी स्कूल, दो सैकण्डरी स्कूल, मिडल स्कूल 7, प्राथमिक विद्यालय, जलदाय विभाग एवं विद्युत विभाग का सहायक अभियन्ता कार्यालय 132 के. वी. सब स्टेशन कृषि उपज मण्डी-नमक औद्योगिक क्षेत्र, स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर तथा सैन्ट्रल बैंक, यूको बैंक, राजस्थान बैंक, कोअपरेटिव बैंक, नगरपालिका आदि सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं । प्रस्तावित कुचामन जिले में वर्तमान में नावां-परबतसर डीडवाना—लाडनू—चार तहसील हैड-क्वार्टर तथा कुचामन मकराना उप तहसील एवं तहसील अतिरिक्त हैडक्वार्टर है जो तहसील में क्रमोन्नत होने योग्य है तथा, नावां-कुचामन तहसील मिलाकर अलग से सब डिवीजन भी बनने की पात्रता है । इस प्रकार इस प्रस्तावित कुचामन जिले मे दो के बजाय तीन सब डिवीजन भी हो सकेंगे । नागौर जिले को इस प्रकार विभक्त कर कुचामन को नये जिला बनाये जाने पर दोनों ही क्षेत्र का विकास और तेजी से हो सकेगा । प्रस्तावित कुचामन जिले के इस क्षेत्र में प्रसिद्ध मार्बल उद्योग मकराना-तथा नमक उद्योग नावां-कुचामन सम्मिलित है व यह सर सब्ज इलाका है जहां बहुत बड़ा सिंचित क्षेत्र है । इस क्षेत्र से राज्य सरकार के कोष में रेवेन्यू को बहुत बड़ी आमदनी है । प्रशासनिक दृष्टि से भी छोटा क्षेत्र होने पर सभी व्यवस्थाएं ठीक प्रकार चल सकती हैं । मकराना जैसे संवेदनशील क्षेत्र का भी चहुंमुखी विकास हो सकता है तथा यह पूरा क्षेत्र अलग से कुचामन जिला बनाने के लिये पर्याप्त है । इसके सिवाय भी अन्य भाग को जोड़ने की आवश्यकता हो, तो जयपुर जिले से सांभर सब डिवीजन-सीकर से रामगढ़ क्षेत्र व अजमेर जिले से रूपनगढ़ क्षेत्र भी इस नये प्रस्तावित जिले में जोड़े जा सकते हैं । ये क्षेत्र अपने जिले से हटने पर उन जिलों में कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता तथा प्रस्तावित कुचामन जिले का कार्य क्षेत्र कुछ और बड़ा हो सकता है । इन क्षेत्रों को कुचामन से दूरी भी अधिक नहीं हैं तथा क्षेत्रों का रहन-सहन, खान पान, बोली चाली एवं संस्कृति एक समान है—कुचामन जिले की एक रूपता हो सकती है । अतः सभी दृष्टि से उपयुक्त स्थान कुचामन को नया जिला बनाया जावें वर्तमान समय को यह महत्वपूर्ण आवश्यकता जनहित की दृष्टि से भी है ।

राज्य सरकार ने एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का पद भी सृजित किया है। जिसका हैडक्वार्टर फिलहाल डीडवाना में किया गया है मगर डीडवाना एक छोर पर रह जाता हैं । इसका हैडक्वार्टर भी कुचामन में होना चाहिये । यहां सभी प्रकार का आवागमन तथा कुचामन, चितावा, नावां मारोठ, गच्छरेपुरा, मकराना-परबतसर

388

(श्री राकेश मेघवाल)

पीलवा, कुल 8 थाने क्षेत्र में है जबकि डीडवाना सब डिवीजन में डीडवाना, खुनखुना, बरड़वा लाडनूं एवं जसवन्तगढ़ केवल 5 थाना क्षेत्र ही है। इस प्रकार इस क्षेत्र में मकराना एवं कुचामन दो उपअधीक्षक क्षेत्र है जबकि डीडवाना में केवल एक ही उपअधीक्षक क्षेत्र है। डीडवाना क्षेत्र में दर्ज केसेज की संख्या भी कम है। कुचामन के पास ही मकराना है जो संवेदनशील इलाका है--डीडवाना में अभी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का कार्यालय किराये के भवन में ही संचालित है जो कुचामन में स्थानान्तरित किया जा सकता है। अतः अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का हैडक्वार्टर कुचामनसिटी किया जावें जो जिला हैडक्वार्टर स्तरीय स्थान है। नागौर जिले में रेवेन्यू मुकदमें इतने अधिक हैं कि लम्बे अर्से तक जिला कलक्टर एव मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट के पास लम्बित मुकदमें का कई वर्षों तक निस्तारण नहीं होता फलस्वरूप ऐसी भूमियों पर मौके पर स्थिति ही बदल जाती है जिसमें कई कानूनी अड़चनें पैदा हो जाती हैं। सीलिंग केसों का आज तक निस्तारण नहीं हुआ, जागीर से सम्बन्धित केसों का निस्तारण नहीं हुआ इसलिये इस वजह से बहुमूल्य जमीनों पर अवैधानिक कब्जे हो रहे हैं। इसलिये जिले में एक अतिरिक्त जिला कलक्टर एव मजिस्ट्रेट का पद अलग से सृजित किया जाकर कुचामनसिटी में उसका हैडक्वार्टर बनाया जाय।

अतः इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि कुचामन को नया जिला बनाया जावें चूंकि इस प्रक्रिया में समय लगेगा उससे पूर्व कुचामनसिटी में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर का है तो शीघ्र ही कायम किया जावें ताकि इस क्षेत्र के चहुमुखी विकास कानून व्यवस्था, सरकारी रेवेन्यू का कलेक्शन, प्रशासनिक व्यवस्था आदि सभी स्थितियां ठीक प्रकार से हो सकें।

[श्री नरेन्द्र बुडानिया (सरदारशहर)] एवं
[श्री शान्तिकुमार धारीवाल (हिण्डोली)]
(दिनांक 5 मई, 1995)

वाणिज्य कर विभाग द्वारा इमारती पत्थर पर बिक्रीकर में अवैध बढ़ोतरी

राजस्थान हॉफ बॉडी ट्रक वर्क्स ट्रान्सपोर्ट को0 सो0 लि-सहकारी विभाग एवं वाणिज्य कर विभाग के डी सर्किल द्वारा पंजीकृत संस्था है जिसका पंजीकरण 1981 में किया गया है।

31 मार्च, 1995 तक इमारती पत्थर पर प्रति ट्रक 13.50 रुपये की राशि से विक्रय कर वसूल किया जा रहा था। इमारती पत्थर खानों से 130/- रुपये प्रति

(श्री नरेन्द्र बुडानिया) एवं (श्री शान्तिकुमार धारीवाल)

ट्रक खान मालिक से खरीदा जाता है जिस पर बिक्री दर 10 प्रतिशत से 13 रुपये विक्रय कर बनता है, परन्तु आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग ने बिना राज्य सरकार की पूर्व अनुमति तथा इमारती पत्थरों पर विभाग एवं सरकार द्वारा निर्धारित 10 प्रतिशत विक्रय कर से अधिक दर बढ़ाकर इसे 24.00 रुपये प्रति ट्रक 1-4-1995 से कर दिया गया जो गैर कानूनी और कर सिद्धान्तों के विपरीत है। पूर्व में भी इमारती पत्थरों के विक्रय कर में बढ़ोतरी की गयी जो 2.00 रुपये से 4.00 रुपये प्रति ट्रक की गयी थी। वर्तमान में जो बढ़ोतरी की गयी है वह 80 प्रतिशत है, इससे उपभोक्ताओं पर अनावश्यक भार पड़ेगा।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या आयुक्त वाणिज्य कर विभाग ने इमारती पत्थर पर विक्रय कर बढ़ाने हेतु वित्त मन्त्री से पूर्व में आवश्यक स्वीकृति ली थी ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

राज्य सरकार ने राजस्थान विधान सभा में यह घोषणा की थी कि प्रदेश में किसी प्रकार से विक्रय कर में वृद्धि नहीं की गयी है। दूसरी ओर आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग द्वारा पिछले दरवाजे से विक्रय कर में वृद्धि करना गरीब जनता पर अत्यधिक कर भार डालने वाला है जिससे निर्माण कार्य अत्यधिक महंगा हो जायेगा।

क्या राज्य सरकार उक्त गैर कानूनी एवं गरीबों पर कर भार बढ़ाने वाले निर्णय को वापस लेने का विचार रखती है ? यदि हां, तो इसकी स्पष्ट घोषणा की जावे तथा दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जावे।

आशा है माननीय मुख्य मंत्री, जो स्वयं वित्त मन्त्री का कार्य देख रहे है, सम्बन्धित पत्रावली का अवलोकन कर इमारती पत्थर पर आयुक्त/वाणिज्य कर विभाग द्वारा बिना वित्त मंत्री की पूर्व स्वीकृति के अवैधपूर्ण तरीके से बढ़ाये विक्रय कर को कम कर पुन : 13.50 रुपये प्रति ट्रक से वसूली के शीघ्र आदेश जारी करने का श्रम करेंगे ताकि गरीबों को मकान बनाने का अधिक भार नहीं पड़े।

भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने घोषणा पत्र में गरीबों को अत्यधिक राहत देने का वायदा किया था, परन्तु अधिकारियों द्वारा मनमाने तरीके से जो विक्रय दर में वृद्धि की गयी है उससे आम लोगों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विरुद्ध व्यापक रोष फैल गया है और हर आम अवाम की जबान पर यह है कि यह सरकार विधान सभा के बाहर कभी पानी के कनेक्शन की दर, कभी विक्रय कर की दरों में अधिकारियों के माध्यम से बढ़ोतरी कर जनता को धोखा दे रही है। जनता इस जालसाजी को समझ रही है।

(श्री नरेन्द्र बुडानिया) एवं (श्री शान्तिकुमार धारीवाल)

अगर इस आदेश को निरस्त नहीं किया गया तो राजस्थान हॉफ बॉडी यूनियन को हड़ताल का कदम उठाना पड़ेगा जिससे लाखों गरीब ट्रक मजदूर, खान मजदूर, कारीगर मजदूर, जो निर्माण कार्य में लगे हुए हैं, बेरोजगार हो जायेंगे एवं सरकार को मिलने वाले 13.50 रुपये प्रति ट्रक भी नहीं ले सकेंगे।

[श्री जयन्ति लाल कोली (रेवदर)]

रेवदर में मुंसिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि रेवदर क्षेत्र अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। जनता की आर्थिक स्थिति बड़ी कमजोर है। यहां पर एम. एम. कोर्ट नहीं है। रेवदर क्षेत्र की एम. एम. कोर्ट सिरोही में स्थापित है और इस एम. एम. कोर्ट में केवल क्षेत्र का क्षेत्राधिकार ही आता है अन्य किसी का नहीं। रेवदर से सिरोही की दूरी 70 किलोमीटर दूर है। पिछड़ा क्षेत्र होने से बसों का आवागमन भी बहुत कम है, लोगों को पैदल चल कर या अन्य बसों द्वारा पहले रेवदर आना पड़ता है फिर वहां से सिरोही आने के लिए बस मिलती है और कुल 2-4 बसें ही चलती हैं जिस कारण से कोर्ट में उपस्थित होने के लिए एक दिन पहले घर से निकलने पर अधिकांश लोग समय पर सिरोही पहुंच सकते हैं। इस प्रकार एक पेशी के लिए तीन दिन व्यक्ति के खराब होते हैं।

अतः मेरा निवेदन है कि जब केवल रेवदर क्षेत्र की ही कोर्ट है उसका मुख्यालय सिरोही क्यों रेवदर ही होना चाहिए। आई. टी आई. का होल रेवदर में कोर्ट लगाने के लिए उपलब्ध है, कई जगह किराये के भवनों में भी कोर्ट लगती है केवल भवन न होने का बहाना करके कोर्ट का मुख्यालय रेवदर न करना न्यायोचित नहीं है।

अतः आपके माध्यम से मेरा विधि मंत्रीजी से निवेदन है कि अविलम्ब इसका मुख्यालय रेवदर किया जाय जिससे उस क्षेत्र की पिछड़ी अनुसूचित जाति, जनजाति की जनता को राहत प्रदान हो सके।

[श्री श्रवण कुमार (पिलानी)]

प्रदेश में पुरातात्विक महत्व की कलाकृतियों एव मूर्तियों की चोरी की बढ़ती जा रही वारदातें

राजस्थान में पिछले काफी समय से जैन मूर्तियों की ओर पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण मूर्तियों एवं कला कृतियों की चोरियां हो रही हैं—लेकिन

(श्री श्रवणकुमार)

राज्य सरकार इन मामलों में कुछ भी करने में अक्षम रही है। पिछले कई दिनों से पाली जिले के कोरटा, सेवाड़ी, बीजापुर, नारलाई और कोट गावों के पास हजारों वर्ष पुरानी पुरातत्व की धरोहर लगातार खुदाई करके चोरी छिपे तस्करी से विदेश चली गयी। कुछ आसपास के जैन मन्दिरों में स्थापित कर दी गयी।

इसी तरह कोट गांव में नदी के किनारे टेकरी पर दो हजार वर्ष पुराने पांच मन्दिरों और दो प्राचीन बावड़ियों के खण्डहर और अवशेष आज भी विद्यमान है। इन मन्दिरों की शिल्पकला खण्डकपुर एवं देलवाड़ा से कम नहीं है। यहां से तस्कर अनेक कला कृतियों को उठा कर ले जा चुके हैं। इनमें से कोट गांव में कुछ प्रतिमाएं जैन मन्दिर में स्थापित कर दी गयी है। कोट गांव से कई प्रतिमाओं को मद्रास ले जाया चुका है। इस तरह से राजस्थान की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण कला कृतियां, प्रतिमाएं एवं मूर्तियां गायब होती जा रही हैं। इतना ही नहीं अभी पिछले दिनों जयपुर शहर के अम्बाबाड़ी क्षेत्र से दिगम्बर जैन मन्दिर से भगवान पार्श्वनाथ की 9" इन्च की मूर्ति, चन्द्रनाथ भगवान की पांच इंच की मूर्ति, चौबीसी की सात इन्च की मूर्ति, सिंह भगवान की सात इन्च की मूर्ति और महावीर भगवान की सवा चार इंच की मूर्ति चांदी के बर्तन एवं नकदी चोरी हो गये।

अतः ऐसी मूर्तियों की चोरी तस्करी आदि के रोकथाम की व्यवस्था करवाने की कृपा करावें।

[श्री बनवारी लाल शर्मा (धौलपुर)]

धौलपुर शहर में सड़कों की दयनीय स्थिति एवं अतिक्रमण

श्रीमान्, धौलपुर नगर की सड़क की स्थिति इतनी अधिक गम्भीर हो गयी है कि हर पांच-छह गज के अन्तर पर डेढ़-दो फीट गहरे गड्ढे हो गये हैं। बजरिया रोड, मारखण्डेश्वर मन्दिर के पास, पुरानी सब्जी मण्डी, दशहरा रोड, राधा बिहारी रोड, हलवाई खाना, जगन चौराहे से अस्पताल तक, हनुमान सिंह रोड, पटपरा रोड, व मामतीपुरा में बिजली घर वाली सड़क व अन्य सभी सड़कों की हालत बद से बदतर हो गयी है। मुझे बड़े खेद एवं शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ गर्भवती महिलाओं के गर्भ तक इन खड्डों की वजह से गिर चुके हैं। नगरपालिका एकदम निष्क्रिय है एवं जनता की इस गम्भीर समस्या की ओर कतई ध्यान नहीं दे रही। नगरपालिका के पदाधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हो रहे हैं एवं बिना स्वीकृत पदों के ही पैसे लेकर नियुक्तियां कर रहे हैं। विकास कार्यों की तरफ उनका ध्यान नहीं जाकर खाली पड़ी सरकारी भूमियों पर अनियमित तरीकों से अपने

(श्री बनवारीलाल शर्मा)

लोगों द्वारा अतिक्रमण करवाया जा रहा है। यद्यपि बार-बार शिकायत करने पर जांच में यह शिकायतें साबित हो चुकी हैं किन्तु सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। नगरपालिका की जिप्सी गाड़ी आगरा, ग्वालियर यू. पी. के अन्य शहरों में एवं गांवों में घुमाई जाती रही है जबकि नगरपालिका के क्षेत्र में उसका उपयोग नहीं के बराबर हो रहा है। गाड़ी का भारी दुरूपयोग किया जा रहा है।

श्रीमान्, नगरपालिका के पार्षद सरकारी भूमि पर कब्जा करने में लगे हुए हैं। पुराना समाज कल्याण विभाग व पुलिस लाइन के पास में एक पार्षद ने नुजूल सम्पत्ति पर नाजायज कब्जा कर दुकानें बना ली एवं एक अन्य पार्षद ने हरिजन मिडल स्कूल जीटी रोड की जगह पर अतिक्रमण कर लिया है। ये सब कार्यवाही गैर कानूनी है एवं इन्हें तत्काल तोड़ने की कार्यवाही की जानी आवश्यक है ताकि लाखों रुपयों की सरकारी सम्पत्ति को बचाया जा सके।

[श्री महेन्द्र कुमार मीणा (सिकराय)]

सिकराय विधान सभा क्षेत्र के पीलोडी ग्राम में जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक संघ द्वारा उपकेन्द्र खोले जाने से उत्पन्न स्थिति

निवेदन है कि पीलोडी ग्राम में एक दुग्ध उत्पादक सरकारी समिति है। जिसका रजिस्ट्रेशन नं. 20 एस. डी. है एवं दिनांक 27-4-81 को उसका रजिस्ट्रेशन हुआ था। समिति के पास खुद का भवन है एवं समिति के पास अच्छा मुनाफा है। इतना होते हुए भी जयपुर संघ वालों ने दिनांक 1-12-94 को ग्राम में प्राइवेट उपकेन्द्र खोल दिया है।

समिति दुग्ध दौसा भेजती है एवं दुग्ध का भुगतान उत्पादकों को कर दिया जाता है एवं उसका लेखा-जोखा समिति की रोकड़ बही, खाता बही, डेयरी रजिस्टर, लेजर आदि से किया जाता है। जिसका आडिट सहकारी विभाग द्वारा हर वर्ष किया जाता है, एवं हर वर्ष की आडिट फीस समिति वहन करती है।

ग्राम में प्राइवेट उपकेन्द्र खोल रखा है। उसका कहीं भी हिसाब नहीं लिखा जाता है एवं उनसे सीधा दुग्ध लेकर उनका सीधा भुगतान कर दिया जाता है। इस प्राइवेट उपकेन्द्र से समिति को भारी नुकसान हो रहा है। संघ वालों से कहने पर वे कहते हैं कि हम तो प्रत्येक समिति के ग्राम में उपकेन्द्र खोलेंगे हम को तो दुग्ध चाहिये समिति जीवित रहें या समिति मरे।

इसलिए श्रीमान्जी से निवेदन है कि इस प्राइवेट उपकेन्द्र को बंद करवाने का आदेश जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के अधिकारियों को दिए जावें ताकि समिति बच सकें।

[श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर)]

जोधपुर शहर की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में आमूलचूल सुधार

जोधपुर शहर राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। यहां की आबादी लगभग 9 लाख है। बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में शहर में केवल छह सीटों की डिस्पेन्सरी ही कार्यरत है। जोधपुर शहर में लगभग दो लाख व्यक्तियों का प्रतिमाह गांवों से तथा प्रदेश के अन्य क्षेत्रों से आवागमन रहता है। इनमें से हजारों रोगियों को चिकित्सा जोधपुर शहर की विभिन्न डिस्पेन्सरियां अथवा डाक्टर सम्पूर्णानन्द मेडिकल कॉलेज, महात्मा गांधी चिकित्सालय, उम्मेद चिकित्सालय एवं मथुरादास न्यूटिचीग चिकित्सालय में होती है।

राजस्थान के विभिन्न सम्भागीय मुख्यालयों पर पिछले वर्षों में सेटेलाइट हास्पिटल तथा जिला स्तरीय चिकित्सालय प्रारम्भ किये गये हैं, जिससे वहां के मेडिकल कॉलेज का कार्यभार कम हुआ है, तथा उससे मेडिकल कॉलेज से सम्बद्ध चिकित्सालयों में विशिष्ट चिकित्सा से सम्बन्धित विभागों में नेफ्रोलॉजी, कार्डियो वेस्कुलर, सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, पीडीएट्रिक सर्जरी की सुविधाएं जयपुर जैसे शहर में विकसित की गयी हैं। परन्तु जोधपुर शहर का मेडिकल कॉलेज आज भी विशिष्ट चिकित्सा सेवा इकाइयों से वंचित हैं। दूसरी ओर सेटेलाइट अस्पतालों एवं सिटी डिस्पेन्सरियों के अभाव के कारण अस्पतालों में लम्बी कतारें तथा रोगियों को भारी असुविधाओं को झेलना पड़ता है और उनको आर्थिक दबाव का सामना करना होता है।

जोधपुर शहर की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी गम्भीर समस्या को मध्य नजर रखते हुए अविलम्ब दो नई डिस्पेन्सरी पैंको का बासु व फतेहसागर क्षेत्र में स्थापित करना अत्यावश्यक हो गया है। जहां की आबादी लगभग दो लाख है।

उक्त चिकित्सालयों के खुलने से गरीब जनता लाभान्वित होगी तथा मेडिकल कॉलेज में सामान्य रोगों के कार्यभार में कमी होगी। जोधपुर शहर निर्वाचन क्षेत्र में दो सेटेलाइट चिकित्सालय अविलम्ब प्रारम्भ किये जाय ताकि शहर के निवासियों के समान रोगों की चिकित्सा उक्त सेटेलाइट चिकित्सालयों में की जा सके। यह कहने में अत्यन्त ही रंज है कि जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल जैसे चिकित्सालय में हृदय रोग जांच सम्बन्धी ई. सी. जी. की केवल एक मशीन क्रियाशील है और प्रभावी है और वह भी मरम्मत शुदा है, शेष सभी मशीनें खराब पड़ी हैं। उन्हें न तो ठीक कराया जा रहा है और न ही उनका कोई उपयोग ही है। बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि माननीय चिकित्सा राज्य मंत्री द्वारा इस वर्ष फरवरी माह में आपातकालीन

(394)

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

सेवाओं के लिए उपकरणों वास्ते स्वीकृत की गयी राशि से जो अत्याधुनिक उपकरण क्रय किये गये हैं, वे आपातकालीन केन्द्र को केवल सुसज्जित कर रहे हैं, क्योंकि गम्भीर अवस्था में आने वाले रोगियों के लिए इमरजेन्सी की आई. सी. यू. में न तो एयर कन्डीशनर है और न ही ई. सी. जी. मशीन है। इनके अभाव में कई बार ऐसा हुआ है जिससे रोगियों को गम्भीर परिणाम भुगतने पड़े हैं। मेरा निवेदन यही है कि इमरजेन्सी में ई. सी. जी मशीन अलग से उपलब्ध करवाने के अलावा आई.सी.यू. में हटाये गये एयरकन्डीशनर तत्काल लगवाये जायें।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द मेडिकल कॉलेज में सम्बद्ध महात्मा गांधी अस्पताल में सी. टी. स्केन की सुविधा अविलम्ब प्रारम्भ की जावे तथा आगामी दो वर्षों में नेफ्रोलॉजी विभाग, न्यूरो सर्जरी विभाग कार्डियो वेस्कुल सर्जरी विभाग, पीडीयेट्रिक सर्जरी विभाग, प्लास्टिक सर्जरी विभाग, न्यूकलीयर मेडीसन विभागों से सम्बन्धित चिकित्सकों की नियुक्ति कर उक्त विभागों को जोधपुर मेडिकल कॉलेज तथा इससे सम्बद्ध अस्पताल में सम्बन्धित रोगियों की चिकित्सा के लिए इन विभागों को विकसित किया जाये ताकि जोधपुर के प्राचीन अस्पताल में विशिष्ट चिकित्सा सेवाओं का लाभ रोगियों को अधिकाधिक मिल सके।

एक मोटे अनुमान के अनुसार प्रतिवर्ष जोधपुर सम्भाग के राज्य कर्मचारी अपने आश्रितों के इलाज के लिए जयपुर अथवा प्रदेश के बाहर जाते हैं, उनकी चिकित्सा पर राज्य सरकार को लगभग तीन से चार करोड़ रुपयों की राशि व्यय करनी पड़ती है। निजी व्यक्ति अपनी चिकित्सा करवाने हेतु जोधपुर से बाहर जाते हैं। एक वर्ष में लगभग 10 से 15 करोड़ रुपयों की राशि व्यय करनी पड़ती है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को चाहिए कि वे राजस्थान वित्त निगम, रीको जैसी वित्तीय सस्थाओं से ऋण लेकर जोधपुर एवं बीकानेर मेडिकल कॉलेज में तथा इससे सम्बन्धित अस्पतालों में सुपर स्पेशलिटी से सम्बन्धित विभागों को तुरन्त प्रभाव से विकसित करें, जिससे इनका स्तर जिला अस्पतालों से बढ़कर अनुसंधान तथा जटिल रोगों के निदान के लिए किया जा सके।

राज्य सरकार प्रतिवर्ष राज्य कर्मचारियों की चिकित्सा के लिए चार से पांच करोड़ रुपये व्यय करती है व बाहर के अस्पतालों को इसका भुगतान करती है, उसके स्थान पर जोधपुर जैसे मेडिकल कॉलेज तथा इससे सम्बन्धित अस्पताल में विशिष्ट चिकित्सा इकाइयों से सम्बन्धित विभागों को विकसित कर चार से पांच करोड़ रुपये की राशि का विनियोजन कर दो वर्षों के अन्दर उपरोक्त विभागों को सुचारू रूप से शुरू कर सकती हैं, इससे राज्य कर्मचारियों व उनसे आश्रित व्यक्तियों पर

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

होने वाले चिकित्सा व्यय में भारी कमी आयेगी तथा ये विभाग आत्म-निर्भर होकर प्रदेश के गरीब लोगों की तथा आम लोगों की सेवा कर सकेंगे। प्रदेश के बाहर जाकर चिकित्सा पर व्यय होने वाले भारी व्यय से राजस्थान के निवासियों को बचाया जा सकेगा।

[श्री प्रतापसिंह सिंघवी (छबड़ा)]

बारां जिले की समस्याएं

बारां जिले की मूलभूत समस्या बिजली व पानी की है क्योंकि बारां जिले में अधिकांश आबादी छोटे व मझोले कृषकों की हैं।

इस क्षेत्र की बाहुल्य जाति मीना, धाकड़, लोदा एवं सहरिया आदिवासी पिछड़े वर्ग के पास जमीन की छोटी-छोटी जोतें हैं और यही कारण है कि वहां के छबड़ा, शाहबाद उपखण्डों में गरीबी व अशिक्षा छाई हुई है क्योंकि वह व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण अपने बच्चों को न पढ़ा सकते हैं और न ही उनका सही ढंग से भरण-पोषण कर सकते हैं, अगर राज्य सरकार सिंचाई के लिए पानी और बिजली की माकूल व्यवस्था योजनाबद्ध तरीके से कर दे तो उस क्षेत्र द्वारा उपजाये गये अनाज से वहां के लोगों का ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्र के लोगों का भी भरण-पोषण किया जा सकता है और वहां उत्पादित कच्चे माल जैसे सोयाबीन, सरसों, धनिया, लहसुन, अफीम पर आधारित औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जा सकती है। हाड़ोती की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की है कि उसमें बहने वाली नदियां व छोटे-छोटे नालों का जो पानी व्यर्थ चला जाता है उनको रोककर छोटी-छोटी सिंचाई की कई योजनाएं बनाकर उनका सदुपयोग किया जा सकता है। वर्तमान में बारां जिले में कुओं के अलावा सिंचाई का कोई साधन नहीं है। अतः उन कुओं पर बिजली के कनेक्शन देकर भी काश्तकारों की माली हालत में सुधार लाया जा सकता है। आज बारां जिले की मूलभूत समस्या सिंचाई, बिजली व सड़क की है। मेरे क्षेत्र में तो सड़कें भी नहीं के बराबर हैं।

अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि बारां जिले की इन मूलभूत समस्याओं की तरफ ध्यान देकर शीघ्र निराकरण करवायें।

396

[श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी)]

सागवाड़ा का मास्टर प्लान

मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम 295 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका, सागवाड़ा के लिए तैयार किये गये मास्टर प्लान को लागू करने से आदिवासियों को ग्रामीण क्षेत्रों में मिलने वाली सुविधा से वंचित होने तथा आदिवासी संस्कृति के नष्ट होने के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये स्वायत्त शासन मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

सागवाड़ा नगरपालिका, जो नगरपालिका चतुर्थ श्रेणी के अन्तर्गत आती है वहां की नगरपालिका, द्वारा एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है जिसकी नियमानुसार जन साधारण को जानकारी होनी चाहिये वह अभी तक नहीं दी गयी है। इस नगरपालिका में नौ गांव हैं जिसमें से तीन पंचायत मुख्यालय हैं जैसे जेठाणा, हरमाड़ा, गोवाणी, वहां सरपंचों का चुनाव हाल ही में हुआ है। उनको मास्टर प्लान बनाते समय न तो सूचना दी गयी और न ही मास्टर प्लान बनाते समय राय ली गयी। उसी तरह मड़कोला, भावीता, शिवपुरी, माणकपुर पूर्णतः आदिवासी क्षेत्र हैं जो अनुसूचित जनजाति विकास क्षेत्र में आते हैं। इन गांवों की संस्कृति नगरीय संस्कृति से सर्वथा भिन्न है और उनकी आर्थिक दशा भी शहर की तुलना में नगण्य है। राजनीतिक दृष्टि से भी ये बहुत सचेष्ट नहीं है। सामाजिक दृष्टि से इनके रीति-रिवाज, रहन-सहन, नगरीय रीति-रिवाजों से भिन्न है। शिक्षा का यहां अभाव है।

अतः ऐसी स्थिति में यदि इन आठ गांवों को, जो कि विशेष आदिवासी क्षेत्रों से भिन्न संस्कृति रखते हैं, इनमें मिला दिया गया तो ये आठों पंचायती राज एवं ग्रामीण क्षेत्र में मिलने वाली सुविधाओं से वञ्चित हो जायेंगे। दूसरी तरफ आठों गांवों पर शहरी कर, गृहकर का भार पड़ेगा। यदि मास्टर प्लान लागू कर दिया गया तो आदिवासी अपनी भूमि को हस्तान्तरित नहीं कर पायेंगे तथा भूमि परिवर्तन की दरें दुगुनी हो जायेंगी। अतः यह मास्टर प्लान एक तरह से इन गांवों पर शहरीकरण का आक्रमण होगा। इन सब बातों की तरफ मंत्री महोदय का विशेष उल्लेख के माध्यम से आपका ध्यान आकर्षित कर लेख है कि ग्रामीण एवं जनजातीय विशेषताओं को दृष्टिगत रखते हुए सागवाड़ा के लिए मास्टर प्लान की आवश्यकता नहीं है।

[श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर)]

मन्दिर माफी की जमीन पर अनाधिकृत निर्माण का नियमन

मैं राजस्थान विधान सभा में प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत, राजस्थान सरकार, राजस्व मंत्री व स्वायत्त शासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुये निवेदन करना चाहूंगा कि आजादी के पूर्व राजा-महाराजाओं ने मन्दिरों व दरगाहों को सुव्यवस्थित रख-रखाव व भोग हेतु पुजारियों को कृषि योग्य भूमि दान की थी खातेदारी में नाबालिग होने के कारण कानूनन उक्त जमीन का बेचान नहीं किया जा सकता है।

आदरणीय, दिन-प्रति-दिन बढ़ती हुई आबादी के कारण मन्दिर माफी की जमीन पर भूखण्ड बनाकर मकानों व दुकानों का निर्माण हो चुका है। गंगापुरसिटी, जिसकी आबादी मात्र दस हजार थी, आज बढ़कर एक लाख से अधिक हो गयी है। ऐसी स्थिति में मकानों का निर्माण होना स्वाभाविक है। जब की गंगापुर में आबादी हेतु कोई जमीन नहीं है समस्त जमीनें मन्दिर माफी की है। आज गंगापुर सिटी आधे से अधिक मन्दिर माफी की जमीन पर बसा हुआ है। शुक्ला कालोनी, नर्सिंग कालोनी, जगदीशजी के मन्दिर की कालोनी, सीतारामजी कालोनी, अर्थात सब जमीनों पर मकानात बन चुके हैं। यह समस्या अकेले गंगापुर की ही नहीं है सारे राजस्थान की है।

नगरपालिका या नगर परिषद उन आबादी वाले क्षेत्र में विकास का कार्य करवाती नहीं है, क्योंकि उन्हें नजराना शुल्क प्राप्त नहीं होता है। ऐसे मकानों की रजिस्ट्री व पट्टा मिल नहीं सकता इससे राजस्व विभाग को भी आर्थिक नुकसान होता है।

अतः मैं राजस्व मंत्री व स्वायत्त शासन मंत्री से निवेदन करूंगा कि कानून में संशोधन करवाते हुए मन्दिर माफी की जमीन पर जो निर्माण हो चुका है उसका नियमन करावें। साथ में कस्बों व शहरों के आस पास की भूमि जो कि आबादी के योग्य है उसकी किस्म परिवर्तित करावें। आप को याद होगा कि सन 1975-76 में गोचर भूमि को सिवाय चक जमीन में परिवर्तित कर भूमिहीनों को आवंटित किया था क्योंकि गोचर भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ था। इससे उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है।

आज आबादी बढ़ रही है उसी दृष्टि से सोच कर कानून में शीघ्र संशोधन कर जिन व्यक्तियों ने मकानात बना लिये हैं उन्हें राहत मिले व नगर पालिका व राजस्व विभाग की आमदनी बढ़े।

[श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा)]

बाबई (जिला बूंदी) ग्राम पंचायत में सेटलमेंट के कार्य में अनियमितताएं

जिला बून्दी की ग्राम पंचायत बाबई व उसके आसपास के गांवों में गत वर्षों में जो सेटलमेंट का कार्य हुआ उसमें अधिकारियों की मनमानी व लापरवाही से काफी अनियमितताएं हुई। एक व्यक्ति की जमीन को दूसरे व्यक्ति के नाम कर दिया गया, किसी खातेदार को जमीन का रकबा कम कर दिया गया व किसी को खसरा नम्बर गलत दे दिया गया। जिसका परिणाम यह हुआ कि आज एक खसरा नम्बर की जमीन पर दो-दो तीन-तीन व्यक्ति मालिक बने हुये हैं। विवाद पैदा होने से इधर-उधर मारे-मारे फिरते हैं, आपस में लड़ाई-झगड़े होते हैं व सही खातेदार भी अपनी जमीन से वंचित है। ऐसे काफी प्रकरण इस क्षेत्र में हैं।

किसानों की समस्या को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र में जिला कलक्टर, बून्दी की अध्यक्षता में शिविर लगाकर इस समस्या को हल किया जावे।

[श्री गोपीराम जाट (आमेर)]

जयपुर शहर में सिनेमाघरों के स्थान पर बहुमंजिली इमारतों का निर्माण

समय समय पर सरकार ने शहरों में साधारण आय वर्ग और आम जनता के मनोरंजन हेतु सिनेमाघरों का निर्माण कराया था। सरकार ने सिनेमाघरों के लिए सस्ती दर पर भूमि उपलब्ध कराने के साथ-साथ भवन निर्माण हेतु ऋण भी उपलब्ध कराया। प्रारम्भिक स्थिति में टैक्सों में भी रियायत दी गयी। सभी ने अपने प्रार्थना-पत्रों में सिनेमाघर के लिए भूमि मांगी थी। आज बदलते परिवेश में जयपुर शहर की आबादी बढ़ रही है वहीं जमीन की कीमत भी बढ़ रही है आज के सिनेमाघरों के स्थान पर जहां काम्पलेक्स बन रहे हैं उस स्थान की भूमि की कीमत ही 5 से 8-10 हजार रुपये प्रति गज है। यह भूमि 25 से 5 रुपये प्रति गज में सरकार ने उपलब्ध करायी थी। इस समय उन भूमि पर बहुमंजिली इमारतें बनाकर ऊंची रकमों में कमरें व दुकानें बेचकर ऊंची रकम कमा रहें हैं और उस राशि के ब्याज से सिनेमाघरों से जितनी आय अर्जित कर लेते हैं। इस प्रकार आम जनता के मनोरंजन के साधन समाप्त हो रहे हैं और सिनेमाघरों से सरकार को टैक्स की जो आय हो रहीं थी वह भी समाप्त हो गयी है। अधिकारियों की मिलीभगत से यह सब कुछ हो रहा है। अधिकारीगण काम्पलेक्स बनाने की स्वीकृति देकर सरकार को और जनता को घाटे में डाल रहे हैं। यह सारा काण्ड राजधानी में हो रहा है और अधिकारी मौन हैं।

(श्री गोपीराम जाट)

अतएव सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित कर लिखना चाहूंगा कि सरकार जनता के मनोरंजन और सरकार के टैक्स के बिगड़ते साधन को बचायेगी। इसके अलावा कॉम्पलेक्स बन गये उन लोगों से प्रचलित दर से दस गुणा पैनेल्टी सहित भूमि की कीमत वसूल करे। इसके लिए सरकार और सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए मांग करता हूं कि भविष्य में सिनेमाघर पर कॉम्पलेक्स न बने इसके लिए सरकार पुख्ता व्यवस्था करने का श्रम करें।

[श्री हरिसिंह (कुम्हेर)]

कुम्हेर (भरतपुर) तहसील के नराला मोती व नराला विरतरु को राजस्व गांव बनाना

मैं राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय को सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

यह कि भरतपुर जिले की कुम्हेर तहसील के नराला मोती नाम के नराला को राजस्व ग्राम बनाये जाने की मांग वहां के किसानों ने स्थानीय राजस्व अधिकारियों को कर रखी है। राजस्व ग्राम बनाये जाने के मापदण्डों को यह नराला पूरा करता है। राजस्व ग्राम घोषित नहीं होने से इस ग्राम का विकास अवरुद्ध हो रहा है तथा स्थानीय पंचायत के लाभ से वंचित रह रहा है। यह ग्राम कभी का राजस्व ग्राम घोषित हो जाना चाहिए था।

इसी प्रकार नराला विरतरु भी अपने आप में राजस्व ग्राम घोषित किये जाने के सभी मापदण्ड पूरा करता है। स्थानीय जनता की मांग है तथा जनता यह अपेक्षा रखती है कि सरकार इस सम्बन्ध में अवश्य ही शीघ्र कार्यवाही जनहित में तथा किसानों के हित में करेगी और इन दोनों नरालाओं को राजस्व ग्राम घोषित करेगी।

[श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम)]

कंजोली (तहसील टोडाभीम) ग्राम के उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नति

जिला सवाईमाधोपुर की तहसील टोडाभीम के ग्राम कंजोली में विद्यालय की छात्र संख्या 500 के लगभग है। माध्यमिक विद्यालय के लिए पर्याप्त भवन व

(श्री रामस्वरूप मीणा)

मैदान की व्यवस्था उपलब्ध है। कंजोली ग्राम की जनसंख्या 4000 के लगभग है। इस ग्राम की 90 प्रतिशत जनसंख्या पिछड़ी जाति एवं अनुसूचित जनजाति की है। ग्राम पंचायत हैड क्वार्टर है तथा जिला मुख्यालय एवं राजधानी जयपुर के लिए डामर सड़क है। टेलीफोन सुविधा भी है। इसके बारे में पूर्व में भी मंत्रीजी को प्रार्थना पत्र दिये जा चुके है पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी। अतः मैं इस प्रक्रिया के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय एवं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ग्राम कंजोली के रा0उ0 प्रा0 विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करें ताकि मेरे क्षेत्र के इस लोकप्रिय ग्राम को सुविधा मिल सके।

[श्री उदयलाल आंजना (निम्बाहेड़ा)]

निम्बाहेड़ा की हुडको कॉलोनी में पेयजल संकट

मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत निम्बाहेड़ा में अल्प आय वर्ग के लोगों की हुडको कॉलोनी की बसावट की गयी जिसे लगभग 4 वर्ष होने आए है तथा जिसकी जनसंख्या लगभग चार हजार पार हो गयी है। किन्तु इस कॉलोनी के नागरिकों के लिये राज्य सरकार एवं प्रशासन द्वारा पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। कॉलोनी के निवासियों को पेयजल हेतु अपना काम धन्धा छोड़कर इधर-उधर भटकना पड़ रहा है।

पूर्व में भी प्रक्रिया नियम 131 के अन्तर्गत मार्च 94 के विधान सभा सत्र में हुडको कॉलोनी पेयजल की समस्या को लेकर मैंने सरकार का ध्यान आकर्षित कराया था किन्तु खेद है कि एक वर्ष की अवधि व्यतीत होने के उपरान्त भी सरकार निम्बाहेड़ा की हुडको कॉलोनी में पेयजल व्यवस्था करने में नाकाम रही तथा ही सरकार ने इस मानवीय समस्या के निदान हेतु रुचि ली।

अतः निवेदन है कि हुडको कॉलोनी निम्बाहेड़ा के नागरिकों के लिये पेयजल जैसी अहम समस्या का समाधान तुरन्त करावें।

[श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर)]

सांगानेर विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों में पेयजल संकट

विधान सभा क्षेत्र सांगानेर के ग्रामों यथा, उदयपुर गिलाहरिया, श्री राम-गोविन्दपुरा, टोडीरमजानपुरा एवं खमीरपुरा में जल बहुत नीचे चला गया है जिससे

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

खेती के लिए पानी तो दूर बल्कि पेयजल (पीने) के लिए भी पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। उदयपुर गिलाहरिया एवं टोडी रमजानपुरा में दो हैण्ड पम्प लगाने हेतु पूर्व में सरकार को भी लिखा जा चुका है लेकिन इसकी ओर अभी तक कोई ध्यान नहीं गया है।

अतः उक्त ग्रामों में पेयजल की समुचित व्यवस्था कराकर ग्रामवासियों को राहत पहुंचाई जावे।

[श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण)]

जैतारण (जिला पाली) में महाविद्यालय की स्थापना

निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र जैतारण में पिछले कई वर्षों से वहां के नागरिकों, विद्यार्थियों एवं जन-प्रतिनिधियों द्वारा महाविद्यालय खोलने हेतु राज्य सरकार से निवेदन किया जा चुका है, जिस पर राज्य सरकार ने इसकी उपयोगिता की जांच भी करवायी थी। जांच रिपोर्ट से स्पष्ट है कि जैतारण उपखण्ड मुख्यालय होने एवं आस-पास 50 किमी. की परिधि में कोई महाविद्यालय नहीं होने व छः से भी ज्यादा सीनियर हायर सैकण्डरी विद्यालय आस-पास होने से महाविद्यालय खोलने हेतु सिफारिश की गयी है परन्तु, अभी तक जैतारण में महाविद्यालय नहीं खोले जाने से इस क्षेत्र के ग्रामीणों में असन्तोष है। महाविद्यालय हेतु दानदाताओं द्वारा भवन बनवाने हेतु सहमति प्रकट की गयी है। इसके लिये जमीन भी उपलब्ध है। इस वर्ष के बजट में 6 नये महाविद्यालय खोले जाने का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा किया गया है।

इसलिये निवेदन है कि राज्य सरकार जनहित में इस वित्तीय वर्ष में जैतारण में महाविद्यालय खोलने की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर विद्यार्थियों को लाभान्वित करेगी।

[श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर)]

नये पंचायत कानून में ग्रामदानी गांवों को अधिकार

हिन्दुस्तान को आजादी दिलाने वाले महान नेता गांधी-विनोबा की कल्पना के मूर्तरूप ग्रामदानी ग्रामों के अधिकारी को पंचायत नियम बनाते समय ग्रामदानी ग्रामों के अधिकारों को कम किया गया है जिससे राजस्थान में ग्रामदानी ग्रामों को भारी

402

(श्री नाथूराम अहारी)

नुकसान हुआ है। ग्रामदानी ग्रामों के बनने के बाद ग्रामदानी ग्रामों का काफी विकास हुआ है। क्योंकि ग्रामदानी ग्रामों को रेवेन्यू के एवं विकास के सभी अधिकार प्राप्त हैं जबकि पंचायतों को नहीं हैं। ग्रामदानी ग्रामों में अधिकांश कोर्ट, कचहरी, भूमि अलाटमेंट, अपने ग्राम के विकास की योजना आदि कार्य बहुत सन्तोषजनक रहे हैं।

अलग यूनिट होने एवं भूमि अलाटमेंट एवं ग्रामदानी गांव होने से शोषण से मुक्ति मिली थी लेकिन अभी जो पंचायत कानून बने हैं उससे ग्रामदानी ग्रामों को काफी नुकसान हुआ है। श्रीमान् मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि ग्रामदानी ग्रामों के जो अधिकार छीने गये हैं। उन्हें यथावत रखने के आदेश करावें तभी ग्रामदानी ग्रामों को सही फायदा मिल सकेगा।

धन्यवाद।

[श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी)]

चौरासी विधान सभा क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत

डूंगरपुर जिले के विधान सभा क्षेत्र चौरासी में दिन-प्रतिदिन जो डामरीकरण सड़कें थीं वह बिलकुल टूटती जा रही हैं जिससे यातायात में भारी रुकावट हो रही है। यहां तक कि आम आदमी के लिए आने जाने की काफी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, उन सड़कों पर कोई भी साधन चलाना नहीं चाहते हैं। सड़कों में भारी बड़े-बड़े खड्डे पड़ गये हैं, जिनकी मम्मत भी नहीं की जा रही है। इस कार्य के प्रति जिले का प्रशासन पूरा-पूरा उदासीन सा नजर आ रहा है या फिर जानबूझकर कर उन सड़कों पर कार्य नहीं करना चाहते हैं। यह हमारे क्षेत्र की जनता के लिए बड़ा ही दुःख का विषय है। मैं आपके माध्यम से सरकार को निवेदन करना चाहता हूं कि निम्नांकित सड़कों पर कार्य यथाशीघ्र प्रारम्भ कराने की कृपा करेंगे।

1. डूंगरपुर से पीठ पुनावाड़ा रोड।

2. थम्पोला से जोगपुर रोड़।

3. थाना से मेवाड़ा विरपुर रोड।

(श्री शंकरलाल अहारी)

4. पीठ से सरथूना रोड ।

5. सीमलवाड़ा से माडली रोड ।

[श्री बनवारीलाल बैरवा (निवाई)]

वनस्थली से माशी बांध सड़क की सुनिश्चित रोजगार योजना में स्वीकृति

दिनांक 9-3-95 को जिला ग्रामीण विकास प्रभिकरण टोंक के सभा भवन में हुई शासकीय निकाय की बैठक में वनस्थली से माशी बांध वाया करणपुरा वाली सड़क को अविलम्ब स्वीकृत कर चालू करवाने का निर्णय लिया गया था, जो अभी तक स्वीकृत होकर शुरू नहीं हुई है ।

इस कार्य के सम्बन्ध में पुनः निवेदन है कि इस कार्य को स्वीकृत कर चालू करने से ग्राम रामजीपुरा, करणपुरा, सरसड़ी, रामपुरा, सूरजपुरा एवं मनोहरपुरा ग्राम सड़क से जुड़ते हैं तथा इसी रोड पर टोंक जिले की महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना माशी बांध है जिसकी देखरेख हेतु इसी रास्ते से आवागमन होता है । वर्तमान में माशी बांध से निवाई की पेयजल योजना चल रही है जिसकी पाइप लाइन इसी रास्ते पर होकर गुजर रही है । इसी प्रकार माशी बांध से राज्य सरकार को मत्स्य पालन से हर वर्ष लाखों रुपये की आय होती है । यह सड़क गत वर्ष अकाल राहत कार्य में भी स्वीकृत हुई थी, जो समयाभाव के कारण पूर्ण नहीं हो सकी है और अभी तक अधूरी पड़ी हुई है । अतः इस कार्य को अविलम्ब स्वीकृत कराकर प्रारम्भ कराने का कष्ट करें जिससे उपरोक्त कार्य से सभी गांव वालों को राहत मिलेगी ।

[श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा)]

जनजाति समुदाय के व्यक्तियों का राजस्थान राज्य प्रशासनिक सेवाओं में आरक्षण

मैं, निवेदन करना चाहता हूं कि देश की आजादी के बाद देश और प्रदेश में रहने वाले जनजाति समुदाय के लोग, जो कि आर्थिक, शैक्षिक एवं सामाजिक

404

(श्री दयाराम परमार)

दृष्टि से अत्यन्त पिछड़े थे, को अन्य समाजों के साथ लाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था की गयी। और उस आरक्षण व्यवस्था के आधार पर विभिन्न सरकारी सेवाओं में उक्त समुदाय के लोग आने लगे हैं।

आज प्रदेश में 12.44 प्रतिशत जनजाति समुदाय के लोग निवास करते हैं और उसी प्रतिशत के आधार 12.44 प्रतिशत विभिन्न सरकारी सेवाओं में आरक्षण कर रखा है। लेकिन आज तक जो परिणाम सामने आये हैं उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि जनजाति उपयोजना क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों को राजस्थान प्रशासनिक एवं राजस्थान पुलिस सेवाओं जैसे पदों पर आने का अवसर नहीं के बराबर मिला है। मेरी जानकारी के अनुसार केवल एक व्यक्ति आर. ए. ऐस. और एक व्यक्ति आर. पी. एस. है। इसका कारण यह रहा है कि जनजाति उपयोजना क्षेत्र में रहने वाले लोग अभी तक आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े होने के साथ-साथ मानसिक स्तर से भी कमजोर हैं। इसलिए कई लिखित परीक्षाओं में उत्तीर्ण करने के बाद भी उनका चयन नहीं हो पाता है। क्योंकि एक आई. ए. एस., आई. पी. एस., आर. ए. एस. या आर. पी. एस. के लड़के को आर. ए. एस. या आर. पी. एस. करने में इतनी कठिनाई नहीं होती है जितनी उन व्यक्तियों के लड़कों को, जिनके माता पिता सड़क पर या खेत में काम करके अपना पेट भरते हैं। इसलिए जनजाति उपयोजना में रहने वाले व्यक्तियों का चयन नहीं हो पाता है। क्योंकि उपयोजना क्षेत्र में रहने वाले जनजाति समुदाय के लोग अधिकतर अपना गुजारा खेती या सड़क पर कार्य करके करते है। जिससे आज तक एक क्षेत्र विशेष के लोगों को ही आरक्षण लाभ मिलता रहा है।

इसलिए मैं राज्य सरकार से यह मांग करता हूं कि राजस्थान प्रशासनिक एवं पुलिस सेवाओं में जनजाति समुदाय के लिए जो 12.44 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है उसमें से जितने प्रतिशत जनसंख्या जनजाति उपयोजना क्षेत्र में रहती है उतने ही प्रतिशत आरक्षण उनके लिए अलग करने का प्रावधान किया जाये ताकि जनजाति उपयोजना में रहने वाले लोगों को राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं, पुलिस सेवाओं में आने का अवसर मिल सके जिससे आरक्षण देने की सरकार की जो मंशा है वह पूरी हो सके।

[श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा)]

मण्डावा विधान सभा क्षेत्र के आयुर्वेदिक औषधालयों में अव्यवस्था

विधान सभा क्षेत्र मंडावा में आने वाले आयुर्वेदिक औषधालयों ग्राम-ककडेऊ खुर्द, बडिट, जालिमपुरा, सीरियासर कलां, हेतमसर, मोखणसर, बिसाऊ, गांगियासर, निराधन, कुमास, आदि में आयुर्वेद दवाओं का नितान्त अभाव है। औषधालयों में किसी भी बीमारी की दवा उपलब्ध नहीं है जिसके कारण गांवों में बहुत असन्तोष फैला हुआ है। आयुर्वेद औषधालय सीरियासर कलां, आयुर्वेदिक औषधालय, ककडेऊकलां, मोखणसर, बिसाऊ, कस्बे निराधर, कुमास में वैध--इन-चार्ज हाजिर ही नहीं रहते हैं, अकसर अनुपस्थित रहते है। अपने हैडक्वार्टर बड़े शहरों में बना रखे है तथा वे वही पर रहते हैं। गांवों में कभी-कभी जाते हैं। पीछे की हाजरी करके वापस आ जाते हैं। यह लोग आयुर्वेद अधिकारी से मिले हुए है। उनसे मिलकर गैर हाजिर रहते है तथा गावों को चिकित्सा सुविधा से वंचित कर रखा है। सरकार जो दवा देती है उसका उपयोग भी नहीं होता है। इसका परिणाम यह हुआ कि औषधालय खोलने का सरकार का मकसद पूरा नहीं हुआ है। मैं ग्राम सीरियासर कलां तथा ककडेऊ खुर्द गांवों में गया हूं, वहां के निवासियों ने यह बताया है कि वैध लोगों के कभी भी दर्शन नहीं होते हैं। इससे गांवों में बहुत नाराजगी और रोष उत्पन्न हो रहा है। कृपया मेरा नोटिस स्वीकार कर उचित कार्यवाही करें।

[श्री लक्ष्मणसिंह रावत (भीम)]

अमृतकौर चिकित्सालय में विद्युत कटौती से नारकीय स्थिति

अमृतकौर चिकित्सालय में भर्ती मरीजों को अस्पताल के भीतर व्याप्त अव्यवस्थाओं के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहां विद्युत विभाग द्वारा अस्पताल क्षेत्र में की जा रही विद्युत की कटौती से उन्हें अस्पताल में नारकीय स्थिति से जूझना पड़ रहा है।

अमृतकौर अस्पताल के वार्डों में समुचित सफाई के प्रबन्ध नहीं होने के कारण मक्खियों एवं मच्छरों की भरमार होने, अस्पताल के वार्डों में मरीजों तथा उनका हालचाल एवं देखरेख करने वालों की भीड़भाड़ के कारण, वायु प्रदूषण के कारण मरीजों को घुटन महसूस होती है। वहीं गर्मी में दोपहर के समय तीन-चार घण्टे

(श्री लक्ष्मणसिंह रावत)

बिजली गुल हो जाने के कारण मरीजों को असहनीय स्थिति का सामना करना पड़ता है।

अस्पताल के सर्जिकल वार्ड, बर्न वार्ड एवं जच्चा-बच्चा वार्ड में तो बिजली के अभाव में मरीजों का हाल बेहाल हो रहा है। शहर के विभिन्न संगठनों द्वारा विद्युत विभाग से अस्पताल क्षेत्र में नियमित बिजली देने अथवा सुबह नौ बजे से पूर्व कटौती किये जाने की मांग के बावजूद विद्युत विभाग द्वारा इस गम्भीर समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

शहर में विद्युत कटौती जारी है अथवा नहीं, इस बारे में विद्युत विभाग द्वारा अभी तक कोई नयी घोषणा नहीं की गयी है। विद्युत विभाग द्वारा मनमाने तरीके से समय-बेसमय, बिना किसी सूचना दिये मनमाने तरीके से की जा रही विद्युत की कटौती से आम दुकानदारों तथा लघु उद्योगों एवं ऐसे लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, जो कि विद्युत उपकरणों के सहारे अपनी आजीविका चलाते हैं।

शहर के विद्युत मण्डल कार्यालय में व्यवस्था के नाम पर "अंधेर नगरी चौपट राजा" व्यवस्था कायम है। शहर में अनियमित विद्युत कटौती तथा विद्युत प्रवाह में लगातार हो रहे उतार-चढ़ाव के बारे में लोगों की भारी शिकायतों के बावजूद विद्युत विभाग के अभियन्ताओं द्वारा विद्युत व्यवस्था में सुधार हेतु कोई प्रयास नहीं किये जाने से लोगों में असन्तोष व्याप्त है।

[श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर)]

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के कर्मचारियों को पेंशन सुविधा

राजस्थान के जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के कर्मचारियों को नगर न्यास, नगरपालिकाओं, तहसील कर्मचारी मानकर पेंशन आदि सुविधाओं से वंचित रखा जाना समानान्तर सेवाओं में भेदभाव का द्योतक है।

मैं राज्य सरकार तथा सम्बन्धित विभाग का विशेष उल्लेख के माध्यम से ध्यान दिलाकर यह मांग करता हूं कि इस प्रकार जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के कर्मचारियों को भी नगर न्यास, नगरपालिका आदि के कर्मचारियों के वेतन तथा अन्य सुविधाओं से लाभान्वित कर उन कर्मचारियों का असन्तोष दूर किया जाय।

[श्री हीरालाल मीणा (बामनवास)]

बामनवास विधान सभा क्षेत्र में एनीकट निर्माण की छूट

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र बामनवास में सिंचाई के कुओं का जल स्तर नीचे चले जाने के कारण किसान सिंचाई सुविधा से वंचित होते जा रहे हैं। लगातार प्रतिवर्ष वर्षा कम होने के कारण जल स्तर नीचे जा रहा है। वर्षा का अधिकतर पानी बहकर चला जाता है जिसके कारण पशुओं को भी पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है।

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र बामनवास में सैकड़ों एनीकट नदी-नालों पर बनाये जा सकते हैं परन्तु सिंचाई विभाग का टालमटोल रवैया होने के कारण एनीकटों की योजनाएं नहीं बनाई जाती हैं। जो योजनाएं बनाई जाती हैं उनको किसी भी बांध का कैचमेंट एरिया बताकर एनीकट बनाने पर रोक लगा दी जाती है। सरकार ने पिछले वर्ष एनीकटों पर लगाई गयी रोक को हटाने की घोषणा की थी परन्तु सिंचाई विभाग ने अब तक कोई कार्य योजना नहीं बनाई है जिसके कारण ग्रामीण जनता का भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है।

अतः सरकार बामनवास विधान सभा क्षेत्र का सर्वे कराकर जहां भी एनीकट बनाकर जल स्तर को बढ़ाया जा सकता है वहां पर अधिक से अधिक एनीकट बनाने का कार्य व्यापक रूप से सिंचाई विभाग को करना चाहिये। साथ ही कृषि को बढ़ावा देने हेतु कैचमेंट का प्रतिबन्ध हटाकर सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत एनीकट बनाये जाने की छूट प्रदान करें।

[श्री गोपीचन्द (नगर)]

भरतपुर जिले में दूध में मिलावट से नागरिकों के स्वास्थ्य पर घातक प्रभाव

भरतपुर जिले के डीग उप खण्ड क्षेत्र में डेयरी के दूध में चिकनाई व नम्बर बढ़ाने के लिए भारी मात्रा में समस्त दूधिया गोदरेज कम्पनी का "ईजी" नाम का धुलाई का डिटर्जेन्ट, रिफाइन्ड आयल, ग्लूकोज लिक्विड, यूरिया खाद आदि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थ मिला रहे हैं जो कि जनता के स्वास्थ्य को खराब करने की साजिश है।

(श्री गोपीचन्द)

उल्लेखनीय है कि दुग्ध केवल डीग उप खण्ड में ही नहीं रहता, डेयरी के बड़े प्लांटों में जाता है और उसका मक्खन व दुग्ध ग्राम नागरिकों के लिए बूथों से उपलब्ध होता है जिससे ग्राम नागरिकों के स्वास्थ्य पर घातक प्रभाव पड़ रहा है। अतः यह मामला लोक महत्व का है।

[श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा)]

उदयपुर जिले में नये महाविद्यालय की स्थापना

उदयपुर जिले में कुल दस (10) तहसीलें हैं जिनमें से 6 तहसीलें जनजाति उपयोजना क्षेत्र में तहसील (नावां) के के 81 ग्राम उपयोजना क्षेत्र में हैं शेष दो तहसील माड़ा क्षेत्र एक नया तहसील आदिवासी आबादी का क्षेत्र है। इस तरह यह पूरा जिला ही जनजाति जनसंख्या बाहुल्य जिला है। इस जिले की भौगोलिक परिस्थितियां भी विकट हैं। सम्पूर्ण क्षेत्र पहाड़ी है।

इस जिले में महाविद्यालयी शिक्षा जिला मुख्यालय पर ही है। गत दो सालों से सलूम्बर उपखण्ड मुख्यालय पर एक महाविद्यालय और खोला गया है। इससे मात्र दो तहसील धरियावाद सलुम्बर के ही विद्यार्थी लाभान्वित होते हैं। कुछ भाग बल्लभनगर व सराड़ा तहसील का लाभान्वित हो सकता है।

दूसरे क्षेत्रों में यह सुविधा नहीं है। इस क्षेत्र की 60 से 80 प्रतिशत आबादी गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करती है। गरीब आदिवासी छात्र बड़ी मुश्किल से सी. हा. सैकण्डरी तक शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं। आगे जिला मुख्यालय पर सस्ते छात्रवासों की व्यवस्था नहीं होने एवं पर्याप्त आवास सुविधा नहीं होने से ये गरीब परिवारों के छात्र चाहते हुए भी उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि किराये के कमरे अत्यधिक महंगे हैं एवं रोज आना-जाना भी नहीं कर सकते क्योंकि न तो आने-जाने के साधन ही उपलब्ध है और न ही इतना किराया रोज दे सकते हैं।

इस जिले से नजदीक के उच्च शिक्षा की सुविधाओं के क्षेत्रों की स्थिति निम्नानुसार है।

1.	उदयपुर से डूंगरपुर	105 किमी. दूर
2.	उदयपुर से सिरोही	130 किमी- दूर
3.	उदयपुर से आबूरोड़	165 किमी. दूर

(श्री महावीर भगोरा)

इस तरह से इन क्षेत्रों के छात्रों को उच्च शिक्षा की सुविधा काफी दूर प्राप्त करने हेतु जाना पड़ता है, जहां उक्त कठिनाइयों के कारण वहां रहकर शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते। इस तरह आजादी के 48 वर्षों के व्यतीत होने के बावजूद राज्य सरकार जनजाति के छात्रों को उच्च शिक्षा नहीं दिला पायी। यही कारण है कि इन क्षेत्रों की तहसील कोटडा झाड़ोल, गोगुन्दा, सराड़ा में साक्षरता का प्रतिशत 8 से 15 प्रतिशत है। खेरवाड़ा में 30 प्रतिशत है।

मेरा इस विशेष उल्लेख के जरिये माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर निम्न स्थानों पर राजकीय महाविद्यालय खोलने हेतु आग्रह है:—

1. तहसील मुख्यालय गोगुन्दा, जहां महाविद्यालय हेतु—श्री पुष्कर मुनीजी संस्थान द्वारा भवन निर्माण कर रखा है।

2. कोटड़ा तहसील मुख्यालय पर, जो आबूरोड पिण्डवाड़ा सराड़ा व कटोड़ा तहसील को दायर करेगा।

3. खेरवाड़ा तहसील मुख्यालय जो सराड़ा, भोपाल व डूंगरपुर की पिण्डवाड़ा पंचयात समितियों को दायर करेगा।

[श्री बाबूलाल बछेर (दूदू)]

दूदू विधान सभा क्षेत्र में विद्युत विभाग में व्याप्त अव्यवस्था

मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा नियम 295 के तहत अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्री महोदय का ध्यान दूदू विधान सभा क्षेत्र की विद्युत समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं।

यह है कि गत वर्षों में अनेक गांवों का विद्युतीकरण किया गया था, लेकिन आज तक उन गांवों में पोल (खम्भे) भी नहीं पहुंचाये गये हैं।

मेरे दूदू क्षेत्र में अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा विद्युत आपूर्ति सही ढंग से नहीं की जाती है, जिससे जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

दूदू क्षेत्र में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अनेक पद रिक्त पड़े हैं, जबकि मैंने मंत्री महोदय को कई बार निवेदन भी किया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की।

410

(श्री बाबुलाल बछेर)

मेरे दूदू विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान सहायक अभियन्ता, जो राष्ट्रपति शासन से लगा हुआ है, अनेक गांवों में चोरी छिपे अवैध कनेक्शन देकर बिजली की चोरी करवाते हैं जिससे राज्य सरकार के राजकोष को हानि एवं भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है।

अध्यक्ष महोदय, बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसे सहायक अभियन्ता मंत्री महोदय एवं चेयरमैन के सिफारिशी लोगों में से हैं। अतः ऐसे अधिकारियों को तुरन्त तबादला कर अन्य स्थान पर भेजा जावे एवं विद्युत चोरी को बचाया जावे।

मेरे दूदू क्षेत्र में 1988--89 में दो ग्रिड-सब-स्टेशन 33 के. वी. के मंजूर हुए थे, लेकिन सरकार की ओर से आज तक वित्तीय मंजूरी प्रदान नहीं की गयी है। अब सरकार इनको कब तक वित्तीय मंजूरी प्रदान कर कार्य शुरू करा देगी ?

दूदू क्षेत्र में बन्धे के बालाजी स्थान पर ग्रिड सब-स्टेशन 33 के. वी. का कार्य गत तीन वर्षों से चल रहा है, लेकिन आज दिन तक इसका कार्य पूरा नहीं हुआ। क्या यह अधिकारियों की लापरवाही नहीं है ? ये कार्य कब पूरा हो जावेगा ?

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में जिन अधिकारियों की लापरवाही से कार्य में शिथिलता आयी है एवं सरकार को राजकोष को हानि पहुंचाकर जनता को परेशान किया गया, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ तुरन्त कार्यवाही कर किसानों एवं जनता को शीघ्र बिजली की आपूर्ति कराकर राहत दिलाई जावे।

[श्री महेन्द्रकुमार मीणा (सिकराय)]

बापी (जिला दौसा) गांव में अपराध प्रवृत्ति के लोगों का आतंक

निवेदन है कि जिला दौसा, थाना, सैंथल के गांव बापी के श्री रामेश्वर पुत्र श्री श्रवण ब्राह्मण तथा द्वारका, हरिमोहन, नन्दकिशोर पुत्र श्री रामेश्वर ब्राह्मण विगत कुछ वर्षों से आये दिन कमजोर लोगों को उनकी जमीन जायदाद नाजायज हड़पने की नीयत से परेशान करते रहते है। ये लोग गांव की चारागाह भूमि व आम रास्तों पर अतिक्रमण कर रबी एवं खरीफ की फसल करते रहते हैं।

(श्री महेन्द्रकुमार मीणा)

इन लोगों ने अभी कुछ दिन पहले पिछड़े एवं गरीब श्रमिकों को सड़क का कार्य करने से रोका, और फावड़े, कुल्हाड़ी एवं लाठियों से मारपीट कर बेहोशी की हालत में छोड़ गये। गांव के कमजोर एवं सीधे-सादे व्यक्तियों, वृद्ध एवं बुजुर्गों के साथ पूर्व में ये लोग अकेला पाकर ऐसी वारदात कर चुके हैं। उक्त शख्स अपराध प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं जिनके खिलाफ पुलिस में कई मामले विचाराधीन हैं एवं काफी तादाद में चालान भी हुए हैं जिनका रिकार्ड थाने में उपलब्ध है।

अतः निवेदन है कि उक्त शख्स गैर सायलान के खिलाफ उक्त विस्फोटक स्थिति पर गौर कर अधिक से अधिक कार्यवाही की जावे और धारा 110 जा. फौजदारी के तहत कार्यवाही कर गांव एवं अन्य गांव के लोगों को (श्रमिकों को) आतंकित होने से बचाकर, उक्त लोगों द्वारा गांव के पीड़ितों के साथ किये गये आर्थिक नुकसान की भरपाई वसूल कराई जावे। उक्त अपराध प्रवृत्ति के प्रकरण पर मैं सदन का महत्वपूर्ण समय लेकर माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

[श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर)]

अलवर के चिकित्सालय में व्याप्त अव्यवस्था

अलवर जिले में पिछले साल चिकित्सा मंत्री जी ने गहन चिकित्सा और सोनोग्राफी की मशीन लगाई है उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूं। इसी तरह भ्रूण हत्या को रोकने के लिए कानून बनाया है उसका भी स्वागत करती हूं।

आज के समय में सेवा को भी व्यापार बना दिया गया है मगर हमारे मन्त्रीजी की भावना सेवा में विश्वास की है। इससे लोगों में भी सेवा की भावना जागृत होगी।

अलवर में रोगी वाहन पर ड्राइवर, दन्त चिकित्सक, चर्म रोग चिकित्सक, भौतिक चिकित्सक के पद रिक्त हैं। इन चिकित्सकों को अलवर में लगाने की कृपा करें।

अलवर में टी. बी. अस्पताल है मगर अस्पताल और आउट डोर में अन्तर दो-ढाई कि. मी. का है इससे जनता बहुत परेशान होती है इसलिए इसे एक जगह करें। इसी तरह 30 शय्याओं के अस्पताल में गरीब, असहाय मरीज भर्ती रहते हैं, वहां खुराक के लिए एक वर्ष की कुल राशि 42,000 रु. स्वीकृत है, यह खुराक की

(412)

(श्रीमती मीना अग्रवाल)

राशि बढ़ाई जावे। अस्पताल में बिजली,, पानी सफाई की व्यवस्था सही नहीं है। जनरल अस्पताल में ट्रेनिंग के लिए होमियोपैथी के डाक्टर भी आते हैं जिससे जनता को एतराज है। सरकारी डाक्टर छुट्टियां लेकर नर्सिंग होम में कार्य करते हैं। इसकी जांच करायें कि छुट्टियां मंजूर हुई या नहीं। इसी तरह दवाई की दुकान को लाइसेन्स देते हैं।

अस्पताल के पास काफी जमीन रहती है, उसके एक हिस्से में पार्क बनवाया जाय जिससे जनता को रहने की सुविधा मिले व अस्पताल की सुन्दरता भी लगे।

अलवर जिला काफी बड़ा है।

(1) फैक्ट्री एरिया है, बड़ी लाइन है, जनसंख्या बढ़ी हुई है, इसलिए अस्पताल में मुर्दा गाड़ी होनी चाहिये।

(2) इसी तरह दन्त, नेत्र डिप्लोमा खोलने की कृपा करें।

(3) मन्त्रीजी को धन्यवाद देती हूं कि अलवर में बच्चों का एक अस्पताल खोलने का विचार है, इससे बच्चे पैदा होते ही इलाज करा सकेंगे और बीमारी से परेशान नहीं रहेंगे।

इसी तरह चिकित्सा के क्षेत्र में अस्पताल व औषधालय खोलकर बढ़ाये जा रहे हैं और एक्सरे फिल्म, डिस्पोजल सीरिंज आदि पर टैक्स कम कर देना भी स्वागत योग्य है।

सरकार का शिक्षण संस्थाओं में स्वास्थ्य शिक्षा उपलब्ध कराने आदि का विचार है। यह भी स्वागत योग्य है। इसी तरह मन्त्रीजी ने 20 नये आयुर्वेदिक अस्पताल खोलने का प्रस्ताव है। कुल मिलाकर इस वर्ष चिकित्सा का बजट बहुत ही सुन्दर रहा है।

[श्री रामनारायण मीणा (नैनवां)]

बारां में सरकारी भवनों के निर्माण में भ्रष्टाचार

बारां में निर्मित करवाये गये जिला कलक्ट्रेट भवन, उसकी सड़कें, विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों के रिहायशी आवासों का निर्माण निर्धारित स्तर के नहीं करवाये गये हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग के कर्मचारियों एवं ठेकेदारों ने आपस में मिलकर पनपाये गये भ्रष्टाचार की जांच अति आवश्यक है। निर्माण कार्यों में भारी अनियमितता की गयी है तथा घटिया स्तर का चूना, सीमेन्ट, रेत का उपयोग करने से बनाये गये भवनों में टूट-फूट होने लग गयी है। उदाहरणस्वरूप, बारां की न्यू सिविल लाइन्स में बनाये गये 49 आवासों के बारे में क्वालिटी कन्ट्रोल के नये नमूने की जांच करवायी जावें ताकि मैटीरियल की शुद्धता की जांच हो सके। जिस भवन में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ता रहते हैं उसकी दीवारों में अभी से खड्डे होना प्रारम्भ हो गये हैं। फर्श चलने पर आवाज करता है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश के आवास की पिछली बरसात में फर्श बैठ गया जिसकी रिपेयर करवानी पड़ी। निर्माण कार्यों की उचित देखभाल नहीं करने से ही ठीक स्तर के कार्य नहीं हुए हैं।

अतः बारां में जिला कलक्ट्रेट भवन सहित उसकी सड़क, विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों के रिहायशी आवास एवं अन्य सभी निर्माण कार्यों के स्तर आदि की पूरी जांच करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की टीम गठित की जाये तथा राज्य अन्वेषण ब्यूरो में मामला दर्ज करवाया जाकर दोषी अधिकारियों एवं निर्माण करवाने वाले ठेकेदारों के खिलाफ ठोस कार्यवाही की जाकर पूरे विवरण एवं जांच रिपोर्ट की प्रतियां मुझे भी प्रेषित की जावे।

[श्री राधेश्याम गंगानगर (श्री गंगानगर)]

इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक हैल्थ एण्ड हाइजन, नई दिल्ली से लैब टैक्नीशियन डिप्लोमाधारी व्यक्तियों की राजकीय सेवा में नियुक्ति

निवेदन है कि केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था "इन्स्टीट्यूट आफ पब्लिक हैल्थ एण्ड हाइजिन, नई दिल्ली, नामक संस्था लैब टैक्नीशियन के लिए डिप्लोमा कोर्स का अध्ययन करवाती है और अध्ययन के पश्चात परीक्षायें आयोजित कर सफल परीक्षार्थियों को लैब टैक्नीशियन का डिप्लोमा, सर्टिफिकेट प्रदान

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

करती है। इस संस्था द्वारा प्रदान किया गया प्रमाण-पत्र भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है तथा पंजाब सरकार ने भी इस प्रमाण पत्र को नवम्बर, 1994 में मान्यता प्रदान की है। इसके अतिरिक्त कई अन्य राज्यों की सरकारों द्वारा भी इसको मान्यता दी हुई है जिनमें से मध्य प्रदेश और तमिलनाडु सरकार मुख्य हैं। इस संस्था द्वारा डिप्लोमा का अध्ययन करवाने के लिए जो विषय वस्तु (प्रोस्पेक्टस) निर्धारित की हुई है वह विषय वस्तु राजस्थान राज्य क्षेत्र में लैब टैक्नीशियन के लिए जो अध्ययन विश्वविद्यालय प्रोस्पेक्टस के आधार पर करवाता है, उसके समकक्ष ही है।

हमारे प्रान्त में, खास तौर से, गंगानगर जिले में उपरोक्त इन्स्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हैल्थ एवं हाइजिन, नई दिल्ली से लैब टैक्नीशियन के डिप्लोमाधारी काफी व्यक्ति बेरोजगार हैं और उन्हें राजस्थान सरकार का चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, इस डिप्लोमा को मान्यता नहीं देता तथा उनको रोजगार उपलब्ध नहीं करवाता क्योंकि उस डिप्लोमा को कई राज्य सरकारों ने मान्यता प्रदान कर रखी है और हमारे राज्य के डिप्लोमाधारी व्यक्तियों ने राज्य सरकार और मंत्रीगण को भी इसे मान्यता प्रदान करने के लिए सभी आवश्यक प्रमाणों के साथ प्रार्थना पत्र दिये हुए हैं। अतः मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से यह मांग करता हूं कि इस संस्था से जिन व्यक्तियों ने लैब टैक्नीशियन डिप्लोमा प्राप्त कर रखा है उनको इस डिप्लोमा के आधार पर सरकारी सेवाओं में लेने के लिए मान्यता प्रदान करें।

अतः मैं प्रक्रिया के नियम 295 अन्तर्गत राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि सरकार इस वाजिब मांग को मानकर शीघ्र मान्यता प्रदान करने के आदेश प्रसारित करेगी।

[श्री विष्णु मोदी (पुष्कर)]

जयपुर स्थित चिल्ड्रन्स अकादमी हायर सैकण्डरी स्कूल के जीर्ण-शीर्ण भवन से विद्यार्थियों के जीवन को असुरक्षा

चिल्ड्रन्स अकादमी हायर सैकण्डरी स्कूल, जो टोडरमल मार्ग, बनीपार्क, जयपुर में स्थित है, एक पुराने भवन में चल रही है। इसकी इमारत की हालत

(श्री विष्णु मोदी)

खस्ता होने के बावजूद भी प्रबन्धकों ने इसके ऊपर एक मंजिल और चढ़ा दी है और यह निर्माण कार्य जयपुर विकास प्राधिकरण की इजाजत के बगैर किया गया है। चूंकि सारा कार्य तुरत-फुरत में किया गया था इसलिए सुरक्षा सम्बन्धी सामान्य नियमों का भी ध्यान नहीं रखा गया। बच्चों की अत्यधिक संख्या और इमारत की दीवारों की कमजोर स्थिति के कारण छत की पट्टियां टूट गयीं। यह मामला शिक्षा मन्त्रीजी के ध्यान में लाया गया था और उन्होंने दिनांक 27 जून, 1994 को जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर खण्ड--2 को यह निर्देश दिये कि चूंकि मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने चिल्ड्रन्स एकादमी, टोडरमल मार्ग, बनीपार्क, जयपुर के भवन को असुरक्षित बताया है अतः इस सम्बन्ध में भवन की सुरक्षा व्यवस्था की जाये अथवा विद्यालय के प्रबन्धकों को निर्देश दिया जाय कि वे कक्षाएं कहीं अन्यत्र लगायें। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि इस सम्बन्ध में तुरन्त आवश्यक कार्यवाही कर मन्त्री महोदय को विवरण भेजा जाये। मन्त्री महोदय के इस आदेश के बावजूद भी इस स्कूल की न तो कोई सुरक्षा व्यवस्था की गयी है। और न ही स्कूल को कहीं अन्यत्र स्थानान्तरित किया गया है और ऐसी स्थिति में यदि यह इमारत गिर पड़ती है तो एक बहुत गम्भीर और दुःखद हादसा हो सकता है। स्कूल के बच्चों व अन्य स्टाफ का जीवन किसी भी समय खतरे में पड़ सकता है।

अतः मैं सदन का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूं ताकि किसी भी क्षण घट सकने वाली दुःखद घटना को टालने के लिए सरकार द्वारा आवश्यक कदम तुरन्त उठाये जा सकें।

[श्री अर्जुनलाल जीनगर (गंगरार)]

गंगरार विधान सभा क्षेत्र के ओराई बांध की डूब में आये किसानों को मुआवजा

मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक ओराई डेम बना हुआ है, जिसे लगभग तीस वर्ष हो गये हैं और वहां के आस पास के आदिवासी भील जाति के लोगों की सैंकड़ों बीघा जमीन बांध की डूब में आ गयी है।

(श्री अर्जुनलाल जीनगर)

सरकार ने इन आदिवासियों को मुआवजे के नाम पर आज तक एक रुपया भी नहीं दिया है, न ही कोई मुआवजे के लिए अवार्ड जारी किया है। जिन आदिवासियों की भूमि डूब में चली गयी उनको कृषि के लिए एक इंच भूमि भी नहीं दी गयी है।

अतः सिंचाई मंत्रीजी से चाहूंगा कि वे आज की अनुमानित लागत से डूब क्षेत्र के आदिवासी किसानों को मुआवजा दिलाने की कार्यवाही करें।

[श्री राकेश मेघवाल (परबसर)]

मकराना के खनिज क्षेत्र में असुरक्षित एवं अवैध खनन

मकराना के खनिज क्षेत्र में स्थित बोरावड़ कुमारी रेन्ज की खान संख्या 50 व 51, स्टेट हाईवे नम्बर 2, जयपुर—नागौर की मास्टर प्लान की सड़क है, जो जयपुर—नागौर की दूरी को कम करती है। उक्त सड़क पर असंख्यक मात्रा में वाहन आवागमन करते हैं एवं कम से कम 100 बसें राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की और निजी बसें भी आती—जाती रहती हैं। उक्त सड़क क्षेत्र में एवरेस्ट मार्बल ट्रेडर्स द्वारा खनन कार्य कर रास्ता मात्र 20 फीट ही छोड़ा है तथा सड़क के दोनों ओर दीवार नहीं होने से सड़क क्षेत्र में अण्डर कटिंग करने से उक्त सड़क से आवागमन करने वालों की जान-माल का खतरा बना हुआ है।

उक्त खानों में खनन कार्य भी नियमानुसार नहीं करने से विस्फोट होने की सम्भावना बनी रहती है। घण्टों यातायात बन्द रखना पड़ता है तथा असुरक्षित खनन से उक्त सड़क से आवागमन करने वालों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। हाल ही में कुछ दिन पूर्व करीब 100-125 मजदूरों से भरी हुई बस खान में गिरते-गिरते बची।

उक्त खान के चारों ओर लगे सीमा स्तम्भ भी मैसर्स एवरेस्ट मार्बल द्वारा हटवा दिये गये हैं एवं खान में उतरने के लिए सीढ़ियों की व्यवस्था नहीं है तथा अन्य

(श्री राकेश मेघवाल)

अनेक नियमों का पालन नहीं करने के कारण दिनांक 31-3-94 को माइनिंग विभाग द्वारा उक्त फर्म का माइनिंग लाइसेन्स समाप्त कर दिया गया एवं दिनांक 4-4-94 को कब्जा माइनिंग द्वारा प्राप्त करने के पश्चात् भी, बिना पूर्व सूचना एवं असुरक्षित तरीके से ब्लास्टिंग किया जा रहा है, जिससे हर समय दुर्घटना घटित होने की सम्भावना बनी रहती है।

अतः आवागमन व इस सड़क की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए खान को तुरन्त बन्द किया जाना एवं सड़क क्षेत्र में मलबा डला कर तथा दीवार बना कर तुरन्त खान का खनन कार्य बन्द करवाया जाना नितान्त ही आवश्यक है।

मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इन खानों को असुरक्षित खदान को दूर करने के लिए सरकार तुरन्त आवश्यक कार्यवाही करें तथा मकराना क्षेत्र के समस्त अवैधानिक खनन कार्य को बन्द करवाने की कृपा करावें।

[श्री जयन्ति लाल कोली (रेवदर)]

रेवदर क्षेत्र में ट्रांसफार्मर की कमी से बिजली की अव्यवस्था.

रेवदर अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र है। वहां 129 के. वी. की जगह लगभग एक वर्ष पूर्व 132 के. वी. लाइन बदली गयी परन्तु ट्रांसफार्मर इस केपेसिटी के अनुरूप नहीं बदला गया जिसके कारण वहां के किसानों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है एवं समय पर उन्हें बिजली नहीं मिलती है तथा कनेक्शन नहीं मिलते।

वहां पर बिजली की व्यवस्था बहुत ही खराब है। वहां पर 120 के. वी. की जगह लगभग एक वर्ष पूर्व में 132 के. वी. की लाइनें तो लगा दी गयी हैं लेकिन वहां पर आज तक ट्रांसफार्मर बदल कर हाई वोल्टेज के नहीं लगाये गये हैं एवं वहां पर ट्रांसफार्मर एक ही लगा हुआ है जिससे पानी डालकर ठण्डा करके

(श्री जयन्ति लाल कोली)

चलाया जाता है एवं इस समय छात्रों की परीक्षा चल रही है मगर एक फेस भी लाइट नहीं मिल रही है। अतः आम जनता के हित को देखते हुए माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि 132 के. वी. के 5 व 315 का ट्रांसफार्मर लगवाने की व्यवस्था करावे जिससे गरीब जनता को राहत मिले एवं किसानों को फसलों के उत्पादन में भारी नुकसान नहीं हो।

अतः मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि 5 व 3.15 एम. वी. का ट्रांसफार्मर लगाने के आदेश तुरन्त करा जनजीवन को राहत प्रदान कराएं।

[श्री मोती लाल (रूपवास)]

भरतपुर जिले के सिंचाई विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार

मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत माननीय सिंचाई मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा :—

(1) भरतपुर जिले के लिए पांचना से भरतपुर का हिस्सा अवश्य दिलायें और जो पानी कोनी बांध से भरतपुर में आता है वह यू. पी. में निकल जाता है जिससे भरतपुर को कोई फायदा नहीं है इसलिए इसको रोककर गम्भीर नदी का पानी बाण गंगा में लाकर डाला जाय जिससे कम से कम साठ-सत्तर गांवों में सिंचाई की जा सके। इस पानी से हमें सिंचाई का लाभ तो मिलेगा ही लेकिन आज जो पीने के पानी की समस्या आ रही है वह भी इससे सोल्व हो जायेगी। जो वाटर जिससे लेवल नीचे चला गया है वह दुबारा से ऊपर आ जायगा हमारे पीने के पानी की समस्या और सिंचाई की समस्या दोनों ही हल हो जायेगी।

(2) माननीय अध्यक्ष महोदय मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान ऐसे मुद्दे की ओर दिलाना चाहता हूं कि जिसे सुन करके माननीय सदस्यगण सिंचाई

(श्री मोती लाल)

के कर्मचारियों के ऊपर थू-थू करेंगे क्योंकि भरतपुर के विकास का पैसा मात्र एक आदमी को लाभ देने के लिये बाण गंगा पर खरवेरा पर बांध बना कर सारा पैसा लगाया गया जिसमें कई लाख रुपये का घोटाला किया गया है। उस घोटाले को दबाने के लिए कि कहीं ठेकेदार उसकी पोल न खोल दे इस लिहाज से उस ठेकेदार को एक लाख सड़सठ हजार का भुगतान अतिरिक्त दे दिया गया जब उसकी दूसरे अभियन्ता ने जांच की और उसका एक लाख सड़सठ हजार का घपला पकड़ा गया तो दोषी रूपवास से कुंतल जे. ईएन. को लाकर उसके सर सारा दोष मढ दिया जबकि ए. ईएन. एक्स. ईएन. एस. ई. सैक्रेटरी, ये चारों सस्पैण्ड होने चाहिये थे। ये तीनों बड़े अधिकारी होने के कारण बचा दिये गये और गरीब जे. ईएन. को फंसा दिया गया। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि घोटाला बड़े कर्मचारी करते हैं और जब फंस जाते हैं तो छोटा मारा जाता है। इस घोटाले की मेरे पास वीडियो कैसेट है।

इसी प्रकार अनूपपुरा में जो वाई ग्रेट डलवाई है उसमें भी लाखों का घोटाला है चाहे तो सदन में वीडियो मंगा कर कैसेट फिल्म देख सकते। अध्यक्ष महोदय, यह बड़े शर्म की बात कि इतने बड़े घोटाले को मंत्री महोदय कैसे छुपा गये जबकि मैंने इस बारे में साल में दो बार मंत्री जी को प्रार्थना पत्र दिया है।

(3) इस प्रकार रूपवास क्षेत्र में सिथावली ड्रेन पर काम करवाने के लिए ठेका हुआ लेकिन काम एक पैसे का नहीं हुआ और ए. ईएन., जे. ईएन. एस. ई. तीनों ने ठेकेदार से मिल कर 67 हजार रुपये की पेमेन्ट कर दिया गया और मालूम पड़ने पर वह देखा तो वहां पर एक नये पैसे का काम नहीं हुआ। जब मैंने एस. ई. साहब से कहा तो इन्होंने कहा कि सिथावली की ड्रेन का कोई पेमेन्ट नहीं हुआ और मैंने जैसे तैसे पेमेन्ट का रजिस्टर देखा तो उसमें 67 हजार के पेमेन्ट का नाम था। तो इस पर एस. ई. महोदय ने कहा कि मैं जांच करवा लूंगा। दो वर्ष से अभी

420

(श्री मोती लाल)

तक जांच नहीं हुई है तो अब क्या होगी। इन सब घोटालों को छुपाने के लिये सेक्रैटरी साहब ने एक्स. ईएन. बी. के. सरावगी को लगाया गया कि ये इनको दबा देंगे। भरतपुर में सिंचाई विभाग में इस तरह के घोटाले हो रहे हैं।

421

शुद्धि पत्र

क्र. सं.	पंक्ति संख्या	स्कम्भ संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1.	6	175	श्री अर्जुनदास मदान	श्री अजुंनदास मदान
2.	6	319	श्री कालीचरण सर्राफ	श्री कालीचरण सराफ
3.	3	514	बा मेरे	बारे में
4.	3	587	श्री शांतिलाल खोई वाल	श्री शांतिलाल खोईवाल
5.	13	593	पि-ण्डवाड़ा	पिण्डवाड़ा